(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

ग्रंक 7] सप्तम् विधान सभा के सातवें सत्र का तीसरा दिवस [संख्या 3

1] [2

बुधवार

दिनांक 7 सितम्बर, 1983

विधान सभा की बैठक म. पू. 11·00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 66.

भू-वैज्ञानिक सर्वे ऑफ इण्डिया के आरक्षित क्षेत्रों में खनन

66. **श्री कुन्जीलाल (वामनवास)**

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) एवं

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भू-वैज्ञानिक सर्वे ऑफ इण्डिया (जीओलॉजिकल सर्वे आफ इण्डिया) के नाम राजस्थान में किस किस जिले का कितना कितना क्षेत्र किस किस कार्य/सर्वेक्षण के लिये कब कब से आरक्षित किया हुआ है?

(2) इस आरक्षित क्षेत्र में से 1 अप्रेल, 1980 से अब तक किन किन व्यक्तियों को कब कब किस किस खनिज के लिये कितने-कितने क्षेत्र के लिये खनिज पट्टे दिये हुए हैं? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि से अब तक किन किन व्यक्तियों ने जी. एस. आई. के लिये आरक्षित क्षेत्र में खनिज के पट्टों के लिये आवेदन-पत्र दिये थे, परन्तु अस्वीकृत कर दिये गये? यदि हां, तो किन किन के, कब-कब और क्यों?

(4) ऐसे आरक्षित क्षेत्र में खनिज पट्टे देने के सम्बन्ध में कानून, नियम एवं प्रक्रिया की कैसी व्यवस्था है? क्या इस सम्बन्ध में कोई नीति निर्णय संबंधी विज्ञप्ति राजपत्र में प्रकाशित हुई है? यदि हां, तो कब कब? कृपया संबंधित प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

राज्य मन्त्री, खनिज (श्री जयकृष्ण शर्मा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

को स्थगित किया जाय। यह पूरे राजस्थान का प्रश्न है और पूरी जानकारी राजस्थान से एकत्र करनी है।

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है........

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : आप बचना चाहते हैं इससे।

एक माननीय सदस्य : आप तो जाने वाले हैं........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

अगला प्रश्न।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आप तो आने वाले हैं नहीं।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : आप मुख्य मंत्री जी को इस प्रकार बचा नहीं सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य बोलें।

सुश्री पुष्पा जैन : 66 और 94 एक से ही प्रश्न हैं, आप 94 का उत्तर दिला दें तो हम संतुष्ट हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : अंतिम प्रश्न पर अगर आधे घण्टे की चर्चा उठायेंगे तो इसी सत्र में ले सकते हैं।

श्री भंवर लाल शर्मा : आप 94 का उत्तर दिला दें, हम सेटिसफाई हो जायेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : जो सवाल उठाया गया है वह जरा देखें। पहले में सूचना मांगी गयी है, जियोलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया को कितना क्षेत्र आरक्षित किया गया है। अलाटमेन्ट तो यहीं से होता है। इसकी एकमुश्त सूची यहाँ पर है। यह कहना गलत है कि सारे राजस्थान से सूचना मंगाई जायेगी। आरक्षण आपके विभाग के स्तर पर होता है इसलिये यह सूचना विभाग के पास है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित कर देते हैं। अंतिम प्रश्न आधे घण्टे की चर्चा उठायेंगे तो ले लेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : शासन के पास सूचना उपलब्ध है।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न है, "भू-वैज्ञानिक सर्वे आफ इण्डिया (जियोलोजीकल सर्वे आफ इण्डिया) के नाम राजस्थान में किस किस जिले का कितना कितना क्षेत्र किस किस कार्य/सर्वेक्षण के लिये कब कब से आरक्षित किया हुआ है?" दूसरा है, "इस आरक्षित क्षेत्र में से 1 अप्रेल, 1980

Page No. 3

(3)

(श्री अध्यक्ष)

से अब तक किन किन व्यक्तियों को कब कब किस किस खनिज के लिये कितने कितने क्षेत्र के लिये खनिज पट्टे दिये हुए हैं ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें ।"

तीसरा यह है "उक्त अवधि से अब तक किन किन व्यक्तियों ने जी.एस.आई. के लिये आरक्षित क्षेत्रों में खनिज के पट्टे के लिये आवेदन-पत्र दिये थे, परन्तु अस्वीकृत कर दिये गये ? यदि हाँ, तो किन किन के, कब कब और क्यों ?"

काफी विस्तृत सूचना चाही है । मैंने इसका अध्ययन करके ही इसको स्थगित किया है । आज का जो अंतिम प्रश्न है उसके लिये मैंने व्यवस्था दे दी है कि उस प्रश्न को आधे घंटे की चर्चा के माध्यम से उठाया जायेगा तो कल रखने की स्वीकृति दे दूंगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : आपने फरमाया, वह मौजू है । इस प्रश्न के दो पार्ट हैं । एक है, राजस्थान के अन्दर जी.आई.सी. के लिये कितना क्षेत्र आरक्षित है ? इसके आंकड़े राजस्थान के किसी विभाग से नहीं मंगवाने हैं, यह सूचना राजस्थान सरकार के पास है । एक है, कितने लोगों को पट्टे दिये गये, यह 10 से ज्यादा नहीं है । कितने लोगों ने एप्लीकेशन दी, वह 2 से ज्यादा नहीं है........

राजस्व मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा): जहां तक सवाल है जी.एस.आई. के लिये आरक्षित क्षेत्र का, उसका कार्यालय भी यहां पर नहीं है । फिर भी हो सकता है कि उसकी सूचना एक जगह पर उपलब्ध हो जाये क्योंकि डी.एम.जी. के यहां पर सारा रिकार्ड होता है । चलो यह मान लिया जाय कि यह सूचना आ जायेगी लेकिन दूसरी सूचना मांगी है, कहां कहां पर दिये गये, कितने कितने दिये गये........

श्री अध्यक्ष : विस्तृत है । ज्यादा अगर नहीं है तो भी ढूंढने में तो कठिनाई होगी ही ।

श्री कैलाश मेघवाल : आरक्षित क्षेत्र तो किसी को दिया ही नहीं जा सकता है । इसका तो सीधा सा उत्तर है कि नहीं दिया जा सकता है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो यही कह दें कि पट्टे दिये हैं ।

श्री हीरालाल देवपुरा : मेरे पास सूचना नहीं है, कैसे कह दूं ।

सुश्री पुष्पा जैन : देवेन्द्रसिंह जी बोल रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तीसरा है कि नियम हैं या नहीं, यह तो बता दें ।

श्री हीरालाल देवपुरा : पार्टली इन्फार्मेशन नहीं दे सकता हूं । एक ही पार्ट है यह ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया ।

श्री कैलाश मेघवाल : कब आयेगा ?

सुश्री पुष्पा जैन : कल तक ।

Page No. 4

(५)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कल तक इसका जवाब दिला दें, पार्टली दिला दें, पहला छोड़ दें जो कि पूरे राजस्थान का है।

श्री अध्यक्ष : कांट छांट तो तत्काल नहीं कर सकता हूं। बात करना चाहें तो मेरे से बात कर लें। मुझे संतुष्ट कर दें कि यह ज्यादा बड़ा नहीं है तो देख लेंगे। वैसे इसमें विस्तृत सूचना मांगी गई है।

अगला प्रश्न। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

प्राइवेट सेक्टर में विद्युत उत्पादन

67. **श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

1 अप्रेल, 1982 से अब तक प्राइवेट सेक्टर में किन-किन लोगों को कितने-कितने विद्युत-उत्पादन की स्वीकृति प्रदान की गई एवं सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कितना कितना ऋण एवं कितनी कितनी सहायता किस किस रूप में दी गई तथा कितना विद्युत उत्पादन हुआ ?

ऊर्जा मन्त्री (श्रीमती कमला) : 1 अप्रेल, 1982 से 31 अगस्त, 1983 तक प्राइवेट सेक्टर में जिन जिन उपभोक्ताओं को अपने स्वयं के विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाने की स्वीकृति प्रदान की गई है उसकी सूचना परिशिष्ट "अ" और "ब" में सदन के पटल पर रख दी गई है। सरकार द्वारा 1982-83, 83-84 में दो करोड़ का अनुदान दिया गया है। इन संयंत्रों द्वारा कितना विद्युत उत्पादन किया गया, इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(परिशिष्टों के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जो मूल प्रश्न था, 2 करोड़ के अनुदान का था। इसके अलावा करोड़ों रुपये का ऋण दिया गया। लगभग 916 लोगों को 15 करोड़ रुपये का राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अनुदान दिया गया। मेरा मुख्य प्रश्न यही था कि इन लोगों के द्वारा कितना विद्युत उत्पादन किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : विस्तृत सूचना है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दूसरा प्रश्न यह है कि जिन लोगों को कोयले से विद्युत उत्पादन के लिये ऋण दिया गया था और डीजल से उत्पादन के लिए ऋण दिया गया उनकी अलग अलग ....

श्री अध्यक्ष : कोयले का आपके प्रश्न में नहीं है।

श्रीमती कमला : सम्मिलित है अलग-अलग नहीं है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : प्रश्न का दायरा स्पष्ट है, ऋण दिया, अनुदान दिया, इतने पैसे सरकार ने विद्युत उत्पादन के लिये लगाये, उसका रिटर्न क्या हुआ। यह बात सामने नहीं आयेगी तो....

श्री अध्यक्ष : इसमें रिटर्न क्या होगा ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : विद्युत उत्पादन के रूप में।

श्री अध्यक्ष : तो सीधा यही प्रश्न पूछ लेते।

श्रीमती कमला : जो प्रश्न पूछ रहे हैं, बोर्ड की भी उसमें रुचि है कि जो बोर्ड ने ऋण व सहायता दी है उस अनुपात में विद्युत उत्पादन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उन्होंने कितनी बिजली का उपयोग किया, वह कम किया या ज्यादा किया। जो रिपोर्ट आती है वह सही है, गलत है। यह हमारे खुद के इन्ट्रेस्ट में भी है कि यह सूचना जल्दी से जल्दी प्राप्त करें कि इन यूनिट्स ने एक्चुअली कितना उत्पादन किया विद्युत का। इसके लिए उनको पहले से प्रोफार्मा भेजकर सूचना देने के लिए लिखा है। आपका प्रश्न आने के बाद दुबारा तकाजा किया है लेकिन फिर भी उनके पास से सूचना पूरी नहीं मिली है इसलिए स्थानीय अधिकारियों को पाबन्द किया गया है कि खुद यूनिट्स से तमाम सूचना लेकर भेजें। लेकिन प्रश्न का उत्तर देने तक वह सूचना उपलब्ध नहीं हुई है, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने डीजल जनरेटिंग सेट्स के अलावा कोयले पर आधारित बिजली घर बनाये जाने के सम्बन्ध में अनुमति दी है ?

श्रीमती कमला : जो सूची मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है, इसमें स्टीम के जनरेटिंग सेट्स का भी शामिल है और डीजल का भी शामिल है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डीजल का नहीं लिखा, सिर्फ उनकी क्षमता लिखी है। आपने लिखा है–विद्युत सप्लाई अधिनियम, 1948 की धारा 44 के अन्तर्गत विद्युत मण्डल द्वारा विभिन्न उपभोक्ताओं को स्वीकृत किये गये डीजल जनरेटिंग सेटों की संख्या।

श्रीमती कमला : मेरी समझ में इसका हैडिंग लिखने में गलती हो गयी है। डी. सी. एम. ने जो लिया है, उसमें डीजल और स्टीम का शामिल है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सही है कि उसमें शामिल हो सकता है, लेकिन ऊपर तो लिखा है, डीजल सेट्स के लिए परमिशन दी है।

श्रीमती कमला : जनरल हैडिंग गलती से लगा दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में इसको कल के लिए पोस्टपोन किया जाय।

श्रीमती कमला : बाइफरकेट करके उसको हटा देंगे। दुबारा प्रश्न लाने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य को अलग से सूचना प्रस्तुत कर दूंगी।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन कल तक के लिए। अगर आपका मतलब यही है कि जवाब नहीं हो तो बात दूसरी है।

श्री अध्यक्ष : यह कैसे कह रहे हैं। मैं स्थगित ही कर रहा हूँ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कल दिया जायेगा इसका जवाब ?

श्री अध्यक्ष : कल तक इतनी सूचना....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकार ने प्राइवेट सैक्टर में पावर जनरेट करने के सम्बन्ध में कब निर्णय लिया था ?

श्रीमती कमला : यह डिसीजन 1.1.82 से लागू हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकार ने निर्णय कब लिया ?

श्रीमती कमला : वास्तव में कब किस वक्त यह निर्णय लिया, यह सूचना मेरे पास नहीं है। किस तारीख से एप्लीकेबल हुआ, यह........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि जितने सेट्स के लिए परमिशन दी है, उसमें कुल कितनी पूंजी का विनियोजन हुआ और कितनी पावर जनरेट हुई ?

श्रीमती कमला : इतने जनरेटिंग सेट्स हैं, इतनी सब्सिडी दी, इस रेश्यो से देने से कितना पैसा इन्वॉल्व हुआ, कितनी बिजली जनरेट करेंगे, इसका केलकुलेशन पूरा है। लेकिन वह कागज अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय ऐसा है कि सारी व्यवस्था........

श्री अध्यक्ष : इसीलिए इसको स्थगित कर दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कल लें तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष : अगले टर्न के लिए स्थगित कर दिया है। यह तो मन्त्री महोदय के उत्तर देने पर निर्भर है।

श्रीमती कमला : आपको सूचना प्राप्त करने में रुचि है। मैं आपको दोनों सूचना बाद में प्रस्तुत कर सकती हूँ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, सीरियस मैटर है। माननीय मुख्य मंत्रीजी यहाँ नहीं हैं, मुझे याद है कि डी. सी. एम.........

श्री अध्यक्ष : परसों ले लेते हैं। आधे घण्टे की चर्चा के माध्यम से। उसमें जितनी सूचना अधिक से अधिक आ जायेगी........

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, बिजली बोर्ड के वार्षिक वित्तीय विवरण पर डिस्कशन होने वाला है।

श्री अध्यक्ष : बिजली बोर्ड के वार्षिक वित्तीय विवरण पर डिस्कशन के समय रख दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिजली बोर्ड का वार्षिक वित्तीय विवरण तो आयेगा ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप सब तथ्य रख देना, उसका उत्तर दे देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कब ?

श्री अध्यक्ष : परसों। चाहे आधे घण्टे

(श्री अध्यक्ष)

की चर्चा के माध्यम से, चाहे बिजली बोर्ड के वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा के समय।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उस पर तो चर्चा होगी नहीं।

श्री अध्यक्ष : यह आप कैसे मानकर चलते हैं ? कार्य सलाहकार समिति ने निश्चित किया है। परसों आधे घण्टे की चर्चा हो तो ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : कल रख लें। इसमें आपत्ति है क्या ?

श्री अध्यक्ष : कल तो यह सूचना आने में देर होगी। परसों हर हालत में आधे घण्टे की चर्चा में इसको........

राज्य मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री प्रद्युम्न सिंह) : देखा हमारे अध्यक्ष महोदय को आपने।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री गुलाब चन्द कटारिया।

मंदिर द्वारकाधीश (कांकरोली) की चल व अचल सम्पत्ति

68. **श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)** : क्या देवस्थान राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) मन्दिर द्वारकाधीश, कांकरोली की चल व अचल सम्पत्ति की सूची कृपया सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सच है कि द्वारकाधीश के मन्दिर, कांकरोली की सम्पूर्ण देख-रेख हेतु किसी ट्रस्ट का निर्माण किया हुआ है ? यदि हां, तो कब ? व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या एसे महत्वपूर्ण मन्दिरों की व्यवस्था सुचारु रूप से चले, इसके लिए सरकार इन पर नियन्त्रण रखने का विचार रखती है ?

(4) क्या राज्य सरकार इस मंदिर की सम्पत्ति को नष्ट एवं खुर्द बुर्द करने से बचाने के लिए कोई कारगर कदम उठा रही है ?

राज्य मन्त्री, देवस्थान (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। दिनांक 3–8–71 को ट्रस्ट का पंजीयन किया जा चुका है।

(3) राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1979 के प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकृत सार्वजनिक प्रन्यासों पर सम्बन्धित क्षेत्रों के सहायक आयुक्त देवस्थान का नियंत्रण रहता है।

(4) सार्वजनिक प्रन्यास की सम्पदा अवैध रूप से विक्रय किए जाने एवं मन्दिर की व्यवस्था बिगड़ने की शिकायत प्राप्त होने पर शिकायतकर्ता को राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1979 की धारा 38 के अन्तर्गत प्रावधानानुसार न्यायालय में वाद दायर करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

देवस्थान को भी जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं–मन्दिर की अव्यवस्था, नाजायज सम्पत्ति के विक्रय के सम्बन्ध में, उनकी भी जांच की जा रही है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने बताया कि इसका पंजीयन 3-8-71 को हो गया था। जो सूची आपने दी है, उसके अनुसार लगभग 4 करोड़ की अचल सम्पत्ति है। और आंकड़े तो पढ़े नहीं लेकिन मेरा अनुमान है कि 2 करोड़ के लगभग चल सम्पत्ति है। इतनी बड़ी सम्पत्ति मन्दिर के पास होने के बाद आप कह रहे हैं कि हमको अधिकार है, हम रोक सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने जो सम्पत्ति बेची, उसकी देवस्थान विभाग से पूर्व स्वीकृति प्राप्त की ? की तो कब की ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : देवस्थान विभाग से कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की। इसलिए हम इसकी जांच कर रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, आपके विभाग के ध्यान में यह बात कब आयी कि मंदिर की प्रापर्टी बेची जा रही है ? तब से लेकर आज तक आपने उस पर क्या कार्यवाही कर ली है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, कांकरोली में जो ट्रस्ट बना हुआ है, उसने निर्णय लिया कि जो जमीन पड़ी है उसके ऊपर 80 दुकानें बनायेंगे। 80 दुकानें बनाने के लिए उन्होंने जो दुकान लेना चाहते थे उन से 5–5 हजार रुपये एडवांस लिए। एडवांस लेकर उन्होंने दुकान बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद, दूसरे दुकानदारों ने और कांकरोली के लोगों ने शिकायत की तो उसकी जांच शुरू कर दी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा दुकान बनाने या न बनाने से कोई अभिप्राय नहीं है। सवाल यह है कि 1958 में महाराज श्री ने मंदिर की प्रापर्टी को अपने लड़कों के नाम करवा दिया। आप उसको ट्रस्ट मानते हो, एक तरह से उसके रखवाले हो, क्या आपके ध्यान में यह है कि करोड़ों की सम्पत्ति उन्होंने अपने लड़कों और परिवार के लोगों के नाम करा दी ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : इसकी सूची प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रार जिसके यहां रजिस्ट्री होती है, को लिखा गया है। बाद सैशन कोर्ट में चलने की वजह से कोई कार्यवाही इस सम्बन्ध में की नहीं गयी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : प्रश्न बिलकुल साफ है। प्रश्न यह है कि महाराज श्री ने अपने परिवार के लोगों के नाम इस सार्वजनिक सम्पत्ति का बंटवारा करके, डाक्यूमेण्ट बनाकर दर्ज करा दिया ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : ऐसी कोई सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यदि आपका उद्देश्य यही था तो इस प्रश्न के माध्यम से यह सूचना मंगवा लेते। अब आप पूछ रहे हो

(श्री अध्यक्ष)

कि किसको बेची, किसको हस्तांतरित की। तत्काल कैसे उत्तर दे सकते हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, तीन सत्रों से मैं इस प्रश्न को बराबर उठा रहा हूँ। इसमें करोड़ों रुपये की सम्पत्ति........

श्री अध्यक्ष : जो बात यहां कहते हैं वही प्रश्न लिखते समय कह देते तो उत्तर आ जाता।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैंने सारी सूचना मांगी थी। मगर आप देखेंगे, उस सूची के आधार पर........

श्री अध्यक्ष : मन्दिर की सम्पत्ति कौन-कौन सी बेची, उसकी बात कहते कि व्यक्ति को बेची या व्यक्तियों को बेची। इस तरह की बात प्रश्न में पूछ लेते तो उसका जवाब आ जाता........

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, जो मन्तव्य था वही मैंने कहा है। जो प्रापर्टी की लिस्ट है, जो महाराणा, उदयपुर द्वारा दी हुई प्रापर्टी है, उसके लिये देवस्थान विभाग के लोग कोर्ट में नहीं गये, वहां के लोग कोर्ट में गये 5-8-1981....

श्री अध्यक्ष : जो बात आप पूछना चाहते हैं वह बात प्रश्न में नहीं है। वह बात आप प्रश्न में उस वक्त लिख देते तो उस प्रकार का जवाब आ जाता।

श्री नानालाल।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के भाग (4) में यही बात पूछी है, "क्या राज्य सरकार इस मंदिर की सम्पत्ति को नष्ट एवं खुर्द-बुर्द करने से बचाने के लिये कोई कारगर कदम उठा रही है?"........

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप जो विवरण चाहते हैं वह अगर लिख देते तो....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री नानालाल।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जायें।

श्री नानालाल।

श्री नानालाल (राजसमन्द) : अध्यक्ष महोदय, यह मेरे क्षेत्र का मामला है........

श्री अध्यक्ष : तब तो आपको प्रश्न देना चाहिये था?

श्री नानालाल : वह तो दे दिया।

वास्तव में जो ट्रस्ट बना हुआ है वह ट्रस्ट नहीं के बराबर है। जिस प्रकार से माननीय सदस्य अभी कह रहे थे कि महाराज श्री

(श्री नानालाल)

द्वारा मन्दिर की चल और अचल सम्पत्ति को बेचा जा रहा है। यह बात सही है। न्यायालय से फैसला भी हो गया है कि मन्दिर की चल और अचल सम्पत्ति बेची जा रही है। माननीय श्री घासीराम जी यादव से भी इस सम्बन्ध में निवेदन किया था किन्तु उसके ऊपर विचार नहीं हो पाया है........

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है, माननीय सदस्य।

श्री नानालाल : माननीय देवस्थान मंत्री जी, जो भी चल और अचल सम्पति बेची गई है उसको रुकवायेंगे, इस प्रकार का आश्वासन देना चाहेंगे सदन को ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री सी. पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रस्ट बना हुआ है और महाराज श्री द्वारा मन्दिर की चल और अचल सम्पति बेची जा रही है, यह बात सही है तो क्या जिस प्रकार से नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड बना हुआ है उसी प्रकार से द्वारकाधीश के मन्दिर के लिए बोर्ड बनाने का सरकार विचार रखती है ताकि मन्दिर की व्यवस्था ठीक हो सके ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : वहां पर नाजायज तरीके से मन्दिर की सम्पति विक्रय की जा रही है, इस तरह की हमें शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सार्वजनिक प्रन्यास की सम्पदा अवैध रूप से विक्रय किए जाने एवं मन्दिर की व्यवस्था बिगड़ने पर चूंकि ट्रस्ट बना हुआ है उसमें हमें प्रशासक कायम करने के लिए कुछ कानूनी कार्यवाही की जाना आवश्यक है। नहीं तो वे लोग कोर्ट में चले जायेंगे। इसलिए आयुक्त, देवस्थान विभाग को लिखा है और उन्हें यह आदेश दिये गये हैं कि वे इन शिकायतों पर, मन्दिर की अव्यवस्था और नाजायज तरीके से सम्पत्ति के विक्रय, जो भी लिस्ट के अनुसार नहीं है, पर शीघ्र कार्यवाही करें........

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब........

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। प्रश्नकर्ता।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, सैशन कोर्ट का फैसला नहीं माना, हाई कोर्ट के स्टे को नहीं माना। उसके बाद भी रजिस्ट्रियां हो रही हैं........

श्री अध्यक्ष : यह तथ्य सदन के सामने आ गया है। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि मन्दिर की चल और अचल सम्पति के विक्रय को रोक देंगे........

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, जैसे अभी श्री जोशी ने बताया कि टेम्पल बोर्ड की भांति द्वारकाधीश जी के मन्दिर का भी बोर्ड बना दिया जाय, इस प्रकार का आश्वासन दिला दीजिये। आखिर करोड़ों की सम्पति है और एक परिवार के पांच लोग ट्रस्ट बना कर बेच रहे हैं........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री सी. पी. जोशी : इस तरह की व्यवस्था करना चाहते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

अगला प्रश्न—श्री भैरूंलाल भारद्वाज।

(व्यवधान)

मेरे लिये संभव नहीं है, आर्डर, आर्डर।

अगला प्रश्न—श्री भैरूंलाल भारद्वाज।

जमुवारामगढ़ झील का पर्यटन दृष्टि से विकास

69. **श्री भैरूंलाल भारद्वाज** (जमुवा-रामगढ़): क्या पर्यटन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या जमुवारामगढ़ झील को प्रमुख पर्यटन स्थल की दृष्टि से विकसित करने के लिये सरकार कोई योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ? और नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, पर्यटन (**श्री बुलाकीदास कल्ला**) : जी हां, वर्तमान में रामगढ़ झील पर पर्यटक ग्राम में पर्यटकों की सुविधा हेतु भोजन, नौकायन व आवासन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस स्थल पर तत्सम्बन्धी सुविधाओं को और अधिक विकसित करने हेतु रुपये 17.48 लाख की एक योजना केन्द्र सरकार के पर्यटन विभाग को प्रस्तुत की हुई है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ झील पर नौकायन की जो व्यवस्था की गई है उसमें भ्रष्टाचार है और सरकार को उसका पता नहीं लग रहा है, पहली बात।

दूसरी बात, झील पर नौकायान की क्या व्यवस्था है ? जयपुर के नजदीक इतना सुन्दर स्थान है लेकिन पर्यटकों के पहुंचने के लिये बसों की व्यवस्था नहीं है। बरसात के दिनों में तो यह व्यवस्था और भी बिगड़ जाती है। सरकार ने छोटी-छोटी नदियों पर पुल बनवाये हैं उसी प्रकार से ऐसी कोई व्यवस्था की जाय ताकि जो पर्यटक यहां नहीं पहुंच पाते हैं वह पहुंच सकें।

तीसरी बात यह है कि राजस्थान में जो भी पर्यटक आते हैं वह जयपुर जरूर आते हैं और जयपुर के आस-पास के पर्यटन स्थलों पर भी जाते है, जमुवारामगढ़ जैसे प्राकृतिक सौन्दर्य स्थल पर भी जाते हैं, तो उसके विकास के लिये कोई योजना बनाई है सरकार ने ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने नौकायन के

(12)

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

टिकटों के बारे में भ्रष्टाचार की बात कही है। यदि किसी विशेष शिकायत से वे अवगत करायेंगे तो उस पर अवश्य कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, नौकायन पर 8,626.58 रु० का व्यय हुआ, 18,350 रुपये की आय हुई इस प्रकार से 9,723.42 रु० का लाभ हुआ। जहां तक केन्द्र सरकार को योजना भेजने की बात है, 22-1-1983 को केन्द्रीय सहायता हेतु निम्नांकित प्रस्ताव भेजे थे—

8 कॉटेज का निर्माण	2.80 लाख
बिजली का काम, कूलर, गीजर्स, आदि पर व्यय हेतु	2.06 ,,
सैनीटरी कार्य, सीवेज, पाइप लाइन आदि	1.04 ,,
फर्नीचर हेतु	0.80 ,,
पर्यटक ग्राम से बोटिंग सुविधा	1.30 ,,
तीन व्यू पाइन्टों का निर्माण	1.00 ,,
घाट व बीच का निर्माण	0.75 ,,
लेन्ड स्केपिंग	1.50 ,,
दिवाल एवं एप्रोच रोड का निर्माण	1.50 ,,
कुल	12.75 ,,

नौकायन हेतु :

2 मोटर बोट	1,09,428.00
4 दो-सीटर पैडल बोट	38,720.00
2 चार-सीटर पैडल बोट	20,900.00
2 स्पीड बोट (स्कीइंग हेतु)	3,04,000.00
	4,73,048.00

कुल योग : 17.48 लाख रुपये।

इस प्रकार रामगढ़ झील के विकास के लिये 17 लाख 48 हजार के प्रस्ताव सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भेजे गये हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं कि........

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, यह जयपुर की जल-प्रधान झील है तो क्या जिस प्रकार से कश्मीर के अन्दर झीलों के लिये व्यवस्था है शिकारा और बोट क्लब की उस प्रकार की व्यवस्था करने की योजना आपके पास भी है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें, माननीय सदस्य। अगला प्रश्न।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, नौकायन के विकास के लिये........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, नौकायन के विकास के लिये 2 मोटर बोट, 4 दो-सीटर पैडल बोट, 2 चार-सीटर पैडल बोट, 2 स्पीड बोट—इस प्रकार से लगभग 4 लाख 78 हजार रुपये की सहायता हेतु केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव भेजे हुये हैं। कोई अन्य सुझाव इसके अलावा हो, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो उसके गुणावगुण के आधार पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

माननीय सदस्या बैठ जायं। अंकित न हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायं। आर्डर आर्डर, आसन पैरों पर है, कृपया स्थान ग्रहण करें। अंकित न हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया बैठ जायं, अंकित न हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री हरीश शर्मा।

मंगलम् सीमेंट फैक्ट्री, मोडक कोटा द्वारा निर्मित सीमेंट

70. **श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)** : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मंगलम् सीमेंट फैक्ट्री, मोडक जिला कोटा द्वारा निर्मित सीमेंट को आवासन मण्डल, कोटा ने बेकार माना है?

(2) क्या आवासन मण्डल, कोटा ने मंगलम् सीमेंट की जांच अन्य विभागों की प्रयोगशालाओं में भी करवाई है? यदि हां, तो किस-किस से और जांच रिपोर्ट क्या प्राप्त हुई?

(3) क्या सरकार द्वारा ऐसी घटिया किस्म की सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हरीश शर्मा)

के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ?

(4) क्या विभाग को भी इसकी शिकायत प्राप्त हुई है ? क्या मंगलम् को सीमेंट बैग तोल में भी कम होता है ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त फैक्ट्री अनुबन्ध के खिलाफ क्लीनकर का भी विक्रय कर रही है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या प्रभावी कार्यवाही कर रही है ?

राज्य मन्त्री, खाद्य एवं आपूर्ति (श्री घासीलाल यादव) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न संख्या 70 हमारे विभाग से सम्बन्धित नहीं है इसलिए इसको स्थगित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्य मन्त्री जी पान खाकर बोलते हैं जो साफ सुनाई नहीं देना ।

श्री घासीलाल यादव : यह सवाल मुख्य मन्त्रीजी को मार्क किया था प्रश्नकर्ता ने, पता नहीं किस कारण मेरे पास आ गया, इसलिए निवेदन है कि इसको स्थगित किया जाय ।

श्री हरीश शर्मा : यह गलती किसकी है ?

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि मुख्य मन्त्रीजी को सम्बोधित किया गया था और बाद में उनके पास भेज दिया ।

श्री घासीलाल यादव : नहीं, उनके सेक्रेटेरियट से मेरे पास आया है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, एक ही बात है ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया ।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री माधोसिंह : ....बिल्डिंग टूट सकती है, पुलिया टूट सकती है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बात सुनिये, आपकी भी गलती है इसमें ।

(व्यवधान)

आप बैठिये, ऐसा है कि माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को सम्बोधित किया था खाद्य मन्त्रीजी को । अगर हम इस पर कार्यवाही करते तो क्योंकि खाद्य मन्त्रीजी से सम्बन्धित नहीं था इसलिये रिजेक्ट कर देते । यह मुख्य मन्त्रीजी को गया ।

(श्री अध्यक्ष)

वहां से कहा गया कि इसका सम्बन्ध हमारे विभाग से नहीं है।............

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर प्लीज।

उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग को भेजा कि इसका सम्बन्ध आपसे है। उन्होंने वापस लिखा और यहां भी यह कहा कि इसका सम्बन्ध हमारे विभाग से नहीं है। ऐसी स्थिति में इसको स्थगित किये देते हैं। जिस विभाग से भी इसका सम्बन्ध होगा, उससे उत्तर आ जायगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह बात तो निकली ना कि मुख्य मन्त्रीजी को यह पता नहीं है कि किस विभाग से सम्बन्धित है। यह तो पता है ना ?

श्री अध्यक्ष : आप बता दो, यह किससे सम्बन्धित है। आप वयोवृद्ध हैं, आप बता दें, यह किससे सम्बन्धित है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हर तीन महीने बाद मन्त्री बदलते हैं, क्या मालूम कौन हो।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपने स्थगित कर दिया, यह तो ठीक है। लेकिन एक बात निकली, मुख्य मन्त्रीजी को भी इस बात का पता नहीं है कि यह किस विभाग से सम्बन्धित है। क्या सरकार इस स्थिति में है ?

श्री अध्यक्ष : आप स्वयं इस पद पर रहे हुए हैं। मुख्य मन्त्रीजी के पास ये मामले जाते नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : उद्योग विभाग का है।

राज्य मन्त्री, उद्योग (श्री प्रद्युम्न सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ये क्वेश्चन्स मिनिस्टर्स को एड्रेस किये जाते हैं और सम्बन्धित सचिवों के पास जाते हैं। वह अपने स्तर पर ही इनका निपटारा कर देते हैं कि उनका विभाग उत्तर देगा या कोई अन्य विभाग। विपक्ष के माननीय नेता महोदय का यह कहना है कि मुख्य मन्त्रीजी को यह पता नहीं है। इसमें उनको आप क्यों घसीट रहे हैं अननेसेसरीली ? यह तो प्रोसीजर है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज शर्मा। अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मन्त्री का फैसला सैक्रेटरी करते हैं। मुख्य मन्त्रीजी अपने विवेक से काम नहीं लेते, यही है ना ?

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपका फैसला मीठालालजी मेहता करते होंगे ?

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ग्रान ए पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर। यहां किसी अधिकारी का नाम लेना क्या आपको शोभा देता है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह आपने कहा कि मुख्य मन्त्रीजी का फैसला सचिव महोदय करते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मैंने यह कहा है। आप इन्कार कर दीजिये, मैं नहीं कहता कि आप चपरासी के कहने से काम करते हैं। × × ×

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप × × ×

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं चाहूंगा कि एक्सपन्ज किया जाय।

(व्यवधान)

× × × आपने खुद कहा मुख्य मन्त्रीजी स्वयं नहीं करते। मुख्य मन्त्रीजी के सचिव ने समझा कि यह इस विभाग का नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने सचिव नहीं कहा। बिल्कुल नहीं कहा सचिव। मैंने सम्बन्धित सचिव कहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : यह कोई × × × काम नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके मुख्य मन्त्री में × × × नहीं है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : × × × तो आपके पास ही है। सारे राजस्थान की × × × आपने ही लिया है।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, × × ×

(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : × × × इन्होंने प्रतापगढ़ में।

(व्यवधान)

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

× × × अभिव्यक्ति व शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

Page No. 17

(17)

एक माननीय सदस्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आसन पैरों पर है, बैठ जायं। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह गलत है, यह × × ×

श्री नन्दलाल मीणा : मंगलम् सीमेन्ट फेक्ट्री के मालिक को फोन पर....

(व्यवधान)

मुख्य मंत्रीजी ने मंगलम् सीमेन्ट फेक्ट्री के × × × उद्योग मन्त्रालय का प्रश्न है, उद्योग मन्त्रालय मुख्य मन्त्रीजी के पास है और मंगलम् सीमेन्ट फेक्ट्री के....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री नन्दलाल मीणा : + + +

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह गलत है।

श्री त्रिलोकसिंह : यह बिलकुल शत-प्रतिशत सही है।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री त्रिलोकसिंह : × × ×

श्री दाऊदयाल जोशी : कोटा में राजीव गांधी के आने पर श्री प्रद्युम्न सिंहजी मोडक सीमेन्ट फेक्ट्री के जनरल मैनेजर के घर गये। वहां जाकर × × × जे. के. सिन्थेटिक्स....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : + + +

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने बिरला की सीमेन्ट फेक्ट्री से × × × आप × × × बिरला से लेते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। आसन पैरों पर है। आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

अंकित नहीं हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : + + +

श्री नन्दलाल मीणा : + + +

श्री घनश्याम तिवाड़ी : + + +

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर। अंकित नहीं हो रहा है। आर्डर, आर्डर।

श्री दाऊदयाल जोशी : + + +

श्री नन्दलाल मीणा : + + +

श्री घनश्याम तिवाड़ी : + + +

× × × अभिव्यक्ति व शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

+ + + माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । आर्डर, आर्डर । आसन पैरों पर है ।

दोनों पक्षों ने आरोप प्रत्यारोप लगाये हैं । उनका कहना है कि सम्बन्धित सचिव यह काम देखते हैं ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर । कृपया शान्त रहें । मैं इस प्रकरण को यहीं पर समाप्त करता हूँ ।

अगला प्रश्न ।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची): आप एक ईमानदार मुख्य मन्त्री पर आरोप लगा रहे हैं । आपको शर्म नहीं आ रही है ।

श्री अध्यक्ष : आप शान्त रहें कृपया, माननीय सदस्य ।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, एक ईमानदार मुख्य मन्त्री पर इन लोगों ने चार्ज लगाये हैं, इनको शर्म नहीं आती है । ऐसा मुख्य मन्त्री न तो कभी आया है और न ही कभी आयेगा ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, उद्योग मन्त्री ही उद्योगों को देखता है ।

श्री अध्यक्ष : अब आप दुबारा इस प्रश्न को उठा रहे हैं ।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, जब कोई उद्योग बिलो स्टैण्डर्ड प्रोडक्शन करता है तो इसको रोकने की जिम्मेदारी किस मन्त्री की होती है ? यह तो सम्बन्धित मन्त्री की ही है ।

श्री अध्यक्ष : आप तो वरिष्ठ नेता हैं । आपको तो सब पता ही है कि आज के युग में जो प्रक्रिया है वह कितनी जटिल है । कई दफा किसी केस का असिस्टेन्ट सेक्रेटरी के स्तर पर ही निपटारा हो जाता है, कभी किसी मामले में सचिव उसका निपटारा करता है तो इसमें कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं । अतः इस विवाद में हमें पड़ने की आवश्यकता नहीं है ।

अगला प्रश्न, श्री हंसराज ।

जिला सवाई माधोपुर के गांव भगवतगढ़ व सूरवाल में भू-आवन्टन

71. **श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर)** : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील सवाई माधोपुर में ग्राम भगवतगढ़ व सूरवाल में गरीबों को गत वर्षों में सीलिंग में आई हुई भूमि दी गई थी ? यदि हां, तो सन् 1983 मई तक कुल कितनी जमीन कितने लोगों को दी गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सीलिंग में दी गई जमीनों का लगान काश्तकारों में बकाया पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों तथा कितनों में ?

(श्री हंसराज शर्मा)

(3) क्या यह भी सही है कि जिन लोगों को सीलिंग की जमीनें दी गई हैं, उनको अनुदान और कर्जा भी सरकार द्वारा दिया गया है ? यदि हां, तो कितने लोगों को कितनी राशि दी गई है ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री जयकृष्ण शर्मा): (1) जी हां ग्राम भगवतगढ़ में 520 एकड़ भूमि 168 व्यक्तियों को व ग्राम सूरवाल में 94 एकड़ भूमि 36 व्यक्तियों को सीलिंग में अधिग्रहीत भूमि आवंटित की गई है।

(2) ग्राम सूरवाल के केवल एक व्यक्ति मे रुपये 23.49 मात्र बकाया हैं।

(3) जी हां। तहसील सवाईमाधोपुर क्षेत्र के लिये कुल 1,60,500 रुपये स्वीकृत किये गये हैं। जिनमें से 41,962.36 रुपये अनुदान व कर्जा 250 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से वितरित किये जा चुके हैं। शेष राशि के वितरण की कार्यवाही जारी है।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि सीलिंग में अधिग्रहीत कर आपने जिन लोगों को जमीन दी थी वह जमीन उनके कब्जे में कहां और कब आई ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है, माननीय सदस्य।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जमीन जिसे दी गई वह जमीन उसके कब्जे में नहीं है। उस पर दूसरे काबिज हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह अलग से प्रश्न है। आप इसको अलग से पूछ रहे हैं।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा मतलब यह है कि....

श्री अध्यक्ष : आपका मतलब कुछ भी हो। आपका तात्पर्य क्या है, वह बात अलग है। आपको पूरक प्रश्न प्रश्न की परिधि में ही पूछना चाहिये।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि इन्होंने जो 520 एकड़ भूमि 168 व्यक्तियों में आवंटित की है उनमें से कितने लोगों का कब्जा उन जमीनों पर है।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है, माननीय सदस्य। अब आप यह अलग से प्रश्न पूछ रहे हैं। पहले आपने पूछा, बैल कितने हैं। जब उसका मना किया तो आपने पूछ लिया कि भैंस कितनी हैं, यह बता दें। आप अपने मन माफिक चाहे जो पूरक प्रश्न बना कर पूछ रहे हैं।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा तात्पर्य यह है कि जिन लोगों को सीलिंग में जमीन अधिग्रहीत करके अलाट की गई है वह जमीन तो पहले से ठिकाने के जमाने से, आज से 30 वर्ष पहले से ही लोगों के कब्जे में है। उसमें लोगों ने अपने कुएं बना लिये हैं और अपने मकान

(श्री हंसराज शर्मा)

बना लिये हैं। वह तो पहले से ही वहां पर ग्राबाद हैं। जब उन लोगों के पास कब्जा ही नहीं है तो फिर ग्राप किनको 250 रुपया महीना कर्जा ग्रौर ग्रनुदान की राशि दे रहे हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : यह ग्रलग से प्रश्न है, माननीय सदस्य। ग्रगर ग्रापको ऐसा प्रश्न पूछना था तो ग्राप इस प्रश्न को इस तरह पूछते कि जो जमीन सीलिंग में ली गई है उस जमीन पर दूसरों का कब्जा है ग्रौर ग्राज से 30 साल पहले से ही मकान बने हुए हैं। उनको हटाया नहीं जा सकता है तो ग्राप यह ग्रनुदान की राशि किसको दे रहे हैं? नहीं तो इसका जबाब कैसे ग्रायेगा?

श्री देवीसिंह भाटी : ग्रध्यक्ष महोदय, पूरक प्रश्न पूछने का तो हमारा ग्रधिकार है।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप स्थान ग्रहण करें। ग्रार्डर, ग्रार्डर।

श्री हंसराज शर्मा : ग्रध्यक्ष महोदय, मेरे पूछने का तात्पर्य यह था कि जिनको वह जमीन सीलिंग में ग्रधिग्रहीत कर दी गयी है वह उनके कब्जे में नहीं है ग्रौर दूसरे लोगों के कब्जे में है तो फिर ग्राप जो ग्रनुदान की राशि एक लाख रुपये की दे रहे हैं ग्रौर 250 रुपये प्रति हैक्टेयर ग्राप दे रहे हैं यह किस ग्राधार पर दे रहे हैं, जब कि उस जमीन पर उन लोगों का कब्जा ही नहीं है?

श्री ग्रध्यक्ष : जब ग्राप जानते थे कि उन लोगों का वहां पर कब्जा नहीं है तो ग्रापने इस तरह से सवाल क्यों नहीं पूछा कि जनका कब्जा नहीं है, उनको ग्रनुदान ग्रौर ऋण किस बात के लिये दिया जा रहा है? इस तरह सवाल पूछते तब तो ग्रापको सही सूचना मिलती, नहीं तो ग्रभी ग्रापने जो पूरक प्रश्न पूछा है उसकी सूचना सरकार के पास कैसे उपलब्ध हो सकती है।

श्री हंसराज शर्मा : इसके ग्रलावा मैंने पूछा कि कितने लोगों में लगान बाकी है। ग्रध्यक्ष महोदय, 140 ग्रादमियों के पास कब्जा ही नहीं है उनमें लगान कैसे बकाया है? ग्राप जो यह 250 रुपये प्रति हैक्टेयर पर कर्जा ग्रौर ग्रनुदान की राशि दे रहे हैं वह कैसे दे रहे हैं? उनके पास जमीन ही नहीं है तो पैसे किस बात के दे रहे हैं?

श्री हीरालाल देवपुरा : ग्रध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बिलकुल सही बताया। यह उससे सम्बन्धित नहीं है तो इनका तात्पर्य क्या है, इसका ग्रन्दाज कैसे लगाया जा सकता है? तात्पर्य तो वही जान सकते हैं पर जो प्रश्न इन्होंने स्पष्ट पूछा है, उसका जवाब मैंने स्पष्ट दिया है कि किस में लगान बकाया है। मैंने स्पष्ट बताया है, एक व्यक्ति में जो कि ग्राम सूरवाल में है, 23.49 रुपये लगान के बकाया हैं। ग्राप कह रहे हैं कि 140 व्यक्तियों में बकाया हैं। मैंने 140 व्यक्तियों के नाम नहीं लिए। मैंने कहा, सूरवाल में 36 व्यक्तियों को भूमि ग्रावंटित की गई ग्रौर भगवतगढ़ में 168 व्यक्तियों को दी गई। 140 व्यक्ति सूरवाल गांव में है ही नहीं।

श्री हंसराज शर्मा : सूरवाल व भगवतगढ़ दोनों हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : आपने दो गांवों के नाम अलग अलग लिए हैं। मैंने कहा, एक व्यक्ति में मात्र 23.49 रुपये बकाया हैं। आप कहते हैं, जमीन किसी के कब्जे में नहीं है। आपने यह सवाल पूछा नहीं। लगान बराबर हमारे पास आ रहा है और जमीन उनके कब्जे में है। केवल जो भूमिहीन थे उनको भूमि दी गई है। भूमि 1977 में दी गई है, आज की दी हुई नहीं है। उस भूमि पर उनका पहले ही कब्जा था। सीलिंग एक्ट में प्रावधान है कि जिस व्यक्ति को आप भूमि दें, जो भूमि सीलिंग में अधिग्रहीत की गई है, अगर वह जिसके कब्जे में है, वह भूमिहीन की तारीख में आता है तो पहले राइट उसका।

आप कहते हैं, कब्जा नहीं है तो अवश्य आप सवाल पूछ लें या और जानकारी पूछनी हो तो पूछ लें। जितनी जानकारी मेरे पास होगी, मैं दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री हंसराज शर्मा : कितने व्यक्तियों में लगान बकाया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : एक व्यक्ति में बकाया है।

श्री हंसराज शर्मा : कब्जा ही नहीं दिया गया है।

श्री हीरालाल देवपुरा : आप बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष : श्री समरथलाल।

राज्य में विद्यालयों को क्रमोन्नति

72. **श्री समरथलाल (राजगढ़)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार इस वर्ष नए विद्यालय खोलने व क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो स वर्ष कितने नवीन विद्यालय खोले व क्रमोन्नत किए जायेंगे ? यदि खोल दिए गए हैं, तो कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त विद्यालयों को खोलने व क्रमोन्नत करने के क्या क्या आधार बनाए गए हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) जी हां। वर्ष 1983-84 में 1000 नए प्राथमिक विद्यालय खोलने तथा 600 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किए जाने के प्रस्ताव हैं। अब तक खोले गए प्राथमिक विद्यालयों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। शेष विद्यालयों के स्थानों पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य में कुछ स्थानों पर चल रही प्री यूनिवर्सिटी कक्षाओं को समाप्त करने के लिए तीन राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) विद्यालय खोलने व क्रमोन्नत करने का आधार अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

Page No. 22

(२२)

अनेक माननीय सदस्य : कहां खोले हैं ?

श्रीमती कमला : आप अगर सूची देखें तो दो प्राथमिक विद्यालय विद्याधर नगर व मुरलीपुरा, जो नई बस्तियां हैं, में खोले हैं। उसका आधार तो आप स्वयं जानते हैं। बाकी पी. यू. सी. समाप्त करके सैकण्डरी स्कूल हायर सैकण्डरी में कन्वर्ट किए गए हैं, वह गवर्नमेंट डिसीजन से किये हैं। नए जो स्कूल खोलने हैं उनका आधार तय होना है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ये स्कूल कहां खोले हैं ? विद्याधर नगर व मुरलीपुरा में एक भी स्कूल नहीं खोला है, न प्राइमरी, न मिडिल।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री समरथ लाल : आपने दो प्राइमरी विद्यालय खोल दिए। इसके अलावा 98 प्राइमरी विद्यालय आपको खोलने थे वे अभी तक क्यों नहीं खोल पाए हैं ?

दूसरी बात, शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी कि स्कूलों में अध्यापक भेजने इत्यादि सब कुछ काम शुरू हो गया है। सितम्बर माह जा रहा है, अभी तक प्राइमरी विद्यालय नहीं खोले है और मिडिल स्कूल्स भी नहीं खोले हैं। वह कब तक खोल दिए जायेंगे ?

तीसरी बात, मैंने डेढ़ वर्ष पहले सवाल पूछा था कि स्कूल खोलने और क्रमोन्नत करने के क्या क्या आधार हैं। वह सारे विचाराधीन थे, आपने कहा था कि वह विचाराधीन हैं, कब तक यह विचाराधीन रहेंगे ?

श्रीमती कमला : सबसे पहले मैं माननीय सदस्य को संशोधित करना चाहती हूँ। मैंने ऐसी कोई घोषणा कभी नहीं की कि जुलाई के प्रारम्भ में सारे स्कूल खोल दिये जायेंगे और सारी व्यवस्था चालू हो जाएगी। मेरे नाम से कहीं घोषणा आपने देखी है या पढ़ी है तो आप अपने आपको दुरस्त करें, इस तरह की मैंने कोई घोषणा नहीं की।

जहां तक आपका यह सवाल है कि अब तक क्यों नहीं खोले गए और कब तक खोल दिए जायेंगे, तो मेरा निवेदन है कि इस माह के समाप्त होने से पहले पहले ही नए स्कूल खोलने, क्रमोन्नत करने और नए विषय खोलने के सारे काम सम्पन्न कर दिये जायेंगे।

जहां तक आधार का सवाल है, उसमें इसलिए विलम्ब हो रहा है कि प्राइमरी स्कूल खोलने के सम्बन्ध में पंचायत समिति और जिला परिषद व अन्य जन प्रतिनिधियों को किस अनुपात में और किस आधार पर सम्मिलित किया जाए, किस प्रकार से उनकी राय ली जाए और किस प्रकार से इस मामले में उनके मत का लाभ लिया जाए, इस बारे में निश्चित राय नहीं बन पाई है। उस बारे में चर्चा चल रही है, निर्णय होते ही तुरन्त खोल दिये जायेंगे।

श्री समरथलाल : कितने सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूल खोले जायेंगे ?

श्रीमती कमला : आपको मालूम है कि वजट में इस वर्ष के लिए कोई प्रावधान नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

गंगानगर शुगर मिल के श्रमिकों को बोनस

73. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)** : क्या राजकीय उपक्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 1 अप्रेल, 1980 से किस किस वर्ष में गंगानगर शुगर मिल के श्रमिकों को कितना प्रतिशत बोनस दिया गया ?

(2) साढ़े आठ प्रतिशत से ज्यादा बोनस दिए जाने का किस किस वर्ष में निर्णय लिया गया ? कृपया ऐसे निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।"

(3) क्या यह सही है कि श्रमिकों के अतिरिक्त फैक्ट्री के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को सानुग्रह राशि भी दी गई है ? यदि हाँ, तो किस किस वर्ष में कितनी कितनी, किस किस प्रतिशत में सानुग्रह राशि देने का निर्णय लिया गया और यह निर्णय कब कब, किस किस स्तर पर लिया गया ? कृपया निर्णय की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

राजकीय उपक्रम मंत्री (श्री अहमद बक्श सिंधी) : (1) गंगानगर शुगर मिल्स लि० द्वारा वर्ष 1980–81 (जुलाई-जून) में अपने कर्मचारियों को निम्नानुसार बोनस का मुगतान किया गया है:—

वर्ष 1980–81	8.33%	बोनस
वर्ष 1981–82	8.33%	बोनस

(2) कम्पनी द्वारा उपरोक्त वर्षों में अपने कर्मचारियों को पेमेन्ट आफ बोनस एक्ट के अन्तर्गत देय न्यूनतम 8.33 प्रतिशत से अधिक बोनस का भुगतान नहीं किया है किन्तु उन्हें बोनस के अतिरिक्त एक्स-ग्रेशिया सानुग्रह राशि का भुगतान वर्ष 1980–81 में 4.67 प्रतिशत एवं 1981–82 में 6.67 प्रतिशत की दर से अवश्य किया गया है।

(3) जी हां। कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों व अधिकारियों को वर्ष 1980-81 व 81–82 में निम्नानुसार बोनस व सानुग्रह राशि दी गई है:—

अनेक माननीय सदस्य : जवाब पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अहमद बक्श सिंधी : सुनिए तो सही।

1600 रु. और उससे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को देय बोनस एवं सानुग्रह राशि का प्रतिशत, 1980-81 में 8.33 प्रतिशत बोनस व 4.67 प्रतिशत सानुग्रह राशि, 1981–82 में 8.33 प्रतिशत बोनस व 6.67 प्रतिशत सानुग्रह राशि। इसी प्रकार 1600 रु से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को देय बोनस एवं सानुग्रह राशि का प्रतिशत 1980-81 बोनस निल, सानुग्रह राशि 13 प्रतिशत। भुगतान हेतु संचालक मण्डल के निर्णय की तिथि है:— 1980–81 के लिए 4-3-82।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) : यह बजट भाषण है।

श्री अहमद बक्श सिंधी : आपकी दिलचस्पी नहीं है तो आप मेहरबानी करके खामोश हो जाएं तो अच्छा है। माननीय सदस्य ने पूछा है, उसको बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : शांत रहें, माननीय सदस्य।

श्री अहमद बक्श सिंधी : इसी प्रकार 1981-82 में 15 प्रतिशत सानुग्रह राशि। संचालक मण्डल के निर्णय की तिथि-- 27-1-83, 8-2-83 व 6-5-83।

सानुग्रह राशि देने का निर्णय कम्पनी के संचालक मण्डल द्वारा लिया गया है तथा उनके सम्बन्धित निर्णयों की प्रतियां संलग्न हैं।

(निर्णयों के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

(12.00 म. प.)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं कि सानुग्रह राशि में कितना रुपया दिया गया बोनस के रूप में? दूसरा, क्या सरकार ने इस प्रकार के आदेश दिये थे कि सानुग्रह राशि नहीं दी जाय?

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिंधी : मैंने जो आंकड़े दिये हैं, जो प्रतिशत बताया है वही है। मैंने 1600 रुपये से कम वेतन पाने वाले जो अधिकारी हैं, उनके फिगर दे दिये हैं और 1600 से 3100 रुपये पाने वाले अधिकारी हैं, उनके फिगर दे दिये हैं। और क्या चाहते हैं?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार ने गंगानगर शुगर मिल्स को यह आदेश दिये थे कि यह सानुग्रह राशि अधिकारियों को न दी जाय? इसका कारण यह होगा कि यहां के अधिकारी मांगेंगे इसलिए उनको आदेश स्पष्ट रूप से दे दिये गये थे? क्या गंगा नगर शुगर मिल्स ने इसकी अवहेलना की?

श्री अहमद बक्श सिंधी : गंगानगर शुगर मिल्स को ऐसे कोई आदेश नहीं दिये गये थे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, रुपये 1600/- से अधिक पगार पाने वालों को, जैसा मन्त्री महोदय ने बताया, 13 प्रतिशत से अधिक सानुग्रह राशि दी गई है। यह किस नियम के अन्तर्गत दी गई है? क्या यह एक प्रकार का उदाहरण दूसरे निगमों के लिये नहीं होगा जिसके कारण सारे अन्डरटेकिंग में और राज्य सरकार के सारे अधिकारियों में यह भावना जागृत होगी कि उनको भी एक्स-ग्रेशिया राशि दी जाये?

श्री अहमद बक्श सिंधी : मण्डल ने जो निर्णय लिया है अलग-अलग........

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : मण्डल सरकार का आदेश नहीं बदल सकता।

श्री अहमद बक्श सिंधी : इनके मुंह में भी जुबान है, आप बीच में मत बोलें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मन्त्री जी, आप ढंग से बात करें। समय बरबाद नहीं करें।

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिंधी : मैं एक-एक का जवाब दूंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप यह बतायें कि जो 13 से 15 प्रतिशत सानुग्रह राशि दी है वह किस नियम के अन्तर्गत दी है?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूँ कि राज्य सरकार के आदेश चले गये पहले, केवल 8.33 प्रतिशत बोनस दिया जाए। बड़े अधिकारी खड़े हो गये, उनको 4 प्रतिशत से अधिक राशि दी। फिर कर्मचारी खड़े हो गये, फिर बोनस बढ़ाया गया, फिर इनको सानुग्रह राशि बढ़ाई गई। इस प्रकार की हिमाकत गंगानगर शुगर मिल्स जो आपके द्वारा संचालित है, ने की है, राज्य सरकार की आज्ञा की अवहेलना की है। माननीय मन्त्री महोदय, अन्डरटेकिंग ने गलत परम्परा डाल दी है जिससे बाकी अण्डरटेकिंग्स में भी यह गलत परम्परा पड़ेगी और आपको सम्भालना मुश्किल हो जायेगा।

श्री अहमद बक्श सिंधी : जिस आदेश का आप हवाला देते हैं, वह इस वक्त मेरे पास नहीं है। मैं उसको मंगवाकर देख लूंगा। अगर अवहेलना हुई है तो जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ एक्शन लूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें। बड़ अफसोस की बात है कि सभी माननीय सदस्य एक साथ बोल रहे हैं। बार-बार निवेदन करता हूं और सदन में कुछ भी सुनाई नहीं देता।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जायें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या राज्य सरकार यह बतायेगी कि जिन राजकीय उद्योगों में घाटा है उस घाटे की स्थिति में भी पेमेंट आफ बोनस एक्ट के माध्यम से बोनस देना पड़ेगा? क्या इसी रूप में राज्य सरकार ने निर्णय कर लिया है कि जिन उद्योगों, में राजकीय उद्योगों में घाटा है उसमें उन लोगों, जिनको पेमेंट आफ बोनस एक्ट के माध्यम से बोनस नहीं दिया जा सकता, को भी एक्स-ग्रेशिया ग्रांट किया जाये?

श्री अहमद बक्श सिंधी : अगर हमारी कम्पनी में घाटा भी हो, तो भी हम बोनस एक्ट के अण्डर दे सकते हैं। जिन लोगों को एक्स-ग्रेशिया दिया है, उनको उसी में दिया है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : किस नियम से?

(26)

श्री अहमद बक्श सिंधी : दिया गया है वह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या आपको पता है कि एक्स-ग्रेशिया ग्रान्ट पेमेंट आफ बोनस एक्ट के खिलाफ है ?

श्री अहमद बक्श सिंधी : बोनस भी दिया है, एक्स-ग्रेशिया भी दिया गया है, जिससे उनकी कार्य क्षमता बढ़े।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : या जिससे यह और घाटा देते जायें ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको एक्ट का पता नहीं, रूल्स का पता नहीं, इनको नियमों का पता नहीं है, उनका उल्लंघन हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिंधी : मैं आपको जवाब दे रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तैयारी नहीं करके आते, शर्म आनी चाहिए आपको।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इन अंडरटेकिंग्स में बहुत सारा पैसा लगा है राज्य सरकार का। यह राज्य सरकार को दिवालिया बनाने पर तुले हुए हैं।

श्री अहमद बक्श सिंधी : मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि सिवाय एक साल 1977-78, जिसमें कोई लाभ नहीं हुआ, के बाद तमाम सालों में लाभ हुआ है। 1976-77 में 11.84 लाख रुपये का लाभ हुआ........

श्री दीपेन्द्र सिंह : × × ×

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिंधी : बोनस नहीं दिया है........

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह सरकार, संचालन मण्डल के अधिकारी और उच्च अधिकारी मिलकर 13 और 15 प्रतिशत से अधिक की राशि सानुग्रह राशि के रूप में ले गये........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, कृपया बैठ जायें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बहुत भारी घाटा हुआ है, उसको पूरा करने की आपको चिंता नहीं है, इन्होंने खुद निर्णय लेकर 13 से 15 प्रतिशत राशि दे दी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायें।

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य में पर्यटन विकास पर व्यय

85. **श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)** : क्या पर्यटन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य में विदेशी पर्यटक काफी संख्या में आते हैं? राज्य सरकार द्वारा राज्य के किन जिलों पर पर्यटन विकास के लिये प्रति वर्ष कितना खर्च किया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर, जैसलमेर आदि जिलों में पर्यटन की काफी सुविधाएं प्रदान की गई हैं ? यदि हां, तो अजमेर नगर व पुष्कर ऐतिहासिक नगर होने के बावजूद आज तक पर्यटक केन्द्र क्यों नहीं बनाया गया है ? वर्ष 1980 से आज तक अजमेर नगर में पर्यटन की दृष्टि से कितनी धनराशि खर्च की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा पर्यटक स्थलों के विकास पर गत वर्ष जिले-वार निम्न प्रकार व्यय किया गया था। इसके अतिरिक्त रु० 80.26 लाख का जिले-वार पर्यटन स्थलों पर व्यय करने का प्रावधान भी रखा गया था।

वास्तविक व्यय :

(राशि लाख रु० में)

1.	जयपुर	7.40
2.	सवाई माधोपुर	1.00
3.	उदयपुर	2.00
4.	जोधपुर	1.10
5.	सिरोही	5.00
	योग —	16.50

प्रावधान रखा गया :—

1.	जयपुर	34.90
2.	अजमेर	0.21
3.	पुष्कर	12.78
4.	भरतपुर	6.21
5.	अलवर	6.02
6.	उदयपुर	2.63
7.	जोधपुर	8.67
8.	बीकानेर	0.20
9.	जैसलमेर	1.62
10.	सिरोही	0.52
11.	सवाईमाधोपुर	5.75
12.	डूंगरपुर	0.07
13.	पाली	0.66
14.	चित्तौड़गढ़	0.2
		80.26

(2) जी हां। विभाग ने अजमेर नगर एवं पुष्कर में भी पर्यटन की दृष्टि से विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया है। अजमेर नगर में वर्ष 1980 से पर्यटन की दृष्टि से निम्न राशि व्यय की गई :—

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

वर्ष	राशि लाख रु० में
80–81	6.38
81–82	6.05
82–83	0.21

जयपुर स्थित देवस्थान विभाग के भवनों का किराया।

86. **श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी):**

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में देवस्थान विभाग ने अपने भवन किराये पर दे रखे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि विभाग के आवासीय भवनों का किराया वर्तमान किराये की दरों के हिसाब से बहुत कम है? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

(3) कुल कितने मकान किराये पर दे रखे हैं और किस-किस को ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि कितने ही किरायेदारों ने बगैर विभाग की अनुमति के तोड़-फोड़ एवं अपनी इच्छानुसार आवासीय भवनों में परिवर्तन करवा लिया है ? यदि हां, तो विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर स्थित प्रबन्धित एवं नियंत्रित राजकीय मंदिरों के भवन जो मंदिर के उपयोग में नहीं आते उन्हें देवस्थान विभाग द्वारा आय प्राप्त करने हेतु किराये पर दिए हुए हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जयपुर शहर में राजकीय मंदिरों के 355 भवन किराये पर दिए हुए हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) विभाग के किरायेदारों द्वारा बगैर विभाग की अनुमति के उनको इच्छानुसार तोड़-फोड़ कर सम्पदा के आवासीय भवनों में परिवर्तन करवा लेने का कोई मामला अभी तक प्रकाश में नहीं आया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

निगम की बसों में विधायक सीट

87. **श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन),**

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य परिवहन निगम की कई बसों में जो विधायक सीट होती है, उस पर विधायक लिखा हुआ नहीं होने पर कई बार विधायकों को बैठने में अड़चनें आती हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

(2, राज्य में ऐसी कितनी बसें हैं

(श्री अनंग कुमार जैन)

जिन पर विधायक सीट लिखा हुआ नहीं है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। निगम द्वारा सभी अधीनस्थ अधिकारियों को प्रत्येक वाहन की पीठिका नं. 4 व 5 पर विधायक सीट आरक्षित की हुई है एवं उन पर विधायक सीट अंकित कराने हेतु निर्देश जारी किये हुए हैं। यदा कदा वाहनों के भारी मरम्मत हेतु संभागीय कार्यशालाओं में जाने पर सीट बदली जाती है व रंग-रोगन किया जाता है, जिन पर बाद में आगार कार्यशाला में आने के बाद उक्त शब्द पुन: अंकित कराये जाते हैं जिसमें कुछ समय लगना संभावित होता है परन्तु इससे माननीय विधायकों को बैठने में अड़चन आने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि वाहन के परिचालक द्वारा इस संबंध में उनकी पूर्ण मदद की जाती है व अनेक बार विधायकों हेतु निर्धारित सीटें अन्य यात्रियों से खाली करवा कर उन्हें उपलब्ध कराई जाती हैं।

(2) राज्य में कुल 51 वाहन ऐसे हैं जिन पर विधायक सीट लिखा हुआ नहीं है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:—

1.	टौंक आगार	10 वाहन
2.	हिण्डौन आगार	41 ,,

टौंक नगर में आये व गये यात्री

88. श्री महावीर प्रसाद जैन टौंक : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1 जनवरी, 1982 से 15 जनवरी, 1982 तक टौंक नगर में किस किस वाहन से कितने-कितने यात्रियों ने प्रवेश किया एवं कितने-कितने यात्री टौंक नगर से किस किस वाहन से बाहर गये? कृपया वाहन संख्या व यात्री संख्या दर्शाते हुए प्रत्येक का पूर्ण ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

परिवहन निगम वाहनों संबंधित वांछित सूचना सलंग्न है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

टौंक जिले में दिये गये प्राइवेट बस परमिट

89. श्री द्वारका प्रसाद बैरवा (निवाई) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

टौंक जिले में कुल कितने प्राइवेट बस परमिट दिए हुए हैं? क्या कोई और नये परमिट देने का सरकार इरादा रखती है? यदि हां, तो क्या इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को कोई प्राथमिकता दी जायेगी?

उत्तर

टौंक जिले में कुल 51 प्राइवेट बस परमिट दिये हुए हैं। नये परमिट आवेदन

(राज्य मन्त्री, यातायात)

पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार दिये जाते हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों के लिए क्रमशः 16% व 12% कोटा निर्धारित है।

भीलवाड़ा जिले में खोले गये हायर सेकण्डरी स्कूल्स

90. श्री बन्सीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले वर्ष भीलवाड़ा जिले में किन-किन स्थानों पर किन-किन मापदण्डों के आधार पर तथा कितने-कितने विद्यार्थियों पर हायर सेकण्डरी स्कूल्स खोली गई ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या भीलवाड़ा व पुर कस्बे में हायर सेकण्डरी स्कूल खोलने का पिछले वर्ष कृषि राज्य मन्त्री ने छात्रों व जनता को आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो अभी तक स्कूल नहीं खोले जाने के क्या कारण हैं।

उत्तर

(1) इस विभाग को एसी कोई जानकारी नहीं है।

(2) वर्ष 1982-83 में भीलवाड़ा जिले में निम्न माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया :—

1. पन्डेर
2. बिगोद
3. हुरड़ा
4. गंगापुर (कन्या)
5. दौलतगढ़
6. शाहपुरा (कन्या
7. खुवाड़ा
8. बागोर
9. बडलियास

स्थानीय मांग भवन व्यवस्था, छात्र संख्या आदि को ध्यान में रखते हुए खोले गये हैं।

अजमेर नगर की विद्युत व्यवस्था

91. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर की विद्युत व्यवस्था सन् 1971-72 में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के क्षेत्राधिकार में आने से पूर्व प्राइवेट कम्पनी द्वारा सम्पूर्ण संचालन और नियन्त्रण किया जाता था और तब तक हाइ टेन्सन लाइनों व लो-टेन्सन लाइनों पर क्रमशः नं. 4 एवं 8 का ताम्बे का तार ही प्रयोग किया जाता रहा था ?

Page No. 31

(31)

(श्री कैलाश मेघवाल)

(2) क्या यह भी सही है कि विद्युत मण्डल के क्षेत्राधिकार में आने के बाद शनैः शनैः कुछ लाइनों पर से ताम्बे के तार उतारे जाकर उसके स्थान पर एलिमोनियम कन्डक्टर तार लगाये गये और 1983 में भी रोडवेज बस स्टेन्ड से केन्द्रीय जेल तक तथा वांझ इमली रोड के ताम्बे के तार सहायक अभियन्ता डी-3 द्वारा बदल दिये गये हैं ?

(3) यदि हां, तो अब तक कितने भार व दूरी के ताम्बे के तार बदले गये हैं और उन ताम्बे के तारों को उतारने के बाद क्या प्रयोग किया गया है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि सहायक अभियन्ता डी-3 द्वारा विद्युत श्रमिकों की पिछली हड़ताल के दौरान इम्प्रेस्ट मनी से हाई लेवल पर्चेजिंग अनावश्यक व घटिया सामान की की जाकर विद्युत मण्डल को घाटा पहुंचाया और इस प्रकरण की जांच भी करवाई गई ? यदि हां, तो कृपया जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर नगर की विद्युत वितरण व्यवस्था सन् 1971 से पहले प्राइवट कम्पनी (एमेलमेटेड इलेक्ट्रीक कम्पनी लि.) के अधिकार में थी तथा उस ही कम्पनी द्वारा सम्पूर्ण संचालन एवं नियन्त्रण किया जाता था। कम्पनी द्वारा हाइटेंशन तथा लो-टेंशन लाइनों पर अधिकतर 4/0 से 10 नम्बर तक के ताम्बे के तारों का प्रयोग किया जाता था।

(2) यह कथन सही है कि विद्युत मण्डल के क्षेत्राधिकार में आने के बाद कहीं कही ताम्बे के तारों को उतारकर उनके स्थान पर एल्युमोनियम के तार लगाये गये हैं। सन् 1983 में भी आंधी, तूफान तथा वर्षा से लाइनों के क्षतिग्रस्त होने के कारण रोडवेज बस स्टेण्ड से केन्द्रीय जेल तक 6.9 के. वी. की तथा लो टेंशन लाइन के ताम्बे के तार सहायक अभियन्ता (विभाग) तथा सहायक अभियन्ता (मैन्टिनेन्स) द्वारा बदले गये हैं। वांझ इमली रोड पर कोई ताम्बे के तार को नहीं बदला गया है।

(3) रोडवेज बस स्टेंड से केन्द्रीय जेल तक उपरोक्त हाइटेंशन एवं लो टेंशन लाइनों पर से लगभग 2850 फुट दूरी के तारों को बदला गया है जिसका भार लगभग 780 कि. ग्रा. है। इन ताम्बे के तारों को विभागीय वृत भण्डार में जमा करा दिया गया है।

(4) सहायक अभियन्ता (वि—3) द्वारा विद्युत श्रमिकों की पिछली हड़ताल के दौरान आपात स्थिति में रखरखाव के लिए रु. 8436.36 पैसे के सामान की खरीद की गई थी। इस खरीद के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं करवाई गई। अतः जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

Page No. 32

(३२)

निवाई विधान सभा क्षेत्र में जले ट्रान्सफार्मर

92. **श्री द्वारका प्रसाद बैरवा (निवाई)** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1980 से अब तक निवाई विधान सभा क्षेत्र में कितने ट्रान्सफार्मर जले, जिससे कितनी राशि की राज्य सरकार को हानि हुई ?

(2) क्या सरकार ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की ? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या निवाई विधान सभा क्षेत्र के गांवों का सन् 1985 तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो कितनों का ?

उत्तर

(1) निवाई विधान सभा क्षेत्र में सन् 1980 से माह अगस्त, 83 तक कुल 28 ट्रान्सफार्मर जले। इसमें एक पावर ट्रान्सफार्मर व शेष 27 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रान्सफार्मर थे, जिनकी कीमत लगभग 2,05,000 रु. है।

(2) ट्रान्सफार्मर्स आमतौर पर लाइन फाल्ट, इन्टरनल फाल्ट और मैनूफैक्चरिंग डिफैक्ट के कारण जलते हैं। जहां तक उपरोक्त एक पावर ट्रान्सफार्मर का प्रश्न है यह 1000 के. वी. ए. का ट्रान्सफार्मर दिनांक 22-9-82 को करेडा गांव में 11 के. वी. लाइन में फाल्ट होने के कारण जल गया था। इन ट्रान्सफार्मर्स के जलने में किसी अधिकारी का दोष नहीं होने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई।

(3) गांवों का विद्युतीकरण संसाधनों की उपलब्धता व तकनीकी साध्यता पर निर्भर करता है। निवाई विधान सभा क्षेत्र के कितने गांवों का विद्युतीकरण सन 1985 तक कर दिया जावेगा, इसके बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ कहना सम्भव नहीं है।

विद्युत मण्डल में स्थानीय अभियन्ताओं को श्रमिक लगाने की छूट

93. **श्री देवव्रत तिवाड़ी (बाड़मेर)** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिले में बिजली लाइन इसलिए शीघ्रतापूर्वक नहीं लगाई जाती कि स्थानीय अभियन्ताओं को कोई भी श्रमिक लगाने की छूट नहीं हैं ? यदि श्रमिक अन्यत्र भर्ती करके बाड़मेर जिले में भेजे जाते हों तो प्रथम तो वे वहां जाते नहीं है और यदि जाते भी हैं तो उस वातावरण में टिक कर काम नहीं कर पाते हैं ?

(2) यदि हां, तो वर्ष 1981–82 और 1982–83 में बाड़मेर जिले से कितने श्रमिकों की मांग तथा कितने स्थान रिक्त हैं ? कृपया पृथक पृथक जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

(3) बाड़मेर जिले में कितने असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियरों के पद हैं और उनमें से कितने रिक्त हैं ?

उत्तर

(1) यह सही है कि विद्युत मण्डल ने नये श्रमिकों की भर्ती पर माह जून, 80 से रोक लगा रखी है। यह सही है कि नई भर्ती पर रोक होने के कारण अधीक्षण अभियन्ता निर्माण वृत, जोधपुर के आदेशानुसार वर्ष 1981–82 व वर्ष 1982–83 में अन्य खंडों से समय-समय पर उक्त वर्गों के फेस प्रोग्राम के लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु कर्मचारी बाड़मेर जिले में काम नहीं कर पाये हैं। इसके अलावा जिन खंडों से इन श्रमिकों को भेजा गया था वहां पर भी कार्य पूर्ण करने के लिये इनकी आवश्यकता होने से उन्हें वापस अपने खण्ड में भेजा गया। इन कारणों से बाड़मेर क्षेत्र में लाइनों का कार्य लक्ष्यानुसार नहीं हो सका।

(2) ग्रा. वि. नि. खण्ड, बाड़मेर में वर्ष 81–82 व 82–83 में मण्डल पैटर्न के अनुसार क्रमश: 207 एवं 276 श्रमिकों को नए निर्माण कार्यों की क्रियान्विति हेतु आवश्यकता थी। वर्ष 81–82 व 82–83 में क्रमश: 50 व 62 श्रमिक ही उपलब्ध थे। एवं जोधपुर वृत के अन्य खण्डों से क्रमश: 224 व 86 श्रमिक कुछ समय के लिए इस खण्ड में भेजे गये।

(3) बाड़मेर जिले में परि. एवं संधा. व ग्रा. वि. शाखा (विंग) में असिस्टेंट इंजीनियर व जूनियर इंजीनियर के क्रमश: 8 व 23 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 2 व 7 पद रिक्त हैं।

राज्य में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने एवं क्रमोन्नत करने की नीति

94. श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर) : क्या प्राथमिक शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय नगर एवं ग्रामों की जनसंख्या के आधार पर खोलने एवं क्रमोन्नत करने की स्वीकृति राज्य सरकार प्रदान करती है ? यदि हां, तो पाली जिले में प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अभी कहां कहां स्वीकृत हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सुमेरपुर एवं पाली में कई ऐसे गांव हैं जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलना आवश्यक है ? यदि हां, तो कहां कहां तथा विभाग इसके लिये क्या कार्यवाही कर रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि प्रति वर्ष विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि के अनुपात में अध्यापकों की संख्या कम है ? यदि हां, तो किन किन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कितने कितने अध्यापक अभी कम हैं, और इनकी पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) क्षेत्रीय सन्तुलन, जनसंख्या, स्थानीय मांग, भवन व्यवस्था व छात्रों की संख्या आदि को ध्यान में रखते हुए विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। पाली जिले में प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1983–84 में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने के प्रस्ताव अभी राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

(3) जी हां। पंचायत समिति सुमेरपुर एवम् पाली में अध्यापकों की कमी वाले प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची संलग्न है। अध्यापकों की पूर्ति करने हेतु राज्य सरकार प्रयास कर रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

कुशलगढ़ क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के पद

95. **श्री फतेसिंह (कुशलगढ़)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कुशलगढ़ क्षेत्र जिला बांसवाड़ा में कुल कितने प्राथमिक विद्यालय हैं व कितने अध्यापक हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कुशलगढ़ क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, और छात्रों के अनुपात में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कितने अध्यापकों की कमी है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अनट्रेन्ड अध्यापक भी पंचायत समितियों में रखे जाते हैं?

(4) क्या सरकार छात्रों के अनुपात में अध्यापकों के पद बढ़ाने की मन्शा रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कुशलगढ़ पं. स. जिला बांसवाड़ा में कुल 20 प्राथमिक विद्यालय हैं व 94 अध्यापक हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) कुशलगढ़ पं. स. के प्राथमिक विद्यालयों में कुल 5610 छात्र हैं। 40 छात्रों पर एक अध्यापक के हिसाब से 46 अध्यापकों की कमी है।

(3) जी हां।

(4) जी हां। वर्ष 1983–84 में ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के लिये 2000 अतिरिक्त अध्यापकों के पद राज्य सरकार द्वारा सृजित किये गये हैं। इससे काफी हद तक अध्यापकों की कमी पूर्ति हो सकेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

उदयपुर के गांवों में अध्यापकों की कमी

96. **श्री भैरूलाल (उदयपुर ग्रामीन)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भेरूलाल)

(1) क्या यह सही है कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार एवं शिक्षा सुधार प्रचार को ध्यान में रखते हुये वर्ष 1983 में राज्य में पाठशालाओं एवं विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्रों के अनुपात में अध्यापकों की नियुक्तियां की गई हैं ? यदि हां, तो कितने अध्यापकों की नई नियुक्तियां की गई ? कृपया विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि जिला उदयपुर के दूर दराज के गांवों में आज भी स्कूलों में अध्यापक नहीं पहुंचे हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1983 में नामांकन के आधार पर अध्यापकों की नियुक्तियां करने के लिए शहरी क्षेत्र में 1000 एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 पद आदेश दिनांक 16–3–83 द्वारा सृजित किये गये हैं जिन पर नियुक्तियां की जा रही हैं ।

(2) प्रश्न स्पष्ट नहीं है ।

राज्य को लेवी के कागज प्रदात में अनियमियतायें

97. श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र द्वारा राज्य के विद्यार्थियों की सुविधा हेतु लेवी का कागज उपलब्ध करवाया गया था ? क्या राज्य सरकार के ध्यान में है कि केन्द्र सरकार ने कागज मिलों को उत्पादन का एक अंश व वर्तमान बाजार रेट से आधी रेट पर सीधा बाजारों में भेजने के आदेश दिये थे ?

(2) क्या राज्य को उक्त कागज सीधी मिलों द्वारा दिया गया ? यदि हां, तो कितना ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त कागज के प्रदाय में अनियमितताओं की जांच हेतु विश्वविद्यालय सीनेट ने 30 जून, 1982 को एक समिति नियुक्त की थी ? यदि हां, तो उक्त कमेटी के सदस्य कौन थे ?

(4) क्या समिति द्वारा जांच पूर्ण कर ली गई ? यदि हां, तो कब ? जांच परिणाम में कौन दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । केन्द्र सरकार द्वारा कागज मिलों को दिये गये ऐसे आदेशों की जानकारी नहीं है ।

(2) वर्ष 83–84 में अप्रेल, 83 से सितम्बर 83 तक दो तिमाहियों के लिये 2773 टन रियायती दर का कागज आवंटित किया गया था जिसमें से 1190 टन कागज प्राप्त हो चुका है ।

(शिक्षा मन्त्री)

(3) राजस्थान विश्वविद्यालय सीनेट द्वारा विश्वविद्यालय में हुई कुछ अनियमितताओं की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है जिसमें विश्वविद्यालय को आवंटित कागज के उपयोग में हुई अनियमितताओं की जांच का भी एक बिन्दु है। समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं :—

1. डा. आर. वी. उपाध्याय
2. डा. सी एम. गुप्ता
3. डा. बी. सी. गोखरु
4. डा. यू. सी. पन्त
4. श्री मदनलाल जैन

(4) जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

सवाईमाधोपुर नगरपालिका क्षेत्र के हायर सैकण्डरी स्कूल में कमरों की कमी

98. श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सवाई-माधोपुर नगरपालिका क्षेत्र में एक हायर सैकेण्ड्री स्कूल है? इस स्कूल में कुल कितने छात्र है? कौन-कौन से विषय पढ़ाये जाते हैं तथा इसमें कुल कितने सैक्शन हैं?

(2) इस स्कूल में कितने कमरे हैं?

(3) क्या छात्रों की संख्या की दृष्टि से उक्त कमरे अपर्याप्त हैं? यदि हां, तो क्या सरकार कमरों की कमी को दूर करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। इस विद्यालय में कुल 1875 छात्र हैं। विज्ञान, वाणिज्य, कृषि एवं कला वर्ग के विषय पढ़ाये जाते हैं। इस विद्यालय में 46 सैक्शन हैं।

(2) विद्यालय में कुल 30 कमरे एवं एक हाल है।

(3) जी हां। कमरों की कमी की पूर्ति हेतु विभाग में कोई वित्तीय प्रावधान नहीं है। यह जन सहयोग से ही सम्भव होगा।

कोटा जिले के मांगरोल में बिजली पैदा करने की योजना

99. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा),

श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के मांगरोल में बाएगंगा नदी पर बिजली पैदा करने की योजना पर वित्तीय वर्ष 1983-84 में कार्य प्रारम्भ किया जाना था।

(2) यदि हां, तो कार्य कब से प्रारम्भ कर दिया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार अब इस योजना पर कार्य प्रारम्भ करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब से?

उत्तर

(1) जी नहीं, बाण गंगा की नदी पर बिजली पैदा करने हेतु कोई योजना नहीं बनाई गई है। चम्बल दायीं मुख्य नहर पर मांगरोल के पास प्रस्तावित 6 मेगावाट क्षमता का एक विद्युत गृह स्वीकृत है।

(2) चम्बल दायीं मुख्य नहर पर प्रस्तावित मांगरोल परियोजना हेतु भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रगति पर है। भूछिद्रण का कार्य किया जा चुका है। मशीनरी क्रय हेतु निविदायें आमन्त्रित करली गई है।

(3) प्रारंभिक कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। भूमि अवाप्त हो जाने पर कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

पीपल्दा क्षेत्र के कस्बा खातोली में विद्युत व्यवस्था

100. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा),

श्री दाऊदयाल जोशी (कोटा) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र का कस्बा खातोली बहुत बड़ा होने पर भी अभी तक वहां बिजली नहीं है ?

(2) क्या सरकार उक्त कस्बे के विकास को देखते हुए प्राथमिकता पर बिजली लगाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक इसे विद्युतीकृत कर दिया जावेगा ?

उत्तर

जी हां।

(2) ग्राम खातोली का विद्युतीकरण पंचायत समिति इटावा की संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत किया जाना है। ससाधनों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए, ग्राम "खातोली" को विद्युतीकरण हेतु आगामी वर्षों के कार्यक्रम सम्मिलित करने का प्रयास किया जावेगा।

पं. स. धोरीमन्ना एवं सिणधरी की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

101. श्री हेमाराम चौधरी (गुढा-मालानी) —क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले की पंचायत समिति धोरीमन्ना एवं सिणधरी की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब स्वीकृत हुई एवं उक्त समितियों के सभी ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक करना था तथा अब तक कितने कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है ?

(2) पंचायत समिति धोरीमन्ना एवं पंचायत समिति सिणधरी की ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के लिए कितनी-कितनी राशि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त हुई एव कितनी कितनी राशि उक्त योजनाओं पर खर्च की गई है ?

Page No. 38

38

(श्री हेमाराम चौधरी)

(3) पंचायत समिति सिणधरी के सिणधरी ओडल 33 के. वी. लाइन कौनसे वर्ष में खींचना प्रस्तावित थी तथा पंचायत समिति धोरीमन्ना की धोरीमन्ना-बामडला 33 के. वी. लाइन खींचना प्रस्तावित था और अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(4) पंचायत समिति सिणधरी एवं धोरीमन्ना के कितने प्रतिशत ग्राम विद्युतीकृत कर दिये गये हैं ?

(5) पंचायत समिति सिणधरी एवं धोरीमन्ना के लिए वर्ष 1983-84 में कितने कितने ग्राम एवं कितने-कितने कुओं का विद्युतीकरण करना प्रस्तावित है ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त समितियों के ग्रामों व कुओं के विद्युतीकरण का लक्ष्य वर्ष 1983-84 में बहुत कम रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस लक्ष्य को बढ़ाने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति धोरीमन्ना के समूचे ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु 3 योजनाएं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से वर्ष 1979-80 (माह दिसम्बर 79) में तथा पंचायत समिति सिणधरी की 2 योजनाएं वर्ष 1980-81 (माह जून 80) में स्वीकृत कराई गईं। उक्त योजनाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का था। अभी तक इन योजनाओं के अन्तर्गत धोरीमन्ना पं. स. के 9 ग्रामों तथा सिणधरी के 14 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(2) धोरीमन्ना पं. स. की स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत अब तक 88.218 लाख रुपये की ऋण राशि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त की गई है तथा अनुमानित व्यय 84.17 लाख रुपये है। सिणधरी पं. स. की स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत अब तक रुपये 41.133 लाख ऋण राशि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त की गई है तथा अनुमानित व्यय 4.05 लाख रुपये किये गये।

(3) पं. स. सिणधरी से ओडल 33 के. वी. लाइन तथा धोरीमन्ना-बामडला 33 के. वी लाइनों का निर्माण पं. स. सिणधरी, पं. स. धोरीमन्ना को स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत क्रमश: प्रथम व द्वितीय वर्ष में प्रस्तावित था। अभी इन लाइनों का निर्माण प्रारम्भ नहीं हुआ है।

(4) पं. स. सिणधरी के 16.33 प्रतिशत तथा धोरीमन्ना के 8.65 प्रतिशत ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(5) वर्ष 1983-84 के कार्यक्रम में पं. स. सिणधरी तथा धोरीमन्ना की स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजनाओं के अन्तर्गत क्रमश: 10 ग्रामों व 10 कृषि कुओं एवं 13 ग्रामों व 15 कृषि कुओं का विद्युतीकरण/ऊर्जीकरण करना प्रस्तावित है।

(6) वर्ष 1983-84 के लिए इन पंचायत समितियों हेतु निर्धारित लक्ष्य पूरे

(ऊर्जा मंत्री)

प्रदेश हेतु निर्धारित लक्ष्यों एवं उपलब्ध सीमित वित्तीय एवं तकनीकी संसाधनों को ध्यान में रखते हुए रखे गये हैं। सीमित वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुए अभी उक्त पंचायत समितियों में प्रस्तावित ग्रामों एवं कृषि कुओं के विद्युतीकरण एवं ऊर्जीकरण के लक्ष्य को बढ़ाया जाना संभव नहीं है।

पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी पं.स. के आशार्थियों को रोजगार

102. श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) : क्या रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी पंचायत समितियो के कितने आशार्थियों को जून, 1980 से जुलाई, 1983 तक रोजगार उपलब्ध कराया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी पंचायत समितियों के 133 आशार्थियों को माह 8 जून, 1980 से जुलाई, 1983 तक रोजगार उपलब्ध करवाया गया। पंचायत समितिवार सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

बीकानेर जिले के नियोजन कार्यालय में बेरोजगारों के पंजीकृत नाम

103. श्री सुरजा राम (नोखा) : क्या रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले के नियोजन कार्यालय में कितने बेरोजगारों का नाम पंजीकृत है तथा पिछले तीन सालों के दौरान कितने-कितने लोगों को रोजगार दिया गया ? जनवरी, 1981 से जुलाई, 1983 तक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उनमें से कितने-कितने अनुसूचित जाति/जनजाति एवं विकलांगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीकानेर जिले के नियोजन कार्यालय में दिनांक 31 जुलाई, 1983 तक 15029 बेरोजगार आशार्थियों के नाम पंजीकृत थे। माह जनवरी, 1981 से जुलाई, 1983 तक की अवधि में 1381 आशार्थियों को रोजगार दिलवाया गया।

(2 इनमें से 15 अनुसूचित जाति, 29 अनुसूचित जनजाति एवं 124 विकलांगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया।

खनन पट्टे आवंटन हेतु राज्य सरकार की नीति

104. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1981-82 व 1982-83 में भारी संख्या में आदिवासियों ने खनन पट्टे चाहने बाबत आवेदन किया था परन्तु कुछ लोगों को ही खनन पट्टे जारी किये गये ? यदि हां, तो क्या खनन

Page No. 40

(५०)

(श्री नन्दलाल मीणा)

पट्टे आवंटन के लिये राज्य सरकार ने कोई नीति निर्धारित कर रखी है ? यदि हां, तो कृपया उसकी प्रति सदन के पटल पर रखें।

(2) चित्तौड़गढ़ जिले के आदिवासियों को वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में आवंटित खनन पट्टों की कृपया सूची तहसीलदार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है कि वर्ष 1981-82 व 82-83 में आदिवासियों ने बड़ी संख्या में खनन पट्टे चाहने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये अथवा आवेदन-पत्रों को निपटाने में किसी प्रकार का भेदभाव बरता गया। आदिवासियों को नियमों में प्राथमिकता के आधार पर खनन पट्टे देने का पहले से ही प्रावधान है।

(2) सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

बारां न्यायालयों में कृषि भूमि रहन के मामले

105. **श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) एवं श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) :**

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बारां के न्यायालयों में कृषि भूमि के रहन सम्बन्धी कितने मामले कब से विचाराधीन हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) "प्रशासन गांवों की ओर" अभियान में कितने वादों में निर्णय किये गये ?

(3) गत छः मासों में कृषि भूमि के रहन सम्बन्धी कितने वादों में निर्णय किये गये ?

(4) सामान्य रूप से ऐसे वाद कितने समय में निर्णीत हो जाने चाहिये ? विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) बारां के न्यायालयों में भूमि के रहन सम्बन्धी मामले निम्न रूप से वर्ष 1981 से विचाराधीन हैं:—

1. उप जिलाधीश	24
2. सहायक जिलाधीश प्रथम	6
3. सहायक जिलाधीश द्वितीय	25

(2) प्रशासन गांवों की ओर अभियान के दौरान निम्न रूप से मामलों का निर्णय किया गया:—

1. उप जिलाधीश	9
2. सहायक जिलाधीश प्रथम	3
3. सहायक जिलाधीश द्वितीय	2

(3) गत छः माह में भूमि के रहन सम्बन्धी मामलों का निम्न रूप से निर्णय किया गया:—

1. उप जिलाधीश	7
2. सहायक जिलाधीश प्रथम	1
3. सहायक जिलाधीश द्वितीय	0

(राजस्व मंत्री)

(4) सामान्यतया ऐसे मामले 6 माह में निर्णय हो जाने चाहिये परन्तु अधिकारियों के स्थान रिक्त रहने के कारण कुछ विलम्ब हुआ है ।

अजमेर नगर परिषद् सीमा में बीड़ी निर्माण के कारखाने

106. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर परिषद सीमा में बीड़ी निर्माण के कारखानों के मालिक राजस्थान बीड़ी एण्ड सिगार वर्क्स (कण्डीशनल आफ एम्प्लायमेन्ट) रूल्स, 1969 के नियम 32 के अन्तर्गत फार्म नं. 11 व 12 के द्वारा मासिक रिटर्न्स एवं वार्षिक रिटर्न्स को निश्चित समय पर प्रस्तुत नहीं करते हैं ?

(2) यदि नहीं, तो प्रमुख बीड़ी निर्माता फर्म रामसिह शंकरसिह ने फार्म नं. 11 एवं 1 के द्वारा दिनांक 1–4–81 से दिनांक 31–3–83 तक के कालखण्ड में मासिक एवं वार्षिक रिटर्न श्रम विभाग को कब कब प्रस्तुत किये ? कृपया सभी मासिक रिटर्न एवं वार्षिक रिटर्न की प्रतियां सदन के पटल पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि इन रिटर्न्स में दी गई जानकारी की सत्यता एवं वास्तविकता की जांच करने का श्रम विभाग द्वारा कोई प्रयत्न नहीं किया गया ? यदि नहीं, तो कब कब जांच की गई ?

उत्तर

(1) फर्म रामसिह शंकर सिंह ने फार्म नं. 11 के द्वारा मासिक रिटर्न माह अप्रेल, 81 से जुलाई, 83 तक एवं फार्म नं. 12 के द्वारा वित्तीय वर्ष का वार्षिक रिटर्न निम्न दिनांकों को प्रस्तुत किया है:—

क्र. सं.	माह	प्राप्ति दिनांक
1.	अप्रेल, 81	4–5–81
2.	मई, 81	4–6–81
3.	जून, 81	9–7–81
4.	जुलाई, 81	10–8–81
5.	अगस्त, 81	5–9–81
6.	सितम्बर, 81	13–10–81
7.	अक्टूबर, 81	5–12–81
8.	नवम्बर, 81	5–12–81
9.	दिसम्बर, 81	11–1–82
10.	जनवरी, 82	9–2–82
11.	फरवरी, 82	5–3–82
12.	मार्च, 82	12–4–82
13.	अप्रेल, 82	14–5–82
14	मई, 82	17–6–82
15.	जून, 82	15–7–82
16.	जुलाई, 82	10–8–82
17.	अगस्त, 82	27–9–82
18.	सितम्बर, 82	11–10–82
19.	अक्टूबर, 82	31–3–83
20.	नवम्बर, 82	8–12–82
21.	दिसम्बर, 82	14–1–83
22.	जनवरी, 83	22–2–83
23	फरवरी, 83	8–3–83
24.	मार्च, 83	5–4–83
25.	अप्रेल, 83	12–5–83

(श्रम मंत्री)

क्र. सं.	माह	प्राप्ति दिनांक
26.	मई, 83	8-6-83
27.	जून, 83	17-7-83
28.	जुलाई, 83	13-8-83

वार्षिक रिटर्न

वर्ष 81-82	27-4-82
वर्ष 82-83	5-4-83

(2) रिटर्न की प्रतियां सदन के पटल पर रखना लोकहित में नहीं होगा।

(3) सामान्यतः संस्थान द्वारा प्रेषित रिटर्न्स की जांच संदेह होने पर अथवा शिकायत होने पर ही की जाती है फिर भी इस संस्थान द्वारा प्रेषित रिटर्न्स में से कुछ की उनमें अंकित बीड़ी उत्पादन की संख्या की जांच श्रम निरीक्षक द्वारा समय समय पर की जाती है।

आकोली क्षेत्र के पटवारी के विरुद्ध शिकायत पर कार्यवाही

107. **श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल एवं श्री रामदेव सिंह (धोद)** : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पटवारी हल्का आकोली, तहसील सांचोर, जिला जालौर के विरुद्ध स्थानीय सरपंच श्री भूरा राम पुरोहित ने शिकायतें की थीं ? यदि हां तो कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त शिकायत पर उक्त पटवारी को हल्के से तबादला करके उसके विरुद्ध शिकायतों की जांच कर, जांच रिपोर्ट एक माह में जिलाधीश जालौर से मंगवाई गई थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार के उक्त आदेशों की पालना जिलाधीश जालौर द्वारा अब तक नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ? अब सरकार के आदेश संख्या 1341 दिनांक 18-6-1983 की पालना कब तक करवा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह सही है कि शिकायतों की जांच कर जांच रिपोर्ट हेतु जिलाधीश, जालौर को लिखा गया था।

(3) शिकायतों पर जांच जिलाधीश द्वारा की जा रही है। जांच पूर्ण होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

उदयपुर नगर में कृषि भूमि रूपान्तरण हेतु जमा राशि

108. **श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)** : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर नगर में कृषि भूमि रूपान्तरण हेतु कुल कितनी फाइलें बनाई गई ? उनका कुल कितना धन राज्य कोष में जमा हुआ ? कृपया व्यक्ति का नाम, रकम,

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

क्षेत्रफल, स्थान एवं रकम जमा कराने की दिनांक सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त फाइलों में से कितनी का निपटारा 31 जुलाई, 1983 तक कर दिया ? कृपया मय नाम व्यक्ति, क्षेत्रफल, स्थान व निष्पादन दिनांक सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) विभाग इनके रूपान्तरण में वैधानिक आपत्ति समझता है ? यदि हां, तो सरकार उनकी जमा राशि कब तक पुनः लौटाने का विचार रखती है ?

(4) क्या सरकार कृषि भूमि को आबादी में बदलने का सरल नियम बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) उदयपुर शहर में भूमि रूपान्तरण हेतु कुल 4017 पत्रावलियां बनाई गईं। उनके कुल 96,38,468·40 रु. कोष में जमा हुए। प्रत्येक का नाम, रकम, क्षेत्रफल आदि का विवरण अल्प अवधि में देना संभव नहीं है।

(2) उक्त फाइलों में 31 जुलाई, 83 तक 79 फाइलों का निपटारा कर दिया गया है।

(3) मौजूद नियमों के अनुरूप रूपान्तरण करने में कोई वैधानिक आपत्ति नहीं है। रकम वापस लौटाने का प्रश्न प्रत्येक पत्रावली के निर्णय के पश्चात् ही उठेगा।

(4) यदि कोई आपत्ति सरकार के समक्ष आयेगी तो इस पर विचार किया जायेगा।

श्रम न्यायालयों में विचाराधीन मामले

109. **श्री कमलेन्द्र सिंह (बल्लभनगर):** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान के विभिन्न श्रम न्यायालयों में कितने विवाद विचाराधीन हैं और ये विवाद किस-किस साल से विचाराधीन हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य के विभिन्न न्यायालयों में 30-4-83 तक 3067 विवाद हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार है:—

नाम कोर्ट	विवादों का कुल योग	विवादों की विचाराधीन अवधि			
		3 माह से कम	3 से 6 माह	6 माह से एक वर्ष	एक वर्ष से अधिक
1	2	3	4	5	6
श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर	2093	—	1175	393	525

(श्रम मंत्री)

1	2	3	4	5	6
उदयपुर	187	25	22	37	103
कोटा	405	49	40	108	208
बीकानेर	2,8	24	39	34	121
जोधपुर	164	7	37	55	72
योग:—	3067	98	1313	627	1029

सेण्ड स्टोन खनन पट्टे में अधिक-तम क्षेत्रफल

110. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) एवं श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार ने राज्य में सेण्ड स्टोन खनन पट्टों की लीज देने में अधिकतम क्षेत्रफल कितना निर्धारित कर रखा है ?

(2) क्या जिला बूंदी में एक ही नाम के व्यक्ति को दो लीजों से अधिक का आवंटन नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा किस नियम के अन्तर्गत हो रहा है ? जबकि एक व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम क्षेत्रफल रख सकता है ?

(3) क्या राज्य सरकार ने उक्त निर्देश सिर्फ जिला बूंदी के लिए ही दे रखे हैं ? यदि हां, तो सरकार इस निर्देश को निरस्त करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) सेण्ड-स्टोन के लिये निर्धारित अधिकतम क्षेत्रफल अलग-अलग क्षेत्रों के लिये भिन्न-भिन्न हैं। जहां बूंदी क्षेत्र में 60 × 120 मीटर का एक प्लाट होता है वहीं भरतपुर क्षेत्र में दस हैक्टेयर के प्लाट स्वीकृत किये जाते हैं।

(2) जी हां, यह सही है जिला बूंदी में किसी एक व्यक्ति को खनिज सेण्ड स्टोन के 2 से अधिक खनन पट्टे स्वीकृत न करने हेतु नीति 1979 से अपना रखी है।

(3) यह सही नहीं है कि राज्य सरकार ने ऐसे निर्देश केवल जिला बूंदी के लिये दे रखे हैं। बिजोलिया व जोधपुर क्षेत्र में भी खनिज सेण्ड स्टोन खान की दृष्टि से उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यहां भी दो से अधिक रेंट कम रायल्टी लीज नहीं दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त धौलपुर व करौली क्षेत्रों में भी 10 हैक्टेयर के प्लाट बनाकर नीलाम किये जाते हैं।

घाटोल निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम नेरु घाटी, पंचायत खामेरा खैरवा में चांदी का भण्डार

111. श्री पूंजीलाल मीणा (घाटोल) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि घाटोल निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम नेरु घाटी, पंचायत

(श्री पूंजीलाल मीणा)

खामेरा खेरवा में चांदी का भण्डार मिला है ?

(2) क्या यह सही है कि 19-8-1982 को खान एवं भू-विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक श्री ओमशंकर सुखवाल घाटोल तहसील के खामेरा ग्राम में सीमेंन्ट फैक्ट्री के लिये पत्थर देखने हेतु नियुक्त किये गये थे ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन्हें सीमेन्ट व चूने के पत्थरों के साथ-साथ चांदी का भी पता लगा, जिसकी जांच के लिये सैम्पल विभाग द्वारा गुजरात बुलियन रिफाइनरी, अहमदाबाद को भेजा गया था ?

(4) क्या यह भी सही है कि विश्लेषण परिणाम में बताया है कि इस क्षेत्र में एक टन खनिज से 250 ग्राम से 500 ग्राम तक चांदी मिल सकती है ?

(5) क्या यह भी सही है कि ओमशंकर सुखवाल ने राजस्थान भू-वैज्ञानिक विभाग को सूचना देकर मांग की थी कि विस्तृत क्षेत्र का सर्वेक्षण चालू कर इस क्षेत्र को रिजर्व क्षेत्र रखा जाय ?

(6) क्या इस खदान की जांच हेतु कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। उक्त क्षेत्र में चांदी के केवल संकेत मिले हैं।

(2) जी हां।

(3) जी हां। इस प्रारम्भिक सर्वेक्षण के दौरान क्षेत्र में चांदी होने के भी संकेत पाये गये तथा जांच हेतु कुछ नमूने गुजरात बुलियन रिफाइनरी अहमदाबाद को भेजे गये।

(4) गुजरात बुलियन रिफाइनरी, अहमदाबाद को भेजे गये कुछ चुने हुए नमूनों के विश्लेषण प्राप्त हुए हैं जिनमें 225 ग्राम प्रति टन तक चांदी होने के संकेत प्राप्त हुए हैं।

(5) उक्त क्षेत्र में चूने के भण्डार की सीमेन्ट उद्योग हेतु उपयोगिता की जांच करने हेतु उपरोक्त क्षेत्र को 20-4-82 को ही विभागीय पूर्वेक्षण हेतु आरक्षित कर लिया गया था।

(6) इस क्षेत्र में पूर्वेक्षण कार्य 1983–84 में भी प्रस्तावित है।

पटवारी, हल्का वीरोल तहसील सांचौर के स्थानान्तरण आदेश निरस्त करने का मामला

112. श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) एवं श्री रामदेव सिंह (ओद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण लोगों की मांग पर पटवारी, हल्का वीरोल, तहसील सांचौर, जिला जालौर को सरकार द्वारा उनके स्थानान्तरण आदेश निरस्त कर इसी हल्के में रखने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो कब ?

(श्री सूरजपाल सिंह)

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने आदेश सं. 1514 दिनांक 23-7-1983 तामील के लिये, जिलाधीश जालौर को भेजा था ? यदि हां, तो क्या जिलाधीश जालौर द्वारा अब तक उक्त हुक्म की तामील कर दी गई है ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) राजस्व मंत्री महोदय द्वारा पटवारी, हल्का वीरोल, तहसील सांचौर, जिला जालौर का स्थानान्तरण निरस्त करने की सम्मति (Desire) दी गई थी जो दिनांक 23-7-83 को जिलाधीश जालौर को प्राप्त हुई थी।

(2) जिलाधीश जालौर से इस सम्बन्ध में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है।

ग्राम उच्चेन तहसील रूपवास के सैकण्डरी स्कूल को हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करना

113. **श्री रामप्रसाद (रूपवास)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील रूपवास के गांव उच्चेन के सैकण्डरी स्कूल को हायर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने हेतु हड़ताल की गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि अधिकारियों द्वारा स्कूल को क्रमोन्नत करने का आश्वासन देकर छात्रों की हड़ताल को समाप्त कराया था ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्कूल को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां ? तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। विभाग के अधिकारियों द्वारा ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

(3) जी नहीं। चालू सत्र में बजट में कोई प्रावधान न होने के कारण उच्चेन माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव नहीं है।

शिव टिन फैक्ट्री, दौसा में विद्युत की बकाया

114. **श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)** : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शिव टिन फैक्ट्री, दौसा को किस तारीख को विद्युत कनेक्शन दिया गया ?

(2) क्या शिव टिन फैक्ट्री, दौसा की तरफ काफी रकम बकाया है ? यदि हां, तो कितनी तथा कब से ?

(3) क्या कम वसूलने के बाबत पी. डी आर. एक्ट के तहत कार्यवाही करने का प्रयास किया है ?

(श्री रामकिशोर मीणा)

(4) क्या यह सही है कि यह फैक्ट्री डिफाल्टर होने के बावजूद दूसरी सिस्टर कन्सर्न को अधिकारियों की जानकारी होते हुए कनेक्शन दिये गये व दिये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) शिव टिन फैक्ट्री, दौसा को दिनांक 4.8 1973 को विद्युत कनेक्शन दिया गया।

(2) जी हां। शिव टिन फैक्ट्री, दौसा की तरफ मण्डल की राशि रु० 57:3.41 एवं विद्युत कर राशि रु० 25.70 मार्च 77 से जनवरी 79 तक की बकाया है।

(3) कार्यवाही की जा रही है।

(4) शिव टिन फैक्ट्री, दौसा की सिस्टर कन्सर्न के बारे में विद्युत मण्डल को जानकारी नहीं है।

तहसील मांडल के ग्रामों का विद्युतीकरण

115. श्री बिहारीलाल पारीक (मांडल): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील मांडल के कितने ग्राम विद्युतीकरण योजना में हैं और यह योजना कब से लागू हुई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जो ग्राम विद्युतीकरण योजना में नहीं हैं उन्हें इस योजना में कब तक ले लिया जायेगा ?

(3) करेड़ा से चित्ताम्बा होती हुई कोडीमाल विद्युत लाइन कब डाली गई तथा किसके द्वारा ? क्या उपरोक्त लाइन अभी सही हालत में है या गिर गई ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त पूरी लाइन (खम्बे गिर गये) नष्ट हो गई तथा ठेकेदार को पेमेन्ट भी कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1978-79 में स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना में तहसील मांडल के 120 ग्राम विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त योजना में 1971 की जनगणना पुस्तिका के अनुसार तहसील मांडल के सभी शेष ग्राम विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित हैं।

(3) लादूवास से करेड़ा होती हुई चित्ताम्बा तक 33 के० वी० लाइन चित्ताम्बा से नारोली तक 11 के० वी० लाइन व कटार (आसीन्द) से कोडीमाल तक 11 के० वी० लाइन तीन ठेकेदारों मैसर्स अजय सप्लायर्स, भीलवाड़ा, मै० धनमुख सेल्स एण्ड सर्विस, भीलवाड़ा, मै० मानसिंहका इलैक्ट्रीकल्स, भीलवाड़ा द्वारा वर्ष 1982-83 में डाली गई है।

उक्त लाइनों में से लादूवास से करेड़ा होती हुई चित्ताम्बा 33 के० वी० की लाइन सही हालत में है। केवल चित्ताम्बा से

(ऊर्जा मंत्री)

नारोली 11 के० वी० लाइन की एक डी० पी० के ऊपर का भाग अभी हाल ही में आई आंधी व वर्षा से क्षतिग्रस्त हो गया तथा इसके साथ के 6 पोल भी झुक गये। क्षतिग्रस्त डी० पी० व झुके हुए पोलों को ठीक कराने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी नहीं। ठेकेदारों को पूरा भुगतान नहीं किया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

ब्यावर बराखंड मार्ग पर चालित बसें

116. श्री विष्णुप्रकाश बजारी (ब्यावर): क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ब्यावर-बराखंड मार्ग पर बसों के कितने परमिट स्वीकृत हैं तथा कितनी बसें इस मार्ग पर चल रही हैं और उन बसों का माडल कौनसा है ?

(2) क्या राजस्थान स्टेट रोडवेज के पास मार्गों पर लगाने हेतु बसें उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार उन मार्गों के परमिट प्राइवेट बस आपरेटर्स को क्यों नहीं देती ?

(3) वर्ष 1981-82 व 1982-83 में राजस्थान स्टेट रोडवेज में क्या नफा अथवा नुकसान हुआ ?

(4) स्टेट रोडवेज में यात्री कर का कितना रुपया राज्य सरकार का बकाया है ?

(5) राजस्थान स्टेट रोडवेज में वर्ष 1982-83 तक कितने कण्डक्टर, ड्राइवर व अन्य अधिकारी निलम्बित थे और कब-कब से ?

उत्तर

(1) इस मार्ग पर 3 परमिट स्वीकृत हैं जिनमें से 2 निजी बस मालिकों को तथा एक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को स्वीकृत हैं। निजी बसों के माडल वर्ष 1970 व 196 के हैं। निगम को स्वीकृत परमिट फिलीट परमिट हैं। परिवहन निगम द्वारा वर्ष 1974 से 1982 के माडल की वाहनें इस मार्ग पर संचालित की जाती हैं।

(2) जी हां।

(3) वर्ष 1981-82 व 1982-83 में निगम को निम्न हानि हुई :—

वर्ष	हानि (लाखों में)
1981-82	1103-79 (प्रोवीजनल)
1982-83	669-71 ,,

(4) परिवहन निगम पर राज्य सरकार का यात्री कर के रूप में 18.79 करोड़ रुपया बकाया है।

(5) वांछित सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित माननीय सदस्यों से स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है, जो इस प्रकार है :—

(1) सर्व श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, गोपाल पचेरवाल, बहादुरसिंह, भरोसीलाल, वीरेन्द्र प्रतापसिंह—गांव सौनड़ी, तहसील नोहर, जिला श्रीगंगानगर में गत 31 जुलाई को शराब के एक ठेकेदार के गिरोह के एक सदस्य द्वारा वीरबल राम की हत्या के विषय में,

(2) श्री राज बहादुर—भरतपुर स्थित घना बर्ड सेंक्चुरी में गत 7 नवम्बर, 1982 में हुए गोलीकाण्ड की न्यायिक जांच करवाने के विषय में मुख्य मन्त्री राजस्थान द्वारा सदन में घोषणा किये जाने के उपरान्त भी उसकी क्रियान्विति न होने से प्रभावित लोगों में काफी असन्तोष व्याप्त होने के विषय में,

(3) श्री बंशीलाल पटवा—भीलवाड़ा नगर में बच्चों के अपहरण और 8 वर्षीय अशोक सिंधी के अपहरण के बाद हत्या के विषय में,

(4) श्री कमलेन्द्र सिंह—बेरा पिचीयाक थाना व तहसील बिलाड़ा में उम्मेदराम नामक व्यक्ति की रहस्यमय हत्या के विषय में,

(5) श्री मेघराज तावड़—गत 8 अगस्त को भिवाड़ी ओरियन्ट सिन्थेटिक्स के एक मजदूर बैजनाथ की पिटाई से मृत्यु और दूसरे मजदूर ब्रजेन्द्र सिंह की पुलिस की गोली से मृत्यु के विषय में,

(6) श्रीमती विद्या पाठक—गत 12 अगस्त को जयपुर स्थित मोती डूंगरी रोड पर नायला हाउस के खुले नाले में गिरकर 8 वर्षीय बच्ची कृष्णा की मृत्यु के विषय में,

(7) श्री समरथलाल—सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में कई तीर्थ स्थानों पर जाने वाले यात्रियों से अभयारण्य के अधिकारी पैदल, साइकिल व वाहनों पर कर वसूल कर रहे हैं, के विषय में,

(8) श्री नन्दलाल मीणा—गत फरवरी में भू-आबंटन समिति जिला चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष उप-जिलाधीश बेगूं द्वारा प्रशासन गांवों की ओर कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमिहीन कृषकों को भूमि आवंटित न करके बेगूं के मूल निवासियों और जन प्रतिनिधियों के सम्बन्धियों को आवंटित के विषय में,

(9) सर्वश्री महावीरप्रसाद, गुलाबचन्द कटारिया, बालचन्द्र आर्यवीर-गत 21 अगस्त को ग्राम सांगरिया, जिला गंगानगर में 19 वर्षीय श्रीमती प्रवीण जैन की दहेज की मांग को लेकर जलाकर मार देने की घटना के विषय में,

(10) श्री नाथूसिंह—पांचना बांध के निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार व बांध का निर्माण कार्य पूरा न होने के विषय में,

(श्री अध्यक्ष)

(11) श्री जीतमल जैन–गत 2 अगस्त को खेरथल निवासी श्रीमती आशा गुप्ता को दहेज की मांग के कारण जला कर मार देने की घटना के विषय में,

(12) श्री घनश्याम तिवाड़ी–राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा पिछले दिनों सीमेंट के पोल खरीदने में हुए भारी घाटे के विषय में,

(13) श्री भंवरलाल शर्मा, सुश्री पुष्पा जैन—गत 6 सितम्बर को मालवीय नगर, जयपुर के सैक्टर नम्बर एक में खुले मेन होल में गिरने से एक 2 वर्षीय बालक सुनील की मृत्यु के विषय में,

(14) श्री देवीसिंह भाटी–सन् 1971 के पाक शरणार्थियों को जिला बीकानेर में तहसील कोलायत व पूगल में आवंटित भूमि में राज्य सरकार द्वारा हस्तक्षेप किये जाने के विषय में।

इन स्थान प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायगा।

निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः मैं इनको स्वीकृति देने में असमर्थ हूं, फिर भी इन्हें आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को भेजा जा रहा है :

(1) **श्री बाऊदयाल जोशी** : राजस्थान में यूनानी एवं आयुर्वेद के छात्रों की न्यायोचित मांगों को न मानने के कारण उत्पन्न रोष के विषय में,

(2) **श्री हरीश शर्मा** : जयपुर शहर में संचालित हो रही नगर बस सेवा गत मई से सरकार द्वारा बंद कर देने से सरकार को घाटा एवं विद्यार्थियों को असुविधा होने के विषय में,

(3) **श्री राम कंवार बैरवा** : गत 24 अप्रेल को जैन मन्दिर, केकड़ी में गुजराती मोहल्ले की निवासी श्रीमती अमोल बाई की हत्या के विषय में,

(4) **श्री महाराम चौधरी** : नागौर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति न होने के विषय में,

(5) **श्री हीरालाल आर्य** : गत 30 जुलाई को पीपल्दा क्षेत्र के ग्राम हरीपुरा में एक प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा गांव वालों के खिलाफ मुकदमा दायर करने और उन्हें आतंकित करने के विषय में,

(6) **श्री हंसराज शर्मा** : सवाई माधोपुर कालेज में कृषि व विज्ञान के विषय खोलने के बावजूद आवश्यक उपकरण न होने के विषय में,

(7) **श्रीमती उजला अरोड़ा** : राजस्थान आवासन मण्डल में व्याप्त भ्रष्टाचार और मकानों की क्वालिटी ठीक न होने के विषय में,

(8) **श्री छीतरलाल आर्य** : पंचायत समिति अटरू में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास

(श्री अध्यक्ष)

योजना के अन्तर्गत ग्राम कवाई में लगने वाले पशु क्रय शिविर में गत 11 जनवरी को कुछ व्यक्तियों को बैंकों द्वारा फर्जी राशि के भुगतान के विषय में।

निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव भी अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं। मैं इन्हें अनुमति देने में असमर्थ हूं :—

(1) **श्री अनंग कुमार जैन** : ग्राम टेकला व अमरपुरा तहसील झालरापाटन के पास लगी हुई जगलात की भूमि में वृक्षों की अनधिकृत कटाई के विषय में,

(2) **श्री फतेसिंह** : जिला बांसवाड़ा, तहसील कुशलगढ़ और मध्यप्रदेश की सीमा पर लगे गांवों में अन्य प्रदेश से आने वाले लोगों द्वारा आकर जंगल काटने से राजस्थान के आदिवासियों को आतंकित करने के विषय में।

अब जिन माननीत सदस्यों के नाम मैं पुकारूं कृपया वह दो-दो मिनट में अपनी बात समाप्त करने का कष्ट करें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, कल स्थगन प्रस्ताव दिया था राज्य सरकार का वायुयान ······

श्री अध्यक्ष : मैं अभी उत्तर नहीं दे सकता।

श्री दाऊदयाल जोशी :·········कांग्रेस (आई) के वित्त मन्त्री श्री प्रणव मुखर्जी को लाने और ले जाने के लिए लिया गया······

श्री अध्यक्ष : मैंने पूर्व में व्यवस्थाएं दे रखी हैं माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : राज्य कोष का 2 लाख रुपया बरबाद किया गया, एक विशेष नेता कोटा से जयपुर और जयपुर से दिल्ली ले जाया गया।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : ······× × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : ······× × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

जितने भी मानीय सदस्य स्थगन प्रस्ताव देते हैं यदि वह पूर्व में दिये गये थे आज से पहले तो उसके बारे में व्यवस्था यह है कि माननीय सदस्य मुझ से चैम्बर में मिलने का कष्ट करें। मेरी कोशिश यह होगी कि उनके स्थगन प्रस्तावों का सरकार की ओर से उत्तर आ जाय, उसके अध्ययन के पश्चात यदि मैं आवश्यक समझूंगा और विषय जन उपयोगी होगा तो उसमें वक्तव्य आदि भी दिलाये जायेंगे। लेकिन आप, माननीय सदस्य, जानते हैं कि इतनी लम्बी सूची होती है स्थगन प्रस्तावों की, पिछले तीन चार दिनों में कितने स्थगन प्रस्ताव आये उनमें से प्रत्येक की क्या स्थिति है, यह मेरे लिए तत्काल कहना सम्भव नहीं

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

है। इसलिए माननीय सदस्यों को कष्ट जरूर होगा लेकिन जब मैं अपने वैश्म में जाऊं तो कृपया मुझसे मिलें। जो माननीय सदस्य मिलते हैं वह अच्छी तरह से जानते हैं।

श्री कमलेन्द्रसिंह (बल्लभनगर) : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा तो रिजेक्ट कर दे आप!

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

मैं ऐसा निरंकुश अध्यक्ष होना नहीं चाहता कि सब को एक साथ रिजेक्ट कर दूं। यह कैसे रिजेक्ट कर दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो निरंकुश नहीं होना चाहते लेकिन सरकार को बनाना चाहते हैं आप।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं।

(व्यवधान)

मेरी बात सुन लीजिए। बैठ जाइये आप। आसन पैरों पर है।

ऐसा है, पहले के जिन स्थगन प्रस्तावों माननीय सदस्य अस्वीकृत करवा कर आज ही उनके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं तो उनको कष्ट तो होगा, कृपया एक चिट मेरे पास भेज दीजिए। जिन स्थगन प्रस्तावों में मैं देखूंगा कि सरकार से जानकारी ले करके सदन में वक्तव्य दिलाने की आवश्यकता नहीं है तो अधिक से अधिक 5 माननीय सदस्यों को मैं आज ही अवसर दे दूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक तो मैं होऊंगा।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया है कि लिख कर भेज दें। जब आज माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में बोल लेंगे उसके बाद में उन माननीय सदस्यों को अवसर दे दूंगा। इसमें क्या कठिनाई है। इतने में तो दो माननीय सदस्य बोल लिए होते।

श्री कमलेन्द्र सिंह : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर हो तो पाइन्ट आफ आर्डर होता ही नहीं है। पहली बात तो यह है। इसलिए आप बैठ जाइये। पाइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहते हैं तो अपनी इच्छा व्यक्त करें मेरे बैठने के बाद, मैं आपको अवसर दूंगा।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्ताव दिया था धौलपुर में 2.......

श्री कमलेन्द्र सिंह : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। जोधपुर हाउस के बारे में एक प्रिविलेज मोशन आपके सामने आया है......

श्री अध्यक्ष : प्रिविलेज मोशन अन्य भी आये हैं। आज आफ्टरनून में मैं विचार करके उनके सम्बन्धमें व्यवस्था दूंगा।

श्री कमलेन्द्रसिंह : इस सेशन में तो आ जायगा, यही एश्योरेन्स चाहिए।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, सदन के कई माननीय सदस्यों ने बहुत सारे प्रिविलेज मोशन आपके सामने रखे हुए हैं……

श्री अध्यक्ष : बहुत सारे दिये हुए हैं, यही तो मेरी कठिनाई है। बड़ा एक्स्ट्रा आर्डिनरी मोशन होता है, बहुत सारे दे दिये। मुझे अध्ययन करने में भी समय लगेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत सारे हैं, पिछले सेशन के भी शामिल हैं।

श्री नाथूसिंह : उनको भी लेंगे ?

श्री अध्यक्ष : निश्चित तौर पर लूंगा। मैं आज या कल में उन पर निर्णय दे दूंगा। मेरे ध्यान में है।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : कुमारी पुष्पा।

सुश्री पुष्पा जैन : धौलपुर जिले में पुलिस द्वारा दो व्यक्तियों को गोली से उड़ा दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूची दी थी। धौलपुर जिले में दो व्यक्तियों को पुलिस ने गोली से उड़ा दिया और बाद में डाकू होने की मनगढ़न्त कहानी गढ़ वक्तव्य दे दिया। इस विषय में मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : इसमें क्या स्थिति है मैं मालूम कर लेता हूं।

श्री सरीश शर्मा।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे डाक्टरों ने सलाह दी है खूब चिल्लाया करो, खूब बोला करो, आवाज खुल जायगी। मैं यहां के अलावा कहीं नहीं बोलता। आप यहां इजाजत नहीं देंगे तो कहां देंगे। मेरा इलाज तो करें।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इनका कहना है कि चिकित्सकों ने राय दी कि ज्यादा से ज्यादा ऊंची आवाज में बोला करो। आप यहां व्यवस्था से चुप करा देते हैं। इनका कहना है कि आप इनको अधिक से अधिक अवसर दें।

श्री अध्यक्ष : मैं इस बात का ध्यान रखूंगा।

श्री राज बहादुर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं अभी तक हाउस में कन्वेन्शन डवलप हो चुका था कि अगर स्थगन प्रस्ताव देने पर आप नामन्जूर करते हैं तो उस पर बोलने की अनिवार्य रूप से इजाजत दी जाती थी दो-दो मिनट। आज आपने यह फर्माया कि उसमें से कुछ का सलेक्शन होगा, चार या पांच को बोलने देंगे, बाकी को बोलने की इजाजत भी नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष : मेरी व्यवस्था को आपने ध्यान से सुना नहीं मालूम होता है। जो आज से पहले स्थगन प्रस्ताव दिये हुए हैं उनको अस्वीकार करवा करके माननीय सदस्य आज ही बोलने का अवसर लेना चाहते है, उस संबंध में मैंने कहा है। सबको

(श्री अध्यक्ष)

मैं अस्वीकार करके सभी माननीय सदस्यों आज ही अवसर दे दूं, यह मेरे लिये सम्भव नहीं है। इसलिये जो माननीय सदस्य अपने पुराने स्थगन प्रस्तावों को रिजेक्ट करवा करके आज ही बोलने का अवसर चाहते हैं वे कृपया लिख कर मेरे पास भेज दें। उनमें से पांच माननीय सदस्यों को मैं आज अवसर दे दूंगा, इतने ही को कल दूंगा। यह है व्यवस्था।

श्री दाऊदयाल जोशी : अब आपका प्रस्ताव है यूनानी······

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : परसों वाला प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : आप इस पर बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी करना चाहता हूं। आपने डिप्टी स्पीकर के चुनाव के संबन्ध में आज व्यवस्था देने के लिये कहा था

श्री अध्यक्ष : अभी तो व्यस्त हूं, थोड़ी देर में वापस पूछताछ कर रहा हूं इसके बारे में।

श्री महाराम चोधरी (नागौर) : जब तक चुनाव नहीं होगा, आप व्यस्त ही रहेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप व्यवस्था दे रहे थे इसलिये मैं बीच में बोलना नहीं चाहती थी। इसलिये अभी मैं आपसे अनुमति मांग रही हूं। माननीय कमला जी ने यहां पर एक असत्य सम्भाषण किया है। कमला जी ने अभी एक प्रश्न के बीच में उत्तर देते हुए कहा कि मुरलीपुरा विद्याधर नगर में मैंने स्कूल खोले। यह असत्य सम्भाषण किया है······

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इसको निरस्त किया गया। इस समस्या को आप अन्य किसी माध्यम से उठायें। मैंने यह निरस्त कर दिया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : प्रक्रिया के नियम 305 के अन्तर्गत······

श्री अध्यक्ष : मेरे लिये कठिनाई उपस्थित न करें कृपया बैठ जाय।

श्री दाऊदयाल जोशी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मन्त्री यहां पर लोगों को मिसगाइड करें······

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, कृपया बैठ जाय। आप अन्य अवसर की तलाश करें। मैं आपको अवसर दूंगा। माननीय सदस्या, बिराज जाय।

श्री दाऊदयाल जोशी : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य का विषय है कि यूनानी चिकित्सकों की हड़ताल के विषय को लेकर माननीय राज्य मन्त्री श्रीमान दिनेशराय डांगी ने सदन के सामने 23-3-83 को आश्वासन दिया था······

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : बहुत संक्षेप में बोलूंगा।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

आश्वासन दिया था कि यूनानी चिकित्सक अपना आन्दोलन वापस ले लें, मैं निश्चित रूप से कुछ मांगें उनकी स्वीकार कर रहा हूं। उनमें से कुछ मांगें स्वीकार की हैं। कुछ मांगें सदन के सामने पेश कर रहा हूं। बड़ा दुर्भाग्य है कि उन मांगों में से एक भी मांग......

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, मांगें कितनी हैं?

श्री दाऊदयाल जोशी : हैं तो 15-20, मैं चार पढ़ूंगा।

श्री अध्यक्ष : चार के बारे में ही बतायें, समय का अभाव है।

श्री दाऊदयाल जोशी : 23-3-83 को माननीय मन्त्री महोदय ने स्पष्ट रूप से घोषणा की थी कि आयुर्वेद विभाग के मन्त्री आयुर्वेदिक यूनानी कालेज, जयपुर के छात्रों के द्वारा......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपस में बात नहीं करें, माननीय सदस्य। माननीय महेन्द्रसिंह। आपस में बात नहीं करें, सदन में जिस कायदे से बैठा जाता है कृपया माननीय सदस्य इस तरह कायदे से बैठें।

श्री दाऊदयाल जोशी : आयुर्वेदिक यूनानी कालेजों को मान्यता दिलाने के लिये इन्डियन मैडिसन बोर्ड, राजस्थान के रजिस्ट्रार को केन्द्रीय बोर्ड से स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिल्ली भेजा गया है। माननीय मन्त्री महोदय कृपा करके बतायें......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : क्या दिल्ली भेजने के बाद राज्य सरकार का कोष व्यय कर देने के बावजूद आज तक इन्डियन मैडिसन बोर्ड ने यूनानी कालेजों को किसी प्रकार की मान्यता नहीं दी? माननीय मन्त्री महोदय कृपा कर के यह भी बतायें कि सहायता राशि के लिये आपने कहा है, कालेजों को सहायता अनुदान राशि में दुगनी तिगनी तक वृद्धि हम कर देंगे। इस प्रकार का आश्वसान मन्त्री महोदय ने सदन में दिया था। इसके साथ ही मन्त्री महोदय ने कहा था, जहां तक तीनों कालेजों की विश्वविद्यालय से सम्बद्धता का प्रश्न है, अध्यक्ष, राजस्थान इन्डियन मैडिसन बोर्ड, जयपुर, भारतीय चिकित्सा परिषद् नई दिल्ली के रजिस्ट्रार से दिनांक 11-3-83 को मिले तथा उन्होंने राजस्थान में चल रहे इन तीनों यूनानी कालेजों को मान्यता देने हेतु अनुरोध किया था। उन्होंने परिषद के सचिव को अवगत कराया कि इन्डियन बोर्ड, राजस्थान तथा प्रशासन ने कालेजों की परीक्षाओं को राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा कराये जाने का निश्चय किया है......

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज तक राजस्थान विश्वविद्यालय से 9 महीने बीत जाने के बाद भी किसी भी परीक्षाओं की बात नहीं की।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

तीसरा मेन मुद्दा है, पृथक् से भी उप कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा पत्र लिखा गया है जिसमें विश्वविद्यालय को यह निवेदन किया है कि इन तीनों कालेजों के प्रस्तावों छात्रों की मांगों को दृष्टिगत रखते हुए कालेजों की सम्बद्धता विश्वविद्यालय से स्थापित होनी चाहिये और समस्त परीक्षाएं इस वर्ष से विश्वविद्यालय द्वारा नियमित रूप से ली जायें। आशा है विद्यालय इस ओर विचार कर शीघ्र अग्रिम कार्यवाही करेगा।

माननीय अध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय ने पिछले 6 महीने से एक भी पत्र किसी मांग के सम्बन्ध में विभाग को अपने विभाग के द्वारा नहीं लिखाया। बड़ा दुर्भाग्य और आश्चर्य का विषय है कि राजस्थान के इतिहास में यूनानी के छात्रों ने कभी कोई आन्दोलन नहीं किया······

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, लगातार तीन सत्र से माननीय आयुर्वेद राज्य मन्त्री की अयोग्यता के कारण आयुर्वेद यूनानी छात्र बराबर 6 महीने से इनके दरवाजे पर घूम रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य और आश्चर्य का विषय है कि माननीय आयुर्वेद राज्य मन्त्री आज भी जब चार दिन से छात्र चिल्ला रहे हैं किसी भी वाजिब मांग को मान नहीं रहे हैं······

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से कहूंगा कि इस ओर ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष : आप ने एक अस्वीकार करवाया है, बूंदी में डकेती के सम्बन्ध में। उस पर भी दो मिनट में कह दें।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, बून्दी नगर में कानून की व्यवस्था बिलकुल बिगड़ी हुई है। लगातार हत्यायें हो रही हैं। पिछले जुलाई का महीने में पांच हत्यायें दो दिन के अन्दर बून्दी में हुई। अगस्त के महीने में दिन दहाड़े राज्य के वित्त मन्त्री के चुनाव में चोराहे पर सरे आम राजस्थान रोडवेज के 36,135 के कैश को ले जाते हुए चपरासी को दो मोटर साइकल सवारों ने घेर कर दिन के 11 बजे जबरदस्ती लूट लिया। सरे आम 11 बजे लूट कर डकेत लोग भागे। दुर्भाग्य और आश्चर्य का विषय है कि राजस्थान रोडवेज ने पूर्व में निर्णय लिया था जब भी कैश भेजा जायगा, कैश गाड़ी में भेजा जायगा, लगातार तीन महीने से राजस्थान रोडवेज आज तक कैश असुरक्षित रूप से एक चपरासी के साथ लेकर भेज रहा है। इसी तरह का घटना क्रम नैनवा में हुआ है। नैनवा के एस. एच. ओ. अश्वनी कुमार ने एस. पी. बून्दी को लिखा था······

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री दाऊ दयाल जोशी : एस. पी. बूंदी को लिखा था कि कृपा करके जब भी बैंक का कैश भेजा जाय किसी गार्ड के साथ भेजा

(श्री दाऊदयाल जोशी)

जाय, व्यवस्था के साथ भेजा जाय तो एक चपरासी उसके साथ भेजा जाय, सुरक्षा के साथ भेजा जाय····

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री दाऊ दयाल जोशी : लेकिन उसकी बात पर किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया····

श्री अध्यक्ष : बैठ जाय, माननीय सदस्य। इस तरह जिद नहीं होगी। माननीय सदस्य को आदेश दिया है कृपया बैठ जायें। अंकित नहीं हो।

श्री दाऊ दयाल जोशी : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य। बैठ जाय। श्री हरीश शर्मा।

श्री दाऊ दयाल जोशी : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। जयपुर में संचालित हो रही बसों के सम्बन्ध में।

श्री हीरा लाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बूंदी वाले स्थगन प्रस्ताव में मेरा भी नाम था।

श्री अध्यक्ष : वह घटना सदन में आनी थी, आ गयी। अब उस पर 10–15 माननीय सदस्य बोलना चाहें तो मैं इजाजत नहीं दूंगा। उस घटना के तथ्य सदन के समक्ष आ गये। अब मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री हरीश शर्मा : आर्डर।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय दो मिनट दे दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाय। यह कोई डिबेट तो है नहीं। माननीय सदस्य, नियमों से आप परिचित हैं। एक विषय पर पांच माननीय सदस्य बोलेंगे तो मैं इजाजत नहीं दूंगा। घटना सदन के समक्ष आना या लाना उचित समझा इसलिए एक माननीय सदस्य को उसकी इजाजत दे दी। वह कार्य पूरा हुआ। आर्डर प्लीज।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप खड़े हो गये।

श्री हीरालाल आर्य : जो तथ्य रह गये···

श्री अध्यक्ष : मैं इस तरह इजाजत नहीं दूंगा। श्री हरीश शर्मा। अव्यवस्था न फैलायें, माननीय सदस्य। मैं नाम से पुकारूंगा। ऐसा कोई अधिकार नहीं है। मेरी तरफ से माननीय सदस्यों को यह एक सुविधा दी हुई है और उस सुविधा का लाभ श्री दाऊ दयाल जी ने उठा लिया इसलिए वह चीज खतम हुई। आपका और कोई स्थगन प्रस्ताव हो तो बता दीजिए। उस पर इजाजत दे दूंगा। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा : पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने मुझे इजाजत दी।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No. 58

(58)

(श्री हरिश शर्मा)

15 मई, सन् 1983 तक जयपुर जैसे बड़े नगर में सिटी बसें चलती थीं किन्तु हमारे यातायात मन्त्री जी श्री जयकृष्ण जी ने × × × निश्चित रूप से तय करके इन सिटी बसों को बन्द किया है तथा मैटाडोर और मिनी बसों को चलाने की इजाजत दी। जब जयपुर की जनता ने संघर्ष समिति बना कर उनसे मुलाकात की तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा इनके शब्द सुन कर। इन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि जब तक मैं मंत्री हूं तब तक प्राइवेट बसें चलेंगी, मैं सिटी बसें चलाने नहीं दूंगा। इसका कारण एक ही था, जयकृष्ण जी का उद्देश्य एक ही था, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने भी देखा होगा कि मिनी बसें और मैटाडोर चलती हैं तो दुर्घटनायें बहुत करती हैं, ट्रैफिक कन्ट्रोल का कोई ध्यान नहीं रखती हैं और ओवर लोड सवारियां भरती है इस कारण कई भयंकर दुर्घटनायें होती हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थिति यहां तक है कि मेरे साथ एक बार तो दुर्घटना होते-होते बची। मुझे ध्यान आ गया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ हुआ ही है। मेरे सामने एक कन्डक्टर से एक औरत सवारी को छेड़ रहा था। उसको कौन टोके कि वह महिला को नहीं छेड़े। मन्त्री महोदय जयपुर की जनता की आवाज को भुला कर केवल अपनी जेब भरने के लिए प्राइवेट बसों को चलाने की इजाजत दे रहे हैं। आखिर यह वेलफेयर स्टेट है या प्राइवेट कम्पनी है। आखिर चीज क्या है। कौन सी गवर्नमेन्ट है, इसका भी निर्णय हो जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भी उन लोगों का जुलूस बाहर खड़ा हुआ है और वह मांग कर रहे हैं, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, यह ऐसा सब्जैक्ट है, ऐसा विषय है जिस पर गम्भीरता से विचार करके निर्णय लिया जाय कि यह हमारा काम है। हम समाजवाद की बात करते हैं, बीससूत्री कार्यक्रम की बात करते हैं उसके बावजूद प्राइवेट बसों को चला कर जनता को परेशान किया जा रहा है क्योंकि प्राइवेट बसों से दो काम होते हैं, एक तो प्राइवेट बसें चलाने से लाभ होता है। क्या लाभ होता है, यह आप मुझे बता दीजिए। दूसरा बताया कि बसें ज्यादा चलती हैं। जयपुर में आज जो बसों की स्थिति बनी हुई है, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत पुरानी बसें बनी हुई हैं। इस समय तक अगर आप देखें तो इन मिनी बसों और मैटाडोरों से आटोरिक्शा, तांगा, रिक्शा वालों की तो रोजी-रोटी ही खतम हो गयी, उनके पेट में छुरी घोंप दी है, उनके पेट पर लात मारी है। अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि क्या आपके दिल में रत्ती भर भी हमदर्दी है जनता के प्रति और उन गरीब लोगों के प्रति जो तांगा चलाते हैं दिन भर और अपने बच्चों को दूध भी नहीं पिला सकते? दिन भर रिक्शा चलाते हैं, उनका पेट दुःख जाता है फिर भी उनको सवारी नहीं मिलती है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री हरीश शर्मा : तो कृपा करके आप राजस्थान में ऐसा करें कि जिससे सरकार को भी लाभ हो। सिटी बसें चलाने में आपको क्या एतराज है? एतराज तो बता

(श्री हरीश शर्मा)

दीजिए ताकि सदन की भी समझ में आ जाय। मुझे अच्छी तरह मालूम है, सदन के अधिकांश माननीय सदस्य कहेंगे कि वह मैटाडोर बसों में मुर्गा बन कर जाते हैं और सीधे खड़े नहीं हो सकते। यह आपकी व्यवस्था है चूंकि आपको उनसे विशेष लगाव है। इतना ही कहना चाहता हूं।

धन्यवाद आपका।

श्री अध्यक्ष : श्री राम कंवार बैरवा।

श्री छीतर लाल आर्य (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर इस तरह से नहीं उठाते हैं, माननीय सदस्य।

श्री छीतर लाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने 5 तारीख को एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। आपकी व्यवस्था थी कि दूसरे दिन वह स्थगन प्रस्ताव आ जायगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वह नहीं आया। आपकी आज के लिए क्या व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष : नहीं आया तो उस पर और व्यवस्था करेंगे।

श्री छीतर लाल आर्य : मैंने अभी आपको लिखित में दिया है।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : 28–4–1983 को गुजराती मोहल्ले में रहने वाली महिला अलोलबाई की केकड़ी के जैन मन्दिर में हत्या हुई, लेकिन हत्यारे का आज तक कोई पता नहीं लगाया...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, लिख कर दें, उस समय केवल अपने सिगनेचर ही न करें, मैं उनको पढ़ नहीं सकता। माननीय सदस्य, अगर उस पर अपना नाम अंकित कर दें तो मुझे सुविधा होगी। कृपया अपना नाम स्पष्ट लिखा करें उसके बाद में उस पर अपने सिगनेचर करें।

श्री छीतर लाल आर्य : मैंने तो स्पष्ट लिख कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव किस विषय पर है ?

श्री छीतर लाल आर्य : अलवर क्षेत्र थाना में पुलिस इन्सपेक्टर द्वारा महिला के साथ बलात्कार के सम्बन्ध में, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : 5–9–1983 को दिया है। हमारे पास कई स्थगन प्रस्ताव आते हैं। अगर आप उस पर विषय लिख देते तो मैं आपसे नहीं पूछता कि काहे के बारे में है। अभी थोड़ी देर बाद में आप मुझे बता देना।

श्री राम कंवार बैरवा।

श्री रामकंवार बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, तारीख 28–4–1983 को गुजराती मोहल्ले में रहने वाली महिला अलोलबाई की जैन मन्दिर में हत्या कर दी गई।

(श्री रामकंवार बैरवा)

तकरीबन 5 महीने बाद भी उस हत्या का आज तक कोई सुराग नहीं मिला। इस कारण उस मोहल्ले में, विशेष कर पूरे केकड़ी कस्बे और शहर में भारी रोष है कि इतने बड़े कांड के अपराधियों को अभी तक पुलिस नहीं ढूंढ पायी है। अनेक लोगों द्वारा शक सुबहा किया गया है। मेरा आपसे अनुरोध है, पुलिस को कड़ी हिदायत दी जाय कि इस प्रकार की हाथी निगलने वाली जैसी बात हो, पुलिस गहराई और सतर्कता से काम नहीं करे और हत्याओं को प्रकाश में नहीं लाये तो आम नागरिकों की सुरक्षा का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इसी प्रकार अगर व्यवस्था चलती रही, पुलिस पर से दिन प्रतिदिन आम नागरिकों का विश्वास उठता चला जायगा। विशेषकर आज चाहे कितनी भी भी कानून के दायरे की सच्चाई की बात हो लेकिन पुलिस एक ऐसा विभाग बनता जा रहा है कि सही हालत रोशन कराने में ही लोगों को काफी धनराशि खर्च करनी पड़ती है, फिर सच्चाई रोशन नहीं होकर जो गुनहगार हैं वह किसी प्रकार भी बच निकलते हैं या पुलिस द्वारा उनको बचाव का रास्ता बताकर बचा दिया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री राम कंवार बैरवा : इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की आप हिदायत दिलायें कि अलोल बाई की जो हत्या हुई है उसके हत्यारे का शीघ्र से पता लगाया जाय और हत्यारे का दण्ड दिया जाय ताकि उस शहर में जो···

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य। कह दी अपनी बात।

श्री राम कंवार बैरवा : आतंक है वह समाप्त हो सके।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम चौधरी, स्कूलों में अध्यापकों की कमी के बारे में।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्थगन प्रस्ताव इसलिये देना चाहता था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो अध्यापकों की कमी होती है उसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र के लड़के प्रारम्भ से कमजोर रहे जाते हैं। इस कमजोरी का उनको आखिर तक सामना करना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : इतनी चौड़ी बात नहीं कहें। अध्यापकों का अभाव है, कौन-कौन सी जगह पर है, यह बतायें कृपया।

श्री महाराम चौधरी : वही कह रहा हूं।

मैं सिर्फ एक ही जगह का 15 अगस्त, 1983 का खींवसर के एक स्कूल का उदाहरण देकर बताना चाहता हूं कि करीब-करीब नागौर जिले के मिडल, सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूलों के अन्दर पौने दो सौ मास्टरों की कमी है। खींवसर गांव में उच्च माध्यमिक विद्यालय काफी अर्से से चल

(श्री महाराम चौधरी)

रहा है और 15 अगस्त से व्याख्याता भौतिक शास्त्र का रिक्त स्थान है। 15 अगस्त, 1983 से व्याख्याता रसायन शास्त्र, व्याख्याता गणित, संस्कृत, अध्यापक थर्ड ग्रेड, शारीरिक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला सेवक के स्थान रिक्त हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उदाहरण देकर मेरा यह निवेदन करना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इतने स्थान मास्टरों के रिक्त रह जाते हैं इनकी पूर्ति नहीं कर ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की अवहेलना की जा रही है। स्थगन प्रस्ताव देने के पहले मैं शिक्षा मन्त्री महोदय को निवेदन कर चुका हूं। मैंने लिखित में तीन पत्र भी दिये थे कि ग्रामीण क्षेत्र में अध्यापकों की नियुक्ति एवं रिक्त स्थानों की पूर्ति प्राथमिकता देकर की जाय जिससे ग्रामीणों के लड़कों की शिक्षा सुचारु रूप से हो सके।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमारे नागौर जिले का यह हमेशा से दुर्भाग्य रहा है कि इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स नागौर जिले में कोई लगना नहीं चाहता। अध्यक्ष महोदय, अगर इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स का स्थान रिक्त रहता है तो मास्टरों के रिक्त स्थानों की पूर्ति भी नहीं हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : बात कह दी, माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण कीजिये। आर्डर।

श्री हीरालाल आर्य।

श्री महाराम चौधरी : इसलिए मैं आपकी मार्फत सदन को....

श्री अध्यक्ष : समय न लें। माननीय सदस्य, बैठ जायं।

श्री महाराम चौधरी : इसलिये इसकी पूर्ति तुरन्त करायी जाय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर। बैठ जायं।

श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 23-7-83 को पीपल्दा क्षेत्र के ग्राम हरिपुरा में ××× जो वहां का सबसे धनी व्यक्ति है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर। किसी का नाम नहीं लें। जो इस तरह के मानहानिकारक मसले हैं उनमें यह कह सकते हैं–एक व्यक्ति।

यह नाम हटाया जाय कार्यवाही से।

श्री हीरालाल आर्य : इसके व्यक्ति बबूल का पेड़ काट रहे थे। उस गांव के कुछ लोगों ने बबूल का पेड़ काटते हुए देखा। इन्होंने उनसे पूछा, आपने क्या अनुमति दी है पेड़ काटने की? उन्होंने कहा, ली है या नहीं ली है तुम्हें क्या मतलब है? इन्होंने कहा, भाई बबूल काटना अपराध है। इन्होंने इसकी सूचना तहसीलदार को दी।

××× नाम माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हीरालाल आर्य)

श्री अध्यक्ष : बबूल कितना जाड़ा था ?

श्री हीरालाल आर्य : बहुत बड़ा पेड़ था।

जब वापस लौट रहे थे....

श्री अध्यक्ष : एक एक बबूल का केस यहां आयगा तो कल्याण हो जायगा।

श्री हीरालाल आर्य : इसके साथ दूसरी घटना है, अध्यक्ष महोदय।

जब ये लोग वापस लौट रहे थे तो इस धनिक व्यक्ति के कुछ लोगों एवं इसके परिवार के लोगों ने मिल कर इन पर आक्रमण किया, इनको मारा पीटा। इतना ही नहीं, इनकी शिकायत उल्टे थाना इटावा में की। चूंकि वह धनी व्यक्ति था उसने थानेदार को पैसा दिया। वहां के थानेदार, ए. एस. आई. हैड कांस्टेबल और 27 सिपाही उस गांव में पहुंचे। गांव में पहुंच कर उन्होंने गांव को घेर लिया। इसके बाद जिन लोगों के खिलाफ इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करायी थी, वह 12 लोग हैं। जिनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी उनको ढूंढ़ा, उनके घरों की तलाशी ली। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। घरों में घुस गये, तलाशी ली। जब वे वहां पर नहीं मिले तो दूसरे गांव में गये। उस गांव में जाकर इसी तरह तलाशी ली। वहां उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा। फिर पास में ही बमारो कलां गांव में गये। वहां भी घरों में तलाशी ली। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। सारे गांव में भय और आतंक का वातावरण बना दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से एक धनिक व्यक्ति की झूठी रिपोर्ट पर एक थानेदार अपने दल बल सहित, 28 सिपाहियों को लेकर गये, उन्होंने गांव को घेर लिया, गांव में रात को जाकर घरों की तलाशी ली, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करे, गांव में भय का वातावरण पैदा कर दिया इसलिये पुलिस दल और....

श्री अध्यक्ष : यह साधारण कानून और व्यवस्था का प्रश्न है। दो दलों के बीच में कोई विवाद है तो....

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य दो दलों का नहीं, अध्यक्ष महोदय, पूरे गांव के लोगों में ही नहीं पूरे क्षेत्र के लोगों में पुलिस के इस जुल्म से भय और आतंक का वातावरण बना हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर। समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : जो सारे क्षेत्र में पुलिस ने ज्यादती की, जो पुलिस ने भय और आतंक मचाया उसके खिलाफ पूरे क्षेत्र में रोष है। अतः मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस पुलिस ने उस गांव में भय और आतंक मचाया, पूरे क्षेत्र के लोगों को दंडित करने की कोशिश की उस पुलिस के एस. एच. ओ., ए. एस. आई. हैड कांस्टेबल और सिपाहियों के खिलाफ कार्यवाही करें। ताकि पुलिस जुल्म के

(श्री हीरालाल आर्य)

कारण लोगों में जो भय और आतंक फैला हुआ है वह समाप्त हो सके ।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य । आर्डर प्लीज ।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) कालेज में कृषि और विज्ञान विषय खोलने के बावजूद आवश्यक उपकरण न होने के विषय में । संक्षेप में कृपया ।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सवाई माधोपुर कालेज में उपकरण के अभाव के सम्बन्ध में आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा । गत तीन वर्ष पूर्व सवाई माधोपुर कालेज में साइन्स और बायलोजी विषय खोला । तीन वर्ष समाप्त होने के बावजूद अब तक विद्यार्थियों को साइन्स का प्रेक्टिकल करने के लिये पर्याप्त मात्रा में जो इन्स्ट्रूमेंट्स होने चाहिये थे वह नहीं मिल पाये । इसलिये विद्यार्थी समय पर अपनी परीक्षा देने में असमर्थ रहे । जितने अंक प्राप्त करने चाहिये थे वह नहीं कर पाये । वहां इस प्रकार की अव्यवस्था चलने की वजह से विद्यार्थी परेशान है इसलिये उपकरणों की व्यवस्था की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमारे क्षेत्र में उसी कालेज में एग्रीकल्चर विषय खोला है । एक साल व्यतीत हो गया क्लासेज चालू हो गई; पढ़ाई प्रारम्भ हो गई, प्रथम वर्ष की परीक्षा लोगों ने दी लेकिन वहां आज तक भी कृषि से सम्बन्धित जो यंत्र होने चाहिये थे वह यंत्र नहीं गये और न ही एग्रीकल्चर की पढ़ाई कराने वाले लेक्चरार की नियुक्ति की गई । इस कारण उस कालेज में इस वर्ष प्रथम वर्ष की जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है उन सारे के सारे विद्यार्थियों का सप्लीमेंट्री आया । इसका कारण यह था कि विद्यार्थियों को जो एग्रीकल्चर का प्रेक्टिकल करना था वह यंत्रों के अभाव में नहीं कर सके । सारे के सारे विद्यार्थियों का उस सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आया । उसका परिणाम यह रहा कि एग्रीकल्चर कालेज, सवाई माधोपुर से जिन विद्यार्थियों ने प्रथम वर्ष की परीक्षा दी थी द्वितीय वर्ष में एक भी विद्यार्थी में नहीं जा सका । मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि विद्यार्थियों की इस समस्या को मद्देनजर रखते हुए और कालेज की व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए यंत्रों की जो कमी है उसकी पर्याप्त मात्रा में पूर्ति की जाये ताकि विद्यार्थी अध्ययन कर सकें ।

श्री अध्यक्ष : डा० उजला अरोड़ा । आपका एक पहले का स्थगन प्रस्ताव है, बरसात के कारण सड़कों पर मिट्टी आने के बारे में । और एक आज का है, आवासन मंडल के बारे में । कृपया संक्षेप में अपनी बात कह दें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान हाउसिंग बोर्ड के जो मकानात बने हैं या दिये जा रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : कल काफी चर्चा हो गई थी ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कुछ बातें रह गई थीं। उन पर मैं प्रकाश डालूंगी।

श्री अध्यक्ष : हां, जो बातें रही हुई हैं उन पर कहें। वरना ऐसा है कि सदन के नियम इस तरह के हैं कि जो विषय एक बार चर्चा में किसी माध्यम से आ जाता है तो यह मान लिया जाता है कि सदन ने उस विषय पर विचार विमर्श कर लिया। इसलिये वापस यह विषय आता ही नहीं है। यह नियम नहीं है कि कल उस माननीय सदस्य ने इस विषय को रखा था आज मैं रख रहा हूं। इस तरह तो एक विषय दो सौ बार आ सकता है। इसलिये नियम है। जिस विषय पर विस्तार से सदन में चर्चा कर ली गई थी कल उसमें कुछ बच गया हो, कोई भूल रह गई हो तो आप बता दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आवासन मंडल के जो मकानात बने हैं, जो खराब बने हैं गलत बने हैं, टपक रहे हैं, टूट रहे है, 81 में गिरे, 82 में गिरे, 83 में गिरे उनका पेमेंट आवासन मडल ने कर दिया। मैं समझती हूं, ठेकेदारों को दंडित किया जाना चाहिये। उनको दंडित न करके उन्हें पुरस्कार राशि दी गई। जो मकानात टपक रहे हैं, मैं समझती हूं, उनका सर्वे किया जाय। हाउसिंग बोर्ड के मकान मिलते ही जिनमें दरार आ गई, पट्टी टूट गई उनको अपने खर्चे से ठीक कराना चाहिए।

इतना ही नहीं, मान्यवर, 1000 मकान बने वन विहार योजना में 1000 से ज्यादा बने, मैंने तो गिने नहीं, लेकिन सात वर्षों में एक का भी आवंटन नहीं किया गया और मकानों की कीमत बढ़ा दी। अब वे कहते हैं इतने में नहीं इतने में देंगे। 13 हजार के 46 हजार हो गये, 46 से 86 हजार हो गये। मान्यवर, एक कमेटी हाउसिंग बोर्ड की बनायी है उसकी सलाह पर वितरण किया जा रहा है। जो पैसा देते हैं उन्हें तो प्लाट मिल जाय और जो पैसा नहीं देते हैं उसको कोई प्लाट नहीं। इतने गलत ढंग से मामले अपनाए जा रहे हैं। कल इन मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई थी मैं कुछ मामले आपको बताना चाहूंगी। अभी कल रामकंवारजी कह रहे थे कि दो घण्टे में मकान मिल गया, 73 तक की लाटरी अब तक नहीं खुली, मन मर्जी से काम करते हैं, किसी की तो मुट्ठी में दबाकर लाटरी खुल जाती है और जो पसे नहीं टिकाता उसकी लाटरी ही नहीं खुलती, यह एक भ्रष्टाचारी विभाग ऐसा हो गया और जब से इसमें वर्तमान मंत्री आए हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप इस तरह की आरोपबाजी करेंगी और बहुत ही अधिक विवाद के विषय उठाएंगी तो फिर कई प्रश्न आ जायेंगे।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : सही है, फर्जी लाटरी निकाली जाती है, माननीय अध्यक्ष महोदय!

श्री अध्यक्ष : सही है, गलत है, पर अपने यहां इस तरह की प्रक्रिया है। अब आपका ही प्रश्न था, उस पर विस्तृत चर्चा हो गई थी।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वहां मेन होल खुले पड़े हैं। उनमें बच्चे गिर गिर मर रहे हैं। हाउस टैक्स लेने पर भी कोई सुविधा नहीं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। दूसरे विषय पर नहीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आवासन मण्डल ने अपनी योजनाओं को लेकर लोगों को मारने का धन्धा बना लिया है। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार को आगाह कीजिये इसको अगर मकान देने है तो ठीक प्रकार दे, समय पर दे, वाजिब पैसा लेकर दे, योजनाओं की क्रियान्विति करे नहीं तो यह धन्धा छोड़ दें। प्लाट की 46 हजार की कीमत 86 हजार हो गई। फिर भी अभी तक लोगों को प्लाट नहीं मिले।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्या। अब आप सड़कों पर मिट्टी आने के विषय पर आ जायें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं निवेदन करना चाहती हूं, इस भ्रष्टाचारी महकमे को आप आगाह करें, यह अपनी गलत नीतियों से बाज आये और अलग अलग कमेटी बनाकर पैसे लेने का धन्धा कर रहा है उससे बाज आये। इसने शापिंग सेन्टर खोले हैं। करीब 52 दुकानें मालवीय नगर में हैं उनका आवंटन हो गया, वहां लोग रहेंगे तो उनको सब्जी चाहिये और सब चाहिये। उनसे पैसे मांग रहे हैं। 10-10, 20-20 हजार रुपये दो तो आपको दुकान देंगे वरना दुकान नहीं देंगे। तो इस प्रकार के मामले की ओर ध्यान कर्षण करने के लिये सदन के सामने यह मसला रखा है। यह स्थानीय महत्व का प्रश्न है इसके सम्बन्ध में आप आगाह करें।

श्री अध्यक्ष : अब वर्षा के जल से सड़कों पर मिट्टी आने के सम्बन्ध में आपका एक और स्थगन प्रस्ताव है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, अभी मार्च-अप्रेल में बरसात आई उससे सड़कों पर मिट्टी आई। नाहरी के नाका में चन्द्रशेखर की बगीची का पाइप टूटा था 1981 में और 81 से निरन्तर मिट्टी आ रही है। अध्यक्ष महोदय, आप अगर चान्दपोल बाजार जायें तो देखेंगे कि सड़कों पर टीले लगे हुए हैं। नालियां बन्द हो गई हैं। दुकानों में 3-3 फीट मिट्टी भरी हुई है। बाबा हरिश्चन्द्र मार्ग, चौपड़ के करीब, खजाने वालों के रास्ते में मिट्टी भर गई है, तोपखाना देश में गटर मिट्टी से भर गये हैं। अजीब व्यवस्था हो गई है। टोडरमल मार्ग, बनीपार्क में मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं। वहां से मंत्री महोदय निकलते हैं, लेकिन इनका उस ओर कोई ध्यान नहीं। ये मंत्री तो दूसरे विभाग के भेड़-ऊन के हैं, सफाई करवा तो सकते हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं। आगे हीरा मार्ग, टोडरमल मार्ग, कबीर मार्ग, माधोसिंह

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

सर्किल, खेतड़ी हाउस, सीकर हाउस, नाहरी का नाका, हाउसिंग बोर्ड और मैं समझती हूं, गलता घाटी के इधर रामचन्द्रजी की चौकड़ी के बाहर का मार्ग, टोटल शहर मिट्टी से भरा पड़ा है। इस सरकार को कैसे आगाह करें। हमने नगर परिषद् और जिला परिषद् के लोगों से कहा। वे कहते हैं, यह हमारा काम नहीं। विकास विभाग को कहा, वे कहते हैं हमारा काम नहीं, वहां बान्ध कब बनेगा....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। सुनाई नहीं दे रहा। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वह चाहते हैं कि मिट्टी आयगी तो ठेकेदारों को ठेका देंगे और मिट्टी उठाने के काम में पैसा आयगा....

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : पाइन्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर मंत्री महोदय यहां हैं नहीं। उनके भाई को ठेका दिया है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। भेड़ पालन मंत्री या पशुपालन मंत्री अपने भाई को, किसी को ठेका दे, मुझे कोई एतराज नहीं लेकिन मेरी अर्ज है कि लोगों की मृत्यु का ठेका तो न दें। लोग परेशान हैं, वहां से निकल नहीं सकते।

(व्यवधान)

श्री चतुर्भुज : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं दो मिनट में पूरा कर रही हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या बैठ जांय। पाइन्ट आफ आर्डर। आपका भाषण समाप्त हुआ।

श्री चतुर्भुज : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। अभी वर्षा के पानी से मिट्टी आने पर चर्चा हो रही थी। यह विधान सभा है न कि जयपुर की कोई चौपड़ का चौराहा....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, आप जनता के कष्ट नहीं समझ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जायं। अंकित न हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ×××

श्री अध्यक्ष : श्री छीतरलाल आर्य। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत ग्राम सवाई में....

श्री छीतरलाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पंचायत समिति अटरू में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत लगने वाले पशु क्रय शिविर, सवाई में 11-1 83 को बैंक द्वारा फर्जी रूप

×××माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री छीतरलाल आर्य)

से भुगतान किया गया, इसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। ग्राम पटना के 23 व्यक्तियों × × ×

श्री अध्यक्ष : नाम किसी का न लें। नाम अंकित न हो।

श्री छीतरलाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ चयनित व्यक्तियों को फर्जी बैल जोड़ी दिखा कर वहां के स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के शाखा प्रबन्धक ने जिला विकास अधिकारी और पशु चिकित्सक की बिना सहमति प्राप्त किये राशि का फर्जी भुगतान किया है।

एक माननीय सदस्य : यह राजस्थान सरकार का, जनता का माल है। जो भ्रष्टाचार होता है उसके लिये बोलेंगे, हम इसलिये आये हैं यहां पर....

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : आप बैठे बैठे क्यों पैरवी कर रहे हैं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष इनको बाहर निकाला जाय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर। कृपया बैठ जायं। आप संक्षेप में अपनी बात कहें। कृपया बैठ जायं।

श्री छीतरलाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता के साथ भ्रष्ट अधिकारी भ्रष्टता कर रहे हैं इनको रोकना हमारा दायित्व है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस गांव में यह फर्जी बैल जोड़ी दिखा कर कांग्रेसी प्रधान के गांव में बैंक शाखा प्रबन्धक ने राशि का घोटाला करने के लिये फर्जी भुगतान किया, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारियों को तुरन्त निलंबित किया जाना चाहिये और इसकी जांच होनी चाहिये। इसमें जो गबन किया है उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि उस शाखा प्रबन्धक के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री अनंगकुमार।

श्री छीतरलाल आर्य : मैंने 5 तारीख को लिखित में भी दिया है। उस पर पांच मिनट बोलूंगा, अध्यक्ष महोदय!

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठ जायं, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री तेजपाल यादव (चौमू) : एक गरीब आदमी भी सरपंच बन सकता है।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री तेजपाल यादव : × × ×

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किये गये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

आपका विषय क्या है 5 तारीख का ?

श्री छीतरलाल आर्य : अजमेर में अलवर गेट थाने में एक पुलिस इन्स्पेक्टर द्वारा एक महिला के साथ बलात्कार किया गया है, इस सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष : कृपया विराज जायं। ऐसा है मानहानिकारक मामला है। यदि इसमें कुछ सच्चाई है, तो सरकार से जानकारी आने दीजिये। मैं इस पर इजाजत नहीं दूंगा। पहले सरकार से जानकारी लेकर के तत्पश्चात निर्णय लिया जायगा।

श्री अनंगकुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले में जंगलों की जमीन पर नाजायज कब्जा किया जा रहा है और पेड़ों को काटा जा रहा है, इसके बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया था। स्थगन प्रस्ताव देने का मेरा मकसद यह था कि बीस सूत्री कार्यक्रम से यह सरकार बंधी हुई है और उसके अन्तर्गत काम करना चाहती है। उसमें एक सूत्र यह भी है—जंगल में मंगल। इस सूत्र के माध्यम से लाखों, करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। दूसरी ओर जो पुराने पेड़ हैं जंगलों में उनको कुछ लोगों द्वारा काटा जा रहा है। इसकी कोई रोकथाम सरकार द्वारा नहीं की जा रही है और न सरकार की ओर से कोई ध्यान दिया जा रहा है। आज नये वन लगाने में लाखों, करोड़ों, रुपया खर्च किया जा रहा है वह पेड़ बड़े बनने में काफी समय लगता है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप समस्या पर आ जायं। भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अनंगकुमार जैन : मैं वैसे ही बहुत कम बोलता हूं।

झालरापाटन तहसील के अन्तर्गत देनाल और अमरसिंहपुरा के पास जंगलात की भूमि करीब 1000 बीघा पड़ी हुई है। कुछ व्यक्तियों ने गिरोह बना कर 250 बीघा जमीन पर उगे हरे भरे पेड़ काट लिये और उस पर काश्त करना चालू कर दिया है। वह जंगलात की जमीन है। उस जमीन पर वर्षा के दिनों में आस पास के 10–15 गांव के मवेशी चरते थे। उन गांव के लोगों ने इस पर एतराज किया तो जिन चार-पांच लोगों ने इस जमीन पर काश्त की उन्होंने बन्दूकें लेकर उन लोगों पर फायरिंग किया और इन लोगों को वहां से भगा दिया। मेरा इस स्थगन प्रस्ताव से राज्य सरकार से यह निवेदन करना है कि जो जंगलात की जमीन पड़ी हुई है, जंगल की जमीन के पेड़ जिन्होंने काट लिये हैं और उस पर काश्त कर ली है वह 250 बीघा जमीन है। यदि उनको नहीं रोका गया तो बाकी की जो जमीन पड़ी है उस पर भी दूसरे लोग काश्त करेंगे। एक ओर हम बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत नये वन लगा रहे हैं दूसरी ओर जंगलों की कटाई हो रही है, उस पर काश्त की जा रही है, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री फते सिंह। बांसवाड़ा, तहसील कुशलगढ़ में कुछ लोगों द्वारा जंगल काटने के विषय में।

(अनुपस्थित)

श्रीमती विद्या पाठक। फैलती बीमारियां आदि के सम्बन्ध में।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, आज सारे राज्य में अनेक तरह की ऐसी बीमारियां फैल रही हैं जिनके लिये सरकार यह क्लेम करती है कि यह बीमारियां घटने लगी हैं और कम होने लगी हैं। छोटे से शहर सांगानेर में तपेदिक के इतने केसेज पिछले एक वर्ष में रजिस्टर हुए हैं कि यह एक बहुत बड़ा चिन्ता का विषय होना चाहिये। जयपुर शहर में हैजा, खसरा वायरल बीमारियां बहुत जोर पकड़ रही हैं। अलवर में भी हैजे के अनेक केसेज पिछले सप्ताह में रिपोर्ट किये गये हैं। चूरू और अन्य आसपास के क्षेत्रों में अडल्ट्रेशन की वजह से ड्राप्सी के बहुत से केसेज रिपोर्ट किये गये हैं। जोधपुर डिविजन में भी अभी मार्च-अप्रेल में पेचिश, आंत्र शोथ, उल्टी, खसरा, ओरी आदि कई तरह की बीमारियां हुई हैं। राजस्थान में मलेरिया बहुत जोरों से जोर पकड़ रहा है। कोई घर ऐसा नहीं है जयपुर शहर के अन्दर, जयपुर शहर के बाहर और राजस्थान में, अधिकांशतः परिवार मलेरिया से आज ग्रस्त है। इन सारी बीमारियों को यदि हम देखें तो यह कोई ऐसी बीमारियां नहीं हैं जो स्वतः ही कोई वायरल रही हों। यह सारी बीमारियां सरकार की अव्यवस्था की वजह से, गंदगी की वजह से और दवाइयों के उपलब्ध नहीं होने की वजह से हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार में एक विभाग बना हुआ है। मलेरिया उन्मूलन विभाग है। लाखों रुपये की ग्रान्ट हमें केन्द्र से प्राप्त होती है और मिल भी रही है। परन्तु आपको आश्चर्य होगा कि वर्ष 1982–83 में राजस्थान में 84,863 केसेज मलेरिया के राजस्थान में एक वर्ष में हुए। उनमें से केवल 1972 में ही 75,320 केसेज हुए और 1 जून, 83 तक 11,543 केसेज मलेरिया के रिपोर्ट हुए हैं। अब मलेरिया फैलने के पीछे क्या कारण है, यह सदन को मालूम है, सरकार को भी मालूम है। तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। सारे गटर खुले पड़े हैं, मेन होल खुले पड़े हैं, नालियां गंदी पड़ी हुई हैं जिन सबमें मच्छर फैलते हैं। इसके अतिरिक्त दवाइयों का बहुत बड़ा अभाव राजस्थान में है। वाटर पाल्यूशन, जमीन के अंदर गटर और पेय जल की नालियां मिली हुई हैं। अनेकों जगह दूषित पेयजल प्राप्त हो रहा है। अडल्ट्रेटेड फूड के बारे में, विषय में सरकार की ओर से कोई बहुत बड़ी कार्यवाही यदि की गई है तो केवल यह कार्यवाही की गई है कि उसने निरीक्षकों के पद तो बढ़ा दिये हैं या निरीक्षकों के अधिकार बढ़ा दिये हैं। सरकार ने केवल यही एक कार्यवाही की है कि हर विभाग अपनी जिम्मेदारी दूसरे विभाग पर डाल रहा है। जब कभी बीमारियों की बात आती है तो सरकार यह कहती है कि अकाल राहत कार्य खोल दिये हैं। जब कभी बीमारियां, अडल्ट्रेशन की बात आती है तो यह कहा जाता है कि निरीक्षकों को अधिकार दे दिये गये हैं। मगर इसमें इतना पैसा आने के बावजूद,

(श्रीमती विद्या पाठक)

जब कि धन का कोई अभाव नहीं है, उसके बावजूद भी इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं। स्वास्थ्य रक्षा के लिये सरकार का सीधा कमिटमेन्ट है। दूषित पेयजल, मेडिसन की अव्यवस्था, दवाइयों का अभाव इस सारी की सीधी जिम्मेदारी सरकार की है जो सरकार पूरी नहीं कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने आज ही एक स्थगन प्रस्ताव मेनहोल के बारे में भी दिया है........

श्री अध्यक्ष : ऐसा है रिजेक्ट करवाने का अधिकार माननीय सदस्यों को यकायक प्राप्त नहीं हो सकता। मैं जिनको रिजेक्ट करना तत्काल आवश्यक समझता हूँ तो उसके बारे में व्यवस्था देता हूँ। अन्य के बारे में सरकार से सूचना मंगवाना आवश्यक समझता हूँ, तो सूचना लेकर तत्पश्चात् निर्णय लूंगा। आज के इस विषय पर मैंने आपको पूर्व में कहा आपका स्थगन प्रस्ताव था उसको रिजेक्ट करवाने का........

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष, बच्चे मर रहे हैं। जगह-जगह यह जो मेन होल खुले पड़े हैं सड़कों पर पता ही नहीं लगता है कि मेन होल कहां हैं, कीचड़ कहां है। कीचड़ के नीचे मेन होल हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था करूंगा। मैं इस पर सरकार से जानकारी ले रहा हूँ। आप इस तरह ले रही हैं जैसे जानकारी नहीं आयगी। जानकारी जरूर आयगी।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले........

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक गंभीर विषय पर स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : एक मिनट........

श्री देवी सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, विस्थापितों को बेदखल किया जा रहा है। दो मिनट में मैं अपनी बात कह दूंगा। अध्यक्ष महोदय, सन् 1971 के अन्दर जो विस्थापित भारत में आए थे।

श्री अध्यक्ष : समय न लें, माननीय सदस्य। मैं इस पर जानकारी मंगा रहा हूँ। गंभीर विषय है। सरकार से जानकारी ले रहा हूँ।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर।

श्री देवीसिंह भाटी : सरकार कल भाग रही है। हमारी कौन सुनेगा।.......

श्री अध्यक्ष : मैं जानकारी मंगवाऊंगा। आपने दिया है। दोनों ही गम्भीर विषय हैं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। श्री चाव खां। आपका क्या है? रिजेक्ट किया है?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। मैंने स्थगन प्रस्ताव मूव नहीं किया है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है आपके समक्ष कि जोधपुर में

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

16 पार्षदों पर कातिलाना हमला हुआ। उस विषय पर मैं आपसे चाहूँगा कि उस पर वक्तव्य दिलाएं।

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर जानकारी मंगवा लूंगा।

श्री चाव खां।

श्री चाव खां (कामा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने तारीख 5 को एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया था। मेरे क्षेत्र कामां के अन्दर इतना पानी भर चुका है कि वहां की सारी फसल नष्ट हो चुकी है। वहां पर लोगों ने 14.00 रुपये किलो तक का धान पंजाब से लाकर बोया। वह सब का सब खतम हो चुका है। और यह तबाही सरकार की तरफ से लायी गयी। हमारे यहां पर जो पानी निकालने का, पानी डालने का नाला है उसको रोका गया। बार बार कहने के बावजूद उस पर तख्ते डाले गये और पानी को रोक दिया गया जिससे कि पानी फैल गया आस-पास में। एक मिसाल के तौर पर हमारे मकान के ऊपर जो छत होती है उस पर कुछ मोरी बनाई जाती हैं उसका काम केवल पानी निकालना ही होता है। वहां पर जो नाला बना हुआ है उसका भी काम केवल पानी निकालने का था। वह पानी निकालने के लिये ही निकाला गया था। उसके अन्दर तीन रेगुलेटर्स सरकार ने लगाये। हमने बार बार कहा कि आप इस नाले को मत रोको। बरसात के दिनों में यह नाला खुला रहना चाहिए जिससे कि पानी बाहर निकल जाय। उस बात को नही माना और रेगुलेटर पर पट्टे डाल कर जनता को परेशान किया गया है। जनता को खतरे में डाल दिया गया है। वहां पर 8-10 फीट पानी चढ़ चुका है, फसलें तबाह हो चुकी हैं। हमारे क्षेत्र के सारे कुएं पूरे भर चुके हैं, पानी बाहर निकल रहा है। उसी पानी को लोगों को पीना पड़ता है जिस कारण औरत, मर्द, बच्चे, बूढ़े सब बीमार हैं और परेशान हैं। मैंने इस सम्बन्ध में बार बार जाकर मीटिंग में भी रखा, कलेक्टर से भी कहा, खुदा के लिये इस नाले को खोल दिया जाय। हजारों की तादाद में लोग परेशान हो रहे हैं। आफिसर को भी कहा, उसको खुलवाया जाय। लेकिन नही खुलवाया गया और उसमें तख्ते डाल दिये गये हैं। सरकार से दरख्वास्त है कि नाले को खुला रखा जाय, पानी निकाला जाय ताकि अगली फसल के लिये जमीन खाली हो जाय जिससे कि अगली फसल तो बरबाद न हो। लोग एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिये बाध्य हो रहे हैं। यही मेरी सरकार से दरख्वास्त है।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री भंवर लाल शर्मा : पाइन्ट आफ आडर।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है। कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं होगा।

Page No. 72

(72)

श्री फते सिंह (कुशलगढ़) : मेरा नाम आपने पुकारा था........

श्री अध्यक्ष : लेकिन आप उपस्थित नहीं थे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र
लेखा विवरण

श्रीमती कमला (ऊर्जा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 69 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल वर्ष 1981–82 का वार्षिक लेखा विवरण सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री अहमद बक्श सिंधी।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री अहमद बक्श सिंधी (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा 3 के भाग (बी) के अन्तर्गत हाईटेक प्रिसीजन लिमिटेड, जयपुर के संचालक मंडल का प्रतिवेदन एवं 30 सितम्बर, 1982 को समाप्त हुये वार्षिक लेखे सदन की मेज पर रखता हूँ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : श्री फते सिंह।

श्री फते सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया इसमें हकीकत यह है कि पिछली अप्रेल में पड़ी डकेतियों के मामले को पिछले वक्त में मैंने उठाया था। इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश के कुछ लोगों को राजस्थान में गिरफ्तार किया गया था। अप्रेल माह में पुलिस की कस्टडी में एक व्यक्ति, जो कि मध्य प्रदेश के गाँव का था, पुलिस की कस्टडी में मारा गया। मेरा यह कहना है कि मेरे यहाँ से जाने के बाद यह अखबारों में निकला और उसकी छानबीन हुई। आज स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के जंगलों में, कुशलगढ़ के जंगलों के क्षेत्र में जहाँ आदिवासी सामूहिक रूप से जंगलों की कटाई करते हैं वहाँ पर यह सुना जाता है कि मध्य प्रदेश के आदिवासी यह कहते हैं कि खून का बदला खून से लिया जायेगा। 26-8-83 का वाकया है कि वहाँ के जंगल के कुछ अधिकारी और एक सरपंच जंगल में गये थे उस समय 200 आदिवासी मध्य प्रदेश के वहाँ कटाई कर रहे थे। उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने सरपंच पर हमला किया और मारपीट की। साथ ही जिन लोगों को पकड़ लिया था उनको छुड़ा लिया। चार घंटे तक वहाँ पर संघर्ष हुआ और आपस में तीर, तलवार चली और पत्थरबाजी हुई। 4 घंटे के बाद में कुशलगढ़ थाने में रिपोर्ट लिखाई गई और उधर मध्य प्रदेश के थाने में भी रिपोर्ट लिखाई गई। दोनों तरफ की पुलिस आई। वहाँ पर अभी तक आतंक फैला हुआ है इसलिये अभी भी दोनों तरफ की पुलिस लगी हुई है। यह स्थिति बनी हुयी है, इस तरह का वातावरण बना हुई है। इस कारण लोगों का दोनों तरफ आना जाना बन्द है। जिन लोगों की एक दूसरे के यहाँ पर रिश्तेदारी है वे बड़े परेशान हैं क्योंकि उन लोगों ने कह रखा है कि खून का बदला खून, हमारा आदमी राजस्थान में मारा गया है इसलिये हम किसी न किसी को

(श्री फते सिंह)

मार कर रहेंगे। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वहां पर जो परिस्थिति है उसको देखते हुए दोनों सरकारें आपस में बैठ कर मसले को हल करें कि यह किन कारणों से हुआ। अगर वह आदमी पुलिस कस्टडी में मरा है तो मृतक के परिवार के लोगों को किसी न किसी प्रकार का मुआवजा आदि देकर शान्त करने की कोशिश करें। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि वहां पर वातावरण बड़ा खतरनाक है। आज भी तनाव बढ़ा हुआ है। राजस्थान की पुलिस लगी हुई है। मैं चाहूंगा कि उन गांवों के बीच में चौकी कायम की जाय। तभी वातावरण ठीक हो सकता है वरना लोग आपस में लड़ेंगे। आशा है सरकार इस ओर ध्यान देगी।

व्यवस्था का प्रश्न
सत्रावधि में विधान सभा की समिति या अन्य समिति की बैठक

श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल) : पाइन्ट आफ ऑर्डर। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा में आपके द्वारा, सरकार के द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि जब विधान सभा चलेगी उस समय ऐसी कोई सरकार की या विधान सभा की समिति की बैठक नहीं होगी जिसमें सदस्य को जाना आवश्यक हो....

श्री अध्यक्ष : इसमें पाइन्ट ऑफ आर्डर क्या है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : उसी पर आ रहा हूं।

मुझे यह सूचना मिली है कि कल कलेक्टर के कमरे में निर्वाचन विभाग की एक बैठक होगी आठ बजे। तो हम 11 बजे यहां पर आयें या वहां पर जायें।

श्री अध्यक्ष ; बैठक वगैरह में अगर एम. एल. ए बाहर से आता है तो तकलीफ होती है। आपको 8 बजे जाने में क्या परेशानी है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, तारीख 8 है समय तो 11.00 बजे का है। मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि विधान क्षेत्र हवामहल के मतदान केन्द्र की सूचियों पर विचार के लिए एक बैठक....

श्री अध्यक्ष : सूचना दे दी। इस पर विचार कर लूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : दूसरा यह है कि....

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क) : दूसरी तारीख रखी जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। नियमों के अनुसार ही काम होता है। इस प्रकार सब में....

(व्यवधान)

ऑर्डर ऑर्डर। पाइन्ट आफ आर्डर आपने उठाया वह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। इस तरह से सदन को कैसे चला सकते हैं।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज ।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो हम यह बात कहने कहां जायं ? यह कठिनाई कहां रखी जाय ?

हम 11.00 बजे यहां पर आयें या वहां पर जायें ?

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर विचार कर लूंगा ।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आपके ही हुक्म की उदूली हो रही है ।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया कि इस पर विचार कर लेंगे । इसके बाद क्या रह गया है ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कितनी बार विचार करेंगे ? कितनी बार सरकार से बात करेंगे ? आपका हुक्म नहीं मान रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर । साधारण विषय को विवाद का विषय न बनायें ।

श्री अमीन खां ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

किसानों को अच्छी महनत करने के बावजूद भी काश्त के पूर्ण लाभ की अप्राप्ति

श्री अमीन खां (शिव) : अध्यक्ष महोदय, इस साल राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में समय पर अच्छी बरसात हुई । बरसात अच्छी होने के सभी जगह बाजरी और ज्वार की फसल अच्छी तैयार हो रही हैं । लगातार पिछले चार सालों से रेगिस्तान में अकाल पड़ने की वजह से किसानों और पशुपालकों में नागोर या बाहर के जिलों से बाजरी की, कड़बी की कुतर ली वह बाड़मेर के इलाके में 65 रुपये प्रति क्विंटल आकर मिला ...

(1.20 म.प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

उस 65 रुपए की कुतर के खरीददार किसानों और पशुपालकों ने अपने जानवरों के लिए 65 और 70 रुपये की घास लेकर काश्त की । सभापति महोदया, उसके बाद में जब कुदरत ने मेहरबानी की, मैंने बाड़मेर के बाजार में सुना कि व्यापारियों द्वारा अभी से बाजरे की फसल निकलने के सौदे 80 रुपये प्रति क्विंटल के बोले जा रहे हैं जिससे आम काश्तकार के मन में बहुत बड़ी बेचैनी है । उनके तमाम आर्थिक हालात इस जमाने के आने के उपरान्त भी बहुत नीचे जा रहे हैं । क्योंकि जब आज 80 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बाजार में बोले जा रहे हैं, फसल अक्टूबर-नवम्बर में मंडियों में आयगी तो किसान को उम्मीद है कि 50 रुपये प्रति क्वि. में व्यापारी बाजरी को लेने के लिए तैयार नहीं होगा । किसान की हालत यह होगी कि अपनी जमीन का लगान, कोऑपरेटिव बैंक इत्यादि के लोन भी इस आये हुए जमाने की फसल से अदा नहीं कर सकते ।

(श्रीमती विद्या पाठक)

जिससे किसानों की हालत बहुत खतरनाक हो जायगी। गरीब किसानों के लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य का वर्ष भी आ सकता है। हमें अभी तक यह मालूम है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में कतई तैयारी नहीं की है। हम लोग सरकार से चाहते हैं कि जो रेगिस्तान के गरीब काश्तकार हैं, उनसे सरकार कम से कम 150 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बाजरी खरीद ले, सरकारी गोदामों में बाजरी का स्टॉक करे। इसके अलावा पिछली डेट से कम से कम यह तो व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए कि लगान या कोई और सरकारी वसूलियों में बाजरी की रेट कम से कम 150 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से चुकाई जाय। अगर किसान को 150 रुपये प्रति क्विंटल के भाव में पैसा नहीं मिलेगा तो किसान आये जमाने के बावजूद जिस तरह से अकाल में पीड़ित थे, उससे भी ज्यादा पीड़ित हो जायेंगे। यह मामला बहुत गम्भीर है। हर धंधे में अपन खुशी देखते हैं, कोई लोग तो बीमा योजना से लाभ लेते हैं। उद्योगपति और छोटी इण्डस्ट्रीज वालों को सब्सिडी मिलती है। मेरे ख्याल में, आप और हम सभी जानते हैं काश्तकार का यह एक ऐसा सौदा है, जिसमें वर्तमान व्यवस्था में उसकी मेहनत तक की किसी प्रकार की गारण्टी नहीं है। आज फेमिन में भी काश्तकार को 7 रुपये प्रतिदिन मजदूरी देना सरकार अपना फर्ज समझती है। इस तरह से आज बाजार में बाजरी के सौदे 80-85 रुपये तक तय किये गये हैं, इससे आप अनुमान लगा लें, एक काश्तकार को 2 रुपये दैनिक के हिसाब से भी मजदूरी नहीं मिले तो उस काश्तकार की हालत जैसी पिछले अकाल में रही है, उससे भी बढ़ कर हो जायगी। इसलिए, सभापति महोदया, मैं इस सदन की मार्फत और आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा, सरकार इस बात की घोषणा करे कि सरकार कम से कम 150 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों से बाजरी खरीदेगी। जिससे किसान अपनी मजदूरी मेहनत पर संतोष कर सके, उनकी हालत खराब नहीं हो और लगान और अन्य सरकारी वसूलियां समय पर चुका सकें। नहीं तो फसल मण्डियों में आने के बाद मैंने वहां की आमदनी का बाजरी ज्वार के हिसाब से पूरा अनुमान लगाया है आये जमाने के बावजूद 2 रुपये भी मजदूरी के हिसाब से भी काश्तकार के घर में नहीं जायगा....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

....जिससे काश्तकार बहुत ज्यादा बरबाद हो सकता है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, सभापति महोदया, इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार किसानों की है और किसानों के महत्वपूर्ण मसले को देखते हुए अभी से तैयारी करके ज्यों ही फसल मण्डी में आवे, 150 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कम से कम खरीदे वरना किसान बहुत ज्यादा डूब जायगा। यह सरकार की जिम्मेदारी है; इसलिये मैं, मंत्री महोदय, आप से चाहूंगा कि 150 रुपये प्रति क्विंटल अनाज खरीदने की सरकार व्यवस्था करे और गोदामों में, स्टॉक करके इसे बाजार में....

श्री महाराम चौधरी : सरकार कहां है किसानों की ?

(श्री महाराम चौधरी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोलिये।

श्री ग्रमीन खां : सभापति महोदया, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि बाजरा मध्य प्रदेश में बहुत होता है, गुजरात में भी होता है, मद्रास में भी होता है।

श्री सभापति : समाप्त करिये।

श्री ग्रमीन खां : राजस्थान के पश्चिमी इलाके में ग्रकाल पड़ता है ग्रौर वहां से बाजरा मंगा कर यहां के लोगों को खिलाया जाता है। लेकिन रेगिस्तान का बाजरा, राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है, कितना स्वादिष्ट ग्रौर मीठा होता है, गेहूं से भी ग्रच्छे विटामिन उसमें होते हैं।

श्री सभापति : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री ग्रमीन खां : कम से कम 150 रुपये क्विंटल के भाव से खरीदने के लिये तय करें। गेहूं की रेट बाजार में सस्ती है, लेकिन सरकारी रेट महंगी है। इसलिये हम लोग तो यही चाहते हैं कि किसान को पूरा पैसा मिले। इसलिए सरकारी रेट कम नहीं करेंगे। एफ. सी. ग्राई. की रेट भी 125 रुपये प्रति क्विंटल बाजरी की तय है। इस मामले की गंभीरता को लेकर चाहे राज्य सरकार ग्रपनी खुद की हस्ती से या भारत सरकार से सलाह मशविरा करके तत्काल 150 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदने की व्यवस्था करे। किसान बहुत ज्यादा चिन्तित हैं। सरकार का फर्ज है कि उनकी चिन्ता मिटाये ग्रौर उनको संतोष दे।

श्री सभापति : श्री रघुवीरसिंह कौशल।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : सभापति महोदया, यह मसला ऐसा है इस पर मैं कहना चाहूंगा। ग्रापकी इजाजत चाहूंगा, इस बारे में मुझे टाइम दिया जाय।

श्री सभापति : श्री रघुवीरसिंह कौशल।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : सभानेत्री महोदया, माननीय ग्रमीन खां जी ने सरकार का ध्यान ग्राकर्षित किया है कि चार साल ग्रकाल के बाद इस साल ग्रच्छी बरसात हुई इसलिए फसल के उचित भाव मिलने चाहिए। मुझे कहते हुए ग्रत्यन्त कष्ट है कि किसान मेहनत से ग्रपनी फसल पैदा करता है, उसमें सरकार का सहयोग किसान को नाम मात्र को भी नहीं मिलता है। कृषि मंत्रीजी बैठे हैं, वह जानते हैं कि उसको फसल पैदा करने के लिये ग्रच्छी खाद नहीं मिलती है। 102 नमूने खाद के लिए गये। वह 102 नमूने फेल हुए। सब स्टेण्डर्ड नमूने ग्राये लेकिन चालान दो का हुग्रा, 100 का चालान क्यों नहीं हुग्रा? जिस ग्रधिकारी की गलती है उसको दण्डित क्यों नहीं किया जाता? कीटनाशक ग्रौषधियों के सैकड़ों नमूने फेल हो गये फिर भी किसी का चालान नहीं किया। यह मिली भगत है। बीज के प्रकरण से हमारे कृषि मंत्रीजी ग्रच्छी तरह परिचित हैं। पिछली बार 40 लाख रुपये का बीज ग्राया, वह सारा का सारा खराब हो गया, खराब सिद्ध हुग्रा, यह उनकी जानकारी में है। इन्ववा-

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

यरी कमीशन बैठा, उसने भी सिद्ध कर दिया कि जितना संकर ज्वार का बीज आया, जो सीड कॉर्पोरेशन ने खरीदा, वह सारा बीज खराब आया है, कीटनाशक औषधियाँ अशुद्ध हैं।

श्री देवेन्द्रसिंह (राज्य मंत्री, कृषि) : माननीय सभापति महोदया, किस पर बोल रहे हैं ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं उसी पर बोल रहा हूं। आपको मालूम नहीं क्या कि किस चीज की आवश्यकता होती है ?

श्री देवेन्द्रसिंह : कॉल अटेन्शन मोसन दिया है। समय आयगा तब जवाब दे दूंगा।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं आप से जवाब नहीं ले रहा हूं।

श्री देवेन्द्रसिंह : जवाब देना चाहता हूं। यह क्या बात हुई।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

(व्यवधान

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवेन्द्रसिंह : माननीय सभापति महोदया, जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है उसके ऊपर तो ये बोल नहीं रहे हैं।]

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। कृपया आसन को सहयोग दीजिये, माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सभानेत्री महोदया, मैं यह बता रहा हूं कि किसान किन परिस्थितियों में फसल पैदा करता है....

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : शायद आपको पता नहीं है....

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : आपके विभाग द्वारा किसानों पर किये जा रहे अत्याचार....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कीजिये।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवेन्द्रसिंह : माननीय सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि कल इन्होंने काल-अटेन्शन दिया है खाद और बीज के सम्बन्ध में वह आपके विचाराधीन है। जब मैं काल-अटेन्शन पर जवाब दूंगा....

(श्री देवेन्द्रसिंह)

(व्यवधान)

जब इनका काल अटेन्शन आयगा तब मैं उसका जवाब दूंगा। आज जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है उसमें बाजरे की पर्चेज का प्रश्न है....

(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यह किसानों की फसल के प्रोडक्शन का प्रश्न है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। आसन की ओर से माननीय श्री रघुवीरसिंह कौशल को इजाजत दी गई है बोलने के लिये....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

मैं आपसे बार बार निवेदन कर रही हूं कि आसन से सहयोग कीजिये....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय मंत्री महोदय, आसन की ओर से श्री कौशलजी को अनुमति दी गई है। आपके पास जो जवाब है वह दे दीजिये।

श्री देवेन्द्रसिंह : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि ये क्यों बोल रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव खाद्य विभाग से सम्बन्धित है, बाजरे की खरीददारी का नहीं है। उसको उचित मूल्य पर खरीदा जाय इस पर काल-अटेन्शन है और इसी पर चर्चा हो रही है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बीच में न बोलें।

श्री देवेन्द्रसिंह : माननीय सदस्य बोल रहे हैं खाद के उपर, बीज की खरीद के ऊपर, पेस्टीसाइड की गड़बड़ी के ऊपर। मैं निवेदन कर रहा हूं कि उनका काल-अटेन्शन इस सम्बन्ध में दिया हुआ है उस पर जिस समय बोलेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। आज मैं जवाब देने की स्थिति में नहीं हूं। यह अन-रिप्लाइड चला जायगा। आज यह कुछ भी आरोप लगा दें।

(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आप जब वक्त आयगा तब जवाब देना। मैं आपका ध्यान जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदया, माननीय मंत्री महोदय....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज! कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। मेहरबानी करके आसन

Page No. 79

(79)

(श्री सभापति)

को सहयोग कीजिये। मैं आपको बार बार निवेदन कर रही हूं, आसन बार बार आपको निवेदन कर रहा है....

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, No interference please.

(व्यवधान)

Pleace co-operate with the chair.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदया, माननीय सदस्य आपकी आज्ञा से अपना भाषण कर रहे थे। माननीय मंत्री महोदय ने बीच में आब्जेक्शन किया है कि आउट आफ सब्जेक्ट बोल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है वह यह है कि किसानों को उनके माल का उचित मूल्य मिले। उचित मूल्य मिलना इसलिये आवश्यक है कि किसान कठिनाइयों में फसल पैदा करते हैं। माननीय सदस्य इसी विषय पर भाषण कर रहे थे कि बीज में कितनी कठिनाई है, पेस्टिसाइड में कितनी कठिनाई है, कितनी उनकी कीमत है। यह सब आउट आफ सब्जेक्ट किस प्रकार से है? कैसे कृषि मंत्री जी यह कह रहे हैं कि यह आउट आफ सब्जेक्ट है?

श्री देवेन्द्रसिंह : मैंने आपको थोड़े ही निवेदन किया है, मैंने तो आसन से निवेदन किया है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय मंत्री महोदय। Please continue.

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : आप अकेले देखकर दबा रहे हैं क्या?

श्री खेतसिंह राठौड़ (मंत्री, संसदीय कार्य) : एक नहीं दो बैठे हैं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : फिर जवाब दो ना। ये अकेले पिट रहे हैं।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदया, मैं आपकी आज्ञा से निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मुझे आज्ञा मिली है पहले। आप बैठ जायं। मुझे बोलने दे....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मेरा नाम पुकार लिया है....

श्री त्रिलोकसिंह : आपको मालूम नहीं है क्या?

श्री सभापति : माननीय सदस्य के भाषण में व्यवधान नहीं डालें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सभानेत्री जी, मैं यह निवेदन कर रहा था, हमारा दुर्भाग्य यह है कि मंत्री महोदय बिना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को पढ़े खड़े हो जाते हैं और हाउस का समय बर्बाद करते हैं। जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है वह है, किसानों को अच्छी मेहनत करने के बावजूद भी काश्त का पूर्ण लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर खाद्य एवं नागरिक रसद मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। तो इसमें बाजरा कहां से आ गया....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें। आसन को सम्बोधित करें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय सभानेत्री महोदया, परिस्थिति जो मैं बता रहा था उससे मंत्री महोदय का उत्तेजित होना स्वाभाविक था क्योंकि डिपार्टमेंट ××× है। वह कोई भी वस्तु किसानों को शुद्ध दिलाने की स्थिति में नहीं है। खाद अशुद्ध, कीट-नाशक अशुद्ध, दवाइयां अशुद्ध, बीज सारा का सारा अशुद्ध। इस साल कोशिश की होगी, कई लाख सैम्पल लेबोरेटरी में फेल हो गये। किसानों को कोई भी इनपुट शुद्ध नहीं मिलता। इसके बावजूद जो माल तैयार हो जाता है उसकी स्थिति क्या है? भारत सरकार ने चने का भाव तय कर दिया चने की सपोर्ट प्राइस 235 रुपये प्रति क्विंटल ली जायगी।

मैंने इसी विधान सभा में पिछले सत्र में यह प्रश्न रखा था, "क्या सरकार 235/– रुपये समर्थित मूल्य पर चने का मूल्य देना तय करेगी? यदि हां, तो सरकार को इसे खरीदने की व्यवस्था करनी चाहिये?" उस समय मुझे कृषि मंत्री जी ने कहा था कि यह डिपार्टमेन्ट मेरा नहीं है लेकिन मैं जल्दी से जल्दी खरीद की व्यवस्था कर रहा हूं। आपने मुझे इस बात का आश्वासन दिया था। मैं यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में कितने क्विंटल चना खरीदा गया, यह बता सकते हैं आप, जिसमें आश्वासन दिया था? मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि राजस्थान की मण्डियों में कितना चना सपोर्ट प्राइस पर खरीदा गया? राजस्थान में चना बिका 190 और 206 रुपये क्विंटल। आप राजस्थान की कृषि मण्डियों के रिकार्ड के आधार पर बतलायें कि राजस्थान में कितना चना आया मण्डियों में और किस भाव से बिका? यह ××× सरकार किसानों को केन्द्रीय सरकार द्वारा समर्थित मूल्य तय होने के बाद भी राजस्थान में चना 235/– रुपये प्रति क्विंटल नहीं बिका सकी, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती।

माननीय सदस्य, श्री अमीन खां जी ने यह शंका प्रकट की है कि केन्द्रीय सरकार तो बाजरे का, ज्वार का समर्थित मूल्य तय कर देगी लेकिन राजस्थान की सरकार व्यवस्था नहीं कर सकेगी। सरकार कहां सो रही थी। ऐसी सरकार किसी और प्रदेश में होती, पंजाब में होती, हरियाणा में होती तो सरकार को हिला कर रख देते।

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

किन्तु आज मेरे दोस्त जो उधर बैठे हैं, जो बंधुआ मजदूर की तरह बोलते नहीं हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा समर्थित मूल्य तय किये जाने के बाद, किसानों के चने का समर्थित मूल्य तय किये जाने के बाद सरकार किसानों को चने का समर्थित मूल्य नहीं दिला सकी जिससे करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। यह किसकी जिम्मेदारी है ? यह इनकी जिम्मेदारी है। समर्थित मूल्य गेहूं का तय होता है—पंजाब का गेहूं भीग गया तो वहां की सरकार बीच में आ गई, समर्थित मूल्य पर पंजाब का भीगा गेहूं ख़रीदा गया किन्तु राजस्थान का भीगा गेहूं नहीं खरीदा गया। वह गेहूं गांवों में बिक रहा है, मजदूरी के नाम पर पंजाब का सड़ा हुआ गेहूं दिया जा रहा है जिससे लोगों में बीमारियां फैल रही हैं। जब पंजान का भीगा गेहूं खरीदा जा सकता है तो राजस्थान का समर्थन मूल्य पर चना क्यों नहीं खरीदा गया ? राजस्थान में समर्थन मूल्य के आधार पर खरीददारी की व्यवस्था क्यों नहीं करवाई जाती ? माननीय सभानेत्री महोदया, जब मैंने हल्ला मचाया तो अन्ता, बारां, कोटा 8 जगह पर नाम मात्र का 8 दिन के लिये खरीदा गया और बाकी जगह नहीं खरीदा गया। मध्य-प्रदेश में खरीदा गया जिससे किसानों को 40-50 रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान हुआ। इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? आप जिम्मेदार हैं।

केन्द्रीय सरकार ने कोटा के एस. डी. ओ. को पत्र लिखा कि समर्थित मूल्य पर चना खरीदने की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है। तो उन्होंने जवाब दिया कि खरीददारी की व्यवस्था सरकार की है हम तो पैसों की व्यवस्था कर सकते हैं। आपके वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन ने क्यों नही खरीदा ? आपने एफ. सी. आई से चना खरीदवाने की व्यवस्था क्यों नहीं की ? इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? माननीय श्री अमीन खां जी ने इस सम्बन्ध में शंका प्रकट की है, उधर जो और माननीय सदस्य बैठे हैं, वह भी किसानों के प्रति हमदर्दी रखते हैं, लेकिन उनकी जुबान बन्द है। किसान मेहनत से फसल पैदा करता है लेकिन × × ×* उसका उचित मूल्य नहीं दिला सकता है। केन्द्रीय सरकार के द्वारा सपोर्ट प्राइस तय करने के बाद भी आपने खरीददारी की व्यवस्था नहीं की। सभानेत्री महोदया, यह अफसोस की बात है। अरे, आप उसकी कोई मदद नहीं करते। उनकी फसल तैयार होकर आती है तब खरीददारी की व्यवस्था नहीं कराने के लिये कौन मन्त्री जिम्मेदार है ? क्या यह सरकार जिम्मेदार नहीं है ? जो भाव मिलने का किसान का हक है उस हक के आधार पर उस भाव पर उसकी फसल खरीदी जायगी ? यह शंका आज भी है। बाजरे की बम्पर क्रोप हो रही है निरन्तर चार साल के अकाल के बाद, लेकिन यह सरकार खरीददारी की व्यवस्था ही नहीं कर सकती। सरकार झूठ-मूठ कोई व्यवस्था कर भी देगी, कह देगी खरीददारी मत करना। कभी कोटा नहीं होगा, उसका क्या करेंगे ? कभी काश्तकार नहीं होगा, कभी रुपया नहीं होगा और कभी अधिकारी जान-बूझकर

× × ×* अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपनोपित की गई।

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

उसमें गलती करेंगे ताकि किसानों का माल बाजार में सस्ती कीमत पर बिक जाय।

मैं आपके माध्यम से, सभानेत्री महोदया, मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप पहले यह कारण बतायें कि चने की समर्थित मूल्य पर खरीददारी क्यों नहीं हुई? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? दूसरा यह बतायें कि अब जो फसल आ रही है उसकी समर्थन मूल्य पर खरीददारी होगी या नहीं? कई स्टेट की सरकार तो स्वयं अनुदान देती है। आप अनुदान मत दीजिये लेकिन केन्द्रीय सरकार के पैसे से हमारी फसल का समर्थन मूल्य दिलाने की व्यवस्था कर दें, इतना ही बहुत है। लेकिन मुझे आपसे उम्मीद नहीं है आपको फुरसत नहीं है, आपको तो सर्किट हाउस के कमरे से फुरसत नहीं है जहां आप बैठते हैं, रोज दो घण्टे वहां जनता की फरियाद सुनते हैं। क्या फरियाद सुनते हैं, यह तो हमको मालूम है। लेकिन किसानों का करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ, उसके लिए, मन्त्री महोदय, आप जिम्मेदार हैं, और कोई जिम्मेदार नहीं है। यदि आपमें शर्म हो तो आपको इस्तीफा देना चाहिये।

श्री सभापति : समाप्त कीजिये माननीय सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : इस बात पर कि आप किसानों को उचित मूल्य नहीं दिला सकते।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : माननीय सभापति महोदया, दो मिनट। किसानों का मामला है। ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री त्रिलोकसिंह : हम इजाजत चाहते हैं, आप बोलने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, दो मिनट।

श्री त्रिलोकसिंह : यह किसानों की बात है, किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा……

श्री सभापति : माननीय श्री त्रिलोकसिंह, आप दो मिनट में कह दें, रिपीट नहीं करें।

श्री त्रिलोकसिंह : सभापति महोदया, यह मसला 90 प्रतिशत लोगों की जिन्दगी से……

श्री सभापति : इण्ट्रोडक्शन नहीं।

श्री त्रिलोकसिंह : नहीं, आप मुझे यह नहीं बताइये कि यह है। मैं बोलूंगा। 90 प्रतिशत लोगों की जिन्दगी का सवाल है…

श्री सभापति : आप दो मिनट में समाप्त कीजिये।

श्री त्रिलोकसिंह : 90 प्रतिशत लोगों की जिन्दगी की बात है। पहले किसी जमाने में किसान के दो दुश्मन जानते थे

(श्री त्रिलोक सिंह)

हम। कौन? डण्डीमार बनिये और लुटेरे जागीरदार। जो आज यहां मन्त्री बन कर बैठे हैं ये किसान मन्त्री हैं, कृषि मन्त्री हैं, इन्हें × × × आज मैं यह कहना चाहता हूं कि वही दुश्मन किसान की यह सरकार है। यह कितने अफसोस की बात है कि पांच साल के भयंकर अकाल के बाद बाड़मेर जैसलमेर में मैंने देखा था, दिसम्बर में गया था, वहां घर घर गया, दोनों इलाकों के कम से कम सौ गांवों में गया, वहां के लोगों की जिन्दगी देखी, रोटी की तो दूर की बात है वह पानी के लिये तरस रहे थे। वहां एक बूढ़े ने मेरी गाड़ी रोक कर पूछा, पानी कब मिलेगा? मैंने कहा कि भई यह सरकार तो उनकी है……

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बात फसल की है।

श्री त्रिलोकसिंह : यह बड़े अफसोस की बात है। जो प्रसंग है, इससे इसका ताल्लुक है।

मैंने कहा उससे, भई यह सरकार तो उन लोगों की है, मेरी नहीं है, मैं आपकी आवाज को पेश करूंगा। उस इलाके में आज थोड़ी हरियाली हो गई, कुदरत की वजह से किसानों के खेत में बाजरे की फसल आई लेकिन फसल आने से पहले ये डण्डीमार लोग, आदमखोर लोग किसानों को कत्ल करने के लिए, लूटने के लिये तैयार हो गये। यह सरकार किसानों के वोटों से बनी है, इस सदन में ज्यादा से ज्यादा किसानों के बेटे बैठे हुए हैं, यह अफसोस की बात है कि जो सवाल किसानों की जिन्दगी, किसानों के रहन सहन और किसानों की जीविका से ताल्लुक रखती है, उस सवाल के लिए भी यह कहते हैं कि दो मिनट का समय है। दो मिनट का समय है तो फिर सदन क्या करेगा। हम क्यों आये हैं यहां? यह सरकार कोई गूंगी नहीं है। हम मौज करने नहीं आये हैं? हम लोगों की आवाज सुनाने आये हैं। हम लोगों की मांग पेश करते हैं, हम सरकार से कहते हैं कि जब किसान बाजार में फसल लाता है, अपनी मुसीबत से जुदा होने को, कर्ज चुकाने को, सामाजिक रस्मो-रिवाज पूरे करने को तो बाजार के अन्दर लुटेरे उसकी फसल की ऐसे बोली लगाते हैं जैसे कोई लावारिश माल बिकता है। लावारिश माल मान कर बोली लगाते हैं, यह कितने शर्म की बात है। 35 साल की आजादी के बाद भी यह स्थिति है। इस आजादी को किसान चाटे, बिछाये या ओढ़े? क्या करे इस आजादी का? क्या आज भी उसकी कमाई की रक्षा नहीं की जा सकती? उस इलाके के किसान के बेटे का घर मैंने देखा है, छप्पर नहीं है, झोंपड़ियों पर। हम उसके खेत की हालत को देख कर अपनी जमात की बात यहां रखते हैं तो उसके साथ हमारे मन्त्री महोदय भी जो इस सब्जेक्ट के जानकार होने चाहिये थे, कोई काबिल आदमी होने चाहिये थे, किसान की गरीबी को जानने वाले होने चाहिये थे। जो हजारों पीढ़ियों से हमारे दुश्मन हैं, कातिल हैं, हमें लूटने वाले जागीरदार के बेटे हैं, वह दखल

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री त्रिलोक सिंह)

देते हैं और हमारी बात सुनना नहीं चाहते,

श्री महाराम चौधरी : देवेन्द्रसिंहजी, सुनो।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री त्रिलोकसिंह : मुझे बात कहने दीजिये।

श्री सभापति : आप अपने विषय तक सीमित रहें।

श्री त्रिलोकसिंह : मैं दो मिनट और चाहता हूं।

हमारे बाजरे की कीमत कम से कम दो सौ रुपया प्रति क्विंटल तय करें। आज फसल बोने में, फसल की निगरानी करने में, फसल की निराई करने में कितनी मेहनत होती है, यह किसान का बेटा जान सकता है, जागीरदार का बेटा नहीं जान सकता। आपको पता है, इस कड़कड़ाती धूप में जब हम खेत खोदते हैं तो क्या हालत होती है। सिर के पसीने से जूते भीग जाते हैं। फिर भी किसान के बेटे को रोटी नसीब नहीं होती, कपड़ा नसीब नहीं होता। कितने दिन चलेगी यह व्यवस्था? डण्डीमार का बेटा महलों में बैठा है, एक किसान का बेटा झोंपड़ी में बैठा है जहां सर्प लटकते हैं, भयकर सांप। उसकी फसल की कीमत ये ××× तय करें, बाजार के बनिये तय करें, यह नाकाबिले बर्दाश्त है, यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बाजार को फूंक देंगे, इस बाजार को आग लगा देंगे, इस सरकार को घसीट कर रगड़ देंगे। यह किसान की दुश्मन ××× की सरकार है

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री त्रिलोकसिंह : किसानों को पूरी कीमत दी जाय। जब पंजाब और हरियाणा में फसल बरबाद हो जाती है तो सरकार किसानों को मुआवजा देती है। इस सरकार से पूछिये, चने की यह कीमत तय कर दी गई 235 रुपया और हमें एक पैसा नहीं दिया गया। बाजार में लूट लिया उन व्यक्तियों ने। इस सरकार ने लूट मचा रखी है उनकी मदद से।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान करें। अंकित नहीं हो।

श्री त्रिलोकसिंह : +++

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मुझे बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि माननीय सदस्य आसन के साथ सहयोग नहीं करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सदन की कार्यवाही चलाना आसन के लिये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

+++ माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री हीरालाल आर्य : सभापति महोदय, मुझे दो मिनट का समय दें। हमारे हाडौती के क्षेत्र का सवाल है। वहां के लोगों के साथ बहुत भारी अन्याय हो रहा है। मुझे आप सिर्फ दो मिनट का समय दें।

श्री सभापति : नहीं, माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सभापति महोदय, यह हमारे कोटा डिवीजन का सवाल है। वहां पर वहुत भारी मात्रा में मक्का और गेहूं पैदा हुआ है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, में किसानों की फसल का सवाल है, मैं दो मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे आप दो मिनट बोलने का समय दें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सभापति महोदय, जहां कोटा डिवीजन में हजारों क्विन्टल गेहूं और चना हुआ है वहां पर राज्य सरकार ने सिर्फ 33 क्विन्टल चना खरीदा है।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, मैं आपका दो मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री महोदय।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर आर्डर।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, किसानों का वहुत ही म त्वपूर्ण मसला है। पश्चिमी राजस्थान में पिछले पांच साल से अकाल पड़ रहा है। पांच साल बाद इस साल वहां पर बाजरे की फसल अच्छी हुई है, वहां पर बाजरे का प्रोडक्शन बढ़ा है लेकिन किसानों को बाजरे का कोस्ट आफ प्रोडक्शन तक नहीं मिल रही है। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि सरकार किसानों के लिये कुछ भी इस सम्बन्ध में करने को तैयार नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। Please sit down.

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, सरकार को घोषणा करनी चाहिये कि बाजरी का उचित मूल्य दिलाएंगे जिससे किसान सन्तुलित होकर अगला और काम सुचारु रूप से चला सके। किसानों को उचित मूल्य दिलाया जाय। मेरा आपसे निवेदन है। सरकार को चाहिये कि किसानों को दो सौ रुपये क्विन्टल बाजरे का मूल्य दिलाये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर। माननीय मन्त्रीजी।

श्री घासीराम यादव : सभापति महोदय, अमीन खां जी ने के जो ध्यान आकर्षण

(श्री घासीराम यादव)

प्रस्ताव रखा है यह बड़ी चिन्ता का विषय है कि चार साल से राजस्थान में अकाल पड़ रहा है। यह सचमुच ही चिन्ता का विषय है लेकिन यह भी एक चिन्ता का विषय है कि जमाना अच्छा होने से फसल के भाव गिर रहे हैं। मैं भी इस विषय में आपकी चिन्ता के साथ हूं। जब अच्छी फसल होती है तो भाव गिरते है। जब भी फसल अच्छी होती है या पैदावार अच्छी होती है तो बाजार में भाव गिरेंगे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य। कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री घासीराम यादव : सभापति महोदय, हमारे पास जो सूचना बाड़मेर के जिलाधीश से आई है उसमें यह लिखा है कि बाजरे के भाव 150 रुपये प्रति क्विन्टल से ऊपर ही चल रहे हैं। पर जैसी कि माननीय सदस्य ने आशंका व्यक्त की वहां पर ऐसे सौदे हो रहे जिसमें बाजार के भाव 85 रुपये प्रति क्विन्टल के हो रहे हैं। जो सौदे चल रहे हैं हो सकता है कोई प्राइवेट सौदे होते हों पर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से वहां पर जो सौदे के भाव की सूचना हमारे पास आई है उसके अनुसार 150 रुपये प्रति क्विन्टल के भाव चल रहे हैं। मैं इस बात को मान सकता हूं कि ज्यों-ज्यों फसल बाजार में आयगी अक्टूबर-नवम्बर में, जब फसल बिकने का समय आयगा तो भाव गिरेंगे। पर जब बिकने आयेगी तब पता चलेगा, अक्टूबर-नवम्बर में जब बाजार में फसल आयगी तब भाव गिरेंगे। तब हो सकता है 150 रुपये, या 120 रुपये प्रति क्विन्टल या 100 रुपये प्रति क्विन्टल भाव रहें। पर जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि भाव गिरते गिरते 50 रुपये प्रति क्विन्टल तक आ जायेंगे, यह बात में मानने को तैयार नहीं हूं। मैं यह मानता हूं कि बाजरे के भाव गिरेंगे। मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि हमारे खाद्य विभाग के पास यह इत्तला आई है भारत सरकार से सपोर्ट प्राइस 124 रुपये प्रति क्विन्टल तय की है, हमारे पास इस की इत्तला आ गई है।

श्री यदुनाथ सिंह : क्या भाव ?

श्री घासीराम यादव : 124 रुपये प्रति क्विन्टल। इसमें बाजारा, रावी, मक्का ज्वार है। इन चार के लिये भारत सरकार ने 124 रुपये प्रति क्विन्टल के भाव करके सपोर्ट प्राइस तय करके भेज दी है। उनका लैटर आ गया है। जब उचित समय आयगा उस समय बाजार में क्या भाव होते हैं इससे नीचे आते हैं या नहीं, जब मार्केट में बाजरा आ जायगा या आने वाला होगा भाव इससे नीचे आयेंगे तो राज्य सरकार उचित निर्णय लेगी। इस समय तो मैं यही कह सकता हूं। कि उस समय सरकार इस बात की पूरी कोशिश करेगी कि सपोर्ट प्राइस पर जितना बाजरा सरकार खरीद सकती है उतना खरीदेगी। लेकिन यह निर्णय उस वक्त लिया जायगा। इस वक्त तो कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हूं। इसके अलावा जो रघुवीरसिंह जी ने कहा है चने के बारे में…

श्री रघुवीरसिंह कौशल : कोटा डिवी-

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

जन में कितना चना हुआ है ? आपने कितना खरीदा है ?

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, मन्त्री जी ने यह कहा कि सपोर्ट प्राइस पर सरकार बाजरा खरीद सकती है उतना खरीदेगी । यह गलत कहा है । आपको सब बाजरा खरीदना पड़ेगा ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें । माननीय मन्त्री जी जब अपना भाषण समाप्त कर दें उस वक्त आप प्रश्न पूछ लीजिये ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आपने चने की सपोर्ट प्राइस क्या रखी है ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मन्त्री जी का भाषण समाप्त होने दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री घासीराम यादव : सभापति महोदय, एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने चने की खरीद के लिये जैसा इन्होंने जिक्र किया, कहा था कि हम खरीद लेंगे । मैंने तो कहा नहीं है । न इस असेम्बली में ऐसा एलान हुआ था । मुझे जो बाजरे के बारे में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव माननीय सदस्य अमीन खां जी का मिला है इससे सारी बातें इन्होंने कही हैं । दूसरे माननीय सदस्यों ने यहां पर जो जिक्र किया है उसका जवाब देने को मैं बाध्य नहीं हूं । बाजरे के बारे में कह चुका जो कहना था ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सभापति महोदय, केवल बाजरे के लिये ही नहीं है ।

श्री अमीन खां : सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे वहां पर बाजरे के 85 रुपये प्रति क्विन्टल के भाव से सौदे हो रहे हैं ।

श्री घासीराम यादव : हमारे पास तो सरकारी आंकड़े हैं । प्राइवेट आंकड़े तो होते नहीं हैं ।

(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सभापति महोदय, यह प्रस्ताव केवल बाजरे के बारे में है ।

श्री घासीराम यादव : मेरे पास जो प्रस्ताव आया है वह तो बाजरे के बारे में है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन का काम आसन को करने देने का कष्ट करें । कृपया स्थान ग्रहण करें । मानीय मन्त्री महोदय, आप इसको ध्यान से पढ़िये ।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर । माननीय सदस्य । आप ध्यान से पढ़ें, मन्त्री महोदय, इसमें आइटम नम्बर फोर पर यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है. श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा

(श्री सभापति)

किसनों को अच्छी मेहनत करने के बावजूद भी काश्त का पूर्ण लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर खाद एवं नागरिक रसद मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। यह बाजरे तक ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : माननीय सभापति महोदय, यह सिर्फ बाजरे तक ही सीमित नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मन्त्री महोदय, आप इसको पढ़िये। बाजरे तक सीमित नहीं है।

श्री घासीराम यादव : सभापति महोदय, मेरे पास है वह तो बाजरे का ही है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर। मन्त्री महोदय, आप कार्य सूची पर आइटम नम्बर चार पढ़िये। इसमें स्पष्ट लिखा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री सभापति : मन्त्री महोदय, जो कार्य सूची विधान सभा सचिवालय से वितरित की गयी है उसमें जो एनलिस्ट किया हुआ है उस पर माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार है।

श्री घासीराम यादव : सभापति महोदय, मेरे पास जो आया है उसमें अमीन खां जी का नाम लिखा है।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी ; घासीराम जी, आप पढ़ कर आया कीजिये, तैयार होकर आया कीजिये। कोई बाजार में किराये पर नहीं मिलते है। आप पढ़ कर आया करो।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बीच न ही बोलें। पाइन्ट आफ आर्डर है।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। आप में बातें नहीं करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय उस प्रस्ताव कोट कर रहे हैं वह माननीय सदस्य ने आपको दिया होगा। परन्तु विधान सभा सचिवालय द्वारा कार्य सूची प्रसारित की गयी है उसमें जो आइटम आ गये हैं वह सदन की प्रोपर्टी हो गये हैं। मैं, सभापति महोदया, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को यह बताना चाहूंगा, दोनों बातों में डिफरेन्स करें। हो सकता है, जो प्रस्ताव मन्त्री जी के पास गया है उसमें बाजरा लिखा हो किन्तु सचिवालय से जो कार्य सूची डिस्ट्रिब्यूट की गयी है उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है, किसानों द्वारा की जाने वाली प्रत्येक वस्तु का ठीक दाम मिलने के बारे में जिक्र है। केवल उस तक रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। इसलिये माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया कि चने का मूल्य 235 रुपया प्रति क्विन्टल का तय हुआ था उसका क्या हुआ, माननीय मन्त्री महोदय को उसका

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

जवाब देना चाहिये। मन्त्री महोदय ने यह कहा कि यह मेरे से सम्बन्धित नहीं है इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह मन्त्री महोदय की गलतबयानी है। चूंकि हमारे पास जो कार्य सूची आई है। उसमें इसका उल्लेख है इसलिये वह सदन की प्राफर्टी है। सदन की प्रोपर्टी है, उसको केन्द्र बिन्दु बना कर सब बातों पर मन्त्रीजी को जवाब देना आवश्यक है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य मन्त्री महोदय से प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री घासीराम यादव : सभापति महोदय, जो लिस्ट आफ बिजनेस मेरे पास है उसमें लिखा है कि प्रक्रिया तथा नियमों के तहत श्री अमीन खां बाजरे के बारे में मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करेंगे। विधान सभा सचिवालय से जो कार्य सूची भेजी गई है उसमें क्या लिखा है, वह अलग बात है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर।

श्री घासीराम यादव : सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य नियमों के तहत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव देता है उसी का जवाब दिया जाता है। आपके सचिवालय से ही भेजा जाता है।

श्री सभापति : आप हमारी कार्य सूची के आइटम नम्बर चार को पढ़ कर देखें।

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मन्त्री, पशुपालन) : सभापति महोदय, जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है आप इसको पूरा तो पढ़ें।

श्री यदुनाथ सिंह : आपके कोट करने से कुछ नहीं होता है। विधान सभा सचिवालय की कार्य सूची में जो है उससे होता है।

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मन्त्री) : सभापति महोदय, कार्य सूची में जिस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है, माननीय सदस्य श्री अमीन खां द्वारा प्रस्तावित ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में लिखा है, "किसानों की पैदावार, फसल के लिये।" तो बाजरा की एक फसल है उसमें कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि अन्य सब फसलों के बारे में जिक्र किया जायगा। यह स्पष्ट लिखा हुआ है उस पर आप ध्यान से गौर करेंगे......

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : चना क्यों नहीं खरीदा ?

(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, देवपुराजी जो बोल रहे हैं मुझे उसका दुःख नहीं है। मुझे दुःख है घासीराम यादव का, जो यहां बैठे हैं।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : चना नहीं खरीदा गया जान-बूझकर......

(श्रीपूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पीठासीन) (2.00 म. प.)

श्री मेघराज तावड़ :किसानों की फसल से सम्बन्धित जो भी पैदावार होती है उससे सम्बन्धित है, किसी एक की फसल से संबन्धित नहीं है···

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह किसानों की फसल की कीमत की बात चल रही है जिसे मन्त्रिमण्डल सुनना नहीं चाहता, खास तौर से वह मन्त्री जो सामंतवादी और डन्डीमार है क्योंकि उनके हितों के खिलाफ है, उनकी लूट के खिलाफ है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि यह किसानों का मसला है, यह सदन में आयेगा। हम इसलिए नहीं आये हैं कि आप लोगों को सलाम करें, हम इसलिए आये हैं कि यहां किसानों की बात को रखें।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले के साथ किसानों को अपनी मेहनत······

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य।

एक विवाद उत्पन्न हो गया है कि जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव माननीय सदस्य अमीन खां ने दिया है उसको आज हमने सदन में विचारार्थ रखा था। माननीय अमीन खां ने बाजरे का जो वर्तमान में मूल्य उनके जिले में गिर रहा है उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया है। मन्त्री महोदय ने जो ध्यान आकर्षण किया उस ध्यानाकर्षण का जो विषय था उसी सम्बन्ध में ही उत्तर दिया है। कुछ माननीय सदस्यों ने चने आदि के बारे में बातें कही, कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने कृषि उत्पादन के बारे में बातें कीं। उसके बाद में कुछ माननीय सदस्यों ने यह एतराज किया है कि इसको केवल बाजरे तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता, जितने प्रकार की भी कृषि की फसलें होती हैं उनके भावों के बारे में यहां पर चर्चा होनी चाहिये अथवा मन्त्रीजी द्वारा उत्तर दिया जाना चाहिये।

मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को पढ़ा और यहां से सूची जो प्रसारित की गई उसको भी खास तौर से देखा। तो जिस माननीय सदस्य के नाम से स्थगन प्रस्ताव होता है और जो स्थगन प्रस्ताव करते हैं उसकी प्रतिलिपि सरकार को भेजी जाती है। सरकार उसी का उत्तर देती है। यहां जो सूची प्रसारित की जाती है उसके अन्दर एक विवरण दिया जाता है, वेग सा जिसको कहना चाहिये कि आज विचारार्थ विषय क्या हैं। वेग ही होता है हैडिंग जो होता है, जैसे कोई भी कानून बनता है उसकी हैडिंग में एक बात कह दी जाती है लेकिन हैडिंग है वह जो कानून बनता है उसको समझने के लिये काम में आ सकता है। वह एक परिधि निश्चित करता है लेकिन यदि कोई विवाद खड़ा हो जाता है तो इस अवस्था में जो मूल प्रस्ताव है उसे हमको अवश्य देखना होगा। इसमें आप देखेंगे, बाजरी के बारे में कहा गया है तो बाजरी के भावों के बारे में मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया, बिल्कुल ठीक दिया। अन्य माननीय सदस्य चिंतित हैं इस विषय में कि उसे ज्यादा व्यापक बनाया जाय, किसानों

(श्री अध्यक्ष)

की अन्य फसल और कृषि का जितना उत्पादन है उसके अन्दर नुकसान हो रहा है, वह भी इसमें आना चाहिये। तो मेरा नम्र निवेदन है कि वह इसमें नहीं आता है लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

काफी महत्वपूर्ण विषय है। अन्य माननीय सदस्य यदि इस विषय पर चर्चा में भाग लेना चाहेंगे तो इस पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा। माननीय सदस्य इस बात से परिचित हैं कि हमारे देश के 80 प्रतिशत लोग किसान हैं, कृषि हमारा मुख्य धंधा है और कृषि को इस देश की रीढ़ की हड्डी मानते हैं। इसलिए अगर इस तरह का विषय आयेगा तो उस पर उसी दृष्टि से विचार किया जायेगा। काफी समय हो गया है इसलिए माननीय सदस्यों से निवेदन है कि बाजरे वाले मसले पर कोई स्पष्टीकरण रह गया हो तो एक दो मिनट में एक दो माननीय सदस्य पूछ सकते हैं। इस पर अभी लंबे भाषण नहीं होंगे क्योंकि ध्यानाकर्षण की प्रक्रिया यह है कि जिस माननीय सदस्य का प्रस्ताव होता है वह थोड़े शब्दों में ध्यान आकर्षण कर देता है उसके बाद में सरकार की ओर से वक्तव्य है आ जाता है। स्पष्टीकरण के तौर पर यदि एक दो माननीय सदस्य पूछना चाहें तो उनको अवसर दे दूंगा, सभी माननीय सदस्यों को अवसर नहीं दूंगा क्योंकि समय का अभाव है।

श्री महाराम।

(व्यवधान)

सरकार को हम बाध्य नहीं कर सकते। आप प्रस्ताव लेकर आयें, मैंने निवेदन कर दिया उसको चर्चा में लाने की कोशिश करेंगे। इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिया है उस सम्बन्ध में अगर कोई शंका रह गई हो तो एक-एक प्रश्न पूछ लें।

श्री यदुनाथ सिंह।

श्री महाराम चौधरी : आपने मेरा नाम बोला था।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अब इसमें विवाद क्यों कर रहे हैं? क्यों समय ले रहे हैं? इतनी देर में तो ये बोल लेते उसके बाद में आपको अवसर देता।

श्री यदुनाथ सिंह : आपने मुझे बन्धन में बांध दिया कि उसी प्रस्ताव के बारे में पूछूं।

मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा, अभी उन्होंने जिक्र किया कि बाजरे सहित 4 फसलों का मूल्य 124) रु. क्विन्टल तय किया। राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से, कृषि मूल्य आयोग से कितने मूल्य की सिफारिश की थी? जरा यह भी बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री यदुनाथ सिंह : दो बातें उन्होंने कही। एक बात और कही।

श्री अध्यक्ष : अन्य तरीके से उठायें।

श्री यदुनाथ सिंह : एक बात उन्होंने कही, सरकार जितना चाहेगी बाजरा खरीद लेगी।

श्री अध्यक्ष : कृषि उत्पादन की फसलें, दालें, तिलहन का क्या मूल्य हो, इस बारे में अलग से प्रश्न उठायें। उसका औचित्य क्या है ? उसको चर्चा में लेंगे।

श्री यदुनाथ सिंह : चलो, इन्होंने जो कहा उस पर पूछ लेता हूं। इन्होंने यह भी कहा कि सरकार जितना चाहेगी बाजरा खरीदेगी सपोर्ट प्राइस का। मतलब जितना चाहेगी उतना थोड़े ही है जितना अन्न पैदा हुआ उसका स्टेटमेंट चाहिये। इससे बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो जायेगा। इन्होंने कहा, सरकार जितना चाहेगी खरीद लेगी।

श्री अध्यक्ष : यह ठीक है, मुझे भी थोड़ी जंची थी बात, इसलिये ठीक है इसके बारे में पूछो ना आप।

श्री महाराम चौधरी : बाजरे की फसल की पैदावार के संबंध में सभी अखबारों में खबर आ रही थी, अग्रिम सौदे की बात सभी जगह चल रही थी। क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ विचार करके इसका समर्थन मूल्य गिराने या उचित मूल्य गिराने के लिये कोई योजना तैयार कर रखी है ? नहीं कर रखी है तो कब तक तैयार कर देगी ? इसके साथ साथ सरकार की जो 124 रु. प्रति क्विन्टल मूल्य निर्धारित करने की नीति है उसको कम मानकर और अनुदान देकर बढ़ाने की आप कार्यवाही करने जा रहे है ?

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा, कोटा जिला जो गंगानगर के बाद सबसे अधिक गेहूं उत्पादित करता है......

श्री अध्यक्ष : गेहूं नहीं, वहां पर ज्वार पैदा होता है।

श्री हीरालाल आर्य : कोटा जिले से केवल 35 क्विन्टल गेहूं समर्थित मूल्य पर खरीदा......

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : कोटा के किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री यदुनाथ सिंह : सरकार सदन में बैठने काबिल नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरे पास इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं है कि चर्चा समाप्त करूं।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। अव्यवस्था न फैलायें। मैं फिर चर्चा समाप्त कर दूंगा।

श्री यदुनाथ सिंह : व्यापारी सरकार के साथ मिल कर किसानों को लूट लें और

(श्री यदुनाथ सिंह)

सरकार देखती रहे, किसान लुटता रहे। राजस्थान के किसान के साथ बहुत जुल्म हुआ है। किसान हमको पकड़ता है, हमारे कपड़े फाड़ता है सदन तो 4 दिन चलता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। अब मैं चर्चा समाप्त कर रहा हूं। यदि प्रश्न पूछना चाहें दुबारा……

(व्यवधान)

अव्यवस्था फैलाना चाहें तो मैं बरदाश्त नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न पूछ सकते हैं। आप पहले बैठ जायें सबके सब फिर मैं नाम पुकारूंगा।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक सिंहजी कुछ कहना चाहते हैं? भाषण नहीं, आप प्रश्न पूछें।

श्री त्रिलोक सिंह : मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप इतने आवेश में क्यों आ रहे हैं, धीरे बोलें।

श्री त्रिलोक सिंह : यह आवेश की बात है। यह किसानों की जिन्दगी से ताल्लुक रखती है। हमने 8–10 महीने मेहनत की और अब हमें लूट रहे हैं, हमारी जिन्दगी पर डाका डाल रहे हैं…

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, प्रश्न पूछें।

श्री त्रिलोक सिंह : मैं तो प्रश्न ही पूछ रहा हूं। बाजरे की कीमत तय करें जल्दी से जल्दी ताकि किसानों को भरोसा हो…

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री त्रिलोक सिंह : मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने क्या कदम उठाया और नहीं उठाया तो फिर कब उठायेगी? केन्द्रीय सरकार को आपने कुछ लिखा है? केन्द्रीय सरकार हमारी बाजरे की मेहनत के बारे में नहीं जानती। राजस्थान की सरकार जानती है। हमारी राय यह है कि बाजरे की कीमत कम से कम 150 रुपये हो।

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जितनी भी बाजरे की पैदावार खलिहान होगी जितना में आयेगा राज्य सरकार किस तरह की व्यवस्था करना चाहती है, जिससे सूदखोरों के हाथों उनको नहीं जाना पड़े? ऐसी व्यवस्था करना चाहेंगे?

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी : बाजरे की बम्पर क्राप की तरह ही हमारे कोटा जिले में ज्वार की भी बहुत अच्छी फसल है।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

शंकर ज्वार है वहां पर इस साल लोगों ने बहुत पैदा की है। क्या राज्य सरकार शंकर ज्वार खरीदेगी ? और खरीदेगी तो क्या नीति निर्धारित करने जा रही है और कितना खरीदेगी ? यह बता दें।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह कौशल।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, आपने कृपापूर्वक गत सत्र में मुझे यह अनुमति दी थी कि मैं चने के समर्थन मूल्य के बारे में अगले सत्र में कहूं। मैं प्रासंगिक रूप में कहना चाहता हूं कि हमें शंका है कि बाजरे और ज्वार की खरीद सरकार उन्हीं कारणों से ठीक नहीं कर पायेगी जिन कारणों से चने की नहीं की थी। मैं उस प्रसंग में बात कर रहा हूं कि आप हमें वह परिस्थिति बता दीजिए। पहले कौन-सी परिस्थिति थी जिसमें आपने चना नहीं खरीदा और उनमें कैसा परिवर्तन हो गया कि आप बाजरा खरीद लेंगे, यह हमें बता कर सन्तुष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोय, मन्त्री महोदय ने बम्पर क्राप बतायी किन्तु अपने उत्तर में कहा कि विचार करेंगे कि हम कब से खरीदेंगे और कैसे खरीदेंगे ? मन्त्री महोदय जानते हैं कि क्राप कब तक आ जायेगी ? क्या आप तारीख बता सकते हैं कि किस तारीख से बाजरे और ज्वार की खरीद आप प्रारम्भ कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी।

श्री घासीराम यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, यदुनाथ सिंह, जो भरतपुर जिले से आये हैं, ने एक सवाल पूछा है कि राजस्थान सरकार ने कितने रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से खरीद की सिफारिश की है। हालांकि हमारा खाद्य विभाग इसकी सिफारिश नहीं करता, एग्रीकल्चर विभाग करता है। लेकिन मेरी जानकारी है, एग्रीकल्चर विभाग 130 रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से देता है जो 124 आया है।

श्री यदुनाथ सिंह : आपने अपनी मर्जी से बढ़ा दिया, यह किसानों का हक नहीं है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अंकित न हो।

(व्यवधान)

इस पर वाद विवाद नहीं करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ×××

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अंकित नहीं हो रहा है।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ×××

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, मैंने इस विषय पर चर्चा समाप्त कर दी है। कृपया बैठ जायं।

श्री महाराम चौधरी : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है माननीय सदस्य। व्यर्थ में समय ले रहे हैं। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। मन्त्री द्वारा वक्तव्य....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जवाब तो ठीक दिलवायें।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, विपक्ष के नेता महोदय, आप तो बहुत अनुभवी हैं यह कोई तरीका नहीं हो सकता। एक-एक माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा उसके बाद मन्त्रीजी उत्तर देने लगे तो अपने-अपने विषयों को लेकर कई माननीय सदस्य आवेश में आ गये, उनमें जिद होने लगी, अव्यवस्था फैलने लग गई। कृपा करूं ?

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : चना क्यों नहीं खरीदा, यह तो बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष : बीच में किसी माननीय सदस्य को गुस्सा आ जाय और वह अपनी बहस शुरू कर दे, इस तरह सदन नहीं चला सकते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट में निवेदन करना चाहता हूं। आप हमें बतायें, जैसा कि यदुनाथ सिंहजी ने कहा, आप भी महसूस कर रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : वह पाइन्ट था, महसूस कर लिया, निश्चित नीति बतला दें। वह उत्तर देने लगे...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उत्तर क्या दे रहे हैं, हमारे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। बोल क्या रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : वह थोड़े लम्बे हैं, माइक से दूर बैठते हैं, उनको बैठाकर जवाब दिलवा दूंगा। दुबारा उत्तर दिलवा देता हूं पर बीच में कोई माननीय सदस्य बाधा न डालें। उसके बाद में पाइन्ट उठायें पर उनको उत्तर देने दें। सदन में जो चर्चा के नियम हैं उनके अनुसार कार्यवाही चल सकती है वरना अन्य माननीय सदस्यों का अहित होता है। उनको कोई अवसर भी नहीं मिलता है। जो विचारणीय विषय हैं उन पर चर्चा नहीं हो सकती। अपनी अपनी बात बिना नियमों का पालन करते हुए कहें त मुझे बाध्य होकर, दुःख के साथ अंकित नहीं करने के आदेश देने पड़ते हैं। सदन का उपयोगी समय नष्ट होता है। आप उपयोगी

(श्री अध्यक्ष)

विषय चर्चा में लाना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं पूरा अवसर दूंगा, आधी रात तक सभा की बैठक चलाई जा सकती है लेकिन किन्हीं न किन्हीं नियमों के अन्तर्गत हम इस सदन की कार्यवाही चला सकते हैं अन्यथा चलाना बड़ा कठिन है। मन्त्री महोदय।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, यह कह देंगे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : बैठकर बोल दो।

श्री घासीराम यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि राजस्थान सरकार ने 130 रुपया क्विन्टल बाजरा खरीदने की सिफारिश की थी...

श्री यदुनाथ सिंह : 130 कह रहे हैं या 120...

श्री घासीराम यादव : 130, वन थ्री जीरो। एक सौ तीस बोल रहा हूं साहब।

श्री अध्यक्ष : फिर वही की वही बात हो गई। आप कृपया विवाद वाले विषय शुरू न करें। जो बात आसानी से निकल सकती है पहले उसको शुरू करें। फिर आखिर में यह कह दीजिये।

श्री घासीराम यादव : मैं जो पहले सवाल किया उसका पहले जवाब दे रहा हूं। यह कोई बात ऐसी खराब 130 रुपये क्विण्टल की नहीं है। राजस्थान सरकार ने जो कहा है उसी के आधार पर जवाब दे रहा हूं, इसमें नाराज होने बात ही नहीं है। अब इसका अर्थ बहुत बुरा निकालते हैं विरोधी दल के लोग तो अपना अर्थ निकाल लें लेकिन सही बात है कि 130 रुपये क्विंटल हमने भेजी है सिफारिश, इसका अर्थ जो चाहे निकालें।

दूसरा महारामजी माननीय सदस्य ने यह सवाल पूछा था कि कब उचित तैयारी करेगी सरकार। तो मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि जब बाजार में आयेगा बाजरा...

श्री महाराम चौधरी : आने लग गया है।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप सुन लीजिए। बाजार में बाजरा आयेगा तब यह तैयारी शुरू करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, चर्चा समाप्त हुई। कृपया बैठ जायं। माननीय मन्त्री महोदय, कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : × × ×

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री द्वारा वक्तव्य। श्री हीरालाल देवपुरा, श्रम मन्त्री जे. के. सिन्थेटिक्स कोटा व कुछ अन्य मिलों के बन्द होने व कृष्णा मिल ब्यावर के गत 2 सितम्बर, 1983 से बन्द होने से उत्पन्न स्थिति पर एक वक्तव्य देंगे।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह तो स्पष्टीकरण दिलवा दें...

श्री अध्यक्ष : कोई स्पष्टीकरण नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा है। मैंने आपकी भावनाओं का आदर देते हुए जो मेरा विनिश्चय था उसको बदला, दुबारा अवसर दिया। उसके बाद में भी वही स्थिति है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : करोड़ों रुपयों का नुकसान राजस्थान के किसानों को सरकार ने पहुंचाया है। आप उन ही परिस्थितियों में बाजरा नहीं खरीदेंगे या आप किसान के साथ धोखा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। शान्ति रखिये। इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : इसके लिए...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। अंकित न हो।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : ×××

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(भारतीय जनता पार्टी का बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल देवपुरा। कृपया अपना वक्तव्य शुरू कीजिये। श्री त्रिलोक सिंहजी का स्थगन प्रस्ताव है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शान्त रहें।

श्री हीरालाल देवपुरा।

शासकीय वक्तव्य

जे. के. सिन्थेटिक्स, कोटा व कुछ अन्य मिलों व कृष्णा मिल ब्यावर का गत 2 सितम्बर, 1983 से बन्द होना

श्री हीरालाल देवपुरा (श्रम मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री मेघराज तावड़ एवं माननीय सदस्य, श्री त्रिलोक सिंहजी द्वारा जे. के. सिन्थेटिक्स लिमिटेड व अन्य मिलों के बन्द होने एवं गत 2 सितम्बर, 1983 से कृष्णा मिल, ब्यावर के बन्द होने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। कृपया बैठे-बैठे बातें नहीं करें।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक जे. के. सिन्थेटिक्स लि. कोटा का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में गत सत्र में भी एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और आसन के द्वारा मुझे एक वक्तव्य देने के लिये कहा गया था।

Page No. 98

(98)

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री अध्यक्ष : शांत रहें तो सुनाई दे देगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं बोल रहा हूं, आप सुनिये। अगर आप शांति से बैठेंगे तो सुनने में आ जायेगा। सब साथ...

श्री मेघराज तावड़ : वाक आउट करके अभी आये हैं वह बोलते हुए आ रहे हैं इसलिए सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री हीरालाल देवपुरा : व्यवस्था हो जाय फिर बोलिये। मुझे आसन ने इजाजत दी है मैं उसकी पालना कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक जे. के. सिन्थेटिक्स लि. का प्रश्न है, जैसा मैंने अभी आपसे निवेदन किया, गत सत्र में भी इस सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और आसन के द्वारा मुझे यह निर्देश दिया गया था कि मैं उस सम्बन्ध में वक्तव्य दूं।

मैंने सदन में इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिया था जे. के. सिन्थेटिक्स लि., कोटा में 10-1-83 को ले आफ किया और दो तीन दिन बाद ही उन्होंने जो श्रमिक उनके यहां काम कर रहे थे उनकी छंटनी का नोटिस दिया। उस नोटिस के अन्तर्गत उन्होंने 2368 श्रमिकों की छंटनी कर दी। उस छंटनी के सम्बन्ध में जो नियमों के अनुसार, कानून के अनुसार राज्य सरकार को उनको सूचित करना चाहिए था, अनुमति लेनी चाहिए थी वह अनुमति उन्होंने नहीं ली। राज्य सरकार ने उस संघर्ष में उनको एक नोटिस दिया। उस नोटिस पर उनको तलब किया, बुलाया पर वह नहीं आये। बातचीत के लिये वह नहीं आये तो सैक्शन 25-एन इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अन्तर्गत उनके विरुद्ध अभियोग चलाने का नोटिस दिया कि आपने इस कानून की अवहेलना की उसके तहत क्यों नहीं आपके खिलाफ प्रोसीक्यूशन किया जाये। उस पर जे. के. सिन्थेटिक्स के मैनेजमेन्ट ने, मालिकों ने हाई कोर्ट में रिट पेश की। उस रिट के आधार पर हाई कोर्ट ने स्टे आर्डर जारी किया कि इनका प्रोसीक्यूशन, जब तक यहां से फैसला न हो जाये, न किया जाये और इनके खिलाफ 25-एन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जाये। इसी दरमियान, इससे एक या दो दिन पहले या 3 दिन पहले डेट तो मुझे ठीक याद नहीं, राजस्थान सीटू की ओर से भी हाई कोर्ट में एक रिट पेश की गई जिसमें छंटनी के बारे में उन्होंने चैलेन्ज किया कि यह छंटनी अवैधानिक रूप से की गई है, गलत की गई है इसलिए जे. के सिन्थेटिक्स को छंटनी के बारे में रोका जाये। इस रिट के सम्बन्ध में भी हाई कोर्ट ने एक स्टे आर्डर जारी किया जिसमें इनको पाबन्द किया गया कि फरदर कोई छंटनी नहीं की जाये और जिनकी छंटनी की गई है उन लोगों के जो बेनिफिट्स प्रोजेक्ट पर से निकालने के हैं वह बेनिफिट्स जो कम्पनी ने डिक्लेयर किये हैं यदि वह श्रमिक उसको लेना चाहें तो भी हाई कोर्ट के फैसले पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर फैसला इनके हक में होता है तो बेनिफिट लेने मात्र से यह नहीं माना

(श्री हीरालाल देवपुरा)

जायेगा कि छंटनी उन्होंने स्वीकार करली, बेनिफिट ले लिया इसलिए वह निकल गये। कोई प्रभाव फैसले पर नहीं पड़ेगा, इस प्रकार का एक आदेश जारी किया। यह सब कुछ होते हुए भी सरकार की ओर से बराबर यह प्रयत्न किया जाता रहा श्रमिकों और मैनेजमेन्ट के बीच में बातचीत के जरिये, चूंकि हाई कोर्ट से स्टे आया हुआ है इसलिए तत्काल हम कोई कानूनी अधिकार से फैसला नहीं कर सकते लेकिन चाहते हैं कि अच्छा वातावरण बने और उस वातावरण के आधार पर आपसी बातचीत से कोई नतीजा निकले जिससे जे. के. सिन्थेटिक्स लि. जो फैक्ट्री है, चालू हो जाये और श्रमिक वहां पर जाने को तैयार हों। अध्यक्ष महोदय, इस बातचीत का काफी लम्बे समय तक चलने पर भी कोई परिणाम नही निकला। उस दरमियान जो हाई कोर्ट में केस चल रहा था उस केस की सुनवाई तो हो गई, जजमेन्ट हाई कोर्ट से इस सम्बन्ध नहीं हुआ तो सरकार ने यह उचित समझा कि जहां तक छंटनी किये हुए श्रमिको का प्रश्न है या 25-एन का जहां तक सवाल है कि छंटनी गैर कानूनी है या कानूनी है इसके बारे में हम नहीं कह सकते क्योंकि हाई कोर्ट का स्टे आया हुआ है लेकिन हम यह कर सकते हैं, मान लीजिये कानूनन कोई फैसला मैनेजमेन्ट के हक में भी हो तो क्या जो इतनी बड़ी संख्या में छंटनी की है, क्या 2368 मजदूरों की छंटनी करने का कोई कारण था, यह तो हम रेफर कर सकते हैं। इस तरह से कुछ पाइन्ट्स बना कर हमने केस को इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को रेफर किया। 10-एफ के अन्तर्गत उसको रेफर किया। साथ ही, 10-के के तहत जे. के. सिन्थेटिक्स और श्रमिकों को कुछ पाबन्दियां हमने जारी कीं। उसका परिणाम यह हुआ कि जे. के. सिन्थेटिक्स आज चालू हो गई और प्रोडक्शन उसका बराबर चल रहा है। केवल मात्र वे श्रमिक जिनको इन्होंने रिट्रेन्च किया था, चूंकि अभी हाई कोर्ट का फैसला नहीं हुआ है इसलिए बाहर हैं बाकी अन-रिट्रेन्चेन्ड श्रमिकों, जो कि लगभग 2200 हैं, ने काम प्रारम्भ कर दिया है। बीच में जो इनका ले आफ था उसको उन्होंने काल आफ किया। ले आफ आप काल करने के बावजूद भी चूंकि इतनी बड़ी संख्या में छंटनी की हुई थी इसलिये जो श्रमिकों की छंटनी नहीं की गई थी वह भी उनकी सहानुभूति में हड़ताल पर गये हुए थे, हड़ताल लम्बे समय तक चलती रही। जब बातचीत के दौरान यह तय हुआ कि इस तरह का हम नोटिस निकाल दें तो मजदूर, जो छंटनी में नहीं थे, जिनकी छंटनी नहीं की गई थी, अपने काम पर आना शुरू हो गए और आज 2200 के करीब मजदूर जे. के. सिन्थेटिक्स में काम पर जा रहे हैं। 2368 श्रमिक, जो छंटनी में हैं, काम पर नहीं जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में जो हमने रेफरेन्स दिया है वह मैं निवेदन कर दूं कि किन-किन पाइन्ट्स को हमने रेफर किया है और 10-के में क्या-क्या पाबन्दियां हमने उनके ऊपर लगाई हैं। 10-एच में जो रेफरेन्स किया है वह इन बिन्दुओं पर किया है :

(1) क्या संस्थान द्वारा 10-1-83 से 17-2-83 तक ले आफ करना उचित एवं वैध है?

(श्री हीरालाल देवपुरा)

(2) क्या जे. के. समूह द्वारा छंटनी करना उचित एवं वैध था ?

(3) यदि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एन को अवैधानिक घोषित किया जाता है तो क्या उक्त अधिनियम की अन्य धाराओं के अन्तर्गत छंटनी करना उचित एवं वैध था ?

(4) क्या जे. के. समूह की श्रमिकों द्वारा 17-2-83 से जब तक वे कार्य पर नहीं आये, नहीं आना उचित एवं वैध था ?

यह हमने रेफरेन्स किया है इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को।

10-के के अन्दर जो उनके ऊपर पाबन्दियां आयत की हैं वह इस प्रकर हैं :

(1) यह कि समस्त गैर छंटनीशुदा श्रमिक तुरन्त अपने काम पर लौट आयेंगे।

(2) नियोजक यथा सम्भव प्रयास करेंगे कि छंटनीशुदा श्रमिकों को अन्य विभागों में एवं नयी इकाइयों में कामपर ले लें।

(3) व्यवस्थापक किसी श्रमिक को 17-2-83 को तथाकथित हड़ताल में भाग लेने के लिए दण्डित नहीं करेंगे।

(4) यह कि व्यवस्थापक उन सब श्रमिकों, जो कि कार्य पर वापस लौटेंगे, 600 रुपये अग्रिम के रूप में देंगे। वह राशि न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार समावेश की जायेगी।

(5) उन छंटनीशुदा श्रमिकों को भी 1000 रुपया दिया जायेगा एवं उनका समावेश भी औद्योगिक विवाद न्यायाधिकरण के समक्ष जो धारा 10-के के अन्तर्गत रेफरेन्स किया गया गया है, के निर्णय के अनुसार किया जायेगा। यह उन श्रमिकों पर लागू नहीं होगा जो श्रमिक व्यवस्थापक के साथ अपना पूरा हिसाब करना चाहते हों। तो यह हमने जारी कर दिया है। उसके बाद वहां औद्योगिक दृष्टि से कोई अशांति नहीं है, शांति है, जे. के. सिन्थेटिक्स आज चालू है, बराबर चल रहा है, हाई कोर्ट का निर्णय अभी नहीं हुआ है। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद जो भी स्थिति बनेगी उस निर्णय के आधार पर राज्य सरकार पालना करेगी और मैं समझता हूं कि दोनों पक्षों को भी उस आधार पर पालना करनी होगी।

जहां तक सम्बन्ध है कृष्णा मिल का, अध्यक्ष महोदय, कृष्णा मिल, ब्यावर के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि कृष्णा मिल, ब्यावर बहुत पुरानी मिल है। यह मिल बराबर चल रही थी। इस मिल मे आर्थिक दृष्टि से कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हुई। राज्य सरकार को कोई सूचना तो नहीं मिली लेकिन मिल मालिकों ने इस मिल के लिये हमको नोटिस दिया, 10-7-83 को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 एफ एफ के अन्तर्गत कि वे इसको क्लोज करना चाहते हैं। उन्होंने निम्न कारण इसके बताये :—

(श्री हीरालाल देवपुरा)

देश में काटन टेक्सटाइल इण्डस्ट्री में भयंकर मंदी आई हुई है। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपनी आर्थिक दृष्टि से कुछ कारण बताये। जो नोटिस उन्होंने दिया था, जो 60 डेज का नोटिस होता है दुर्भाग्य से उसका पूरा पीरियड नहीं निकल पाया, पूरा नहीं हो पाया और ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिससे मिल के अन्दर काम होना बन्द हो गया। न माल खरीद सकते थे, न काम कर सकते थे। कुछ दिन तक मजदूर चलते रहे। लेकिन अन्त में स्थिति ऐसी आई कि मिल को बन्द करना पड़ गया और मिल मालिक, मैनेजमेंट मिल छोड़ कर चला गया। वह मिल बन्द हो गई। इसकी सूचना हमें मिली। इस सूचना के मिलने पर इस बात की कोशिश की गई कि दोनों पार्टी से मिलकर बातचीत की जाये। मैंने अपने लेवल पर कोशिश की। इसके अतिरिक्त जिलाधीश के लेवल पर अग्रिम नोटिस प्रेषित किया गया। इसके अतिरिक्त डिप्टी लेबर कमिश्नर, अजमेर के लेवल पर बातचीत करने की कोशिश की गई। बातचीत की कोशिश का परिणाम यह निकला कि मिल मालिक इसको चलाने के लिए प्रयत्नशील हैं और श्रमिक बन्धु भी इस बात के लिये प्रयत्नशील हैं। वे भी नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का कोई विवाद खड़ा हो। वे यह मिल चलाना चाहते हैं। इस बीच में यह बात चलते हुए यह दो तीन सुझाव आये थे जिन पर राज्य सरकार विचार कर रही है। एक सुझाव तो यह आया था कि इस मिल को रिलीफ अन्डरटेकिंग को दे दिया जाये जिससे इनको राहत मिले और कुछ बैंक की तरफ से लोन मिल सके और वह लोन लेकर काम कर सकें। दूसरा सुझाव यह आया था कि इसकी कोई गारंटी दी जाय, बैंक गारन्टी ताकि बैंक से लोन मिल जाये और यह आगे चल सके। आज जिस स्थिति में मिल चल रही है शायद बैंक गारन्टी में भी पार नहीं पड़े। श्रमिक बन्धुओं की तरफ से भी सुझाव आया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल श्रमिकों का एक जुलूस आया था, उन्होंने अपना प्रदर्शन किया था। इस सदन के माननीय सदस्य, बजारी भी उपस्थित थे उस वक्त, जो डेपुटेशन मुझ से मिला, मेरी उनसे जो बातचीत हुई उसमें इजहार किया कि यदि इस मिल को सहकारिता के आधार पर चलाया जाये तो श्रमिक बन्धु अपना हिस्सा देने को तैयार हैं। इस दृष्टि से भी मिल मैनेजमेंट से बातचीत हुई। वे भी इस प्रस्ताव से सहमत हो गये। प्रोविडेन्ट फण्ड का जो पैसा मजदूरों का जमा है उस पैसे का उपयोग मजदूरों के हिस्से के हिसाब से किया जाये और सहकारी आधार पर इस मिल को चलाया जाये। श्रमिक और मैनेजमेंट मिलकर मिल चला सकते है इस बात को भी सोचा जा रहा है। इस दृष्टि से श्रम विभाग की ओर से उद्योग विभाग को लिखा जा रहा है कि इनकी मोनेट्रीज तय की जायें क्योंकि इसमें उद्योग विभाग और सहकारिता विभाग, दोनों को साथ बैठा कर निर्णय लेना होगा। इस आधार पर यह बात चल रही है। यह बात जरूर है कि आज जो श्रमिक वहां पर हैं उनको जून, जुलाई और अगस्त, इन तीन महीनों का पेमेंट नहीं हुआ। उनके लिये विभाग की ओर से प्रयत्न जारी हैं। मजदूरों के लिये क्लेम भी

(श्री हीरालाल देवपुरा)

पेश हो चुका है । उस क्लेम के आधार पर मिल के अन्दर जो प्रॉपर्टी है, जो माल है उसको नियमानुसार अटैच किया हुआ है ताकि जो स्थिति आये, क्लेम जब तय हो जाये तब मजदूरों का चुकारा किया जा सके । यहां तक कोशिश की गई कि एक महीने का पेमेंट मिल मालिकों की ओर से कर दिया जाये । लेकिन स्थिति कुछ ऐसी थी, श्रमिकों को शायद विश्वास नहीं हो पा रहा था कि यदि एक महीने का पेमेंट हम ले लेते हैं तो आगे पेमेंट होगा या नहीं होगा और माल भी बिक जायेगा । तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया । तीन महीने की तनख्वाह के पेमेंट का क्लेम पेश होने के बाद आज उसके बारे में कार्यवाही जारी है । यह स्थिति है कृष्णा मिल, ब्यावर की ।

तीसरी मिल जिसके बारे में डिस्प्यूट चल रहा है वह है, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान स्पिनर्स, भीलवाड़ा । राजस्थान स्पिनर्स, भीलवाड़ा की ओर से भी क्लोजर का नोटिस दिया गया था 19 अगस्त को 19.8 को नोटिस आया । क्लोजर का नोटिस 60 डेज का आया । इस बीच में राखी पर जो उनको हमेशा मिल की तरफ से एडवांस देते थे उस पाईंट को लेकर किसी बात पर विवाद हुआ । उस विवाद के आधार पर मिल मैनेजमेंट ने अचानक लाक आऊट कर दिया । लाक आउट की सूचना न तो विभाग को मिली, न किसी और को मिली । एक नोटिस निकाल दिया रात को और सवेरे लाक आउट कर दिया । वहां पर लाक आउट की स्थिति बनी रही । उस लाक आउट की जब सूचना मिली, हमने तत्काल उसके ऊपर एक्शन लिया । जिलाधीश से बात की, लेबर वैलफेयर आफिसर, डी.एम.सी से बातचीत की । उनसे कहा, साफ साफ बताओ क्या स्थिति है, क्यों लाक आउट किया है ? उस स्थिति की जानकारी आने के बाद मिल मालिकों को बुलाया । वे पूरी तरह बात करने नहीं आये । अन्त में, एक महीने बाद उनके वाइस चेयरमैन आये । वे लाक आऊट को वापस लेने के लिए तैयार नहीं हुए तो राज्य सरकार ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की धारा 10 (3) के अन्तर्गत लाक आउट को बैन करने का आदेश निकाल दिया । राज्य सरकार की तरफ से लाक आउट बैन कर दिया गया । मजदूरों में इस बात से संतोष है । राज्य सरकार ने लाक आउट कर दिया क्योंकि लाक आउट बैन करने के बाद उसके हस्तान्तरण का सम्बन्ध नहीं होता, न कोई हड़ताल मानी जाती है । मजदूरों को पूरा वेतन जिस दिन वह मिल खुलेगी तब तक मिल मालिक को देना होगा । आज इस स्थिति को हमने लागू किया हुआ है । हमने नोटिस दिया है इस बात का कि हमारे बैन करने के बाद भी लाक आउट नहीं खोला है हमने 10 दिन का नोटिस दिया है । कि पाबन्दी नहीं करने के कारण क्यों नहीं आपके खिलाफ प्रोसीक्यूशन किया जाय । मैं समझता हूं, अगर वे लाक आउट वापस नहीं खोलेंगे तो राज्य सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध होगी कि अगर आवश्यकता हुई तो हम मिल मैनेजमेंट का प्रोसीक्यूशन किया जाये । यह स्थिति राजस्थान स्पिनर्स, भीलवाड़ा की है ।

एक और रैफर किया था मेवाड़ टैक्सटाइल मिल, भीलवाड़ा के बारे में । अध्यक्ष

(श्री हीरालाल देवपुरा)

महोदय, इस समय विभाग के समक्ष मेवाड़ टैक्सटाइल मिल, भीलवाड़ा का कोई भी विवाद प्रस्तुत नहीं हुआ है और जहां तक मेरी जानकारी है, मेवाड़ टैक्सटाइल मिल, भीलवाड़ा बराबर चल रही है, वहां पर इस प्रकार की कोई बात नहीं उठी है। गत सप्ताह एक बात उठी थी, उन्होंने एक पाइंट बोनस बांटा है। कुछ लोगों ने उस पाइंट पर बोनस दिया है। वहांपर भी लेबर यूनियन का इन्टरनल कुछ झगड़ा है। दूसरी यूनियन्स होंगी, मुझे पता नहीं। जैसी मुझे जानकारी मिली है, उन्होंने बोनस के किसी पाइंट पर झगड़ा किया। कुछ ऐसा वातावरण बन गया जिससे ऐसा महसूस किया जाने लगा कि शायद यह मिल भी लाक आउट कर देगी। अध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने स्थानीय श्रम विभाग के अधिकारियों से मिल कर जो बात की उससे स्थिति ठीक हो गई और लाक आउट नहीं किया गया। मिल आज बराबर चल रही है। यह स्थिति है मेवाड़ टैक्सटाइल मिल की।

अब दूसरी एक बात है, भिवाड़ी के अन्दर सिन्थेटिक्स का मामला चला। इस संबंध में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इतना ही निवेदन करना है कि आज भिवाड़ी की मिल चल रही है। उन्होंने लाक आउट किया था। कुछ ला एण्ड आर्डर की स्थिति बिगड़ गई थी। और कुछ ऐसी स्थिति हुई जिससे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को इन्टरवीन करना पड़ा। कुछ ऐसी स्थिति बनी जिसके कारण शायद गोली भी चलानी पड़ी। उस स्थिति के अन्दर मिल मैनेजमेंट ने लाक आउट किया। लाक आउट के बाद श्रम विभाग के अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट अथोरिटीज ने मिल कर बातचीत की और आज स्थिति वहां यह है कि लाक आउट खुल चुका है और सारे मिल मजदूर मिल के अन्दर काम पर चले गये हैं। ला एण्ड आर्डर की जो स्थिति वहां पर हुई उसका सीधा संबंध मेरे से नहीं है, स्थिति क्या हुई। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि लाक आउट किया गया था, वह लाक आउट वापस ले लिया है, मिल चल रही है। परसों पांच तारीख को मिल चालू हो गई है। वहां पर औद्योगिक अशांति को दिक्कत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के बारे में बराबर यह सोचा जा रहा है कि इन मिलों के अन्दर औद्योगिक अशांति का वातावरण बन रहा है। जो छंटनी हुई है उसके सम्बन्ध में, लेबर जो वर्क पर नहीं है उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से, श्रम विभाग की ओर से क्या क्या एक्शन लिये गये हैं उसके संबंध में मैंने निवेदन किया।

एक मिल, जयपुर स्पिनिंग के बारे में, चर्चा की गई। जयपुर स्पिनिंग मिल, मैं समझता हूं, 3-82 से बन्द है और आज तक बन्द है। उसने न कोई नोटिस दिया है, न क्लोजर का नोटिस दिया है। श्रम विभाग और राज्य सरकार की ओर से यह कोशिश की जा रही है कि यह मिल किसी तरह से चालू हो। इसके लिये उसको बैंक गारंटी भी दी गई।

1।। करोड़ की पहले दो गई, 50 लाख की देने की दूसरी बार बात हुई। पहले

(श्री हीरालाल देवपुरा)

वाली गारंटी को आपरेट करने की बात हुई थी लेकिन बैंक ने मिल की स्थिति को देखते हुए और मिल मालिकों के एटीट्यूड को देखते हुए उस गारंटी को स्वीकार नहीं किया इसलिये मिल चल नहीं सकी। राज्य सरकार बराबर इस बात की कोशिश में है कि किसी प्रकार मिल चले। एन. टी. सी. से भी इस बारे में चर्चा चल रही है कि जो इस प्रकार की मिलस चल नहीं पा रही हैं उनको एन. टी. सी. ले लेकिन मैं समझता हूं कि एन. टी. सी भी इस स्थिति में नहीं है कि इन मिलों को ले सके। फिर भी राज्य सरकार इस बात के लिये प्रयत्नशील है कि खास तौर से जयपुर स्पिनिंग मिल की आज जो स्थिति बनी हुई है उस दृष्टि से और भीलवाड़ा की राजस्थान स्पिनर्स की जो स्थिति बनी हुई है उस दृष्टि से यह मिलें वापस चलें। ब्यावर की कृष्णा मिल के बारे में, मैं समझता हूं, जैसे एप्रोच मैनेजमेंट और श्रमिक बन्धुओं, दोनों की रही है उस से मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा लम्बा समय नहीं लगेगा और यह मिल चालू हो सकेगी। लेकिन दो मिलों के बारे में मैं भी चिन्तित हूं कि किसी प्रकार से कोई रास्ता निकले और यह दोनों मिल भी चालू हो सकें।

तो जो वस्तु स्थिति थी और जो एक्शन्स राजस्थान सरकार और श्रम विभाग ने अपने स्तर पर किये और इन स्थगन प्रस्तावों के अन्दर जो जिक्र किया गया, उस सम्बन्ध में मैंने, अध्यक्ष महोदय, आपके सामने और सदन के सामने सारी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बैठ जायें। आसन पैरों पर है।

इस सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने कई प्रकार के प्रस्ताव दिये थे। चूंकि समय काफी हो गया है इसलिए इस विषय पर सम्पूर्ण चर्चा 3 बजे समाप्त हो जायेगी। इसमें जिन माननीय सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अथवा स्थगन प्रस्ताव दिये थे वे हैं, माननीय श्री विष्णु बजारी, श्री सी.पी. जोशी, श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री त्रिलोक सिंह और श्री मेघराज तावड़। माननीय सदस्य, समय सीमा 3 बजे समाप्त हो जायेगी। इस सम्बन्ध में सबको इजाजत नहीं दूंगा।

माननीय सदस्य, यह चर्चा तीन बजे समाप्त हो जाये, यह कोशिश होनी चाहिए।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : जे के. सिन्थेटिक्स, कोटा.....—

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम अपनी बात तो कहेंगे।

श्री अध्यक्ष : कोई सामान्य चर्चा नहीं होगी। जिन माननीय सदस्यों के प्रस्ताव हैं, उनके नाम मैंने बोल दिये हैं। तीन बजे का समय है। कोई मैं आपको इस अधिकार से वंचित नहीं कर रहा हूं। प्रश्न के रूप में माननीय सदस्य पूछना चाहें तो तीन बजे तक की सीमा है। सही तीन बजे चर्चा समाप्त होगी। आर्डर, आर्डर, बैठ जायें। तीन बजे तक मैं अवसर दे दूंगा लेकिन इसमें लम्बे भाषण नहीं होंगे। श्री विष्णु बजारी।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : नाम तो सबके होने चाहिए ।

श्री विष्णुप्रकाश बजारी (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक दो प्रश्न पूछना चाहूंगा । हमारे ब्यावर की जो श्री कृष्णा मिल्स लिमिटेड है उसको आप अधिनियम वगैरह बनाकर कितने दिन में कोआपरेटिव सैक्टर में चालू कर सकेंगे ? एक बात तो यह है ।

दूसरी बात, मैं पूछना चाहूंगा कि जो कोआपरेटिव बेसेज पर आप मिल चलायेंगे, उसमें मजदूरों और मिल मालिकों का हिस्सा क्या रहेगा ? इस सम्बन्ध में भी आप सदन को बतायें । तीसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिलाधीश, अजमेर की अध्यक्षता—

श्री यदुनाथ सिंह : कोआपरेटिव सैक्टर में आने के बाद मालिक कहां रह जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री विष्णुप्रकाश बजारी : जिलाधीश, अजमेर की अध्यक्षता में 9.8.1983 को जो आपस में फैसला हुआ कि मजदूरों का बकाया वेतन मिल मालिक मिल के तैयार माल को बेचकर चुका देगा, इस फैसले की पालन मिल मालिक ने नहीं किया । राज्य सरकार ने भी अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की । इस सम्बन्ध में भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप मिल मालिक के खिलाफ कार्यवाही करके मजदूरों का बकाया वेतन दिलावें ।

श्री अध्यक्ष : श्री सी.पी. जोशी ।

[अनुपस्थित]

श्री त्रिलोक सिंह

श्री त्रिलोक सिंह (फतहपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो औद्योगिक नीति का सवाल है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा । खास तौर से कोटा के जे. के. सिन्थेटिक्स, जहां मजदूरों को 7 महीने पहले बेदखल कर दिया, उनके साथ क्या गुजरी, के बारे में मन्त्री महोदय ने जिस तरह से लीपा-पोती की है वह हकीकत से बिलकुल परे है । अभी मैं 19 तारीख को कोटा गया था । लगातार यह कहने के बावजूद कि वहां मजदूरों का घोर दमन हो रहा है, सरकार ने एक्शन नहीं किया । पहली बात तो यह है कि किसी भी हुकूमत में मिल मालिक को यह आजादी कब दी गयी है कि वह मनमाने ढंग से तालाबन्दी कर दे ? यह बात मेरी समझ में नहीं आती है कि वह तालाबन्दी कर देता है तो सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती ? यहां उल्टा हुआ, 2500 मजदूरों को बिना कानून के बेदखल कर दिया । जब सरकार पर इधर उधर से दबाव पड़ा, लोग आवाज बुलन्द करने लगे तो सरकार ने फौज, भेजकर कोटा के मजदूरों का जो दमन किया है वह नाकाबिले बर्दाश्त है । मैंने मेरी जिन्दगी में बड़ी-बड़ी जद्दोजहद देखी हैं । इलाके में जागीरदारों ने खून किये हैं, किसानों ने उनका मुकाबला किया है । मैंने लाशें बिछी हुई देखी हैं । परन्तु कोटा के मजदूरों पर जो गुजरी, ऐसा दमन मैंने कहीं नहीं देखा ।

मैं 19 तारीख को कोटा गया । कोटा में मजदूरों की बस्तियों में गया । उनसे

(श्री त्रिलोकसिंह)

मिला, उनके घरवालों से मिला। उनके साथ क्या गुजरी, उसका बयान थोड़े शब्दों में पेश करता हूं। एक ईश्वरीदत्त, 95 साल का एक मजदूर का बाप था, जब उसने मुझे देखा तो रोने लग गया। और कहने लगा, मुझे और मेरे बेटे की बहू को पुलिस ने आकर मारा और यह बताया कि वह काम करने वाला कहां है। मजदूरों को फौज और पुलिस के जरिये मोहल्लों और गलियों से लाठियों और बन्दूकों के जोर पर जबर्दस्ती पकड़कर....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री त्रिलोक सिंह : ले गये। जो मजदूर 7 महीने के भूखे प्यासे थे और रोटी मांगते थे उनको लाठियां दी गयीं, जेल दी गयी। मैंने खुद जेल में जाकर देखा कि 110 मजदूरों को बिना वजह इस सरकार ने बन्द कर रखा है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह जनता की सरकार है या जे.के. की सरकार है ? सिंघानियों की सरकार है या मजदूरों की सरकार है ?

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री त्रिलोक सिंह : गुनाह तो सिंघानिया का था, उसने तालाबन्दी की थी और जेल में मजदूरों को भर दिया गया, लाठियां मजदूरों के ऊपर बरसायी गयीं। मजदूरों को जबर्दस्ती कारखानों में ले जाया गया। हमारी मांग यह है कि कोटा के मजदूरों को पूरे 7 महीने का वेतन दिया जाय और जो छटनी की है, उन तमाम मजदूरों को काम पर लिया जाय। यही मांग हमारे ब्यावर के मजदूरों की है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें।

श्री त्रिलोक सिंह : उनको काम पर लिया जाय और जो वेतन नहीं दिया गया वह वेतन दिया जाय। यही हमारी मांग भिवाड़ी के बारे में है जहां दो मजदूरो को पकड़कर—

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, लम्बा भाषण न करें।

श्री त्रिलोक सिंह : अभी एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है।

श्री त्रिलोक सिंह : एक मिनट। भिवाड़ी में दो मजदूरों को मारकर किसानों के खेतों में दाब दिया गया। यह राज है या तमाशा है ? यह सरकार टाटा, बिड़ला सरमायेदारों की जागीर है ? हमारे श्रम मंत्री ऐसा बयान देते हैं जिससे हमें ताज्जुब होता है। एक तो सरकार सेठों की तावेदारी कर रही है, मजदूरों को बेदखल कर रही है इसलिए मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं, वक्त रहते औद्योगिक कारखानों की तालाबन्दी जबर्दस्ती तुड़वाये, मजदूरों को काम पर ले, मजदूरों की बकाया चुकाये और राजस्थान के विकास के काम में सहयोग दे।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री मेघराज तावड़। संक्षेप में।

श्री मेघराज तावड़(गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल संक्षेप में, प्रश्नों के रूप में कहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं सबसे पहले एक बात के लिए तो श्रम मंत्री और मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जे.के. सिन्थेटिक्स में 7 महीने से चल रही तालाबन्दी पर ध्यान नहीं दिया। वे केवल यह कहते रहे कि कोर्ट में चले गये, यह बहाना करते रहे, यह ताज्जुब की बात है। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद इस बात पर देना चाहता हूं कि भीलवाड़ा में राजस्थान स्पिनर्स मिल्स में जब तालाबन्दी करने की बात आयी, और तालाबन्दी करने लगे तो चूंकि मुख्य मंत्री भीलवाड़ा के हैं, उनके अपने जिले की बात थी इसलिए उन्होंने अविलम्ब इण्डिस्ट्रयल डिस्प्यूट्स एक्ट की धारा 10 [3] के अन्तर्गत मिल मालिकों को पाबन्द कर दिया लेकिन राजस्थान की जो दूसरी औद्योगिक मिल 7 महीने तक बन्द रही उसके मजदूरों के साथ खिलवाड़ किया गया। क्या आप चाहते हैं कि केवल भीलवाड़ा को आपको पनपाना है ? आप राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं, केवल भीलवाड़ा जिले के ही नहीं हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आप राजस्थान के इन 40 हजार मजदूरों के साथ, जो काम कर रहे हैं, चाहे वह जयपुर स्पिनिंग मिल्स के हों या ओरियन्टल मिल्स, भिवाड़ी वाली हो, माननीय मंत्री महोदय ने अभी यह बात कही कि वहां कोई झगड़ा नहीं हुआ, मिल चालू हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ताज्जुब हुआ यह सुनकर। मिल मालिक के गुंडों ने मजदूरों की पिटाई की और वह मर गया। उसकी मांग और मजदूरों की मांग को लेकर मजदूर वहां गये।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करे, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिवचरण माथुर की पुलिस के द्वारा, पुलिस के गुण्डों के द्वारा गोली मारकर मजदूर की हत्या कर दी गई।

कृष्णा मिल्स, ब्यावर के बारे में यह बात कही गई कि वह घाटे में है। जे. के. सिन्थेटिक्स तो पहले घाटे में नहीं थी या ओरियन्टल मिल भिवाड़ी वाली घाटे में नहीं थी। यदि घाटे में है तो राजस्थान की सरकार औद्योगिक नीति पर मौन क्यों है, निष्क्रिय क्यों है ? आप सेठों का मुंह देखते हो, सेठ आप पर दबाव डालना चाहते हैं, ये मिल मालिक घाटा बताकर आप पर दबाव डालना चाहते हैं और आपसे रियायतें लेना चाहते हैं। केवल इसी बात के लिये, सेठों को फायदा पहुंचाने के लिये आप मजदूरों का गला घोटने की बात करते हैं। यही नहीं, कृष्णा मिल में बराबर मजदूरों को –

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री मेघराज तावड़ : एक प्रश्न पूछकर बात समाप्त करता हूं, अध्यक्ष महोदय, मजदूरों को बोनस नहीं मिला, तीन महीने की तनख्वाह नहीं मिली। आपके पास 50 लाख का सामान उनका पड़ा हुआ है। आपने यह बात कही कि कई जगह मजदूर सहकारी समिति बनाकर मिल चलाने को तैयार हैं। मंत्रीजी इस बात को स्पष्ट करें कि क्या आप मजदूरों को ही सारी जिम्मेदारी देना

(श्री मेघराज तावड़)

चाहते हैं ? मजदूरों को ही वह मिल देना चाहते हैं या सरकार का भी हिस्सा रखना चाहते हैं या उन सेठों का हिस्सा रखना चाहते हैं ? फिर कहीं ऐसा धोखा नहीं हो मजदूरों के साथ कि मजदूरों को देकर वापस सेठों को दे दें । यही कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी । संक्षेप में ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान में पिछले 6–7 महीनों से मजदूरों की जिस प्रकार की स्थिति बनी है शायद ही कोई ऐसा समय होगा जब राजस्थान में इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हुई हो । अध्यक्ष महोदय, 5–6 बड़ी फैक्ट्रियों के नाम तो गिनाये गये लेकिन इस प्रकार के 20 उद्योग हैं जिनमें कम से कम चार सौ से लेकर दो-चार हजार मजदूर काम करते हैं । इस प्रकार के 20 उद्योग राजस्थान में तालाबन्दी के शिकार हो रहे हैं । उनके 20 हजार मजदूरों को बेकार करके घर बैठा दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था, उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि प्राइवेट फैक्ट्रीज के अतिरिक्त 10 हजार मजदूरों की छंटनी हुई है, सी.ए.डी. और सिंचाई विभाग के अन्दर....

श्री अध्यक्ष : यह उद्योग में नहीं आते हैं । आपका स्थगन प्रस्ताव उद्योग के सम्बन्ध में है । यह विभाग से सम्बन्धित है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उसमें लिखा है ।

श्री अध्यक्ष : अभी जो है वह उद्योग के सम्बन्ध में है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कुल मिलाकर दस हजार मजदूरों की छंटनी के साथ कुल मिलाकर तीस हजार मजदूर राजस्थान में छंटनी के शिकार होकर बेकार हो गये हैं । अध्यक्ष महोदय, आप सोचें, अगर एक आदमी पर पांच व्यक्ति आश्रित हों तो आज डेढ़ लाख लोगों के सामने रोटी-रोजी की समस्या विद्यमान है । अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने स्टेटमेंट देकर यह बताने की कोशिश की है कि इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट के अन्दर कार्यवाही करने की कोशिश की है लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिस जयपुर स्पिनिंग मिल में ढाई हजार आदमी काम करते हैं वह आज बंद पड़ी हुई है । उसके अन्दर जो बकाया थी उसका तो भुगतान हुआ ही नहीं, जो मजदूरों की भविष्य निधि का पैसा था वह पैसा भी मिल वाले खा गये । एक पैसा उनको नहीं दिया । मिल वालों के खिलाफ केस किया जा सकता था, वह पैसा दिलाया जा सकता था, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, वह पैसा दिलाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार कृष्णा मिल, ब्यावर की है । आप यह कहते हैं कि वह घाटे में चल रही है इसीलिये उसको बंद कर दिया । उसकी जितनी सम्पत्ति थी, जितनी जमीन जायदाद थी वह सारी मिल मालिकों ने सरकार से मिलकर तीसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर कर दी । उससे जो आय

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

होती थी उसको खतम कर दिया। सरकार की जानकारी में था यह तो। इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। अचानक लाक आउट करके 1600 मजदूरों को घर बैठा दिया। आपकी सरकार ने कह दिया कि लाक आउट को हमने गैर कानूनी घोषित कर दिया है, उनके पैसे का भुगतान करा देंगे। अध्यक्ष महोदय, सरकार भुगतान करायेगी कहां से ? सारी की सारी सम्पत्ति, पैसा दाब कर बैठ गये। अब टूटी मशीनें पड़ी हैं उसमें सरकार क्या करेगी ?

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार भीलवाड़ा में किया गया। भीलवाड़ा मिल में जिस प्रकार का कांड हुआ मैं उसके बारे में ज्यादा वर्णन नहीं करना चाहूंगा, भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य उसके बारे मे कहेंगे लेकिन, अध्यक्ष महोदय, तीन हजार मजदूरों के साथ जिस प्रकार की चोट माथुर सरकार ने की है उस प्रकार की चोट कोई सरकार नहीं कर सकती है। अध्यक्ष महोदय, आप मानें या नहीं मानें, यह आम जनता की बात है, आम आदमी आज यह कहता है कि इस मिल को बंद कराने में मुख्य मंत्री का हाथ है। मुख्य मंत्री ने मालिकों से मिलकर इस मिल को बंद कराया है। इसके लिये प्रमाण मौजूद हैं। उस पर आप कोई कार्यवाही नहीं करते हैं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, श्री बंशीलाल पटवा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, कोई नोटिस नहीं दिया गया। बंद करने की कार्यवाही के लिये नहीं कहा गया, अचानक शटर डाउन करके मिल को बंद करके चले गये। आज राजस्थान के अन्दर 20 हजार मजदूर इन औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सेठों के शिकार होकर बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : समय तीन बजे समाप्त हो जायेगा। आर्डर प्लीज। श्री पटवा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां इस प्रकार के अड़ंगे डाले गये, सरकार मजदूरों के साथ सख्ती से पेश आई है। मजदूरों पर गोलियां चलायी हैं। उनके खिलाफ कार्यवाही की है।

(व्यवधान)

लेकिन मालिकों के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती है। इससे स्पष्ट है, सरकार मालिकों के साथ मिलकर कर्मचारियों का दमन करने पर उतारू है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बैठ जायं। श्री बंसीलाल पटवा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं निवेदन करूंगा कि इन मिलों को चालू कराया जाये।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। माननीय सदस्य, बैठ जायं। अंकित न हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाडा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने भीलवाड़ा स्पिनिंग मिल के बारे में यह बताया कि 19 तारीख को क्लोजर का नोटिस लगा दिया। मेरा इस सम्बन्ध में इतना सा निवेदन है कि भीलवाड़ा स्पिनिंग मिल को राखी के दूसरे दिन बंद किया गया। रातों रात वहां से कच्चा माल, डीजल, छोटा-मोटा सामान, सब पुलिस के पहरे में लेकर वे चले गये। पुलिस के प्रोटेक्शन में वह सारा सामान लेकर चले गये और मिल बंद कर दी। क्लोजर का नोटिस 19 तारीख को लगाया गया, माननीय मंत्री महोदय ने कहा। मेरा इस सम्बन्ध में यह निवेदन है, 19 तारीख को उन्होंने तालाबंदी का नोटिस लगाया। उस सम्बन्ध में सरकार के श्रम अधिकारी, या जो भी वहां बैठे हैं, ने कोरसपोंडेंस के तौर पर कोई जानकारी सरकार को दी? जानकारी दी तो इस तरह क्यों हुआ? पुलिस के प्रोटेक्शन में सारा सामान लेकर चले गये। कैसे लेकर चले गये? डीजल लेकर चले गये, कच्चा माल लेकर चले गये, डीजल-तेल वगैरह सब लेकर चले गये।

श्री अध्यक्ष : यह बात आपने कह दी। पुनरावृत्ति न करें।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री बंसीलाल पटवा : मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है, 19 तारीख को क्लोजर का नोटिस लगा। राखी के दूसरे दिन तालाबन्दी की गई। छल-कपट और सरकार की मिलीभगत के आधार पर आज तीन हजार मजदूर वहां बेकार घूम रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात तो रख दूं, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। तीन बजे चर्चा समाप्त हो जायेगी। आप दुबारा इसको—

श्री बंसीलाल पटवा : आज उस स्पिनिंग मिल का नाम चेंज किया गया है! उसका नाम राजस्थान स्पिनिंग मिल था। अब उसकी जगह स्पिनर्स मिल कर लिया गया है। इसमें किसका हाथ था? आज वे उस मिल को भोपाल की यूनिट एस. टी. सी. से जोड़ना चाहते हैं। इसके लिए सरकार भी काम कर रही है। बल्कि मैं आपको बताऊं, सरकार इसमें पहल इसलिये कर रही है कि वहां पर बम्पर प्राफिट होता है। इनकम टैक्स का एक पाइन्ट होता है जहां मैक्सिमम पाइन्ट पर इनकम टैक्स लगता है। उस पाइन्ट को लेवल पर लाने के लिए इस मिल को जोड़ा जा रहा है। रेवन्यू का लास केन्द्रीय सरकार को देने की दृष्टि से यह सारा षड्यंत्र राजस्थान सरकार कर रही है। सरकार की मिलीभगत के आधार पर नाम बदला गया। एस. टी. सी. से जोड़ने के लिये सारा इस तरह का प्रयत्न किया जा रहा है। तीन

(श्री बंसीलाल पटवा)

हजार मजदूरों के पेट पर लात मारने का काम तो सरकार कर ही रही है, केन्द्रीय सरकार को रेवन्यू लास देने की दृष्टि से, मैं आपको बताऊं, राजस्थान सरकार के बड़े अधिकारी, मुख्य मन्त्री और उस जिले के अन्य मन्त्री इस में शरीक हैं और उन्होंने मिलीभगत के आधार पर तालबन्दी करवा दी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री बंसीलाल पटवा : मिल की तालाबन्दी समाप्त नहीं करायी गई।

श्री अध्यक्ष : अब सम्भव नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री बंसीलाल पटवा : मजदूरों को काम नहीं मिला, मिल चालू नहीं हुई तो, मैं आपको बताऊं, भीलवाड़ा में अशांति बढ़ेगी।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री बंसीलाल पटवा : × × ×

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, उत्तर देंगे। अब समय देना मेरे लिये सम्भव नहीं है।

(व्यवधान)

ध्यानाकर्षण आपका होता रहे। समयाभाव के कारण—

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हमने कोटा जिले का रखा है। मैं सवाल पुट कर रहा हूं।

मैंने स्थगन प्रस्ताव पेश किया है आपके पास।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव तो कई आते हैं पर सब पर चर्चा नहीं होती है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह विषय आया है जिस पर हम...

श्री अध्यक्ष : दो मिनट यदि आप चाहें—

श्री दाऊदयाल जोशी : एक मिनट मुझे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप एक मिनट में कह ही नहीं सकते।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लम्बी चर्चा नहीं करनी।

मैं एक बात कहना चाहता हूं मात्र जे. के. सिन्थेटिक्स के बारे में मंत्री महोदय से। क्या कारण था कि जे. के. सिन्थेटिक्स के मजदूरों ने हड़ताल की ? आज स्पष्ट हो गया कि सरकार से मिलकर जे. के. सिन्थेटिक्स वालों ने तालाबन्दी की और दो

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

हजार तीन सौ श्रमिकों को निकाल दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, आप मेरे साथ चलें। आटोमेटिक मशीन इस जे. के. फैक्ट्री में इस परिमाण में आ रही हैं कि जो पुरानी मशीनें हैं, उन पर लोगों को काम मिल सकता था, मजदूरी मिल सकती थी लेकिन वह सारी मशीनें यहां से शिफ्ट की जा रही हैं। यह कारण है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसके कारण दो हजार तीन सौ मजदूरों की छंटनी कोटा में की गई है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि एक तरफ लोगों के हाथ बेकार हैं, बेकारी में पल रहे हैं उस समय मालिक इस प्रकार का काम करते हैं जिससे लोग बेकार हों। मेरा तो स्पष्ट आरोप है, जैसा मैंने पिछली बार लगाया था, जिस समय उन्होंने तालाबन्दी की थी सरकार को मिली-जुली साजिश से की थी।

श्री हीरालाल देवपुरा : तालाबन्दी हुई कहां ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बात होकर की थी। मैंने मुख्य मंत्री पर स्पष्ट आक्षेप किया था, आज मैं फिर कहता हूं, मैं अब भी कहता हूं, मंत्री महोदय, आप इसकी तफतीश करें, क्या एक पुरानी मशीन फैक्ट्री से हटाकर आटोमेटिक मशीन लायी जा रही है ? इसका एक मात्र कारण यह है कि अगर मजदूरों के हितों में कोर्ट में फैसला भी हो गया तो आटोमेटिक मशीनें बता कर मजदूरों को धता बता दी जायेगी। यह बहुत बड़ा धोखा राजस्थान के मजदूरों के साथ होगा।

एक बात और कहूंगा कि जयपुर मैटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स में भी कहीं ऐसा न हो कि एक महीने बाद यह सुनें कि उसकी भी तालाबन्दी कर दी गई है। जो हालात जयपुर मैटल्स में चल रहे हैं, उससे स्पष्ट है, जे. के. सिन्थेटिक्स का जैसा आपने उदाहरण दिया है उसी प्रकार की स्थिति वहां बनने वाली है। जो हालात बन रहे हैं, किस प्रकार का स्थिति वहां बन रही है, जैसी स्थिति में वह फैक्ट्री चल रही है उसके नाते हम बार बार मांग कर रहे हैं कि जयपुर मैटल्स को हस्तगत क्यों नहीं करते। वही समस्या वहां खड़ी हो जायेगी। इसलिये इन दो बातों के बारे में स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि मशीनीकरण के सम्बन्ध में आप अवश्य उत्तर दिलायें।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, आप यह बता दीजिये, आपने बड़ी जोर की डींग हांकी है कि जे. के. सिन्थेटिक्स चालू हो गई। आप यह बता दीजिये, वह किसके बल पर चालू हुई है ? क्या पुलिस के बल पर, सी. आर. पी. के बल पर, आर. ए. सी. के बल पर नहीं ? मैं मंत्री महोदय, आप से यह पूछना चाहता हूं कि जे.के. सिन्थेटिक्स चालू हो जाने के बाद सी. आर. पी. के कितने जवानों को कोटा भेजा गया ? क्या यह सत्य नहीं है कि जे. के. बैडमिण्टन हाल को पुलिस की छावनी बना दिया गया ? क्या यह सत्य नहीं है कि जे. के. सिन्थेटिक्स को खुलवाने के लिये, मजदूरों के हितों को कुचलने के लिये मिल मालिक के हित में जे. के. सिन्थेटिक्स के मालिकों द्वारा सुबह शाम

(श्री दाऊदयाल जोशी)

लगातार 28 दिन तक पुलिस के खाने और नाश्ते की व्यवस्था नहीं की गई? क्या उनका खाना पुलिस के लंगर से आया था? यदि नहीं, तो यह प्रमाणित है कि सरकार और मालिक दोनों मिल कर जे. के. सिन्थेटिक्स के मजदूरों की छंटनी करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वहां गये सी. आर. पी. के जवान जे. के. सिन्थेटिक्स में रुके थे या पुलिस की छावनी में? कहां रुके थे?

श्री अध्यक्ष : समय समाप्त हो गया इसलिये बहुत ही संक्षेप में कहें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, कौन-कौनसी मिल बन्द हुई और कौनसी नहीं हुई, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैंने मंत्री महोदय का वक्तव्य सुना इससे मुझे ऐसा लगा कि सरकार के पास कोई रेमेडी नहीं है। मैं यह निवेदन करना हूं कि इस प्रकार की परिस्थिति बिहार में उत्पन्न हुई। बिहार सरकार ने जिन्होंने भी लाक आउट किया उनमें से एक कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया और उसके साथ ही भारत सरकार की अनुमति प्राप्त हो गई। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसे जयपुर स्पिनिंग मिल है वह एक वर्ष से बन्द पड़ी है। सरकार ने कितनी कोशिश की या नहीं की लेकिन वह मिल नहीं चली। यही स्थिति भीलवाड़ा, ब्यावर और कोटा में पैदा हो रही है। क्या सरकार किसी एक कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर इन सारी कंपनियों के मालिकों के सामने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकती कि ज्योंही किसी ने गैर-कानूनी ढंग से लाक आउट किया त्योंही सरकार राष्ट्रीयकरण कर लेगी। इसके आगे निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार शायद इस बात से डरती हो कि यदि हमने राष्ट्रीयकरण किया तो पूंजी का कितना कंपेनसेशन देना पड़ेगा। अभी भारत सरकार ने निर्णय किया है कि किसी भी ऐसी कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया जाय तो रि-वेल्यूवेशन के आधार पर उसकी कीमत आंकी जाय उसका नहीं किया जाय, बल्कि मूल में जितनी पूंजी लगी है उसके आधार पर कंपेनसेशन निर्धारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : रुपया उस वक्त चांदी का था उसके हिसाब से करेंगे या—

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं, चांदी का नहीं, उस समय जो मूल पूंजी लगी है उसके आधार पर कहना चाहता हूं। आज एक कंपनी की कीमत 20 करोड़ हो सकती है लेकिन 20 वर्ष पहले पूंजी 1 करोड़ से ज्यादा नहीं लगी होगी। उस एक करोड़ का मुआवजा हम दें। जैसे मैं जयपुर स्पिनिंग मिल की बात कहना चाहता हूं, यदि 20 हजार स्पिण्डल्स की मिल लगाना चाहते हैं तो 20-25 करोड़ रुपये लगाने पड़ेंगे लेकिन आज सरकार टेक-ओवर करना चाहे तो एक करोड़ में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

टेक-ग्रोवर कर सकती है ग्रौर एक करोड़ रुपया भी तुरन्त नहीं देना पड़ता, ग्रध्यक्ष महोदय. उसके लिए भी कम्पेसेशन के लिए कमिश्नर ग्रवार्ड किस ढंग से देता है, उतने रुपये में देंगे। इसके ग्रतिरिक्त राजस्थान सरकार की व्यवस्था है कि यदि रीको के जोइन्ट सैक्टर के ग्रन्दर चली जाय तो इक्विटी शेयर के नाते 50 पर्सेन्ट 60 पर्सेन्ट उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। एक करोड़ की पूंजी यदि जोइन्ट सैक्टर में करेंगे तो रीको को 50·60 लाख वैसे ही खर्च करने पड़ेंगे। इस प्रकार यदि ग्राप एक कंपनी को टेक ग्रोवर कर लें तो मैं गारन्टी के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में कोई भी उद्योगपति लाक ग्राउट करने की स्थिति में नहीं ग्रायेगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं, यह लाक ग्राउट क्यों करते हैं? जैसा माननीय चतुर्वेदीजी ने कहा कि प्रोवीडेंट फण्ड खा गये। कोई घाटा इनको नहीं होता लाक ग्राउट के कारण से। घाटा होता है या तो राज्य सरकार को या मजदूरों को या फिर राजस्थान की जनता को। इस घाटे को बचाने के लिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करे ग्रौर एक मिल का किसी प्रकार से राष्ट्रीयकरण की घोषणा कर दे फिर देखेंगे कि राजस्थान में कोई मिल ग्रासानी से लाक ग्राउट में नहीं ग्रायेगी।

श्री ग्रध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री हीरालाल देवपुरा : ग्रध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जिन मिलों के बारे में मैंने ग्रपने स्टेटमेंट में जिक्र किया तालाबन्दी का या क्लोजर का या ग्रौर किसी ग्रन्य कारण से जो छंटनी की गई, उस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को जितनी श्रमिकों की चिन्ता है उससे किसी प्रकार की कम चिन्ता मुझे या राज्य सरकार को नहीं है। मैंने स्पष्ट बताया कि समय समय पर जो एक्शन सरकार को लेना चाहिये था वह लिया गया। जे के. सिन्थेटिक्स ग्रौर राजस्थान स्पिंडल्स, भीलवाड़ा के बारे में कम्पेयर करके माननीय सदस्यों ने यह बताने की कोशिश की कि भीलवाड़ा तो मुख्य मंत्रीजी का जिला है इसलिये वहां तत्काल एक्शन लिया गया ग्रौर जे. के, सिन्थेटिक्स पर एक्शन नहीं लिया गया। मैंने ग्रपने स्टेटमेंट में स्पष्ट बताया था कि 25 जनवरी को ही जब स्थिति सामने ग्रा गई तो 31 तारीख को हमने प्रोसीक्यूशन का नोटिस दे दिया। उसके बाद हाइ कोर्ट से स्टे मिला, इस कारण प्रोसीक्यूशन नहीं कर सके वरना हमने तो प्रोसीक्यूशन की बात की है। डिले करके प्रोसीक्यूशन नहीं करने की बात की हो, ऐसी स्थिति कहीं नहीं है। यही बात भीलवाड़ा स्पिंडल्स की ग्राई, ज्योंही हमारे ग्राईर की पालना नहीं की हमने प्रोसीक्यूशन का नोटिस दे दिया। तो जो नियम, रूल्स एक्ट बने हुए हैं उसी ग्राधार पर कार्यवाही कर सकते हैं ग्रौर उनके ग्राधार पर हमने तत्काल कार्यवाही की है ग्रौर मजदूरों के हितों की रक्षा की बात को हर वक्त ध्यान में रखा है, यह मैंने पहले भी निवेदन किया, ग्रब भी करता हूं। ग्रागे भी हर स्थिति में मजदूरों के हितों को ध्यान में पहले रखा जायेगा। कोई सवाल नहीं है कि उनके हितों के

(श्री हीरालाल देवपुरा)

मुकाबले में मैनेजमेंट या किसी और को फायदा दिया जाय या उनको प्राथमिकता दी जाय । यह कहीं दृष्टिकोण नहीं रहा ।

अध्यक्ष महोदय, कृष्णा मिल, ब्यावर के बारे में माननीय वजारीजी की ओर से बात बताई गई थी कि यह को-आपरेटिव सैक्टर में कब तक ली जायेगी ? मैंने निवेदन किया था कि सुझाव आया है इस बारे में स्वयं विभाग एक नोट बना कर उद्योग विभाग को देगा । उद्योग विभाग और को-आपरेटिव विभाग दोनों मिल कर जब यह तय करेंगे कि इसे किस प्रकार को-आपरेटिव सैक्टर में लेना है तब कोई एक्शन हो सकेगा । मैं श्रम विभाग की ओर से आज नहीं कह सकता कि कितना समय लगेगा । लेकिन हमारा प्रयत्न यही है कि हम इस स्थिति को ज्यादा लम्बा नहीं करना चाहते। जल्दी से जल्दी मिल में काम शुरू होना चाहिये इसके लिये श्रम विभाग की तरफ से तीन बातें रेफर की हुई है कि इसको रिलीफ अण्डरटेकिंग के अन्दर लेकर दिया जाय, बैंक गारण्टी के आधार पर दिया जाय या को-आपरेटिव सैक्टर में चलाया जाय । बहरहाल इसको चलाया जाना चाहिये जिसमे मजदूरों का काम चालू हो, यह बात इसके बारे में मैंने निवेदन की ।

इसी तरह से जे.के. सिन्थेटिक्स के बारे में माननीय त्रिलोक सिंहजी ने कुछ बातें यहां पर कहीं । मैं स्पष्ट रूप से अपने स्टेटमेंट में कह चुका हूं और मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि न तो मुख्य मंत्रीजी का और न किसी और मंत्री का किसी भी प्रकार से इन मिलों के बारे में, चाहे राजस्थान स्पिंडल्स, भीलवाड़ा हो, चाहे जे.के. सिन्थेटिक्स हो, चाहे कृष्णा मिल, ब्यावर हो या जयपुर स्पिनिंग मिल हो, कोई सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसी बात है । यह सब स्वतः ही अपने अपने हिसाब से अपने-अपने समय में जो स्थितियां बनीं उस हिसाब से ये मिलें बन्द हुई हैं, इनका लाक-आउट किया गया है और सरकार ने लाक आउट के ऊपर भी बराबर एक्शन लिया है ।

माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी ने कुछ बातें कहीं, इनके अतिरिक्त 20 और मिलों, 20 और कन्सर्न्स के बारे में जो इस तरह की बात है उसके लिये मैंने निवेदन किया, स्वयं श्रम विभाग के सामने जो विवाद आये हैं उनके सम्बन्ध में मैंने यहां पर निवेदन किया है । किसी और उद्योग या किसी संस्थान का विवाद श्रम विभाग के सामने आयेगा तो मैं निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूं कि श्रम विभाग तत्काल उस पर एक्शन लेगा, किसी प्रकार से कहीं पर भी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं रखेगा कि यह कहा जा सके कि एक्शन समय पर नहीं लिया गया ।

अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय ने कुछ सिद्धान्त, पालिसी की बात की, यह स्थिति बराबर पैदा होती चली जा रही है, इस पर चिन्ता व्यक्त की, बिहार का उदाहरण दिया । मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे इस पालिसी को तय करने में उद्योग विभाग सक्षम है । इस बारे में कुछ कहने के लिये नहीं है लेकिन मैं आप

(श्री हीरालाल देवपुरा)

से एक बात कहना चाहता हूं कि जो स्थिति आज देश में और राजस्थान में बन रही है, उस पर जो चिन्ता आप व्यक्त कर रहे हैं, मैं भी उसमें अपने आपको शामिल करता हूं। मैं भी चिन्तित हूं। यह स्थिति बनती चली जा रही है। आखिर इस स्थिति से निपटने के लिये एक उदाहरण के रूप में आपने कहा कि किसी एक मिल का राष्ट्रीयकरण कर दीजिये, उसका एक असर पड़ेगा दूसरे उद्योगपतियों पर और वे संभवतः तालाबन्दी या जो कि क्लोजर की स्थिति में है वह नहीं करें और उसको चलाने की कोशिश करें।

अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया था कि एन.टी.सी., जो ऐसी मिलों को देख रही है और खास तौर से टैक्सटाइल मिलों को देख रही है, के पास राजस्थान की चार मिलें हैं, वह इनको देखती है। हमने एन.टी.सी. को कहा कि वह ऐसी मिलों को ले लें लेकिन वह ऐसी स्थिति में नहीं है, और दूसरी मिलों को लेकर चलाने की स्थिति में नहीं है। वह नहीं चला पा रहे हैं। राजस्थान सरकार स्वयं भी आज इस स्थिति में नहीं कह सकती है, इतनी मिलों का जो प्रश्न है कि उनको लें। फिर भी मैंने अपनी ओर से, श्रम विभाग की ओर से यह सुझाव दिया है कि इस सम्बन्ध में हमको गंभीरता से विचार करना चाहिये। इसके बारे, में जैसा मैंने कहा, मुख्य मंत्रीजी से चर्चा की थी, एक कमेटी हाई लेवल कमेटी बनाकर कोई ऐसा सोल्यूशन निकाला जाये, रास्ता निकाला जाये जिससे इस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है वह स्थिति पैदा न हो। चाहे इन मिलों को लें, या इनको कोआपरेटिव सैक्टर में चलाना हो या एन. टी. सी. को देना हो या बैंक से फाइनेन्स करा कर और कुछ कराना हो, बहरहाल ये मिलें चलनी चाहिये। यह मिलें चलेंगी तो राजस्थान के श्रमिक काम पर लगे रह सकेंगे और उनको किसी प्रकार का नुकसान या क्षति नहीं होगी। सरकार स्वयं इस बारे में चिन्तित है। इस सम्बन्ध में निर्णय हम जल्दी ही लेंगे कि किस तरह से इस स्थिति का मुकाबला किया जा सकता है, इस स्थिति से निपटा जा सकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुन: सदन को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि श्रमिकों के हितों की दृष्टि से राजस्थान का श्रम विभाग जागरूक है, हमेशा आगे जागरूक रहेगा और उनके हितों की बराबर रक्षा की जाती रहेगी।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1983

विधेयक का पुर: स्थापन।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव।

श्री बी.डी. कल्ला (राज्य मंत्री, शिक्षा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1983

(श्री बी. डी. कल्ला)

को पुरःस्थापित करने के लिये कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

व्यवस्था का प्रश्न
विधेयक को पुरःस्थापित न करने का कारण

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस बात की शंका इस अधिवेशन के प्रारम्भ होने के पहले मुझे थी····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक पाइंट आफ आर्डर के होते हुए दूसरा पाइंट आफ आर्डर नहीं हो सकता।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इस सत्र के प्रारंभ होने के पहले ही, उदयपुर से लौटने के पश्चात् जैसी मेरे मन में शंका थी, आज मंत्री महोदय ने शंका को बिल्कुल सच साबित कर दिया है····

श्री अध्यक्ष : झूठा साबित नहीं करना चाहते हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष, आपने माननीय मंत्री महोदय से कहा कि वे इसको पुरःस्थापित करने के लिये आज्ञा के लिये प्रस्ताव करें। माननीय मंत्री महोदय ने खड़े होकर कहा कि वे इसको पुरः स्थापित नहीं करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि एक इमर्जेन्सी कन्डीशन बता करके, बहुत अधिक आवश्यकता बता करके एक अध्यादेश लाये थे 9 अगस्त के दिन। 5 सितम्बर को विधान सभा का सत्र प्रारंभ होने वाला था, एक महीना भी नहीं रहा था लेकिन, माननीय अध्यक्षमहोदय, सरकार अध्यादेश ले आयी। इस अध्यादेश के माध्यम सेश्री मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय को मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय घोषित करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी इमर्जेन्सी या आवश्यकता 9 अगस्त को थी ? मंत्री महोदय यह बात बताने के पहले कि वे इसको प्रस्तुत करना चाहते हैं या नहीं, यह स्पष्ट करें कि क्या 9 अगस्त को गलती की थी ? क्या 9 अगस्त को इसकी आवश्यकता नहीं थी ?····

श्री बी. डी. कल्ला : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर क्या है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अब आपने तो ऐसा कह दिया, यह सवाल खड़ा कर दिया तो इस पर और कुछ कहना पड़ेगा। आप तो क्लोज कर रहे हैं इस बात को। मैंने इसके साथ में यह भी मूव किया था, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये कहना चाहता हूं····

श्री अध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर पर आप आ जाइये।....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसलिये जब एक प्रकार की अत्यन्त आवश्यकता होने के कारण अर्जेन्सी को ध्यान में रखते हुए एक अध्यादेश 9 अगस्त को राजस्थान सरकार ने राजस्थान की जनता के सामने रखा तो फिर आज कौनसी स्थिति आ गई? पहले मंत्री महोदय इस स्थिति को स्पष्ट करें। यह चर्चा का विषय बन गया है, यह सदन की प्रापर्टी बन गयी है कार्य सूची में आने के पश्चात्। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं पहले जो नहीं रख रहे हैं इसके कारण रखें। क्या इसको रखने का कल भी इनका मन्सूबा नहीं है या केवल आज नहीं रखना चाहते हैं? क्या परसों भी रखने का मन्सूबा नहीं है? कल भी नहीं, परसों भी नहीं है तो इसका मतलब है, ये चाहते हैं कि विधान सभा का सत्र अब 6 महीने बाद होगा, तो 9 अगस्त को जो अध्यादेश लाये वह स्वतः ही समाप्त हो जायेगा। क्यों नहीं कैटेगरीकली हिम्मत से कहते हैं कि नहीं हमने तय कर लिया है कि जो अध्यादेश हमने निकाला था वह गलती की थी। आज हममें हिम्मत नहीं है कि हम इस विधेयक को लायें। मैं आपके माध्यम से राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस पर प्रकाश डालें कि 9 अगस्त को अध्यादेश लाने का क्या कारण था, क्या अर्जेन्सी थी? क्या अब वह खतम हो गई है? अब वह क्यों नहीं रख रहे हैं? क्या वह कल रखना चाहते हैं, परसों रखना चाहते हैं या इसको गर्त में डुबाना चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर की हालत ऐसी हो गई है कि आज उदयपुर दो भागों में विभाजित हो गया है, इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसके कारणों को स्पष्ट करें।....

श्री अध्यक्ष : इसको अन्य किसी माध्यम से उठावें। इसमें कोई नियमों अथवा संविधान के अनुच्छेद का हनन हुआ है तो वह बतावें।....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह कारण तो बतायें कि किन कारणों से अध्यादेश लाये थे और किन कारणों से विधेयक पुरःस्थापित नहीं कर रहे हैं? कब लायेंगे, लाने की मंशा है या नहीं? यह बात बतावें। मैं आगाह करना चाहता हूं कि यह स्थिति बन गई है, उदयपुर को ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया उन्होंने कि आज एग्रीकल्चर कालेज वाले उदयपुर बन्द करवा रहे हैं। मल्टी फैकल्टी वाले दूसरे दिन बन्द करवा रहे हैं। सारा उदयपुर आज मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है, यह तो उदयपुर से आने वाले माननीय विधायक बतायेंगे। मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूं कि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री मेरे प्रश्नों को स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक व्यवस्था का प्रश्न इस कारण उठाया है कि राज्य सरकार पहले एक बिल को पुरःस्थापित करना चाहती थी जो श्री मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक के नाम से था और आज की कार्य सूची में

(श्री अध्यक्ष)

था। जब मंत्री महोदय का नाम पुकारा गया तो उन्होंने कहा कि मैं कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूं। हमारी सभा के जो नियम हैं उसके अन्दर पहले कोई माननीय सदस्य इच्छा व्यक्त करते हैं कि वे इस तरह का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं अथवा सरकार इच्छा व्यक्त करती है कि वह कोई विधेयक अथवा प्रस्ताव, संकल्प प्रस्तुत करना चाहती है तो उसको कार्य सूची में हम अंकित कर देते हैं। यह माननीय सदस्य अथवा सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वह प्रस्ताव पेश करें या न करें। यह उनकी स्वेच्छा पर है। तो इसमें कोई नियम का हनन नहीं होता। इस सम्बन्ध में पहले राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश निकाला गया था। अध्यादेश निकालने के बाद में क्या परिणाम होते हैं उस कानून के, उसको विधेयक के रूप में नहीं लाया जाता है और यहां से पारित नहीं कराया जाता है तो एक अलग प्रश्न है। अभी वर्तमान में सदन के सामने जो स्थिति है वह यह है कि मंत्री महोदय रखना चाहते थे, अब उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की है कि वे प्रस्ताव नहीं रखना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इसमें न किन्हीं नियमों का हनन हो रहा है और न संविधान के किसी अनुच्छेद या अनुच्छेदों का हनन हो रहा है इसलिये यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता। यह विचार का विषय भी नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति अथवा सरकार कोई प्रस्ताव लाना चाहे तो उनके लिये यह अनिवार्य हो कि वह प्रस्ताव रखे ही। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है इसलिये मैं समझता हूं कि अगर वह नहीं रखना चाहते हैं तो नहीं रखें।

एक माननीय सदस्य : कारण तो बतावे।

श्री अध्यक्ष : किसी अध्यादेश को जारी करने के बाद उसके स्थान पर विधेयक नहीं लाना चाहती है तो उसके क्या परिणाम होंगे वह संविधान में दिया हुआ है। उसमें यह है कि 6 सप्ताह के बाद में जब से विधान सभा का सत्र शुरु हुआ है स्वतः ही प्रभावहीन हो जायेगा।

श्री भगवानदास शास्त्री : रखना ही चाहते थे तो आपसे चैम्बर में मिल लेते। अपने भाषण में....

श्री अध्यक्ष : इसके लिये चैम्बर में मिले थे। मैंने ही उनको सुझाव दिया था कि सदन की कार्य सूची में आ गया है। अगर किसी माननीय सदस्य ने कोई व्यक्तिगत तौर पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया होता तो आसान बात थी कि वह अनुपस्थित रह जाते लेकिन सरकार की ओर से प्रस्ताव था इसलिये यह उपयुक्त था कि उन्होंने यह ठीक समझा कि सदन के समक्ष निवेदन कर दिया कि हम इस प्रस्ताव को लाना नहीं चाहते।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो सब कुछ कर दिया। आपने देखा कि जिस समय आर्डिनेंस इश्यू किया उस समय सरकार ने कारण बताये थे कि हम आर्डिनेंस क्यों इश्यू करना चाहते हैं, स्थिति ऐसी है जो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अपने आप में ऐसा सीरियस मैटर है। यह संविधान में है कि आर्डिनेन्स किन परिस्थितियों में इश्यू किया जाना चाहिए। आर्डिनेन्स आम तौर पर इश्यू नहीं किया जाता है। विधान सभा का अधिवेशन चल रहा हो तो सारे बिल्स विधान सभा के सामने रखे जाते हैं और पास कराये जाते है। लेकिन विधान सभा का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और स्थितियां गम्भीर हो गई हों तो राज्य सरकार आर्डिनेंस इश्यू कर सकती है। मन्त्री महोदय ने आर्डिनेंस जिस समय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया तो कारण बताये कि इन कारणों से इसको इश्यू किया गया है। तो क्या सदन का यह अधिकार नहीं है कि मन्त्री महोदय से यह जानकारी कर लें कि आज के दो दिन पहले जो कारण बताये थे क्या उनका निराकरण हो गया है या वह कारण सही नहीं है। इतनी तो जानकारी कर ही सकते हैं।

श्री महाराम चौधरी : या यह कह दे कि ×××

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि जो वर्तमान स्थिति है उसके अन्दर यह सब प्रश्न नहीं नहीं उठाये जा सकते हैं। अन्य माध्यम हैं हमारे नियमों में और संविधान में, माननीय सदस्य उनका आश्रय लेकर इस प्रकार के प्रश्न को अन्य तरीके से उठा सकते हैं।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

चर्चा समाप्त हुई। विधायी कार्य

(व्यवधान)

आॅर्डर प्लीज

श्री सी. पी. जोशी : पाइन्ट आफ आॅर्डर।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आॅर्डर ऐसा है कि जब कोई कार्य चल रहा हो उस समय उठाया जा सकता है।

श्री बी. डी. कल्ला : अगर कोई प्रस्ताव ही नहीं है, कोई कार्य ही नहीं हो रहा है तो कौनसा पाइन्ट आफ आॅर्डर उठाया जा सकता है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वाह ! भाई वाह ! राजस्थान की सरकार दिवालिया हो गई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें।

सदन के समक्ष कोई विचारणीय विषय हो और उसमें नियमों का अथवा संविधान की किन्हीं धाराओं का या किन्हीं अनुच्छेदों का हनन हो रहा हो तो पाइन्ट आॅफ आर्डर उठाया जा सकता है। वर्तमान में अध्यक्ष पैरों पर खड़ा है उसमें अगर कोई नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो बात अलग है। अगला कार्य हाथ में ले लें उसके बाद में .....

श्री सी. पी. जोशी : अगला कार्य हाथ में लेने और पूर्व कार्य समाप्त होने के बीच का ही है मेरा व्यवस्था का प्रश्न। आप उसे सुन लें फिर व्यवस्था दे दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न जो आप अगला कार्य ले रहे हैं और यह कार्य छोड़ रहे हो उसके बीच का है। वह यह है कि हमने आज एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का नाम बदलने से उदयपुर में यह स्थिति बनी। राज्य सरकार ने तो बिल विथड्रा कर लिया लेकिन उदयपुर की स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। आप इस पर व्यवस्था दें कि हमने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है कि इसका नाम बदलने से उदयपुर में शांति भंग हो गई उस पर चर्चा कब होगी?

श्री अध्यक्ष : किस संबंध में दिया है यह प्रस्ताव, उस विधेयक के सम्बन्ध में?

श्री सी. पी. जोशी : उदपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर मोहनलाल सुखाड़िया कर देने से उदयपुर में शांति भंग हो गई है उसके संबंध में दिया है....

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार की एक प्रक्रिया है। इसके संबंध में मैं जानकारी कर लूंगा उसके बाद ही उस पर निर्णय होगा। इसलिये यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता। मैं इसको निरस्त करता हूं। अब विधायी कार्य हाथ में लेता हूं। आज हमें कम से कम तीन विधेयक पारित करने हैं। इसलिये इन तीनों की समय सीमा ...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : स्पष्टीकरण तो दिलायें कि क्या है यह?

श्री अध्यक्ष : अब यह विचारणीय विषय नहीं है।

(व्यवधान)

अब यह वर्तमान सभा के सामने विचारणीय विषय नहीं है इसलिये मेरी यह व्यवस्था है कि प्रत्येक विधेयक को पारित करने के लिए एक घंटे का समय निश्चित किया जाता है। एक घंटा समाप्त होने पर विधेयक को पारित करने के संबंध में सभी प्रश्न पूछ लिये जायेंगे। इसलिये जो माननीय सदस्य इस वाद विवाद में हिस्सा लें वे कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज दो ही विधेयक लिये जायेंगे। एक तो हो चुका है।

श्री अध्यक्ष : यह तो आज का था ही नहीं। विपक्ष के नेता महोदय यह तो पुरःस्थापित किया जाने वाला था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन लें। पुरःस्थापित होता उसके बाद इस पर चर्चा होती। यह जिस तरह का सस्पेंस क्रियेट किया गया उसमें आप मैम्बर से यह एक्सपेक्ट करके चलें कि वह सारे बिलों का अध्ययन करके आयेगा....

श्री अध्यक्ष : जिस क्रम में रखा है उसी क्रम में ले रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसी क्रम में अर्ज कर रहा हूं। आप उसी क्रम में दो विधेयक लेते तो बात समझ में आती लेकिन आप तो तीन विधेयक ले रहे हैं ...

श्री अध्यक्ष : एक तो कल से विचाराधीन है, दो आज लेंगे और मैंने कल ही निवेदन कर दिया था सदन के समक्ष जिस क्रम में कार्य सूची में विधेयकों का प्रारण अंकित किया गया है उसी क्रम में लिये जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दो लिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : नहीं, किन-किन का था यह क्रम में काफी नीचे है। चूंकि पुर: स्थापित आज होता तो इसके मायने यह होते हैं कि संशोधन प्रस्ताव 24 घंटे बाद पेश हो सकते हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मैं यह कह रहा हूं कि समय आपके पास काफी हो गया। आज और कल का बिजनेस रखा था उसमें से उदयपुर विश्वविद्यालय का बिल तो विथड्रा हो गया। समय अब काफी बच गया है इस लिये आज दो ही ले लें। बाकी कल ले लें।

श्री अध्यक्ष : समझदार आदमी समय और अर्थ को संचित करके रखते हैं। समझदार आदमी को समय और अर्थ संचित रखना चाहिये जिससे कि कठिन परिस्थिति आये तो काम चल जाये। समय आपका ही है, मुझे कोई इसको काम में लेना नहीं है। अगर समय ज्यादा या अधिक मिलेगा तो माननीय सदस्यों को ज्यादा लम्बे भाषण देने और अपनी बात सामने रखने का ज्यादा समय दे दूंगा। इसमें कठिनाई नहीं होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें कठिनाई यह है कि एक एक घंटे का समय तय कर दिया है, जब समय ज्यादा है तो यह पाबंदी क्यों कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा हूं अभी एक घंटे का समय दिया गया है वह नियम या परिपाटी जो बनाई हुयी है उसके अनुसार कल वाला विधेयक विचाराधीन है उसमें मैं आधे घण्टे का भी आपके सामने नम्र दिवेदन कर सकता था। मैंने एक विधेयक के लिये एक घण्टे का समय निश्चित किया है। अगर समय की ज्यादा बचत हो जाती है तो मैं क्या कर सकता हूं। इसलिये मेरा नम्र निवेदन यह है कि अगर ज्यादा समय होगा तो उस हिसाब से अन्न देख लेंगे। दूसरे बहुत से विचारणीय विषय माननीय सदस्यों ने दिये हुए हैं वह हमारे सामने हैं इसलिये समय की तो बचत नहीं होगी। कई उपयोगी प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो कल आयेंगे। आज तो आने वाले है नहीं।

श्री अध्यक्ष : कल ही आयेंगे। आज तीन ले लेते हैं अगर जल्दी पारित कर देंगे तो जल्दी छुट्टी हो जायेगी। इसलिये अब विधेयक को विचारार्थ लेते हैं।

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1983

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि कल राजस्थान कृषि जोतों

(श्री अध्यक्ष)

पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1983 को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत हो चुका था। सदन के समक्ष अब संशोधन प्रस्तुत होंगे। कुछ माननीय सदस्यों ने विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित करने के संशोधन प्रस्ताव दिये हैं। निम्नांकित माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्ताव दिये हैं, श्री भगवानदास शास्त्री, श्री दाऊदयाल जोशी, श्री हीरालाल आर्य, श्री महावीर प्रसाद और श्रीमती उजला अरोड़ा। उसके पश्चात् मन्त्रीजी का उत्तर होगा।

श्री भगवानदास शास्त्री।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन प्रस्ताव है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1983 को तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया गया है, यह पुराने मुर्दों को कब्र से निकाल कर जनता को परेशान करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, भूमि अच्छी है या खराब है, सिंचित है या असिंचित है, जो सफेद हाथी है वह सारी भूमि को खा गये हैं। बाकी जो अच्छी जमीन है, वह राजस्थान के किसान के सम्मिलित परिवार, जोइंट फेमिलीज की रक्षा के लिये है। जोइंट फेमिलीज के अलग होने पर जब जमीन बांटते हैं तो एक-एक बीघा भी प्राप्त नहीं होती। यह विधेयक लाकर, मैं समझता हूं, जो कुछ अच्छी भूमि नहीं है, उसे आप सीमा के अन्दर लेना चाहते हैं और जो भी उपजाऊ भूमि होगी उसके लिये आप कहेंगे कि यह सीमा से बाहर है इसलिए हम इसे लेना चाहते हैं। इससे कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल है...

(3.31 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

इसके द्वारा जो चीजें पहले समाप्त हो चुकी हैं, उसको वापस खोलना चाहते हैं। मैं चाहता हूं, किसान के अन्दर राज्य सरकार के प्रति और सत्ता पक्ष के प्रति क्या विश्वास होगा? वे विश्वास खो बैठेंगे। इससे मामले और बढ़ेंगे। मैं समझता हूं, सभापति महोदया, यह लोगों को न्यायालयों में भटकाने के लिये है। न्यायालयों के खर्चे जो पहले से दस गुणा बढ़ चुके हैं उससे आप उनको बरबाद करना चाहते हैं। दो भाइयों, बेटे और बाप की लड़ाई कराकर डिवाइड एण्ड रूल की पॉलिसी पैदा कर रहे हो। सम्बन्धित मन्त्री महोदय, यह जो पुराने मुर्दे गढ़े हुए हैं, आप वापस निकाल रहे हो। लोगों की शांति के लिये आप इस डिवाइड एण्ड रूल की पॉलिसी को त्यागकर सीमा को यहीं रहने दीजिए। आप अच्छी-अच्छी भूमि लेकर अपने नेताओं में बांटोगे। आज तक जो भी भूमि अधिकतम से बाहर की आपके पास

(श्री भगवानदास शास्त्री)

आयी है अपने नेताओं में बांटी है। रजवाड़े तो गये, आपकी जो स्थिति है वह उन से भी ज्यादा बदतर है। आप एयर कण्डीशन भवनों में रहते हो, वे तो एयर कण्डीशन भवन में भी नहीं रहते थे। उन्होंने कभी इतना ऐशो आराम नहीं किया, जितना सत्ता में रह कर कांग्रेसियों ने किया है। भूमि प्रलोभन में सीमा का होआ खड़ा करके आप लोगों को लूटना चाहते हो। मैं इसका विरोध करता हूं। मैंने साफ कहा है कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय। जो जनता फैसला दे, उसके अनुरूप इस कर्य को करें। इतना ही कह, कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री दाऊदयाल जोशी।

(अनुपस्थित)

श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : सभापति महोदया, मेरा यह संशोधन प्रस्ताव है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1983 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1983 पर विचार चल रहा है। इस के तहत जिन किसानों के केस एक बार सैटल हो गये है, जिन पर निर्णय हो चुका है, उनको दुबारा निर्णीत किया जायेगा। किसानों में पहले से ही जो केस रिओपन किये जा रहे हैं उनसे भय और आतंक व्याप्त है, इस कानून से और भय और आतंक व्याप्त हो जायेगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि किसान गांवों में बसते हैं, किसानों के पास अपने जीवन यापन का केवल एकमात्र जो साधन है वह कृषि है। उसका अपना सारा जीवन कृषि पर ही निर्भर होता है। कृषि उत्पादन से जो कुछ पैसा उन्हें प्राप्त होता है, उससे अपने सारे परिवार के जीवन का निर्वाह करते हैं लेकिन सरकार की पता नहीं क्या नीति है, निर्णीत जमीन के केस को रिओपन करके किसान से वह जमीन भी प्राप्त करना चाहती है। किसान के पास 5-7 बीघा जो भूमि बची है, उस जमीन का भी बंटवारा होता जा रहा है, जिससे एक परिवार के बच्चे के पास नहीं के बराबर जमीन बची है। किसान का जीवन बड़ा दयनीय हो गया है।

आपके माध्यम से मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पहले ही से जो सीलिंग कानून लागू है उससे हमारे हाड़ौती के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। सभापति महोदया, सीलिंग कानून के तहत जो स्टेण्डर्ड एकड़ तय किये गये हैं, वह भूमि की उर्वरक शक्ति के आधार पर तय किये गये हैं। कोटा की भूमि को सबसे ज्यादा उर्वरक माना है। वहां का स्टेण्डर्ड एकड़ भी केवल मात्र 22 ही तय किया है, जबकि गंगानगर, जहां कि सबसे अधिक उत्पादन होता है, का स्टेण्डर्ड एकड़ 29 स्टेण्डर्ड एकड़ तय किया है।

(श्री हीरालाल आर्य)

इसको देखते हुए इस तुलना में कोटा के किसानों के साथ, बहुत अन्याय हुआ है। क्योंकि कानून पर चर्चा चल रही है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोटा के किसानों के साथ, हाड़ौती के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को समाप्त किये जाने की दृष्टि से इस पर विचार किया जाना चाहिए।

सभापति महोदया, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार का सेटलमेन्ट विभाग जमीन की उत्पादन शक्ति और स्थिति के आधार पर लगान तय करता है। पूरे राजस्थान में स्थिति और उत्पादन शक्ति के हिसाब से लगान करीब-करीब समान है लेकिन कोटा के साथ सीलिंग तय करते वक्त इस प्रकार जो अन्याय किया गया है यह हाड़ौती के किसानों के साथ अन्याय है। सभापति महोदया, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सीलिंग नियमों में राजस्थान के प्रत्येक जिले में गांवों के ग्रुप्स बनाये गये हैं उन ग्रुप में बूंदी में केवल दो ग्रुप, कोटा में 3 ग्रुप, गंगानगर में 4 ग्रुप, जयपुर जिले में 5 ग्रुप बनाये गये हैं। उन ग्रुपों के आधार पर गंगानगर शहरी क्षेत्र है, जिसमें एक बार सिंचाई होती है। उसका स्टैण्डर्ड एकड़ 43 माना है जबकि कोटा का सिंचित और असिंचित क्षेत्र का स्टेण्डर्ड एकड़ केवल मात्र 31 है। इससे स्पष्ट होता है कि कोटा जिले के हाड़ौती के किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है।

सभापति महोदया, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि चम्बल की नहरों से जिन गांवों में सिंचाई होती है, उन गांवों का पूरा क्षेत्र कमाण्ड एरिया माना गया है जब कि उन गांवों में आधी जगह पर सिंचाई होती है, आधी जगह पर सिंचाई नहीं होती है। जहां सिंचाई नहीं होती लेकिन कमाण्ड एरिया घोषित किया गया है, उसको सिंचित क्षेत्र मानकर सीलिंग के मामले तय किये जा रहे हैं, जो उस इलाके के किसानों के साथ बहुत अन्याय है। कोटा क्षेत्र में जो सिंचित एरिया है वह गांधी सागर के भराव के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन गांधी सागर के कैचमेण्ट एरिया में बहुत सारे छोटे-छोटे बांध बनने से पानी पर्याप्त नहीं मिलता है। एक तरफ किसान को पानी नहीं मिलता है, दूसरी ओर इस इलाके को सिंचित क्षेत्र मानकर किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। उसे सिंचित क्षेत्र मानकर और केसेज को रिओपन करके आगे किसानों के साथ जो अन्याय किया जायेगा, उससे वहां के किसानों में बहुत बड़ा आतंक फैला हुआ है। सभापति महोदया, सीलिंग कानून के तहत जो केस रिओपन किये जा रहे हैं, वह कोटा में सबसे ज्यादा हैं। कम से कम 3 हजार केसेज रिओपन किये गये हैं जिससे उस इलाके में यदि सबसे बड़ी समस्या कोई मानी जाय तो सीलिंग केसेज को रिओपन करने की मानी जानी चाहिए। वहां के किसान बहुत दुखी और आतंकित हैं। इस कानून को लाकर फिर से जो तय किये हुये केस हैं उनको फिर खोला जायेगा, इस बात को सुन कर वहां के किसान भयभीत हैं। अतः आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों के साथ इस तरह का भेदभाव

(श्री हीरालाल आर्य)

किया जा रहा है, इस भेदभाव पर सरकार विचार करे और इसे दूर करे।

सीलिंग कानून के तहत किसानों की कई हजार एकड़ भूमि को अधिग्रहण किया गया है। उस भूमि का मुआवजा लगान का 20 गुना तय किया गया है जो कि बहुत कम होगा। मैं चाहूंगा, किसानों का मुआवजा बाजार भाव के आधार पर तय किया जाना चाहिए।

मैं यह भी आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा कि आज दिन तक जो भूमि किसानों से अधिग्रहण की गयी है, उसका मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। इस अधिग्रहीत भूमि को सरकार ने बेचा है। जिस किसान ने जमीन खरीदी है, उससे पैसा वसूल किया गया है और सरकारी खजाने में पैसे दिये हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह जमीन किसानों की है, किसानों से अधिग्रहण की है, उसका मुआवजा किसानों को दिया जाना चाहिए लेकिन आप उस पैसे को अपने खजाने में रखे रहना चाहते हैं? किसानों को जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है। अतः मैं यह भी चाहूंगा कि जिन किसानों से भूमि अधिग्रहण की गयी है, उनको मुआवजा तुरन्त दिया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदया, यह केस रिओपन करके सैटल किये जा रहे हैं जब कि पूर्व कानून अव्यावहारिक था। किसान का कौन सा बच्चा निर्भर माना जायेगा और कौन सा बच्चा आत्म निर्भर माना जायेगा, यह उस अधिकारी, जो केस तय कर रहा है, की दया पर निर्भर होगा कि किसे निर्भर माने और किसे आत्म-निर्भर माने।

साथ ही, हस्तान्तरण की परिभाषा भी स्पष्ट नहीं है। हस्तान्तरण जो इस सीलिंग कानून से पहले भी भूमिपतियों ने उस जमीन का किया हुआ है लेकिन क्योंकि उसकी रजिस्टरी समय पर नहीं हुई थी इसलिए वह मामले तय नहीं किये जा रहे हैं और वे मामले भी अटके पड़े हैं। मैं यह भी चाहूंगा कि इस वक्त जिन किसानों ने जमीन खरीदी है और भूमिपतियों ने दूसरे को जमीन दे दी है भले ही वह उनके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं हैं लेकिन क्योंकि वर्षों से वह काबिज हैं अतः जिन किसानों के पास अभी जमीन है, उन्हीं के नाम उस जमीन को कर दिया जाये। इतना मैं निवेदन करना चाहूंगा।

यही नहीं, किसानों के पुराने मामले खोले जा रहे हैं, सभापति महोदया, इससे हमारे यहां का किसान और राजस्थान के किसान बड़े आतंकित हैं। सरकार शहरों की सम्पत्ति का बिल लाती, इस तरह का कानून लाती। सम्पत्ति केवल गांवों में किसानों पास ही नहीं है, वह शहरों में भी सम्पत्ति है। शहरों में बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां चलती हैं, शहरों में बड़े-बड़े व्यापार है, लेकिन शहरों की सम्पत्ति का सीलिंग कानून नहीं लाया जा रहा है। इससे सरकार

(श्री हीरालाल आर्य)

की मन्शा स्पष्ट है कि सरकार बड़े-बड़े पूंजीपतियों और व्यापारियों से मिली हुई है। उनकी सम्पत्ति का सीलिंग नहीं करना चाहती है केवल किसान जो संगठित नहीं है, उन किसानों के ऊपर सीलिंग कानून लाकर उनके ऊपर जुल्म ढाया जायगा। सभापति महोदया, कोटा जिले में तो सबसे अधिक केसेज रिओपन हुए हैं। इसलिये कोटा जिले की कोई सबसे बड़ी समस्या मानी जाय तो सीलिंग के मामले रिओपन किये जाने की है। अतः, सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि केस रिओपन किये जाने वाले बिल को पास करने के पहले इसे जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाय।

श्री सभापति : श्री महावीर प्रसाद जैन।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : सभानेत्रीजो, मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1983 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। यह जो बिल पास होने जा रहा है इसके बारे मुझे इतना ही कहना है कि इसके स्टेटमेन्ट आफ आब्जेक्ट एण्ड रीजन्स दिये है, 75 मुकदमों में फंसले हो चुके हैं 1981 में राजस्थान हाई कोर्ट से, इसमें इनकी समझदारी समझ लीजिये या सरकार ने किसी प्रकार का कानून में लेकूना रखा है इसलिए इनके खिलाफ 75 मुकदमों में फंसले हो गये। राजस्थान हाई कोर्ट ने जो फंसला किया है उनको रिओपन करने के लिये यह बिल लाया गया है। साथ ही डिप्टी सेक्रेटरी को जो पावर्स नहीं थी उनको पावर्स देने के लिये यह बिल लाया गया है।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि 1981 में जो फंसले हुए और 1981 के पहले जो लोग न्यायालय में गये, यह साधारण न्याय की बात है, साधारण बुद्धि की बात है कि जो व्यक्ति सुनवाई करेगा वही फंसला देगा। अब आपने कहा है कि सुनवाई तो दूसरा कर रहा था और फंसला किसी दूसरे ने कर दिया इसलिये हम कोर्ट में हार गये। इसलिए हम उसको कानूनी रूप देकर, विधान सभा की छाप लगवा कर कानून में लेकूना की वजह से, चाहे आपकी अकर्मणयता की वजह से, चाहे आपकी बुद्धि के दिवालियेपन की वजह से जिन 75-76 लोगों ने न्यायालय की शरण में जाकर किसी प्रकार न्याय प्राप्त किया और उनके केसेज में फंसला हो गया आज आप वापस उन केसेज को रिओपन करेंगे। जिन लोगों का लाखों रुपया आपने बर्बाद करा दिया उसके लिए कौन जिम्मेदार है? 1981 में फंसला होने के बाद 1983 में यह अध्यादेश क्यों निकाला? वह अध्यादेश आज से दो तीन महीने पूर्व निकाला गया और उसके बाद जो बिल ला रहे हैं उसके पहले 3-4 चार बार विधान सभा मिल चुकी है, उस समय आपका ध्यान क्यों नहीं गया? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस प्रकार से क्यों न्याय का मखौल किया जा रहा है? एक साधारण बुद्धि का व्यक्ति भी जिसको जान सकता है वह बुद्धि भी हमारे

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

में नहीं है, हमारे ला-डिपार्टमेन्ट में नहीं है, हमारी सरकार में नहीं है, सरकार में बैठे मन्त्रियों में नहीं है, इसलिये हमको इस प्रकार का बिल और अध्यादेश लाना पड़ता है।

तो मेरा निवेदन यह है कि हमारा न्याय के प्रति विश्वास नहीं है, आदर नहीं है और न्याय के प्रति हम विश्वास और आदर नहीं करेंगे तो जनता में न्याय के प्रति विश्वास उठ जायगा, न्यायालय के प्रति लोगों का विश्वास उठ जायगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आज भी क्या आपने इस बिल को देख लिया है? आज भी इस बिल में किसी प्रकार का और कोई लेकूना नहीं रखा। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इसके लिये कौन जिम्मेदार है, वह पहले ध्यान में क्यों नहीं इस बात को लाये, इस बात का जवाब दें।

श्री सभापति : डा. उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय सभापति महोदया, मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1983 को तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। मन्त्री महोदय जो संशोधन लेकर आये हैं वह हाई कोर्ट का फैसला होने के बाद लेकर आये हैं। न्यायालय ने फैसले दे दिये, यह जमीन पहले भी और किन्हीं लोगों के कब्जे में थी, खाली नहीं थी। सरकार उसको अधिग्रहण करके, इस तरह से बिल लाकर के किन्हीं और को देगी। शोभाराम कमेटी की रिपोर्ट पर भी यदि काम नहीं हुआ, भूमिहीन और अनेक पैदा हो जायेंगे। भूमिहीन कौन होंगे? इस मन्त्रिमण्डल के सदस्य या इधर सत्ता पार्टी के सदस्य? इस तरह से गलत काम करके न्यायालय की उपेक्षा करके, असम्मान करके इस तरह का बिल लाया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में मैंने कल भी कहा था कि इस बिल से झगड़े होंगे, गांवों में असंतोष पैदा किया जायगा। शहरी, अरबन सीलिंग जो आपने लगाई, उसमें आपको कितनी भूमि मिली? लोगों ने रकबे के रकबे बेच दिये। उन जमीन में जहां कभी गोभी और अन्य सब्जी उगा करती थी वहां पर मकान उग गये और सरकार सोती रही। मैं कहना चाहती हूं कि आप करने क्या जा रहे हैं, इससे लोगों में असंतोष पैदा होगा। अत: आपसे निवेदन है कि जिन लोगों के लिये काम करने जा रहे हैं, माननीय मन्त्री महोदय, ये लोग आपको सही सलाह नहीं देंगे, ये तो आपको बदनाम करने पर तुले हुए हैं। इसलिए मेरी आपको सही राय है कि आप इसे जनमत जानने के लिये भेजें तब आपको मालूम पड़ेगा, आप क्या करने जा रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय मन्त्रीजी।

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मन्त्री) : सभापति महोदया, इस सम्बन्ध में कल जब अध्यादेश को निरस्त करने के लिये परिनियत संकल्प माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत करते वक्त अपनी भावना व्यक्त की थी तब भी मैंने निवेदन किया था। अब भी माननीय सदस्यों ने उसी प्रकार की आपत्तियां यहां पर प्रस्तुत की हैं।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

माननीय सभापति महोदया, मैंने स्पष्ट कहा है कि यह बिल कोई पॉलिसी का बिल नहीं है, यह बिल कोई नीति निर्धारण नहीं करने वाला है, यह बिल कोई नया सेक्शन इन्ट्रोड्यूस करके और किन्हीं केसेज को खोलने बिल नहीं है, न कोई नयी जमीन लेने वाला बिल है, यह तो केवल इसलिये लाया गया है कि हाई कोर्ट से एक फैसला हो गया, जो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिये था। वह इस आधार पर हुआ कि सरकार ने उस एक्ट के अन्दर एक प्रोविजन रखा कि इन केसेज के रिओपन करने का फैसला कौन करेगा ? डिप्टी सैक्रेटरी सुनेगा लेकिन Case will be disposed of by the secretary, डिप्टी सेक्रेटरी ने सुना और डिस्पोज आफ करने के लिए सेक्रेटरी के पास गया तो सैक्रेटरी ने टाइम ले लिया। इसमें यह भी पावर दिये हुये थे कि स्टेंडिंग ऑथोरिटी है गवर्नमेन्ट, गवर्नमेन्ट के अधिकार की बात है। गवर्नमेन्ट ने स्टेण्डिग आर्डर के आधार पर यह किया लेकिन उसमें लेकूना इस बात का रह गया कि सुना डिप्टी सैक्रेटरी ने और डिस्पोजल फाइनल हुआ सैक्रेटरी के नाम से। तो यह चूंकि सैक्रेटरी ने सुना नहीं तो यह क्वासी जुडिशियल हो गया। इसलिये यह माना गया कि डिस्पोजल सही नहीं था, यह गलत था। इसलिये उन केसेज को रिजेक्ट कर दिया गया। इस प्रकार के 75 केसेज रिट में गये थे हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिये। उसी फैसले के आधार पर आज जो लोअर कोर्ट्स में हमारे जो केसेज चल रहे हैं, ए. डी. एम. के पास पेंडिग हैं, जिनके काफी समय से फैसले नहीं हो रहे हैं। हम चाहते हैं जल्दी से इन केसेज में फैसला हो जाय। सैक्रेटरी के पास चूंकि इतना समय नहीं होता कि वह हर केस को सुने। हमारे पास आज करीब 390 या 400 के लगभग केसेज पेंडिग रह गये हैं। जो फैसला होना था रिओपन करने के लिये. जिसमें हमको उम्मीद थी कि जमीन ज्यादा मिल जायेगी सरकार को और जमीन भूमिहीन लोगों में बंट सकेगी उन केसेज को केवल इस टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। आज वह रिओपन नहीं हो सकते। इसलिये मैं यह संशोधन लेकर आया हूं कि हम उस डिप्टी सेक्रेटरी को आथोराइज कर दें। बाद में जो कुछ एबसेंस में हुआ है उसको वेलिड कर दें लेकिन इस दरमियान में चूंकि काफी लम्बा समय इसके बीच का निकला है, एक्ट में प्रोविजन दिया हुआ है कि इतने पीरियड के बाद केसेज रिओपन नहीं हो सकेंगे, नोटिसेज नहीं दिये जा सकेंगे इसलिये उस पीरियड, जो पीरियड कोर्ट के अन्दर लगा है केसेज के अन्दर, रिट में गये हैं और फैसले हुए, को कण्डोन किया जाय ताकि जो केसेज फैसल हो चुके हैं, जिन पर निर्णय लिया जा चुका है उन फैसलों को वापस रिओपन किया जा सके, उन केसेज को लिया जा सके। माननीय सदस्यों को भ्रान्ति यह हो रही है कि जैसे अब नये केसेज रिओपन किये जायेंगे। मैं कल भी स्पष्ट निवेदन कर चुका हूं कि इस अमेण्डमेन्ट से और इस बिल के लाने से, इस एक्ट में संशोधन कर देने से कोई भी नया केस रिओपन होने वाला नहीं है। जो केसेज रिओपन होन के लिये

(श्री हीरालाल देवपुरा)

आ गये हैं और जो टेक्निकल आधार पर खारिज होकर खत्म कर दिये गये हैं वही केसेज इसमें आने वाले हैं. कोई नया केस रिओपन होने का इसमें प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसलिए वह शंका तो निर्मूल शंका है।

जनमत जानने के लिये भेजने वाली बात तो तब होनी चाहिये जब मूल एक्ट में नया कोई ऐसा अमेडमेंट लावे जिससे आम लोगों की राय लेना जरूरी हो। जो एक्ट पास किया हुआ है, जो एक्ट लागू है उसमें किसी प्रकार की कोई तब्दीली नहीं है इसलिए जनमत जानने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों के द्वारा जो आपत्तियां इस आधार पर की गई और जनमत जानने के लिये परिचालित करने के संशोधन पेश किये गये इनको अस्वीकार किया जाना चाहिये। कोटा से आने वाले, पीपल्दा से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ कोटा क्षेत्र की बात कही। सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने सबसे बड़ी आपत्ति की है कि कोटा के लिये जो स्टेण्डर्ड एकड़ कायम किया गया सीलिंग के लिये उसमें जिस हिसाब से केलकुलेट किया गया है और किस्म जमीन को देखते हुए जो केलकुलेट किया गया उसमें गंगानगर की अपेक्षा यहां पर सीमा कम रखी गई है जिससे उन लोगों को नुकसान होता है। मेरा निवेदन करना यह है कि सीलिंग कानून एक प्रगति शील कानून माना गया है। उन लोगों के ऊपर सीलिंग लगाई गई है जिनके पास ज्यादा जमीन है। अब कोटा क्षेत्र में, मुझे पता नहीं. कितने किसानों के के पास ज्यादा जमीन हो गई जो सबकी चिन्ता कर रहे हैं। वहां तो लिमिटेड नम्बर है। कहीं पर भी बहुत बड़ा नम्बर नहीं है। उन लोगों की आप चिन्ता कर रहे हैं जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन पड़ी हुई है।आज पैरवी उनकी कर रहे हैं गरीब की बात कह करके, किसानों को राहत दिलाने की बात कह करके, किस किसानों की परेशानी बता करके, जो किसान कुलक की तारीफ में आते हैं। उस जागीरदार, जिसने काफी जमीन अपने पास ले करके रखी हुई है, की बात आप कहना चाहते हैं। आज कोटा डिस्ट्रिक्ट के अन्दर मोर देन 60 पर्सेन्ट केसेज डिसाइड हो चुके हैं, अब उस स्टेण्डर्ड एकड़ को वापस तब्दील करने का मतलब क्या होगा ? जो केसेज डिसाइड हुए हैं, जो जमीन हमने अधिग्रहण कर ली, हमने अपने पास ले ली पजेशन में और जिस जमीन को लोगों में बांटा है उन केसेज को भी एक नया स्टेण्डर्ड एकड़ बना करके, जमीन की सीमा निर्धारित करके वापस रिओपन करें और जिन गरीब लोगों को जमीन दे दी है उनसे वापस जमीन लें ? यह नहीं सोचते, किसको परेशानी ज्यादा होगी। यह आप जो सोच रहे हैं. केवल उन लोगों के लिए सोच रहे हैं जो लोग अपने आप में सक्षम हैं, जिनकी जमीनें हमको लेनी है। इसलिए निवेदन करनाचाहता हूं कि इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है, बिल्कुल साइन्टिफिक हिसाब से जमीन की पैदावार को देखते हुए, हर स्टेण्डर्ड एकड़ सारे राजस्थान के तय किये गये हैं। ग्रुप भी बनाये गये हैं वह ग्रुप भी एक सार जमीन की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, पैदावार को देखते हुए बनाये गये हैं। ग्रुप गांववार नहीं किये में भी कहीं कोई डिस्टन्क्शन नहीं किया गया है।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

यह काफी पहले हो चुका है. इस पर काफी पहले अमल किया जा चुका है इसमें अब तब्दीली करने की मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से यही निवेदन करना चाहूंगा, अच्छा हो वह अपने इस संशोधन प्रस्ताव को वापस ले लें। अगर वह वापस नहीं लें तो मैं नहीं समझता कि इसको जनमत जानने के लिये भेजने की कोई आवश्यकता है, इसलिये इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाय।

श्री भगवान दास शास्त्री : सभापति महोदया, मैं माननीय मन्त्रीजी से प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

श्री भगवान दास शास्त्री : आपकी घोषणा अधूरी रह जाती है उसको पूरा करना चाहिये। विश्राम स्थली में विश्राम मत करिये, जो आश्वासन देते हैं उसको पूरा करिये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1983 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1983 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1983 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1983 विचारार्थ लिया गया।

माननीय मन्त्रीजी।

विधेयक का पारण

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1983 को पारित किया जाय।

श्री सभापति : कोई सदस्य बोलना चाहेंगे? माननीय श्री रघुवीरसिंह। माननीय श्री भूपालसिंह।

श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा) : सभापति महोदया, मेरा यह अर्ज करना है, मूल में

(श्री भूपाल सिंह)

कि यह संशोधन क्यों लाया गया ? सीलिंग एक्ट बना यह सीलिंग एक्ट बनना स्वाभाविक था, उसको मैं कोई गलत नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि जब सामन्तवाद गया, अंग्रेजों का राज गया और प्रजा राज आया तो जो जमींदार और जागीरदार थे उनकी जमीनें छीननी थीं। उनकी जमीन छीनना वास्तव में सही था। इस मंशा से सीलिंग एक्ट लाया गया। वह एक्ट लाया गया सन् 1955 में और उसके दायरे से सब कार्यवाही हुई। उस पर काफी सोच विचार किया, उसमें उतनी जमीन तरखी गई जो एक गरीब आदमी रख सके। यानि जो इन्कम टैक्स नहीं देने की स्थिति में है वह जितनी जमीन रख सके उतनी जमीन रखी जाय यानि 3600 रुपये से कम आय की जमीन रखी जाय। इस पर पूरा डिस्कशन हुआ, जांच हुई, जमीन की सब इन्क्वायरी होने के बाद ग्रामवाइज, खेतवाइज उसको बांटा गया। 3600 रुपये की इन्कम की जमीन ही छोड़ी गई और हर एक जो खेत था उसको पूरा कर दिया गया। कांग्रेस सरकार ने ही कानून बनाया और उसके बाद कांग्रेस सरकार ने ही सब कुछ फैसला किये, हाई कोर्ट तक गये, सुप्रीम कोर्ट तक गये और सब मामले निपटे। उस एक्ट में एक प्रावधान था, एक्ट में एक प्रोविजन था कि अगर कोई गलत तथ्य बतायेगा तो उसको सजा या जुर्माना होगा। ऐसा उसमें यह प्रोविजन था। उसके बाद में फिर दूसरा एक्ट आया, वह तो निपटा ही नहीं और देखा कि नहीं, इनको तो परेशान करना है और परेशानी में रखना है। फिर दूसरा एक्ट लाये उसमें उससे भी कम जमीन रखी गई। फिर जांच पड़ताल करके जो जमीन पहले छोड़ी गई जिसके लिये लोगों ने यह समझ लिया कि अब हमको इतनी ही रखनी है, बाकी बेच बाच के जितनी जमीन रखनी चाहिये एक्ट के तहत उतनी जमीन लोगों ने रखी। दूसरे एक्ट के अन्दर 18 एकड़ कम से कम जमीन एक आदमी रख सकता है। जिसके पास हजार बीघा जमीन थी वह भी 18 एकड़ जमीन रख सकता है। दूसरी जमीन सब छीननी पड़ी, अब उसके भी फैसले हो गये। उस दूसरे एक्ट में एक प्रोविजन था कि यदि किसी की गिनने में या फलावट में या किसी प्रकार से कोई जमीन छूट गई या रह गई तो सरकार चाहे तो उस फाइल को दुबारा खोल सकती है। वह एक ऐसी तलवार लटकी हुई थी कि किसी भी वक्त किसी भी आदमी को सरकार परेशान कर सकती थी।

श्री हीरालाल देवपुरा : उस तलवार को चलाया किसने, यह तो बता दो।

श्री भूपालसिंह : बता रहा हूं। जनता सरकार ने न्याय किया। उसने यह सोचा, यह तलवार किसी वक्त लटकी नहीं रहनी चाहिये। कांग्रेस सरकार ने एक वर्ग विशेष को दबाकर रखा, यह जो तलवार लटका कर रखी है, यह तलवार हटा देनी चाहिये। आजाद देश के अन्दर किसी को परेशान नहीं करना चाहिये। उन्होंने एक तरीख निश्चित कर दी, जो भी फाइल खोलनी है अमुक तारीख तक खोल दी जाय। उनका इन्टेन्शन कोई खराब नहीं था, उनका स्वस्थ इन्टेन्शन था।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप मानते हैं इस बात को।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

श्री भूपाल सिंह : हां बिल्कुल मानता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदया, इनको यहां से निकाल देना चाहिये। बैठे–बैठे बोल रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें।

श्री भूपाल सिंह : तो सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें तो पूरा भेदभाव बरता गया है। हमारी कांग्रेस सरकार की मूल नीति यह है कि ऊपर वाले को नीचे लाओ और नीचे वाले को ऊपर चढ़ाओ। ऊपर वाले को ऐसे नीचे हवाई जहाज से गिराओ कि वह बेचारा मर ही जाय। उसको धीरे धीरे नीचे नहीं उतारा जाय। यानि उसको कम आय हो उतनी ही जमीन उसके लिये छोड़ी जाय। ऐसा किया उनकी इन्क्वायरी होकर फैसले हो गये फिर उसके बाद कोई सवाल ही बाकी नहीं रहा, वापस जमीनों के केस खोलने की बात कहां रही ? पर अब बाद में उन्होंने यह देखा कि यह तारीख खतम करो और जो फाइलें खोलनी हों वह खोल दी जायं तो समय और परिस्थितियां ऐसी होती हैं उस समय हजारों फाइलें खोली गई। क्योंकि सरकारी अफसरों ने देखा कि हमारा तो चान्स आ गया है। अब यह जो भी फाइलें भेज रहे हैं वह सरकारी अधिकारियों के फायदे के लिये है, न कि गरीब लोगों को जमीन मिलने के लिये है। मैं स्पष्ट रूप से अर्ज करता हूं, इसमें तो वकीलों को पैसे देने पड़ेंगे, अदालतों में भटकेंगे और जमीन तो सरकार को मिलेगी नहीं, उस भूमि वाले को परेशानी जरूर होगी। यहां तक परेशानी होगी कि जिसके पास हजारों बीघा जमीन थी, कम से कम 18 एकड़ जमीन मारवाड़ में और चित्तौड़ में 25 एकड़ और पाली में 45 एकड़ जमीन रखी है। एक आदमी, जिसके पास पांच हजार बीघा जमीन थी, उस वक्त चली गई, अब 45 एकड़ भूमि रही है। अब सरकार यह चाह रही है, बेच दी हो तो उसकी और 45 एकड़ जमीन जो छूटी है वह उसकी छीन ली जाय और उसको भूमिहीन बना दिया जाय। इन दोनों एक्ट में कहीं यह प्रोविजन नहीं है। न जो यह संशोधन लाया गया उसमें प्रोविजन है कि इतनी जमीन तो उस आदमी को छोड़ी जायगी जितनी एक्ट के अन्दर वह कम से कम रख सकता है। अभी मेरे साथी कह रहे थे कम्पेनसेशन के लिये। मैं यह कहता हूं, कम्पेनसेशन क्या दें। जो 40–50 एकड़, 18 एकड़ जो जमीन छूटी, वह हजारों में बेच दी। उसके लिये तो कहेंगे, नाजायज बेच दी। अब कहते हैं यह कम कीमत में बेच दी है। मैं कहता हूं सन् 1955 में सीलिंग एक्ट बना, 28 साल के बाद जमीन की कीमत क्या बनी ? आज का अफसर आंकता है उस जमीन को....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बैठे बैठे बातें नहीं करें।

श्री भूपाल सिंह : 28 साल बाद आंकता है कि इस जमीन की क्या वेल्यू है। सौ रुपये, 20 रुपये बीघा में बिकी है वह कम हैं। मैं तो कहूं, मारवाड़ और मेवाड़ क्या,

(श्री भूपाल सिंह)

राजस्थान क्या, यहां की रेतीली जमीन है सौ, दो सौ, पांच सौ पट्टे, सात गांव मेरी जागीर में थे। बिना किसी नजराने के खेती होती थी, किसी में चार आना लगान देना पड़ता था, किसी में दस साल बाद में पूरा लगान देना पड़ता था, उसके बाद में पीढ़ी दर पीढ़ी लगान देना पड़ता था। यानि किसान था कहां, जमीन जोतने वाला था कहां। जागीरदारों के पास जो जमीनें रहीं वह बिल्कुल ही निकम्मी जमीन थी। अच्छी अच्छी जमीन तो किसानों के पास थी। क्योंकि जागीरदार खेती खुद तो करते नहीं थे तो जो कुछ भी बची वह सड़ी गली जमीन थी। अब उसको भी यह छीनने जा रहे हैं। अब मैं यह भी कहूंगा कि वापस फाइलें खोलेंगे, ये यह कहेंगे कि 200 बीघा जमीन उसने गलत बेच दी। 200 बीघा जमीन जो बेची थी उस दिन वह पड़त थी, पहाड़ था, उसको फिर किसान ने खोदा, साफ किया, कुंआ खोदा, आबाद किया। आज यह छीन नहीं सकते। हजारों ऐसे झगड़े आयेंगे। केवल यह एक तलवार लटकाना है। 28 वर्ष बाद जमीन की कीमत आंकना और फाइल को पुनः खोलना चाहते हैं। मूल सन् 1955 के एक्ट में यह सजा लिखी हुई है कि जुर्माना कर दिया जायेगा या सजा कर दी जायगी। वह सजा और जुर्माना भी गया कहीं। दुनिया भर के अन्दर जब एक कानून बन जाता है, पुराना खत्म हो जाता है। यहां दो कानून एक साथ चलते हैं जैसे पहले सन् 55 का कानून था उसके अन्दर जमीन लेनी थी, ले ली। उसके बाद सन् 73 में दूसरा कानून आया तो उस दूसरे कानून के अन्दर कम जमीन रखी। जो प्रभावशाली लोग थे, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता उस एरिया की थोड़ी बहुत जमीन दूसरे एक्ट में उन्होंने रखी। उस एक्ट में यह प्रोविजन भी रखा कि जो पहले ले ली गई है वह पुनः नहीं लौटाई जायगी लेकिन इस एक्ट में अगर आती है तो वह छोड़ दी जायेगी, तो उनके पास रह गई। जिनके पास हजारों बीघा जमीन है हम आज भी कहने को तैयार हैं, वह आज भी नहीं ली जायगी। उनकी फाइलें भी नहीं खुली हैं। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता वे बड़े लोग हैं। यह उन लोगों की खुली हैं जो गांवों में वर्कर्स हैं, गरीब हैं, असहाय हैं और धन्धा नहीं कर सकते, मंत्रि-मण्डल तक नहीं पहुंच सकते हैं। उनकी फाइलें खुली हैं बाकी जो चाहे इधर के हों, चाहे उधर के हों उनकी फाइलें नहीं खुली हैं वह तो जगह की जगह हैं। अगर खोली गई तो वे रफा दफा हो जायेंगी। उसी गरीब को परेशान किया जा रहा है।

एक माननीय सदस्य : फाइलें रफा दफा हो गईं या हो जायेंगी ?

श्री भूपाल सिंह : हो गई होंगी या हो जायेंगी।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर।

श्री भूपाल सिंह : तो मेरा यह कहना है कि अगर आपको खोलना भी है तो दूसरा एक्ट जो है पीछे वाला है उसके अन्दर उन फाइलों को खोलने का विचार करो। पहले के केस तो सीलिंग के सैटल हो चुके, उसमें

(श्री भूपाल सिंह)

तो फैसले हो चुके हैं, लोगों ने जमीनें ले लीं और दे दीं। अब पुराने केसेज को खोल रहे हो इसका मतलब तो यह हुआ कि मैंने जैसे जुर्म किया तो इसके बाप को भी लाओ। अगर वह मर गया हो तो कोई हर्ज नहीं—उसकी फोटो हो तो भी यहां लाकर रखो। उसको भी पनिशमेन्ट दो। यह अन्याय है, मेरे ख्याल से ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ होगा जो जैसा यहां पर हो रहा है। तो सभापति महोदया, मैं अर्ज करने वाला यह था....

श्री सभापति : अब समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री भूपाल सिंह : हुक्म, मैं जो भी अर्ज कर रहा हूं वह सही अर्ज कर रहा हूं। गलत अर्ज नहीं कर रहा हूं सही अर्ज कर रहा हूं।

श्री सभापति : संक्षेप में कहें, काफी समय ले लिया।

श्री भूपाल सिंह : तो सभापति महोदया, जो यह फाइलें खोलने का सवाल है, राज्य सरकार को अधिकार था। राज्य सरकार के डिप्टी सैक्रेटरी खोले। डिप्टी सैक्रेटरी के लिये हाई कोर्ट ने कहा कि वह इतना बड़ा अफसर नहीं है, यह नहीं कर सकता इसलिये गलत खुली है। सरकार अब यह चाहती है कि डिप्टी सैक्रेटरी ने जो फाइलें खोली हैं वह मान ली जायं। अगर ऐसा ही संशोधन करना है तो फिर आप यह भी संशोधन कर दो कि गांव की पंचायत का चपरासी या सरपंच जिसको कहे उसकी फाइल खोल दो। अब एक डिप्टी सैक्रेटरी क्या वकत रखता है....

श्री भैरूं सिंह गुर्जर : नहीं, आजकल वह बहुत बड़ी वकत रखता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें। माननीय सदस्य, जल्दी कन्क्लूड करें।

श्री भूपाल सिंह : मैं अर्ज करूं, डिप्टी सैक्रेटरी लेवल वालों ने तो नीचे फैसले किये हैं उनसे ऊपर वालों ने फैसले किये हैं तो उससे कोई सुपीरियर अधिकारी ही सुनें। खोलने का संशोधन हो तो हम मानें। डिप्टी सैक्रेटरी जो एस डी. ओ. लेवल का है, एस. डी. ओ. के फैसले थे, रेवेन्यू बोर्ड में गये, आगे भी गये, वापस फिर उनको खोला। रेवेन्यू बोर्ड के फैसले को भी खोला और हाई कोर्ट के फैसले को भी खोला, और एक दो तीन, वापस ठेठ से गिने।

अब जो कम्पेनसेशन की बात कही है, कम्पेनसेशन बीस गुना बताया पहले के एक्ट में। चार आना बीघा लगान की जमीन का कम्पेनसेशन पांच रुपया यानि एक बीघे का पांच रुपये कम्पेनसेशन देकर उसकी जमीन ली गई और वह पांच रुपया भी आज दिन तक नहीं दिया गया। जिन परिस्थितियों में जागीरें खत्म हुई और टिनेन्सी एक्ट बना उस वक्त मंशा यह थी कि जागीरों को खत्म किया जाय। उसके कानून के अनुसार फैसले भी हो चुके हैं पर अब उन्हें फिर खोला जा रहा है। दूसरा एक्ट टिनेन्सी का जो था उसकी जो धाराएं हैं उसके अनुसार आज दिन तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है और उन धाराओं को काम में नहीं

(श्री भूपाल सिंह)

लिया गया है। मैं कहता हूं टिनेन्सी एक्ट के अंदर एक धारा है कि उसकी खिलाफत करने वाले की जमीन सरकार जब्त कर लेगी। लेकिन आज दिन तक सरकार ने अगर एक बिस्वा जमीन किसी की जब्त की हो तो वह मिसाल के तौर पर बता दो। फ्रेगमेंटेशन के लिये उसमें है लेकिन आज दिन तक फ्रेगमेंटेशन का दूसरों से भले ही पालन करवा लें लेकिन सरकार नहीं कर रही है। जहां 20–15 एकड़ का एक फ्रेगमेंटेशन है वहां दो बीघा और पांच पांच बीघा जमीन अलाट करके टुकड़े कर रहे हैं। उसमें पटवाड़ा है, जुर्माने का है, लकड़ी काटने का है, सीलिंग कानून में हजारों ऐसे प्रावधान हैं जो उस समय के लिये उपयुक्त थे, आज उपयुक्त नहीं हैं। मैं कहता हूं टिनेन्सी एक्ट में संशोधन क्या करें, इस टिनेन्सी एक्ट को खत्म करके जो इसमें सही धाराएं हैं और जो रहनी चाहिये उनको रेवेन्यू एक्ट के अन्दर ले लें। समय और परिस्थिति के साथ सब बदलते हैं, राजाओं का राज बदला, प्रजा राज आया, प्रजा राज के अन्दर परिस्थितियां बदलनी थीं, बदली। आज एक साधारण किसान रह गया है जिसके पास 18 एकड़ जमीन है उसको भी अगर सताया जायेगा, केसेज का फैसला होने के बाद पुनः खोले जायेंगे तो हाई कोर्ट की शक्ल देखने को जाना पड़ेगा। इसके अलावा जिनकी भूमि ली गई है, मैं कहता हूं, उनको कम्पेन्सेशन अभी दिया नहीं है। बस, एक बात बाकी रह गई है, सभापति महोदया, उसकी जमीन तो ले ली जाये और दो दो, चार चार डंडे ××× और लगाये जायं ताकि उसको अक्ल आ जाये और वह सरकार की खिलाफत नहीं करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री भगवानदास शास्त्री : जो शब्द बोला है उसको एक्सपंज करायें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : पाइंट आफ आर्डर।

श्री सभापति : पाइंट आफ आर्डर क्या है ?

श्री यदुनाथ सिंह : माननीय शिवराम शर्मा मेरी तरफ यूं कर रहे थे। जोधपुर हाउस से तो इनको नंगा करके निकाल दिया था वहां तो कुछ नहीं किया। इनसे कहिये, अपना व्यवहार सही रखें। उधर तो जोर चलता नहीं और यहां हम पर जोर चलाते हैं।

श्री शिवराम शर्मा : और किसने देखा है आपकी तरफ यूं करते हुए ?

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप सबसे निवेदन है कि सदन की मर्यादा और नियमों का ध्यान रखें।

श्री नन्दलाल मीणा : एक व्यक्ति और था आपके साथ उसने कहा था.।

श्री सभापति : आप समाप्त करें. माननीय सदस्य।

श्री भूपाल सिंह : एक मिनट।

मेरा अर्ज करना यही है कि मैं एक आश्वासन चाहता हूं मिनिस्टर साहब से कि क्या उस आदमी, जिसके पास हजारों बीघा जमीन थी, को भूमिहीन बनाना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आपस में बात न करें। व्यवधान नहीं करें। माननीय सदस्य, बैठे बैठे बातें न करें।

श्री भूपाल सिंह : मैं एक बात मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं, क्या इनके कानून कायदे जो भी हैं उनमें जिसके पास गांव में हजारों बीघा जमीन थी, उसको कम से कम सीलिंग कानून के तहत जमीन रखने का अधिकार देंगे या नहीं देंगे या उससे सारी जमीन छीन लेंगे ? यानि मूल एक्ट में ऐसा है, बिकी हुई जमीन जो है वह शुमार होगी और बची हुई जिस जमीन में वह खेती कर रहा है, जिसको डवलप किया है 30 वर्ष में, जिसमें कुआ खोदा है, वह जमीन उससे छीन ली जायेगी ? ऐसे तो नहीं छीनेंगे ?

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री भूपाल सिंह : अपन तो एक आश्वासन चाहते हैं। एक यह चाहता हूं कि एक्ट में सजा और जुर्माना लिखा है, उस एक्ट के तहत....

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें।

श्री भूपाल सिंह : एक्ट के अन्दर जो सजा और जुर्माना रखा है उस एक्ट के तहत जुर्माना करें।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें। समाप्त करें।

(व्यवधान)

माननीय श्री रघुवीरसिंह कौशल।

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, आपस में बातें न करें।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : सभापति महोदया, अभी माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि यह बिल इसलिए लाया गया, अब उनकी नीयत यह है कि डिप्टी सैक्रेटरी केसेज को सुनें और सैक्रेटरी डिस्पोज आफ करें, इस सम्बन्ध में जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया वह देना नहीं चाहिये।

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

मैं इस सम्बन्ध में यही निवेदन करना चाहता हूं कि क्या यह नेचरल जस्टिस है कि सुने एक आदमी और फैसला दे दूसरा आदमी ? इसके पीछे मंत्री महोदय की यह नीयत काम करती है, आपको केसेज रिओपन करने हैं इसलिए सुने तो डिप्टी सैक्रेटरी और फैसला करे सैक्रेटरी। इसका मतलब क्या हुआ ? क्या नेचरल जस्टिस का यह सिद्धांत यहां पर लागू होता है ? क्या यह हाई कोर्ट ने नया ही फैसला किया है ? हाई कोर्ट ने 1966 में फैसला किया है जिसमें स्पष्ट है :

"Authority which has do decide must hear party and authority which hear must have the powers to decide. Hearing by deputy without power to decide and decision by authority without necessity to hear amounts to force, an empty formality."

यह 1966 का केस है। इसलिए मैं कहता हूं कि इसके पीछे जो नीयत है वह नेचरल जस्टिस की नहीं है। इसके पीछे नीयत यह थी, डिप्टी सैक्रेटरी सुनेगा तो सैक्रेटरी फैसला क्या देंगे। आर्ग्यूमेंट एक आदमी ने सुने हैं तो दूसरा आदमी फैसला कैसे दे सकता है। यही एक बात है जो यह प्रदर्शित करती है कि सरकार की नीयत क्या है। सभापति महोदया, मैं मंत्रीजी को बताना चाहता हूं कि आपने यह नया सीलिंग कानून लागू क्यों किया ? पुराना सीलिंग कानून चल रहा था तो नया चालू क्यों हुआ ? और जब नया होगा तो पुराना चालू क्यों है ? यानि हिंदुस्तान में कहीं कोई ऐसे दो कानून लागू हैं जो एक दूसरे से अंतर रखते हों ? पुराना कानून लागू था, आपकी ए० आई० सी० सी०, आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने निर्णय किया कि यह कानून समान रूप से सारे देश में लागू होना चाहिए। उन्होंने यह बताया, ए० आई० सी० सी० की हिदायत के अनुसार सारे भारत में भूमि सीलिंग कानून में एकरूपता लाने के लिए कानून की विसंगतियां....

(4.15 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

और भेदभाव समाप्त करने के लिये राजस्थान में भी नया कानून लागू हो।

श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि अभी माननीय भूपाल सिंहजी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने अपने भाषण के अन्दर इस बात का उल्लेख किया है कि अमुक स्थान पर डंडे लगाये जायं, उस शब्द को हटाया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कार्यवाही देखकर उस पर निर्णय दूंगा। अब समय समाप्त हो गया है इसलिए जल्दी समाप्त करें तो मंत्रीजी का उत्तर हो।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं केवल मोटी मोटी बात कहूंगा।

श्री अध्यक्ष : मोटी का सवाल नहीं। एक घंटा था, एक घंटा समाप्त होते ही सभी आवश्यक प्रश्न अभी पूछ लेंगे। अब एक मिनट में समाप्त करें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : एक मिनट में तो इस प्रश्न को समाप्त नहीं कर सकता। मैं मोटे मोटे मुद्दे मंत्री के सामने लाना चाहता हूं

श्री अध्यक्ष : मेरे लिये संभव नहीं है। अभी दो विधेयक और पारित करने हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम विधेयक पर विचार कर रहे हैं जो कानून बनने जा रहा है उस पर समय नहीं दिया जायगा तो कब बोलेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इसका नियम है, नियमानुसार कार्य सूची बनाई जाती है। कार्य सूची के अनुसार 8 विधेयक हमको पारित करने थे तीन दिन में। इसलिए मैंने कल से समय सीमा निश्चित कर दी। आज भी विधायी कार्य हाथ में लेने से पूर्व माननीय सदस्यों को सूचित कर दिया कि प्रत्येक विधेयक के लिये एक एक घंटे का समय है। वह समय समाप्त हो गया। इसलिए तत्संबंधी जितने भी आवश्यक प्रश्न हैं वह अब पूछ लिये जायेंगे। कृपया जल्दी समाप्त करें।

(व्यवधान)

संभव नहीं होगा।

श्री त्रिलोक सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक आदमी एक घंटा बोलेगा और हम नहीं बोलेंगे....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें। चर्चा समाप्त हुई।

मंत्रीजी।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : चर्चा समाप्त नहीं हुई, मुझे बोलना है।

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्य।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं जानता हूं लेकिन सदन जो प्रक्रिया तय करता है उसके अनुसार मुझे कार्यवाही करनी होती है....

श्री रघुवीरसिंह कौशल : तो यह प्रक्रिया हो जायेगी कि बिना बहस के, बिना डिस्कशन के....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। सदन ने जो कार्य सूची स्वीकृत की है उसके अनुसार जितना भी कार्य हो उसको सम्पादित करना है।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर।

श्री त्रिलोक सिंह : अगर कोई नहीं बोले तो यहां लाने की जरूरत क्या थी ?

श्री भंवरलाल शर्मा : यह नहीं होगा, माननीय सदस्य को समय दिया....

श्री अध्यक्ष : होगा, बिल्कुल होगा। जो कार्य सूची तय होती है उसके अनुसार....

श्री रघुवीरसिंह कौशल : कृपया 5 मिनट का समय दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : Let him conclude.

श्री अध्यक्ष : यह अंतिम भाषण होगा।

श्री त्रिलोक सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यर्थ में समय न लें। कृपया नियमों को देखें।

श्री त्रिलोक सिंह : उनको दे दिया है तो मुझे भी दे दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, उसके अनुसार नये कानून में एकरूपता लायी गई और सिंचित क्षेत्र 27 एकड़ और असिंचित क्षेत्र 48 एकड़ सीलिंग सीमा में लाया गया। और जब नया कानून आ गया तो पुराने कानून में और नये कानून में अन्तर होते हुए भी, अध्यक्ष महोदय, एक केस यदि पुराने कानून में डिसाइड हो जाय तो नये कानून में डिसाइड होता है और नये कानून में भी डिसाइड हो जाय तो फिर पुराने कानून में खुल जाता है। अभी कितने केस रि-ओपन हुए हैं उनमें 90 पर्सेन्ट केसेज ऐसे हैं जो नये कानून, जिसे आपने 1-1-67 से लागू किया, डिसाइड हो चुके हैं और पुराने कानून में रि-ओपन कर दिये हैं। अब नये और पुराने कानून में अन्तर क्या है? अध्यक्ष महोदय, नये और पुराने कानून में इतना सा अन्तर है कि पुराने कानून में 1-1-69 का यदि कोई हस्तान्तरण है तो वह वैध होगा और नये कानून में 1-1-72 तक का ट्रान्सफर भी यदि वह बोनाफाइड है तो वैध हो जायेगा। 1969 और 1972, तो फिर यह नया कानून बनाया ही क्यों था? जब पुराने कानून में आपका विश्वास ही नहीं है, पुराने कानून की जगह नया कानून आ गया, एकरूपता लाने के लिये कानून आया, तो नये कानून में जो केस डिसाइड हो गये उनको पुराने कानून में खोलकर क्या चाहते हैं? पहले कानूनन हुआ। ऐसे ही वयस्क पुत्र का है। पुराने कानून में वयस्क पुत्र यदि 1- -1966 को है तो भी आप उसको पैतृक सम्पत्ति में अधिकार नहीं दे रहे हैं और नये कानून में 1-1-72 को यदि वह मेजर है तो उसको आप अधिकार दे रहे हैं पैतृक सम्पत्ति में। तो यह जो पुराने और नये कानून में अन्तर आ गया इस अन्तर को दूर करने के लिये आपने क्या व्यवस्था की है? यह कानून क्यों बनाया है, यदि इस कानून पर आपका विश्वास ही नहीं है तो? जब नया कानून आ गया तो नये कानून के हिसाब से जो केस डिसाइड हो गये, और आपको यदि रि-ओपन भी करना है तो नये कानून में लेकर कीजिये। पुराने कानून में क्यों कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, हाई-कोर्ट और रेवेन्यू बोर्ड के एक ही मामले में अनेक प्रकार के डिसीजन्स हैं जो एक दूसरे से डिफरेन्ट हैं। मैं आपके सामने कुछ निवेदन करना चाहूंगा कि रेवेन्यू बोर्ड ने क्या फैसला किया? रेवेन्यू बोर्ड....

श्री अध्यक्ष : समय समाप्त हो रहा है, माननीय सदस्य।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : रेवेन्यू बोर्ड ने फैसला दिया कि पैतृक सम्पत्ति में पैतृक सम्पत्ति का कानून सीलिंग एक्ट में लागू नहीं होता है, हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि लागू होता है। सरकार जो आदेश दे देती है उसको रेवेन्यू बोर्ड नहीं मानता। सरकार को आदेश देने के पावर्स हैं, तो हाई कोर्ट और रेवेन्यू बोर्ड अलग अलग डिसीजन्स दे रहे हैं। रेवेन्यू बोर्ड की हर ब्रांच अलग अलग डिसीजन्स दे रही है और उन डिसीजन्स के आधार पर किसी का फैसला फेवर में और किसी का फैसला अगेन्स्ट में। तो यह जो विसंगतियां नये कानून में और पुराने कानून में हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : इन विसंगतियों को दूर करने के लिये....अध्यक्ष महोदय, मैं वह पाइण्ट रख रहा हूँ यहां....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया आसन को सहयोग दें। समाप्त कीजिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आज कानून बनाने जा रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैं इजाजत नहीं दूंगा। माननीय सदस्य।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मंत्री महोदय राय ले रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे। मेरी मजबूरी है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मंत्री महोदय ने सुना ही नहीं उत्तर क्या देंगे?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आज आप बहुत ही सख्त हो गये हैं, साहब।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री त्रिलोक सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इजाजत दें। यह बिल्कुल भी न्याय नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : न्याय-अन्याय जैसा है, आप सबके समक्ष है। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री त्रिलोक सिंह : क्या आप हम लोगों की राय नहीं लेना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री त्रिलोक सिंह : सब कानून क्या होगा? ऐसा कानून पहले भी....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया समय का ध्यान रखें। अगर समय होता तो आपको समय दे सकता था। इसके लिये समय सीमा निर्धारित की गई थी। अब समय नहीं है।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री त्रिलोक सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं। मंत्री महोदय। अंकित न हो।

श्री त्रिलोक सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : कृपया आर्डर, आर्डर। बैठ जायं। माननीय सदस्य, कृपया। समय होता तो आपको मैं इजाजत दे सकता था। आर्डर, आर्डर।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने संशोधित बिल पारित करने के लिये जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उस पर दो माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे, निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने और बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने। जहां तक मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने तो कोई खास बात नहीं बताई लेकिन बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने उसमें यह आक्षेप किया कि डिप्टी सैक्रेटरी को अधिकार दिला करके केवल राज्य सरकार अपनी नीयत की बात साफ कर रही है कि उस ला पर कुछ भी मेनुपुलेट किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब तक जितने भी केसेज डिसाइड हुए हैं वह सब के सब केसेज डिप्टी सैक्रेटरी के लेवल पर ही सुने गये हैं और उसी आधार पर वह डिसाइड हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या में ये केसेज हैं कि जिन केसेज को अगर रेवेन्यू सैक्रेटरी या रेवेन्यू मिनिस्टर को देकर सोचें और वहां पर हर केस को सुनना पड़े तो कभी डिसीजन होगा ही नहीं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इन केसेज का निपटारा हो। जो डिप्टी सैक्रेटरी जो डिसीजन लेता है, वह केवल डिसीजन लेता है कि रि-ओपन किया जाना चाहिये या नहीं किया जाना चाहिये। डिप्टी सैक्रेटरी वहां बैठकर यह डिसीजन नहीं लेता है कि कितनी जमीन इसके अन्दर आयेगी और कितनी इसके अन्दर नहीं आयेगी। इसलिये उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसके बारे में यह सोचा जाय। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि मैंने जो संशोधन पेश किया है वह संशोधन बिल्कुल केवल उन केसेज, जो लैप्स हो गये हैं, को वेलिडेट करने के लिये और उन केसेज को जल्दी डिस्पोज ऑफ करने के लिये जो हाई कोर्ट ने एक एतराज कर दिया था, आब्जेक्शन किया था डिप्टी सैक्रेटरी को अधिकार देने के लिये और जो पीरियड टाइम था उस टाइम को कन्डोन करने के लिये प्रस्तुत किया है। इसलिये इसमें ऐसी कोई बात नहीं है।

जहां तक नये और पुराने कानून का सवाल है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नये कानून बनने के बाद पुराना कानून स्पष्ट रूप से नये कानून में लिखा हुआ है, रिपील हो चुका है। केवल उसमें एक पुराने कानून के वक्त का अगर रि-ओपन हुआ है उसमें ज्यादा जमीन लेनी चाहिये थी कम जमीन

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

ले ली गई है तो केवल अर्थमेटिक केलकुलेशन करने के लिये उसमें एक यह भी क्लाज दिया हुआ है ताकि उसमें जमीन उस हिसाब से केलकुलेट कर दी जाय। इसलिये उसमें कोई नया कानून और पुराना कानून दो कानून रहे नहीं, कानून तो एक ही है सीलिंग का, नया कानून सीलिंग का जो है वह है, पुराना कानून तो रिपील हो चुका है। केवल अर्थमेटिक केलकुलेशन के लिये उसमें एक सेमी क्लाज दिया हुआ है ताकि लोगों को उससे नुकसान न हो।

दूसरी बात, यहां पर ट्रान्सफर की गई है। ट्रान्सफर की हुई जमीन सीलिंग के अन्दर अवाप्त कर ली जाती है। और खाद की जमीन उसमें निकाल दी जाती है कि यह जो ट्रान्सफर की हुई जमीन है उसको तो हम मानेंगे, और अब ज्यादा जमीन तुम्हारी ले लेंगे। तो मैं उसके लिये निवेदन करना चाहूंगा कि कई ट्रांसफर जो गैर कानूनी तरीके से हुये हैं या सीलिंग एक्ट से बेन हो जाने की वजह से या अन्य कारणों की वजह से वह ट्रान्सफर नहीं कर सकते थे उन्होंने ट्रान्सफर कर दिये उन्हीं ट्रान्सफर्स को हमने गलत मानकर के केलकुलेशन किया है बाकी वाजिब तरीके से और सही तौर पर ट्रान्सफर्स किये गये हैं उनको हमने कहीं पर भी गैर वाजिब ट्रान्सफर नहीं माना है और सीलिंग के अन्दर उसको उस तरीके से काउन्ट नहीं किया है जैसा कि माननीय सदस्यों को भ्रान्ति है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें कोई भ्रान्ति नहीं है। यह जो मैं संशोधन विधेयक लाया हूं उसको पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1983 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1983 पारित किया गया।

अगला विधेयक है राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन विधेयक, 1983 के सम्बन्ध में परिनियत संकल्प की सूचना 11 माननीय सदस्यों ने दी है। इस विधेयक के लिये एक घन्टे की समय–सीमा निश्चित की गई है पारित करने के लिये इसलिये कृपया माननीय सदस्य बोलते समय समय का ध्यान रखें।

मैं नाम पुकारता हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमने अपने दल की ओर से बोलने वाले माननीय सदस्यों की सूची कम करके आपको दे दी है। आप कृपया उन्हीं के नाम पुकारें, इससे संख्या भी कम हो जायगी और हमारा पक्ष भी ठीक से सामने आ जायगा। श्री दाऊदयाल जोशी को हमने प्रस्तावित किया है, श्री गुलाबचन्द जी कटारिया नहीं बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी।

परिनियत संकल्प
राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन), अध्यादेश, 1983

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह परिनियत संकल्प प्रस्तुत करता हूं—यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 23 जून, 1983 को प्रख्यापित राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) अध्यादेश, 1983 (अध्यादेश संख्या 2 सन् 1983) को अस्वीकार करता है।

अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य है कि जन-प्रतिनिधियों को ठुकरा कर जगह जगह प्रशासनिक अधिकारियों को थोपा जा रहा है। इस सत्ता पर लालफीताशाही हावी है। सरकारी तन्त्र जिस तरह से हावी है उसका प्रतीक यह राजस्थान होमियोपैथिक (संशोधन) विधेयक, 1983 लाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं जहां जहां जन-प्रतिनिधि चुन कर जाते हैं उस संस्था का सम्मान जन प्रतिनिधियों के माध्यम से ही हो सकता है। प्रशासनिक तंत्र के आधार पर जो भ्रष्टाचार पनपता है, जो अनियमिततायें होती हैं वह चिन्ता का विषय है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक जो आज लाया जा रहा है, इसका मूल विधेयक जब बना था उस समय प्रशासनिक अधिकारियों को हटा कर जनता के नुमाइन्दो को पहुंचाने की इसकी मूल भावना थी। लेकिन परिस्थितिवश, हो सकता है प्रशासनिक अक्षमता के कारण, प्रशासनिक अयोग्यता के कारण यदाकदा अगर प्रशासक नियुक्त भी किया जाय तो वह केवल 6 माह के लिए नियुक्त किया जायगा या साल भर से अधिक प्रशासक नियुक्त नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मूल कानून के अन्दर यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था, मैं जो मूल बिल है उसको उपस्थित कर रहा हूं।

"प्रशासक की नियुक्ति—जहां बोर्ड की असामान्य या बढ़ाई गई अवधि समाप्त हो गयी हो और धारा 4 के उपबंधों के अनुसार नया बोर्ड गठित नहीं किया गया हो वहां राज्य सरकार किसी भी समय राजपत्र में अधिसूचना के जरिये बोर्ड की समस्त शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों और कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकेगी।"

केवल एक साल के लिए प्रशासक नियुक्त करने की बात कही गई थी। नीचे लिखा है—

"परन्तु राज्य सरकार इस प्रकार नियुक्त प्रशासक की अवधि को समय समय पर किसी एक बार में 6 माह से अनधिक की कालावधि के लिए इस शर्त के अध्यधीन बढ़ा सकेगी कि इस प्रकार नियुक्त प्रशासक की कुल अवधि कुल मिलाकर दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।"

अध्यक्ष महोदय, गलती तो करे सरकार, सन् 1981 के अन्दर इस संस्था के चुनाव होने थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि सन् 1980 निकल गया, 1981 निकल गया और 1982 निकल गया और अब

(श्री दाऊदयाल जोशी)

83, जो तीसरा वर्ष है, के अन्दर जाकर इस बिल को यह लाकर आज हम पारित करने जा रहे हैं। मैं सदन के माननीय सदस्यों से करबद्ध निवेदन करूंगा कि अगर आपमें लोकतंत्र के प्रति आस्था है, अगर आप यह चाहते हैं कि राजस्थान के प्रशासन के ऊपर प्रशासन तंत्र हावी न हो, अगर आप यह चाहते हैं कि लालफीताशाही किसी भी मूल्य पर हावी न हो तो इस बिल को आज ही इसी स्थिति में टर्न टाउन करके मंत्री महोदय से कह दो, मंत्री महोदय, आज और आने वाले समय में कभी भी राजस्थान की छाती पर इस प्रकार से जनता के नुमाइन्दों की उपेक्षा करके प्रशासनिक अधिकारियों को थोपने नहीं दिया जायगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य है कि यह बिल लाया गया है पुराने पापों को छुपाने के लिए। आप प्रशासक बैठा कर सन् 1981 से लेकर 1982–83 दो साल तक उससे अनियमित कार्य करवाते रहे। उसने मनमानी जैसी मर्जी आई वह की, उसने जिस प्रकार से लोगों का रजिस्ट्रेशन किया वह अपने आप में उसका कच्चा चिट्ठा है। मेरे पास इस बात के प्रमाण हैं कि प्रशासन ने राजस्थान होमियोपैथिक बोर्ड के तहत जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन किये हैं वह चिन्ता का विषय है। उसमें विशेष रूप से महान भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ है। जिस प्रकार से पंजीयन किया गया होमियोपैथिक चिकित्सकों का उस पंजीयन में जो भ्रष्टाचार अपनाया गया योग्यता के आधार पर। पंजीयन करने की अवधि में, माननीय अध्यक्ष महोदय, योग्यता क्या होती है होमियोपैथी के अन्दर। होमियोपैथी एक पंथी है, होमियोपैथी एक पद्धति है, होमियोपैथी एक चिकित्सा पद्धति है जो कि सर्व सुलभ है। उसकी प्रक्रिया सारे हिन्दुस्तान में मानी जाती है। आश्चर्य और दुःख का विषय है कि आज तक यह सरकार भारत सरकार के बार बार लिखने के बावजूद डिग्री कालेज नहीं खोल सकी। पिछले सत्र में भी मैंने होमियोपैथी के बिल पर यह बात कही थी, उसके साथ कहा था कि भारत सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि राज्य के अन्दर कम से कम एक होमियोपैथी डिग्री कालेज राज्य सरकार स्वयं अपने खर्चे से चलाये। क्या, मंत्री महोदय, आप इस प्रकार का काला बिल लाकर राजस्थान की छाती पर थोपना चाहते हैं कि प्रशासक एक नहीं, दो साल तक राज्य में काम कर सकेगा? आप साल भर के बजाय 6 माह के लिए अगर प्रशासक नियुक्त करने का बिल लाते तो हम उसको सहर्ष स्वीकार करते....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बोलूंगा। और बोलने वाले नहीं हैं। मेरे पास पूरा मैटर है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके दल ने और भी नाम दिये हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन है कि इस बिल को किसी भी बल पर स्वीकार नहीं किया जाय। इस बिल को इसी स्टेज पर टर्न डाउन कर दिया जाय। मंत्री

Page No. 146

(146)

(श्री दाऊदयाल जोशी)

महोदय, आपके पास क्या इतने प्रतिनिधि नहीं थे कि होमियोपैथिक बोर्ड का गठन कर पाते ? क्या होमियोपैथिक चिकित्सक, जो कि राजस्थान भर में राज्य सरकार के चिकित्सालय चलाते हैं, जो आज तक चिकित्सा पुनर्भरण बिल की सुविधा आपने प्रदान की है, मंत्री महोदय, आपके होमियोपैथिक चिकित्सक, जो बाकायदा आपके चिकित्सालयों में बैठे हैं, जब आयुर्वेद के चिकित्सक स्वस्थता अस्वस्थता प्रमाण पत्र जारी करते हैं तो क्या आज की तारीख तक आप किसी भी मूल्य पर उन होमियोपैथिक चिकित्सक को चिकित्सा पुनर्भरण बिल के साथ साथ स्वस्थता/अस्वस्थता प्रमाण-पत्र देने का अधिकार देने की क्षमता रखते हैं ? आप होमियोपैथी के नाम पर तो कुछ करना नहीं चाहते हैं। आप होमियोपैथी के नाम पर बोर्ड में प्रशासक के तौर पर जबरदस्ती किसी को एक साल के लिए नहीं बल्कि दो साल के लिए बैठाना चाहते हैं। इसको किसी भी मूल्य पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए....

श्री अध्यक्ष : समय अधिक ले रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : ....माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ आयुर्वेद मंत्री महोदय से कि वह अयोग्य हैं। राजस्थान में आयुर्वेद का भी बोर्ड बना हुआ है। 18 साल हो गए, माननीय मंत्री महोदय, आयुर्वेद का जो पंजीयन बोर्ड है उसके 18 साल से चुनाव नहीं कराये। आप उसमें मनमाने लोगों को नियुक्त कर देते हैं....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य, कृपया।

श्री दाऊदयाल जोशी : और वह भी दो साल के लिए। और फिर जोर जबरदस्ती से एक साल के लिए नहीं दो साल के लिए प्रशासक को बैठाना चाहते हैं। माननीय मंत्री महोदय ने सोच लिया कि अगर पुराना पाप कर लिया तो उसको राइट आफ करा लें। तो नया पाप करने जायेंगे उसको भी आज स्वीकार करा लो। आपने लगातार दो साल तक राजस्थान होमियोपैथिक बोर्ड की छाती पर राजस्थान के होमियोपैथिक चिकित्सकों से लूट खसोट करने के लिए चोर व्यक्ति को बैठाये रखा। आज कानून लाकर उसकी पुष्टि करने जा रहे हैं।

एक बात और कह कर बात को विराम दूंगा। माननीय आयुर्वेद चिकित्सा मंत्रीजी, आप जो होमियोपैथी की दवाइयां खरीदते हैं वह कहां से खरीदते हैं ? क्या किसी भी रजिस्टर्ड संस्था से दवाइयां खरीदते हैं ? नहीं खरीदते हैं। आप कमीशन के आधार पर सस्ती दवाइयां खरीदते हैं। सस्ती दवाइयों के आधार पर आयुर्वेद चिकित्सा क्या होगी ? होमियोपैथिक चिकित्सा क्या होगी ? होमियोपैथी एक हजार दो हजार पोटेंसी की दवाइयों के आधार पर चिकित्सा करने वाली पद्धति है। जितनी शक्ति की दवाई होगी उसका

(श्री दाऊदयाल जोशी)

उतना ही प्रभाव होगा। लेकिन यहां केवल शुगर कोटेड दवाइयां खरीदी जाती हैं। आप टेन्डर्स स्वीकार करते हैं वह सस्ती दवाइयां खरीदने के टेन्डर्स स्वीकार करते हैं। आप स्टेन्डर्ड दवाइयां लीजिए। हैनीमैन कम्पनी कलकत्ता की है उसके द्वारा चिकित्सा के लिए औषधियां नहीं खरीदते हैं। जयपुर नगर में ही काम करने वाली सस्ती और टटपूंजिया संस्थाओं के माध्यम नकली दवाइयां खरीदते हैं जो लोगों को स्वस्थ होने में मदद नहीं देतीं। होमियोपैथी एक चिकित्सा है उसकी इतिश्री आपके माध्यम से आज हो रही है। मैं आपसे पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि आप कृपा करके स्टेन्डर्ड को ध्यान रखते हुए, पोटेन्सी को ध्यान में रखते हुए दवाइयां खरीदें। क्या आप होमियोपैथी चिकित्सा में कुछ समझते हैं? आप समझते नहीं हैं। न होमियोपैथी का अ, आ, ई जानते हैं और न आयुर्वेद का अ, आ, इ जानते हैं। अगर जानते हैं तो बता दीजिए नक्शवमिका किस को कहते हैं और आयुर्वेद की पचमपचा किसको कहते हैं? दो दवाइयों का नाम बता दीजिए, मैं मान लूंगा। आप कानून के ज्ञाता होंगे, होमियोपैथी और आयुर्वेद के ज्ञाता नहीं हैं। इसलिए आपके विभाग में केवल लूटखसोट हो रही है। आयुर्वेद के वैद्यों के हजारों की तादाद में तबादले किये गये जिसमें भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ। सरे आम गरीब वैद्यों से, ब्राह्मण वैद्यों से पांच-पांच हजार की रिश्वतें आपके डिपार्टमेन्ट में खाई गई हैं। मैं माननीय सदस्यों से पुरजोर शब्दों में निवेदन करता हूं कि यदि आप में थोड़ी सी भी हिम्मत है, अगर आप यह चाहते हैं कि राजस्थान में लोकतंत्र पनपे, अगर आप यह चाहते हैं लालफीताशाही नहीं आये और प्रशासकों के पास सत्ता न जाय तो कृपा करके इस बिल को टर्न आउट कर दो, टर्न आउट कर दो, टर्न आउट कर दो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर। कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य तो कह रहे थे कि वह अकेले ही बोलने वाले हैं।

श्री नाथूसिंह : मैंने नाम भी दिया है।

श्री अध्यक्ष : किस की बात पर विश्वास किया जाय? तीन चार स्टेज से इस बिल को गुजरना है। एक माननीय सदस्य ने यह बात कह कर अधिक समय ले लिया कि वह अकेले ही बोलने वाले हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लग रहा है....

श्री अध्यक्ष : आपको लग रहा है तो मेरे हाथ की बात नहीं है। मैंने निवेदन कर दिया कि एक घंटे के अन्दर समाप्त करूंगा मैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : कोई इर्रेलवेन्ट बात हो तो आप टोकिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, यों नहीं बोलने दूंगा। कायदे से बोलने दूंगा।

श्री नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बोलने का समय दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह परिनियत संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 23 जून, 1983 को प्रख्यापित राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) अध्यादेश, 1983 (अध्यादेश संख्या 2 सन् 1983) को अस्वीकार करता है।

यह जो आर्डिनेन्स इश्यू किया गया है इसका पर्पज था कि दो साल तक एडमिनिस्ट्रेटर इल्लीगली, गैर कानूनी रूप से काम करता रहा उसको अब यह कानूनी रूप विधान सभा से दिलवाना चाहते हैं। यह है इसका मुख्य उद्देश्य। अध्यक्ष महोदय, सरकार को दो वर्ष तक तो पता ही नहीं चला कि एडमिनिस्ट्रेटर गैर कानूनी ढंग से बैठा हुआ है? और बैठा हुआ है तो किस कानून से बैठा हुआ है? वह सर्टिफिकेट इश्यू करता रहा, एग्जामिनेशन्स लेता रहा, सैलेरी लेता रहा सरकार से। अध्यक्ष महोदय, यदि एक भी व्यक्ति दो साल के कार्यकलापों को लेकर हाई कोर्ट में चला जाता और रिट कर देता तो दो साल में जितने कार्यकलाप किये और एग्जामिनेशन लिये वह कैंसिल हो जाते। जितने सर्टिफिकेट्स उन्होंने इश्यू किये वह कैंसिल हो जाते। वह दो साल तक विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ करता रहा और सरकार सोती रही। इसका तात्पर्य यह है कि सरकार जागरूक नहीं है। सरकार जब फंसने लगी तब जाकर आर्डिनेंस के द्वारा अमेंडमेंट लाकर हाउस के सामने आई है। सरकार चाहती है कि दो साल तक जो गलतियां की है, जो इर्रेगुलेरिटीज की हैं उनको लीगल कर दीजिये, कानूनी रूप दे दीजिये। अध्यक्ष महोदय, इससे पहले दो तीन सेशन चले विधान सभा के उनमें संशोधन विधेयक नहीं लाई। इन परिस्थितियों में इससे ज्यादा इस सरकार के लिये क्या विशेषण प्रयोग में लाऊं कि यह निकम्मी सरकार है, इसका दिमाग नहीं है, इसको पता नहीं, क्या हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, बोर्ड एक लोकतांत्रिक संस्था है। इस लोकतांत्रिक संस्था में तीन वर्ष के लिये बोर्ड का गठन होता है। मुख्य मंत्रीजी....

(व्यवधान)

बताना तो पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बैठे बैठे नहीं बोलें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, तीन साल तक बोर्ड का गठन नहीं हुआ। पहले दो साल एडमिनिस्ट्रेटर रहा और दो साल फिर रहा। चार साल तक इन्होंने डैमोक्रेटिक तरीके से संस्था के चुनाव नहीं कराये। मुख्य मंत्री जी ने आते ही घोषणा की थी सबसे पहला काम यह करेंगे, बीस सूत्री कार्यक्रम में भी घोषणा की थी और 20 संकल्प में भी घोषणा की थी कि चुनाव सबके करवाये जायेंगे। लेकिन इस

(श्री नाथूसिंह)

संस्था के चुनाव नहीं करवाये। अब आकर के करवाये हैं इसके लिये मैं मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : चुनी हुई संस्थाओं की संख्या भी बहुत है राजस्थान में। क्या पता लगे।

श्री नाथूसिंह : बोर्ड एक ही होता है।

श्री अध्यक्ष : अन्य सब संस्थाओं के चुनाव होने थे।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो इल्लीगल चल रही थी।

श्री भंवरलाल शर्मा : इन्होंने अपने दल के नेता का भी चुनाव नहीं कराया।

श्री नाथूसिंह : वह भी नामिनेटेड हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब इसके चुनाव इन्होंने नहीं करवाये, अध्यक्ष महोदय, पुराने एक्ट के अनुसार गवर्नमेंट पहली यह गलती कर रही है। ओरिजनल जो एक्ट था उसमें 6 महीने का कार्यकाल था, उसके बाद 6 महीने का किया, फिर एक साल हो गया, फिर साल के बाद एक साल तक और इल्लीगल काम करते रहे। इन्होंने दो साल कर दिया। और दो साल के बाद फिर दो साल तक इल्लीगल काम करते रहे चार साल इल्लीगल काम करते रहे। अध्यक्ष महोदय, चार साल इल्लीगल काम करने के बाद आठ साल कर दीजिए। यह क्या तमाशा बना रखा है। ओरिजनल में 6 महीने था और उसको चार साल कर दिया। यह इल्लीगल किया। अब और इर्रेगुलेरिटीज करना चाहते हैं। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, इन परिस्थितियों में सरकार ने गड़बड़ और घोर आपत्तिजनक काम किया है। इस तरह इन्होंने फंक्शन किया। अध्यक्ष महोदय, सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने इनके पास डायरेक्शन भेजे। उन्होंने कहा कि आपका बजट हैड नहीं है। होमियोपैथी का एक सेपरेट बजट हैड होना चाहिये। उन्होंने ऐसा डायरेक्शन भेजा है, माननीय मन्त्री महोदय को मालूम होगा। उन्होंने दो तीन डायरेक्शन्स भेजे हैं, उन्होंने सेपरेट बजट हैड की बात कही है, डायरेक्टोरेट होना चाहिये यह बात कही है। होमियोपैथी एडवाइजर होना चाहिये, यह बात उन्होंने कही है सेन्ट्रल गवर्नमेंट में होमियोपैथी एडवाइजर की व्यवस्था है। इनको उन्होंने डायरेक्शन दिये हैं लेकिन उन डायरेक्शन्स के अनुसार इन्होंने आज तक कोई कार्य नहीं किया। यदि किया है तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा, केन्द्रीय सरकार ने जो डायरेक्शन्स भेजे हैं उनका आज तक क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा इन्होंने डिस्पेन्सरीज खोलीं। डिस्पेन्सरीज कहां खोलीं, कितनी खोलीं, उनका क्या क्राइटेरिया रहा कुछ पता नहीं। इनको जहां जंच गई वहां खोल दी, जहां नहीं जंची नहीं खोली। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं होमियोपैथी दवाइयां उनमें नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, डाक्टर बैठे हुए हैं, वेतन ले रहे हैं सरकार से किन्तु वहां पर कोई दवा नहीं है। होमियोपैथिक दवाइयां गांवों में मार्केट में मिलती नहीं। आयुर्वेद की मिल जायेंगी, एलोपैथी की मिल जायेंगी लेकिन होमियोपैथिक दवाइयां गांवों और छोटे-मोटे कस्बों में मिलने का सवाल ही नहीं है। आपने

(श्री नाथूसिंह)

डिस्पेन्सरीज खोल रखी हैं उन डिस्पेन्सरीज में दवाइयां नहीं हैं और डाक्टर बैठा रखे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ। अध्यक्ष महोदय, उनके हिसाब से इन्होंने मेडिशन्स की कोई व्यवस्था नहीं की है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने दवाइयां खरीदने के लिये एक कमेटी बना रखी है वह दवाइयां खरीदती है।

श्री अध्यक्ष : संशोधन है उसमें यह सब बातें कैसे कहां आती हैं। दवाई मिलती नहीं हैं, अभाव अभियोग हैं, यह प्रशासनिक कार्य हैं।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभाव अभियोग में यह नहीं आता है। एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या क्या किया, क्या इर्रेगुलेरिटीज की हैं और क्या रिपरकशन्स हो सकते हैं उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जो दवाइयां वगैरह हैं उनका प्रबन्ध बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटर थोड़े ही करता है। उसका प्रबन्ध तो विभाग करता होगा।

श्री नाथूसिंह : नहीं, अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कमेटी बना रखी है। सब स्टैन्डर्ड जो फर्म्स हैं। उनसे दवाइयों की खरीददारी करते हैं। कुछ स्टैन्डर्ड फर्म्स हैं उनसे खरीददारी नहीं करतें, इस कारण उसमें बहुत ज्यादा घपला, बहुत लेन-देन होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आज कागज नहीं लाया, वह कागज रह गया, माननीय मन्त्री महोदय, आयुर्वेद भी आपके पास है, मैं एक पत्र प्रस्तुत करता जिसके अन्दर…

श्री अध्यक्ष : खरीद फरोख्त इस बिल के अनुसार इस कानून और नियमों के अन्तर्गत नहीं है।

माननीय मन्त्री महोदय।

श्री दिनेश डांगी : क्या पूछा था ?

श्री अध्यक्ष : तो आप फिर सुन क्या रहे हैं।

श्री दिनेश डांगी : मैं उधर चला गया था।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि होमियोपैथिक बोर्ड ने दवाई खरीदीं वह दवाइयां सब-स्टैन्डर्ड खरीदीं। जो होमियोपैथिक औषधालय है उनके अन्दर दवाइयां मिलती नहीं हैं। यह इस बोर्ड का काम है क्या ?

श्री दिनेश डांगी : जी हां।

श्री नाथूसिंह : है काम, अध्यक्ष महोदय, उसका काम ही यही है सारा।

अध्यक्ष महोदद, जो कमेटी है, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक गड़बड़ियां की हैं। अध्यक्ष महोदय, काफी घपला हुआ है। मैं चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय सुने वरना फिर कहेंगे, मैं कहीं चला गया था। मैं चाहूंगा, मन्त्री महोदय इसका जवाब दें। आप विधान सभा में आर्डिनेंस लेकर आ गये, इसे बिल के रूप में भी पास करायेंगे लेकिन, मन्त्री महोदय, आपकी यह सबसे बड़ी उपलब्धि

(श्री नाथूसिंह)

होगी कि चार साल के कार्यकाल में एडमिनिस्ट्रेटर ने जो काम किये हैं उन कार्यों की आप जांच कराइये। उसके लिये एक कमेटी बनायें वह कमेटी उन कार्यों की जांच करे। जितनी-जितनी खरीद फरोख्त हुई है, जितने उल्टे सीधे धन्धे हुए हैं...

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ क्लेरिफिकेशन।

माननीय मन्त्री महोदय ने जो आपको सूचित किया है वह बिल्कुल गलत है। मेरी जानकारी के अनुसार होमियोपैथिक बोर्ड किसी प्रकार की दवाइयां वगैरह नहीं खरीदता है।

श्री दिनेश डांगी : यह सही है। डायरेक्टर सप्लाई कर रहा है। बोर्ड का काम परीक्षा लेना है, रजिस्ट्रेशन करना है।

श्री अध्यक्ष : मेरा भी यही व्यू था।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ऐसे मन्त्री किस प्रकार के बना रखे हैं! ऐसे मन्त्री कैसे निभ रहे हैं!

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

आप कृपया इस विधेयक से सम्बन्धित जो मामले हैं उन्हीं तक ही सीमित रहें।

श्री नाथूसिंह : आधे मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो गलत बयान दिया है...

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय मन्त्री महोदय, इतना बता दें...

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। कृपया बैठ जायें। माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा माननीय मन्त्री महोदय से कि चार साल के पीरियड में एडमिनिस्ट्रेटर ने जो उल्टे सीधे धन्धे किये हैं, इर्रेगुलेरिटीज की हैं उनकी जांच के लिये आप एक कमेटी बनायें। कमेटी से जांच करवायें कि क्या-क्या उल्टे सीधे धन्धे हुए हैं। हम जानते हैं, आप इसको पास तो करवायेंगे। वह आपके सामने आयेंगे आपको पता तो लग जायेगा और ऐसी कार्यवाही कर सकेंगे जिससे भविष्य में इस तरह की कोई गलती नहीं हो। मैं यह भी आश्वासन चाहूंगा मन्त्री महोदय से कि भविष्य में कभी एडमिनिस्ट्रेटर अपाइंट नहीं किया जाय और रेगुलरली इसके चुनाव कराये जायं।

धन्यवाद।

श्री दाऊदयाल जोशी : साहब, डायरेक्टर का नाम बता दें। होमियोपैथिक बोर्ड का डायरेक्टर कौन है? राजस्थान को उनकी योग्यता तो पता लगेगी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं पूछना चाहता हूं, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि डायरेक्टर का नाम बता दें कि होमियोपैथिक बोर्ड का डायरेक्टर कौन है?

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत क्लीयर कर दूं कि यह तो वैद्य हैं, मैं तो वैद्य नहीं हूं, मैं तो खाली पालिटिशयन हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एलोपैथी की तरह यूनानी और आयुर्वेद की दवाएं होती हैं वह तो हम रसायनशालाओं में बनाते हैं और होमियोपैथी की दवाइयां बाई ट्रेडर्स पर्चेज करते हैं और जो आयुर्वेद के डायरेक्टर हैं वह इसका निरीक्षण करते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी। आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं क्या?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरा इसमें परिनियत संकल्प है। माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : वैसे आपकी पार्टी ने आपका नाम नहीं दिया है, डा. उजला अरोड़ा का दिया है।

श्री चतुर्भुज : फिर आप क्यों बोलेंगे। वही बोलेंगी।

एक माननीय सदस्य : आप होमियोपैथी में विश्वास कब से करने लग गये?

श्रीमती उजला अरोड़ा : अगर ललित जी को अनुमति देना चाहें तो उनको अनुमति दे दें। अगर ऐसा है तो आप बोलिये।

श्री चतुर्भुज : आप ही बोलें न। आपका नाम ही नहीं है। फिर हम भी बोलेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह बार-बार खड़े हो जाते हैं, यह बोलते तो हैं नहीं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय न लें।

श्री चतुर्वेदी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। एक्सपंज

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 23 जून, 1983 को प्रख्यापित राजस्थान होमियोपैथी चिकित्सा (संशोधन) अध्यादेश, 1983 (अध्यादेश संख्या 2 सन् 1983) को अस्वीकार करता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मूल एक्ट बना था, उस मूल एक्ट में यह धारा 7 ए

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

नहीं थी जिसमें अभी माननीय मन्त्री महोदय संशोधन करने का प्रस्ताव लाये हैं। मूल एक्ट में एक बार संशोधन किया गया और धारा 7 के साथ-साथ बाद में 7 ए की प्रतिस्थापना की गयी। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि यदि आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान होगा कि प्रशासक की नियुक्ति का संशोधन बाद में हुआ है। जब प्रशासक की नियुक्ति हुई तो नियुक्ति करते समय जो संशोधन किया गया, उसमें लिखा—

"प्रशासक की नियुक्ति जहां बोर्ड की परिसामान्य या बढ़ायी गयी अवधि समाप्त हो गयी हो और धारा 4 के उपबन्धों के अनुसार नया बोर्ड गठित नहीं किया गया हो वहां राज्य सरकार किसी भी समय राजपत्र में अधिसूचना के जरिये..."

अब यह इम्पार्टेन्ट शब्द है—

"...बोर्ड की समस्त शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों और कर्तव्यों का पालन करने के लिए एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए प्रशासक निययुक्त कर सकेगी।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बात इसलिए कहना चाहता हूं, जो प्रशासक को नियुक्त करने की भावना थी वह इसीलिए थी कि यदि किसी समय चुनाव नहीं हो सके तो स्टाप गैप अरेन्जमेंट हो। और प्रशासक कैसा ? जिसमें इलेक्टेड बोर्ड की सारी शक्तियां निहित हों। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इलेक्टेड है उसको यदि आप देखेंगे तो उसमें है :

"4 Persons to be nomimted by the State Government; one person to be elected by the teachers of recognized homeopathic institutions and 6 persons to be elected by the registered homeopaths of the state from amongst themselves."

ये तीन प्रकार की कैटेगरी के लोग मिलकर बोर्ड को बनाते हैं। यह बात सच है कि चेयरमैन की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा होगी किन्तु जो चुनी हुई संस्था बनेगी, उस चुनी हुई संस्था के अधिकार में है कि सारी गतिविधियां, जो बोर्ड में जब निहित हैं, को इन्सटीट्यूट करे। जिस समय इलेक्शन नहीं हुए तो इमर्जेन्सी के तौर पर थोड़े समय के लिए मूल एक्ट में संशोधन करके आज जैसा प्रस्ताव लाया गया, और इस प्रशासक की नियुक्ति की गयी। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि प्रशासक की नियुक्ति का संशोधन करते समय यह भावना थी किस समय चुनाव नहीं हों तो इस प्रकार व्यवस्था को चलायें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज माननीय मन्त्री महोदय क्या चाहते हैं कि उसकी अवधि 2 साल ही नहीं हो, प्रशासक की अवधि एक, डेढ़ या दो साल ही नहीं हो। पहले कहा एक साल, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने और फिर 6 महीने कहा। अब चाहते हैं, 4 साल का अधिकार प्रशासक को रखने का दें। अगर इस बात को देखने की कोशिश करेंगे तो राजस्थान की जनता में यह भावना पैदा होगी कि यह जो संशोधन किया जा रहा है राज्य

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

सरकार के द्वारा, यह अप्रजातांत्रिक है, स्वायत्तता के सम्पूर्ण विरोध में है। यह सरकार कभी नहीं चाहती कि प्रदेश में स्वायत्तता फले फूले, चुने हुए लोग आयें, चुना हुआ बोर्ड आये। एक इमर्जेन्सी की आवश्यकता में 7 ए को आप ले आये किन्तु आज उसमें भी संशोधन करके 4 साल का एक ऐसा अधिकार देना चाहते हैं राज्य सरकार को प्रशासक बनाने का तो सरकार की कौन सी दिशा है, सरकार किस दिशा में जाना चाहती है, सरकार का मंतव्य क्या है ? सरकार का मंतव्य अप्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास करना है। सरकार का विश्वास है कि कभी चुनाव नहीं हों। चार साल तो प्रशासक को घसीटती रही यह विश्वास है और अब यह संशोधन करवाना चाहती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस पर विचार करें कि किस पर कालिख लगेगी ? अप्रजातांत्रिक भूमिका जिस प्रकार से बनेगी उसका दायित्व किस पर आयेगा ? राज्य सरकार पर तो आयेगा लेकिन आप पर बहुत अधिक आयेगा। आपकी इन्टेन्शन क्या है, आपके सोचने का का दृष्टकोण क्या है. इस संशोधन से यह प्रकट होगा। दूसरी बात 4 साल का अधिकार ले रहे हैं इससे स्पष्ट है कि आदत तो वही पुरानी है न कि 13 साल तक पंचायतों के चुनाव मत कराओ। आदत तो वही पुरानी है न कि जून में घोषणा करो कि नगरपालिकाओं के चुनाव होंगे और जुलाई, अगस्त और सितम्बर चले जायें। कल विधान सभा समाप्त हो जायेगी फिर अक्टूबर मे अखबारों में चर्चा होगी कि अक्टूबर में भी चुनाव कराने का मौका नहीं मिलेगा। यह दिशा है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार की, यह दृष्टिकोण है इस सरकार का जिसके आधार पर इस प्रकार का संशोधन काला संशोधन, अप्रजातांत्रिक संशोधन, अस्वायत्तता का संशोधन हमारे सामने लाकर पेश किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को एक दूसरा पक्ष बताना चाहता हूं, 4 साल बता कर रिट्रास्पेक्टिवली शब्द लिखा है। इन्होंने संशोधन करते समय जो आखिरी वाक्य है उसमें शब्द प्रयुक्त किये हैं...

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के
निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : सदन का समय बढ़ाना है।

सदन की अनुमति से बैठक का समय डेढ़ घंटे के लिए और बढ़ाया जाता है।

परिनियत संकल्प

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक दूसरा दृष्टिकोण बताना चाहता हूं कि मैं इसका विरोध क्यों कर हूं, यह क्यों नहीं लाना चाहिए था। आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार क्या परन्तुक लगाना चाहती है।

"परन्तु राज्य सरकारें इस प्रकार नियुक्त प्रशासक की अवधि को समय-समय पर या तो भूतलक्षी या भविष्यलक्षी प्रभाव से...।"

भूतलक्षी प्रभाव से। श्रीमन्

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

दाऊदयाल जी कह रहे थे कि रिप्रेजेन्टेशन हो गया, गलत सर्टिफिकेट बांटे गये, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। जो भूतलक्षी काम हो गए हैं उन पर छाप और लगाना चाहते हैं आप इससे। यह बात सच है कि चुनाव होकर 11 मई, 1983 को नया बोर्ड आ गया है किन्तु, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह चुनाव कैसे हुआ, किसके समय में हुआ, कौनसा प्रशासक था, उस समय किसके सुपरवीजन में वह सारा चुनाव कराया गया। आज स्थिति क्या है, माननीय मन्त्री महोदय, समझते हैं, मुख्य मन्त्री होते तो उनसे भी मैं बात करता। उनको भी निवेदन करता, उनसे मैमोरेण्डम लेकर मिला था। आपको आश्चर्य होगा यह जो 6 लोगों के चुनाव होने हैं इसमें लिखा है कि।

"...Six persons to be elected by the registered Homeopaths of the State from amongst themselves."

इन छह लोगों के चुनाव इन प्रशासक महोदय के समय में हो गये वह कैसे हुए चुनाव? उन पर यह हमारी मोहर लगवाना चाहते हैं, भूतलक्षी प्रभाव से करके, रिट्रास्पेक्टिवली करके हमसे मोहर लगवाना चाहते हैं। जो चुनाव हुए वह कैसे हुए? वह एक धोखा है राजस्थान के होमियोपैथ के साथ। राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया गया है। कैसे चुनाव कराये? 1100 वोट देने वाले होते हैं, अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा 247 वोट इनवेलिड करार दिये गये। कौन से डाक्टर हैं? ये 247 पढ़े-लिखे डाक्टर हैं, समझदार हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हुआ क्या? हुआ यह कि जो रजिस्टर्ड लिफाफे बनाये गये थे, जिनमें बैलट पेपर थे जो राजस्थान के होमियोपैथ को भेजने चाहिए थे वह नहीं भेजे। खाली लिफाफे थे उन पर लिखा था रजिस्टर्ड लेटर। राजस्थान के मुख्य मन्त्री से एक डेपुटेशन आकर मिला, उसने बताया कि खाली लिफाफे हमारे पास हैं। इनमें से बैलट पेपर पहले ही निकाल लिये गये हैं, जिनको क्रास करना था उनको क्रास कर दिया गया है यानि डाल दिये गये हैं। यह चुनाव की दिशा उस समय मिली है, 247 वोट इनवेलिड हुए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जिस समय मुख्य मन्त्री ने बात सुनी उन्होंने थोड़ी सी इंक्वायरी कराई। उस समय जो रजिस्ट्रार महोदय थे वह सारी बातों को देख रहे थे। उन्होंने जब यह बात देखी तो निर्वाचन अधिकारी बदले गये। आपको सुन कर आश्चर्य होगा जब निर्वाचन अधिकारी बदले गये, उसके दूसरे दिन जिन प्रशासक के अन्तर्गत पुराने निर्वाचन अधिकारी काम कर रहे थे वे श्रीमान डांगीजी से मिले। वही पुराना भ्रष्टाचारी निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। यह चुनाव की दिशा है आपकी? कौन-कौन जीत कर आये हैं उनके चेहरे भी देख लीजिए। आपने नये चेयरमैन नामिनेट किये उनके चेहरे भी देख लीजिए। अब तो जो चाहेंगे वह करायेंगे, जितना चाहेंगे उनसे खायेंगे, जितना शेयर आपको देना होगा उतना देंगे। मैं चाहता हूं, मन्त्री महोदय इस बात को बतायें कि कैसे निर्वाचन अधिकारी बदल दिये?

Page No. 156

(156)

श्री दिनेश डांगी : यह आप कह दो कि जो बात कह रहे हो आपके अनुभव की बात कह रहे हो ? पहले आप चैक लिया करते थे।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपको मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री दिनेश डांगी : ···जानता हूं। मैं आपकी जनता पार्टी की नस-नस जानता हूं। आज आप पहली बार विधान सभा में चुन कर आये हैं।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अब ज्यादा × × ×

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : भ्रष्टाचार के कितने चार्ज हैं ?

श्री दिनेश डांगी : भ्रष्टाचार जनता राज में हुआ है।

एक माननीय सदस्य : होमियोपैथिक बोर्ड में भ्रष्टाचार कर रहे हैं आप।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायं।

आर्डर आर्डर। आर्डर आर्डर।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : ऐसी मन्त्री को गोपालदास के नाम से जानते हैं रामगोपाल उर्फ गोपालदास उर्फ गांधी जी···

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : + + +

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए। आधा घन्टे का समय रह गया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अगर रिपीटिशन कह रहा हूं, गलत कर रहा हूं···

श्री अध्यक्ष : गलत ठीक का सवाल नहीं है, समय का ध्यान रखियेगा। साढ़े पांच बजते ही सभी आवश्यक प्रश्न पूछ लिये जायेंगे यह मैं निवेदन कर रहा हूं,

श्री दाऊदयाल जोशी : आपके पी. ए. साहब···

(व्यवधान)

गोटे की साड़ी दी गई है। रामगोपाल जी, गोटे की साड़ी···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं आपके सामने

+ + + माननीय अध्यक्ष के आदेशनुसार अंकित नहीं किया गया।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

यह संशोधन इसलिये लाये हैं कि उन दो सालों में जिन एडमिनिस्ट्रेटर की अवधि में सारी काली बातें हुई हैं, इस प्रकार चुनी हुई संस्था लाकर खड़ी कर दी···

श्री दिनेश डांगी : जनता पार्टी के तरीके के चेयरमैन नहीं हैं इसलिये × × ×

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : × × × सरकार लेकर बैठे हो, क्या कर रहे हो···

श्री दिनेश डांगी : जनसंघ के···

(व्यवधान)

कई आदमियों को मैम्बर बना दिया।

(व्यवधान)

उसमें मैम्बर नहीं है।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : जनता पार्टी ने तो तीन साल में परीक्षा दिलवाई थी, × × × क्या करोगे ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : साहब, सरकार है कुछ कर···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : परीक्षा करायी थी। × × × क्या करोगे ? सप्लीमेन्ट्री परीक्षा करायी थी इमर्जेन्सी में × × ×

श्री दाऊदयाल जोशी : मंत्री महोदय, आप विराजे रहें।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। आर्डर आर्डर।

श्री दाऊदयाल जोशी : + + +

श्रीमती उजला अरोड़ा : + + +

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठ जायं। माननीय सदस्या बैठ जायं.

(व्यवधान)

आर्डर। माननीय सदस्य बैठ जायं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : + + +

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य बैठ जायं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा था कि भूतलक्षी प्रभाव से, रिट्रास्पेक्टिवली उन सब काली बातों पर पर्दा डालने की कोशिश का मैंने एक उदाहरण आपके सामने दिया। स्थिति यह बनी कि रजिस्ट्रार महोदय जगमोहन सिंह बदल कर जसोदिया बने। एक दिन जसोदिया बने तो फिर वापस जगमोहन जी बन गये,

श्री अध्यक्ष : नाम न लें, कृपया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : स्थिति यह बनी, यह स्थिति बन गई कि इस

× × × अभिव्यक्ति शब्द अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।
+ + + माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

प्रकार के लोग चुन कर आ गये। आपने उसी प्रकार से अध्यक्ष बना दिये और बोर्ड एक प्रकार से कटपुतली बना कर खड़ा कर दिया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं इस सारे चुनाव की जांच हो। जो लोगों के मैमोरेण्डम, स्मरण पत्र आये उनकी जांच हो। जो इस प्रकार के अधिकारी हैं उनको कटघरे में खड़ा किया जाये। मौका रखिये, दो साल के बाद हमको ध्यान रख कर चुनाव करा लेने हैं। किन्तु यह आपका स्वभाव नहीं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से यह कानून लाये हैं, अमेंडमेंड आर्डिनेन्स लाये हैं वह सब दृष्टि से गलत है। विधेयक ले आते तो अच्छा रहता, मंत्री महोदय। अध्यादेश लाने की कौनसी आवश्यकता पड़ी थी? आपका बोर्ड तो पहले ही इलेक्टेड होकर आ गया था, एडमिनिस्ट्रेटर पहले ही हट गये थे, आसमान नहीं टूट जाता, एक महीने दो महीने में यह कौन सी आदत पड़ गई है अध्यादेश लाने की? एक अध्यादेश लाये, पुर: स्थापित किया और मंत्री महोदय लेकर चल बसे उसको। एक आप ले आये। दो महीने पहले कौनसा दृष्टिकोण था, क्या आप स्पष्ट करेंगे, इस अध्यादेश को लाने का कारण क्या था? कौन सा आसमान टूटकर गिर रहा था? किन्तु नहीं, आपकी काली बातों पर जल्दी पर्दा पड़े, यह भावना है। इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस अध्यादेश को अस्वीकार किया जाये।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान होमियोपैथिक बोर्ड चिकित्सा अधिनियम, 1983 के विधेयक में संशोधन के अवसर पर....

श्री अध्यक्ष : शांत रहें।

श्री दिनेश डांगी : यहां पर तीन माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। अध्यादेश के सम्बन्ध में जो चार वर्ष के लिये अवधि बढ़ायेंगे उसके बारे में हम अध्यादेश लाये हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि जब बोर्ड के चुनाव पहले पहल हुए थे उसके बाद बोर्ड खतम हो गया था तो हमने एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किये। हमने इसमें कुल पांच एडमिनिस्ट्रेटर अभी तक नियुक्त किये हैं अलग अलग समय के लिये। उसके बाद...

एक माननीय सदस्य : समझ में नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर। आप शांत रहें, सब सुनाई देगा। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य शांत रहें।

श्री दिनेश डांगी : जनता पार्टी के टाइम में यह चुनाव नहीं करा सके, हमारी कांग्रेस सरकार आने के बाद, मुझे विभाग मिलने के बाद मैंने चुनाव कराये। जनता पार्टी के लोगों ने राज्य सरकार पर कई प्रकार के दबाव डालकर चुनाव नहीं होने देने की बड़ी कोशिश की। लेकिन मैंने सख्ती बरत कर और एक सहायक निर्वाचन अधिकारी और लगाकर इसके चुनाव कराये। 17.1.83 को बोर्ड के चुनाव हुए। बोर्ड का गठन करके आदेश जारी किये। इसके बाद इनकी पहली मीटिंग हुई थी। 23 मार्च, 83 को बोर्ड ने अपना काम शुरू किया। अध्यक्ष महोदय, 4 सितम्बर, 81

(श्री दिनेश डांगी)

को इसको दो साल हो गये थे, पहले 6 महीने समय बढ़ाया, फिर एक साल बढ़ाया, फिर 6 महीने बढ़ाया। दो साल बढ़ाने के बाद बीच के समय में, वास्तव में मैं मानता हूं, चाहे राज्य सरकार की इसमें कमजोरी रही हो हम समय पर चुनाव नहीं करा सके इसलिये हम एडमिनिस्ट्रेटर से काम चलाते रहे। उसके बारे में हमने न तो आर्डिनेन्स निकाला और न कोई बिल पेश किया। क्योंकि चुनाव हो गये थे इसलिये इस बीच के समय, चार साल को रेगुलेराइज करने के लिये हमने बिल पेश किया है। हमारी कतई मंशा नहीं है कि आने वाले टाइम में चार साल को लागू रखें। आने वाले समय में चार साल को कम भी कर सकते हैं, फिर बिल पेश करके विधान सभा के सामने आ सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : आप रहोगे कहां ?

श्री दिनेश डांगी : कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जो चुनाव हुए हैं वह बड़े अनियमित हुए हैं। उसकी जांच करायी गयी। मैंने, अध्यक्ष महोदय, जांच के आदेश दे दिये थे। जांच के आदेश देने के दौरान चूंकि इस बोर्ड का गठन हो गया था, एक टीचर्स कांस्टीट्यूएंसी होती है, उसमें छह तो इलेक्ट होते है वोटों से और चार गवर्नमेंट के नामिनी होते हैं। टीचर्स कांस्टीट्यूएंसी के खिलाफ इन्होंने कोर्ट में रिट दायर की, उसका फैसला होने में कुछ महीने, दो महीने लग गये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैंने टीचर्स कांस्टीट्यूएंसी की बात नहीं की।

श्री दिनेश डांगी : इसलिये जब तक बोर्ड का गठन नहीं हुआ तब तक के लिये मैंने जांच के आदेश दे दिये थे। क्योंकि बोर्ड के गठन की कार्यवाही कोर्ट का फैसला होते ही कर दी गई, इसलिये उस इंक्वायरी को मैंने रोक दिया। इसके बाद दुबारा मेरे पास शिकायतें आई कि पुराने बोर्ड, इसके पहले के बोर्ड के टाइम, कार्यकाल में कई गड़बड़ हुई हैं, ये चुनाव जो हुए हैं उन चुनावों में गड़बड़ हुई हैं तो जब से एड-मिनिस्ट्रेटर वर्क कर रहा है तब से चुनाव के आर्डर करके एक सक्षम अधिकारी के मैंने आदेश कर दिये हैं।

(व्यवधान)

दाऊदयालजी इस विषय के बड़े ज्ञाता हैं, धुरन्धर हैं, कहीं उनको प्रेक्टिस करनी पड़ेगी तो फिर विधान सभा में आ नहीं सकेंगे। फिर भी शायद आ गये तो...

श्री दाऊदयाल जोशी : अगर आपने मुझे वास्तव में चेलेन्ज किया है तो मैं चेलेन्ज करता हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिये...

श्री हीरालाल आर्य : दाऊजी के सामने टिक नहीं सकोगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं। शांत रहें।

श्री दिनेश डांगी : आप जीत तो सकते हों लेकिन मेरी तरह निर्विरोध जीत करके तो सपने में भी नहीं आ सकते...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इनकी यह बात सही है कि हमारी यूनानी और आयुर्वेदिक दवाइयां तो हम स्वयं बनाते हैं लेकिन होमियोपैथी की दवाइयां कलकत्ता और बाहर से खरीदी

(श्री दिनेश डांगी)

जाती हैं। जितनी अच्छी दवाइयां होती हैं उनको हम खरीदने की कोशिश करते हैं। डायरेक्टोरेट, आयुर्वेद उनको सप्लाई करता है।

बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि दो वर्ष तक बिना अधिकार प्रशासक रहे और बाद में उन्होंने मुझे त्याग-पत्र दे दिया। यह तो मुझे पता नहीं कि क्यों दिया।

एक सलाहकार की बात कही, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि जिस व्यक्ति को मैंने बोर्ड में मैम्बर भी नहीं लिया और बाद में मुख्य मंत्रीजी के कहने से, उनकी राय से मैंने लिया, आप उसी को सलाहकार बनाना चाहते हैं। तो जब तक मैं मंत्री हूं तब तक चाहे गवर्नर साहब का टेलीफोन करा दें, जो करा चुके हैं, वह कोई सलाहकार नहीं बनने वाले है। उनको सलाहकार बनाने के लिये मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। आनरेरी सलाहकार बनना अलग बात है लेकिन ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से जनसंघ का डण्डा होमियोपैथी बोर्ड में घूमता रहे, तो वह घूमने वाला नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : आपने क्यों नहीं लिया? मुख्य मंत्रीजी के कहने से क्यों ले लिया?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, व्यवधान न डालें।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, व्यवधान का प्रश्न नहीं है, मंत्री महोदय ने कहा है कि गर्वनर के कहने पर भी नहीं करेंगे। इन्होंने जो नाम लिया है उसको सपंज करवा जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को कह दीजिये, बिल पर प्रवोक करने के लिये न बोलें। अगर आप प्रवोक करने पर गये तो आपकी भी सारी पोल खोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : व्यवधान न डालें। आर्डर प्लीज। कृपया बैठ जायं।

श्री दिनेश डांगी : यहां तक कि, अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बार्ड के चुनाव के अन्दर जो चार नामिनेटेड मैम्बर लेने तय किये थे उसमें एक महिला को लिया था और एक अनुसूचित जाति का मेम्बर लिया था। उसमें भी इनको बड़ी आपत्ति हुई कि इनको क्यों लिया गया। यह कतई नहीं चाहते कि होमियोपैथिक बोर्ड चले, राजस्थान में अच्छी व्यवस्था कायम करे और लोगों को सस्ती दवाइयां मिल सके। इसलिये मेरा अनुरोध है कि जो भी परिनियत संकल्प रखे हैं उनको अस्वीकार किया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो परिनियत संकल्प प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किये गये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, ध्वनि-मापक यंत्र लगवा दीजिये जिससे पता चल सके कि कौन ज्यादा जोर से बोले रहे हैं। हम कहते हैं हां पक्ष जीता। अब उनके गले खुलते ही नहीं हैं, हम क्या करें।

विधेयक पर विचार

श्री अध्यक्ष : यंत्र अपने सब के लगा हुआ है।

(श्री अध्यक्ष)

अब राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1983 को विचारार्थ लेने का प्रभारी मंत्रीजी प्रस्ताव करेंगे।

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1983 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : नहीं, विचारार्थ लिया जाय.।

(व्यवधान)

शांत रहें।

मंत्री महोदय, विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव कीजिये।

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1983 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री भंवरलाल शर्मा : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। अब सदन के सामने मंत्री महोदय ने दो प्रस्ताव रखे हैं। एक तो यह है कि इसको पास किया जाय और एक रखा है विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : इन दो में से जो दूसरा प्रस्ताव है उसको मैं पहले ले रहा हूं। उस को मैं पहले ले रहा हूं। अब इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के संशोधन प्रस्ताव हैं। निम्न माननीय सदस्यों के नाम हैं-श्री दाऊ दयाल जोशी, श्री महावीर प्रसाद, श्री हीरा लाल आर्य, डा. उजला अरोड़ा। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करता हूं कि कुल 15 मिनट का समय बचा है इसलिये एक-एक दो-दो मिनट में बात कह दें।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री महावीर प्रसाद।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन प्रस्ताव है :

"राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1983 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।"

यह जो होमियोपैथिक (अमेंडमेंट) बिल लाया गया है यह एक प्रकार से ऐसा अवैधानिक, गैर कानूनी है जिसमें हमारी पवित्रता पर लोग आशंका व्यक्त करेंगे। इस प्रकार का बिल आज सदन में प्रस्तुत हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो साल तक जो अवैधानिक काम किये गये, दो साल तक जिसको कोई अधिकार नहीं था वह व्यक्ति वहां प्रशासक रहा, दो साल तक बैठे बैठे कई प्रकार के वेतन उठाता रहा, इस प्रकार की जो अनियमित कार्यवाही हुई, अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं क्या इस प्रकार की छूट हम किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। यदि प्राइवेट सैक्टर में इस प्रकार की कार्यवाही, गड़बड़ किसी व्यक्ति ने की होती तो वह जेल के अन्दर होता। माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि सरकार चलाने वाले लोग इस सरकार की कार्यवाही करते हैं और आज हाउस में किस प्रकार का बिल पास कराने की कोशिश कर

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

रहे हैं। किस प्रकार की अवैधानिक कार्यवाही कर रहे हैं। दो साल तक जो फाइनेन्स बिल टी. ए. डी. उठाता रहा, कौन इसके लिये जिम्मेदार है ? जिस व्यक्ति को वहां पर बैठने का अधिकार नहीं था वह प्रशासक के रूप में बैठने वाला व्यक्ति यदि 10 लाख का चैक काट कर ले जाता तो किस प्रकार कार्यवाही करते ?

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह तो कह देता कि मैं प्रशासक के रूप में उपस्थित ही नही था। उसको दो साल तक प्रशासक के रूप में रखा नहीं गया फिर भी उस पर आज हम मोहर लगाने जा रहे हैं। यह इस प्रकार का विषय है जिसे कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिये। मैं हाउस के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के असंवैधानिक कार्य से लोग आपके ऊपर अंगुलियां उठायेंगे।

मेरा निवेदन है कि यह किस प्रकार से सरकार चल रही है ? कोई यह बनिये की दुकान नहीं है यहां चौपड़ पर माला बेचने वाले नहीं हैं कि जब चाहे उठा कर चल दिये। इस प्रकार का कार्य कभी भी हमको नहीं करना चाहिये। हम विधान के निर्माता है, नियमों को बनाने वाले हैं इतना ही कह कर मैं चाहता हूं कि इसको जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री भगवानदास शास्त्री का एक और संशोधन प्रस्ताव है कि इसे प्रवर समिति के निर्दिष्ट किया जाय। इस सम्बन्ध में वह कहना चाहेंगे ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ समय दें। ज्यादा नहीं बोलूंगी।

माननीय अध्यक्ष, मैं यह संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं कि राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1983 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय अगर इसके निदेशालय को अलग बनाने के लिये बिल लाये होते तो बहुत बढ़िया बात होती। आज राजस्थान की जनता अगर यह सुनेगी कि जो दो साल तक एक भ्रष्ट आदमी बैठा रहा, तनख्वाह लेता रहा, जो गलत चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन करता रहा उसको नियमित करने के लिये कांग्रेस की सरकार यह बिल ला रही है, तो मैं समझती हूं कि धिक्कार है इस सरकार को। मन्त्री महोदय, आप चिकित्सा पद्धति को कुछ शुद्ध करना चाहते हैं तो मैं कहना चाहूंगी कि आपको होमियोपैथी निदेशालय अलग से बनाना चाहिये। डिस्पेन्सरीज लैप्स न हों। इस साल सारी डिस्पेन्सरीज लैप्स हो रही हैं। कुछ अच्छे कर्म करोगे, तुम्हें भगवान याद रखेगा। अभी यहां बैठे-बैठे मैम्बरशिप की बात कह रहे थे। मैं पूछना चाहती हूं, मन्त्री महोदय आपसे कि आपने यू. आई. टी. का भवन किसलिये दबाया हुआ है ? यहां आने-जाने वालों के ठहरने के लिये जो भवन है उसको आपने 10-12 साल से दबाया हुआ है। न उसका किराया देते हैं, न उसको क्रय करने के लिये कानून लाते हैं। मन्त्री महोदय, अपना चरित्र शीशे में देखो। किस तरह से सरकारी भवन पर कब्जा किये बैठे हो ?

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा :……और यहां पर एक मन्त्री को निकाल कर फेंक दिया। मैं यह बात कहना चाहूंगी कि यह गलत बिल है। यह गलत काम किया गया है, इसलिये इस बिल को जनमत जानने हेतु भेजा जाये।

एक माननीय सदस्य : इस बिल से इसका क्या ताल्लुक है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मन्त्री महोदय से सीधा ताल्लुक है।

(व्यवधान)

सरकारी भवन पर कब्जा किये बैठे हैं। एक व्यक्ति ने दो दिन के लिये कब्जा किया था उसको उठा कर बाहर फेंक दिया था। श्री नरेन्द्र सिंहजी भाटी को डिप्टी सैक्रेटरी रेंक के एक आदमी ने फिकवा दिया…

श्री अध्यक्ष : श्री भगवान दास जी शास्त्री।

(अनुपस्थित)

मन्त्रीजी कुछ कहना चाहेंगे ? संक्षेप में।

श्री दिनेश डांगी (राज्य मन्त्री, आयुर्वेद): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं इसके बारे में काफी कह चुका हूं फिर भी, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को……

श्री अध्यक्ष : आप तो धन्यवाद दे दो माननीय सदस्यों को ताकि जल्दी पारित करें।

श्री दिनेश डांगी : ……चार साल इसलिये किया है कि यह समय इस तरह का था इसको करना जरूरी हो गया था। लेकिन हम आगे के लिये थोपना नहीं चाहते हैं।

डा. उजला अरोड़ा ने निदेशालय की बात कही है। इसमें वित्त का मामला अलग से है फिर भी डायरेक्टोरेट अलग से खुले, इसकी मैं कोशिश करूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा :……कुछ तो करो। डिस्पेन्सरीज लैप्स न हों। पुनर्भरण तो करो।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री दिनेश डांगी :……मेरी कोशिश यही है कि आयुर्वेद की तरह एकाध होमियोपैथी कालेज सरकार अपने हाथ में ले। मैं पूरा प्रयत्नशील हूं। मैं चाहता हूं कि होमियोपैथी चिकित्सा पद्धति आगे बढ़े। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत यह कहना चाहूंगा कि यह जो प्रवर समिति को सौंपने वाला प्रस्ताव है उसको अस्वीकार किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1983 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने हेतु जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

श्री भगवान दास शास्त्री द्वारा अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिये उसको मतदान हेतु प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

प्रश्न यह है कि राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1983 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1983 को विचारार्थ लिया गया।

अब मन्त्री महोदय अगला प्रस्ताव लायेंगे, विधेयक को पारित किये जाने के सम्बन्ध में।

विधेयक का पारण

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1983 को पारित किया जाये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव पहले रखा था, जो आपके पास पैण्डिग है उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : एक ही विषय पर दो प्रस्ताव हों तो विलप हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक प्रस्ताव आलरेडी पैण्डिग है। माननीय मन्त्री महोदय ने जो प्रस्ताव रखा कि इसको पारित किया जाये, आपने उसको रिजर्व रखा है। फिर दुवारा प्रस्ताव रख दिया है। इसकी कोई सीमा होगी। पहले रखा है, अब फिर रखा है। क्या करेंगे ? एक तो वापस लें।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करने जा रहा हूं कि होमियोपैथी······

श्री भंवरलाल शर्मा : कोई एक वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष : कानूनी स्थिति क्या है, मन्त्री महोदय, बताइये।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय······

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो मन्त्री बिल को पायलट कर रहे हैं उनको बोलना चाहिये। आप बीच में कहां आते हैं ? आप दो-तीन दिन बाद में वोलना।

श्री अध्यक्ष : इस सभा का कोई भी माननीय सदस्य कानूनी राय दे सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इसका एक रिफ्लेक्शन होता है। क्या माननीय मन्त्रीजी इसका जवाब नहीं दे सकते ?

श्री अध्यक्ष : आपने इच्छा व्यक्त की इसलिये मैंने आपको अनुमति दे दी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शिड्यूल्ड कास्ट्स के मैम्बर को, चाहे वह मन्त्री मण्डल में हो, बोलने का मौका नहीं देते हैं।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : जो काम सीखना चाहते हैं उनको सीखने नहीं दे रहे हैं।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पिछड़े वर्ग का मजाक है। पिछड़े वर्ग के मन्त्री हैं इसलिये देवपुरा साहब खड़े हो गये।

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैंने बाद में विचारार्थ लेने के लिये प्रस्ताव रख दिया था और आपने उसको मान लिया था। आपकी रूलिंग भी हो गई कि इसको विचारार्थ ले लिया जाये। यह गलती से हो गया। प्रस्ताव तो एक ही है। विचारार्थ का प्रस्ताव पहला था।

श्री अध्यक्ष : पारित किया जाये, एक ही प्रस्ताव है। दोनों ही पास होते तो एक ही प्रस्ताव पास होता। इसलिये आपत्ति निरस्त की गयी।

श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, होमियोपैथी चिकित्सा की माननीय मन्त्री महोदय द्वारा कितनी उपेक्षा की जा रही है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। कल विधान सभा में मेरे एक प्रश्न के माध्यम से मुझे यह सूची मिली है जिसके अनुसार 1980–81 में होमियोपैथी चिकित्सा के बजट में चिकित्सा मद में 33157.00 रुपया लैप्स हुआ, 1981–82 में 14557.00 रुपया लैप्स हुआ और 1982–83 में जो राशि लैप्स हुई है वह सुन कर सदन आश्चर्यन्वित होगा। माननीय देवदतजी बड़े हामी है होमियोपैथिक पद्धति के, मैं उनको कहूंगा कि 1.34,754.00 रुपया 1982-83 के बजट में लैप्स हुआ है, होमियोपैथी चिकित्सा की दवाइयां न खरीदने के कारण। साथ ही, जो होमियोपैथिक चिकित्सालय हैं उनमें वेतन भी लोगों को नहीं मिला है। आपने लिखा है कि यह चिकित्सा व्यवस्था हम नहीं कर सके हैं, पदों के रिक्त रहने के कारण। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, होमियोपैथिक चिकित्सा सुविधा केवल नाममात्र की मिलती है। उसका जो बजट है उसमें मशीनरी एवं साज-सामान के नाम पर पांच हजार रुपया आपने हमसे पिछले साल स्वीकार कराया था। मन्त्री महोदय, दुर्भाग्य है कि 1982–83 में मशीनरी, साज-सामान के लिये जो पांच हजार रुपया स्वीकार किया गया था उसमें से 2934.00 रुपया लैप्स हो गया। आयुर्वेद की बात मत कीजिये। आयुर्वेद का बजट लाखों रुपयों की तादाद में लैप्स हो रहा है। एक पैसा भी एलोपैथी के बजट का माननीय खेतसिंहजी लैप्स कर दें तो डाक्टर इनके प्राण पी जायें, जिन्दा खा जायें। लेकिन दुर्भाग्य है मेरे आयुर्वेद का, दुर्भाग्य है यूनानी का, दुर्भाग्य है होमियोपैथी का कि आज आपके हाथों लाखों रुपयों का बजट लैप्स हो रहा है। लाखों रुपया डूब रहा है और आयुर्वेद, यूनानी मन्त्री महोदय हंस कर इसको टाल रहे हैं। मन्त्री महोदय, आपने जो डिग्री कोर्स राजस्थान में स्वीकार किया है, क्या आप बता सकेंगे राजस्थान में कितने कालेज चलते हैं? डिप्लोमा कोर्स के नाम पर चार कालेज चलते हैं जो जाली डिग्री देते हैं, जो लोगों

(श्री दाऊदयाल जोशी)

के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, लोगों को मारते हैं। राजस्थान में एक डिग्री कालेज है। आप एलोपैथी के डाक्टर को डाक्टर निकलते ही एम. बी. बी. एस. बनते ही डाक्टर मानते हो लेकिन होमियोपैथी की डिग्री वाला पांच साल तक अपना पैसा खर्च करके, माता-पिता का पैसा खर्च करके जब डिग्री प्राप्त करता है उसको इनटर्नशिप का कितना पैसा देते हैं, यह बता सकेंगे ? इन्टर्नशिप इन छात्रों को नहीं देते। क्यों ? उन्होंने क्या किसी के बाप को मारा है जो उसको फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती है ? उन्होंने भी बी. ए. करके डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने भी डिग्री प्राप्त करने के लिये प्रवेश लिया है। उन्होंने भी पांच साल का कोर्स किया है। आपने राजस्थान में डिग्री कोर्स स्वीकार कर लिया है। अगर डिग्री कोर्स चालू किया है तो आज कम से कम भगवान के नाम पर इन ××× कांग्रेस के सदस्यों से आप जबरदस्ती यह बिल पास करा रहे हैं, जो बोल नहीं रहे हैं, जिनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। कम से कम भगवान के नाम पर इतना तो कर दो, आपके कुछ पाप धुल जायेंगे, कि जो होमियोपैथी की डिग्री लेकर निकलेगा उसको इन्टर्नशिप दी जायेगी। इतना पाप जो हमारे से कराने जा रहे हैं, बहुमत के आधार पर कम से कम होमियोपैथी के स्नातक को आप इन्टर्नशिप दिलायेंगे, निश्चित दिलायेंगे, वैसे आपकी बात का मुझे विश्वास नहीं है। नीचे वाले चिल्ला रहे हैं गला फाड़-फाड़ कर, आपने पिछले विधान सभा सत्र में मुझे विश्वास दिलाया था उसको आप स्वीकार नहीं करा सके। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि लाखों रुपयों का आयुर्वेद, यूनानी और होमियोपैथी की दवाइयों का पैसा लैप्स करवाते हैं वित्त विभाग आपकी एक नहीं सुनता है।

अध्यक्ष महोदय, परामर्शदात्री समिति की बैठक में स्वास्थ्य सचिव के सामने मैंने कहा कि क्या कारण है, इतना पैसा आयुर्वेद का लैप्स क्यों होता है ? शासन सचिव कहते हैं कि हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है। मैंने कहा, कैसे आपकी बात नहीं सुनते, आप मन्त्री किस बात के हैं, गर्दन पकड़कर कहिये शासन सचिव को कि आयुर्वेद का एक भी पैसा लैप्स नहीं होने दूंगा, तब तो आप वीर हैं वरना तो मैं तो समझता हूं···

(व्यवधान)

यही निवेदन करना चाहता हूं, भगवान के नाम पर बजट लैप्स मत कराओ। आयुर्वेद, यूनानी, होमियोपैथी के नाम पर कौड़ियां देते हो। करोड़ों रुपया एलोपैथी के नाम पर खर्च करते हो। जो कुछ देते हो उसको ईमानदारी के साथ कम से कम खर्च तो करो। भगवान के नाम पर इतना ही कर दो तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

मन्त्री जी स्थान ग्रहण करें।

श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा : हम यहां पर कानून बनाये आये हैं, हमने शपथ खायी है

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

प्रजातन्त्र की रक्षा करने को । प्रजातांत्रिक तरीके से हम चुनकर आये हैं । अब मैं आपका ध्यान राजस्थान होमियोपैथिक मेडिकल एक्ट धारा 6 की तरफ दिलाना चाहता हूं । इसमें लिखा है—

"The term of office of a member of the Board shall be three years from the date on which the first meeting of the Board is held after elections under section-4."

यह है कि चुना हुआ व्यक्ति तो तीन साल तक बोर्ड में रहेगा और जिसको आप थोपेंगे वह चार साल तक रहेगा ।

श्री अध्यक्ष : चुना हुआ व्यक्ति भी कम से कम तीन साल के बजाय चार साल तक तो रहना ही चाहिए ।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने मेरी बात को बिल्कुल ठीक ढंग से हाउस को समझा दिया है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन मन्त्री महोदय समझे या नहीं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मन्त्री महोदय को कोई भी समझाये, वे नहीं समझेंगे । उन्होंने तो पहले ही कहा है कि अगर गवर्नर भी कह दे तो उनकी बात नहीं मानूंगा । गवर्नर भी आदेश दे दें तो उसकी परवाह नहीं करूंगा, धज्जियां उड़ा देंगे, यह आपने कहा है । उनको समझाना तो बहुत मुश्किल है ।

श्री दिनेश डांगी : और जनसंघ का मामला हो तो ?

श्री भंवरलाल शर्मा : शब्दों का खयाल रखो । कहा है न आपने कि गवर्नर के आदेशों को भी नहीं मानूंगा ? जिनकी हम सब इज्जत करते हैं, जो हैड आफ दी स्टेट हैं, उनके लिये कह दिया कि उनकी बात भी नहीं मानूंगा । Who are you ? आप औकात पहचानो अपनी ।

श्री दिनेश डांगी : मैं नगरपालिका के सदस्य से एम. एल. ए. बनकर नहीं आया हूं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप न जाने क्या कहते हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी निर्णय लें, चाहे चार साल का लें, चाहे दो साल का लें, चाहे 6 का लें, लेकिन जो व्यक्ति यह बात ध्यान रखे कि इलेक्टेड होगा, चुन कर आयेगा उनको भी कम से कम उनके बराबर रखना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नगरपालिका के सदस्य से एम. एल. ए. बनना क्या डिसक्वालीफिकेशन है ? यहां पर बहुत सारे ऐसे बैठे हैं ।

श्री दिनेश डांगी : मैंने कब कहा कि डिसक्वालीफिकेशन है । आपने तो एक पाइंट पकड़ा है, नगरपालिका के सदस्य से एम. एल. ए. बन गये हैं । मैं तो सन् 62

(श्री दिनेश डांगी)

से आपके साथ एम. एल. ए. हूं. ये तो कल ही आये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन 1962 से मैंने आप में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखा है। डेटिरियोरेशन ही देखा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो पूरे सदन से निवेदन है कि इसमें यह कोई राजनैतिक भेदभाव का मामला नहीं है। हम कानून बना रहे हैं। हम प्रजातन्त्र के हामी हैं। जो चुने हुए व्यक्ति हैं अगर वे तीन साल के लिये रह सकते हैं तो हम विचार करें कि सरकार जिसको नियुक्त करेगी, उसको चार साल का या जो समय है उससे अधिक समय दिया जाना उचित होगा क्या? यह मेरा छोटा सा निवेदन है, जिस पर आप गम्भीरता से विचार करें। इसको पास करते समय इसको ध्यान में रखें।

श्री नाथूसिंह ; अध्यक्ष महोदय :...

श्री अध्यक्ष ; केवल कानूनी पाइन्ट पर ही कहेंगे आप।

श्री नाथूसिंह : बिल्कुल। अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय से मैंने कुछ प्रश्न पूछे थे। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को डायरेक्शन दिये थे। यह डायरेक्टोरेट बनाने, बजट हैड अलग बनाने और और एडवाइजर नियुक्त करने के बारे में थे। एडवाइजर के बारे में इन्होंने कहा कि मेरे ऊपर दबाव डाला गया, मुख्य मन्त्री ने दबाव डाला लेकिन मैंने कहा कि मैं किसी जनसंघी को एडवाइजर नहीं बनाना चाहता हूं। तो क्या मुख्य मंत्रीजी ने किसी जनसंघी की सिफारिश की थी? क्या मुख्य मंत्रीजी भी जनसंघी हो गये आपके हिसाब से? मुझे तो पता नहीं है कि उन्होंने किसकी सिफारिश की थी, न ही मैं उनको जानता हूं। पता नहीं वे किसको एडवाइजर नियुक्त करना चाहते थे। मेरा एक सैद्धांतिक प्रश्न था, राज्य सरकार को केन्द्र सरकार ने डायरेक्शन दिये हैं कि होमियोपैथी एडवाइजर बनाया जाना चाहिये। किसी को भी नियुक्त करें परन्तु उसके लिये आप जो क्वालीफिकेशन तय करें उसके अनुसार वह होना चाहिये। कहा है कि जनसंघी आदमी को एडवाइजर बनाने के लिये मुख्य मंत्री ने मेरे ऊपर दबाव डाला। राज्यपाल महोदय की बात को भी नहीं मानेंगे। मैं तो यह क्लियर करना चाहता हूं कि एक तो आप एडवाइजर किसी को भी नियुक्त करें और डायरेक्टोरेट बनायें, केन्द्र सरकार के आदेशों के अनुसार क्वालीफिकेशन तय करें उसके अनुसार नियुक्त करें। दूसरा जो बोर्ड बनाया है उसके लिये माननीय ललित जी ने अभी एक प्रश्न उठाया था चुनाव का कि एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या क्या गड़बड़ी की है वह दबी रह जायें इसलिये इन्होंने एक ऐसा बोर्ड इलेक्ट करवाया जो कि इनके हाथों का खिलौना है। इसमें उन्होंने कहा है कि मैंने चार आदमी इसके नामिनेट किये हैं। तो बोर्ड मैम्बर की योग्यता क्या होनी चाहिए यह तो कुछ निश्चित होगी?

श्री अध्यक्ष : पारित किये जाने पर इस तरीके के यह छुट-पुट मामले नहीं आयेंगे, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, बड़े महत्व की बात है। आधा मिनट और दे

(श्री नाथूसिंह)

दें। इसमें कंडीशन है कि टीचिंग एक्सपेरीयेंस होना चाहिए, एग्जामिनेशन का एक्सपेरीयेंस होना चाहिए, इंसपेक्शन ग्राफ कॉलेज का एक्सपेरीयेंस होना चाहिए। स्लेबस बनाता है, यह बोर्ड स्लेबस तय करता है, डिग्री तय करता है

श्री अध्यक्ष : बोर्ड करता है। अकेला कोई व्यक्ति थोड़े ही करता है !

श्री नाथूसिंह : बोर्ड की पावर्स कौन वहन करता है ?

श्री अध्यक्ष : बोर्ड में तो कई मैम्बर्स हैं।

श्री नाथूसिंह : एडमिनिस्ट्रेटर हो तो अकेला ही करेगा बोर्ड की शक्तियों का वहन।

श्री अध्यक्ष : 7 मैम्बर तो एकेडेमिक साइड के होते हैं और 4 मैम्बर जनता की तरफ के होते हैं।

श्री नाथूसिंह उन चार की ही बात कर रहा हूं जो कि नामिनेट किये गये हैं। उनमें से एक है मिसेज रेखा जैन, जो कि फ्रेश स्टूडेंट ग्रायी हैं।

श्री दिनेश डांगी : वह डाक्टर तो है ना ? मिलिट्री कॉलेज से डाक्टरी पास की है।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, वह फ्रेश स्टूडेंट होकर आई, चार साल का कोर्स उसने किया, पूरा भी नहीं किया और उसको इन्होंने अपाइन्ट कर दिया।

श्री अध्यक्ष : फ्रेश तो आप आये हैं जिनको हम बुजुर्गों से भी ज्यादा तरजीह देते हैं। इसका क्या है।

श्री नाथूसिंह : इसमें और उसमें अन्तर है। उसमें नामिनेशन में कुछ कन्डीशन रखीं !

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मन्त्री, पशुपालन) : पालियामेंट से रिजेक्ट होकर होकर आये हैं क्या ?

श्री नाथूसिंह : टीचिंग एक्सपेरीयेंस उसमें होना चाहिए एम. एल. ए. के लिये यह आवश्यक है क्या ? दूसरे जो लिये हैं उसमें भी ऐसा नहीं है। तो जो डायरेक्शन इनको मिला था उसकी पालना नहीं की गई है। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, जो चुनाव कराये गये थे, उसके अन्दर जिनको इन्होंने अपाइन्ट किया उसी सरकार के एक मंत्री, जिनको शिकायत मिली थी कि जो रजिस्ट्रार अपाइन्ट किया गया है चुनाव कराने के लिये, वह गलत आदमी है और उस पर पहले भी चार्जेज हैं, सी. एल. कंवरिया ने उस समय उस नामिनेशन को कैंसिल कर दिया। उनके जाते ही, 19 अक्टूबर, 1982 को कंवरिया को हटाया और रिटर्निंग आफिसर बनाकर उसी व्यक्ति को वापस ले आये। उसी को उन्होंने वापस अपाइन्ट किया।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि या तो उस सरकार के मंत्री

(श्री नाथूसिंह)

गलत हैं जिन्होंने पहले रिमूव किया या मंत्री महोदय, डांगीजी गलत हैं जिन्होंने उसी आदमी को रिअपाइन्ट किया।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये, माननीय सदस्य। समय हो गया।

श्री नाथूसिंह : मुख्य मन्त्री, जिनको आप जनसंघी बता रहे हैं, जिनकी सरकार में मन्त्री हैं, जिनके अंडर में हैं, ने इन्क्वायरी के लिये लिखा और कहा कि इस रिजल्ट को विद हैल्ड किया जाये, इसकी इन्क्वायरी करायी जाय उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाय। लेकिन मंत्री महोदय ने उसके बाद क्या किया ? रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। नामिनेशन गलत, मुख्य मन्त्री का आदेश नहीं माना चुनाव गलत, डिक्लेरेशन गलत। आपने मुख्य मंत्रीजी का डायरेक्शन नहीं माना, पुराने मंत्री के आदेशों को नहीं माना, उसको उलट-पुलट कर दिया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बोर्ड का गठन हुआ है it is totally फर्जी, फ्रॉड है। इसलिये मैं चाहूंगा, मंत्री महोदय, आप फ्रेश सलेक्शन करायें और बोर्ड का गठन करें। पूर्व में जो इर्रेगुलेरिटीज की गई हैं, उनकी जांच कराई जाय।

धन्यवाद।

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं काफी बोल चुका हूं लेकिन कुछ चीजों का क्लियरेन्स करना चाहूंगा। उन्होंने रिपीट किया, चुनाव के बारे में। मैंने आपसे अर्ज किया, 6 डॉक्टर्स का चुनाव एक टीचर्स कान्स्टीट्युएंसी से हुआ तथा 4 नामिनेशन हुए। 4 में से एक गवर्नमेण्ट आफिसर था जिसको बाद में किसी कारण से मैंने चेंज किया। बाकी सारे डॉक्टर्स थे।

एक्ट में यह प्रावधान है कि अगर चेयरमैन डॉक्टर नहीं हो तो वाइस चेयरमैन डॉक्टर होना जरूरी है। यह जरूरी नहीं है कि चेयरमैन डॉक्टर हो फिर भी, मैंने डॉक्टर लिया। जहां तक जांच का प्रश्न है, मैंने जांच के दुबारा आदेश दे दिये हैं। इन्क्वायरी में जो दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

आपने होमियोपैथिक एडवाइजर के लिये कहा। मैं किसी पर्टीकुलर आदमी के अन्दर इन्ट्रेस्टेड नहीं हूं। प्रश्न यह है कि जिस तरीके से....

श्री अध्यक्ष : योग्यता के आधार पर—

श्री दिनेश डांगी : होमियोपैथिक एडवाइजर के लिये दबाव पड़ रहा है, इसके बारे में मैंने कुछ नहीं कहा। आप इतने उत्तेजित क्यों होते हो ? मेरे पास टेलीफोन आते हैं, बड़े बड़े लोगों के। आपके भी नेचरली आते हैं—

एक माननीय सदस्य : किसका दबाव है ?

(व्यवधान)

श्री दिनेश डांगी : भारत सरकार ने सलाह दी है कि होमियोपैथी सलाहकार होना चाहिये। भारत सरकार की सलाह पर नियुक्त करना है तो किया जायेगा। आप कहते हैं, फलां को किया जाय तो कतई नहीं किया जायेगा।

श्री नाथूसिंह : मैंने यह नहीं कहा। मैंने कहा कि क्वालीफिकेशन के आधार पर हो।

श्री दिनेश डांगी : एक बात दाऊदयाल जी ने कही कि दवाइयां क्रय करते हैं तो टेण्डर देखते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है। नेचरली 2 साल पहले के टेण्डर के भाव और आज के भाव एक नहीं होंगे। बिलो स्टेण्डर्ड की दवाइयां खरीद लें तो फिर वही शिकायत आयेगी और ऊंचे स्टेण्डर्ड की खरीदें तो फाइनेंस डिपार्टमेंट मंजूर नहीं करता है। हमारा दवाइयों का पैसा लैप्स हो गया यह बात सही है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस तरह की खामियां, चाहे बोर्ड में हैं, चाहे विभाग में हैं, जहां कहीं भी हैं उनको पूरा करेंगे। इसके साथ ही निवेदन करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाय।

श्री भवरलाल शर्मा : इलेक्टेड मैम्बर का 3 साल और नामिनेटेड का 4 साल का पीरियड है, इसका जवाब नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1983 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1983 पारित किया गया।

अगला विधेयक। राजस्थान अभिघृति (संशोधन) अध्यादेश, 1983 के सम्बन्ध में परिनियत संकल्प प्रस्तुतकर्ता–माननीय श्री गुलाब चन्द कटारिया, श्रीमती उजला अरोड़ा, श्री नाथूसिंह, श्री कैलाश मेघवाल, सुश्री पुष्पा जैन। ये 10 माननीय हैं। इसमें आपके दल ने नाम दिये हैं—श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी और श्री बंसीलाल पटवा के। मैं माननीय श्री चन्द्रवीरसिंह का नाम पुकारता हूं।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम भी है।

श्री अध्यक्ष : हां आपका नाम है। आप ही शुरू करिये।

परिनियत संकल्प,
राजस्थान अभिघृति (संशोधन)
विधेयक, 1983

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं परिनिय संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 1983 को प्रख्यापित राजस्थान अभिघृति (संशोधन) अध्यादेश, 1983 (अध्यादेश संख्या 4 सन् 1983) को अस्वीकार करता है।"

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में संशोधन करने के लिये राज्य सरकार जिस प्रकार हड़बड़ाहट में यह ऑर्डिनेंस लायी है, यह अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जिस प्रकार से रीजन्स दिये हैं उनसे मालूम पड़ता है। रीजेन्स क्या दिये हैं कि इस से पूर्व जो सत्र चला हर सत्र के अन्दर खातेदारी अधिकार के मामले को लेकर——....

श्री अध्यक्ष : बड़ी मुश्किल से ठीक हो रहा है उसमें....

श्री देवीसिंह भाटी : सुझाव दे रहा हूं।

कॉल अटेंशन आये, एडजॉर्नमेण्ट मोशन आये, बारबार जनता की ओर से ज्ञापन भी मिले। अध्यक्ष महोदय, इस टिनेंसी एक्ट के अंदर जो मूल धारा 15 है माननीय मंत्री महोदय को उसकी ओर ध्यान देना चाहिए था, जैसलमेर, बीकानेर क्षेत्र के लोगों को खातेदारी अधिकार क्यों नहीं मिले।

धारा 15 के तहत यह स्पष्ट है कि जो भी काश्तकार मौके पर काबिज है, उसको खातेदारी अधिकार इस एक्ट के तहत दे दिये जायें। परन्तु उनको तो खातेदारी अधिकार दे दिये जायें।

(5·45 म.प.)

(श्री देवदत्त तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

परन्तु आज हमें जो अधिकार दिये जा रहे हैं वह यह कह कर दिये जा रहे हैं कि आप तो नाजायज काबिज हैं आपका रिकार्ड नहीं है। उसमें हमारा क्या कसूर ? किसी एक्स स्टेट का कसूर था कि जिसने रेवेन्यू रिकार्ड नहीं बनाये, आपने उनको तो बगैर कीमत दिये धारा 15 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदत्त कर दिये। हमें खातेदारी अधिकार कैसे दे रहे हैं ? जो 25 बीघा तो फ्री दे रहे हैं और 25 बीघा ऑन कॉस्ट दे रहे हैं यह कॉस्ट किस बात की ? क्या हम नाजायज काबिज हैं ? मैंने कहा था कि हम नाजायज काबिज नहीं हैं, किसी प्रकार नहीं हैं। आपने दूसरों को अधिकार दिये हैं, जो सन् 55 से पूर्व नाजायज काबिज हैं उनको आपने इस कैटेगिरी में रखा। हमको आप इसी कैटेगिरी में क्यों लाये ? जबकि हम आज से नहीं 200-400 साल पहले से उस क्षेत्र के अन्दर आबाद हैं, काश्त करते आ रहे हैं। हमें भी आपने उसी कैटेगिरी में रख दिया। फिर भी, ऑर्डिनेंस लाये, तो सारे रीजन्स देने चाहिए थे कि यह जो हम निर्णय करने जा रहे हैं, ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, इसके तहत इन लोगों को वास्तव में फायदा होगा या नहीं ? फायदा होगा तो कितना होगा, कितना उनको नुकसान होगा। आप स्पष्ट मानते हैं, आपने एक प्रकार से मूल सिद्धान्त के रूप में यह मान लिया कि इस क्षेत्र के लोगों को खातेदारी अधिकार नहीं मिले हुए थे, उनको खातेदारी अधिकार दे रहे हैं। इसके लिए तो धन्यवाद देता हूं पर उसके अन्दर भी आपने खामी रख दी, इस रूप में कि 25 बीघा तो फ्री दी जायेगी और 25 बीघा साढ़े उनतीस हजार रुपये जो अलॉटमेण्ट प्राइस वह सरकार को दो। किस बात के दें पैसे ? क्या सरकार ने बुलाया था कि जमीन लो, काश्त करो ? हम पीढ़ियों से बसे थे, हमने अकाल भुगते, टीबों के अन्दर पड़े रहे, दूसरी जगह जा नहीं सकते थे। इसके उपरान्त आज हमे दिया क्या गया है। आप कीमत निकालो ! यह तो बनिये की दुकान है, यह सरकार नहीं है कि पैसे निकालो और जमीन लो। आज 400 साल से उसी क्षेत्र में बैठे हैं। किस बात के पैसे आप ले रहे हैं ? कोई कारण तो बताइये आप ! कोई कारण नहीं है। हमें उसी प्रकार से नाजायज काबिज मान लिया है जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, जमीन पर आकर जबरदस्ती बैठ गये हैं। इस कांग्रेस सरकार का नाम भी नहीं था, उससे

(श्री देवीसिंह भाटी)

भी पहले से उस क्षेत्र में हमारे पूर्वज जमीनों पर काश्त कर रहे थे, आबाद थे। इस प्रकार हड़बड़ाहट में ऑर्डिनेंस लायेंगे तो यह खामियां रहेंगी। इसलिये मेरा स्पष्ट निवेदन है कि आप एक प्रवर समिति का गठन करें और इस पर दुबारा विचार कीजिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : ऑर्डिनेंस पर बोल रहे हो ?

श्री देवीसिंह भाटी : आर्डिनेंस पर ही बोल रहा हूं।

जो आर्डिनेंस आप लाये हैं, यह बिल्कुल हड़बड़ाहट में लाये हैं। इससे जनता को जो फायदा मिलना चाहिए वह नहीं मिल पायेगा। इससे जो समस्याएं असल में जुड़ी हुई हैं, जो भूमि के बाबत हैं वह हल नहीं होंगी। आपने उनकी कैटेगरी नहीं देखी कि 25 बीघा किनको फ्री और 25 बीघा ऑनकास्ट देने जा रहे हैं। उस क्षेत्र के अन्दर टीबे वाले क्षेत्र को एक ही कैटेगरी के अन्दर रख दिया। हनुमानगढ़ क्षेत्र में गंगानगर जिले में नाली बेड है उसमें भी और भाखरा कैनाल की जमीन है, उसमें भी यही प्रोविजन रखा। आज टीबे और सैण्ड ड्यून्स है, उसके अन्दर यह रख दिया कि 25 बीघा फ्री और 25 बीघा ऑन कॉस्ट देंगे। कास्ट किस बात की ले रहे हैं ? आप न तो आवंटन कर रहे हैं न उसका और किसी प्रकार का आधार बता सकते। इसका कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकार यह जो ऑर्डिनेन्स जारी किया है, यह बिलकुल गलत है।

सभापति महोदय, इस कॉस्ट के बारे में मैं एक ही निवेदन कर दूं। आप यहां से निर्देश जारी कर देंगे, कानून पास कर देंगे, यह बिल पास हो जायेगा लागू कौन करेगा ? पैसे आप लोगों को कौन देगा ? आपको पैसा तो उस क्षेत्र से बिल्कुल नहीं मिलने वाला। जमीनों पर हम काबिज रहेंगे चाहे आप पूरा जोर लगा लो। एक धेला हम देवाल नहीं हैं। हम किस बात का पैसा दें ? हम पीढ़ियों से जमीन के ऊपर काबिज हैं, बैठे हैं, काश्त कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, कीमत वसूल कर लेंगे। हम आपको कोई कीमत नहीं देने वाले। हम आपकी एक बात जरूर मानते हैं कि सीलिंग एक्ट के तहत जो भी जमीन आयेगी वह हम रख लेंगे और बाकी आप अवाप्त कर लेना।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : पहले कैसे छोड़ दी ?

श्री देवीसिंह भाटी : सवाल ही नहीं है छोड़ने का, आ जाना कोई भी। अपना अमला-जमुला लेकर आ जाना।

श्री महाराम चौधरी : जोधपुर वाले छोड़ कर गये हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, इसलिए मेरा यह निवेदन है कि यह परिनियत संकल्प पारित किया जाय।

श्री सभापति : श्री बंसीलाल पटवा।

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, कोई भी माननीय सदस्य नहीं बोलना चाहते हैं। पास करवा दें!

सभापति महोदय, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आर्डिनेन्स जारी

(श्री हीरालाल देवपुरा)

किया गया था उसको निरस्त करने के लिये एक परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गत सत्र में माननीय सदस्य ने ही मुझ पर काफी प्रेशर डाला था इस बात के लिये कि जिन लोगों को खातेदारी अधिकार बीकानेर और जैसलमेर स्टेट्स के नहीं मिल पाये हैं उनको खातेदारी अधिकार टिनेन्सी एक्ट के अन्दर दिये जाने चाहिये। इस सम्बन्ध में आपने स्थगन प्रस्ताव भी दिये थे और कई तरह के प्रश्न भी सदन में पूछे थे। मेरी भी ऐसी मान्यता रही है, सभापति महोदय, काफी लम्बे समय से उस क्षेत्र के लोगों की यह मांग रही है कि उनको खातेदारी अधिकार नहीं मिले हैं उनको खातेदारी अधिकारी मिल जाये। उस दृष्टि से ही यह आर्डिनेन्स हमने जारी किया है। मूल बात इसमें जो देखने की है, जो आपने एतराज किया है कि 25 बीघा जमीन अर्थात् एक मुरब्बा जमीन तो हम फ्री दे रहे हैं बाकी के लिये हम पैसे ले रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपको बता दूं, आपने शायद ठीक से पढ़ा होगा एक मुरब्बा जमीन जो सिंचित है और जो सिंचित जमीन नहीं है वह दो मुरब्बा अर्थात् 50 बीघा जमीन उसमें हमने छोड़ी है, उससे ऊपर जो जमीन निकलती है उसके ऊपर हमने रिजर्व प्राइस से पैसे लगाये हैं।

इसके लिये, सभापति महोदय, हमको इसके पिछले इतिहास में जाना पड़ेगा। जब यह टिनेन्सी एक्ट हमने पास किया था उस वक्त सैक्शन 15 के अनुसार सब लोगों, जो जमीन पर काबिज थे, को खातेदरी अधिकार मिल जाने चाहिये थे और मिल भी गये लेकिन 1955 के बाद इस क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन आया। 1956-57 के अन्दर वहां पर एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की योजना बनी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट नाम की योजना, जो योजना आज पूरी होने जा रही रही है, उस पर पब्लिक एक्सचेकर के करीब 500 करोड़ रुपये के लगभग खर्च होने वाले हैं, उस योजना से सारी जमीन डवलप हुई है और उस जमीन की उस वक्त जिस वक्त सन् 1955 के अन्दर के खातेदारी अधिकार की बात करना चाहते हैं इस प्रकार की कोई कीमत नहीं थी। 1100 रुपये वाली जमीन की कीमत आज 8000—10,000 रुपये हो गई है। यह जमीन की जो कीमत बढ़ी वह वैसे ही नहीं बढ़ गई है। उस जमीन की कीमत राजस्थान सरकार के एक्सचेकर, पब्लिक का जो पैसा लगा है, अन्य क्षेत्र से टैक्स द्वारा उगाया गया पैसा हैं, उससे बढ़ी है। इसलिये जिन लोगों को खातेदारी अधिकार दिये जा रहे हैं उन लोगों के बीकानेर और जैसलमेर स्टेट में केवल हैरेडेटरी राइट्स थे, पुश्तैनी राइट्स थे, उनको ट्रान्सफरेबल राइट्स न तो बीकानेर स्टेट में थे, न जैसलमेर स्टेट में थे। आज जब वह खातेदारी अधिकार उनको मिल जायेंगे और जिस जमीन पर खातेदारी अधिकार मिलेंगे, उसके उनको पूरे राइट्स मिलेंगे, पुश्तैनी राइट्स नहीं मिलेंगे बल्कि उनको ट्रान्सफरेबल राइट्स भी मिलेंगे। उस जमीन के पुख्ता मालिक जो उस वक्त वह नहीं थे, उनको पुख्ता मालिक बनाने की बात सोची गई है। क्योंकि सारी स्थिति जो बनी उससे उस जमीन की कीमत बढ़ेगी उस दृष्टि से जब टिनेन्सी एक्ट लागू करने की स्थिति आई, 15 ए इन्सर्ट किया गया।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

उसके माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों के खातेदारी अधिकारों को रोक लिया गया था, वापस ले लिया गया था। इन सबको टेम्प्रेरी टिनेन्ट माना गया, अस्थायी टिनेन्ट के रूप में माना गया। ईस्टर्न स्टेट जो थीं उनमें लोगों को टेम्प्रेरी टिनेन्ट का अधिकार ही था, उनको ट्रान्सफरेबल अधिकार नहीं थे। लेकिन फिर यह चर्चा चलती रही, यह मांग चलती रही कि इसमें मौरूसी अधिकार भी दिये हुये हैं और कुछ आक्यूपेन्सी टिनेन्ट्स भी बनाये हुए हैं जिनको ट्रान्सफरेबल अधिकार भी थे। तो 1979 के अन्दर एक अमेन्डमेन्ट आया, 15 ए ए ए के नाम का सेक्शन उसमें जोड़ा गया जिसमें उन मौरूसीदारों को और उन आक्यूपेन्सी टिनेन्ट्स जिनको ट्रान्सफरेबल राइट भी थे, अधिकार थे, को खातेदारी अधिकार दे दिया गया।

अब जो लोग बचे हैं, ये वे हैं जिनको केवल पुश्तैनी अधिकार थे, ट्रान्सफरेबल अधिकार नहीं थे, ट्रान्सफर के जिनको राइट्स नहीं थे, केवल हैरेडेटरी राइट ही थे, पुश्तैनी राइट थे उन लोगों के। खातेदारी अधिकार देने का उस समय की स्टेट के अन्दर प्रावधान नहीं था, उनके लिये प्रावधान करने जा रहे हैं। इसलिये मैं नहीं समझता हूं कि इसमें ज्यादती की बात हो रही हो, उनके ऊपर आघात किया जा रहा हो। फिर भी जमीन जो हमने छोड़ी है, सभापति महोदय, 25 बीघा सिंचित और 50 बीघा असिंचित जमीन, इतनी जमीन सीलिंग कानून के हिसाब से देखेंगे तो सारे के सारे जितने भी छोटे काश्तकार होंगे जिनके पास जमीन कम हैं उनके ऊपर कोई वजन नहीं आने वाला है, केवल कुछ बड़े काश्तकारों, जिनके पास ज्यादा जमीन है, पर ही वजन आयेगा। इसलिये मैं नहीं समझता हूं ऐसी बात हो गई। मैं तो समझता हूं कि इस आर्डिनेन्स, जिसको आज बिल के रूप में सदन में प्रस्तुत करने जा रहा हूं, से उस क्षेत्र के लोगों को लाभ ही मिलने वाला है। उसमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। काफी लम्बे अर्से से उस क्षेत्र की मांग थी उस मांग की पूर्ति होने वाली है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो परिनियत संकल्प कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है उसे अस्वीकार किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो परिनियत संकल्प श्री देवीसिंह भाटी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया प्रभारी मंत्री।

विधेयक पर विचार

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1983 को विचारार्थ लिया जाय।

[निम्न संशोधन प्रस्ताव पर सर्व श्री चन्द्रवीर सिंह, भंवरलाल शर्मा व देवीसिंह भाटी ने विचार व्यक्त किये :

"राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1983 को 6 माह/एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।"]

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं, माननीय मंत्री महोदय, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले तीन वर्ष से कोलायत से आने वाले माननीय विधायक महोदय और मैं यह सतत प्रयास करते रहे कि किसी तरह से ग्रोटर बीकानेर और जैसलमेर स्टेट के काश्तकार हैं जिनको खातेदारी राइट एक्ट नहीं हुये हैं उनको खातेदारी राइट्स दिये जायें। मैं आपका आभारी हूं कि आपने यह बिल आज पेश किया, इसमें मैं समझता हूं कि हमारा भला है, कोई बुरा नहीं है। माननीय मंत्री महोदय इस बिल के स्टेटमेन्ट आफ आब्जेक्ट एण्ड रीजन्स हैं, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें आपने लिखा है :

"In order to grant relief to such persons, the State Government decided to amend section 15-AAA by adding therein sub-section (3) to (5) contained in this Bill. The object of these new sub-section (1) of section 15-A, and save as otherwise provided in sub-section (1) of section 15-AAA, any person who at the commencement of the said Act, was a tenant of land otherwise than as a sub-tenant or a tenant to khudhkasht and was in continuous possession of the land as such tenant upto the date of commencement of the Rajasthan Tenancy (Amendment) Ordinance, 1983."

माननीय मन्त्री महोदय, इससे तो यह हुआ है कि अब तक जो इस एक्ट के कमेन्स होने तक जमीन पर जो लोग काबिज थे जिनका कब्जा था, उनको ही दिये जायेंगे। लेकिन मैं आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह एक्ट आने से पहले जिन काश्तकारों को बेदखल किया गया, कई काश्तकारों को इस कोलोनाइजेशन एक्ट के अन्तर्गत बेदखल किया गया है, उन पर जुर्माने किये गये, उनसे जमीन छुड़वाई गई। कृपया उन लोगों की तरफ भी ध्यान देने की कृपा करें, यह मेरा आपसे अनुरोध है।

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से राजस्व मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं—

"Rajasthan Tenancy (Amendment) Ordinance 1983...shall, on an application being made to the Assistant Collecter or to any other officer or authority authorised by the State Government within one year of the date of commencement of the said Ordinance, may be granted khatedari rights in the land in his tenancy, upto the ceiling limit subject to his payment to the State Government the reserve price prescribed by the State Government under section 7 read with section 28 of the Rajasthan Colonisation Act, 1954 and in force on the date of commencement of the said Ordinanec in respect of land held by him in excess of 25 bighas of irrigated or 50 bighas of unirrigated land upto the ceiling limit."

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

इसका मतलब यह हुआ, सभापति महोदय, 25 बीघा से ज्यादा इरिगेटेड था या 50 बीघा से ज्यादा अनइरिगेटेड किसी भी काश्तकार के पास थी तो सरकार को रिजर्व प्राइस अदा करेगा। सभापति महोदय, आप स्वयं परिचित हैं, आप उस इलाके से आते हैं, उस इलाके का काश्तकार इतना गरीब है और अकाल से पीड़ित होते होते इतनी जीर्ण शीर्ण स्थिति में है कि आज जो सरकार ने 29,500/– की रिजर्व प्राइस रखी है मेरे ख्याल से वह देने में समक्ष नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में मैं, माननीय मंत्री महोदय, आपसे चाहूंगा कि रिजर्व प्राइस हटाई जाय। जो बेटरमेंट चार्जेज हैं वह हम देंगे। जैसा आपने फर्माया कि पब्लिक एक्सचेकर का पैसा लगा है, राजस्थान का पैसा लगा है, यह सत्य है लेकिन मेरा आपसे यह निवेदन है कि रिजर्व प्राइस हटा कर बेटरमेंट चार्जेज लिये जायें और वह भी कई इन्स्टालमेंट में लिये जायें ताकि वहां का गरीब काश्तकार इसका पूर्णतया लाभ उठा सके।

धन्यवाद।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं बोलूंगा अभी।

(व्यवधान)

बोलूंगा कैसे नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, यह कानून जो आप लाये हैं उसके लिये आपको धन्यवाद दिया गया है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपको तकलीफ हो रही है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं कुछ बात कहूंगा उसको मान लो तो धन्यवाद दूंगा जरूर। अगर आप इस योग्य हैं, कुछ काम करेंगे तो धन्यवाद दूंगा।

जो आप कानून लाये हैं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर। आर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा : उससे आपने यह मन्शा प्रकट करने की कोशिश की कि उस इलाके में गरीब काश्तकार हैं उसको भी खातेदारी अधिकार देंगे लेकिन उन अधिकारों को देने के साथ-साथ आपने एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन किया है। वह यह किया है कि 1979, जब से वह अमेण्डमेन्ट हुआ था और उस अमेण्डमेन्ट के द्वारा जिन लोगों को खातेदारी अधिकार आपने दिये उन पर कोई पाबन्दी आपने नहीं लगाई, उनसे कोई कीमत वसूल करने की बात नहीं की। वह इसलिए नहीं की कि वे लोग वर्षों से काबिज थे। उनका उस पर अधिकार था। उस जमीन को उन्होंने संजोकर रखा। उस पर उन्होंने अपना खून और पसीना बहाया। उस पर विचार करके आपने यह नारा लगाया, "जमीन किसकी" 'जोते उसकी।' उसके आधार पर वहां जमीन का मालिक उनको बना दिया। अब आये आप 79 के बाद 83 में। वहां तो

(श्री भंवरलाल शर्मा)

अधिकार आप उनको दे रहे हैं उसमें कोई परिवर्तन नही किया गया बल्कि आपने रेस्ट्रिक्ट किया है। वह अधिकार भी पूरे नहीं दे रहे हैं आप उनको। मान लीजिये, वह जमीन ट्रान्सफर कर देगा तो ट्रान्सफरी है उसको यह अधिकार नहीं मिलेगा जब कि पुराने अमेण्डमेन्ट से ट्रान्सफरी को यह अधिकार दिये हैं आपने। तो आपने यह रेस्ट्रिक्शन लगाया, इधर तो अधिकार कम किया दूसरी तरफ 25 बीघा से अगर ज्यादा है इरिगेटेड लैण्ड और 50 बीघा से अनइरिगेटेड लैण्ड ज्यादा है तो उसको रिजर्व प्राइस देनी पड़ेगी। आप जवाब दें तो इस बात का उत्तर दें कि यह अन्तर फिर क्यों है, यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया है और आपने पाबन्दी क्यों लगाई है। यदि उसने किसी मजबूरी में, मजबूरी को मिटाने के लिये, आर्थिक दवाव में जमीन को ट्रान्सफर कर दिया है तो ट्रान्सफरी को राइट नहीं मिलेगा। आपने उसके किये ट्रान्सफर पर पाबन्दी लगाई है जब कि बाकी सबको आपने ट्रान्सफर की छूट दे दी है। तो इस गरीब काश्तकार के लिये ट्रान्सफर पर पाबन्दी क्यो लगा दी है? वह ट्रान्सफर करेगा तो जिसको ट्रान्सफर करेगा उसको यह अधिकार नहीं मिलेगा तो कौन उससे जमीन लेगा? उसको कभी आवश्यकता हो, कभी उस पर मुसीबत आ जाय, संकट आ गया तो यह उस जमीन का कभी लाभ नहीं उठा सकता। एक तो आप इसको स्पष्ट करेंगे।

दूसरा फिर आपने क्या किया है। अगर उसके पास कोई रिकार्ड नहीं है, माननीय मन्त्री महोदय...

(व्यवधान)

आपस में बाचीत नहीं करें।

श्री हीरालाल देवपुरा : आप तो बोलिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : मूड नहीं करता है यहां पर बोलने का। सुनने के मूड में नहीं है तो क्या करेंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा : सुन रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : You are talking here.

मेरा निवेदन है कि आपने उसको सीधे अधिकार नहीं दिये हैं अगर उसके पास कोई रिकार्ड नहीं है जो उसके वस की बात नहीं है। पुराने जमाने में कहां है आदमी? कहां रिकार्ड उसके पास होगा? आपने उसको घसीटा राजनीति में। वह जायगा ग्राम सभा में। वह ग्राम सभा यदि कहेगी कि हां यह व्यक्ति काश्त करता था और इसको अधिकार दिये जायं तो ग्राम सभा के आधार पर वह उसको अधिकार देंगे। अगर वह ग्राम सभा में पास नहीं हुआ तो उसको अधिकार नहीं मिलेगा। मतलब क्या होगा? वह गांव में जायगा और जो प्रभावशाली लोग हैं वह कहेंगे खयाल रखना। यदि हमारा खयाल नहीं रखा गया, हमारे देवपुराजी आयेंगे उनका स्वागत नहीं किया तो बच्चू जमीन तो हमसे लोगे ना।

(व्यवधान)

यह जो है इसके खिलाफ षड्यन्त्र होगा।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

मेरी समझ में नहीं आता जब 1979 में यह अमेण्डमेन्ट लाये तो उस समय यह शर्त क्यों नहीं रखी गई, क्यों नहीं ग्राम सभा में भेजा उसको ? इसलिए नहीं भेजा कि उसमें बदमाशी भी हो सकती है। उसके साथ राजनीतिक भेदभाव हो सकता है। उस समय पवित्रता के साथ वह अमेण्डमेन्ट लाया गया जो हमें इस समय नहीं दिखाई देता है। तो आप क्या उसको समझायेंगे कि 1979 में इस प्रकार की पाबन्दी नहीं थी। जिस जमीन को जिस व्यक्ति ने काश्त किया उसको बिना किसी शर्त, बिना किसी बात के उदारता से जमीन का मालिक बना दिया, अब उसको आप क्यों नहीं बनाना चाहते ? उसके अन्दर क्या दिक्कत है। राजनीतिक भेदभाव से आप यह बिल लाये हैं, यह हमारी शंका है। आप इस शंका को दूर करें तो इन्होने तो बहुत ठंडे दिल से धन्यवाद दिया है मैं आपको बहुत जोर से धन्यवाद दूंगा। यह जो आशंकायें हैं, ठीक है जब तक आप रहेंगे आप कहेंगे कि भई, यह मैं तो नहीं होने दूंगा। But what about you after four days ?

श्री हीरालाल देवपुरा : You are very much here.

श्री भंवरलाल शर्मा : चार दिन की चांदनी, फिर क्या होगा । इसलिए आप कानून बना रहे हैं तो केवल आपके लिये नहीं बना रहे हैं, हम पूरे प्रदेश की जनता के लिये बना रहे हैं। वह बन्दिश हटायें ताकि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सके, किसी गरीब आदमी का शोषण नहीं हो सके, बिना पढ़े-लिखे काश्तकार व्यक्ति हों, गरीब हों उनका किसी प्रकार से शोषण नहीं हो सके। ये कुछ बातें हैं जिन पर आप विचार करें। फिर आपने इसमें जो सेक्शन लगाया है उसमें दो सब सेक्शन लगा दिये (ए) और (बी)। सेक्शन 3 में सब-सेक्शन (ए) और (बी) करके दो क्लाज किये हैं आपने। इसमें केवल इतना ही सब-मिशन है कि एक में रिकार्डेड कर दिया और एक में अनरिकार्डेड रहेगा। यदि आप बता देते कि रिकार्डेड और अन-रिकार्डेड रहेगा तो ही सारा काम चल जाता। यह आपने जबरदस्ती बोझ क्यों डाला कानून पर ? ये मेरे आपसे ऐसे प्रश्न हैं जिन पर विचार करें और हमें सन्तुष्ट करें।

श्री सभापति : श्री देवीसिंह भाटी ।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, मैं राजस्व मन्त्रीजी का इस टिनेन्सी बिल की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें जो खामियां रही हैं उससे हमारे क्षेत्र के साथ ज्यादती हुई है। इस टिनेन्सी एक्ट की धारा 15 में बिलकुल स्पष्ट है। आप मानेंगे भी, जिस वक्त यह एक्ट लागू हुआ है उस वक्त धारा 15 के तहत जो कवर होते थे, जो मौके पर काबिज हैं, काश्त करते हैं उनको आटोमेटिकली खाते-दारी अधिकार दे दिये जायेंगे, उन्हें अधिकार दे भी दिये गये। क्या हम उस वक्त उस जमीन पर काबिज नहीं थे ? क्या हम जमीन पर काश्त नहीं कर रहे थे ? जिस वक्त टिनेन्सी एक्ट लागू हुआ हम जमीन पर काबिज थे, काश्त कर रहे थे। हमारी गलती क्या थी ? गलती यह थी कि उस जमीन पर

(श्री देवीसिंह भाटी)

बैठे थे, वर्षों से बैठे थे परन्तु एक स्टेट, जैसलमेर स्टेट के अन्दर रेवेन्यू रिकार्ड नहीं था जिसकी वजह से मन्त्री महोदय आज कह रहे हैं कि इनके हेरिटबल राइट्स तो थे परन्तु ट्रान्सफरेबल राइट्स नहीं थे। अगर हमारी यह गलती नहीं है...

श्री हीरालाल देवपुरा : किसकी थी ? राजाओं की थी।

श्री देवीसिंह भाटी : एक स्टेट की गलती थी। उसमें रेवेन्यू रिकार्ड नहीं था, परन्तु जब यह एक्ट लागू हुआ उस वक्त तो हमें ये अधिकार आटोमेटिकली मिल जाने चाहिये थे। आपने दूसरों को दे दिये। आप यह भी मानते हैं कि जिस वक्त में एक्ट लागू हुआ, दूसरों को खातेदारी अधिकार दे दिये गये। उस वक्त आप भी वहां काबिज थे और काश्त कर रहे थे। आपकी यह जानकारी में है कि एक्ट लागू होते समय हम वहां काश्त कर रहे थे। यदि थे, तो यह प्रोविजन रखकर क्यों नहीं अपने आप खातेदारी अधिकार हमें देने का निर्देश दिया। हमें ये राइट्स नहीं मिलने से हमारी कैटेगरी इस प्रकार कर दी गई। जिस वक्त यह एक्ट लागू हुआ उस वक्त हम से कोई कीमत नहीं ली गई। उसके बाद में सीलिंग एक्ट लागू हुआ। जो भूमि अवाप्त की गई उसका मुआवजा दिया। परन्तु हमें कम्पेन-सेट क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या हम उस वक्त काबिज नहीं थे ? क्या हम सन् 55 के अन्दर जिस वक्त यह एक्ट लागू हुआ, वहां पर हम काश्त नहीं कर रहे थे ? आज मान रहे हैं जब पीढ़ियों से वहां बैठे हैं। सिर्फ आपका रेवेन्यू रिकार्ड नहीं था। रिटन रिकार्ड नहीं था जिसके आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं मिले परन्तु मौके पर काबिज थे, काश्त कर रहे थे, जो आप यह मान रहे हैं और उस वक्त जब टिनेन्सी एक्ट के तहत जो कवर हुए उनको तो आपने खातेदारी अधिकार दे दिये और सीलिंग एक्ट के तहत आपने जो भूमि अवाप्त की उसके लिये आपने कम्पेनसेट भी कर दिया। आखिर उस क्षेत्र के किसान का क्या कसूर है ? अगर यह कल्याण-कारी सरकार है तो कम से कम इस बात को तो देखते कि उन लोगों के साथ अहित तो नहीं हो रहा, उनके हितों के साथ कोई कुठाराघात तो नहीं हो रहा। परन्तु इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। बिल ले आये यह कि क्योंकि आपको खातेदारी अधिकार दे रहे हैं परन्तु पैसे लेकर देंगे। इस प्रकार अगर पैसे लेकर आप कार्यव ही करेंगे तो यह न तो आपकी सरकार के हित में होगा न उन काश्तकारों के हित में होगा। तो मेरा यह निवेदन है कि इसके अन्दर आज यह संशोधन करके यह प्रोविजन रखा जाये कि जितनी भी जमीन आज उनके पजेशन में है उसकी उन्हें पूरी खातेदारी दी जायेगी और जो सीलिंग लिमिट के तहत सीलिंग लिमिट से ज्यादा है वह हम एक दफा आ को खातेदारी अधिकारी देने के बाद में एक्वायर करेंगे और एक्वायर करेंगे तो उनको कम्पेनसेट करेंगे। परन्तु इसके लिये आपने किसी प्रकार की कोई प्रोविजन नहीं रखा है। आपने यह दोहरी नीति अपनाई है और इस दोहरी नीति की वजह से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है......

श्री सभापति : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, इसी प्रकार हमारे खातेदारी अधिकार मिलने के बाद में कुछ समस्याएं उठेंगी। वह जो कार्यवाही आप करने जा रहे हैं आप यहां से निर्देश देंगे यह बिल पास हो जायेगा, परन्तु इस प्रकार की जो आपने ग्राम सभा का आयोजन रखा है कि जो वहां 55 से पूर्व काबिज हैं उसका सबूत है उसको तो हम आटोमेटिकली कवर कर लेंगे और जो वहां पूर्व में काबिज था परन्तु उसका कोई सबूत नहीं है उसको हम वहां के लोगों के मुख्यों से, बुजुर्ग लोगों से पूछ करके हम खातेदारी अधिकार देंगे। इसका क्या आधार होगा। इस प्रकार कोई भी बाहर का आदमी आ करके कह सकता है कि साहब मैं यहां बसता था लेकिन जो आपका रेवेन्यू रिकार्ड है उसमें मेरा नाम नहीं है परन्तु आप इन बुजुर्ग लोगों से पूछ लीजिये। उसके तहत कोई भी बाहर का आदमी फायदा उठा सकता है। इसके लिये स्पेशल आप दूसरा यह प्रोविजन कीजिये कि जो भी उस क्षेत्र व उस गांव का चाहे है, का वह सेठ हो उसका लिखित रिकार्ड चाहे बही में मिलेगा, जागीरदार की पुरानी बही होगी उससे मिलेगा, कोई ऐसा सबूत हो जिससे यह जाहिर हो कि यह नया सबूत नहीं बनाया जा सकता, ऐसा कोई आधार रखें। इसके तहत मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि जहां हमारा गंगानगर बार्डर लगता है जिसके आस पास आज पंजाब के लोग-बाग पहुंच चुके हैं वह गलत नामों से इसका फायदा उठायेंगे। दूसरा मेरा, सभापति महोदय, इसमें यह निवेदन करना था...

श्री सभापति : संक्षेप में, माननीय संदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : जैसा कि जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने फरमाया कि हमारे क्षेत्र के अन्दर जो पीढ़ियों से काश्त कर रहे थे जिस वक्त समरी हुई और उसके बाद सैटलमेंट हुआ, समरी, सैटलमेंट दोनों से उस समय जो काश्तकार वंचित रह गये और रिकार्ड में नहीं आये, एनुअल रजिस्टर्स में उनका नाम और जमीन नहीं चढ़ी। वह सिर्फ वहां काश्त करते रहे, परन्तु उनको राय देने की ओर कोई राज्य सरकार की ओर से प्रयास नहीं किया गया, काश्त करते रहे कमाण्ड उनको लगता रहा परन्तु यह कोलोनाइजेशन वालों ने बेरहमी से अजीब प्रकार की नीति अपना के उनको बेदखल कर दिया। बाढ़ विस्थापितों को हमारे क्षेत्र में जमीन दी गई। उसको राज रक्बा मान कर आफिस में बैठे-बैठे अलाटमेंट कर दिया। मौके पर यह नहीं देखा कि मौके पर काश्त कौन करते हैं, काबिज कौन हैं उसके झोंपड़े वहां बने हुए हैं। कुण्ड वहां बने हुये हैं, कुए मौजूद हैं और पीढ़ियों से वह बैठा है। यह नया झगड़ा खड़ा कर दिया। कसूर इतना ही था कि एन्युअल रिकार्ड के अन्दर वह चढ़ा नहीं और यह एक नया डिस्प्यूट होने से आज उनकी स्थिति यह हो गई है कि उस किसान को बेदखल कर दिया। इसके लिये आपने इसके अन्दर कोई प्रोविजन नहीं रखा कि जो बेदखल किये गये हैं, बेदखल किनके द्वारा किये गये, कोलोनाइजेशन विभाग द्वारा क्योंकि जमीन तो उसके अन्दर आपने बाढ़ विस्थापितों को दे दी। टैम्प्रेरी अलाटीज को दे दी उसकी वजह से बाई फोर्स उसको आपने बेदखल कर दिया। बेदखल करने से वह तो किसान मारा गया और जो धींगा मस्ती से और मैनीपुलेट करके आज बैठा है, वह बैठा है। जो कानून

(श्री देवीसिंह भाटी)

मानता है, जो राज्य सरकार की व्यवस्था है उस निर्देश के अनुसार अगर उसने जमीन खाली कर दी और वह अगर आपको यह सबूत कर दे उस गांव के जो भी मुखिया हैं, जो बुजुर्ग हैं उनसे यह सबूत हो जाये कि पीढ़ियों से यह इसी जमीन के अन्दर बैठा था, लगान भी भरता रहा है जो आपके रिकार्ड के अन्दर है, वह यहां काब्जि था तो उसको क्यों नहीं जमीन दी जाये ? उसके लिये भी यह प्रोविजन रखते। इस प्रकार से जो यह बिल लाये हैं यह बिल्कुल अधूरा बिल है। पूरा उस क्षेत्र के लोगों को फायदा नहीं मिलने वाला। तो मेरा आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को यह निवेदन है कि जो मैंने यह बिन्दु उठाये हैं उनके ऊपर आप पूरा विचार करें जिससे राहत मिले और दूसरा काम्पलीकेशन्स् नहीं खड़ी हों वरना फिर नये डिस्प्यूट्स होंगे और दूसरे मामले जब खड़े होंगे तो आप जिस नीयत से बिल लाये हैं कि खातेदारी अधिकार उनको मिलें, पूरी जमीन के मिलें, नये डिस्प्यूट्स उस पर खड़े नहीं हों और सारे मामले निपटा दिये जायें परन्तु अगर यह खामियां रखी गई तो यह बिल कोई काम का नहीं रहेगा फिर नये झगड़े खड़े होंगे, यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : प्रभारी मन्त्री जी।

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मन्त्री) : सभापति महोदय,...

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय...

श्री हीरालाल देवपुरा : आप बोलेंगे क्या ? आपने प्रस्ताव दिया है क्या ? तीसरी रीडिंग पर बोल लेना।

सभापति महोदय, जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य और कोलायत से आने वाले माननीय सदस्यों ने इस बिल के प्रति कुछ शंकायें प्रदर्शित करते हुए जनमत जानने के लिए इसको परिचालित करने के लिये यहां पर प्रस्ताव रखा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जनमत जानने के लिये इस बिल को भेजने के लिये कोई आवश्यकता नहीं है। यह प्रस्ताव अस्वीकार किया जाना चाहिये। जो आशंकायें आपने बताईं उन आशंकाओं के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा। जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह आशंका व्यक्त की कि हमने इस बिल में सन 1955 से लेकर इस बिल के लागू होने की तारीख तक जो कन्टीन्युअस पजेशन में रहा है उसको हमने इसका राइट दिया है। आपका मानना था कि इस बीच में कई लोगों को बेदखल कर दिया गया, पेनल्टी लगा दी गई और वे लोग डिपजेशन हो गये उनको फरदर राइट्स कैसे मिलेंगे ? इसलिए इसको जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि खातेदारी राइट्स उसी व्यक्ति को मिल सकता है जो जमीन का टिनेंट हो। अगर आज कोई व्यक्ति किसी जमीन का टिनेंट नहीं है तो उसको तो कोई खातेदारी राइट्स मिलने का कोई कारण हो ही नहीं सकता...

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : हम उनको जबरदस्ती कब्जा करवा देंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा : आप सुनिये।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

आप बीच में क्यों इन्ट्रप्ट कर रहे हैं, मैंने तो कभी आपको बीच में इन्ट्रप्ट नहीं किया है। इसलिये उसका तो प्रश्न नहीं होता। फिर मैं यह कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को खातेदारी राइट्स मिल रहे हैं वे लोग वे हैं जिनको सेक्शन 15 के अन्तर्गत कुछ समय के लिये खातेदारी राइट्स मिल चुके थे और सेक्शन 15 ए द्वारा वापस ले लिये गये थे और उनको टैम्प्रेरी टिनेंट घोषित किया गया था। तो यह जो 15 ए के तहत टैम्प्रेरी टिनेन्ट घोषित हुए हैं मेरी जानकारी से उन टिनेन्ट्स में किसी को बेदखल नहीं किया गया। इसलिए यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता और यह जो राइट्स मिल रहे हैं उन लोगों के लिये राइट्स दे रहे हैं जिनको 15 ए में हमने डीबार किया है। उन्हीं को राइट्स देने का सवाल है दूसरों को राइट्स देने का प्रश्न नहीं है। तो 15 ए में जिसको डीबार किया है उनको बेदखल करने का कारण यों पैदा नहीं होता क्योंकि वे टैम्प्रेरी टिनेंट के रूप में माने गये हैं, इसलिये यह कहना कि उनको नाजायज काश्तकार माना है, बेबुनियाद है, गलत है। कानून के अन्दर उनको ट्रेसपासर कभी नहीं माना है। हमने उनको डिफाइन किया है टैम्प्रेरी टिनेंट। टैम्प्रेरी टिनेंट मान करके हम उस पर चले हैं इसलिये यह शंका कि इस बीच में उन लोगों में से किसी को बेदखल किया गया, यह शंका तो होनी नहीं चाहिये। जो एनटाइटल नहीं होंगे वह तो टोटली ट्रेसपासर्स होंगे। इसलिए, सभापति महोदय, उनको खातेदारी राइट्स देने का कोई सवाल नहीं होता।

एक मूल समस्या जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाई। उन्होंने कहा कि 1979 में कुछ लोगों को खातेदारी अधिकार देने के लिए एक अमेंडमेंट आया था 15 एएए। उसके माध्यम से उनको खातेदारी अधिकार मिले थे। इसका, सभापति महोदय, परिनियत संकल्प के समय जवाब दिया था कि हमने कोई भेद नहीं किया। आपको समझना होगा, उस समय जिनको 15 ए ए ए में राइट मिला था वे कौनसे टिनेन्ट्स हैं और जिनको राइट मिल रहा है वे कौनसे टिनेन्ट्स हैं? 15 ए में जिनको राइट मिला है वह टिनेन्ट वह थे जिनको पूरे टिनेन्सी राइट्स अस्टेबाइल स्टेट के समय भी थे। उनको मौरूसी राइट्स थे, आक्यूपेंसी टिनेन्ट्स थे, इसका मतलब वह इनहेरिट भी करते थे और ट्रांसफर के राइट भी उनको पूरे थे। आज जिस हिसाब से खातेदारों को हम कवर कर रहे हैं, उसी हिसाब से उनको पूरे अधिकार थे। तो उन पर कोई पाबन्दी नहीं लगाई। उनको हक था शुरू से इसलिए उनको हमने इसमें भी हक दिया। लेकिन आज जिन लोगों को राइट्स दे रहे हैं वे हैं जो केवल इनहेरिटेन्स से ले सकते हैं उनको ट्रांसफरेबल राइट नहीं हैं। बीकानेर स्टेट के टिनेन्सी एक्ट को देखेंगे तो टिनेन्सी राइट्स ट्रांसफरेबल राइट्स नहीं हैं। जैसलमेर स्टेट में टिनेन्सी एक्ट नहीं था, रिकार्ड नहीं था तो उनको ट्रांसफरेबल राइट नहीं था, पुश्तैनी राइट था। पीढ़ी से पीढ़ी को मिल जाते लेकिन ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। ऐसी हालत में इनके और उनके बीच में भेद है। ये पूरी तरह से काश्तकार नहीं थे। इसमें इनके राइट्स रेस्ट्रिक्टेड थे और वह जो काश्तकार थे उनको पूरे राइट्स दिये हुए थे। इस-

(श्री हीरालाल देवपुरा)

लिए वह भेद तो स्वभाविक है और इसीलिए हमने इसके अन्दर किया है। इस पर जो रुपए लगाए हैं कि इतनी जमीन तो हम खातेदारी में दे देंगे और बाकी जमीन का आज के हिसाब से पैसा लेंगे। तो जो 1979 में कहा है उसमें और इसमें कहीं डिसक्रेपैंसी नहीं आती कि उनको तो स्पेशल राइट्स दे दिये थे उन स्पेशल राइट्स को अब बंद करने जा रहे हैं।

तीसरी बात आपने कही कि जब आप राइट दे रहे हैं तो रेस्ट्रिक्शन किस बात की? उनको जमीन बेचने और ट्रांसफर करने के लिए क्यों नहीं हक मिल जाय। ट्रांसफर करने का हक उनको मिल जाय, सारे राइट्स उनको मिल जाने चाहिए। सभापति महोदय, यह कोई इस एक्ट के तहत ही प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है, कोलोनाइजेशन एक्ट के अन्तर्गत उस क्षेत्र के जितने भी खातेदारी टिनेन्ट्स हैं चाहे अब बनने वाले होंगे या इससे पहले बन चुके हैं, जब किसी लैंड को ट्रांसफर करते हैं तो उनको ट्रांसफर करने के लिए स्वीकृति लेनी पड़ती है। अब तक कलक्टर से लेनी पड़ती थी, आने वाला बिल जो कल पेश होगा उसके माध्यम से सरकार चाहती है कि वह स्वीकृति कलक्टर के लेविल पर न हो, राज्य सरकार के लेवल पर हो। वह बिल कल आगया। आज की तारीख में स्वीकृति लेनी पड़ती है कलक्टर से तो इसमें कोई नई बात नहीं की है जिससे किसी प्रकार की कोई शंका माननीय सदस्यों के मन में रह सकती हो। मैं तो फिर भी निवेदन करूंगा कि उस क्षेत्र के हित की दृष्टि से, उन लोगों को मिलने वाले अधिकार की दृष्टि से इस बिल, जिसको मैंने प्रस्तावित किया है, को विचारार्थ लिया जाय और उसके बाद पारित भी किया जय।

एक बात आपने कही, अनरिकार्डेड टिनेन्ट्स हैं उनके लिए हमने कहा कि उनको भी मौका दें। आप चाहें तो कह सकते है वे टिनेन्ट्स नहीं रहे। लेकिन जो अनरिकार्डेड हैं, उस समय रिकार्ड में नहीं थे हमने उनको भी ऐसा राइट देना चाहा। 1955 से जो लगातार टिनेन्ट बने चले आ रहे हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। माननीय सदस्य कहते हैं कि कोई सबूत मिल सकता है। तो we well accept it. हम स्वीकार करेंगे। हम ना नहीं करेंगे। लिखित में सबूत मिल गया तो हम मुकर नहीं जायेंगे। हमने तो एडिशनल भी दिया है कि अगर कोई सबूत न भी हो और गांव के लोग मिलकर कह दें, ग्राम सभा के रूप में कह देते हैं कि 1955 से लगातार काबिज हैं तो हम उसको भी राइट देंगे। तो हमने यह एडीशन दिया है। उसके हित की बात कही है। रोक नहीं लगायी है। रोक लेने की बात हम कैसे कर दें। जैसा अपने सजैस्ट किया, जागीरदार की बही देख लीजिए और कोई रिकार्ड देख लीजिए। तो मैं यह मानकर चलता हूं कि जब हमने 55 के खातेदार को तसलर किया तो कहीं न कहीं रिकार्ड पर वह जरूर आया होगा। 15 के अन्दर जब उनको टेम्प्रेरी कल्टीवेशन में कवर किया फिर भी कहीं न कहीं रिकार्ड पर जरूर आये होंगे वह, तो सबूत मिलेगा। लेकिन बावजूद इसके क्योंकि जैसलमेर स्टेट में न तो सैटलमेन्ट हुआ था, न उनका कोई रिकार्ड

(श्री हीरालाल देवपुरा)

या इस कारण से हो सकता है कि कई लोग ऐसे रह गये हैं जिनको रिकार्ड दर्जन पर हीं किया हो। तो राइट देने से पहले हम उनको बुलाकर पूछ लेंगे। ग्राम सभा वाले कहेंगे कि यह 55 से लगातार काबिज हैं तो उनको वह जमीन मिल जायेगी। दूसरे के ऊपर शंका करने का सवाल नहीं है कि कोई नाजायज कबजा करेगा। नाजायज कब्जा करके लेने वाले का 15 में रिकार्ड नहीं मिलेगा क्योंकि 1955 में वह काबिज नहीं था। वह मौजूद ही नहीं था तो उस पर शंका करने की जरूरत नहीं रहती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जनमत जानने के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसको अस्वीकार किया जाये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1983 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, परिवहन) : सभापति महोदय, इस बिल के पारित होने तक समय बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : सदन का समय यह बिल पास हो तब तक के लिए बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1983 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खंड दो पर संशोधन लिया जाय।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय...

श्री हीरालाल देवपुरा : बिराजो। आपका संशोधन नहीं है। ना, ना संशोधन आपका और आपका है। संशोधन वही पेश करेगा जिनका संशोधन प्रस्ताव है...

श्री भंवरलाल शर्मा : He has permitted me.

श्री हीरालाल देवपुरा : How can he do it ? आपको परमिट नहीं किया। आप थर्ड रीडिंग पर बोल लेना।

श्री भंवरलाल शर्मा : I have participated. माननीय सभापति महोदय,

श्री हीरालाल देवपुरा : आप खंडशः

(श्री हीरालाल देवपुरा)

ले रहे हैं तो खंड दो में संशोधन पेश किया गया है वह तो संशोधनकर्ता ही पेश करेगा। आप कैसे करेंगे ?

श्री सभापति : संशोधनकर्ता ही पेश करेगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपने विचारार्थ रखा है इसको।

श्री हीरालाल देवपुरा : विचारार्थ लेने के बाद बोलने का सवाल नहीं। फिर खंडशः चलता है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप जानते हैं। आप बिराजिये।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड 2 में प्रस्तावित नई उपधारा (3) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "The date of commencement of the Rajasthan Tenancy (Amendment) Act, 1983" के पश्चात् तथा शब्द "shall" के पूर्व अभिव्यक्ति "or The Rajasthan Tenancy Act, 1955" अन्तःस्थापित किये जाने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, मैं इस प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं और कारण भी मैंने अभी बताया। पहले भी आपने आब्जेक्शन किया था, यहां शंकायें व्यक्त की थीं कि यह आपने इसलिए रखा है कि मैंने कहा है, कन्टीन्युअस पजेशन। स्पष्ट है कन्टीन्युअस पजेशन होना चाहिए 1955 से और यह बिल पास होकर एक्ट बन जाये उस समय तक कन्टीन्युअस पजेशन होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि यह भी जोड़ दें कि 1955 में भी पजेशन था। 1955 में पजेशन हो सकता है किसी का और कई कारणों से वह पजेशन नहीं रहा हो। तो आज वह जो पजेशन में नहीं है, उसको कैसे खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं? इसलिए यह संशोधन बिल्कुल मायने नहीं रखता। माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि वह स्वयं इस संशोधन को वापस ले लें ताकि वोट पर रखने की जरूरत न पड़े।

(6.20 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : माननीय मन्त्री महोदय आपने अभी यह फरमाया था कि जैसलमेर फार्मर स्टेट में ट्रांसफरेबल राइट्स नहीं थे और हैरिडेटरी राइट्स थे। शायद मंत्री महोदय परिचित नहीं हैं, हो सकता है रेवेन्यू रिकार्ड नहीं हो और था भी नहीं लेकिन जहां तक ट्रांसफरेबल राइट का सवाल था तो वहां के हर व्यक्ति को, हर काश्तकार को यह अख्तियार था कि वह अपनी जमीन किसी को भी बेच सकता था या किसी से भी खरीद सकता था। सैकण्ड, माननीय मन्त्री महोदय, आपने जो फरमया, इसमें आपने जो पाबन्दी लगा दी और बंदिश लगा दी है कि कोई काश्तकार, जिसको आप खातेदारी राइट्स देंगे, अपनी जमीन ट्रान्सफर नहीं कर सकता। यह तो एक बड़ी विचित्र सी बात है, अध्यक्ष महोदय, कल को किसी काश्तकार पर कोई आपत्ति पड़ जाय, कोई विपदा पड़ जाय, अगर वह अपनी जमीन बेचना चाहे, जो सीलिंग के तहत उसके पास रही हुई हो, उसको अगर

(श्री चन्द्रवीर सिंह)

आप नहीं बेचने देंगे, तो यह तो एक बड़ी अतिशयोक्ति होगी, अध्यक्ष महोदय।

उसके उपरान्त, अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी मार्फत माननीय मन्त्री महोदय से एक निवेदन किया था कि जो आप रिजर्व प्राइस रख रहे हैं, जैसलमेर का काश्तकार उसको देने में सक्षम नहीं है। अतः मैं आप से पुनः निवेदन करता हूं कि इस बिल को पास होने से पहले आप कृपा करके यह क्लाज हटा दें। वहां का काश्तकार डवलमेन्ट चार्जेज तो दे सकता है लेकिन आपने साढ़े उन्तीस हजार की रिजर्व प्राइस रखी है यह वहां का काश्तकार देने में सक्षम नहीं है। अतः मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि इस रिजर्व प्राइस को हटाया जाय।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने इसका जवाब दे दिया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 पर जो संशोधन प्रस्ताव माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय?

(ध्वनि मतदान)

अनेक माननीय सदस्य : Ayes have it.

श्री अध्यक्ष : दुबारा पूछ लेते हैं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 पर जो संशोधन प्रस्ताव माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 और 4 स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

खण्ड 3 और 4 स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, प्रस्ताव और नाम आदि स्वीकार किये जायं?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, प्रस्ताव और नाम आदि स्वीकार किये गये।

पारित करने का प्रस्ताव।

विधेयक का पारण

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अभिनति (संशोधन) विधेयक, 1983 को पारित किया जाय।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में भी यह निवेदन किया था कि...

श्री अध्यक्ष : पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पुनरावृत्ति नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, यह दोहरी नीति अपनाई जा रही है। जब राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 बना था उसमें धारा 15 के तहत यह स्पष्ट माना था कि जितनी भी भूमि उस काश्तकार के पास काबिज होगी और काश्त कर रहा होगा उतनी भूमि के उसे खातेदारी अधिकार दे दिये जायेंगे। उस वक्त सन् 1955 के अन्दर जिस क्षेत्र पर बीकानेर और जैसलमेर के काश्तकार भी काबिज थे और काश्त कर रहे थे उनको आपने पूरी भूमि की खातेदारी दे दी। हमें आज यह नया बिल लाकर खातेदारी अधिकार देने जा रहे हैं परन्तु उस कैटेगरी में नहीं रख रहे। हमारे से आज आप कीमत वसूल करना चाहते हैं। उन लोगों से आपने कोई भी कीमत, कोई चार्जेज नहीं लिये। जितनी भी भूमि उस काश्तकार के पास थी टिनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 15 के तहत आपने खातेदारी प्रदत्त कर दी। बाद में आप ही की कांग्रेस गवर्नमेन्ट थी जो यह काला कानून लाई 15–ए का जिसके तहत कोई भी भूमि कोलोनाइजेशन एरिया में हो, तो उसकी खातेदारी अवाप्त कर ली जायेगी।

उसके बाद में जनता रेजिम में सन् 1979 के अन्दर 15–एएए का अमेण्डमेंट हुआ। परन्तु उससे भी इस क्षेत्र के काश्तकारों को कोई फायदा नहीं हुआ। हम तो स्पष्ट कहते हैं कि उस वक्त न तो कांग्रेस गवर्नमेन्ट ने कोई फायदा दिया और न जनता गवर्नमेंट ने फायदा दिया। जनता सरकार यह चाहती थी कि खातेदारी उस क्षेत्र के लोगों को दी जाय परन्तु खातेदारी अधिकार उन्हें नहीं मिल सके। आज जो आप यह अमेन्डमेन्ट लाये हैं, आप निश्चित तौर पर उस क्षेत्र के लोगों को खातेदारी देना चाहते हैं परन्तु यह जो आप दोहरी नीति अपना रहे है कि आंशिक भूमि की आपको खातेदारी मिलेगी। उस वक्त जो 1955 के अन्दर काबिज थे और जिनको टिनेन्सी एक्ट के तहत खातेदारी मिली है उनको तो खातेदारी मिलेगी, परन्तु आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि हम आज यह बिल ला रहे हैं, आज ही हम यह बिल पास कर रहे हैं इसलिये आज के दिन 25 बीघा तो आप को मुफ्त में दी जायेगी और 25 बीघा की हम कीमत वसूल करेंगे। यह जो नीति आपने अपनाई है, यह जो बिल में प्रोविजन रखा है यह बिलकुल गलत है। मैं यह चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय इसके बारे में स्पष्टीकरण करते हुए इस बिल के बारे में पुन: सोचें तब जाकर उस क्षेत्र के लोगों को निश्चित रूप से फायदा होगा वरना कोई फायदा नहीं होने वाला है।

मैं आपसे पुनः निवेदन कर दूं कि हम एक धेला आपको नहीं देंगे, आप चाहे पूरा जोर लगा लें। पूर्व में भी गंगानगर जिले में आप देख चुके हैं, रावों का चक के अन्दर आपने जोर लगा लिया, पूरी फोर्स ले गये। वह न तो जमीन की कीमत देने को तैयार हैं, न आपसे कोई अलाटमेन्ट चाहते हैं. एक धेला भी आपको नहीं मिला। हम आपको निश्चित तौर से कहते हैं कि जितनी भी जमीन हमारे पास है हमें खातेदारी अधिकार दीजिये, आप

(श्री देवीसिंह भाटी)

सीलिंग एक्ट के तहत वह अवाप्त कीजिये। हमें कोई एतराज नहीं है। परन्तु आप कीमत लेकर हमें जमीन देना चाहते हैं, हम किसी भी प्रकार से नहीं लेंगे, पूर्व में भी हम काबिज हैं, काश्त कर रहे है और फिर भी करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया उससे हमारी आपत्तियों का निराकरण नहीं हुआ। अगर कोई व्यक्ति किसी शहरी भूमि पर कब्जा करता है, शहरी व्यक्ति, 1971 में जिन्होंने जमीनों पर कब्जे कर लिये जमीन पर उनको तो आपने रियायती दर पर दे दी। उस अधिकार को 1981 तक बढ़ा दिया। एक तो जबरदस्ती कब्जा कर लिया उसको तो रियायती दर पर भूमि देते हैं क्योंकि शहर में रहता है लेकिन जो गरीब काश्तकार गांवों में रहता है वर्षों से, उस भूमि पर जिनका कब्जा है वर्षों से, उससे तो आप यह कहते हैं कि 25 बीघा से अगर ज्यादा जमीन है तो हम आपसे कीमत लेंगे। आपने उसका तर्क यह दिया कि क्योंकि हमने उस जमीन का विकास किया है, उस जमीन पर हमने खर्चा करके उसकी कीमत बढ़ाई है, जमीन का विकास किया है और विकास के कारण उसकी कीमत बढ़ी है।

(व्यवधान)

आवाज तो पहले भी आ रही थी, अब क्यों नहीं आ रही है। Please hear me, Hear me. मेरा यह निवेदन है कि 1979 में जब यह जमीन अलाट की गई उस समय जो कीमत थी उसके बाद न तो आपने विकास किया जमीन का, न कोई और खर्चा किया है। इस जमीन की अगर कीमत बढ़ी होगी तो वह अपने आप ही बढ़ी होगी तो बढ़ी होगी, आपका कोई प्रयास नहीं था उसमें। 1979 में जब आपने जमीन दी फ्री, उस समय आपने कोई डवलपमेन्ट की बात नहीं की, अब क्योंकि आपने खर्चा किया है इसलिये कीमत ज्यादा लेना चाहते हैं, यह दलील आपकी थोथी है, इसमें कोई दम नहीं है। फिर आपने एक बात कही है कि ग्राम सभा में इसका जाना जरूरी है, और कोई तरीका नहीं हो सकता। 1971 में जब आपने यह घोषणा की थी कि जिन लोगों ने सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया है, उनका कब्जा हम मान लेंगे, उनको जमीन अलाट करेंगे। उनको तो ग्राम सभा में नहीं भेजा आपने। उनको तो ग्राम सभा में जाने के आदेश आपने नहीं दिये। तो जो कुछ भी उनके पास प्रमाण हो सकते थे और अपने कब्जे को प्रमाणित करने के लिये व्यवस्था है, अगर कोई आदमी कब्जे में है तो अपना कब्जा साबित करने के लिये जो उसके पास सबूत होगा, पेश कर देगा। केवल ग्राम सभा में इसलिये भेजना चाहते हैं कि उस गांव का गरीब काश्तकार उस गांव के प्रभावी लोगों के पास जाय, सरपंच के घर के दरवाजे खटखटाते रहे, हमेशा उसके अंगूठे के नीचे रहे और मौका पड़ने पर कांग्रेस की मदद करता रहे। मैं यह समझता हूं कि यह अन्याय होगा। आप इसमें क्यों ज्यादा इन्ट्रेस्टेड हैं। आप उसको कहें, जो यह साबित कर देगा कि मेरा कब्जा पुराना है, और जो भी

(श्री भंवरलाल शर्मा)

आपकी कब्जे की शर्त होगी वह आप उसको कह दें, उसको गांव-गांव, घर-घर भटकने के लिये मजबूर नहीं करें तो पर्याप्त है। कोई अगर सबूत पेश कर देगा तो मान लिया जायेगा, नहीं करेगा तो नहीं माना जायेगा। क्यों आप उसे हर व्यक्ति की सेवा करने के लिये भेजना चाहते हैं? जैसा माननीय चन्द्रवीर सिंहजी ने कहा कि जैसलमेर स्टेट के जमाने में यह राइट था ही उसको कि वह अपनी जमीन का ट्रांसफर कर सकता था। मान लो, नहीं भी था, तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि जो व्यक्ति जमीन का मालिक बन गया उसको आप मालिक बना रहे हैं, उसके बाद उसका लड़का मालिक होगा, उसके बाद उसकी पीढ़ियां मालिक होती चली जायेगी। जब यह अधिकार उसको है, तो दूसरा व्यक्ति उसको ले सकता है क्या। नहीं ले सकता है। जब उसका यह अधिकार है, तो जब उस पर कोई संकट आये तो संकट के समय आप उसको यह अधिकार नहीं देंगे, इसके पीछे क्या मंशा है आपकी? केवल उस गरीब के ऊपर यह रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, जो किसी पर नहीं लगाई जा रही है। उस पर लगा रहे हैं केवल ताकि कुछ सरकारी अधिकारियों या राजनैतिक दबाव में पड़ा रहे हमेशा। यह जो आपकी मंशा है, यह मैं समझता हूं कि आप क्लियर नहीं कर सके। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ग्राम सभा के चक्कर से बचाइये।

एक माननीय सदस्य ग्राम सभा प्रजातांत्रिक है।

श्री भंवरलाल शर्मा : बहुत प्रजातांत्रिक है। प्रजातन्त्र का लाभ भी वही उठा पायेगा जो प्रभावी होगा। जो प्रभावी नहीं होगा वह इस प्रजातन्त्र का लाभ नहीं उठा पायेगा इसलिए कब्जे के सबूत के लिए जो भी प्रमाण कानून में आवश्यक है वह जुटायेगा और प्रस्तुत करेगा और तब आप उसको अधिकार देंगे। जब आपने शहरों में कब्जे कराये तब आपने कौन से प्रमाण पत्र मांगे थे? एक एफिडेविट मांगा था केवल। आप एफिडेविट दे दीजिए, उस एफिडेविट के आधार पर हम आपका कब्जा सबूत मान लेंगे। यह भी आपको एक एफिडेविट देगा, अड़ोस पड़ोस के लोगों से एफिडेविट दिलवायेगा। किसी प्रकार से अपने कब्जे को प्रमाणित करने का अधिकार आप उसी पर छोड़िये। ग्राम सभा में वह जायं और वहां लोगों की खुशामदें करता रहे, जगह जगह घूमता रहे, जैसे आप वोटों के समय लोगों के घरों पर जाते हैं कि भई मुझे वोट देना, काकाजी मुझे वोट देना, भतीजा जी मुझे वोट देना, ऐसी परिस्थिति में क्यों डालना चाहते हैं आप उस आदमी को। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जब आपके मन में बिल्कुल सफाई है, जब आप निश्चित रूप से उनकी मदद करना चाहते हैं, गरीब काश्तकारों को हक देना चाहते हैं तो फिर उनको सब बातों से मुक्त रखिये। आप यह क्यों पाबन्दियां लगा रहे हैं उसके ऊपर। मेरा निवेदन है कि यह जो बाधायें हैं इनको हटाकर विधेयक पास करें तो निश्चित रूप से गरीब आपकी जयजयकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय,

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय,

(श्री हीरालाल देवपुरा)

कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने इस वक्त भी जो शंका उत्पन्न की है वह पहले भी आपने की थी और वही चीज रिपीट की है। मैंने उनका जवाब दे दिया है। मैं फिर उनकी बात का जबाब देने की आवश्यकता महसूस नहीं करता।

अध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई और उनकी तुलना की उन लोगों से जिनके नाजायज कब्जे हैं, उनको तो हम रेगुलेराइज कर रहे हैं, उनको खातेदारी राइट्स दे रहे हैं तो इनके तो पुराना कब्जे हैं इनके ऊपर यह शर्त क्यों लगाते हैं कि इस तरह के सबूत पेश करें, वह करें उनको सारी चीजों से मुक्त करना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन बातों को लेकर आप तुलना कर रहे हैं वह तो इस पर लागू यों नहीं होती कि नाजायज कब्जे जहां रेगुलेराइज करने के और आवंटन करने के लिए हमने फैसला किया है वह भूमिहीन लोगों के लिए किया है जिन्होंने राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में जहां कहीं जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया क्योंकि राज्य की यह नीति रही है कि भूमिहीन लोगों को हम जमीन देना चाहते हैं। भूमिहीन होने की वजह से उसने कोई कब्जा कर लिया और वह जमीन अगर कानून के अन्तर्गत अलाट की जा सकती है, नियमन की जा सकती है तो उस जमीन का हम नियमन कर दें। तो यह नियमन का प्रश्न नहीं है। यहां तो प्रश्न है कि जो राइट्स उनको थे और टेम्प्रेरी उनको टिनेन्ट बना दिया था उस टेम्प्रेरी टिनेन्सी को हटा करके उनको खातेदारी टिनेन्ट बनाना। इसलिए उनको खातेदारी टिनेन्ट बनाने का हमने इसमें राइट दिया है। अब सवाल यह रहता है कि उनको एक लिमिट से कम क्यों किया। तो मैं साफ कह चुका हूं कि 1979 में जिन लोगों को राइट्स दिये थे और इन लोगों को जो आज राइट मिलने वाले हैं उसमें और इसमें डिफरेन्स है। इसीलिए तो 79 में दिये हुए राइट्स के अनुसार यह खातेदार नहीं बन सके। यदि उसी हिसाब से टिनेन्ट होते तो 79 में यह भी खातेदार बन गये होते। लेकिन यह उस तरह के टिनेन्ट नहीं हैं। यह टिनेन्ट वह हैं जिनको केवल इनहैरिन्ट राइट्स थे, जिनको केवल पुश्तैनी राइट्स थे और ट्रांसफरेबल राइट्स नहीं थे। इसलिये हम अब जो राइट्स दे रहे हैं वह तो पूरे खातेदारी का राइट होगा जो कि ट्रान्सफरेबल राइट होगा। जो हम चाहते हैं, गरीब लोग हैं वक्त पड़े तो प्रापर्टी बेचकर अपने घर का, परिवार का काम चला सकते हैं, अपना काम निकाल सकते हैं। तो हम तो जो राइट्स नहीं थे वह राइट्स दे रहे हैं। इनके पास आने के बाद जमीन बिक सकती है उनके द्वारा, यह बेच सकते है लेकिन जो प्रोविजन्स कोलोनाइजेशन एक्ट में लगे हुए हैं उनकी पालना तो इनको करनी होगी और उसके हिसाब से यह जमीन बेच सकेंगे। तो मैं नहीं समझता कि इसमें किसी तरह का सन्देह करने की बात है।

दूसरी बात ग्राम सभा की कही गयी। तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि यदि कोई लिखित सबूत लाके दे देता है और सबूत मिल भी सकते हैं, मैं नहीं कहता कि सबूत मिल नहीं सकते क्योंकि मैंने कहा है कि 55 में जो हमने खातेदारी राइट्स दे दिये थे और 1957 या 58 में जब भी हमने वापस लिये हैं, जब इनके खातेदारी राइट्स

(श्री हीरालाल देवपु ा)

लेकर इनको टैम्प्रेरी टिनेन्ट बनाया है तो उस पीरियड में जब यह खातेदारी टिनेन्ट बन गये थे तो उनके रिकार्ड आफ राइट्स में यह आ ही गया होगा। रिकार्ड पर आ ही गये होंगे। नहीं आने का प्रश्न नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं कोई रह गया है तो यह हक मिल जाय कि ग्राम सभा में सबूत करवा दे। तो यह तो एडीशनल है। कहीं यह नहीं है कि हमेशा ग्राम सभा के पास जाना ही पड़ेगा ग्राम सभा में जाने की तो उस समय जरूर पड़ेगी कि जब किसी तरह का कोई सबूत उसको नहीं मिलता है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, कहीं शंका नहीं है और बिल्कुल उस क्षेत्र के उन लोगों के हित का है जिनको आज तक अधिकार नहीं मिले थे। अब उनको अधिकार मिलेंगे और अपने आपको वह खातेदारी टिनेन्ट कहने के अधिकारी हो जायेंगे। इसलिए इसको पारित किया जाये।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, एक कीमत के बारे में स्पष्ट नहीं किया।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी: अध्यक्ष महोदय, पांच-पांच साल से जो परिवार जमीन पर काबिज चले आ रहे हैं आज आप उनको बेदखल करके 25 बीघा दे रहे हैं और 25 बीघा की कीमत ले रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप उन काश्तकारों को एट पार राजस्थान के और काश्तकारों की तरह ट्रीट नहीं कर रहे है।

श्री देवीसिंह भाटी : कीमत किस बात की ले रहे हैं हम तो यह स्पष्ट कराना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपने यह बात कह दी थी।

श्री महाराम चौधरी

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यही स्पष्टीकरण चाहता हूं कि यदि आपने कोई कीमत रखी तो जो आदमी वहां काबिज हैं और जिसके पास सबूत है यह चीज तो उसके पास है लेकिन आज उसके पास 27 हजार रुपये देने के नहीं हुए तो भंवरलालजी जैसे पैसे देकर उस जमीन पर कब्जा कर सकेंगे और उनके पास में वह जमीन नहीं रहेगी। एक तो मेरा यह है कि इसमें आप कीमत मत रखिये।

दूसरे एक और है……

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अब आप नये पाइण्ट्स नहीं उठायेंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा कीमत के बारे में स्पष्ट कर दूं……

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक बात और है……

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपने पहले तो डिबेट में हिस्सा नहीं लिया। अब कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि आपको दुबारा बोलने का अवसर दूं।

श्री महाराम चौधरी : मैंने तो सोचा था कि थर्ड रीडिंग पर बोलूंगा……

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बैठ जायें।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक कीमत की बात कही गयी है

(श्री हीरालाल देवपुरा)

इसको मैं पहले से कहता चला आ रहा हूं कि इसमें कीमत क्यों रखी है। मैं और निवेदन कर दूं कि हमने कोई उन लोगों से एकमुश्त वसूल करने की बात नहीं कही है। यह इन्सटालमेन्ट में होगी। आपने खुद अभी कहा था कि कीमत छोड़ दीजिए और बेटरमेंट लेवी ले लीजिए। कीमत जब आप ले रहे हैं और इन्सटालमेंट में ही ले रहे हैं तो बेटरमेंट लेवी देने के लिए सक्षम हैं तो यह क्यों नहीं दे देते।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर।

इस पर चर्चा नहीं होगी माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

कृपया विराज जायें।

आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य थोड़ा नियमों का पालन करें।

(व्यवधान)

आपकी बात सुन ली।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर। कृपया बैठ जायें।

प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1983 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1983 को पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तद्नन्तर सदन की बैठक सायं 6.47 बजे वृहस्पतिवार, दिनांक 8 सितम्बर, 1983 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

———

परिशिष्ट 1

परिशिष्ट "अ"

(तारांकित प्रश्न संख्या 67 के परिशिष्ट)

विद्युत (सप्लाई) अधिनियम 1948 की धारा 44 के अन्तर्गत विद्युत मण्डल द्वारा विभिन्न उपभोक्ताओं को स्वीकृत किये गये डीजल जनरेटिंग सैटों की संख्या

(दि. 1–4–82 से 31–12–82)

क्रमांक	उपभोक्ता का नाम	कुल क्षमता के. वी. ए. में
1	2	3
	अजमेर वृत्त	
1.	मैं. निधि पैकिंग इन्ड. 13/594, आमरा गेट, अजमेर	3
2.	मैं. शिव आइस केन्डी, एराइन, अजमेर	10
3.	मैं. स्वास्टिक बैटरी कारपोरेशन पीली कोठी, पृथ्वीराज रोड, अजमेर	6
4.	मैं. एस. एन. माथुर एण्ड क. 152 सिविल लाइन्स, किशनगढ़ कोठी के सामने, अजमेर रोड, अजमेर	80
5.	मैं. श्री सतगम कटपीस क्लाथ स्टोर गांधी बाजार, अजमेर	1
6.	मैं. लक्ष्मी बेकरी, मदार गेट, अजमेर	1
7.	मैं. चैम्पियन इन्ड., एफ-159, इन्डस्ट्रीयल एरिया, बीडीयाद, मकराना	30
8.	मैं. टोशनीवाल मैटल, 4/485 सरदानन्द बाजार, ब्यावर	15
9.	मैं. एम. इन्डियन मार्बल वर्क्स, बाई पास रोड़, मकराना	30

1	2	3
10.	मै. ममता मार्बल, ई—208, इन्डस्ट्रीयल एरिया, मकराना	30
11.	मै. श्री सर्वेश्वर एसबेस्टोस सीमेन्ट प्रोडक्टस स्टेशन रोड, डीडवाना	20
12.	मै. महावीर मार्बल प्रा.लि. मकराना रोड, बोराबर मकराना	250
13.	मै. जे.के. सीमेन्ट वर्क्स, पी. ग्रो. गोतम डिस्ट्रिक्ट, नागौर	8560
14.	मै. एस. एस. मार्बल्स (इन्डिया) प्रा. लि. इन्ड. एरिया, मकराना (ए–98, जनता कालोनी, जयपुर)	237.5
15.	मै. श्री सीमेन्ट लि. ब्यावर	110
16.	मै. केसेट एन्टरप्राइजेज, ब्यावर	200
18.	मै. कुमार टालकिग्रोस, अजमेर	18
18.	मै. आदित्य मिल्स लि. अजमेर	860
19.	बजाज फेल्ट मेन्यूफेक्चरिंग क. नागौर	25
20.	मै. ज्योति एन्टरप्राइजेज किशनगढ़	10
21.	मै. एस. दीवान मार्बल्स ट्रेडर्स, मकराना	30
22.	में. के. एफ. डायमन्ड मार्बल प्रा.लि. मकराना	60
23.	मै. ओसवाल मार्बल वर्क्स, मकराना	275
24.	मै. लक्ष्मी केमिकल्स, नागौर	65
25.	मैं. चौधरी फोरोक्वाली एण्ड मार्बल क., मकराना	160
26.	मै. आदित्य सिन्थेटिक्स प्रा.लि. नागौर	62.5
27.	मै. मुकेश मार्बल प्रा.लि. मकराना	160
28.	मै. एस.आर. मेटालिक यार्न टेक्सटाइल, नागौर	7·5
29.	मै. शालीमार मार्बल्स प्रा.लि. मकराना	125
30.	मै. एसोसिऐटेड एमेरी इन्डस्ट्रीज, नेवा	60
31.	मै. अरुणोदय मार्बल एण्ड मिनरल, मकराना	62.5
32.	मै. रामदीर मार्बल एण्ड मिनरल, मकराना	100

1	2	3
33.	मै. गुलाम रसूल गीलाजी, मकराना	180
34.	मै. बजरंग मार्बल प्रा.लि. मकराना	65
35.	मै. विमल ग्राइल मिल्स, मेडता सिटी	50
36.	मै. मेडता ग्राइल मिल्स कं. मेडता सिटी	60
37.	मै. मदन मोहन ट्रेडिग क. मेहता सिटी	60
38.	मैं. नीतू जी. ग्राई वायरनेस इन्ड. ग्रजमेर	10
39.	मै. घृत मार्बल्स प्रा.लि. मकराना	200
40.	मै. मीरा ग्राइल इन्ड. मेडता सिटी	50
41.	मै. सुप्रिम इन्डस्ट्रीज प्रा.लि. ग्रजमेर	50
42.	मै. बीटी कन्डक्टर्स प्रा.लि. ब्यावर	180
43.	मै. भाटी एण्ड भाटी मार्बल. मकराना	100
44.	मै. नवनीत मार्बल इन्डस्ट्रीज, मकराना	80
45.	मै. प्रकाश रेडियो कं नागौर	2
46.	मै सोमनाथ साल्ट उद्योग, नागौर	10
47.	मै. हिमालय ग्राइल फैक्ट्री, नागौर	40
48.	मै. हजारी सोडियम एण्ड केमिकल्स, नागौर	30
.49	मै. हमदर्द मार्बल इन्डस्ट्रीज, मकराना	50
	ग्रलवर सर्किल	
50.	मै. श्रीराम मिनरल्स, ग्रलवर	125
51.	जेट-ग्रो-माइजर्स, इन्डिया ग्रोयल, ग्रलवर	310
52.	मैं. गुप्ता ग्रोइल इन्डस्ट्रीज, ग्रलवर	32
53.	मै. भारत मिनरल एण्ड केमिकल्स, ग्रलवर	60
54.	मै. किशोर टैक्सटाइल्स, ग्रलवर	62 5
55.	मै ग्राइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज, ग्रलवर	62·5
56.	मै. राठी ग्रलोएस एण्ड स्टील लि. ग्रलवर	8235
57.	मै. प्रकाश पेन्टस, ग्रलवर	125
58.	मै. रामनारायण एण्ड ब्रदर्स, ग्रलवर	7·5
59.	मै पवन उद्योग, ग्रलवर	7·5
60.	मै. मोदी ग्रलकालीज एण्ड केमिकल्स, ग्रलवर	9412

Page No. 197

(197)

1	2	3
61.	मै. मानसरोवर स्टील इन्डस्ट्रीज, अलवर	30
62.	मै. भारत एलम्स एण्ड केमिकल्स प्रा. लि. अलवर	582
63.	मै. सिलपातवाल इन्सलेशन कं. अलवर	30
64.	मै. नेशनल बुशिग्स, अलवर	15·63
65.	मै. युनिवर्सल सिलेन्डर लि. अलवर	125
66.	मै. नेशनल इन्जीनियरिंग वर्क्स, अलवर	15
67.	मै. विजय आइल मिल्स,	125
68.	मै. सराफ सिन्थेटिक्स लि. अलवर	500
69.	मै. कोटसन्स इलेक्ट्रिकल्स प्रा. लि. अलवर	82·5
70.	मै. यूनिटेक टेक्नीकल सर्विसेज प्रा. लि. अलवर	170
71.	मै. जी. एल. इन्जिनियरिंग वर्क्स, अलवर	28.85
72.	मै. श्री गोपाल उद्योग, अलवर	62.5
73.	मै. श्री पदम पेपर मिल्स लि. अलवर	350
74.	मै. श्री नरेश चन्द्र गुप्ता द्वारा नारायण फोटोज कापीयर्स, अलवर	2.5
75.	मै. क्राउन केरामिक्स लि. अलवर	825
76.	मै. वायर, प्रोडक्टस, अलवर	160
77.	मै. अशोक जिप फास्टनर्स प्रा. लि. भिवाड़ी	40
78.	मै. इण्डिया इलेक्ट्रोनिक्स लि. भिवाड़ी	125
79.	मै. जनरल इन्जिनियरिंग वर्क्स, भरतपुर	500
80.	मै. सुमित टेक्सटाइल्स प्रा. लि. अलवर	30
81.	मै. हंसराज ब्रदर्स, अलवर	100
82.	श्री पराग इन्डस्ट्रीज, भरतपुर	125
83.	मै. श्री दाल मिल्स, खेरली	62.5
84.	मै. जयपुर सिन्टेक्स लि. अलवर	1200
85.	मै. ओरियन्ट एग्रामिल्ज लि. भिवाडी	860
86.	रंजीत स्टील्स बेहरोर, अलवर	225
87.	मै. पेलीकान केरामिक्स इन्ड. प्रा. लि. भिवाड़ी	350
88.	मै. सतसुवन पेपर मिल्स लि. खेरली	500
89.	मै. समतल इन्डिया लि. अलवर	825
90.	मै. इन्डार रबर लि. अलवर	1100

1	2	3
91.	मै. राना स्टील्स बेहरोर इन्ड. भिवाड़ी	225
92.	मै. जैम वाज मैन्यूफेक्चरिंग इन्ड. भिवाड़ी	1.5
93.	मै. एल. पी. कास्टिंग्स प्रा. लि. भिवाड़ी	120
94.	मै. ग्लोब केमिकल्स, भिवाड़ी	60
95.	मै. परफोरमेन्स प्लास्टिक्स प्रा. लि. भिवाड़ी	62.5
96.	ई. सी. एस. पेपर लि. भिवाड़ी	350
97.	मै. अजय पेपर मिल्स लि. भिवाड़ी	900
98.	मै. प्रकाश इन्डस्ट्रीज, भिवाड़ी	62.5
99.	धिलोटिया एन्टरप्राइजेज, अलवर भिवाड़ी	30
100.	मै. स्पीन्टेक्स ट्यूब्स एण्ड कडोन्स प्रा. लि. भिवाड़ी	250
101.	मै. इन्डट्रेड, भिवाड़ी	15
102.	मै. हैरिश हिस्ट एक्रने क. इण्डिया प्रा. लि. भिवाड़ी	15
103.	मै. अरावली सिलेन्डर्स प्रा. लि. भिवाड़ी	150
104.	मै. लक्ष्मी स्टील्स प्रा. लि: भिवाड़ी	110
105.	मै. सहरान पल्पट बोर्ड प्रा. लि. अलवर (भिवाड़ी)	200
106.	मै. ठाकुर दास एण्ड कं. भिवाड़ी	62.5
107.	मै. आरती एम्ब्रायडरी, भिवाड़ी	22.85
108.	मै. आनन्दपुरी ट्रस्ट, भरतपुर	103
109.	मै. चोमी नोवा इन्ड. प्रा. लि. अलवर	30
110.	मै. विश्वा वियोग इन्ड. भरतपुर	40

भीलवाड़ा वृत्त

111.	मै. गोधा एण्ड क. भीलवाड़ा	49
112.	मै. दाउद कासम उस्ता एण्ड क. भीलवाड़ा	10
113.	मै. भगवती पोलिटेक्स, भीलवाड़ा	62.5
114.	मै. श्री अलोयस एण्ड इन्ड. प्रा. लि. भीलवाड़ा	63
115.	मै. राजस्थान बायोफर्टीलाइजर्स इण्ड. भीलवाड़ा	75
116.	मै. महेश्वरी टैक्सटाइल्स, भीलवाड़ा	30
117.	मै. गिरिराज पेपर्स, भीलवाड़ा	125
118.	मै. राजस्थान प्रोकोमर्स इण्डिया भीलवाड़ा	375
119.	मै. राजस्थान कोपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. भीलवाड़ा	30

1	2	3
120.	मै. कैलाश टाकिज, भीलवाड़ा	8
121.	मै. मोर्डन थ्रेड्स इण्डिया लि. भीलवाड़ा	400
122.	मै. बिरला सीमेंट वर्क्स, चित्तौडगढ़	1450
123.	मै. अरुण माइका इण्ड. भीलवाड़ा	125
124.	मै. मूनाक्षी टैक्सटाइल्स, भीलवाड़ा	40
125.	मै. डीटेक्स प्रोसेस इण्डिया लि. भीलवाड़ा	250
126.	मै. डीटेक्स टैक्सटाइल इण्डिया लि. भीलवाड़ा	250
127.	मै. डीटेक्स टेक्सीलोस इण्डिया लि. भीलवाड़ा	250
128.	द मेवार डिस्ट्रीलाइर्स एण्ड केमिकल्स वर्क्स; चित्तौड़गढ़	70 5
129.	मै. मनोहरलाल पुत्र पेरुमल भीलवाड़ा	5
130.	मै. गोविन्द मार्बल्स पी. लि. चित्तौड़गढ़	125
131.	मै. सुपर सिन्कोटेक्स इण्डिया लि. गुलाबपुरा	1780
	बीकानेर वृत्त	
132.	श्री श्यामलाल एण्ड ग्रोइल मिल्स, बीकानेर	125
133.	मै. सुमन वूलन मिल्स, बीकानेर	40
134.	मै. मोहिनी केमिकल एण्ड मिनरल इन्ड. बीकानेर	40
135.	मै. संखाला भाजिया भण्डार, बीकानेर	10
136.	मै. अमर दीप उद्योग, बीकानेर	73.5
137.	मै. बीकानेर पोलिथीन प्रोडक्टस, बीकानेर	73.5
138.	मै. जगदीश डीजल्स, श्री गंगानगर	7.5
139.	मै. श्री गंगानगर प्रिंटिंग प्रेस एण्ड कोपी निर्माता सहकारी लि. श्री गंगानगर	3
140.	अन्नपूर्णा तेल उद्योग, हनुमानगढ़	125
141.	मै. चडक गंम एण्ड केमिकल इन्ड. बीकानेर	125
142.	मै. पारीक फोटोस्टेट सेन्टर, सादुलपुर	2.5
143.	मै. दुर्गा काटन इन्ड., बीकानेर	15
144.	मै. जय फोटोस्टेट, हनुमानगढ़ टाउन	2.2
145.	मै. पोरीवाल उद्योग, श्री गंगानगर	125
146.	मै. गांधी आश्रम, सुजानगढ़	15
147.	मै. सेठ नन्दलाल दौलतराम भिवानी हनुमानगढ़	20

1	2	3
148.	मै. मोहन लाल जैन एण्ड क., सूरतगढ़	3
149.	मै. कानोडिया सेवा केन्द्र, मुकुन्दगढ़	23.85
150.	मै. श्रीगंगानगर फर्टीलाइजर्स कारपोरेशन, हनुमानगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर	250
151.	मै. बिरला फार्मास्यूटिकल्स, श्रीगंगानगर	10
152.	मै नेशनल बिस्किटस, हनुमानगढ़	180
153.	मै. अग्रवाल दाल आइल मिल एण्ड जनरल मिल्स, पिलिबागान	125
154.	मै. पोरीवाल ब्रादर्स, पिलिबागान	75
155.	मै. पोरीवाल उद्योग, हनुमानगढ़ जक्शन	75
156.	मै. गंग काटन एण्ड आइल इन्ड. पिलिबागान	125
157.	मै. विजय इन्ड. हनुमानगढ़ जक्शन	82.5
158.	मै. सूरत काटन जिनिंग एण्ड प्रोसिंग फैक्ट्री, सूरतगढ़	4
159.	मै. अग्रवाल सर्जिकल कारपो. श्रीगंगानगर	4
160.	चौधरी काटन एण्ड जनरल मिल्स श्री गंगानगर	125

झुन्झुनू वृत्त

161.	मै. लक्ष्मी कन्फैक्शनरी नमकीन भण्डार झुन्झुनू	6
162.	मै. हिन्दुस्तान कापर लि. झुन्झुनू	4706
163.	मै. झुन्झुनू गोटा उद्योग, झुन्झुनू	7.5
164.	मै. विशाल स्टील इन्ड., चिढ़ावा	6.1
165.	मै. चिरानिया आइल मिल्स मुकुन्दगढ़	40
166.	मै. हिन्दुस्तान कापर लि. खेतड़ीनगर	941
167.	मै. जगदीश पंडित पुत्र श्री हरिप्रसाद शाह, चिढ़ावा	10
168.	मै. झुन्झुनू डीजल्स, चिढ़ावा	5

जयपुर नगर वृत्त

169.	मै. एशिया सीविंग मशीन मैन्यूफैक्चरिंग प्रा. लि, जयपुर	
170.	मै. अग्रवाल ब्रादर्स कास्टिंग, जयपुर	30
171.	मै. महाराजा टैक्सटाइल्स प्रिंटर्स, जयपुर	5.
172.	मै. सुराना पावर इक्विपमेंट प्रा. लि. जयपुर	15

Page No. 201

(201)

1	2	3
173.	मै गौरी शंकर ग्राइल एण्ड दाल मिल, जयपुर	100
174.	मै. लक्ष्मी मन्दिर, जयपुर	30
175.	मै. स्पिनिंग एग्रोसिरीज, प्रा. लि. जयपुर	125
176.	मै. स्पिनिंग एसोसिरीज प्रा. लि. जयपुर	63
177.	मै. कृष्णा इण्डस्ट्रीज, जयपुर	5
178.	मै. जयपुर मेटल रोलिंग मिल्स, जयपुर	67
179.	मै. राजस्थान एबेसेटस गिसीसेन्ट क. जयपुर	30
180.	मै. राज श्री पिक्चर्स प्रा. लि. जयपुर	1
181.	राजश्री प्रोडक्शन प्रा. लि. जयपुर	0.5
182.	मै जयपुर टैक्सटाइल ट्रेडर्स, जयपुर	1
183.	मै. गजानन्द केमिकल्स, जयपुर	125
184.	मै. सांगानेर प्रिंटिंग एण्ड डाईंग वर्क्स, जयपुर	1.4
185.	मै. सोनार प्रोसेसर्स, जयपुर	2.5
186.	मै. राजेश एन्टरप्राइजेज, जयपुर	75
187.	मै. गम टेक. जयपुर	75
188.	मै. कमल एण्ड क. कोच वर्क्स, जयपुर	12.5
189.	मै. हरिनारायण एण्ड सन्स कोच बिल्डिर्स, जयपुर	33
190.	मै. रोहतास इन्ड] लि. जयपुर	1042.5
191.	मै. कमल फावर्ड इन्ड. जयपुर	125
192.	मै. ग्रलाइड केमिकल्स एण्ड फानेटिक्यूलस प्रा. लि. जयपुर	25
193.	मै. जगन्नाथ सूरज वर्क्स, जयपुर	1.7
194.	मै. इण्डियन मार्केटिंग कारपोरेशन, जयपुर	15
195.	मै. राधा स्वामी सत्संग, जयपुर	15
196.	मै. जयपुर इलेक्ट्रिक प्रा. लि. जयपुर	45
197.	मै. ग्ररावली फार्माटिकल्स, प्रा. लि. जयपुर	10
198.	मै. सोगानी उद्योग, जयपुर	30
199.	मै. शक्ति लाइन्स प्रा. लि. जयपुर	18.75
200.	मै. ग्ररुणोदय फाउण्डरीज, जयपुर	62.5
201.	मै. जयपुर ग्रलोया प्रा. लि. जयपुर	200
202.	मैं. विजय मेटल इन्ड. कानोता	15
203.	मै. राजस्थान वूलन इन्ड. जयपुर	122.5

1	2	3
204.	मैं. प्रेम इन्ड. जयपुर	25
205.	मै. श्री भगवती रोलिंग मिल्स, जयपुर	125
206.	मै. अनिता मिनरल इन्ड. जयपुर	125
207.	मै. चौधरी इन्टरनेशनल जालुपुरा डि. टोंक	200
208.	प्लास्टोनेट, जयपुर	125
209.	मै. प्रताप राजस्थान कापर फोइल्स एण्ड लेफिनेटर्स लि. जयपुर	1100
210.	मै. स्पीडर टायर एण्ड ट्यूब्स जयपुर	75
211.	मै. जयपुर ग्लू प्रोडक्टस विला जयपुर	10
212.	मै. प्रदेश इन्टरनेशनल, जयपुर	50
213.	मै. जयपुर बोटलिंग क. जयपुर	75
214.	मै. प्रताप राज. स्पेशियल स्टील्स लि. जयपुर	14706
215.	मै. नेशनल इन्जिनियरिंग इन्ड. टोंक	1100
216.	मै. सिध्दा केमिकल्स, जयपुर	180
217.	मै. ठमोडर्न बोराज, जयपुर	12.5
218.	मै. पोलिशिंग एण्ड ग्राइन्डिंग इन्ड. गंगापुर सिटी	81
219.	मै. जयपुर एलोए प्रा. लि. जयपुर	250
220.	मै. जयपुर लेम्पस कम्पोनेन्टस जयपुर	81.25
221.	मै. आटोलाइट इण्डिया प्रा. लि. जयपुर	62.5
222.	मै. वन्दना केमिकल्स, जयपुर	75
223.	मै. पुरोहित इन्ड. जयपुर	40
224.	मै. शक्ति माल्ट लि. जयपुर	170
225.	मै. चन्द्रा इन्ड. जयपुर	62.5
226.	मै. दीप चन्द नाहटा, जयपुर	15
227.	मै. खेतान सिन्थेटिक्स प्रा. लि.	100
228.	मै. दि राजस्थान इन्ड. कारपोरेशन जयपुर	125
229.	मैं. शारदा इन्टरप्राइजेज, जयपुर	18.75
230.	मै. जयपुर स्टील स्ट्रिप्स, जयपुर	30
231.	मै. अवन्तिका मेटल प्रा. लि. जयपुर	22
232.	मै. श्री भगवती रिरोलिंग मिल्स, जयपुर	62.5
233.	मै. जय विलनिंग शाहपुरा	3.5
234.	राजस्थान प्लास्टिक इन्ड. जयपुर	120

1	2	3
235.	मै. नोवल्टी टूल्स एण्ड गेगेज, जयपुर	37.5
236.	मै. जयपुर वायर इन्ड. जयपुर	100
237.	मै. अमृत बिस्कुट प्रा. लि. जयपुर	325
238.	मै. थाम्र सन्स पाईप एण्ड इलेक्ट्रीकल्स प्रा. लि. जयपुर	100
239.	मै. इन्डोक्रेटस प्रा. लि. जयपुर	30
240.	मै. श्री दुर्गा प्लास्टिक, जयपुर	50
241.	मै. ए अन्मलड टेन्क वायर मैल्यू कं. जयपुर	75
242.	मै. नेशनल मिनरल्स क. जयपुर	30
240.	मै. मिनरल ओरियन्टल लि. फालना	62.5
241.	मै. अग्रवाल कडक्टर्स प्रा. सिरोही	200
242.	मै. रंगवाला टेक्सटाइल मिल्स बालोतरा	30
243.	मै. नेशनल भवासर इण्ड. पाली	20
244.	मै. आनन्द कुमार प्रोफल चन्द एण्ड कं. मारवार	3.5
245.	मै. राजकुमारी बोहरा एण्ड क. मारवार	7
246	मै. नाहटा फॅब्रिक्स पाली मारवार	7.5
247.	मै. राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स, मारवार	3
248.	मै. हुकमी चन्द संचार, मारवर	10
249.	मै. हिन्दुस्तान लाइम प्रोडक्टस सोजती रोड	30
250.	मै. मोदी केमिकल इन्डस्ट्रीज सोजती रोड	60
251.	मै. वृज मोहन गोवा सोजती रोड़	20
252.	मै. कांकरिया फॅब्रिक्स, मारवर	12
253	में. राम रूप गंगा विशन, सोजती रोड	
254.	मै. डी. के. त्रिवेदी एण्ड सन्स, आबू रोड	92.5
255.	मै. जैन केवल्स प्रा. लि आबू रोड	160
256	मै जल मधु कारपो. आबू रोड	75
257.	मै. मृगराज एन्टरप्राइजेज, पाली	50
258.	मै. विजय लक्ष्मी प्रोस्टेलेड इण्ड सोजत सिटी	10
259.	मै. भारत स्टील, पाली	7.5
260.	मै राजहंस प्रोसेसिंग मिल्स बालोतरा	10
261.	मै. स्ट्रा प्रोडक्टस लि. सिरोही	82.5
262.	मै. पोरवाल इण्ड. सोजत सिटी	5

1	2	3
263.	मै. डी. के. सिंघल इण्ड बालोतरा	10
264.	मै. प्रियंका टेक्सटाइल इन्ड. मारवर	20
265.	मै. जय महादीप फोल्ड धर्मपुरा मारवार	25
265,	मै. जय अम्बा टेक्सटाइल पाली	
267.	मै. हेमरतन टेक्सटाइल मिल्स बालोतरा	20
268.	मै. गोलेछा टेक्सटाइल मिल्स बालोतरा	20
269.	मैं. माइ फोल्ट इण्ड बालोतरा	38
270.	मै. महाविजय प्रिंटिग मिल्स बालोतरा	38
271.	मै. गणेश राज महावीर चन्द बालोतरा	24
272.	मै. मंडोत टेक्सटाइल मिल्स बालोतरा	15
273.	मै. महा पारस प्रोसेसिग क. बालोतरा	21.5
274.	मै. मालीनाथ इण्ड. बालोतरा	7.5
275.	मै. महा संपत टेक्सटाइल बालोतरा	14
276.	मै. स्ट्रा प्रोडक्टस मारवार	9412
277.	मै. पी के डाइंग इण्ड मंडिया रोड	7
278	मै. गोल्डन इन्डिया फिटिंग मिल्स बालोतरा	20
2`9.	मै. मास्टर कलेन्डर क्लोथ फिनिशिंग वर्क्स बालोतरा	62.5
280.	मै. नरेश टेक्सटाइल मिल्स मारवार	10
281.	मै. नगर कन्फेशनरी वर्क्स सिरोही	3.5
282.	मै. मंगीराम टेक्सटाइल इण्ड. बालोतरा	12
283.	मै. जयेश इन्ड. कारपोरेशन मारवाड़	10
284.	मै. प्रेम केवल्स प्रा. लि. पाली	350
285.	मै. एम दीपक इन्ड. मारवाड़	1
286,	मै. लक्ष्मी गन इन्ड सोजत सिटी	62.5
287.	मै. सिंघानिया टेक्सटाइल सोजत सिटी	10
288.	मै. संदीप इन्ड पाली	7.5
289.	मै. श्री शक्ति आइल एण्ड दाल मिल्स इन्ड पाली	62.5
290.	मै. डी डी टेक्सटाइल्स मिल्स बालोतरा	15
291.	मैं. अग्रवाल ट्रांसफोमर्स शूगंज	200
292.	मै.	1
293.	मै. जैन अग्रिको फालना	31.25

1	2	3
294.	मै. भालविया उद्योग, मारवाड़ जंक्शन	15
295.	मै. प्रभु टेक्सटाइल इन्ड मारवाड़	5
296.	मै. भारत मेटल एण्ड आइरन इन्ड लि: आबू रोड वर्क्स, सिरोही	15
297.	मै. त्रिरूपति फाइवर्स एण्ड इन्ड. लि. आबू रोड	400
298.	मै, प्रिति केमिकल्स प्रा, लि, सोजती सिटी	40
299.	मै, परमनन्द एण्ड क. सोजती सिटी	40
300.	मै. श्री प्रिटस पाली	7.5
301.	मै. सुमित एग्रो उन्ड पाली	10
302.	मै. महारतन टेक्सटाइल्स बालोतरा	10
303.	मै. एन एन सोजतवाला एण्ड क. सोजत सिटी	40
304.	मै. त्रिप्ती फाइवर्स एण्ड इन्ड. लि. आबू रोड	460
305.	मै. लोटस पोस्टीसाइडस पाली	200
306.	मै. मोहता आइरन वर्क्स, मारवाड़	10
307.	मै. ज्योति टाकिज पाली	7
308.	मै. मनोज कलेन्डर क. बालोतरा	62,5
309.	मै. स्वास्तिक इन्ड. बालोतरा	14
310.	मै. टेक्सटाइल्स पाली मारवाड़	10
311.	मै. फालना प्लास्टिक इन्ड. फालना	60
312.	मै. महावीर मेटल मैन्यूफैक्चरिंग क. फालना	70
313.	मै. नाहटा टेक्सटाइल इन्ड पाली	13.75
314.	मै. महावीर डाई केम. मारवाड़	10
315.	मै. भोमजी स्टोन क्रशिंग, जैसलमेर	62.5
316.	मै. सुनील टेक्सटाइल इन्ड पाली	10
317.	मै. बाड़मेर स्टोन क्रशिंग क. बाड़मेर	75
318	मै अल्फा एलोय स्टूल्स प्रा. जोधपुर	200
319.	मै. राजस्थान उद्योग, जोधपुर	110
320.	मै. सर्वोदय केमिकल्स, जोधपुर	75
321.	मै. आदर्श मेटल कार्पोरेशन जोधपुर	125
322.	मै एक्यूरेट मेटल्स, जोधपुर	180
323.	मै. फोटो कोपी हाउस, जोधपुर	2.5
324.	मै. आर्या जिक प्रोडक्टस, जोधपुर	200

1	2	3
325.	मै आटोमोबाइल कोपरेटिव वर्कशोप लि., जोधपुर	18.5
326.	मै. फोटो इलेक्ट्रिक इन्ड, जोधपुर	30
327.	मै. पायोनियर फोटो कोपीज, जोधपुर	3
328.	मै. पाहवा इन्ड., जोधपुर	60
329.	मै. लाबी मिनरलस, जोधपुर	125
330.	मै. मित्तल स्टील मेन्यूफेक्चरिंग कं., जोधपुर	180
331.	मै. चौपड़ा केमिकल्स, जोधपुर	180
332.	मै. मोहता मेटल इन्ड., जोधपुर	125
333.	मै. मरुधर कन्डक्टर्स. जोधपुर	125
334.	मै. सुराना मेटलस, जोधपुर	220
335.	मै. अग्रवाल इन्ड. जोधपुर	180
336.	मै. राजस्थान टिम्बर उद्योग. जोधपुर	55
337.	मै. श्री जगतम्बा टिम्बर मार्ट, जोधपुर	25
338.	मै. आनन्द गम प्रोडक्टस, जोधपुर	125
339.	मै. श्री राम मेटलस, जोधपुर	200
340.	मै. बंशी गम इन्ड. जोधपुर	125
341.	मै. राजस्थान डाइ केम इण्ड, जोधपुर	27.5
342.	मै. राजस्थान प्रिंटस, जोधपुर	6.5
343.	मै. कमला इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन, जोधपुर	100
344.	मै. भारत प्रिन्टर्स, जोधपुर	6
345.	मै. विमल ग्वार गम मिल्स. जोधपुर	125
346.	मै. स्टेन्डर्ड वूलन लि., जोधपुर	100
347.	मै. सुगेगी ग्वार गम मिल्स, जोधपुर	125
348.	मै. गंगानगर टेक्सटाइल, जोधपुर	25
349.	मै. पंवार आटोमोबाइल्स, जोधपुर	15
350.	मै. वीना केमिकल्स, जोधपुर	62.5
351.	मै. यूनिवर्सल स्टी इन्ड, जोधपुर	62.5
352.	मै. आदर्श टेक्सटाइल्स, जोधपुर	10
353.	मै. आदर्श साडी प्रिन्टर्स, जोधपुर	6
354.	मै. डीर्थगीग इन्ड., जोधपुर	31.5
355.	मै. श्री पार्श्वनाथ गोल्ड ड्रिंक्स हाउस, जोधपुर	10

1	2	3
356.	मै. जोधपुर डीजल्स, जोधपुर	9
357.	मै. संचेती सिन्थेटिक्स प्रा. लि., जोधपुर	310
358.	मै. संचेती डाइ केम. प्रा. लि., जोधपुर	62.5
359.	मै. रोजी ड्रिंक्स, जोधपुर	75
360.	मै. आइस क्रीम पार्लर, जोधपुर	7.5
361.	मै. भगवती एन्टरप्राइजेज, जोधपुर	125
362.	मै. डायमन्ड फोटोस्टेट, जोधपुर	3
363.	मै. टेक्स प्रिन्टस हाउस, जोधपुर	7.5
364.	मै. ओम टेक्सटाइल मिल, जोधपुर	10
365.	मै. अमर ज्योति टेक्सटाइल प्रोसेसर्स, जोधपुर	62.5
366.	मै. कंचन एन्टरप्राइजेज, जोधपुर	10
367.	मै. गांधी एन्टरप्राइजेज, जोधपुर	110
368.	मै. कामा स्टील्स प्रा. लि., जोधपुर	62.5
369.	मै. जोधपुर साड़ी चप्पल उद्योग, जोधपुर	4.5
370.	मै. दिनेश एन्टरप्राइजेज, जोधपुर	180
371.	मै. दुर्गावती स्टील वर्क्स, जोधपुर	26.5
372.	मै. आनन्द गम केमिकल्स, जोधपुर	180
373.	मै. कैटल फील्ड प्लान्ट, जोधपुर	250
374.	मै. इण्डियन डेयरी इन्टरप्रिनियर्स एग्री कल्चर कं., जोधपुर	360
375.	मै. स्टेण्डर्ड मेटल कारपो., जोधपुर	125
376.	मै. राज पम्पस, जोधपुर	40
377.	मै. राजस्थान पत्रिका लि., जोधपुर	60
378.	मै. होटल आदर्श निवास, जोधपुर	29
379.	मै. संचेत स्टील प्रा. लि., जोधपुर	200
380.	मै. अपेक्स स्टील्स, जोधपुर	125
381.	मै. नीम टेक्सटाइल्स, जोधपुर	22
382.	मै. कैलास टेक्सटाइल, जोधपुर	6
383.	मै. श्री राम टेक्सटाइल्स, जोधपुर	30

कोटा वृत

384.	मै. देहली क्लोथ एण्ड जनरल मिल्स क. लि., कोटा	88235
385.	मै. कृष्णा बोक्स फैक्ट्री, कोटा	5

1	2	3
386.	मै. कोटा बोक्स मैन्यूफैक्चरिंग कं. कोटा	53
387.	मै. ग्रोम मैटल एण्ड मिनरल्स प्रा. कोटा	70
388.	मै. कन्हैया लाल रामेश्वर दाल, कोटा	
389.	मै. सिन्टेक्स, कोटा	65
390.	मै. जे के सिन्थेटिक्स लि , कोटा	25586
391.	मै इन्डो इंजिनियरिंग प्रा. लि., कोटा	250
392.	मै. कोटा लेमिनेटर्स प्रा. लि. कोटा	43
393.	मै. जीवन फासफेट्स एण्ड केमिकल्स प्रा. लि., कोटा	125
394.	मै. जीवन उद्योग यू ग्रो एण्ड डी ई, कोटा	125
395.	मै. ग्रोरियन्टल पावर केबल्स प्रा. लि., कोटा	380
396.	मै. ग्रजय उद्योग, कोटा	80
397.	मै. दीप चन्द नाहटा, कोटा	50
398.	मै. राजस्थान स्टेट सीडस कारपो., कोटा	62.5
399.	मै. सुदर्शन टैक्सटाइल्स, कोटा	860
400.	मै. प्रिमियर पेपर एण्ड बोर्ड मिल्स, कोटा	500
401.	मै. कृष्णा खंडसारी उद्योग, कोटा	125
402.	मै. शम्भु मोटर्स एण्ड ट्रेक्टर्स सर्विस स्टेशन, कोटा बून्दी	15
403.	मै. एसोसिएटेड सीमेंट क. सवाईमाधोपुर	
404.	मै. केवल सुगर्स लक्ष्मीपुरा रोड, बूंदी	125
405.	मै. राजस्थान टैक्सटाइल मिल्स, भवानी मन्डी	1660
406.	मै. दीपक मिनरल ग्राइन्डर्स एण्ड इंजिनियरिंग, कोटा	62.5
407.	मै. एसोसिऐटेड स्टोन इन्ड. लि., रामगंज मन्डी	800
408.	मै. ग्ररिस्टो पल्प एण्ड पेपर्स लि. बूंदी	700
409.	मै. श्रीराम मैकेनिकल वर्क्स, सवाई माधोपुर	7.5
410.	मै. जयपुर उद्योग लि., सवाईमाधोपुर	12353

सीकर वृत

411.	मै. पंसारी मेटालिक यार्न इन्ड., सीकर	12.35
415.	मै. शीतला एल्मयूनियम उद्योग, सीकर	62.5
416.	मै. त्रिलोक स्पिनिंग मिल्स, सीकर	75
417.	मै. ग्रहमद ग्रब्दुल खलिक, सीकर	13

1	2	3
418.	मै. भारत इन्डस्ट्रीज, सीकर	10
419.	मै. अपेक्स मेटालिक यार्न इन्ड, सीकर	8
420.	मै. जयपुर केबल्स एण्ड इन्ड, सीकर	125
421.	मै. जिन्दल मेटालिक यार्न, सीकर	6.6
422.	मै. श्रीराम सीमेंट वर्क्स, सीकर	100
423.	मै. हनुमान सनीद ग्राइल मिल्स, सीकर	40
424.	मै. भिवानी इण्ड., सीकर	10
425.	मै. के. एम. फार्मास्यूटिकल्स, सीकर	10
426.	मै. सुभाष स्टेसन स्टेल इन्ड., श्रीमाधोपुर	30
	उदयपुर वृत	
427.	मै. दयाल फाउन्ड्री एण्ड प्लास्टिक्स वर्क्स, उदयपुर	15
428.	मै. हरिश त्रिवेदी, उदयपुर	62.5
429.	मै. पोपुलर पेकिंग प्रा. लि., उदयपुर	105
430.	मै. राजस्थान हैवी इंजिनियरिंग वर्क्स, उदयपुर	10
431.	मै. राजस्थान कैमिकल्स, उदयपुर	30
432.	मै. यूनिवर्सल माइन्स एण्ड क्रशरिर्स प्रा. लि., उदयपुर	100
433.	मै. अरनेस्ट गैसेज प्रा. लि., उदयपुर	75
434.	मै. कैमिकल इन्टरनेशनल प्रा. लि., उदयपुर	180
435.	मै. अग्रवाल मिनरल्स, उदयपुर	62.5
436.	मै. विकास सिन्थेटिक्स, उदयपुर	62.5
437.	मै. माइल्स कन्संटक्शन प्रा. लि., उदयपुर	170
438.	मै. एसोसिएटस सोपस्टोन डिस्ट्रीब्यूटिंग कं. लि., उदयपुर	160
439.	मै. महावीर सेरामिक इन्ड., उदयपुर	100
440.	मै. खीचा इन्ड. उदयपुर	75
441.	मै. धरती धन प्रा. लि., उदयपुर	200
442.	मै. सरस्वती मार्बल्स एण्ड ग्रानीता इन्ड. प्रा. लि., उदयपुर	250
443.	मै. ग्रोफसेट प्रिंटर्स, उदयपुर	10
444.	मै. दीपचन्द नाहटा, उदयपुर	60
445.	मै. एम वी श्रमजीवी कालेज, उदयपुर	15
446.	मै. क्राफ्टस मैन इंजिनियरिंग वर्क्स, उदयपुर	62.5

1	2	3
447.	मै. ट्राम इलेक्ट्रोनिक्स, उदयपुर	81
448.	मै. उदय टेक्नो कवल फाउन्ड्रीज प्रा. लि. उदयपुर	110
449.	मै. श्री गीता प्रिंटिंग प्रेस, उदयपुर	6.5
450.	मै. लक्ष्मी इंजिनियरिंग वर्क्स, उदयपुर	60
451.	मै. आर्चियन मिनरल्स, उदयपुर	30
452.	मै. दयाना प्लास्ट इन्ड., उदयपुर	62.5
453.	मै. आनन्द सुटिंग्स प्रा. लि., उदयपुर	6[illegible].5
454.	मै. श्रीनाथ सुगर मिल्स, नाथद्वारा	139
455.	मै. ओरियन्टल टाल प्रोडक्टस प्रा. लि., बांसवाड़ा	50
456.	मै. जे. के. इन्डस्ट्रीज लि., कांकरोली	9412
457.	मै. रा एण्ड फिनिश्ड प्रो. डूंगरपुर	12.5
458.	मै. श्री राजस्थान सिन्टेक्स लि., डूंगरपुर	540
459.	मै. बांसवाड़ा फैब्रिक्स लि., बांसवाड़ा	380
460.	मै. आदिनाथ ओइल मिल्स, उदयपुर	62.5
461.	मै. प्रिया फैब्रिक्स, बांसवाड़ा	45
462.	मै. उदयपुर फोसफेट एण्ड फर्टीलाइजर्स लि., भारोली	220
463.	मै. बांसवाड़ा सिन्टेक्स लि. बांसवाड़ा	380
464.	मै. हिन्दुस्तान मार्बल एण्ड मिनरल्स इन्ड., कांकरोली	75
465.	मै. माम एन्टरप्राइजेज, कांकरोली	125
466.	मै. श्री कृष्णा टाकीज, डूंगरपुर	12.5
467.	मै. प्रोग्रेसिव केमिकल्स मुना जिला उदयपुर	25
468.	मै. बांसवाड़ा फैब्रिक्स लि. बांसवाड़ा	180
469.	मै. प्रिती केमिकल्स, बांसवाड़ा	70
470.	मै. एसोसीएटेड स्टोन इन्ड. ग्रा. पासोद जिला उदयपुर रामगंजमन्डी	500

परिशिष्ट 'ब'

विद्युत सप्लाई अधिनियम, 1984 की धारा 44 के अन्तर्गत विद्युत मण्डल द्वारा विभिन्न उपभोक्ताओं को स्वीकृत किये गये डीजल जनरेटिंग सेटों की संख्या :

(दिनांक 1.1.83 से 31.8.1983)

क्रमांक	उपभोक्ता का नाम	कुल क्षमता के.वी.ए. में
1	2	3
1.	मै. प्रीमियर मेटल एण्ड इन्डस्ट्रीज लि. जयपुर	125
2.	,, भीलवाड़ा पोलीमर्स, भीलवाड़ा	75
3.	,, डायमण्ड मारबल प्रा. लि, उदयपुर	250
4.	,, श्री राजेन्द्र स्टील, पाली	17.5
5.	,, भागवाला आइल मिल, सीकर	40
6.	,, किशोर पाइप एण्ड केबल इन्डस्ट्री, झुन्झुनूं	20
7.	,, मरुधर पोलीपेक्स, जोधपुर	62.5
8.	,, साहसी केमिकल्स प्रा. लि., अलवर	75
9.	,, ओनेक्सी इन्डस्ट्रीज, जोधपुर	7.5
10.	,, कोठारी आइस फैक्ट्री, अलवर	50
11.	,, भगवती फ्लोर एण्ड सा मिल्स, श्रीकरनपुर	50
12.	,, मित्तल आयल एण्ड जनरल मिल्स, श्रीकरनपुर	70
13.	,, चमन राम पुत्र फूमनराम, श्रीकरनपुर	50
14.	,, पोली प्रोटीन प्रा. लि., जोधपुर	125
15.	,, डीडवाना केमिकल्स प्रा. लि., डीडवाना	60
16.	,, राठी मिनरल इन्डस्ट्रीज, उदयपुर	250
17.	,, ऋषभ मारबल प्रा. लि., भीलवाड़ा	250
18.	,, एच. एम. कटिंग इन्डस्टीज, मकराना	62.5
19.	,, सोनाव डाइंग एण्ड प्रिन्टिंग वर्क्स, जयपुर	4
20.	,, श्री सीमेंट लिमिटेड, ब्यावर	10000
21.	,, कृष्णा प्लास्टिक, मोदी रोड, झुन्झुनूं	10
22.	,, रवि इन्डस्ट्रीज, पुराना स्टेशन रोड़, अलवर	62.5
23.	,, कासलीवाल एण्ड कम्पनी, जयपुर	15
24.	,, प्रताप मेमोरियल हास्पिटल, रिचर्स सेन्टर, अजमेर	12

1	2	3
25.	मै श्री इन्जिनियर्स मरुधर इन्डस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर	125
26.	,, विकास इन्डस्ट्रीज, भीवादी इन्डस्ट्रीयल एरिया, अलवर	250
27.	,, राजस्थान बाल बियरिंग इन्जि. वर्क्स, जोधपुर	62.5
28.	,, जनता कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्ट्री, श्रीगंगानगर	147
29.	,,मिनरल ट्रेडिंग एण्ड प्रोसेसिंग इन्डस्ट्री, दागोता	100
30.	,, गोयल आयल एण्ड दाल मिल्स, वी के आई ए, जयपुर	125
31.	,, गोयल आयल मिल्स, वी के आई ए, जयपुर	125
32.	,, जयपुर पोल्स उद्योग, सांगानेर	10
33.	,, कोठारी आइस फैक्ट्री, अलवर	62.5
34.	,, ग्लोब एन्टरप्राइजेज इन्डस्ट्रीयल एरिया, नागौर	62.5
35.	,, भारत पोटरीज, वी के आइ ए, जयपुर	65
36.	,, श्रीमती कृष्णा देवी पत्नि घनश्यामदास, किशनगढ़	12.5
37.	,, —उपरोक्त—	12.5
38.	,, ओसवाल इन्डस्ट्रीज, वी के आई ए, जयपुर	25
39.	,, राम एग्रो एण्ड मेटल इन्डस्ट्री, एम आइ ए, अलवर	75
40.	,, जिन्दल होजड़ी फैक्ट्री, अजमेर	6
41.	,, शाह इन्जिनियरिंग ग्राइन्डर, जयपुर	62.5
42.	,, न्यू ईरा लेदर क्लोथ मैन्यू. क, अलवर	125
43.	,, जानकी प्रसाद मार्फत्, पवित्र होटल, अलवर	5
44.	,, विट्ठल दास वी. करमानी, नाथद्वारा	10
45.	,, सरिता देवी, अजमेर	12.5
46.	,, श्री हरि रोलिंग इन्डस्ट्रीज, वी के आई ए, जयपुर	62.5
47.	,, सोनी नागरा आयल एण्ड जनरल मिल, सूरतगढ़	170
48.	,, शहीद अहमद जमील अहमद संग्राम सिनेमा, सांगानेर	10
49.	,, प्रकाश टाइम इन्डस्ट्रीज, उदयपुर	50
50.	,, विदागम एण्ड केमिकल्स लि. एम आई ए, अलवर	850
51.	,, प्रीमियर लीलेण्ड लिमिटेड, उदयपुर	125
52.	,, बालापुरा राम शुगर फैक्ट्री, बून्दी	125
53.	,, हिंन्दाली ओपन पान शुगर फैक्ट्री, बून्दी	125
54.	,, पेच की बावरी ओपन पान शुगर फैक्ट्री, बून्दी	125
55.	,, नवल खाण्डसारी उद्योग दरोला, बून्दी	125

1	2	3
56.	मै रामनगर गुड्डा श्रोपन पान शुगर फैक्ट्री, बून्दी	100
57.	मै. अमृत बिस्कुट्स प्रा. लि. वी के आई ए, जयपुर	350
58.	,, श्री कृष्ण री-रोलिंग मिल्स, जयपुर	62.5
59.	,, मदनलाल हीरालाल, इन्ड एरिया, बालोतरा	10
60.	,, सूरजीत सिंह, श्रीगंगानगर	4
61.	,, डोल्स पीसताम, वी के आई ए. जयपुर	18
62.	,, कृष्णा एण्ड कम्पनी रोलर फ्लोर मिल्स, एमआईए. अलवर	300
63.	,, पोद्दार स्पिनिंग मिल्स, जयपुर	825
64.	,, मोमहद रमजान पुत्र अब्दुल मिस्त्री, होम सिंगल, मकराना	7.5
65.	,, श्रीराम मेटल्स, जयपुर	180
66.	,, अब्दुल हमीद पुत्र मोहम्मद शफी, मकराना	7.5
67.	,, एम. जे. टैक्सटाइल इन्डस्ट्री, मंडिया रोड, पाली मारवाड़	10
68.	,, दिनेश फाईबर्स, एम. आई. एरिया, जोधपुर	10
69.	,, महावीर फोटोस्टेट, नियर कोर्ट, पाली मारवाड़	3
70.	,, हेडा साईजिंग इन्डस्ट्री, टूलगढ़ रोड, ब्यावर	22
71.	,, शर्मा इन्जि. वर्क्स, मकराना	10
72.	,, अम्बिका आयल एण्ड केमि. मिल्स लि, जोधपुर	125
73.	,, श्री अम्बिका इन्डस्ट्री, जोधपुर	75
74.	,, विकास केमि. गम इंडिण्या, श्रीगंगानगर	160
75.	,, डा. कारामिक्स एण्ड एलाइड इन्डस्ट्रीज, जयपुर	62.5
76.	,, मेहता स्टूडियो, श्रीगंगानगर	3.5
77.	,, शारदा वूलन मिल्स, बीकानेर	40
78.	,, कृष्णा एण्ड कंपनी रोलर एण्ड फ्लोर मिल, अलवर	1.5
79.	,, विद्युत उद्योग, वी के आई ए, जयपुर	50
80.	,, न्यू एज केवल कम्पनी, आमेर रोड, जयपुर	75
81.	,, क्वालिटी कास्टिंग एण्ड रोलिंग मिल्स, जयपुर	40
82.	,, मेचा टेक्नी., वी के आई ए, जयपुर	10
83.	,, रीलेक्स रबर प्रोडक्टस, नीमकाथाना	125
84.	,, नटराज इन्डस्ट्रीज, सुमेरपुर	
85.	जीवनमल फतहपुरिया, सादुलपुर	45
86.	,, केशरी चन्द मानक चन्द, बीकानेर	1.76

1	2	3
87.	मै. ठीकारदा ओपन ग्राम शुगर फैक्ट्री, बून्दी	65
88.	,, हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड, खेतड़ीनगर	23530
89.	,, प्रीमियर वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, इन्ड. एरिया, जयपुर	500
90.	,, पूरनमल सत्यनारायण इन्डस्ट्रीज, नापासर	81
91.	मै. इन्दर केमिकल इन्डस्ट्री, बीकानेर	81
92.	,, विदोगम केमिकल लिमिटेड, अलवर	75
93.	,, पी. के. फूड प्रा. लि. एम. आई. ए; अलवर	200
94.	,, लखानी शू कंपनी; अलवर	125
95.	,, महाराजा श्री उम्मेद मिल, लि. पाली मारवाड़	860
96.	,, मार्डन स्टील इन्ड. एरिया, कोटा	5
97.	,, मार्डन स्टील इन्ड. एरिया, कोटा	125
98.	,, नारायणी उद्योग इन्ड. एरिया, कोटा	35
99.	,, भीलवाड़ा सिन्थेटिक्स, भीलवाड़ा	62.5
100	,, राजस्थान इन्जि. वर्क्स, सवाईमाधोपुर	6
101.	,, गज कॉटन एण्ड आयल इन्डस्ट्रीस, पीलीबंगा	180
102.	,, जयपुर आयल प्रोडक्ट्स, जयपुर	250
103.	,, कल्याण सुन्दरम सिमेन्ट इन्डस्ट्री, बांसवाड़ा	2000
104.	,, मीरा मारबल प्रा. लि. चित्तौडगढ़	160
105.	,, श्री महेश मुद्रणालय, जयपुर	2.5
106.	,, अरावली मिनरल प्रोसेसिंग कं., जमवा रामगढ़	65
107.	,, श्री सतगुरू क्लाथ स्टोर, अजमेर	1
108.	,, जयपुर फोरगिंग एण्ड फाउण्ड्री वर्क्स लि. वी के आई ए, जयपुर	70
109.	,, राजस्थान स्पिनिंग मिल, विजय नगर	30
110.	,, श्री जय श्वेताम्बर नाकोदा, बालोतरा	38
111.	,, वीरेन्द्र कुमार आहूजा, जयपुर	30
112.	,, कन्हैयालाल हरीस चन्द. बालोतरा	15
113.	,, जगदम्बा वूलन मिल्स, मेड़तासिटी	21.5
114.	,, लक्ष्मी टैक्सटाइल्स, पाली मारवाड़	25
115.	,, गणेश मारबल कटिंग वर्क्स, मकराना	56
116.	,, धनराज टैक्सटाइल्स, पाली,	10
117.	,, स्वास्तिक टैक्सटाइल्स, पाली	25

1	2	3
118.	मै. जय टैक्सटाइल्स, पाली	10
119.	मै. राजस्थान मल्टी फर्टीलाइजर प्रा. लि., उदयपुर	250
120.	,, माथुर फोटोस्टेट, अलवर	2.5
121.	,, थिम्रोफरमा इन्ड. एस्टेट, फालना	70
122.	,, जगदम्बा आयल मिल, मंडता सिटी	81.25
123.	,, नीलम मारबल इन्डस्ट्रीज प्रा लि, मकराना	125
124.	,, उपरोक्त	15
125.	,, अनिल फोटोमैक्स, श्रीगंगानगर	1.5
126.	,, मोतीका मेटालिक यार्न, सिरोही (सीकर)	7.5
127.	,, श्री महावीर स्टोन सप्लाई कम्पनी, सवाईमाधोपुर	15
128.	,, मथानिग टैक्सटाइल्स, जोधपुर	62.5
129.	,, सोनल मेटल्स, जोधपुर	200
130.	,, राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, भीलवाड़ा	2292
131.	,, जय नैलेक्सो, जयपुर	62.5
132.	,, न्यू टेक्नो, रेफरेक्ट्रीज प्रा. लि. भीलवाड़ा	75
133.	,, लक्ष्मी इन्डस्ट्रीज कोस्पो, जोधपुर	62.5
134.	,, भारत एल्यूमिनियम इन्डस्ट्रीज, भीलवाड़ा	125
135.	,, किरन मारबल प्रा. लि, उदयपुर	125
136.	,, संदीप टैक्सटाइल्स डायस्टूफ प्रा. लि, उदयपुर	10
137.	,, भारती डायज एण्ड केमिकल, उदयपुर	10
138.	,, दुर्गालाल राम प्रसाद कोठिया, गंगापुरसिटी	40
139.	,, अरुणोदय फाउण्ड्री प्रा. लि. वी के आई ए, जयपुर	40
140.	,, मंगल चन्द ट्यूब्स प्रा. लि, जयपुर	62.5
141.	,, बंसल मारबल उद्योग, मकराना	200
142.	,, संगीता टैक्सटाइल्स, जोधपुर	10
143.	,, हरबक्श सिंह मानसिंह, गजसिंहपुरा	204
144.	,, कमल मारबल, मकराना	62.5
145.	,, भीलवाड़ा प्रोसेसर्स, भीलवाड़ा	125
146.	,, उदयपुर टैक्सटाइल्स प्रोसेसर्स, भीलवाड़ा	20
147.	,, भोपाल माइनिंग वर्क्स, भीलवाड़ा	75

1	2	3
148.	मै. ईश्वरलाल कुन्नीलाल, जयपुर	250
149.	,, हरि नारायण एण्ड संस, वी के आई, जयपुर	60
150.	,, अग्रवाल कॉटन मिल्स, श्रीगंगानगर	4
151.	,, दी एसोसियटेड सिमेंट कंपनी, लाखेरी	7524
152.	,, टीमको प्रोडक्ट्स इण्डिया, अलवर	62.5
153.	,, नेशनल मटेलिक इन्डस्ट्री, जयपुर	40
154.	,, खालसा इन्जि. इन्डस्ट्री प्रा. लि, जयपुर	200
155.	,, राजस्थान कम्यूनिकेशन लिमिटेड, जयपुर	60
156.	,, नवनीत एग्रो कंमनी, पाली	10
157.	,, दलपत वेल्डिंग वर्क्स, रानी पाली	10
158.	,, गोपाल आयल एण्ड फ्लोर मिल, भरतपुर	100
159.	,, राजस्थान राइस मिल, बूंदी	125
160.	,, रीवेक्स प्लास्टिसिजरर्स प्रा. लि. अलवर	60
161.	,, कोलारिना पेण्ट्स केमिकल्स, बीकानेर	62.5
162.	,, खाल्सी रबर प्रोडक्ट्स, अलवर	125
163.	,, महा गौतम टैक्सटाइल्स, बालोतरा	15
164.	,, संगमरमर इण्डिया प्रा. लि, मकराना	160
165.	,, सालावास मेटल्स, जोधपुर	180
166.	,, ओसवाल इन्डस्ट्रीज, किशनगढ़	7.5
167.	,, ट्यूब्स एण्ड बारस, जोधपुर	125
168.	,, हीरा मोती टैक्सटाइल्स, बालोतरा	15
169.	,, अनिल टैक्सटाइल्स इन्डस्ट्रीज, पालीमारवाड़	31.2
170.	,, अशोक इन्डस्ट्रीज, किशनगढ़	12.5
171.	,, मित्तल स्टील मैन्यू. कं, जोधपुर	62.5
172.	,, गांधी एन्टरप्राइजेज, जोधपुर	75
173.	,, मेहता फिनिशिंग मिल्स, पाली	15
174.	,, अमृत टैक्सटाइल्स, किशनगढ़	18.5
175.	,, सुभाष इन्डस्ट्रीज, किशनगढ़	10
176.	,, नेशनल डायमण्ड मारबल, मकराना	160
177.	,, पदम आटोमोबाइल्स इन्जि. वर्क्स, भीलवाड़ा	15
178.	,, नितिन केशर्स, भीलवाड़ा	62.5

1	2	3
179.	मै. गणपति प्रिन्टिंग वर्क्स, पाली	7.5
180.	„ जैन इन्डस्ट्रीज, भीलवाड़ा	62.4
181.	„ ए. पी. प्रोडक्ट्स, किशनगढ़	10
182.	„ मोहन इन्जि. कं. एम ग्राइ ए., ग्रलवर	30
183.	„ राज. राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ, जयपुर	100
184.	„ गजानन्द प्लाटैक्स प्रा. लि. वी के ग्राई ए, जयपुर	94
185.	„ राज. प्लास्टरस प्रा. लि., बीकानेर	62.5
186.	„ स्वदेशी फेल्ट मैन्यू. इन्ड. एस्टेट, जयपुर	30
187.	„ पालीवाल मेटिलिटी यार्न इन्डस्ट्री, खण्डेला	20
188.	„ लोहिया गम एण्ड केमिकल इन्डस्ट्री, जोधपुर	125
189.	„ मिनरल प्रोसेसिंग सर्विस, मकराना	237.5
190.	„ रामकुमार तापड़िया, मेड़तासिटी	10
191.	„ नवनीत बंलूच एण्ड फिल्ट रेडी, जोधपुर	125
192.	„ ग्रमपी मारबल, सिरोही	25
193.	„ वोथरिया टैक्सटाइल मिल्स. पाली	7.5
194.	„ महावीर टैक्सटाइल, बालोतरा	15
195.	„ बाडमेर वायर एण्ड केबलस, जोधपुर	180
196.	„ जग शांति उद्योग, जोधपुर	62.5
197.	„ जूपी टैक्सटाइल्स मिल्स, पाली	10
198.	„ राज. को-ग्रॉ. स्पिनिंग मिल, गुलाबपुरा	500
199.	„ निशा इन्डस्ट्रीज, वी के ग्राई ए, जयपुर	62.5
200.	„ सुमन स्टीलस, जोधपुर	30
201.	„ शर्मा इन्डस्ट्रीज, जोधपुर	25
202.	„ विश्कर्मा इन्जिनियर्स, जोधपुर	7.5
203.	„ नीलकांत केमिकल्स, जोधपुर	60
204.	„ श्री महालक्ष्मी एन्टरप्राइजेज, जोधपुर	30
205.	„ रहमान फेबरिकेशन, जोधपुर	10
206.	„ राजस्थान डिटरर्जेण्ट, जोधपुर	30
207.	„ क्वालिटी केमिकल्स, जोधपुर	62.5
208.	„ पवन पेपर प्रोडक्ट्स, जोधपुर	15

1	2	3
209.	मै. मुन्दरा उद्योग, जोधपुर	30
210.	,, गणेश केमिकल इन्डस्ट्री, जोधपुर	10
211.	,, श्री उद्योग, जोधपुर	30
212.	,, विकास इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जोधपुर	10
213.	,, महावीर प्रोफेसिंग कंपनी, बालोतरा	28.68
214.	,, वेस्ट इण्डिया इन्जिनियर्स, जोधपुर	18
215.	,, वेराइस्ट इन्जिनियरिंग वर्क्स, जोधपुर	15
216.	,, विनोद कोल्ड प्रोडक्ट्स, जोधपुर	15
217.	,, यंग एन्टरप्राइजेज, जोधपुर	25
218.	,, उमा प्लास्टिक इन्डस्ट्रीज, जोधपुर	10
219.	,, लता टेक्सटाइल्स, जोधपुर	10
220.	,, श्रीराम मेटलस, जोधपुर	18.75
221.	,, भिवानी टेक्सटाइल्स, जोधपुर	18
222.	,, प्लास्टोपेक्स, जोधपुर	22.5
223.	,, पाइपस इण्डिया, जोधपुर	30
224.	,, नेशनल मेटल्स, जोधपुर	125
225.	,, नरेन्द्र केमिकल्स इन्डस्ट्री, जोधपुर	9
226.	,, नेशनल ग्रायल एण्ड गम इन्डस्ट्रीज, जोधपुर	50
227.	,, पेक्सशल प्लास्टिक, जोधपुर	62.5
228.	,, अब्दुल रहमान, जोधपुर	22.5
229.	,, जौहरी इलेक्ट्रो मेडिकल कंपनी, जोधपुर	2.5
230.	,, अकलाइन्स प्लास्टिक, जोधपुर	25
231.	,, उगिरा इन्जि. वर्क्स, जोधपुर	18
232.	,, महाराजा श्री उम्मेद मिल्स, पाली मारवाड़	1720
233.	,, इन्डियन मैन्यू. कंपनी, वी के ग्राई ए. जयपुर	30
234.	,, ग्रार. जी. इस्पात लि. यूनियन-द्वितीय, जयपुर	62.5
235.	,, अंकुर टेक्सटाइल्स, पाली--मारवाड़	10
236.	रामगोपाल राधेश्याम, मुकलगढ़	5
237.	,, बैंक ग्राफ बड़ौदा, मुकलगढ़	3
238.	,, ग्रार. जी. इस्पात लि., वी के ग्राई ए. जयपुर	150
239.	,, विजय लक्ष्मी प्लास्टिक इन्डस्ट्रीज, सीकर	18

1	2	3
240.	मै. कोचर एग्रो सर्विस, श्रीगंगानगर	10.5
241.	,, रवीन्द्र स्ट्रा बोर्ड इण्डस्ट्रीज, हनुमानगढ़	50
242.	,, भगवती राइस एण्ड दाल मिल, हनुमानगढ़	62.5
243.	,, लक्ष्मी कोटन ग्रिनिग एण्ड दाल आयल मि, पीलीबंगा	110
244.	,, जेटेक्स प्रिंटस, बासनी, जोधपुर	10
245.	,, नीलकन्ठ सोडा क्लेज एण्ड पुलवाडीज, बासनी, जोधपुर	125
246.	,, कल्याण इन्टरप्राइजेज, मकराना	62.5
247.	,, भाटी इन्टरप्राइजेज, बासनी, जोधपुर	10
248.	,, जै बजरंग आटो सेन्टर, जोधपुर	20
249.	,, लक्ष्मी केबल्स, जोधपुर	10
250.	,, जोधपुर बियरिंग, बासनी, जोधपुर	50
251.	,, छगनलाल टेक्सटाइल्स, बासनी, जोधपुर	25
252.	,, जोधपुर जिग मैटल इंडस्ट्रिज, जोधपुर	62
253.	,, पेसिगन इन्स्टूमेंट मैन्यूफेक्चरिंग, जोधपुर	18–75
254.	,, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, जोधपुर	75
255.	,, हीरा सेन्टोजन वर्क्स, बालोतरा	3–5
256.	,, प्राइमादी मार्बल्स, मकराना	180
257.	,, कृष्णा एग्रो सर्विस सेन्टर, खेरली, अलवर	8
258.	,, राजकमल मार्बल, मकराना	30
259.	,, रुपर चेनन लाइनस एण्ड अलाइड प्रोडक्टस, भोटान	100
560.	,, भीलवाड़ा टेक्सटाइल्स प्रा. लि, भीलवाड़ा	81–25
261.	,, मनोहरलाल एस.आर. पेरुमल, आसिन्द, भीलवाड़ा	12
262.	,, मनिश टेक्सटाइल्स, जोधपुर	10
263.	,, श्री अम्बिका दाल मिल्स, सुमेरपुर	30
264.	,, इण्डिया डायमंड कम्पनी, मकराना	250
265.	,, मनिला टेक्सटाइल्स, जोधपुर	17.5
266.	,, बुनकर फेब्रीक्स, बासनी, जोधपुर	5
267.	,, न्यू बारबर मारबल, मकराना	180
268.	,, रविन्द्र इन्डस्ट्रीज एंड कोटन मर्चेट, केकरी	70
269.	,, बिड़ला लि. वर्क्स, चित्तौड़गढ़	5000
270.	,, जे. इलेक्ट्रो मैकेनिकल विश्वकर्मा, जयपुर	100

1	2	3
271.	मै. आकाश उद्योग, एम.आई.ए, जयपुर	20
272.	,, निशा इंडस्ट्रीज, वी.के.आई.ए, जयपुर	40
273.	,, सुयोग इंडस्ट्रीयल कारपो. वी.के.आई.ए. जयपुर	180
274.	,, अलाइड इंजिनियर्स एण्ड ट्रेडर्स, कोटा	72–5
275.	,, सुप्रीम सिलेन्डरस लिमिटेड भीवाडी, अलवर	125
276.	,, बावाजा फोटो स्टेट एण्ड टाइप सेन्टर, श्रीगंगानगर	2
277.	,, आर. एम. वुलन मिल्स, बीकानेर	62–5
278.	,, ई सी एस. पेपर लि. भीवाड़ी, अलवर	540
279.	,, पाल पंथेलोजिकल लेबोरेटी एण्ड हास्पिटल, श्रीगंगानगर	10
280.	,, प्रेम शंकर शर्मा विजय इंजनियरिंग वर्क्स, भीलवाड़ा	20
281.	,, सोमानी टाइल्स, कपासन	30
282.	,, धनराज गनपतलाल, बालोतरा	10
283.	,, पी.एल. मिश्रा एण्ड ब्रादर्स, तकतगढ़	21-5
284.	,, महावीर इन्टर प्राइजेज, सुमेरपुर	15
285.	,, राजस्थान स्पिविंग मिल्स, भीलवाड़ा	500
286.	,, फाइन जीरोक्स फोटोकोपीज, भीलवाड़ा	1.5
287.	,, लिकी सूटिंग प्रा. लि. अलकापुरी, अलवर	40
288.	,, डीडवाना केमिकल्स प्रा. लि, डीडवाना	250
389.	,, श्रीमति हरदीप कौर, श्रीगंगानगर	7
290.	,, संजीव वतन मिल्स, बीकानेर	
291.	,, जनता कार्लिडग एंड स्पिनिंग, बीकानेर	30
292.	,, स्वास्तिक इन्ड. खंडेला, सीकर	15
293.	,, राजस्थान कारबाइज प्रा. लि. आबू रोड	100
294.	,, मोहम्मद युसूफ, मोहम्मद हसन, मकराना	62.5
295.	,, एवरलाइन मार्बल प्रा. लि. मकराना	200
296.	,, आदित्य मिल्स, किशनगढ़	380
297.	,, गणेश मेटालिक यार्न, सीकर	10
298.	,, बीकानेर वुलन मिल्स, बीकानेर	62.5
299.	,, कल्विजिटर आफ इण्डिया, अलवर	500
300.	,, शम्भूदयाल सीताराम, अलवर	3
301.	,, अवन्तिका मैटल उद्योग, जयपुर	40

1	2	3
301	मै. अग्रवाल मेटल्स, जयपुर	10
302	,, सुमन इन्टरनेशनल, भिवाड़ी	250
303.	,, नील कमल इन्ड, बीकानेर	30
304.	,, लक्ष्मी स्पिनिंग मिल्स, बीकानेर	62.5
305.	,, जे. के. सीमेन्ट वर्क्स, निम्बाहेड़ा	4705
306.	,, मेवाड़ पैकिंग इन्ड, मारवाड़ जक्शन	12
307.	,, एच. एस. टैक्सटाइल्स जोधपुर	27
308.	,,न्यू खेतड़ी मार्बल सप्लायर्स, मकराना	166
309.	,, अरुण इन्ड. पाली	10
310.	माहेश्वरी टैक्स. भीलवाड़ा	62.5
311.	प्रताप ग्रोइल मिल्स, अलवर	30
312.	,,ओसवाल इलेक्ट्रिकल्स कन्डक्टर्स, जयपुर	72.5
313.	,, विजय स्वीट बिस्कुटस खेतड़ी, झुन्झुनू	75
314.	,, जयपुर बोटलिंग कं., जयपुर	60
315.	,, कनोडिया रबर प्रा. लि., भीलवाड़ा	75
316.	,, एवन उद्योग, जोधपुर	180
317.	,, किसान मार्बल इन्ड., मकराना	60
318.	,, प्रवीण इन्ड., पाली	7.5
319.	,, कुमावत एस बेस्टोर्स, ब्यावर	23.5
320.	,, धूल मिल एण्ड स्टोर, पाली	5
322.	,, नेशनल गार्लिक इन्ड., जयपुर	43
323.	,, श्रीराम इन्ड. जयपुर	10
324.	सोमपुरा ब्रदर्स, मकराना	62.5
325.	,, राजकमल फेल्टस फीनिशिंग वर्क्स, केशिया दरवाजा	38
326.	,, बाली केबल्स प्रा. लि., पाली	62.5
327.	,, चैनराज भैरुलाल पाली	10
328.	,, गज्जेठ एण्ड एप्लावेन्सेज, जयपुर	40
329.	,, विश्नो ग्राइस फैक्ट्री, अलवर	60
330.	,, मोदी रेतु मे. कं, जयपुर	29
331.	,, भीलवाड़ा प्रोसेसर्स प्रा. लि., भीलवाड़ा	250
332.	,, कुसुम लता अग्रवाल एक्सरे क्लिनिक, हिन्डौन सिटी	6

(222)

1	2	3
333.	मै. सोना डिस्ट्लरीज, अलवर	63
334	,, आर्च मार्बल, मकराना	200
335.	,, श्री नाईटिंग फैब्रिक्स, भीलवाड़ा	20
336.	,, मेवाड़ सिन्थेटिक्स, भीलवाड़ा	30
337.	श्रीनाथ मेवाड़ इन्ड., भीलवाड़ा	15
338.	जय श्री राइस मिल्स प्रा. लि., बूंदी	100
339.	,, श्रीराम मार्बल इन्ड., मकराना	125
340.	,, प्लास्टिक एज इण्डिया प्रा. लि., जयपुर	25
341.	,, मगन इन्टर प्राइजेज, सुमेरपुर पाली	62.5
342.	,, मार्बल इण्डिया, मकराना	100
343.	,, जगदम्बा मार्बल एण्डटिम्बर्स ट्रेडर्स, मकराना	62.4
344.	,, उजाब इन्जि. एण्ड फेबरिंग, गोटान	30
345.	,, जोधपुर डीजल्स प्रा. लि., पाली	5
346.	,, राजस्थान मार्बल खनिज उद्योग, बांसवाड़ा	40
347.	,, न्यू खेतड़ी मार्बल, सप्ल यर्स, मकराना	125
348.	,, बांसवाड़ा सिन्थेटिक्स लि. बांसवाड़ा	400
349.	,, उदयपुर डिस्टीलरी कं., उदयपुर	156
350.	,, भूपेन्द्रा खंसारी उद्योग, कोटा	60
351.	,, सिन्ध रबर इन्ड., कोटा	50
352.	,, बंसल प्लास्टिक, गंगापुर सिटी	60
353.	,, आशिष डायमन्ड, जोधपुर	10
354.	,, श्री नाथ मार्बल, मकराना	250
355.	,, सिद्धा सिन्टेक्स लि., उदयपुर	500
356.	,, अरावली इस्पात लि., अलवर	250
357.	,, अरविन्द टैक्सटाइल्स, जोधपुर	18.75
358.	,, एस. वी. एस. फोरगिंग भिवाड़ी, अलवर	125
359.	,, खलाजवन्स फोरगिंग, नागौर	15
360.	,, मालपानी मार्बल ग्रेनाइट प्रा. लि., मकराना	250
361.	,, अग्रवाल एक्स रे क्लिनिक, हिंडौन सिटी	5
362.	,, गोल्डन फूडस प्रा. लि., अलवर	12.5
363.	,, भिवानी मेटल्स प्रा. लि, जयपुर	45

1	2	3
364.	मै. कल्पना एन्ड., उदयपुर	30
365.	,, हिन्दुस्तान टूल्स उण्ड इन्जि. वर्क्स, जयपुर	42.5
366.	,, श्री गंगा मार्बल, मकराना	125
367.	,, नरेन्द्र प्र. व्यास, टौंक	32.5
368.	,, दुर्गा ग्राइल मिल्स, सुमेरपुर	75
369.	,, जयपुर बावर इन्ड. प्रा. लि, जयपुर	100
370.	,, जय बजरंग सेन्टर, जोधपुर	18
371.	,, शिवालिक ग्राइरन एण्ड स्टील, ग्रलवर	75
372.	,, हिन्दुस्तान जिंक लि, उदयपुर	1764
373.	,, प्रेसिंग जयपुर	18
374.	,, जन लघु उद्योग सीमेंट, नीम का थाना	1720
375.	,, लक्की माइनमेंट प्रा. लि. नीम का थाना	62.5
376.	,, छापा इलेक्ट्रिकल इन्ड., जोधपुर	15
377.	,, सुरुती सिन्थेटिक्स, उदयपुर	500
378.	,, वी. के. ग्रेडिंग कं, गंगापुर सिटी	60
379.	,, सिस्टम कम्प्यूटर ग्रुप, ग्रलवर	10
380.	,, चारभुजा ग्राइस फैक्ट्री, चित्तौड़गढ़	30
381.	,, प्रोपकोन्द इण्डिया, जयपुर	40
382.	,, कानूनगो एलाइंस प्रा. लि, जोधपुर	100
383.	,, विजय लक्ष्मी स्टोन क्रशिंग, जोधपुर	30
384.	,, राहुल इन्ड., जोधपुर	10
385.	,, निम्बावाट फोटोस्टेट कोपीज, जोधपुर	3.5
386.	,, एलाइड मेटल्स, जोधपुर	125
387.	,, गोलेछा ट्रेडर्स, जोधपुर	15
388.	,, राजकमल टैक्सटाइल्स, बालोतरा	10
389.	,, ग्रविनाश मार्बल इन्ड., मकराना	125
390.	,, सोहनलाल चुन्नीलाल, पाली	5
391.	,, रतन एण्ड क., ब्यावर	62.5
392.	,, जगजीत कोटन टैक्सटाइल्स मिल, श्री गंगानगर	860
393.	,, राम बाग पैलेस, जयपुर	515
394.	,, जे. एण्ड जे. केम. एण्ड फोर्मा., हनुमानगढ़	5

1	2	3
395.	मै. कानूनगो पेपर एण्ड एलाइड इन्ड., किशनगढ़	68.75
396.	,, इन्डिथाना पोलीपाइप्स इन्ड. सीकर	45
397.	,, साबू नर्सिंग होम, श्रीगंगानगर	6.3
398.	,, अग्रवाल नर्सिंग होम, श्रीगंगानगर	6
399.	,' महावीर टैक्सटाइल्स, सोजतसिटी	10
400.	,, होटल राता नाथ इन्टरनेशनल प्रा. लि, जोधपुर	110
401.	., लक्ष्मी इन्ड., जोधपुर	110
402.	,, किरन पेन्ट इन्ड., पाली	4
403.	,, विनायक मिनरल कारपोरेशन पाली	62.5
404.	,, हीरा मोती टैक्सटाइल्स, बालोतरा	20
405.	,, सूजाराम हरीराम, नागौर	40
406,	,, आर. एन. भार्गव, जोधपुर	40
407.	,, अमानी पाइप्स प्रा. लि., अलवर	560
408.	अग्रवाल फ्लोर मिल, हनुमानगढ़	75
409,	,, अग्रवाल आइरन एण्ड इन्जि. वर्क्स, सीकर	125
410.	,, आर्या मार्बल इन्ड., मकराना	70
411.	,, श्री निवास इन्डिया टैक्सटाइल मिल., जोधपुर	40
412.	,, भारत कोटन एण्ड जिनिंग एण्ड राइस एण्ड दाल मिल, पीलीबंगा	125
413.	,, संगीता मार्बल सप्लायर्स, मकराना	125
414.	,, एब्रेसिव एमरी इन्ड. प्रा. लि., नागौर	75
415.	,, चौधरी मार्बल प्रा. लि. मकराना	20
416.	,, कमल फोटोस्टेट, अलवर	3
417.	,' पोलीस्ट्रिप्स इण्डिया, चित्तौडगढ़	56
418.	,, पाण्डे मार्बल इन्ड. प्रा. लि., मकराना	250
419.	,, इण्डियन आथल कारपो. लि., अजमेर	66
420.	,, पंकज इन्ड, कारपो., पाली	10
421.	,, नेशनल टैल्स एण्ड वायर प्रोड., जोधपुर	65
422.	,, मोती स्टार्च फैक्ट्री, मदनगंज	65
423.	,, अग्रवाल टैक्सटाइल इन्ड., पाली मारव ड़	12.5
424.	,, बोहरा सीमेंट प्रा. लि., झूण्टा, पाली	62.5
425.	,, मेवाड़ शुगर मिल्स, चित्तौडगढ़	70

1	2	3
426.	मै. प्रवीण एन्टरप्राइजेज, भीलवाडा	3.5
427.	,, कोटा बोक्स मैन्यू. कं., कोटा	5
428.	,, बिरला सीमेंन्ट वर्क्स, चित्तौडगढ़	5626
429.	,, शिवालिक इन्ड. कारपो, अलवर	75
430.	सुशीलकुमार भूत, जयपुर	15
431.	,, कमानी इन्जि. कार., झोटवाडा	400
432.	,, भीलवाड़ा सिन्थेटिक्स लि., भीलवाड़ा	62.5
433.	मुश्ताख अहमद हाजी सदुल्ला, मकराना	125
434.	,, मजीद एण्ड ब्रदर्स, मकराना	200
435.	,, सेन्चुरी मार्बल एण्ड ग्रेनाइट प्रा. लि., आबूरोड	300
436.	,, मेम मार्बल इण्डिया प्रा., मकराना	200
437.	,, आरक मार्बल, मकराना	237.5
438.	,; विष्णु विवेक मार्बल इन्ड. प्रा., मकराना	200
439.	,, श्री ग्रोन प्रिन्टर्स, झुन्झुनूं	2.5
440.	,, श्री चारभुजा मार्बल इन्ड., बांसवाड़ा	88
441.	,; शील्ड ग्लू कं., अलवर	150
442.	,, श्री राठी टाइल्स फैक्ट्री; बीकानेर	15
443.	,, श्री अग्रवाल स्वीट होम, सीकर	12
444.	,; सोहनलाल एक्सरे क्लिनिक, बीकानेर	10
445.	,, कृष्णा टाकीज, डूंगरपुर	10
447.	,, डिपो सुपरिन्टेन्डेन्ट, इण्डि. आयल कार., बीकानेर	66
447.	,, खिवेसरा स्ट्रिप्स प्रा. लि., जोधपुर	180
448.	,, त्रिपती टाकीज, किशनगढ़	12.5
449.	,, गुलाम रसूल घासीजी, मकराना	160
450.	,, महेन्द्रा आइल इन्ड., जोधपुर	125
451.	,, मार्डन बेकरीज, जयपुर	150

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 68 की सूची)

श्री द्वारिकेशों जयति

अचल सम्पत्ति विवरण पुष्टि मार्गीय तृतीय पीठ कांकरोली (द्वारकाधीश मन्दिर) सार्वजनिक प्रन्यास पंजीयन सं. 193 दिनांक 3-8-71

जागीर कमिश्नर की सूची से क्रमांक	नाम सम्पदा	कहां स्थित है मय जिला	क्षेत्रफल लम्बाई चौ.		क्या मानचित्र उपलब्ध है	मोहल्ला मय पड़ौस	सम्पदा का पूर्ण उपयोग का विवरण: मन्दिर के काम में	सम्पदा का पूर्ण उपयोग का विवरण: किराये पर माहवारी	अन्य	जागीर विभाग द्वारा मंदिर की सम्पदा होने का आदेश संख्या वा दि.	अनुमानित मूल्य	नगर पालिका या पंचायत में दर्ज होने का ववरण	प्रन्यास धारी के ह०	वि. वि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	श्री द्वारिकाधीश जी का मन्दिर	कांकरोली जि. उदयपुर	नक्शे अनुसार संलग्न है			श्री द्वारकेश मार्ग	मंदिर हां	नहीं	नहीं	निर्णय 13-3-63 आदेश नं. 2829 दि. 14-5-63	216000/	नहीं	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	मनजी केशव जी की भेंट शुदा धर्मशाला मय 10 दुकानों के दो मंजिल नीचे दक्षिण तरफ और एक खतोड़ नामक मकान	,,	नहीं		—	मंदिर एवं परिक्रमा के पूर्व में बाई तरफ	—	25/- 5/- 25/- 15/- 7-50 30/- 7/- 2/- 3/- 4/- 93-50	वेष्णवों के ठहरने में	—	—	—	—	दुकानें निम्न प्रकार किराये है शालीग्राम वैराग हिम्मतलाल सांचिहर 1-12-80 शंकर नाई 9-4-70 से दिनेश पालीवाल मोहनलाल सनाठ्य 1-5-55 से कल्याण बाई 1-11-62 से जीवनलाल सनाढ्य हंजा गोवर्धन 1-10-79 से
4.	पायगा वाली धर्मशाला दो मंजिला	एजनें				मंदिर के पूर्व में श्री द्वारकेश मार्ग के उत्तर तरफ	—	20/- 2/- 12-50 34-50	एजन	—	—	—	—	गोपाल सनाढ्य 1-10-63 से नवनीत सनाढ्य 10-6-59 डालचन्द पालीवाल 16-4-68

227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.	दो मंजिला मकान	एजन	—	—	—	पूर्व में भंडार का मकान दक्षिण द्वारकेश मार्ग पश्चिम हरिदास का मकान उत्तर में पास तालाब	—	30/-	—	—	—	—	—	हरिदास जी दीक्षत किराये नहीं बढ़ाना चाहते 10-1-68
6.	दो मंजिला मकान	एजन	—	—	—	उत्तर तालाब पू. मंदिर मकान है द. द्वारकेश मार्ग प. मंदिर मकान	—	16/-	—	—	—	—	—	श्री किशनलाल जी सनाढ्य पिता हीरालाल जी दि. 14-5-64 208/- 82 तक बाकी
8.	दो मंजिला मकान	एजन	—	—	—	पूर्वधर्मशाला सेठ नाशा द. द्वारकेश मार्ग प. बृजेश भवन उत्तर तालाब	ऊपर का हाॅल तथा दरवाजे के सामने के हाल के उ. पू. ऊपर से नीचे पोर्शन	10/- 15/- 40/- 4-50	—	—	—	—	—	कन्हैयालाल जी जलघडिया 11-9-61 मथुरादास सिंधी 1-1-63 में धनराज मथुरदास सिंधी दि. 82 तक 688/- बाकी 21-10-73 चर्तुभुज सिंधी दि. 81 तक बाकी 81/- रु. 1-7-60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.	दो मंजिला धर्मशाला सेठ नानसा की भेंट शुदा	एजन	—	—	—	पू. गणेशलाल द द्वारकेश मार्ग प. अदालत पू. तालाब	ऊपर का भाग नीचे खाली	—	—	—	—	—	—	मौजूदा अधिकारी जी का ठहरा रखा है
10.	लाल पत्थर का बंगला	एजन	—	—	—	तालाब पाल पर	—	35/-	—	—	—	—	—	दामोदर जी गूजर के किराये 1-2-78 से
11.	दो मंजिला मकान	एजन	—	—	—	उ. में तालाब प. में पास रास्ता द. में कन्हैयालाल का मकान पूर्व में गलियाने	ऊपर का भाग नीचे खाली	—	—	—	—	—	—	मु. विश्वेवरनाथ को ठहरने हेतु दिया
14.	दो मंजिला मकान	एजन	—	—	—	उ. में द्वारकेश मार्ग पू. हीरालाल द. हाथीघर प. मोली	—	—	बेचा गया	—	1000/	—	—	गोपाल मन्नाजाल जी सनाढ्य 7-12-1980
16.	तीन मंजिला मकान	एजन	—	—	—	उ. द्वारकेश मार्ग प. मकान छोटूजाज द. हाथीघर पू. चोबपुर	—	7/-	—	—	—	—	—	मन्नुभाई सिंधी दिनांक 81 तक 126/- बाकी 1-1-67 तक

(229)

Page No. 230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.	दो मंजिला खिडक मकान	ककारोली जि. उदयपुर	—	—	—	पू. शंकरलालजी तलेसरा मकान द. बाग प. उंकारदरजी मकान उ. द्वारकेश मार्ग	हाँ	7-50	—	—	—	—	—	शंकरलाल पन्नलाल जडाव 590/- दि. 81 तक बांकी केस चालू है। दुकान 2
								5/-						मोतीलाल धींग 340/- 1-4-70 से बाकी
								37-50						दुकान नं. 3 सुन्दरलालजी जाठ 23.5.78 से
								15/-						अब्दुल रजाक दुकान 12.6.70 से
								15/-						निसार अहमद 1.3.87 से
								2/-						मणिकान्त रमनलालजी 170/- बाकी 17.1.71 से

Page No. 231

231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	वागड भण्डार नामक मकान मय शीतलामाता मन्दिर तथा घोडाघर	एजन	—	—	—	द. बाग पू. बागड को तथा पूर्व में बेचा हुआ बाग उ. द्वारकेश मार्ग प्र. शंकरलाल मकान	हाँ	5/-	4300	—	—	—	—	शंकरलाल तालेसरा के रथखाना वाला हिस्सा मार्च, '81 से अन्दर घोडाघर का भाग उदयसिहजी को बेचा
21.	मवेशी के पानी की प्याऊ	एजन	—	—	—	पूर्व पडत द. बाग प. दरवाजा उ. ग्राम रास्ता	—	—	मवेशी पानी पीते हैं	—	—	—	—	मय नल द्वारा भरी जाती है
22.	दरवाजा सूरजपोल दो मंजिल बहिर 2 कोटडी 2 दरी-खाने	एजन	—	—	—	एजन	हाँ दरीखाना कोटडी पडत है	12/-	—	—	—	—	—	जशोदाबाई गौडवा के छपर की मेडी किराये है। 17.7.77
23. से 30.	दुकानें 8 मददे 2 खपरेल और 6 पट्टी पोस	एजन	—	—	—	पूर्व में खिड़क छी. मन्दिर द. में भवानी शंकर प. और उ. ग्राम रास्ता	—	—	बेची 2001/-	—	—	—	—	माणिकलाल वशिष्ट को ता. 28.8.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31. से 40.	दुकानें पट्टी पोस 10	एजन	—	—	—	प, खिडक छोटा मन्दिर द. पू. में श्राम रास्ता उ. में माणकलाल	—	—	बेची 21000/–	—	—	—	—	वकील भवानी शंकरजी दाधीच को माणकलाल से पहले बेची
41.	नाल	एजन	—	—	—	बड़ नीचे बड़े दरवा के सामने	हाँ	—	—	—	—	—	—	मेडियो पर जाने का रास्ता
43.	दुकान मैडी	एजन	—	—	—	एजन	—	60/–	—	—	—	—	—	परमानन्द शम्भुलाल गौडवा 1.7.78 से
44.	एजन	एजन	—	—	—	एजन	—	60/–	—	—	—	—	—	भंवरलाल गोपीलाल 1.1.76 से
45.	दुकान मेडी	एजन	—	—	—	एजन	—	10/–	—	—	—	—	—	गोरधन छीपा 1.7.54 180 बाकी
46.	एजन	एजन	—	—	—	एजन	मैडी कब्जे	6/–	—	—	—	—	—	अमरलाल के 1.10.65 96/– बाकी
47.	बावडी मय जमीन बाहिर ली वाडी	एजन	—	—	—	स्कूल बाउण्डरी	—	—	बावड़ी तथा जमीन	—	—	—	—	स्कूल के कब्जे में है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48.	छतरी लाल पत्थर	एजन	—	—	—	पु. दुकान में उमा शंकर उ. पड़त भूमि प. ग्राम रास्ता गली में जाने का रास्ता	हाँ	—	—	—	—	—	—	—
49.	सिनेमा हाल	एजन	—	—	—	नये बाजार के सामने	—	—	100000	—	—	—	—	विहारी लालजी, कन्हैया लालजी गोरवा कांकरोली, ता. 1.10.1962 को
50. से 55.	दुकाने	एजन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56.	बावड़ी मय ढाणा	एजन	—	—	—	हरजीवन आश्रम के पश्चिम में	हाँ	—	—	—	—	—	—	—
57.	टीन पोश छपड़ा	एजन	—	—	—	बस स्टेण्ड के पास	—	—	फ्री दिया	—	—	—	—	न्यू बोर्ड राजसमन्द को दिया 25.8.1970 को

1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	14	16
58.	पुख्ता दुकान	एजन	—	—	—	—	—	—	1100/–	—	—	—	—	नारायण मोची को बेचा 31.12.62 को
59. से 65.	दुकानें 5 तथा उस बंगला मय नाल	एजन	—	—	—	पुलिस चौकी नाल मकान मय दुकानों के	—	—	6500/–	—	—	—	—	वकील सालिगरामजी को बेची । 27.3.1959
66.	दो मंजिला मकान	एजन	—	—	—	पुराना पोस्ट ऑफिस नामक मकान पुसदियों की ओल	—	45/–	—	—	—	—	—	डा. ग्रासर दास के किराये पर 1.8.68 से किराया नहीं बढ़ाता
67.	दो दुकानें	एजन	—	—	—	एजन	—	—	2000/–	—	—	—	—	सोहनलाल नन्दलाल को बेचा 16.7.70
68.	पट्टी पोश	एजन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69. 70.	एजन	एजन	—	—	—	एजन	—	—	2000/–	—	—	—	—	गिरधारी लाल गोरधनजी को बेची । 16.7.70
71. 72.	एजन	एजन	—	—	—	एजन	—	—	2000/–	—	—	—	—	रमेशचन्द्र छगनलाल को बेची । 16.10.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73.	पक्का मकान	एजन	—	—	—	कीरों की ढाल पुराना बिजली की परिक्रमा	हाँ	—	—	—	—	—	—	—
74.	टीन पोश मकान दो	एजन	—	—	—	परिक्रमा में बिजली घर पर	हाँ	2-50	—	—	—	—	—	कल्याण बाई को किराये 1.6.71 45/– बाकी
75.	खण्डहर	एजन	—	—	—	तालाब में गोपाल के मकान के पास	हाँ	—	—	—	—	—	—	खण्डहर पड़ा है।
76.	पक्का कोठा	एजन	—	—	—	कज्जलाल श्रीमाली मकान नीचे	—	—	100/-	—	—	—	—	कज्जूलाल श्री माली को बेचा 2.8.62 से
77.	दो मंजिली बिल्डिग	एजन	—	—	—	पीपली चबूतरा पास घोरा मोहल्ला	—	—	6107	—	—	—	—	धन्नीरामजी, हीरालालजी को बेचा 15.11.61
78.	दो मंजिला मकान	एजन	—	—	—	परिक्रमा ढाल की सीढ़ी के पास	—	8/	—	—	—	—	—	गिर्राज महाराज बहा बनिया के 1.7.47 से
79.	मकान मय कोठा	एजन	—	—	—	मुसलमानों की मस्जिद के पास दरवाजे पर	—	—	—	—	—	—	—	हीरालाल पालीवाल को बेचा

Page No. 236

236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80. 81.	मकान	एजन	—	—	—	ढ़ाल की सीढ़ी पुरानी पर छप्पर वासनगर नीचे बड़ा घर	हाँ	—	—	—	—	—	—	—
82.	ढूंढ़ा दुकानों का	एजन	—	—	—	भीलवाड़ा रोड के उत्तर तथा बाल कृष्ण के मकान के पास	—	—	फ्री	—	—	—	—	कीर्तन भवन के लिए रामधु नामक
83.	प्लाट।	एजन गज 45	30	—	—	स्टेशन रेल्वे रोड	हाँ	—	—	—	—	—	—	कब्जे में है 1125/- रु. में खरीदा गया सं. 89 में
84.	सीढ़ियाँ	एजन	—	—	—	बाजार से मंदिर आने के लिए ढ़ाल की सिढ़ियां	हाँ	—	—	—	—	—	—	—
85.	नजर वाड़ी का उखड़ा मय कोठा मंदिर आदि	एजन	—	—	—	कन्हैयालालजी गौरवा के मकान के पश्चिम में	—	—	नाक	—	—	—	—	सार्वजनिक ह. मन्नालाल गोपीलाल जाट जागीर रिज्युम से पहले
86.	दरवाजा चांदपोल ऊपर मकान	एजन	—	—	—	चांदपोल दरवाजा नामक दो मंजिल	—	—	1400/-	—	—	—	—	इब्राहिम को बेचा 20. 11. 61 को

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
87.	चाँदपोल बहार पड़त ढूंढ़ा	एजन	—	—	—	चांदपोल बाहर कसाइयों के मंदिर के पास	हाँ	—	—	—	—	—	—	पड़त है।
88.	तालाब पाल पर ढ़ाने तीन	एजन	—	—	—	हरिजन बस्ति के ऊपर सूरजपोल	—	—	—	—	—	—	—	एजन
89.	सुन्दर निवास बाहर मय बावड़ी आदि	एजन	—	—	—	सूरज पोल बहार भीलवाड़ा रोड	—	—	46000/—		—	—	—	अ. शो. श्रीमती चन्दलाल एवं भामीणी बहुजी को मि. न. 4/66
90.	विठ्ठल विलास बाग मय मन्दिर आदि	एजन	—	—	—	भीलवाड़ा रोड के द्वारकेश शापिंग सेन्टर के दक्षिण में	—		—100000/-	—	—	—	—	चन्द्रलता बहुजी को
91.	बाग विठ्ठल विलास की रसोर वाली भूमि	एजन	मानचित्र— अनुसार		—	भीलवाड़ा रोड के दक्षिण तरफ द्वारकेश शापिंग सेन्टर	हाँ	—	—	—	—	नगर पालिका राजसमंद में अंकित है	—	510 दुकानों की परमीशन नगरपरिषद् द्वारा दी गई अब तक 107 दुकानें बन गई और 79 विक्रय की जा चुकी हैं। लगान 49.68 पैसे आते हैं।
92	बिजलीघर													

(237)

Page No. 238

(238)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
93.	बड़ा बाग तालाब पाल पर	एजन	बीघा 2611/1	—	हाँ	चांदपोल बाहर	—	—	—	—	—	—	—	लगान 49.68 पैसे आते हैं
94.	बड़ा बाग के ढ़ाने तालाब पर	एजन	—	—	—	कमबददास जी की बाड़ी पर	हाँ	—	—	—	—	—	—	—
95.	देवल मंजरी बंजर भूमि मय मकान	एजन	16111/1	—	हाँ	भीलवाड़ा रोड व आसोटिया रोड बीच में	हाँ	—	—	—	—	—	—	पौने दो बीघा पर चन्द लोगों ने ना. कब्जे हैं।
96.	बड़ी गौशाला	आसो-टिया	—	—	—	ग्राम आसोटिया	हाँ	—	—	—	—	—	—	खाली है।
97.	छोटी गौशाला	एजन	—	—	—	एजन	—	20/-	—	—	—	—	—	कृष्णकान्त साचिहर 1.10.81 से
98.	गौशाला बावड़ी	एजन	—	—	—	फुलवाड़ी के सामने	हाँ	—	—	—	—	—	—	—
99.	फुलवाड़ी तथा कुआं	एजन	बीघा	25/4	—	आसोटिया	हाँ	—	—	—	—	—	—	लगान 64–72 पैसे आते हैं।
100.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
101.	ढूंढा मेंट शुद्धा	राजनगर	—	—	—	नन्दवाना वास में	—	—	245/	—	—	—	—	बेचा राजनगर बावे देवीलाल नन्दवाना 24-11-62
102.	गौशाला	निर्झरना पंचायत समिति वोरज	डेढ़ बीघा		—	निर्झरना	—	—	—	—	—	—	—	लगान बीड 544-55 पै.
103.	बीड़	एजन	17141/2		—	बीड़								
104.	गौशाला	फियावड़ी	—	—	—	फियावड़ी गांव में	—	—	1901/	—	—	—	—	डालचन्द को बेची
105.	ढूंढा	तहसील राजसमन्द												9-1-1968
106.	रूपकुंवर बाई वाली सराय मय मन्दिर	उदयपुर जिला उदयपुर	—	—	—	पुरानी स्टेशन रोड जहां नोबल स्कूल है	—	—	ना. कब्जा	—	—	—	—	जमनालाल सेनाढ्य का कब्जा है
107.	भटियानीजी की सराय मय मन्दिर	एजन	—	—	—	अशोक नगर	—	—	ना. कब्जा	—	—	—	—	एजन

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
108.	श्रीद्वारकाधीश मन्दिर	अलवर जिला अलवर	—	—	—	महल चौक	—	—	ना. कब्जा	—	—	—	—	दुर्गाप्रसाद द्वारा कब्जा
109.	मकान 1	झवरक्या जिला भीलवाड़ा	—	—	—	—	—	—	401/	—	—	—	—	बेचा मांगीलाल दयाराम को 2-5-64
110.	मकान 1	अमलोई जिला उदयपुर	—	—	—	—	—	—	151/	—	—	—	—	श्री कमलेश व्यास 16-9-62 को बेचा
111.	मकान 1	भरवाड़ा तहसील रेलमगरा	—	—	—	—	—	—	341/	—	—	—	—	बेचा अर्जुनलाल महाजन 2-3-66
112.	मकान 1	पेमाखेड़ा तहसील रेलमगरा	—	—	—	—	—	—	100/	—	—	—	—	लालू अहीर को बेचा 2-3-66
113.	मकान 1	माडावेरा तहसील राजसमन्द	—	—	—	—	—	—	151/	—	—	—	—	श्री पदमसिंह को बेचा 22-3-64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
114.	श्री द्वारकानाथजी मन्दिर	नाथद्वारा	—	—	—	सदर बाजार का रास्ता मन्दिर	हाँ बाहर दुकान	—	—	—	—	—	—	अर्जनलाल हर्षलाल के किराये पर
115.	वृजपुरा दरवाजा मय ऊपर मकान तथा बाहर चबूतरी	नाथद्वारा	—	—	—	सदरबाजार	—	20/-	—	—	—	—	—	ऊपर का मकान 20/ में विमला देवी के 1.12.78 से
							—	8/	—	—	—	—	—	चबूतरी गोपीलाल 1 12.66 से
							—	8/	—	—	—	—	—	सम्पतलाल के 1.12.66 से
116.	आनन्द टाकीज वाला मकान मय ढूंढा व जमीन	नाथद्वारा	—	—	—	ढोलियो के दरवाजे पास	—	—	25000/—	—	—	—	—	नाथूलालजी तलेसरा को बेचा 18.1 1965
119.	वृजपुरा बावड़ी	एजन	—	—	—	वृजपुरा में	हाँ	—	—	—	—	—	—	—
120.	बांसेड़ा जिला भीलवाड़ा त. शाहपुरा	बासेड़ा	किता35 19111/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	खुदकाश्त लगानी 183 रु. 10 आने व्यवस्थापक लादूराम
121.	तालाव बांसेड़ा	सवा 50 बीघा	—	—	—	—	—	—	ना. कब्जा	—	—	—	—	इरिगेशन द्वारा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
122.	वावड़ी	फुलहरा त नाथद्वारा	आराजी नं. 112 63	—	—	—	हाँ	—		—	—	—	—	—
123.	बुंगला	कांकरोली	—	—	तालाव पर हनुमान मंदर के नीचे		हाँ		—	—	—	—	—	—
124.	कुण्ड पानी का	कांकरोली जिला उदयपुर	आ.न.47 6 विस्वा	—	पास बुक रे में दर्ज	गुप्तेश्वर महादेव पास	पड़त		ना. कब्जा	—	—	—	—	—
125.	दुकानें 4 पक्की	एजन	—	—	—	मंदिर दरवाजे के वाहर खड़ोत तरफ	2 खाली 1दुकान 1 .,	पड़त किराये पर 2/	—	—	—	—	—	बसन्ती के किराये पर है। शंकर नाई
126.	बिल्डिग माला	बम्बई महाराज	—	—	—	भोलेश्वर चकसा बम्बई नं. 2	—	किराये	—	—	—	—	—	इसका विवरण बम्बई से आने पर पेश कर दिया जावेगा।

पाना नम्बर–1

क्र. सं.	सं.	विवरण	वजन	मूल्य
1.	1	कंठी (हार) एक जड़ाव मूंगा की हेमको	42.000	2100/–
2.	–	हार दो मूंगा व सोना मणा पदक में एक संग सतारा व एक सादा सोना अन्दाज ग्राम 20	42.000	2100/–
3.	2	कंठी दो मूंगा मणा हेम मणा पदक नौरतन जड़ाव एक में व माणीक जडा दूसरे में	23.000	800/–
4.	1	बजक एक मूंगा तावीज की	7.400	100/–
5.	1	कंठ माला मूंगा हेमकी चाखड़ी	12.300	600/–
6.	1	तीन मणीया जडाऊ हेमका जिस पर मूंगा मोती की माला	11.00	600/–
7.	4	पोहोची 4 मूंगा की जडाऊ हेमको	22.00	1100/–
8.	1	चोटी एक कपड़ा पर मूंगा माला सी हुई	21.00	200/–
9.	2	बाजू जोडी एक मूंगा तावीज हेम मणा का	12.300	300/–
10.	2	जोड़ी नंग 2 मूंगा जड़ाव हेमको चुड़ी	17.00	800/–
11.	2	जोड़ी नंग 2 मूंगा व हेमका मणीया (पहोची)	16.000	300/–
12.	?	मूंगा मणा के जेवर व हेमका मणका (तोड़ा)	7.000	200/–
13.	2	नुपूर जोड़ी 1 मूंगा व सोना का मणा	10.000	300/–
15.	2	कंठी एक दुवड़ी हेम व मूंगा मणा व मंगल सूत्र एक काली चोंनी की	8.500	200/–
16.	1	कटपेच 1 हेम के मणा व मूंगा	11.500	300/–
17.	1	कंठी भरणा हेमके मणा व मूंगा के	4.500	100/–
18.	1	मूंगा मणा का फाणना के	10.500	50/–
19.	2	बेला जोड़ी 1 मूंगा मणा व हेम मणा	6.000	200/–
20	2	पता नंग 2 मूंगा मणा व हेम मणा	12.000	350/–
21.	2	झुमकी जोड़ी 1 ,, ,,	14.300	450/–
22,	1	टीका व जडाऊ मूंगा मणा गोसवाला लटका हुआ	8.600	400/–

(२५५)

पाना नम्बर-1

क्र. सं. सं.	विवरण	वजन	मूल्य
23.	2 हस्तफूल हेम मणा व मूंगा मणा	2.500	100/-
24.	1 नथ 1 हेमका मोती 3 मूंगा 1	4.300	400/-
25.	2 हस्त साखला 2 मूंगा मणा मोती डोरा में	10.000	150/-
26.	3 टीको 3 जड़ाऊ सोना की जड़ाव मूंगा को	3.000	150/-
27.	2 छीप जोड़ी 1 हेम मणा मूंगा मणा	3.200	125/-
28.	1 हार 1 जड़ाऊ पख पोलकी जड़ाव मोती पोया हुआ जुगावली के मीना हरा व जड़ाव हीरा पन्ना का	81.500	12000/-
			24775/-

पाना नम्बर-2

क्र. सं. सं	विवरण	वजन	मूल्य
29.	1 हार 1 हेम का तुरमली जड़ाव मीना लाल	93.5000	5500/-
30.	1 क्लचर मोती 1 लड़ी लुगावली हेमको जड़ाऊ जड़ाव कच्चा कांच की मणी लटकी हुई	61.000	1100/-
31.	1 हमेल 1 हेमकी मीना वगैर कपता जड़ाव कच्चा	65.500	3000/-
32.	1 चांदी की भवंल जड़ाव कच्चा पदक में हीर परव मोती रोवल	—	1500/-
33.	1 हंसली 1 माणीक पीटा जड़ाव हेमको	26.000	1300/-
34.	1 कटपेच 1 जडाऊ तुरमली पोटा	44.000	2000/-
35.	1 हार 1 चांदी में कासला जड़ाव का	—	500/-
36.	1 तनमनीया जड़ाव मणक पन्ना पोटा हीरा परव का	08:500	1800/-
37.	1 मंगलसूत्र जडाऊ हीरा परव पालकी हेमका	11.500	1200/-
38.	2 पोहोची जोड़ी 1 जड़ाव हेमको माणक तुरमली जडाव	19.500	900/-
39.	2 सैला जोड़ी 1 मोती तथा जडाऊ पानडिया	19 000	1100/-
40.	2 झुमकी जोडी 1 हेमकी जडाऊ मोती की लडे लगी हुई नीचे कांच (हीरा) गोसवाला	34.500	1600/-
41.	1 दुलडी मोती की जिसमें हलका सोना इमीटेशन का आवाजदार ठेकडा	7.400	400/-
42.	2 बेरबी मोती की व सोने के घाट के पर मोती लगा हुआ डोरे में मोती की लडे मय डोरे के	64.000	3500/-
43.	1 सेहरे की लड मोती की डोरे में मय किनारी	12.500	800/-
44.	2 कर्ण फुल जोडी 1 परव जड़ाव की	10.400	1000/-
45.	2 मच्छी जोड़ी में हीरा परव सेटींग की मोती सोना का तार में फंदा हुआ	12.500	1100/-

पाना नम्बर–2

क्र. सं. सं	विवरण	वजन	मूल्य
46.	2 मोती दाणा 2	2.200	250/–
47.	2 कडा जोड़ी चांदी का घाट परव (हीरा) जड़ाव	—	800/-
48.	1 कंठी 1 हीरा कांच का मणा मोती रीयल पदक सोना जड़ाव	32.000	500/-
49.	1 हार 1 जडाव हेमका पन्ना पोटा जड़ाव	25.000	1200/–
50.	1 कंठी 1 रीयल मोती पन्ना मणी 4 पदक जडाऊपद्धा माणक गोसवाली कांच की	12.500	500/–
			31650/–

पाना नम्बर-3

क्र. सं. सं.	विवरण	वजन	मूल्य
51.	2 कंठी 2 मोती पन्नामणी की पदक पन्जा दो जडाऊ	13.000	1000/-
52.	1 कंठी 1 मोती पन्नामणी हरी कांच की पेन्डेन्ट पन्ना सेटींग की आवाजदार	10.000	500/-
53.	1 कंठी 1 हलकी मोती पन्ना मणी की	22.000	300/-
54.	1 कंठी 1 हलकी पन्ना मणी की	30.000	300/-
55.	1 भवल 1 मोती के साथ पन्ना पोटा को खडाऊ पानोडया हेमको	16.000	3500/-
56.	1 जडाऊ हेमका तनमनोया एक पन्ना पोटा जडाऊ	17.000	800/-
57.	2 पत्ता नंग 2 जडाऊ हेमका कच्चा जडाव	16.500	700/-
58.	1 कंठी एक चारवडी जडाऊ पानोडया मोती को	22.000	2500/-
59.	4 बन्द नंग 4 जडाऊ हेमके	23.000	1100/-
60.	2 पहोदी नंग 2 जडाऊ पट्टा कपड़ा पर	7.500	350/-
61.	2 ईयरींग जोड़ी 1 कच्चा जड़ाव अदकर सोने की	11.000	300/-
62.	2 ईयरींग जोड़ी 1 कच्चा जड़ाव सोना मीना की मोती रीयल फंदा हुआ	14.500	900/-
63.	2 पत्ता 2 सोना मीना का मोती फंदा हुआ	6.500	600/-
64.	2 हस्तफूल जडाऊ पन्ना पोटा को हेमका	4.500	300/-
65.	2 मुद्रिका 2 जडाऊ पन्ना पोटा को	3.000	200/-
66.	1 नथ 1 मोती 3 मणी।	6.400	800/-
67.	1 किलंगी 1 हेमकी पन्ना को जडाऊ हेमकी	6.000	450/-
68.	1 टीको 1 पन्ना पोटा जडाऊ हेमका पन्ने की मणिया 4 व एक कांच की	14.500	2000/-
69.	2 ढीको 2 जडाऊ नीलम जड़ाव को	1.600	100/-
70.	1 पटरी हार 1 कजदर मोती हेमका ठेकड़ा जड़ाव माणक पीटा मणी इमीटेशन लाल लटकी हुई सोना अन्दाजन ग्राम 18	43.000	2000/-

(248)

पाना नम्बर–3

क्र. सं. सं.	विवरण	वजन	मूल्य
71.	1 भवन हेमको जडाऊ माणक पोटा को	43.500	3400/–
72.	1 कंठी 1 लाल एमीटेशन मणिया मोती हल्का जुगावली जडाऊ	33.500	700/–
73.	4 कंठी 4 लाल इमीटेशन व हलको माणक की मिक्साड मणीये व मोती रोयल पदक सोने के जडाऊ	29.500	1100/–
		योग	23900/–

पाना नम्बर-4

क्र. सं. सं.		विवरण	वजन	मूल्य
74	1	कंठी एक लाल इमीटेशन मणिया मोती की पदक माणक का जडाऊ हेमका	21.400	400/-
75.	2	चूड़ी 2 सोने की माणक पोटा जड़ाव	64.500	4000/-
76.	1	कटपेच 1 जडाऊ टेकडा व मोती का	13.500	900/-
77.	1	काननी 1 जडाऊ हेमकी मोती फन्दा हुआ	32.000	2200/-
78.	4	बन्दन 4 जडाऊ माणक पन्ने पोटे हेमेके	18.000	1000/-
79.	2	पोहोची नं० 2 जडाऊ हेमको माणक पोटाको	12.000	600/-
80.	2	हंस सावला 2 जडाऊ लाल ईमिटेशन	23.000	1000/-
81.	2	बन्द जोड़ी 1 माणक जड़ाव हेमके	18.000	1000/-
82.	2	तुतुरजोड़ी 1 जडाऊ पानडिया माणक को	6.500	350/-
83.	2	तोडा जोड़ी 1 जडाऊ पानडिया माणक की	5.000	300/-
84.	1	कंठाभरण 1 जडाऊ माणक पोटा को	6.200	350/-
85.	1	तनमनीया 1 जडाऊ हेमका जडाऊ माणक पन्ना	10.000	600/-
86.	2	पत्ता 2 जडाऊ मोती फन्दा हुआ हेमका	13.000	700/-
87.	2	झुमको जोड़ी 1 (टोकरी) हेमको मीणा की	18.500	1400/-
88.	1	दुलडो 1 मोती की व माणक मणिया	5.500	400/-
89.	1	लालचीनी का मंगलसुत्र के ठेकडा 1 जडाऊ	6.500	150/-
90.	1	टीका 1 जडाऊ हेमका मोती रोयल	7.800	400/-
91.	2	हस्तफूल जोड़ी एक जडाऊ हेमको	6.300	300/-
92	1	ढ़ोलकी 1 हेमको जडाऊ	4.800	309/-
93.	2	टीका 2 जडाऊ माणक को	2.000	125/-
94.	3	कंठी 3 एक लडी मोती की जुगावली अदकार का घाट जड़ाव कच्चा नीचे हरा कांच का गोलवाला	9.500	3000/-
95.	1	कंठी एक मोती की एक लडी जुगावली सोना की जडाऊ हीरा परव की पन्ना गोलवाला की 3 तीन आसरे की	26.000	7000/-

पाना नम्बर–4

क्र. सं. स.	विवरण	वजन	मूल्य
96.	3 कंठीये मोती एक लडी जुगावली जडत माणक पीटा तुरमला वगेरे	35.000	2500/-
97.	1 भवन 1 सोना मीणा की पानडीया जडाऊ	17.000	1000/-
98.	1 कटपेच 1 सोना का जडाऊ माणक पन्नापोटा	12.000	700/-
99.	4 बन्ध सोना का जडाऊ जड़ाव तुरमली का	17.000	800/-
106.	2 पोहची 2 सोना का जडाऊ जड़ाव तुरमली	11.000	560/-
		योग	31925/-

Page No. 251

251

पात्रा-5

क्र. सं. सं.	विवरण	वज़न	मूल्य
101.	1 कंठा भरण सोने मीणे का जड़ाऊ हीरा पर बफारियल मोती लगे हुवे ।	16.500	2100/-
102.	1 तनमनीया सोने का जड़ाव हीरा परवं का मोती टंगा हुवा तथा एक को गौसवाला 1 फारगा हुआ	9.600	2500/-
103.	1 चोटी जडाऊ ठेकडा कपड़े पर सीये हुवे	38.500	1700/-
104.	2 पता जोड़ी पुखराज का	14.200	750/-
105.	2 बाजू जोड़ी 1 हीरापरव जडाव सोना मीना को	14.800	1500/-
106.	2 नुपुर जोड़ी 1 तुरमली जडाव सोना मीना को	8.500	400/-
107.	2 तोड जोडी 1 हीरा जड़ाव सोना को जड़ाव	9.500	800/-
108.	2 छीप जोडी 1 तुरमली जडाव सोना को	7.200	400/-
109.	1 फोनना 1 जडाऊ माणक पोटा 1 पोपजा का	16.400	800/-
110.	4 चूड़ी 4 सोना की बारीक मोती लगा हुवा	48.000	5000/-
111.	4 चूड़ी 4 चांदी पर कलचर मोती को	—	250/-
112.	1 टीका 1 जडाव सोना को जडाव हीरा पर मोती लटका हुआ	14.500	2000/-
113.	1 ,, ,, ,,	13.200	1200/-
114.	1 सोना की कीलगी जड़ाव तुरमली को	9.300	450/-
115.	1 मंगलसूत्र सोना की चैन पेन्डेन्ट जड़ाव कच्चो	18.000	1200/-
116.	1 चन्द्रमा 1 चांदी में हीरापरब पच्चीकारी हीरा परब के 2/50	—	1000/-
117.	1 किलंगी 1 चांदी में हीरा परव तुरमनो जडाव		50/-
118.	1 किलंगी 1 सोने की जडाऊ हीरा परब की	3.400	400/-
119	2 कर्णफुल जोडी 1 सोना की कच्चा जड़ाव का	7.700	350/-
120.	2 कर्णफुल जोडी 1 माण पोटा का जडाव की सोना को	19.600	1000/-

(252)

पाना–5

क्र. सं. सं.	विवरण	वजन	मूल्य
121.	1 नथ एक सोना की हीरा परब 1 मणि पन्ना की मोती 10 की	5.000	5000/-
122.	1 नथ एक दो मणि पन्ना की लगी हुई	2.800	350/-
123.	1 नथ 1 एक माणक मणी और मोती 11 हीरा मिचल चल लगा हुवा ।	5.700	1000/-
124.	1 तनमनीया 1 पीरोजी चीणों का हीरापरब 3 लगी हुई	5.800	800/-
125.	1 एक दुलडी मोती का डोरा में	3.700	375/-
126.	1 चन्द्रमा एक छोटा जड़ाव सोना का	4.000	200/-
127.	2 शीषफुल 2 जडाऊ सोने का	3.300	175/-
128.	3 टीको 2 जडाऊ सोने की	3.000	150/-
			27400/-

(253)

पाना–6

क. सं. सं.	विवरण	वजन	मूल्य
129.	2 हस्तफूल जडाऊ सोने के	2.400	120/–
130.	2 मुद्रिका 2 जडाऊ सोने की हीरा परब जडाऊ	3.500	350/–
131.	1 सेहरा सोने के किरण डोरा सहित नेट वेट 36/.	42.000	3950/–
132.	2 सोने को जुमको जोड़ी पीछे चांदी सोना नेट वेट ग्राम 40	43.000	4400/–
133.	2 सोने की मच्छी जोड़ी	8.800	900/–
134.	2 सोने की पत्ती जोड़ी चपड़ी सहित	8.500	600/–
135.	2 सोने की पत्ता जोड़ी	20.200	2000/–
136.	2 कडा नग 2 सोने का चपड़ी सहित	35.500	1800/–
137.	2 पीछेली जोड़ी 1 सोने की	32.800	3500/–
138.	2 पाटला जोड़ी 1 सोने की	10.300	1100/–
139.	2 पागठ जोड़ी 1 सोने के मणे कपड़े पर गुथी हुई नेट वेट 10/–	22.300	1100/–
140.	2 चूडी जोड़ी 2 गुगरी लटकी हुई सोने की	20.00	2300/–
141.	1 कांट पेच 1 सोने के घूघरों का का चपड़ी सहित सोना नेट ग्राम 3	10.000	350/–
142.	2 सोने की जेल जोड़ी बालस में चपड़ी नेट 25/–	28.400	2700/–
143.	4 बन्द 4 मणका सोने का डोरा चपड़ी सहित नेट वेट 3 ग्राम	8.000	350/–
144.	2 हस्त सांवला सोने के डोर सहित	9.800	800/–
145.	2 तोड़ा जोड़ 1 सोने की	11.500	1000/–
146.	2 नुपुर जोड़ी 1 सोने की कपड़े की पट्टी पासी हुई	22.500	2000/–
147.	2 पायल जोड़ी 1 सोने की	16.000	1700/–
148.	2 पंगपाम जोड़ी 1 सोने की	5.200	550/–
149.	2 अनवट विछीया सोने की	6.000	600/–
150.	2 पोहोष दो सोने के एक ठेकडा जड़ाव कच्चा	7.400	5000/–

पाना–6

क्र. सं. सं.	विवरण	वजन	मूल्य
151.	3 टीकी 3 सोने की जिसमें एक लाल जडाऊ	2.700	200/–
152.	1 फोनना सीने का	10.200	800/–
153.	2 सोने का पता 2 मय चपड़ी	2.600	150/–
154.	2 बाजू जोड़ी सोने की मणा चपड़ी सहित	12.000	800/–
155.	2 बाजू जोड़ी सोने की मणा मारलाया की डोरा सहित	8.000	30/–
166.	1 हार 1 लक्ष्मी ठापा का सोना का	14.500	160/–
167.	4 कंठीया 4 सोने का मणा का चपड़ी सहित सोना का नेट वेट 25/	65.000	2000/–
168.	5 कंठीया 5 सोने का मणा चपड़ी सहित मय पदक	64.000	3300/–
			42420/–

पाना–7

क्र. सं. सं.	विवरण	वजन	मूल्य
159.	1 भवल 1 सोने की चपड़ी सुधा नेटवेट ग्राम 12	24.500	1300/-
160.	1 तोमनीया 1 सोना का चपड़ी सहित पीरोजी चीणा सोना ग्रंदाज 8	20.500	850/-
161.	1 कंठमाला 1 चारलडी माणक सोना का	14.000	1000/-
162.	1 कंठाभरण 1 सोने का डोरा सहित	9.200	9000/-
163	1 चोटी 1 कपड़े पर सोने की पानछीये लगी हुई सोना ग्राम 20/ ग्रंदाजन	25.700	2200/-
164.	2 टीका 2 सोने का	10.500	1100/-
165.	2 नथ 1 सोने की मणी 1 खोटा पीरोजा की 1 मीना की पीराजी ताकी	13.400	1300/-
166.	1 किलंगी 1 सोना की	6.500	700/-
167.	4 हस्तफुल सोने मणी के सिवने चपड़ी सहित नेटवेट 2/ ग्राम ग्रन्दाजन	6.200	225/-
168.	2 एक दुलड़ी सोने मणके की व एक मंगलसूत्र काली चीणी का	8.000	400/-
169.	2 मुद्रिका सोने की	2.00	200/-
170.	1 सोने का जडाऊ पीरोजे का हार	26.800	1200/-
171.	5 सोने मीने की पीरजी मणीया मोती की माला 5 पद मीनेका ग्रोर जडाऊ पीरोजा का	63.500	3000/-
172.	1 कंठी मोती व पीरोजी मीना सोने पर किये हुवे मणके	16.200	1100/-
173.	2 कंठी दुलड़ी मोती व पीरोजा मीना का मणा की व एक मंगलसूत्र पीरोजी चीनी में पदक सोने का मीना का	14.000	700/-
174.	1 भवल एक मोती की जिसमें सोने पर पीरोजी मीने किये हुवे गोसवारे लगे	13.800	700/-

पाना–7

क्र. सं. सं.	विवरण	वजन	मूल्य
175.	1 चोटी 1 कपड़े की पट्टी पर ठेकड़े जडाऊ सीये हुवे सोना हल्का	25.500	600/–
176.	4 बन्द 3 सोने के जडाऊ पीरोजा व मणा के मोती लगे हुये	15.000	800/–
177.	1 कटपेज 1 जडाऊ पीरोजा माणक पोटा का	19 500	1000/–
178.	2 कंगन जोडी पीरोजा जड़ाव की सोना की	65.500	4000/–
179.	1 फीना पेरोजा जड़ाव सोना का डोरा सहित	17 400	600/–
180.	2 कानकी झुमको की पीरोजी का मणा पुन्द हुई	19 600	1700/–
181.	2 बाला जोडी 1 पीरोजा जड़ाव की सोना की	26.200	2300/–
182.	2 नुपुर जोड़ी सोना पीरोजा जड़ाव की	24.700	1600/–
183.	2 बाजु जोड़ी 1 सोना पीरोजा मीना की मीना जडाऊ	17.400	12000/–
184.	2 पान 2 पीरोजा जड़ाव का	6.500	450/–
			31125/–

पाना-8

क्र. सं. सं.	विवरण	वजन	मूल्य
185.	1 नथ पीरोजा जड़ाव की सोने की	7.200	1000/-
186.	2 हस्तफूल 1 पीरोजा जड़ाव की सोना की	3.500	200/-
187.	2 टीको 2 जड़ाव सोने की	2.200	125/-
188.	2 पता 2 सोने की मीना पीरोजा व मोती लगे	5.000	450/-
189.	2 कर्ण फूल जोड़ी 1 सोने की जड़ाव पीरोजा का	11.600	600/-
190.	1 टीका जडाऊ पीरोजा का सोने का	7.200	500/-
191.	2 बाजु जोड़ी 1 पीरोजा जडाव की सोने की	21.500	1000/-
192.	1 तनमनीया 1 पीरोजा जडाऊ सोने का	18.400	900/-
193.	2 नुपुर जोड़ी 1 मोती का डोरा में व सोना के तार में	9.500	800/-
194.	2 नुपुर जोड़ी 1 मोती का डोरा में दोलाइन व सोना तार में गुगरा	10.000	1000/-
195.	2 तोड़ा जोड़ी मोती की डोरा में व सोने के तार में गुगरीया	3.800	350/-
196.	2 छपोनंग 2 मोती की डोरा में जालनुमा	4.200	375/-
197.	2 बाजु जोड़ी जड़ाव सोने में मोतीया पोटा	12.000	500/-
198.	2 पोहोची जोड़ी जड़ाव सोने में मोती ,,	12.000	500/-
199	2 पोहोची नंग 1 मोती के डोर में दोहरी कांच की मणी लगी हुई	11.000	900/-
200.	4 बन्द 4 मोती की एक लाइन सोना का तार में	10.000	1000/-
201.	2 हस्तसावला 1 मोती के डोरा में	7.500	500/-
202.	2 मुद्रित का चांदी पर मोती लदे हुवे	—	75/-
203.	4 सोने के पाटले	22.800	2200/-
204.	2 कर्ण फूल जोड़ी 1 सोने में मोती लगे हुये	9.800	800/-

(258)

पाना–8

क्र. सं. सं	विवरण	वजन	मूल्य
205.	2 कर्ण फुल जोड़ी सोने में जड़ाव मोती के ससनगे	7 500	500/–
206.	2 पते 2 मोती के तार में फन्दे हुवे जिसमें चांदो को पतीया मीने की	7.500	700/–
207.	2 पते 2 मोती के सोने के तार में फन्दे हुवे	5.800	500/–
208	1 टीका 1 चांदी पर मोती फन्दे हुवे	—	400/–
209.	1 नथ 1 सोने के तार में मणी माणक की 2 ग्रौर मोती 7	5.200	2500/–
210.	1 नथ 1 सोने के तार में मणी माणक ईमीटेशन मोती दाना 3	2.200	—
211.	2 किलंगी मोती के तार में नीचे हुक चांदी का	6.000	5000/–
			19175/–

(259)

पाना–9

क्र. सं. सं.		विवरण	वजन	मूल्य
212.	2	टीको सोना को जडाऊ मोती को	2.000	150/-
213.	1	सेहरा एक चांदी के घाट पर मोती फन्दे हुवे जरी किरण के सात मोती अन्दाज ग्राम 035	73000	3000/-
214.	1	चोटी कपड़ा पर मोती तार पर लगे हुवे	8.500	400/-
215.	1	फोननी एक मोती तथा सोने का थेकड़ी की	9.600	900/-
216.	1	कटी पेचे एक मोती तीन लडी जिसमें माणक जड़ाव के सोने के ठेकेडे नग 3	6.200	600/-
217.	2	कंठी 1 की दुलडो डोरा में एक कंठी दौलडी मोती तथा काली चीनाव पदक एक मीना की पानडी जड़ाव परब की	8 300	900/-
218.	1	हार एक मोती का जालनुमा डोरा में पीरा हुआ	24.5000	2500/-
219.	4	कंठीया 4 डोरा की एक लडी मोती की जुगावलिया जडाऊ सोना में एक में हीरा परब तीन में मोती व एक माणक	61.500	5000/-
220.	1	मंगलसूत्र बारीक मोती 4 लडी डोरा में पदक जडाव इमिटेशन	14.000	800/-
221.	1	दुलडी मोती की डोरा में	33.000	3500/-
222.	1	तीमनीयों एक मोती का तार व डोरा में फन्दा हुआ।	5.000	450/-
223.	1	कंठा भरण एक जालीनुमा डोरा में	3.000	175/-
224.	1	भवल 1 जिसमें मोती एक लडी व जडाऊ माणक	12.000	1200/-
225.	1	पन्ने की चौकडिया लटकी हुई जिसमें 4 मोती लगे हुवें		
226.	1	भवल एक मोती की डोरे में जिसमें बेडिया मोती लटके हुये	9.500	800/-
				20375/-

260

पाना–1

क्र. सं. सं.	विवरण	वजन	मूल्य
1.	1 गादी एक जिसकी एक साइड पर जड़ाऊ सोने के फुल बड़े नंग 9 व छोटी 2 पानडिया वगैरह सीलाई की हुई तथा रीयल मोती लगा हुआ जड़ाऊ बकड़ी का वजन अन्दाजन 300.000 ग्राम जड़ाऊ माणक पन्ना पोटा का ।		20000/-
2.	1 ज. चोखटा लकड़ी पर मखमल चढ़ी हुई जिस पर जड़ाऊ सोने के थेड़े तथा रीयल मोती सिलाई किया हुआ जड़ाव हीरे परख, माणक तथा पन्ना पोटा का तथा कुछ थकड़ें तुरमली जड़ाव के बड़ी जुगावली 21 जिसमें 2 जुगावली कच्चे जड़ाव को, छोटे 2 थेकड़ों में भी कुछ कच्चे जड़ाव की है चांदी जड़ाव के थेकडों का कुल वजन अन्दाज ग्रा. 05.05 तथा मोती ग्राम 045/		45000/-
3.	1 मुकट 1 सोने का जड़ाऊ मूंगा का सोना अन्दाजन 130 ग्राम		14500/-
4.	3 तुर्राव कतरा नंग 2 जड़ाऊ सोने का जिसमें हीरे की मुकलसी लगी हुई वजन ग्राम 83 जिसमें सोना अन्दाजन ग्रा 45 हीरा मुकलसी	83.000	101000/-
5.	1 मुकुट 1 घाट चांदी का जड़ाव बिलायती हीरा पोलकी के रीयल मोती की बाड़ लगी हुई । हीरा पोलकी के 60/ ग्रा. अन्दाजन मोती ग्राम 15 अन्दाजन		36000/-
6.	1 जड़ाऊ पटरी हार सोने का जड़ाव हीरा पोलकी पच्चीकारी पीछे मीना किया हुआ	202.000	28000/-

प ना–1

क्र. सं. सं.	विवरण	वजन	मूल्य
	मोती की बाड़ चारों तरफ लगी हुई तथा मोती सूजनी वड़ी लटकी हुई ।		
7.	1 हार एक 18 केरट सोना जड़ाऊ हीरा पोलकी का एक नग थेकड़ा व मोती पिरोया हुआ जुगावली एक हीरा जड़ाव की	122.000	10000/-
8.	3 पान 1 तुर 2 सोना का जड़ाव पन्ना तुरमली जड़ाव का पानके मोती की बाड़ लगी हुई	76.000	4000/-
			258500/-

262

पाना–2

क्र. सं.	सं.	विवरण	वजन	मूल्य
9.	2	जड़ाऊ सोने की हमेल जड़ाव कच्चा नीचे जुगावली की जगह बाघ रख लगे हुवे। सोना अन्दाजन 70 ग्रा. दोनों में एक जुगावली हीरो की कुल 3	160.000	8000/–
10.	2	पदक दो सोने का जड़ाऊ–जड़ाव पन्ना माणक पोटा तथा तुरमली।	35.000	2500/–
11.	1	पदक एक चांदी पच्चीकारी जड़ाव कच्चा नीचे हल्का सोना का।	18.000	500/–
12.	2	कुण्डल जोड़ी। सोना की जड़ाऊ तुरमली जड़ाव गोरघाट।	16.500	1000/–
13.	5	लड क्लचर मोती की डोरे में पोई हुई	38.000	400/–
14.	1	वेत्र एक चांदीघाट पर पीरोजा का जड़ाव कुन्दर के अन्दाज कुन्दन ग्राम 18	—	2000/–
15.	1	वेत्र एक चांदी पर तुरमली जड़ाव	—	300/–
16.	1	वेणु एक चांदी पर हल्की हीरे की पोलकी परब अन्दाज		1200/–
17.	1	मादलीया हार क्लचर मोती पोया हुआ जिसमें सोने का जड़ाव अमादलिया व बोल 2 जड़ाव कच्चा अन्दाजन सोना 22 ग्राम	58.000	2500/–
18.	1	16 केरेट सोने का आवगदार इमिटेशन सफेद नगीने का हार	20.000	1300/–
19.	2	लूम 1 तुर्रा 1 मोती का डोरा व जरी पोया हुआ मोती अन्दाजन ग्राम 15	28.000	1500/–
20.	1	हांस एक चांदी का घाट हीरापोल को जड़ी हुई हीरापोल की	—	6000/–
21.	1	भवल एक हीरा पोल की जड़ाव चांदी घाट पच्चीकारी पानाडया मोती में पीरोई हुई हीरा पोलकी के 6/ व मोती 5/ ग्राम अन्दाजन		4000/–

Page No. 263

263

पाना–2

क्र. सं. सं.	विवरण	वजन	मूल्य
22.	1 भवल एक मोती की जिसमें 10 मोती दाणा बड़े लटके हुए मोती अन्दाजन ग्राम 26/	30.500	8000/-
23.	1 कॉटपेच एक सोना का घाट जड़ाव हीरा परब चांदी में मोती लगा हुआ	40.500	5000/-
24.	1 कटीपेच पोनती वाला सोना का घाट जड़ाऊ हीरा परब का	42.000	5000/-
			49200/-

पाना–3

क्र. सं. सं.	विवरण	वजन	मूल्य
25.	1 भवल एक जड़ाव पानड़ीया सोना की जड़ाव हीरा परब	15 500	1500/–
26.	1 कंठी एक मोती की एकलड़ी जुगावली चांदी घाट पच्चीकारी खोटा जड़ाव, मोतीरीयल दा 072 ग्राम 200 अन्दाजन	45.500	4000/–
27.	1 कंठी एक लड़ी रियल मोती डोरा में पदक एक सोना जड़ाव मीना का जड़ाव हीरा परब के मोती दाणा 71 ग्राम 17	33.000	7000/–
28.	1 कंठी एक एक लड़ी मोती की जिसमें पन्ने को मणिये दुलगी हुई पदक एक पच्चीकारी हीरा परब का घाट हल्का सोना मोती दाणा 44 ग्राम 10 पन्ना मणी के 12.000	31 000	6500/–
29.	5 कंठी पांच एक लड़ी मोती की छोटी जिसमें पदक एक एक लटका हुआ घाट हलका सोना का चढ़ाव हीरे परब का पच्चीकारी का मोती ग्राम 20 हीरा के 6	56.500	7000/–
30.	1 कोस्तुभ एक कांच पर सोने की जड़ाऊ टोपी 1 चेन सोने का, सोने का अन्दाजन वजन 17/	38.000	1900/–
31.	1 भसेटीया एक सोने का जड़ाव का सोने की चेन लगी हुई जड़ाव माणक पोटेका।	29.500	3000/–
32.	1 अबका जी माला सोने की गोलीये 50 सोना अन्दाजन ग्राम 5/	14.500	550/–
33.	2 गेहर जोड़ी एक घाट सोने का जड़ाऊ कुन्दन हीरा परब के 15/सोना अन्दाजन 35 ग्राम	80.000	8000/–

पाना-3

क्र सं. सं.	विवरण	वजन	मूल्य
34.	4 जोड़ी नग 4 फोना वाला जड़ाऊ परब पोलकी हीरा का मोती लगा हुआ सोना हलका आगे जड़त चांदी में हीरा के 5/	51.000	3500/-
35.	2 बाजू नग 2 हलका सोना का घाट आग्रे जबत हीरे का पच्चीकारी	23.000	2000/-
36.	4 पोहोची नग 4 परब जड़ाव का मोती लगे हुए जड़ाव सोने का घाट डोरे मोम सहित	20.500	1100/-
37.	4 कड़ा नग 4 चांदी की सेटिंग नीचे सोना हलका जड़ाव हीरा परब का हीरा परब है 8/	54.000	4000/-
			50050/-

पाना-4

क्र. सं. सं.	विवरण	वजन	मूल्य
38.	3 मुद्रिका नंग 3 जड़ाऊ हीरे की सोने का घाट परब हीरा था 12/ के 3/	9.000	1300/-
39.	2 हस्ता सांकला जड़ाऊ सोने की मोती और परब हीरे की जड़ाऊ	6.000	600/-
40.	1 तीन लड़ी मोती की कंठी (कंठमाला) छोडया तथा कुन्दा सोने का जड़ाऊ परब हीरा का	19.500	2500/-
41.	1 फोनना 4 घुघरी का जड़ाऊ सोने को हीरा परब	12.500	1000/-
42.	1 पन्ना पोटा जड़ाव की सोना का घाट मे पानडिया 14 और कुन्दा 1 टोकरी 2 मोती पोया हुआ ।	37.000	3000/-
43.	2 करण फुल मय टोकरी के जोड़ी 1 सोने का घाट जड़ाव हीरा परब का	11.500	1200/-
44.	1 मीना की सोना की कच्चा जड़ाव की गोटी	6.000	400/-
45.	1 सरपेच एक छोटा जड़ाव कच्चा सोने का घाट	4.000	300/-
46.	1 कंठाभरण चांदी का घाट हीरा मुकलसी था 7 के 4/	—	4000/-
47.	1 कोस्तुभ एक चांदी में हीरा परब था 3 तथा मोती फन्दे हुये		800/-
48.	2 नुपुर जोड़ी एक सोने का घाट पन्ना पोटा जड़ाव का सोना अन्दाजन ग्राम 14/	24.000	1600/-
49.	1 दोलड़ी एक मोती के डोरे में पोई हुई दाना 30/	6.000	1000/-
50.	3 तीन एक लड़ी मोती को डोरे में पोई हुई	11.000	3000/-
51.	1 लूम एक मोती की 5 लाइन लटकी हुई डोरे मोती अन्दाजन ग्राम 10/-	12.000	1700/-
52.	1 जीरा एक मोती फन्दे हुये सोने मीने का	9.000	1500/-
53.	1 अवकावली तरमली जड़ाव सोनेका घाट मोती रीयल	7.500	500/-

267

पाना-4

क्र. सं. सं.	विवरण	वजन	मूल्य
54.	1 छेलकड़ी पोलकी हीरा 3 बड़े छोटा 2 सोना घाट हीरा पोल की 3/ के 2/25	3.500	2500/-
55.	2 सरपेच 2 हीरा कवल का आवाजदार सोने का घाट रीलके 1/50	3.500	3000/-
56.	1 मोती की सूजनी एक बड़ी के 19	—	2500/-
57.	1 फोननी एक जड़ाव पन्नापोटा को सोने का घाट	13.000	800/-
58.	1 रियल मोतीं की सेहरा की लूम लड़े 9 मोती	29.000	3000/-
			36200/-

268

पाना-5

क्र. सं. सं.	विवरण	वजन	मूल्य
59.	2 पायल जोड़ी 1 सोना हल्का घाट जड़ाव हीरा पालकी चांदी की पच्चीकार	38.000	2000/-
60.	2 तोड़ा जोड़ी 1 सोने का घाट जड़ाव कच्चा	5.000	300/-
61.	2 पगपान 2 सोना घाटा पीरोजा जड़ाव	3.000	200/-
62.	1 पान 1 सोने का जड़ाव हीरा परब का 3/25 अन्दाजन	15.300	4000/-
63.	2 तुर्रा 2 सोने के जड़ाऊ हीरा परब जड़ाव का	12.000	1300/-
64.	2 कुडल जोड़ी 1 मोरघाट हीरा परब की चांदी का घाट पच्चीकारी काम की हीरा परब के	—	4000/-
65.	1 शीशफुल एक सोने घाट-जड़ाऊ कंदन, हीरा पोलकी का मोती की बाड़	6.500	2500/-
66.	1 किलंगी एक सोने के जड़ाव हीरा परब की	5.500	1000/-
67.	2 कतरा जोड़ी 1 सोने की घाट हीरा परब जड़ाव	12.400	1500/-
68.	2 किलंगी 2 छोटी सोने की जडाऊ हीरा परब जड़ाव	4.500	800/-
69.	2 बनवट बिछीया जोड़ी 1 डोरे में जड़ाऊ सोने के थेकड़े जड़ाव	11.400	1100/-
70.	1 बेसर 1 हीरा परब का 1 पानडी व मोती 2 लगे हुवे	4.500	1900/-
71.	1 विछुक एक हीरे कंवल का हीरा था 1 के 1/20	—	2500/-
72.	2 लटकन 2 हीरा पोलकी पामघाट या 2/के5/	—	8000/-
73.	1 तिलक 1 चांदी में हीरे की पोलकी या 1 बड़ाके 2/5 अन्दाज का व 1 हीरा परब छोटी लगी हुई	—	5000/-
74.	6 नख भूषण के थेकड़े 25 छोटे जड़ाव हीरा परब सोने का घाट	21.000	2500/-

Page No. 269

पाना-5

क्र. सं. सं.	विवरण	वजन	मूल्य
75.	2 मोजा जोड़ी 1 जड़ाऊ तुरमली की घाट सोने का अन्दाज सोना ग्राम 55/	131.00	7000/-
76.	1 पाग एक हीरा परब जड़ाव घाट सोने का	52.000	6000/-
77.	1 पाग माणक पोटा जड़ाव सोने का घाट में	51.500	3000/-
78.	1 पाग का तुर्रा माणक पोटा जड़ाव सोना का	18.000	1200/-
79.	1 टीपरा एक जड़ाव माणक पोटा और हीरा परब सोने का घाट	59.000	6000/-
80.	1 पुलहे एक जड़ाव हीरा परब की सोने का घाट	63.000	8000/-
81.	1 टीपारा 1 माणक पोटा जड़ाव सोने का घाट का	63.000	5000/-
			97300/-

(270)

पाना–6

क. सं. सं.		विवरण	वजन	मूल्य
82.	1	सेहरा एक सोने का जडाऊ जड़ाव हीरा परब का व बीच में हीरे का टकीचा एक अन्दाजन के 2/50 का सोने का घाट दूसरी परब के 7/	92.000	17000/-
83.	1	सेहरा एक सोने का जड़ाव हीरा परब व माणक की तलथे मोती पीरोया हुआ पतली परब के 7/ अन्दाजन बीच की परत पाननुमा के 1/25	90.000	11000/-
84.	1	सेहरा एक सोने का घाट तामड़ा की जड़त मोती रियल पुन्दा हुआ	93.000	4000/-
85.	1	सेहरा एक सोने का घाट पन्ना माणक पोटा व पान का मोती रियल लगे हुये	87.000	5500/-
86.	1	चांदी का मोरनुमा पुखराज वगेरे की जड़त सोना घाट का सोना अन्दाज ग्राम 040/	84.000	4000/-
87.	1	मुकुट जड़ाऊ तुरमली सोना का घाट 59/500 ग्राम ऊपर की तरफ मीना सोना ग्राम 40 अन्दाजन	—	4200/-
88.	1	किरिट एक सोने का जड़ाव तुरमली मोती मोती रियल पोये अन्दाजन सोना 125/	262.000	13000/-
89.	2	मच्छी जोड़ी एक परब जड़ाव दो तरफा मीना की सोने का घाट	14.000	1200/-
90.	1	बदी एक हीरा पीरोजा जड़ाव सोने का घाट की	34.000	1900/-
91.	1	बदी एक हीरा परब जडाव की सोने का सोने का घाट की	68.000	7000/-
92.	1	बदी एक सोने की अन्दर लाख भरी हुई	39.000	2000/-
93.	1	बदी एक सोने की उपर ब्ल्यू व नीचे पिंक (गुलाबी) मीने के मोती फन्दे हुये	29.000	2500/-

पाना–6

क. स. स.	विवरण	वजन	मूल्य
94.	4 बाघ नग चार सोने के व जडाऊ टोपचीए लगी हुई	43.000	2500/–
95.	1 सरपेच एक जड़ाऊ कच्चा जड़ाव घाट सोने का पन्ने की हल्की मणिया लटकी हुई	77.000	3500/–
96.	1 हांस एक माणक पोटा जड़ाव सोने का घाट	37.000	5000/–
97.	1 हार एक माणिक पोटा की जाड़ऊ सोने का घाट	49.000	3500/–
98.	1 कंठी एक मोती माणिक मणियों की लड़ी पदक सोने का जडाऊ मणिक पन्ना पोटा का मीना का मोती 37 पन्ना मणिया 35 पदक के नीचे माणक की मणी लटकी हुई	28.500	4500/–
			93000/–

Page No. 272

(272)

पाना–7

क्र. सं. सं.	विवरण	वजन	मूल्य
99.	1 कंठी एक मोती 41 माणक की मणिये 38 पदक सोने का मानक सापोटा जड़ाव	21.000	3000/-
100.	3 कंठयां छोटी माणक मणियां नीचे पद सोना का जड़ाऊ माणक पोटा	41.000	4000/-
101.	1 कलचर मोती इमीटेशन मणिया पदक आवाजदार इमीटेशन सोने का	29 000	1500/-
102.	1 भवल एक मोती का डोरा में माणक की मणिये 13 लटकी हुई के चालिस अन्दाजन	14 000	3000/-
103.	1 भवल एक मोती डोरे में व पानडिये जड़ाऊ सोने की पाये हुई जड़ाऊ मानक पन्ना पोटा का ताबिज लटका हुआ	38.000	7000/-
104.	4 जोडी नंग 4 सोने की जडाऊ माणक पोटा का	58.000	3500/-
105.	2 बाजु नंग 2 माणक पोटा के जड़ाऊ सोने का घाट	26.000	2000/-
106.	4 पोहोची 4 माणक पोटा जड़ाऊ की सोने का घाट	15.000	1200/-
107.	1 दो लड़ी कंठी एक माणक मणिया व मोती की डोरा में पोई हुई	5.000	700/-
108.	1 भवल माणक जड़ाऊ का मोती पाये हुये सोने के घाट	8.000	600/-
109.	1 छोटी 1 सोने का घाट जड़ाऊ एक माणक का पोटा मोती पीरोये हुवे	7.000	1000/-
110.	3 लड 3 छोटी मोती माणक की मणी	17.000	2500/-
111.	2 कर्णफुल मय टोकरी के जोड़ी एक जड़ाऊ माणक पोटा सोने घाट	9.000	700/-
112.	3 मुद्रिका तीन माणक के जड़ाऊ सोने का घाट	5.500	300/-

Page No. 273

पाना–7

क्र. सं. सं.	विवरण	वजन	मूल्य
113.	2 नुपुर जोड़ी एक सोने का घाट जड़ाऊ माणक पोटा का	30.000	1500/-
114.	2 चुड़ा जोड़ी एक सोने का घाट माणक पोटा जड़ाव	38.500	2000/-
115.	2 गुजरी जोड़ी एक सोने का घाट माणक पोटा जड़ाव	45.500	2000/-
116.	2 शीर्षफुल 1 सोने का घाट में एक माणक पोटा जड़ाव	5.000	2100/-
117.	2 कुन्डल जोड़ी एक माणक पोटा का जड़ाऊ घाट सोने का	18.500	1100/-
118.	1 कर्णफुल जोड़ी एक माणक पोटा जड़ाव मोती का वाड़	7.000	600/-
119.	2 पगवान जोड़ी एक सोने का घाट पोटा जड़ाव	6.000	300/-
120.	1 मोरसिखा नंग 1 जड़ाऊ माणक पोटा	8.500	400/-
			41500/-

पाना–8

क्र. सं. सं.	विवरण	वजन	मूल्य
121.	3 कतरा 2 फिलंगी 1 जडाऊ माणक पोटा सोने का	18.000	1000/-
122.	2 बेसर 2 मणिका का जड़ात मोती बगर व लटकन में	7.500	1500/-
123.	1 जनेऊ 1 मोती पाताला की डोरा में पोई हुई	2.000	150/-
124.	1 जनेऊ 1 सोने के बारीक मनके की डोरे में पोई हुई	6.000	650/-
125.	2 कुन्डल जोड़ी 1 मच्छी नुमा जड़ाऊ माणक पन्ना पोटा सोने का घाट	22.000	2500/-
126.	1 हमेल 1 जिसमें सोने मीने के मादलिये पाये हुए लोती के सात डोरों में फोगण के साथ	34.500	2200/-
127.	1 तिलक 1 सोने का जडाऊ माणक पोटा का	2.000	300/-
128.	1 हॉस एक सोने की जड़ाऊ पीरोजे जड़ाऊ की	20.500	1000/-
1 .9.	5 कंठीये 5 मोती व मीना परोगी मणका डोरा में पोवे पदक पीरोजा मीना या पीरोजा जड़त के	89.000	4000/-
130.	1 भवल एक सोने की जड़ाऊ पीरोजे की पानडिये मोती साथ	11.000	600/-
131.	1 कटिपेच सोने का माणक पोटा जड़ाव मीना का	29.000	1600/-
132.	4 पोहोची नंग 4 सोने की जड़ाऊ पीरोजा की	19.000	900/-
133.	2 कर्ण फुल मय टोकरी सोने की पीरोजा जड़ाव की	10.000	500/-
134.	1 सरपेंच छोटा पीरोजा जड़ाव सोने का	7.500	350/-
135.	1 फोनना जड़ाऊ पीरोजा का सोने का	19.000	900/-
136.	3 कतरा 2 कलगी 1 पीरोजा का जड़ाऊ तथा पीरोजा मीना का	23.500	1200/-
137.	2 कुण्डन 2 सूवा घाट सोने का पीरोजा जड़ाव	15.500	800/-
138.	2 कर्ण फुल 2 पीरोजा जडाव सोने का	5.000	300/-
139.	1 बेसर एक सोने का पीरोजी मीना मोती दो लगे हुवे	2.500	250/-

थाना-8

क्र. सं. सं.	विवरण	वजन	मूल्य
140.	1 हार 1 जड़ाऊ सोने मीने के थेकडे मोती के साथ पीराये हुऐ जड़ाव माणक तुरमली वगैरह	108.000	6000/-
141.	1 हार एक जड़ाऊ सोने का जड़ाव पन्ना पोटा पदक में पोटा पन्ने का सेन्टर में के 4/मणी कॉच की लटकी हुई	88.000	25000/-
142.	1 कंठी एक मोती दाणा 18 पन्ना 20 मणिया 14 एक लड़ी पदम में पन्ना पोटा 1 मुनमत काके 12 ग्रासरे का		25000/-
143.	1 कंठी 1 मोती व पन्ने की मणियां पदक में पन्ना पोटा एक हलका हुवा	9.500	1500/-
144.	1 कंठी 1 पन्ना मणिया हल्की व जुगावली एक जड़ाऊ पन्ना पोटा को	26.000	1500/-
			79700/-

Page No. 276

(R276)

पाना नम्बर-9

क्र. सं. सं	विवरण	वजन	मूल्य
145.	1 कंठी एक पन्ने की मणिये हल्की व मोती की नीचे पदक सोने मीने की जिसमें हीरे मुकलसी चांदी में पच्चीकारी सैटिंग के हीरे की मुकलसी 1 बड़ी के 4/की	25.500	10000/-
146.	1 कंठी 1 मोती पन्ने की मणिये गोल पदक सोने का जड़ाऊ कच्चा जड़ाव की	17.000	1500/-
147.	1 भवल एक मोती डोरे में एक लाइन पोया हुआ व एक मोती के के बाद एक पन्ने की मणिये लगी हुई कुल पन्ना मणिये 21 के 100 आसरे	35.000	6000/-
148.	1 भवल एक मोती डोरे में पोया हुआ एक लाइन पन्ने की मणिये 10 के 30 आसरे	10.000	10000/-
149.	1 कटिपेच एक सोने का पन्ना पोटा जड़ाव का पन्ना मणी हलकी लटकी हुई	30.000	1800/-
150.	4 कड़ा नंग 4 नारमुखा पन्ना पोटा जड़ाव का सोना का हीरा मीना का	65.000	3200/-
151.	4 जोड़ी नंग 4 फोनना सहित पन्ना पोटा जड़ाव की सोने का घाट	67.000	10000/-
152.	2 बाजु नग 2 फोनना सहित पन्ना पोटा जड़ाव	37.000	4000/-
153.	4 जोड़ी नंग 4 पन्ना मणिया व मोती की	10.000	1800/-
154.	2 बाजु नंग 2 „ „	8.000	500/-
155.	1 बेसर नंग 1 पन्ना पान का जड़ाऊ व दो मोती सोने के	—	2500/-
156.	2 हस्त सांकला 2 पन्ने की पोटा जड़ाऊ सोने का घाट	17.000	1000/-
157.	2 कर्णफल जोड़ी 1 मय टोकरी पन्ने के पट्टे का जड़ाव सोने का घाट	11.000	600/-
158.	3 मुद्रिका जड़ाऊ पन्ना पोटा जड़ाव सोने का घाट	7.000	150/-
159.	2 कुंडल जोड़ी 1 जड़ाव पोटा सोने का घाट	20.000	900/-

पाना नम्बर-9

क्र. सं. सं.	विवरण	वजन	मूल्य
160.	2 कतरा नग 2 सोने का जड़ाऊ पोटे पन्ने की जड़त	13.000	500/-
161.	2 कलंगी जोड़ी 1 सोने का जड़ाऊ पोटे पन्ने की जड़त	12.500	600/-
162.	2 कर्णफूल जोड़ी ,, ,, ,,	5.500	300/-
163.	2 हस्तफूल 2 हार कांच की जड़त	3.000	150/-
164.	1 हांसली 1 सोना की	37.000	4000/-
165.	1 हार 1 सोना जड़ाऊ गोदन्त का सोना ग्रन्दाजन 15 ग्राम	38.000	1650/-
166.	1 कंठी 1 गोदन्ता की मणिया का नीचे पदक सोना का नवरत्न का पन्ने की हलकी मणी लटकी हुई	30.000	800/-
			62250/-

पाना नम्बर–10

क्र. सं. सं.	विवरण	वजन	मूल्य
167.	1 कंठी एक मूंगा मोती की एक एक बड़ी जिसमें जुगावली नोरतन की जड़ाऊ सोने की मणियों की	—	1200/–
168.	1 कंठी एक पुखराज की दुवड़ी पदक सोने में संघसतारा जड़ा हुआ	20.500	500/–
169.	1 कंठी एक बाघनखा मोती तथा ब्ल्यू सोने का मण्या	18.000	1500/–
170.	1 मोती कंठी एक मोती की एक लड़ी जिसमें तावीज व मणिये लगी हुई पन्ने का तावीज एक का दस मानके का तावीज बाकी मूंगा शबी गोदन्त वगैरह	22.500	17000/–
171.	4 जोड़ी नग चार लछनिया का जड़ाऊ सोने का मय फोनने के व मोम सहित	40.000	3500/–
172.	2 बाजु नग दो सोने का जड़ाव लछनिया व गोदन्ता	18.000	900/–
173.	4 पहुंची नग चार सोने की जड़ाऊ गोदन्ता	20.000	1000/–
174.	2 कर्णफूल जोड़ी एकमय टोकड़ी सोने की नवरतन जड़ाऊ टोकरीनुमा	17.000	1000/–
175.	4 कड़ें नग चार सोने का	84.000	9250/–
176	4 चूड़ा गुजरी जोड़ी एक नौ ग्रह जड़ाऊ सोने की सोना अन्दाजन 35 ग्राम	80.000	3800/–
177.	2 कुन्डल जोड़ी लछनिया जड़ाव सोने का घाट मकराकृति	15.000	700/–
178.	1 मुकुट (टोपी) कपड़े पर जड़ाऊ ठेकड़े व मोती लिये हुये ठेकेड़े जड़ाऊ	21.000	1500/–
179.	1 शीशफूल सोने का पुखराज जड़ाऊ	7.500	300/–
180.	1 मोती एक बड़ा टूटा हुआ मय सोने के	6.000	500/–

पाना–10

क्र. सं. सं.	विवरण	वजन	मूल्य
181.	4 टोपचे के भुनभुना नग चार सोने के अन्दाजन सोना ग्राम 5	20.500	500/-
182.	5 एक लड़ी काठियां 5 जिस । शनि की मणियां तथा मोती लगा हुआ नीचे पदक (जुगावली) सोना की शनि के पोटे का जड़ाव	92.000	6000/-
183.	1 भवल एक पानड़ियां सोना की जड़ाऊ शनि पोटा की पतला मोती पिरोया हुआ	18.500	1500/-
		योग	50650/-

पाना-11

क्र. सं. स	विवरण	वजन	मूल्य
184.	1 कटिपेच 1 जड़ाऊ सोना का शनि का	20.000	1500/-
185.	2 जहर जड़ाऊ नंग 2 सोना का शनी का जड़ाव सोना अन्दाजन ग्राम 35/	68.000	4000/-
186.	2 कुण्डल जोड़ी 1 सोना को शनी के जड़ाव की	23.000	2000/-
187.	2 कर्णफुल मय टोकरी जड़ाव शनी के सोने में	10.500	500/-
188.	2 कर्णफुल जड़ाव शनी के सोने में	5.000	250/-
189.	2 कतरा नंग 2 जड़ाव शनी के सोने में	11.500	800/-
190.	2 किलंगी नंग 2 एक छोटी 1 बड़ी सोने की जड़ाऊ शनी का जड़ाव	12.000	800/-
191.	1 हलकावली 1 जड़ाऊ सोने की जड़ाव शनी मोती पीरोया हुआ।	10.500	750/-
192.	1 सीरपेच एक शनी का जड़ाऊ मोती लगे हुवे सोना का घाट	6.500	400/-
193.	1 बेसर एक शनी की जड़ाऊ सोने में दो मोती लगे हुवे	2.000	150/-
194.	2 झेला नग 2 शनी का जड़ाव सोने के	5.000	300/-
195.	2 नुपुर जोड़ी 1 शनी का जड़ाव सोने के	12.000	700/-
196.	1 लूम 1 शनी की हलको मणिया मोती की	9.000	300/-
197.	1 बाम जोड़ी चांदी की मुल्लमा कलचर मोती इमिटेशन लगे हुवे	—	50/-
198.	1 सोने का जड़ाऊ हार मूंगा जड़ाव का सोना अन्दाजन 35 ग्राम	75.000	3750/-
199.	1 हार मूंगे मणिये तथा सोने के मणिये डोरे में पोये हुवे पदक में संग सतारा	40.000	2700/-
200.	5 कंठी पांच एक लड़ी सोना मणका तथा मूंगा मणका पदक 3 में मूंगा जड़ाव एक में मणिक पोटा व एक में गोल्डन स्टोन सोना अन्दाजन 30 ग्राम	82.000	3500/-
201.	1 भव 1 मूंगा ताबीज को	20.000	150/-
202.	1 कटिपेच 1 मूंगा जड़ाव सोने का घाट	22.000	1050/-
203.	4 कडे 4 मूंगा जड़ाव, सोने का घाट सोना अन्दाजन 27 ग्राम	56.000	3000/-

पाना–11

क्र. सं.	सं.	विवरण	वजन	मूल्य
204.	1	फोनना मूंगा मणी का मूंगा का मणा 4 सोना मणा 4 छोटा	15.500	150/–
205.	1	कंठ माला मूंगा मणा व हेम मणा	10.500	350/–
206.	2	नुपुर जोड़ी 1 हेम घुघरा बड़ा तथा मूंगा मणका	23.000	1100/–
207.	2	तोड़ा जोड़ी एक छोटी हेम घुघरा मूंगा मणा	8.000	125/–
208.	1	अलकावली मूंगा को जड़ाव को सोना का धाट	7.500	350/–
209.	4	पोहची 4 मूंगा मणा तथा हेम मणा	17.000	400/–
				29325/–

पाना-12

क्र. सं. सं.	विवरण	वजन	मूल्य
210.	4 जोड़ी नं 4 मूंगा मणा और हेम मणा	23.000	500/-
211.	2 बाजू नग 2 ,, ,,	12.500	250/-
212.	2 एक दुलडी 2 मूंगा ,, ,,	11.500	250/-
213.	2 दुलडी 1 ,, ,,	5.500	150/-
214.	1 सिरपेच 1 सोना में मूंगा जड़ाव छोटा	3.500	150/-
215.	1 लूम 1 मूंग मणा तथा हेम मणा	4.500	200/-
216.	2 कुंडल जोड़ी एक हेम में मूंगा जड़ाव को	16.500	150/-
217.	2 कर्णफूल जोड़ी 1 हेम में मूंगा जड़ाव को लटकन में पानड़ी	6.500	350/-
218.	2 कर्णफूल जोड़ी 1 ,, ,,	6.000	325/-
219.	1 बेसर 1 मूंगा जड़ाव मोती 2 रीयल	2 80	150/-
220.	1 शीशफूल एक मूंगा जड़ाव हेमधाट का	3.000	150/-
221.	1 किलंगी एक सोने मीने की	1.600	175/-
222.	1 सोने का मुकुट और कपड़े सहित सोना अन्दाज ग्राम 73	79.000	8800/-
223.	1 हार सोने का मणा चपड़ी सहित तथा जुगावली सोना ग्राम 12	18.000	1300/-
224.	6 कंठिये सोने के मणा चपड़ी वाली पदक साथ सोना अन्दाजन 45 ग्राम	64.000	5000/-
225.	1 हंसली 1 सोने की चपड़ी सहित सोना अन्दाज ग्रा० 10	18.000	1100/-
226.	1 कंठमाल 3 लड़ी सोने के मणके को ,, ग्रा० 8	11.700	900/-
227.	1 भवल सोने के मणके का मय चपड़ी सोना अन्दाज 9	11.500	1000/-
228.	1 भवल मादलिया की सोने की चपड़ी भरे हुवे सोना ग्रा० 4	10.400	450/-
229.	2 भवल 2 सोने के पानडियों की सोना ग्राम 8	11.800	900/-
230	2 हेमल हेममादलिया को चपड़ी सहित सोना अन्दाजन 23 ग्राम	48.500	2550/-
231.	1 कटिपेच 1 हेमको	15.000	1650/-

पाना–12

क्र. सं. सं.	विवरण	वजन	मूल्य
232.	1 कटिपेच 1 हेमका सोना ग्राम 15	15.200	1650/-
233.	1 दुलडी हेम मणका वारक को अन्दाजन सो० 1.500	3.800	175/-
234.	2 कंठिया दो हेमणका मय पदक सोना अंदाज ग्राम 7	12.500	800/-
235.	1 चोटी 1 हेमको डोरे सहित सोना अं० 14 ग्रा.	21.00	1550/-
236.	2 जेहर 2 हेमको चपड़ी सहित ,, 35 ग्रा.	54.000	3800/-
237.	2 जूडा 2 हेमको चपड़ी सहित ,, 20 ग्रा.	30.300	2200/-
238.	4 कडा 4 हेमके चपड़ी सहित ,, 23 ग्रा.	50.000	2500/-
			39725/-

(284)

पाना-13

क्र. सं. सं.	विवरण	वजन	मूल्य
239.	1 सोने का किरिट एक अन्दाज 67 ग्रा.	73.500	7400/-
240.	1 खूप मय 5 विलगियों के अन्दाज 70 ग्रा.	77.500	7700/-
241.	1 सेहरा सोने का मय जरी की तुरिया अन्दाज ग्रा. 35	40.000	3850/-
242.	1 सेहरा की लड़ हेम मणको की मय चपड़ी के 12 ग्रा.	35.500	1300/-
243.	1 गोप 1 हेम को बीच में पीरोजा लगा हुआ	14.500	1400/-
244.	1 फोनना सोने का डोरे सहित सोना 5 ग्रा.	7.500	550/-
245.	2 पायल जोड़ी एक हेमकी चपड़ी भरी हुई हेम 14 ग्रा.	8.800	1500/-
246.	1 सोने का चन्द्रमा गाठ की जुगावली	2.000	200/-
247.	1 दुलड़ी एक हेम मणा की मय चपड़ी	2.000	100/-
248.	1 डोलाना (तावीजनुमा) सोना का चपड़ी सहित सोना 2 ग्राम	6.500	220/-
249.	1 डोलाना (तावीजनुमा) सोना का चपड़ी सहित सोना 1 ग्राम	2.700	100/-
250.	2 बाजू 2 सोना मणका फोनना सहित सोना ग्राम 60	12.500	850/-
251.	2 जोड़ी नग 2 मणका फोनना सहित सोना 17 ग्राम	24.000	1900/-
252.	2 पोहोची हेमकी 2	15.500	1600/-
253.	4 पोहोची नग 4 हेमका मणी चपड़ी सहित हेम अन्दाजन 7 ग्राम	17.200	800/-
254.	1 गोटो 1 चपड़ी भरी हुई हेमको हेम ग्राम 1	2.000	100/-
255.	1 जरा 1 चपड़ी सहित हेमको हेम ग्राम 2	4.600	255/-
256.	1 लूम 1 हेमको मणी हेमकी चपड़ी सहित हेम ग्राम 6	11.700	675/-
257.	1 सिरपेच 1 हेमको मणी चपड़ी डोरा हेम एक 250 ग्राम	2.500	150/-
258.	2 एक लड़ी 2 हेम ,, ,, 2 ग्राम 500	6.400	300/-
259.	1 लड़ी ,, ,, 1 ग्राम	3.700	120/-

Page No. 285

पाना–13

क्र. सं. सं.	विवरण	वजन	मूल्य
260.	1 अलकाबली 1 हेमको हेम ग्राम 5	7.500	550/–
261.	2 नुपुर जोड़ी 1 हेमको गूवरा वाली	12.000	1300/–
262.	2 नुपुर जोड़ी 1 हेमको मणी मय चपड़ी हेम ग्राम 3	7.000	350/–
263.	2 कर्णफुल टोकरी जोड़ी हेमको	6.200	700/–
264.	2 कर्णफुल जोड़ी हेमको	3.500	400/–
265.	2 कर्णफुल जोड़ी हेमको मय चपड़ी	2.300	150/–
266.	2 पगपान हेमको	4.500	500/–
267.	2 कतरा नग 2 हेमका	13.800	1500/–
268.	1 किलंग 1 हेमको	4.500	500/–
269.	1 पान हेमका एक	4.500	500/–
			37440/–

पाना–14

क्र. सं. सं.	विवरण	वजन	मूल्य
270.	1 किलंगी 1 जड़ाऊ हीरा परव की जड़ाव की	6.600	800/–
271.	1 चुंबक 1 जड़ाव कच्चा	1.200	80/–
272.	1 शीशफुल हेमका चपड़ी सहित	1.600	100/–
273.	1 जेसर एक ,, ,, सोना 3 ग्राम	6.000	350/–
274.	2 हस्त सांकला हेमका चपड़ी सहित सोना 3	5.800	350/–
275.	2 तोडा हेम मणाका सोना 2	3.500	250/–
276.	3 मुद्रिका 3 हेमकी चपड़ी सहित सोना 1	3.000	175/–
277.	2 अनवट बिछिया हेमको	12.000	1300/–
278.	2 कुण्डल जोड़ी 1 हेमको	15.000	1650/–
279.	1 हेम चम्मच एक	13.000	1500/–
280.	1 वेब 1 हेमको चपड़ी सहित लेहरिया भांस सोना 22 ग्राम	36.500	2400/–
281.	1 वेब 1 ,, ,, सादी सोना ग्राम 24	60.000	2650/–
282.	1 वेणु एक हेमको	18.500	2000/–
283.	1 वेब ,, ,, हेम ग्राम 27	44.500	3000/–
284.	1 वेणु 1 हेमको	19.000	2050/–
285.	1 सूंप एक चांदी की जिस पर रियल मोती पिरोया हुआ मोती ग्राम	20.000	1500/–
286.	1 सेहरा 1 चांदी पर रियल मोती अन्दाज ग्राम 30	—	2000/–
287.	1 मुकुट मखमल पर मोती सिलाई की हुई अंदाज	25.000	2500/–
288.	1 ,, ,, ,, मोरखना हुआ मोती	15.000	1500/–
289.	1 हार एक सोना मीना का इकतरफा महेना हरावबाल	57.500	5000/–
290.	1 हार एक सोना मीणा का इकतरफा हरा व लाल पदक पानघाट	40.000	3600/–
291.	6 कंठिया एक लड़ी सोना का मणा तथा मीना की एक में मसूरी माणक की मणा पदक सोना मीना का एक में जुगावली जड़ाऊ	114.000	8000/–

पाना-14

क्र. सं. स.	विवरण	वजन	मूल्य
292.	1 मुकुट 1 सोने का पीरोजा मीना मोती धुगर में पीछे चांदी का पतरा वजरी लगी हुई सोना ग्रन्दाजन ग्राम 55	202.000	6000/-
293.	1 भवल 1 हेम की मीने की दुतरफा पानी डियाही	20.500	3000/-
294.	1 कटि पेच एक हेमका सोने का	22.500	2200/-
295.	3 पदक तीन हेमके मीने के	23.500	2100/-
296.	1 कंठामला हेमका मणा तथा हीरा मीना की माला सोना ग्राम 8/	14.000	900/-
297.	2 जहर 2 सोने की पीरोजा मीना की	36.500	4000/-
		योग	60955/-

पाना नम्बर-15

क्र. सं. सं.		विवरण	वजन	मूल्य
298.	4	कड़ा 4 पीरोजी मीना का हेमका चपड़ी सहित सोना ग्रन्दाजन ग्राम 28	39.500	300/-
299.	2	नुपुर 2 लाल हरे सोने के हेमके	15.000	1650/-
300.	1	जोरा एक हेमको लाल मीने का	12.000	900/-
301.	1	सरपेच एक हेमका सोने का	5.500	500/-
302.	4	पोहोची 4 हेमका मीने का	31.000	3400/-
303.	1	दुलड़ी सोने मीने के मरण की	4.000	300/-
304.	4	ग्रलकावली एक सोने की पीरोजे मीने की पानाडये	3 500	350/-
305.	2	एक लड़ी 2 सोना मीना हीरा का मरण कोमच चपड़ी	7.500	500/-
306.	1	लड़ी ,, ,, ,,	3.500	200/-
307.	4	जोड़ी नं० 4 हेमको एक तरफ पीरोजा मीना एक तरफ लाल हरा	33.500	3350/-
308.	2	बाजु 2 मेहमके पीरोजी मीना का	20.000	1500/-
309.	1	हस्त सखत 2 हेमके लाल मीना के	10.800	1800/-
310.	2	तोड़ा नंग 2 हेमका हरा मीना का	5.500	600/-
311.	3	मद्रिका 3 हेमको दुतरफा सफेद हरा मीना की	9.200	900/-
312.	2	ग्रनघट बिछिया 2 हेमके हरा मीना की	4.000	400/-
313.	2	चीरणी की नुपुर जोड़ी तोड़ा सोने के तार में	4.000	20/-
314.	2	कुण्डल जोड़ी 1 हेम मीना की	15.400	1700/-
315.	2	कर्णफुल जोड़ी 1 हेम मय चपड़ी	6.000	400/-
316.	2	,, ,, हेम	5.000	550/-
317.	4	कर्णफुल जोड़ी 2 मीना की हेम	12.200	1300/-
318.	1	शीशफुल मीना का हेमका मय चपड़ी	7.200	500/-
319.	1	कलंगी पीरोजा मीना का हेमकी	6.800	700/-

क्र. सं. सं.		विवरण	वजन	मूल्य
320.	3	कंठीया 5 सोने के गुलाबी मीने का वलस व जुगायलीया मय मोती के डोरे सहित	84.500	8000/-
321.	1	मुकुट सोने का गुलावी मीने का जरी सहित पुट सहित सोना अन्दाजन 55 ग्राम	114.000	6000/-
322.	1	भवल एक गुलावी मीने की सोने की	17.000	1700/-
323.	1	तीन वड़ी एक बड़ी देम गुलाबी मीना दोलड़ी मोती की	5.000	550/-
324.	4	चूडा गुजरी हेम गुलाबी मीना मय चपड़ी सोना ग्राम 50 अन्दाज	78.000	5500/-
				45470/-

Page No. 290

(290)

पाना–16

क. सं. सं.	विवरण	वजन	मूल्य
325.	2 कुण्डल जोड़ी हेम गुलाबी मीना की	13.000	1200/-
326.	2 कर्णफूल मय टोकरी हेस गुलाबी मीना की	10.300	900/-
327.	2 कर्णफुल जोड़ी गुलाबी सोना मीना की	1.800	700/-
328.	1 कलंगी 1 गुलाबी सोना मीना की मय चपड़ी	4.300	350/-
329,	1 ,, ,, ,,	6.800	700/-
330.	1 बेसर 1 गुलाबी मीने का मोती 2	2.600	300/-
331.	1 हार 1 सोने का सफेद मीने का (कन्ठी) मय पदक पीरोज सफेद मीना का	39.500	4000/-
332.	5 कंठीयां 5 सफेद मीना की हेम की पदक पीरोजा व सफेद मीना का	108.000	11000/-
333.	1 हंसली 1 सोना की मीना सफेद किया हुआ	31.000	3000/-
334.	1 भवल 1 सफेद व ब्ल्यू मीना के हेमको	19.000	2000/-
335.	1 कंठाभरण 1 सफेद मीना का हेमका चार लाइन	19,500	2000/-
336.	1 सफेद मीने का सोने की दुलडी	6.500	700/-
337.	2 एक लड़ी 2 सोने पर सफेद मीने का गोलियों की	9.500	1000/-
338.	1 एक लड़ी 1 ,, ,, ,,	5.000	500/-
339.	1 अलकावली 1 सफेद ब्ल्यु मीना की हेमकी मोती लगे हुये	10.600	1100/-
340.	1 चोटी 1 हेमकी सफेद मीने की कपड़े पर सी हुई सोना ग्राम 65	74.000	6500/-
341.	1 जोहरा 1 सोने का सफेद मीने का	14.000	1500/-
342.	1 फोनना व हेमका सफेद मीने का मय डोरे के	17.000	1500/-
343.	1 सरपेच 1 सफेद मीने का हेमका	6.000	600/-
344.	4 जोड़ा नंग 4 हेमकी सफेद काला मीना किया हुवा	32.000	3200/-
345.	4 पोहोची नंग 4 हेमको सफेद ब्ल्यू मीना	21.000	2100/-
346.	2 बाजु नंग 2 हेम ,, ,,	18.000	1800/-

थाना–16

क्र. सं. सं	विवरण	वजन	मूल्य
347.	2 जहर नंग 2 हेमके सफेद मीना किया हुआ	43.000	4500/–
348.	4 कड़ा नंग 4 हेम सफेद मीना का चपड़ी भरा हुआ सोना ग्राम 24	41.000	2600/–
349.	2 पायल नंग 2 हेम सफेद मीने की हेमकी	28.400	3000/–
350.	2 नुमुर नंग 2 सफेद काला मीना को हेमकी	18.000	2000/–
351.	2 तोला नंग 2 ,, ,, ,,	10.500	1100/–
352.	2 खोडाअनवट विछिया 2 सफेद मीना ब्ल्यू हेलको	8.500	850/–
353.	3 मुद्रिका 3 सफेद ब्ल्यू हेमको	9.500	950/–
			61650/–

पाना–17

क्र. सं. सं.	विवरण	वजन	मूल्य
354.	2 हस्त सांकला 2 हेमकी सफेद ब्ल्यू मीना की	9.800	1000/-
355.	1 कटिपेज 1 हेमका सफेद मीना का	13.500	1400/-
356.	2 कर्णफुल मय टोकरी हेमकी सफेद मीनाकी	16.000	1700/-
357.	2 कर्णफुल जोड़ी 1 ,, ,,	7.000	750/-
358.	1 शीशफुल 1 ,, ,,	3.000	300/-
359.	2 पगपाग 2 हेमकी सफेद मीना की	4.800	500/-
360.	2 कलंगी जोड़ी 1 हरे सफेद मीने की	8.800	900/-
361.	2 कुंडल जोड़ी 1 सफेद ब्ल्यू मीने की	10.400	1100/-
362.	1 बेसर 1 सफेद मीने का हेमका	4.000	400/-
363.	1 वेत्र 1 ब्ल्यू मीना की सोना का घाट जड़ाव	68.500	4000/-
364.	1 वेणु 1 चांदी का घाट जड़ाव पीरोजा का	89.000	2000/-
365.	2 वेत्र 1 वेणु 1 चांदी की जिसपर मोती पतला लगा हुआ मोती ग्राम 30 अन्दाजा	—	2500/-
366.	2 वेत्र 1 वेणु 1 सोना की सफेद मीना की लाख सहित सोना अन्दाजन 50 ग्राम	83.000	5500/-
367.	2 वेत्र 1 वेणु 1 सोने का मीना सफेद लाल लहरिया भांत सोना अन्दाजन ग्राम 48/	77.200	5100/-
368.	2 वेत्र 1 वेणु सोने मीने की सफेद लाल हरा मीना सोना अन्दाजन ग्राम 50	84.000	5600/-
			32750/-

मोट नं. 1 से नं. 368 पेज नं. 1 से 17 तक की 1125665/-

पाना-18

क्र. सं. सं.	विवरण	वजन	मूल्य
369.	3 कंठीये 3 मोती की डोरा में पीरोई हुई जुगावली जड़ाऊ जिसमें एक में तुरमली का जड़ाव व दो में हीरा परब बेलकी का	44.000	6000/-
370.	1 हार 1 जड़ाऊ सोने का मोती का जड़ाव	20.200	1100/-
371.	4 कंठी 4 डोरा में मोती एक लड़ी जिसमें पद पकी जगह सोने के तार में मोती पोकर बनाये हुये	19.200	2000/-
372.	1 पांच लड़ी कंठी मोती की डोरा में जिसमें छड़िये सोने के जड़ाऊ	11.400	1000/-
373.	5 कंठीये पांच डोरा में मोती की जलीभात	27.000	2000/-
374.	4 जोड़ी नंग 4 मोती की डोरा में मय डोरे के	7.000	450-/
375.	2 बाजु जोड़ 1 मोती की डोरा में मय डोरे के	6.500	450/-
376.	4 पोहोची 4 ,, ,,	13.000	1200/-
377.	6 जोड़ी नंग बाजु 4 बाजू नंग 2 पतले मोती की जालीनुमा मय डोरा मोम के जिसमें मोती ग्राम 16/	22.000	1400-/
378.	1 कटिपेच फोननी माला डोरा में मोती गूंथे हुये	11 200	900/-
379.	1 कटिपेच फोननी माला डोरे में मोती गुंथे हुये बीच में जड़ाऊ माणक पोटा का थेकड़ा एक	5.200	500-/
380.	4 पोहोची जोड़ 2 मोती की डोरा में जिसमें एक जड़ाऊ थेकड़ा मोती जड़ाव का	16 000	1100-/
381.	1 दुलड़ी एक मोती की डोरा में	13.000	1500-/
382.	2 नुपुर जोड़ी 1 मोती की डोरा तथा घुघरा सोने के तार में	13.500	1400/-
383.	2 नुपुर जोड़ी 1 मोती की डोरा जिसमें बड़े मोती की घुघराया	6.500	900-/
384.	4 जेहर नंग 4 जिसमें दो छोटे दो बड़े चांदी के घाट पर मोती फन्दे हुये तार में	—	800/-
385.	2 तोड़ा जोड़ी 1 मोती की डोरा व तार में	5.500	400/-

पाना–18

क्र. सं. सं.		विवरण	वजन	मूल्य
386.	2	पायल जोड़ी 1 सोने का घाट पर मोती फन्दा हुआ	18.500	1500–/
387.	3	भवल तीन मोती की डोरा में पोई हुई जिसमें दो में सोने के तार में मोती घुघरीया लटकी हुई	17.200	2200/–
388.	2	फोनना 2 छोटा बड़ा मोती का मय डोरे व सोने के तार में बधा हुआ	12.800	ˉ00
389.	4	कड़े 4 जड़ाऊ सोने के मोती का जड़ाव	77.000	4000/–
390.	2	हुस्त सांकला मोती की डोरा में	3.500	300/–
391.	3	मुद्रिका नग 3 चांदी का घाट पर मोती फन्दे हुवे	—	250/–
				32050/–

पाना–19

क्र. सं. सं.	विवरण	वजन	मूल्य
392.	1 कंठमाला तीन लड़ी डोरा में छेडिया मोती का जड़ाव का फोनना सहित	12.000	900/–
393.	1 हाँसला एक जड़ाऊ मोती का जड़ाव का	23.800	1200/–
394.	1 कंठाभरण एक मोती लाइन जिसमें थेकड़ा मोती का जड़ाव	3.000	250/–
395.	1 कंठाभरण एक मोती का जालीनुमा डोरा में	2.000	150/–
396.	1 अलकावली एक मोती की डोरा में मोती का घुघरीया तार में	4.500	450/–
397.	1 अलकावली बारीक मोती दो लाइन डोरा में	1.500	150/–
398.	2 सरपेच 2 मोती के तार में फन्देहुये तथा डोरा में	3.000	350/–
399.	3 कंठी मोती की एक लाइन की	7.000	800/–
400.	2 अनवट बिछिया चाँदी का घाट मोती पीराये हुये	—	200/–
401.	2 लूम मोती की डोरा में पीरो हुई एक थेकड़ा उपर मोती संटींग का आवाजदार	12.000	1000/–
402.	1 गोटी 1 सोना की मोती संटींग का	3.000	300/–
403.	3 मुद्रिका 3 चांदी में तार से मोती गूंथे हुये	—	150/–
404.	1 मोती दाणा 3 डोरा में	2.200	250/–
405.	1 चोटी 1 कपड़े पर मोती का तार में गूंथे हुये	13.500	700/–
406.	2 बेसर नग 2 जड़ाव एक मोती का जड़ाव व एक परब का दो दो मोती लगे हुये	3.500	400/–
407.	1 चिबुक 1 जड़ाऊ सोने में हीरा परब	0.500	200/–
408.	4 कुंडल जोड़ी 2 मोती की तार में फन्दी हुई सोने का घाट	18.500	1850/–
409.	1 मोरशिखा सोने की मोती जड़ाऊ	8.000	450/–
410.	1 पान 1 सोने के घाट पर मोती तार में पोये हुये	6.000	500/–
411.	2 चांदी पर कर्ण फुल जोड़ी मोती दाना 4 एक पर तार में	—	125/–

पाना–19

क. सं. सं.	विवरण	वजन	मूल्य
412.	2 पगपान 2 सोना पर मोती तार में फन्दा हुआ	2.00	200/–
413.	4 कर्णफुल 4 मोती के जड़ाऊ सोने में मोती की बाड़ की हुई	6.000	450/–
414.	2 मोती चोकड़ा जोड़ी 2	2.500	150/–
415.	2 टोकरी जोड़ी मोती की जड़ाव हीरा	3.500	350/–
416.	1 शीश फुल 1 मोती का जड़ाव का	1.800	150/–
417.	1 शीश फुल 1 मोती का जड़ाव का तार में	—	50/–
418.	2 किलंगी 2 चांदी तार में मोती गूंथा हुआ	—	200/–
419.	1 किलंगी 1 ,, ,,	—	25/–
			11950/–

पाना-20

क्र. सं.	सं.	विवरण	वजन	मूल्य
420.	1	कोस्तुम सोने का हीरा परख जड़ाव का	4.000	800/-
421	25	24 नलभूवर्ग सीप के जड़ाव के सोने में एक मुद्रिका मोती जड़ाव की	—	400/-
422.	1	कटिपेच एक सोने का घुघरा सहित	28.000	2800/-
423.	2	नुपुर जोड़ी 1 सोने का ,,	18.000	1800/-
424.	4	कड़ा 4 बड़े चपड़ी सहित सोने का ग्रन्दाजन ग्राम 12	28.000	1400/-
425.	1	दुलडी कंठाभरण सोने के मराके	2.500	100/-
				4300/-

1125665/– पाना 1 से 17 ग्राइटम 1 से 368 तक का टोटल
32050/– पाना 18 ग्राइटम 369 से 391 तक का जोड
11950/– पाना 19 ग्राइटम 392 से 419 तक को जोड
7300/– पाना 20 ग्राइटम 420 से 425 तक की जोड

1176965/–

298

पाना–1

क्र. सं. सं.	विवरण	वजन	मूल्य
	श्री तातजी महाप्रभुजी		
1.	1 हार एक (कंठला) बाधनखावला साने का पानोडया मीना जडाऊ आदि सोना अन्दाजन ग्राम 70	—	7700/–
2.	1 हार एक (कंठला) बाधनखा मीना जडाऊ सोने की पानडी अन्दाजन सोना ग्राम 90	—	10000/–
3.	1 पटरी हार सोना मीना का जडाऊ पीरोजा की गडत मोती सहित	144.000	8000/–
4.	1 पटरी हार सोना का माणी पोटक जडाऊ का मोती पोया हुआ	76.500	3500/–
5.	1 हार एक सोने का जडाव कच्चा	43.000	2000/–
6.	1 एक लडी मोती की जिसमें जुगावली सोने की हीरा परब की जडाऊ	39.000	4000/–
7	2 कंठीया 2 पन्नामणी व मोती की डारा में पोई हुई जुगावली सोना की जडाऊ	55.000	4000/–
8.	1 कंठी 1 मोती की एक लडी डोरो में जुगावली सोना मीना की जडाऊ हीरा परब की	14.200	1500/–
9.	1 कंठी 1 मोती की एक लडी डोरा में जुगावली से परब चाक जड़े हुवे सेन्दर में माणक मोटा	20.500	5000/–
10.	2 कस्तुरी मोती माला 2 मय डोरा सहित	56.000	2200/–
11.	2 मूगें की सींकों की माला 2	—	200/–
			48100/–

पाना–1

क्र. सं.	सं.	विवरण	वजन	मूल्य
		श्री नाथजी		
		श्री यमुनाजी		
1.	1	पटरी हार सोने का बीच में सोना मणका अन्दाजन सोना ग्राम 50	88.000	5500/–
2.	1	पटरी हार 1 सोने का बीच में सोना मणा का अन्दाजन सोना ग्राम 22	47.500	2500/–
3.	2	कँडा नंग 2 हाथी का मुह का ताम्बेपर सोना का पतरा सोना अन्दाजन ग्राम 40	190.000	4400/–
4.	1	येणु एक सोना को	107.000	11500/–
5.	1	सतलडा हार सोने के मणिये व परक चपडी सहित सोना अन्दाजन ग्राम 30	54.000	3300/–
6.	2	कडा नंग 2 लहरीया डिजाइन चपडी भरी हुई सोना अन्दाजन ग्राम 25	52.500	2700/–
7.	1	तेडीया 1 सोने का सोना अन्दाजन ग्राम 18	24.000	2000/–
8.	2	चूडी 2 प्लास्टीक पर छूत सोने की अन्दाजन सोना ग्राम 5		500/–
				32400/–

300

सूची पत्र फाइल सं० 2
चल सम्पति का

क्र.सं	विवरण	पेज	कीमत	आइटम	वि०वि०
1.	श्री द्वारकाधीश प्रभु के आभरण	1 से 9 तक	25,27,45/–	226/–	—
2.	आभरण तथा घोलाटा गदि आदि जडाऊ	1 से 20 तक	11,76,965/–	425/–	
3.	लालजी महाप्रभुजी के आभरण	1	48,100/–	11	
4.	श्री जमनाजी के आभरण	1	32,400/–	8	
5.	चांदी आदि के वर्तन मंगल	1 से 2 डी	—	35	
		1 से 11,		32177	
		12 से 14			
	खिलोने आदि पोठथ चोखाट आदि जडाऊ	15 से 20		37,102	आइटम बाईज तोल
		20 से 37	—		
		34 से 39		525,39	—
6.	श्री द्वारकाधीश प्रभु के धराने के शस्त्र आदि	1	42,700/–	23	
7.	हिन्डोलना पलना आदि कोठे में	1 से 5	---	58	नोट :–हिन्डोला नीमिता आदि के अहनु लदजे रास ऊपर चांदी पतरा लगे हैं
8,	खिलोना संखा आदि कोठे में	1 से 3	पतेडा सोने का 71 के ऊपर पत्तरडा वाग में जहां सोने के हैं लिखी है उस जगह पर		चांदी का झोल है
9.	शस्त आदि कोठे में	1		21	---

Page No. 301

(301)

पाना–1

1	2	3	4	5
1.	चान्दी डबरो एक गोपीवल्लभभोग	42	0–407	
2.	,, ,,	68	0–273	
3.	चान्दी डबरो राजभोग	64	0–472	
4.	चा. डबरो शयन भोग दूसरे भोग	71	0–233	
5.	चा. डबरो राजभोग	88	0–319	
6.	चा. डबरो एक	4	0–193	
7.	चा. डबरो राजभोग	212	0–207	
8.	चा. डबरो 1 शयन भोग (कटोरा)	101	0–337	
9.	चा. डबरो 1 राजभोग (कटोरा)	99	0–382	
10.	चा. डबरो 1 राजभोग (कटोरा)	55	0–230	
11.	चा. डबरो अनोसर भोग ढकणा साथ	8	0–340	
12.	चा. डबरो अनोसर सांजको ढकरा साथ	5	0–432	
13.	चा. छालिया (कटोरी) अनोसर सांज को	232	0–75	
14.	चा. छालिया अनोसर सांज को	233	0–90	
15.	चा. डबरो एकादशी भोग	148	0–162	
16.	चा. डबरो शयन भोग	67	0–192	
17.	चा. कटोरी गोपी वल्लभ भोग	129	0–33	
18.	चा. कुण्डी शृंगार भोग	162	0–70	
19.	चा. कटोरी ,,	136	0–80	
20.	चा. चटोरी शयन भोग (तपेली घाट)	148	0–80	
21.	चा. कटोरी 1	216	0–80	
22.	चा. कटोरी एक अथाणा की	138	0–70	
23.	चा. कटोरी एक राजभोग	61	0–395	
24.	चा. कटोरी एक उत्थापन भोग	—	0–175	

1	2	3	4	5
25.	चा. कुण्डी एक	63	0–160	
26.	चा. कुण्डी एक उत्थापन भोग	93	0–137	
27.	चा. कुण्डी एक	—	0–270	
28.	चा. कुण्डी वाटकी	194	0–11	
29.	चा. छोटी वाटकी राजभोग	139	0–6	
30.	चा. पडघावाली कटारी राजभोग	164	0–53	
	पाना–2			
31.	चा. झारो एक (पनगी छाँटने का)	15	2–430	
32.	चा. लोठी एक ढांकरणा चेन के साथ	31	0–446	
33.	चा. सलियाओ का आंकडा एक पंखा के लिये	109	0–263	
34.	चा. सलियाओ का आंकड़ा पंखा के लिये	110	0–265	
35.	चा. थाल जमना जी का (उरण काल)	44	9–600	

पाना–1

मंगल भोग के बर्तन

(चान्दी की थाली तथा थाल)

क्र.सं. 1	विवरण 2	नम्बर 3	वजन कि.ग्रा. 4 5
1.	मंगल भोग थाल एक	2	4–237
2.	शयन भोग की थाली एक	8	1–580
3.	शयन भोग की थाली दो	2	1–945
4.	[illegible] थाल 1	3	1–947
5.	राज भोग का थाल	8	1–675
6.	मंगल भोग का थाल	11	0–891
7.	चान्दी थाल	9	1–922
8.	चान्दी थाल	11	1–111
9.	चान्दी थाल	4	2–30
10.	चान्दी थाल 1	1	1–224
11.	शयन भोग का थाल	38	1–258
12.	रूथपिन पनेग की थाली एक	17	0–163
13.	चान्दी थाली एक	17	0–535
14.	चान्दी टाट	31	0–397
15.	चां. थाल संध्या भोग	14	0–575
16.	चां. संध्या भोग थाल	14	0–650
17.	चां. थाली एक	10	0–470
18.	चां. थाली शयन भोग	27	0–190
19.	चां. थाली एक	25	0–338
20.	चां. थाली राज भोग	20	0–385
21.	चां. थाली एक	13	0–675

1	2	3	4	5
22.	चा. थाली एक उत्थापन भोग	16	0-565	
23.	चा. थाली एक	15	0-505	
24.	चा. थाली एक ग्वाल भोग	19	0-373	
25.	चा. थाली शयनभोग	16	0-220	
26.	चा. थाली	23	0-310	
27.	चा. थाली गोपीबल्लभ भोग	10	0-778	
28.	चा. थाल एक राजभोग	1	2-147	
29.	चा. झारी एक आचमन की चेन वाला साथ	10	1-595	
30.	चा. घोड़ी चार पग वाली शंख		0-215	

पाना-2

31.	चा. कटोरी राजभोग	—	0-20	
32.	चा. छोटी कुण्टी राज भोग	160	0-42	
33.	चा. सीधी कटोरी	167	0-50	
34.	चा. कटोरी गोपी	161	0-22	
35.	चा. पासादार कटोरी राजभोग	149	0-97	
36.	चा. कुण्डी राजभोग	193	0-117	
37.	चा. छालिया 1	158	0-58	
38.	चा. छालिया (कटोरी) राजभोग	159	0-60	
39.	चा. बाटकी एक उत्थापन भोग	122	0-65	
40.	चा. बाटकी राजभोग	126	0-17	
41.	चा. कुण्डी 1	20	0-170	
42.	चा. कुण्डी एक राजभोग	30	0-475	
43.	चा. प्याला एक एकादशी का	152	0-150	
44.	चा. कुण्डी एक राजभोग	87	0-165	
45.	चा. कुण्डी एक राजभोग	66	0-318	
46.	चा. कुण्डी एक ,,	48	0-195	

1	2	3	4	5
47.	चा. कुण्डी एक राजभोग	92	0-105	
48.	चा. बाटकी एक „	58	0-219	
49.	चा. „ „	102	0-150	
50.	चा. कटोरी एक „	103	0-125	
51.	चा. बाटकी „	115	0-100	
52.	चा. कटोरी एक गोपी वल्लभ	119	0-62	
53.	चा. छाल्या एक छोटा राजभोग	166	0-33	
54.	चा. कुण्डी एक शयन भोग दूसरे में	60	1-315	
55.	चा. कटोरी 1 ग्वाल को	27	0-760	
56.	चा. कुण्डी एक शयन भोग	2	2-340	
57.	चा. कुण्डी एक गोपीवल्लभ भोग	15	1-55	
58.	चा. कुण्डी एक	23	0-892	
59.	चा. कुण्डी राजभोग	56	0-515	
60.	चा. कुण्डी 1 गोपीवल्लभ	34	0-678	
	पाना–			
61.	चा. कुण्डी एक राजभोग	73	0-320	
62.	चा. कुण्डी एक गोपी वल्लभ	33	0-575	
63.	चा. डब्बो एक अनोसर का ढाकना के साथ	52	2-53	
64.	चा. डब्बो एक अनोसर के ढाकना के साथ	51	4-812	
65.	चा. डब्बो एक जाली वालो वड़ा ढाकना के साथ	5	2-825	
66.	चा. जाली वाला डब्बा एक ढकना साथ में	1	0-855	
67.	चा. जाली वाला डब्बा एक „	2	0-585	
68.	चा. नकसीदार डब्बो एक „	20	0-95	
69.	चा. नकसी डवी एक ढकनम सहित	21	0-55	
70.	चा. कटोरी छोटी	183	0-12	
71.	चा. कटोरी छोटी	184	0-14	

1	2	3	4	5
72.	चा. कटोरी छोटी	185	0-16	
73.	चा. कटोरी संध्या भोग	142	0-52	
74.	चा. कटोरी एक अनोसर साथ का	203	0-38	
75.	चा. चमचो एक राजभोग	39	0-125	
76.	चान्दी ,, ,,	31	0-112	
77.	चा. ,, ,,	16	0-15	
78.	चा. ,, ,,	—	0-107	
79.	चा. ,, ,,	55	0-165	
80.	चा. ,, ,,	64	0-163	
81.	चा. ,, ,,	—	0-222	
82.	चा. ,, ,,	41	0-120	
83.	चा. ,, ,,	38	0-73	
84.	चा. ,, ,,	—	0-185	
85.	चा. चमचो एक गोडाड़ी	—	0-218	
86.	चा. चमचो एक राजभोग	—	0-105	
87.	चा. चमचो एक	—	0-107	
88.	चा. चमचो एक शयन का	4	0-108	
89.	चा. चमचो शयन भोग दूसरो	27	0-81	
90.	चा. चमचो राजभोग	44	0-115	

पाना–4

1	2	3	4	5
91.	चान्दी का डबरा एक	4	2-132	
92.	चा. चमचो एक	127	0-59	
93.	चा. चमचो एक	—	0-77	
94.	चा. चमच एक गोपीवल्लभ	41	0-115	
95.	चा. चमचो एक गोपीवल्लभ भोग	15	9-51	
96.	चा. चमचो एक एकादशी	18	0-37	
97.	चा. चमचो चक गोपीवल्लभ	12	0-48	

1	2	3	4 5
98.	चा. चमचो एक एकादशी	35	0-135
99.	चा. चमचो एक	116	0-44
100.	चा. कुण्डी छोटी अनोसर साज की	117	0-82
101.	चा. कुण्डी छोटी ,,	198	0-110
102.	चा. कुण्डी छोटी	—	0-126
103.	चान्दी कुण्डी एक अनोसर साथ	195	0-104
104.	चा. बाटकी एक	72	0-85
105.	चा. बाटकी एक गोपीवल्लभ	116	0-89
106.	चा. बाटकी एक संध्या भोग	219	0-55
107.	चा. वाटकी एक गोपी वल्लभ	192	0-64
108.	चा. कटोरी एक उत्थापन	139	0-90
109.	चा. कटोरी एक उत्थापन	221	0-101
110.	चा. कटोरी एक उत्थापन	218	0-95
111.	चा. एक उत्थापन	217	0-118
112.	चा. डबरो एक राजभोग	30	0-475
113.	चा. डबरो एक मंगल भोग	35	0-655
114.	चा. डबरो एक	12	0-790
115.	चा. कटोरी एक मंगल भोग	191	0-170
116.	चा. कटोरी एक मंगल भोग	190	0-195
117.	चा. नारियलकाट लोठी एक	65	0-304
118.	चा. डबरो एक	3	2-000
119.	चा. डबरो एक	14	2-33
120.	चा. थाली एक राजभोग	11	0-405

पाना-5

121	चा. डबरो राजभोग	600	2-95
122	चा. चमचो एक गोपीवल्लभ	1	0-48

Page No. 308

(306)

1	2	3	4	5
123.	चान्दी चमचो एक गोपीवल्लभ	2	0-45	
124.	चा. ,, ,,	3	0-56	
126.	चा. चमचो एक राजभोग	18	0-70	
125.	चा. चमचो एक	84	0-55	
127.	चा. चमचो एक गोपीवल्लभ	19	0-85	
128.	चा. चमचो एक एकादशी	81	0-98	
129.	चा. चमचो एक गोपीवल्लभ	4	0-23	
130.	चा. ,, ,,	5	0-27	
131.	चा. ,, ,,	7	0-25	
132.	चा. ,, ,,	—	0-23	
133.	चा. ,, ,,	10	0-24	
134.	चा. चमचो एक कमलपती बड़ो	57	0-176	
135.	चा. चमचो एक राजभोग	14	0-68	
136.	चा. ,, ,,	—	0-62	
137.	चा. ,, ,,	—	0-93	
138.	चा. ,, ,,	45	0-99	
139.	चा. ,, ,,	—	0-110	
140.	चा. ,, ,,	75	0-228	
141.	चा. चमचो एक	71	0-160	
142.	चा. चमचो एक राजभोग	101	0-107	
143.	चा. ,, ,,	61	0-208	
144.	चा. ,, ,,	80	0-311	
145.	चा. ,, ,,	51	0-120	
146.	चा. ,, ,,	52	0-89	
147.	चा. ,, ,,	54	0-107	
148.	चा. ,, ,,	68	0-165	
149.	चा. ,, ,,	46	0-108	

(307)

1	2	3	4	5
150.	चान्दी चमचो एक	—	0-108	
	पाना–6			
151.	चा. चमचो एक राजभोग	32	0-108	
152.	चा. ,, ,,	—	0-108	
153.	चा. ,, ,,	28	0-122	
154.	चा. ,, ,,	93	0-108	
155.	चा. ,, ,,	76	0-158	
156.	चा. ,, ,,	69	0-147	
157.	चा. ,, ,,	—	0-160	
158.	चा. चमचो एक गोपीवल्लभ	60	0-197	
159.	चा. ,, ,,	53	0-127	
160.	चा. ,, ,,	26	0-122	
161.	चा. ,, ,,	36	0-94	
162.	चा. चमचो एक शयन भोग	56	0-182	
163.	चा. ,, ,,	34	0-132	
164.	चा. ,, ,,	27	0-105	
165.	चा. ,, ,,	35	0-107	
166.	चा. कटोरी छोटी शृंगार भोग	178	0-10	
167.	चा. कटोरी छोटी उत्थापन	177	0-14	
168.	चा. ,, ,,	224	0-13	
169.	चा. कटोरी छोटी	128	0-21	
170.	चा. कटोरी एक	—	0-36	
171.	चा. कटोरी उत्थापन भोग	223	0-23	
172.	चा. कटोरी एक गोपीवल्लभ	147	0-23	
173.	चा. की तबकणी एक गोपीवल्लभ	35	0-75	
174.	चा. ,, ,,	36	0-81	
175.	चा. पडगीवाली कटोरी राजभोग	145	0-230	

(308)

1	2	3	4	5
176.	चा. पगड़ी वाली कटोरी राजभोग	146	0-257	
177.	च. डबरो एक राजभोग	32	0-548	
178.	चा. कुण्डी राजभोग	83	0-238	
179.	चा. डबरो राजभोग	17	1-694	
180.	चा. ,, ,,	10	21-250	

पाना–7

181.	चा. का डबरा एक राजभोग	37	0-518	
182.	चा. ,, ,,	59	0-570	
183.	चा. की कटोरी एक गोपीवल्लभ	94	0-100	
284.	चा. कुण्डी छोटी मंगलभोग	163	0- 35	
185.	चा. बरणी जेसी कटोरी	66	0- 55	
186.	चा. बरणी एक कटोरी एक	65	0- 77	
187.	चा. कटोरी एक	198	0- 32	
188.	चा. ,,	199	0- 42	
189.	चा. की कटोरी एक राजभोग	165	0- 53	
190.	चा. की कटोरी एक बरणीघाट	194	0-100	
171.	चा. बरणीघाट कटोरी अनेसेरसाज	222	0-112	
192.	चा. का छाल्या एक (कुण्डीघाट)	193	0- 31	
193.	चा. की कटोरी एक मंगलभोग	128	0- 41	
194.	चा. का छाल्या एक गोपीवल्लभ	137	0- 41	
195.	चा. का छाल्या एक	—	0- 45	
196.	चा. कटोरी एक अनोसरसाज	228	0- 48	
197.	चा. का पगड़ा छोटा	1	0-810	
198.	चा. कटोरी एक राजभोग	141	0- 66	
199.	चा. की कटोरी एक	212	0- 40	
200.	चा. की कुण्ठी एक शृंगार	155	0- 98	

1	2	3	4	5
201.	चा. कटोरी एक मंगलभोग	121	0- 73	
202.	चा. कटोरी एक गोपीवल्लभ	117	0 -66	
203.	चा. की कटोरी एक संध्या भोग	104	0-103	
204.	चा. की कटोरी "	202	0- 77	
205.	चा. की कटोरी गोपीवल्लभ	213	0- 90	
206.	चा. का डाबरा एक	3	0- 30	
207.	चा. डबरो एक गोपीवल्लभ	26	0-765	
208.	चा. कठोरी एक संध्या भोग	117	0- 77	
209.	चा. कटोरी एक मंगलभोग	124	0- 50	
210.	चा. की कटोरी एक	203	0-559	

पात्र-8

211.	चा. की कटोरी एक गोपीवल्लभ	214	0- 84	
212.	चा. की कटोरी एक मंगलभोग	141	0-250	
213.	चा. चांदी कुन्डी एक उत्थापन भोग	183	0-171	
214.	चांदी कटोरी एक राजभोग	140	0- 59	
215.	चांदी की कटोरी एक शृंगार भोग	114	0-103	
216.	चांदी की कटोरी एक पासादार गोपी	147	0-154	
217.	चा. की कटोरी एक गोपीवल्लभ भोग	56	0-172	
218.	चा. कुंडी छोटी गोपीवल्लभ भोग की	156	0- 80	
219.	चा. कुंडी एक मंगलभोग	154	0-105	
220.	चा. कुंडी एक गोपीवल्लभ भोग	97	0-104	
221.	चा. कुंडी	209	0-185	
222.	चा. वाटको एक राजभोग	74	52-44	
223.	चा. की कटोरी गोपीवल्लभ भोग	220	0- 50	
224.	चा. कुंडी एक गोपीवल्लभ	215	0-125	
225.	चा. डबरो एक राजभोग	21	0-453	

1	2	3	4	5
226.	चा. की कुंडी एक राजभोग	40	0-560	
227.	चा. कुंडी एक	—	0-149	
228.	चा. की कुंडी एक मंगलभोग	130	0-191	
229.	चा. कुंडी एक शयनभोग	—	0-277	
230.	चा. कुंडी एक राजभोग	72	0-288	
231.	चा. कुंडी एक शयनभोग दूसरो	80	0-352	
232.	चा. कुंडी एक शयनभोग	45	0-411	
233.	चा. कुंडी एक शयनभोग	57	0-545	
234.	चा. कुंडी एक	24	0-701	
235.	चा. कुंडी एक गोपीवल्लभ भोग	212	0-325	
236.	चा. कुंडी एक	22	2-200	
237.	चा. डबरो एक	1	3-235	
238.	चा. डबरो एक मंगलभोग	10	1-137	
239.	चा. डबरो एक	16	1-160	
240.	चा. डबरो एक शयनभोग	25	0-559	

पाना–9

241.	चा. डबरो एक	56	0-865	
242.	चा. ,,	11	0-912	
243.	चा. कुंडी एक शयनभोग दूसरो	28	0-588	
244.	चा. डबरो एक उत्थापन भोग	—	0-567	
245.	चा. डबरो एक गोपीवल्लभ भोग	38	0-680	
246.	चा. कुंडी एक ,,	47	0-386	
247.	चा. कुंडी एक मंगलभोग	43	0-404	
248.	चा. कुंडी एक गोपीवल्लभ भोग	42	0- 41	
249.	चा. भगोणा एक ,,	65	0-472	
250.	चा. टोप (तपेला)	234	1- 85	
251.	चा. डबरो एक राजभोग	29	0-567	

1	2	3	4	5
252.	चा. कुण्डी एक गोपीवल्लभ भोग	50	0-394	
253.	चा. कुन्डी एक राजभोग	58	0-557	
254.	चा. बाटको एक राजभोग	42	0-428	
255.	चा. ढांकणा श्रृंगार स्मठ	180	0-168	
256.	चा. ढांकण ,,	181	0-131	
257.	चा. ,, ,,	182	0-101	
258.	चा. माटली एक (कसेडी)	31	1-496	
259.	चा. कसेडी (माटली)	—	1-507	
260.	चा. बोधरणी (कसेडी)	26	2-123	
261.	चा. कसेडी एक	24	1-887	
262.	चा. लोठी	8	0-187	
263.	चा. ,,	32	0-187	
264.	चा. ,,	4	1- 05	
265.	चा. धाघर एक	24	4-418	
266.	चा. धाघर एक	22	3-381	
267.	चा. ,,	7	3-795	
268.	चा. सिरोही (कुंजो)	29	1-424	
269.	चा. की तुलसीजी की तबकणी	34	0-.81	
270.	चा. जालीवालो अतरका डबा	11	0-640	

पाना–10

271.	चा. बड़ा पडगा नीचे तांबा पतरा	21	6-653	
272.	चा. ,, ,,	22	076651	
273.	चा. ,, ,,	19	5-088	
274.	चा ,, ,,	20	5-065	
275.	चा. छोटा पड़गा तांबा वगेरा का	6	0-970	
276.	चा. वाला छोटा पडगा नीचे तबेरा पतरा	2	0-744	

1	2	3	4	5
277.	चा. वाला छोटा पड़गा नीचे तवेला पतरा	4	1- 58	
278.	चा. ,, ,,	8	1-810	
279.	चा. का नालीवाला बटावाला का	16	1-693	
280.	चा. सादा डबा एक (बड़ी)	6	0-667	
281.	चा. बरास की डीबी	1	0-177	
282.	चा. छोटा गोल वाला डबा	—	0- 97	
283.	चा. थाली एक माला के लिए	30	0-797	
284.	चा. थाली एक बीड़ी के लिये	28	1- 85	
285.	चा. थाली एक मोम की तबकडी	15	0-218	
286.	चा. थाली एक छोटी श्रृंगार पेटी	51	0- 69	
287.	चा. ,, ,,	50	0- 98	
288.	चा. की छोटी थाली	49	0- 98	
289.	चा. मंगला की तकबडी 1 तीनपाया	33	0-439	
290.	चा. थाली इडोनी लकड़ा के साथ	6	0-193	
291.	चा. ,, ,,	5	0-199	
292.	चा. ,, ,,	1	0-204	
293.	चा. ,, ,,	14	0-221	
294.	चा. ,, ,,	7	0-224	
295.	चा. ,, ,,	13	0-203	
296.	चा. चूना की कटोरी	9	0-107	
297.	चा. फुलेल की बरनी	207	0-175	
208.	चा. फुलेल की बरनी का स्टेण्ड लकड़ी सघन	208	0-200	
299.	चा. इत्र की डीबी (श्री महा प्रभुजी)	14	0- 32	
300.	चा. ,, ,,	13	0- 47	

पाना-11

301.	चा. की चोरस डब्बी खानावाली	12	0-248	

1	2	3	4	5
	पाया दो है (श्री महाप्रभुजी को)			
302.	चा. लकड़ी ऊपर मढ़ा हुआ चारपग वाला चोकन 1	24	0-415	
303.	चा. छोटी चार पगवाली चारपाई लाकड़ावाली पाया में तांबा की मुगरी	23	2-240	
304.	अभगय के स्नान की चोकी लकड़ी की पठिक पाया में चा. जड़ी हुई	—	—	
305.	श्रृंगार की चौकी एक पाया में चांदी का पतरा लगा हुआ	—	—	
306.	अनोसर की पेटी व लकड़ी के पागा में चांदी लगी हुई सांकल कूदां चांदी के	—	—	
307.	पलगड़ी 4 पागे में चांदी का पतरा	—	—	
308.	पागे कुल चांदी जुड़ी हुई	—	—	
309.	चांदी लकड़ी ऊपर मंडा हुआ चार पग का चोगठा	24	3-325	
310.	अगरबत्ती का स्टेण्ड लकड़ी के ऊपर नीचे तांबा का पतरा	41	0-200	
311.	रवड़पाट की चौकी 1 लकड़ी पर मंढ़ी हुई	37	9-843	
312.	बड़ा की चौकी 1 लकड़ी ऊपर मण्ढ़ी हुई नीचे तांबा लगा हुआ	46	12-354	
313.	चा. पड़गी छोटे नाड़े की नीचे तांबा लगा हुआ	3	0-915	
314.	चा. ,, ,,	4	0-920	
315.	खण्ड की पडगी	43	1-170	
316.	,, ,,	44	2-188	
317.	चा. की पड़गी 1 चांदी के नीचे तांबा थाली वाली	7	2-810	
318.	चांदी की मस्टी एक नीचे तांबे के	40	1- 56	

1	2	3	4	5
	टिकड़ा चार			
319.	चांदी की दीबी 1 बाड़ी नीचे तांबा गड़ा हुआ ढक्कन कुल नग 7		5-695	
	1. स्टेण्ड नं. 13 2. डाडा नं. 14 3. ढक्कन नं. 15 4. कोडिया का स्टेण्ड 15 5. छोटा स्टेण्ड नं. 17 6. कोडिया नं. 18 7. कतरनी नं. 19			
320.	चांदी की दीबी 1 ब्रड़ी नीचे तांवा नग कुल नं. 7		6-570	
	1. स्टेण्ड नं. 6 2. कोडिया नं. 10 3. स्टेण्ड नं. 3 4. ढक्कन 8 5. डाण्डी नं. 7 6. कोडिया नं. 9 11 7. कतरनी 12			
321.	चांदी की टीबी 1 छोटी		4-185	
	1. स्टेण्ड नं. 1 2. छत्र नं. 5 3. स्टेण्ड नं. 9 4. दाण्डी नं. 5 5. कोडिया नं. 4			

पाना 12

1	2	3	4	5
1.	खिलोना फरकनी वाली मोर	227		
2.	,, ,,	228		
3.	खिलाना सखीवाला फरतोमार	—		
4.	,, फरकड़ी बड़ी	230		
5.	,, फरकड़ी छोटी	231		
6.	,, घुघरी वाल धरकणी			
7.	,, अनाज कूटने की मशीन	208		
8.	,, चीपीया स्प्रींग का मोर	202		
9.	जालीवाला तबकडी	—		
10.	चा. खीलोना बपैया	171		
11.	खिलोना बपैया	170		
12.	,, ,,	169		
13.	,, ,,	172		
14.	चकरी (चकरड़ी) धादा	213		
15.	चकरी (चकरड़ी) घुघरीवाली	212		
16.	चकरड़ी घुघरीवाली	214		
17.	चकरड़ी (चकरी) घुघरीवाली	216		
18.	चकरड़ी (चकरी) घुघरीवाली	215		
19.	चकरड़ी (चकरी) घुघरीवाली	211		
20.	चकरी (चकरड़ी) घुघरीवाला	210		
21.	चकरी (चकरड़ी) सादा	209		
22.	चकरी (चकई)	203		
23.	झुनझुना घुघरी	195		
24.	,,	196		

1	2	3	4	5
35.	फिरकी 1	204		
26.	बटया दाडीया	224		
27.	,,	225		
28.	,, बड़ा	222		
29.	,, ,,	223		
30.	घुमाने की गोफन दो	207		

पाना 13

1	2	3	4	5
31.	भ्रंगी बड़ी	187		
32.	,, छोटी	188		
33.	खिलोना नास्ता बन्दर	201		
34.	घुघरा छोटा	274		
25.	घुगरी ।	235		
36.	,,	182		
37.	,,	180		
37.	,,	179		
39.	घुघरा एक नकशीदार	178		
40.	भवरा	218		
41.	भवरा । लकड़ा साथ में	221		
42.	भवरा ।	224		
43.	भवरा ।	219		
44.	,,	220		
45.	फरकणी 1	229		
46.	कदी वाली घुघरी	193		
47.	,, ,,	194		
47.	चटपटा भोला वालासाकला साथ	183		
49.	,,	184		

1	2	3	4	5
50.	चैटपटा छोटा	185		
51.	तीन गोला वाला घुघरा (ताम्बों की कड़ी वाला घुघरा नंग 2)	182		
52.	चा. गाय खड़पाट की गवाल बछड़ावाला	74	0-695	
53.	चांदी गाय जंड पाट की ग्वाल बछड़वाली	75	0-707	
54.	चां. वाका मुंह वाली गाय बछड़ेवाली	76	1-710	
55.	चा. वाक ,, ,,	77	2-678	
56.	चा. गाय बछड़े के साथ	78	0-438	
57.	चा. गाय एक बछड़े के साथ	79	0-55	
58.	चा. गाय	80	0-300	
59.	चा. गाय	81	0-302	
60.	खिलोना की चोरस तबक	18	0-602	

पाना 14

1	2	3	4	5
61.	खिलोना की चोरस तबक	35	0-620	
62.	,, ,,	58	0-727	
63.	,, ,,	58	0-720	
64.	मेडा नंगा (नंग 3 में नीचे पट्टी नहीं)	—	0-536	
65.	चा. घोड़ा 7 हाथी 1 कुलनंग 8 (घोड़ा में नीचे पट्टी नहीं है)		0-527	
66.	चा. गाय 14 (गाय 9 के पट्टी नहीं)		1-378	
67.	चा. मोर 5 कबूतर बगला 2 सूव 2 कुलनंग । 2 (नग 5 मे नीचे पट्टी नहीं है)		0-362	
68.	मच्छी 1 मोटी मच्छी 2 सूंला 2 घेराफुल 6 नंग		0-592	
69.	चांदी गेंद 4		0-148	

1	2	3	4	5
70.	चा. मूर्ति 2 गणपति बालकृष्णजी		0-90	
71.	चा. लकड़ी चोगान 4 (लाख साथ में)		0-540	
72.	चांदी का हाथी लाख वाला		0-148	
73.	चांदी का हाथी लाख वाला	167	7-116	
74.	चांदी का घोड़ा लकड़ी ऊपर	163	1-890	
75.	,, ,,	164	1-850	
76.	चा. गाय 3 की चौकी 1 (लकड़ी ऊपर)			
77.	चा. मोरवाली तथा केरी 2 स्टेण्ड साथ नट 1		0-520	

पाना 15

1	2	3	4	5
1.	जलपान को डोई ढांकणा सहित (लो खंड खोला साथ में)	12	0-865	
2.	चांदी लोढा	5	0-478	
3.	चा. डगवाल का लोढा	9	0-765	
4.	चा. पडघोवालो लोढा	7	0-440	
5.	चा. मठकी का ढांकण	3	1-210	
6.	चा. की कुण्डी ग्वाल	9	1-220	
7.	,, ,,	19	10-15	
8.	चा. कुण्डी 1 ग्वाल डबरा	225	1-773	
9.	चा. चोरस चौकी ग्वाल	16	0-312	
10.	,, ,,	15	0-312	
11,	चा. कटोरी 1 ग्वाल	187	0-192	
12.	चा. कटोरी 1 गवाल जालीवाला	185	0-280	
13.	चा. को हाडो 1	3	4-655	
14.	चा. तासल 1	204	3-250	
15.	चा. गंगाज बेड़ी (ताम्बाकुण्डी) नीचे ताम्बा का पतरा लगा हुआ)	206	11-550	
16.	चा. ,, छोटी (,,) ,,	205	6-440	
17.	चा. झारी को तबकड़ी	10	0-392	
18.	,,	9	0-266	
19.	,,	8	0-171	
20.	,,	11	0-175	
21.	चा. आचमन की ट्रस्टी तांबा के पाया 4 साथ में	42	0-672	
22.	,, ,,	43	0-510	

1	2	3	4	5
23.	चा. चस्टी बड़ी ,,	41	1-138	
24.	चा. चौकी 1 श्री महाप्रभुजी के झारीजी पाया 2 में ताम्बा की टोटी 2 है	33	4-270	
25.	चा. पड्यो बीच की साइज का	13	1-603	
26.	चा. पड्यो।	12	2-432	
27.	,,	9	1-341	
28.	चा. पड्यो। पैंदे में ताम्बा साथ में	11	1-955	
29.	,, ,, ,, रींगल लगी	14	2-60	
30.	चा. पड्यो। छोटो	45	0-725	

पाना 16

31.	चांदी की ट्रस्टी की चौकी चार पाव वाली पागा में ताम्बा की टीकड़ी 4 लगी हुई	28	1-880	
32.	ग्वाल की तबकड़ी	90	0-623	
33.	चा. ग्वाल की तबकड़ी	91	0-627	
34.	चांदी थाल।	1	2-60	
35.	चांदी झारा बड़ा करवा	1	2-720	
36.	,, ,, छोटा ,,	2	3-313	
37.	चा. पतरा माला सजाने की जाळे	37	0-363	

पाना 17

1	2	3	4	5
1.	चांदी का मद्रासी घड़ा	5	3-878	
2.	,, बीसनगरीघाट चरूड़ी ग्वाल का घड़ा	30	4-540	
3.	,, पडसीदार कसेड़ी	27	1-450	
4.	,, सूरती तामड़ी	8	3-113	
5.	,, ,, (तागड़ीवाली)	4	4-786	
6.	,, मद्रासी गागर।	2	4-280	
7.	,, बड़े मुँह की गागर	6	2-911	
8.	गोली।	21	9-962	
9.	कुण्ड।	1	11-860	
10.	,, झाडी सांकल वाली ढक्कन साथ में	3	1-880	
11.	,, ,, सालिगरामजी को	3	0-275	
12.	,, पडघा। नीचे ताम्बा है	10	2-393	
13.	खेल की तबकडी (थाली)	19	0-463	
14.	,, छालीयु 1 चन्दन की कटारा		0-46	
15.	,, पडघीवाला कटोरा	11	0-76	
16.	,, पडघोवाली कटोरी गुलाल की	12	0-68	
17.	,, कटोरी अबीर की			
18.	,, कटोरी 1 चूना को			
19.	,, चांदी का थाल।	7	2-70	
20.	,, टाटली 1	25	0-235	
21.	,, ,,	24	0-267	
22.	टाटछोट (थाली)	23	0-244	
23.	,, टाटा 1	32	0-478	
24.	,, ,, बड़ा	29	0-989	

1	2	3	4	5
25.	टाट छोटा थाल ।	8	2-69	
27.	,, ,,	12	1-750	
27.	,, ,, पंचामृत का छोटा थाल	1	3-261	
28.	,, गोलकांटा की थाली (झाझरा)	4	3-596	
29.	,, डबरा	8	1-715	
30.	,, ,,	9	1-405	

पाना 18

31.	चा. का डबरी ।	8	2-403	
32.	,, ,,	7	1-570	
33.	,, ,,	4	1-595	
34.	,, ,, राजभोग	3	2-405	
35.	,, ,,	6	1-737	
36.	,, ,,	21	0-882	
37.	,, ,, ,,	13	1-122	
38.	,, ,,	5	1-972	
39.	,, ,, केशर तैयार करने का बंटा	–	0-72	
40.	,, पचामृत का थाल	1	21-110	
41.	,, छड़ी लाकड़ा ताम्बा के डालावाली	73	0-217	
42.	,, ,, ,,	74	0-217	
43.	,, स्वामीनी जी चौकी लकड़ी साथ में	30	3-555	
44.	,, थाना वाली चौकी लकड़ी पर धड़ी	31	4-953	
45.	,, लकड़ी काबनाखंड दर्मनीय भाग में चांदी का			
45.	ए अनोसर की चौकी मे पागा 4 चांदी का पतारा			

1	2	3	4	5
46.	बालकृष्णाजी का काचांदी का पलनापाया दो साकल 4 मोड 2 सात पलना जुलाने की साकल ऊपर तोरन गुंगरी वाला			
47.	चांदी की उपर के पलना की	–	0-38	
48.	,, लोढा	6	0-428	
49.	,, ,, एक छोटी	9	0-58	
50.	,, लोढी एक छोटी अधको	10	0-53	
51.	,, चमचो	58	0-145	
52.	,, ,,	114	0-181	
53.	,, ,,	106	0-124	
54.	,, ,,	111	0-185	
55.	,, ,,	110	0-113	
56.	,, ,,	115	0-185	
57.	,, ,,	66	0-178	
58.	,, ,,	133	0-182	
59.	,, ,,	62	0-170	
60.	,, ,,	110	0-180	

पाना 19

61.	चांदी चमचो 1	112	0-176	
62.	,, ,,	116	0-180	
63.	,, ,,	77	0-178	
64.	,, ,,	105	0-107	
65.	,, ,,	107	0-182	
66.	,, ,,	99	0-109	
67.	,, ,,	95	0-115	
68.	,, ,,	100	0-108	

1	2			3	4	5
69.	चान्दी चमचो			103	0-117	
70.	,,	,,		102	0-103	
71.	,,	,,		40	0-98	
72.	,,	,,		88	0-44	
73.	,,	,,		89	0-45	
74.	,,	,,		91	0-61	
75.	,,	,,		96	0-69	
76.	,,	,,		97	0-83	
77.	,,	,,		94	0-88	
78.	,,	,,		108	0-121	
79.	,,	,,		109	0-109	
70.	,,	,,		98	0-65	
81.	,,	,,		24	0-80	
82.	,,	,,		11	0-28	
83.	,,	,,		82	0-79	
83.	,,	,,		104	0-111	
85.	,,	,,		67	0-111	
86.	,,	,,		117	0-164	
87.	,,	,,		65	0-160	
88.	,,	,,	राजभोग	52	0-152	
89.	,,	,,		72	0-162	
90.	,,	,,	गोपीवल्लभ	87	0-20	

पाना 20

91.	चाँदी चमचाँ ।			—	0-26
92.	,,			95	0-29
93.	,,	,,	गोपीवल्लभ	—	0-64

1	2	3	4	5
94.	चांदी चमचो	20	0-46	
95.	,, ,,	21	0-54	
96.	,, ,,	22	0-52	
97.	,, ,,	13	0-48	
98.	,, ,,	90	0-50	
99.	,, ,,	119	0-36	
100.	,, ,,	120	0-24	
101.	,, ,,	121	0-22	
1.	चांदी का हंस कुंडका	22	0-115	
2.	,, ,,	23	0-110	
3.	,, ,,	24	0-116	
4.	,, ,, साणामाची के खंड के	25	0-125	
5.	,, हंस	26	0-82	
6.	,, ,,	27	0-77	
7.	,, ,,	28	0-53	
8.	,, ,,	29	0-50	
9.	,, ,,	30	0-60	
10.	,, ,,	31	0-50	
11.	,, ,,	32	0-59	
12.	,, ,,	33	0-52	
13.	,, मोर नित्य के छावत्त	92	0-295	
14.	,, मोर	83	0-305	
15.	,, गरूड़	84	0-169	

326

पाना–21

1	2	3	4	5
16.	चांदी का हाथी	85	0-166	
17.	,, ,,	86	0-182	
18.	,, ,,	87	0-112	
19.	,, ,,	88	0-126	
20.	,, ढोलक वाली	89	0-121	
21.	,, गाय	90	0-248	
22.	,, गाय बछड़े के साथ	91	0-254	
23.	,, ,,	82	0-130	
24.	,, ,,	93	0-125	
25.	,, शेर	94	0-136	
26	,, ,,	95	0-140	
27	,, ,,	96	0-75	
28.	,, हंस	97	0-75	
29.	,, ,,	98	0-75	
30.	,, बन्दर	99	0-68	
31.	,, ,,	100	0-70	
32.	,, पोपट (सूवा) चोकीवीनाछे	101	0–58	
33.	,, पोपट	102	0–65	
34.	,, ,,	103	0-35	
35.	,, पेटी तथा कोड़ी 7	105	0-225	
36.	,, चोकड़ (चार डब्बे वाला)	106	0-98	
37.	,, सखा	107	0-58	
38.	,, बीन।	109	0-202	
39.	,, पखावज सांकल के साथ	110	0-107	
40.	,, तानपुरा	111	0-234	
41.	,, सीतार	112	0-114	
42.	,, मगदल जोड़ी।	113	0-300	

(९२७)

1	2	3	4	5
43.	चांदी म्याना	115	0-95	
44.	,, सोता पलका चोफखा	116	0-218	
45.	,, झाझ जोडी ।	117	0-110	

पाना–22

1	2	3	4	5
46.	चांदी के मंजीरा जोडी एक	119-20	58	
47.	,, भूना घूघरी वाला	175	0-150	
48.	,, भूल भला	176	0-175	
49.	,, भला जोडी एक (नग) 2	177-78	0-208	
50.	,, गाय खोलाने के भूल भूला बडा	189-90	0-307	
51.	,, गाय खोलाने का भलभूला छोटा	191-192	0-171	
52.	,, चांदी लेजीम ।	197	0-105	
53.	,, गेंद	198	0-033	
54.	,, गेंद जोडी लकडो जेमर	199	0-212	
55.	,, नाव छोटी बंगला वाली	121	0-172	
56.	,, नाव एक मोरकी खादी	122	0-194	
57.	,, नाव एक बडो	123	0-417	
58.	,, नाव एक छोटी बंगला सिवाय	124	0-178	
59.	,, कछुवा वडा	125	0-323	
60.	,, कछुवा एक वडा	126	0 439	
61.	,, कछुवा बडी	127	0-334	
62.	,, कछुवा बडी	128	0-433	
63.	,, वासुदेव प्यालो	129	0-210	
64.	,, बतक (हंस)	130	0-72	
65.	,, (हन्स)	131	0-48	
66.	,, झारा (खाटका वालो)	133	0-375	
67.	,, झाराछारा छोटा	133	0-88	
68.	,, प्यालो एक (नकशी) प्लेट दोडी वालो	134	0-181	
69.	,, कछुवा छोटा	135	15-03	

1	2		3	4	5
70.	चाँदी	कछुवा छोटा	136	0-40	
71.	,,	मैढ़क	137	•0-83	
72.	,,	मैढ़क	138	0-70	
73.	,,	मछली	139	0-45	
74.	,,	मछली	140	0-41	
75.	,,	हंस	141	0-74	

पाना–23

76.	चाँदी	काग्रंश	142	0-102	
77.	,,	काग्रंश	143	0-64	
78.	,,	काग्रंश	144	0-91	
79.	,,	काग्रंश	145	0-93	
80.	,,	का कछुवा	146	0-22	
81.	,,	का कछुवा	147	0-23	
82.	,,	का कछुग्रा	148	0-22	
83.	,,	का कछुग्रा	149	0-19	
84.	,,	मैंढ़क	150	0-10	
85.	,,	मैंढ़क	151	0-11	
86.	,,	मछली	152	0-143	
87.	,,	मछली	153	0-137	
88.	,,	मछली	154	0-130	
89.	,,	मछली	155	0-136	
90.	,,	मैं मगर	156	0-[illegible]7	
91.	,,	हंस (मुहु वगैरह का)	157	0-15	
92.	,,	हँस (मुहु वगैरह का)	158	0-15	
93.	,,	मछली	159	0-9	
94.	,,	मछली	160	0-11	
95.	,,	हंस	161	0-17	
96.	,,	ग्रारती (खडकी)	30	0-507	
97.	,,	धुपारना	92	0-510	

(329)

1		2	3	4	5
98.	चांदी	दीवडा (दिवी)	35	0-235	
99.	,,	घंटागरुड़ थाली बडी	70	1-817	
100.	,,	राई कोनकी कटोरी	34	0-61	
101.	,,	छुपरणा	32	0-53	
102.	,,	दीपीका	33	0-164	
103.	,,	खडकी आरती	29	1-802	
104.	,,	दीवडा (दीवट)	31	0-98	
105.	,,	आरती खंडकी	50	1-400	

थाना–24

106.	चांदी	आरती छोटी	59	0-235	
107.	,,	दीपीणु	93	0-231	
108.	,,	दीवडा	52	0-175	
109.	,,	भस्टी की चौकी	27	1-385	
110.	,,	भस्टी (ताम्बा की टिकड़ी लगी हुई)	24	1-77	
111.	,,	छोटी (ताम्बा की टिकड़ी लगी हुई)	25	0-843	
112.	,,	कटोरी उत्थापनभोग	109	0- 04	
113.	,,	कटोरी उत्थापनभोग	118	0-71	
114.	,,	कटोरी मंगलभोग	22	0-56	
115.	,,	कटोरी दाऊजी		0-58	
116.	,,	कटोरी दाऊजी	198	0-56	
117.	,,	कटोरी गोपीवल्लभ	200	0-21	
118.	,,	कटोरी गोपीवल्लभ	231	0-27	
119.	,,	कटोरी गोपीवल्लभ	206	0-87	
120.	,,	कोटोरी गोपीवल्लभ	204	0-55	
121.	,,	कटोरी पडघीवाली	202	0-60	
122.	,,	कटोरी कुडीपाट	199	0-56	
123.	,,	प्यालो एक	192	0-39	
123.A	,,	कटोरी	260	0-77	

(330)

1		2	3	4	5
124.	चाँदी	कटोरी	201	0-60	
125.	,,	कटोरी	189	0-20	
126.	,,	कटोरी	190	0-24	
127.	,,	कटोरी	191	0-41	
128.	,,	कुण्डी	196		
129.	,,	प्याला पडघीदार	195	0-19	
130.	,,	कटोरी	31	0-27	
131.	,,	चोको आसन (श्रीमहाप्रभुजी को)	32	0-635	
132.	चांदी	सुखपालके डंडे को खोली चाही साइ (भूगला)	68	0-800	
133.	,,	चाही साइ (भूगला)	69	0-786	
134.	,,	चा. कलश ढोलवालो ताम्बाक पतरा लाख के साथ	66	0-343	
135.	,,	चा. कलश	67	0-325	

पाना-25

136.	चाँदी	प्याला पडघीदार चन्दन का	27	0-253	
137.	,,	प्याला पडघीदार चन्दन	28	0-141	
138.	,,	प्याला बैठा घाटका	30	0-117	
139.	,,	नक्शी प्यालो	29	0-131	
140.	,,	कटोरा।	24	0-128	
141.	,,	कटोरा	25	0-99	
142.	,,	लकडी नकशी	4	0-273	
143	,,	लकडी नकशी	3	0-546	
144.	,,	थाली।	2	0-592	
145.	,,	थाली।	1	0-818	
146.	,,	बंटा महाप्रभुजीका	36	0-546	
147.	,,	बंटा ठाकुरजीका	35	0-914	
148.	,,	चांदी का सींहासन का कलश	91	0-126	
149.	,,	चांदी का सींहासन का कलश	92	0-132	

1	2	3	4	5
150.	चांदी का सिंहासन का कलश	93	0-112	
151.	,, डबरो	8	0-770	
152.	,, डबरो	18	0-969	
153.	,, डबरो	235	0-952	
154.	,, डबरो उत्थापनभोग	81	0-177	
155.	,, कटोरी	7	0-112	
156.	,, पहेलदास कटोरी पडघीवाली	128	0-128	
157.	,, कटोरी	16	0-57	
158.	,, 6	—	0-28	
159.	,, खेल का चौरस खुमचा	11	3-720	
160.	,, थाल।	7	1-153	
161.	,, कटोरी	18	0-77	
162.	,, भभाणु (तंबकडी)	12	0-308	
163.	,, चोरसकुंड छोटा	34	0-174	
164.	,, चोरसकुंड बड़ा	35	0-204	
165.	,, कटोरा	23	0-275	

पाना–26

166.	चाँदी पडघीदार कटोरी	26	0-173	
167.	,, ,, प्यालो	211	0-288	
168.	,, ,, कटोरो	84	0-216	
169.	,, ,,	10	0-93	
170.	,, प्यालो।	5	0-223	
171.	,, ,,	6	0-140	
172.	,, कटोरो।	8	0-84	
173.	,, ,,	19	0-40	
174.	,, ,,	63	0-66	
175.	,, ,,	14	0-70	
176.	,, ,,	17	0-55	
177.	,, ,,	20	-53	

1	2	3	4	5
178.	चाँदी कटोरो	21	0-42	
179.	,, ,,	22	0-32	
180.	,, ,,	197	0-38	
181.	,, तोरण जन्माष्टमी तोरण के मोर 6 चरकली 4 सूवा 4 वेरीसाथे		2-5	
182.	,, चा. पीचकारी (कपड़ा साथ मे)	75	0-990	
183.	,, ,, ,,	76	1-320	
184.	,, ,, ,,	77	1-3 5	
185.	,, ,, ,,	51	0-352	
186.	,, ,, ,,	56	0-205	
187.	,, ,, ,,	52	0-330	
188.	,, ,, ,,	53	0-250	
189.	,, ,, ,,	55	0-213	
190.	,, ,, ,,	57	0-190	
191.	,, ,, ,,	58	0-185	
192.	,, ,, ,,	54	0-236	
193.	,, ,, ,,	58	0-175	
194.	,, ,, ,,	60	0-171	
195.	,, ,, ,,	61	0-162	
196.	,, ,, ,,	62	0-181	

पाना–27

196.	चाँदी पीचकारी (कपड़ा साथ)	63	0-153	
197.	,, ,, ,,	64	0-137	
198.	,, ,, ,,	65	0-135	
199.	,, ,, ,,	66	0-93	
200.	,, ,, ,,	67	0-128	
201.	,, ,, ,,	68	0-130	
202.	,, ,, ,,	71	0-115	
203.	,, ,, ,,	69	0-116	

335

1	2		3	4	5
204.	चांदी	पीचिकारी (कपडा वाला)	70	0-105	
205.	,,	,, ,,	72	0-150	
206.	,,	,, ,,	73	0-161	
207.	,,	,, ,,	74	0-208	
208.	,,	को लोढो । छोटी (पिचकारीको कपडासाथ)	78	0-49	
209.	,,	,, ,,		0-111	
210.	,,	,, ,,		0-97	
211.	,,	टमटा (अपकोरा)	83	0-278	
212.	,,	,, ,,	84	0-281	
213.	,,	गुलाबदानी मोटी	79	0-355	
214.	,,	,, ,,	70	0-242	
215.	,,	,, ,,	69	0-262	
216.	,,	,, ,,	67	0-242	
217.	,,	चन्दन को बरणीढाकण साथ	85	0-226	
218.	,,	पडदी बरणी को कमलघाट	87	0-141	
219.	,,	चन्दन को बरणी छोटी	86	0-93	
220.	,,	तबकडी ,,	16	0-496	
221.	,,	करवा को कटोरा	3	0-217	
222.	,,	प्यालो भर भरो को	4	0-55	
223.	,,	करवा को प्यालो	5	0-58	
224.	,,	कुन्जा को ग्लास	6	0-82	
225.	,,	,, ,,	7	0-69	

पाना–28

226.	सोना	पीचकारी एक जडाऊ (कपडसाथ)	–	0-57	
227.	चांदी	पीचकारी (कपड़ावाला)	44	0-54	
228.	,,	,, फीरोजी मीनकारी (कपडसाथ)	59	0-62	
229.	,,	,, मीनकारी ,,	45	0-39	
230.	सोना	पीचकारी । मीनाकारी	43	0-44	

1	2	3	4	5
231.	चांदी पीचकारी । मीनाकारी (कपड़ा साथ)	48	0-42	
232.	,, ,, ,,	50	0-52	
233.	,, ,, ,,	47	0-42	
234.	,, ,, ,,	46	0-31	
235.	,, ,, कुजो । सांकलसाथ		0-336	
236.	,, लोढी मीनाकारी मीनासाथे		0-125	
237.	,, डब्बो । मीनाकारी		0-910	
238.	,, कुन्जो । ढांकणा साथ में (लीला मीनाकारी)		0-328	
239.	,, गुलाबदानी मीनाकारी		0-189	
240.	,, ,, ,,		0-265	
241.	,, ,, ,,		0-189	
242.	,, आरसी । मीनाकारी कडीवाली कांच वगैरह लाख साथे		0-400	
243.	,, कलश 3 मीनाकारी लकड़ी साथ		0-627	
244.	,, कबूतर जोड़ी । मीनाकारी		0-168	
245.	,, मोर जोड़ी । मीनकारी		0-266	
246.	,, ढंकना मथनी का छोटा	17	0-293	
247.	,, ,, ,,	18	0-292	
248.	,, ,, ,,	19	0-211	
249.	,, ,, ,,	2	0-305	
250.	,, गुलाबदानी	64	0-319	
251.	,, ,, ,,	65	0-243	
252.	,, ,, ,,	62	0-355	
253.	,, ,, ,,	63	0-348	
254.	,, ,, ,,	66	0-226	
255.	,, ,, ,,	68	0-214	

335

1	2	3	4	5
	थाना-29			
256.	चांदी गुलाबदानी	71	0-287	
257.	,, ,, ,,	72	0-127	
258.	,, ,, ,,	73	0-132	
259.	,, ,, ,,	75	0-176	
260.	,, ,, ,,	76	0-173	
261.	,, ,, ,,	80	0-2 3	
262.	,, ,, ,,	81	0-229	
263.	,, कूंजो ढक्कण साथ में	51	0-398	
264.	,, ,, ,,	52	0-242	
265.	,, ,, ,,	53	0-106	
266.	,, ,, ,,	55	0-237	
267.	,, ,, ,,	56	0-245	
268.	,, अपकोरा ढांकणा साथ	57	0-251	
269.	,, ,, ,,	58	0-230	
270.	,, ,, मीना वालो	60	0-263	
271.	,, ,, ,,	59	0-218	
272.	,, फूलदानी जालीवाली	13	0-379	
273.	,, ,, ,,	14	0-379	
274.	,, नीम हेला का कलस लाकडा साथ	55	0-602	
275.	,, ,, ,,	57	0-395	
276.	,, ,, ,,	58	0-360	
277.	,, ,, ,,	59	0-318	
278.	,, ,, ,,	61	0-267	
279.	,, ,, ,,	63	0-115	

(336)

1	2	3	4	5
280.	,, कलश सुखपाल गिलोट वालो	64	0-318	
281.	सुखपाल का चांदी कलश गिलोटवालो लाख तथा ताम्बा की भूगली	65	0-380	
282.	चांदी भारी । छोटी सोना का पतरड़ा जडा हुआ लाख साथ में	18	0-605	
283.	,, ,, ,,	15	0-777	
284.	,, ,, ,,	17	0-794	
285.	,, काटो डांडी तथा तबकड़ो 2 डोरा साथ में	85	0-208	

पाना–30

1	2	3	4	5
286.	चांदी को कांटो । डांडी तथा तबकडी डोरी साथ में	86	0-102	
287.	,, डबरो	82	1-217	
288.	,, ,, ,,	26	0-438	
289.	,, ,, ,,	14	0-586	
290.	,, ,, ,,	81	0-330	
291.	,, ,, ,,	32	0-366	
292.	,, ,, ,,	30	0-403	
293.	,, ,, ,,	34	0-370	
294.	,, ,, ,,	73	0-197	
295.	,, ,, ,,	58	0-183	
296.	,, ,, ,,	70	0-225	
297.	,, की कटोरी	50	0-137	
298.	,, ,, नकशो वाली	48	0-1 9	
299.	,, पहेलदास पडघीका प्याला		0-83	
300.	,, कटोरी तपेली घाट	36	0-46	
301.	,, छोटी कुंडी	30	0-32	

1	2	3	4	5
302.	चांदी छोटी कुंडी	26	0-43	
303.	,, ,, ,,	28	0-32	
304.	,, बरणी ढकणावाली	39	0-138	
305.	,, ,, ,,	40	0-56	
306.	,, अतरदानी	88	0-84	
307.	,, ,, ,,	89	0-81	
308.	,, डबेरा	19	0-166	
309.	,, ,, ,,	16	0-599	
310.	,, ,, ,,	29	0-472	
311.	,, ,, ,,	80	0-466	
312.	,, कटोरी	79	0-267	
313.	,, डबरो	68	0-216	
314.	,, ,, ,,	66	0-203	
315.	,, ,, ,,	60	0-116	

पाना–31

1	2	3	4	5
316.	चांदी की कटोरी	49	0-116	
317.	,, कुण्डी	43	0-82	
318.	,, ,, ,,	34	0-90	
319.	,, कटोरी	27	0-38	
320.	,, ,, ,,	31	0-41	
321.	,, ,, ,,	28	0-30	
322.	,, कुंडी छोटी	42	0-29	
323.	,, प्याली पहलदार		0-28	
324.	,, ,, पड़घीदार	37	0-56	
325.	,, उभी पड़घीदार	38	0-73	
326.	,, बरणी ढक्कन साथ	31	0-45	
327.	,, अतरदानी		0-101	

338.

1	2	3	4	5
328.	चांदी आरसीया बड़ा चौखुट फ्रेम नक्शी लब गोल डिजाइन			
329.	,, आरसी बड़ी चौखुटी पीछे कदरामे युगल स्वरूप चित्रआगल नक्शी			
330.	,, आरसी/सहेज छोटी फ्रेम नक्शी पीछे लम्ब गोलमे गोपाल कृष्ण			
331.	,, आरसी/चौखुटी छोटी फ्रेम पीछे नक्शी चोरेस पट्टी में बीच में छोटा गोल वतुल नक्शीदार			
332.	चांदी आरती चौरस छोटी पीछे ठा० जी व श्रीनाथजी चित्र			
333.	चांदी आरसी गेरा नक्शीदार फ्रेम पीछे सो खुले वेसो फोल्डिंग			
334.	आरसी एक चारस जिसमें कांच में मीनाकारी गोकड़ा का चित्र पीछे गोर की नक्शी			
335.	चांदी फ्रेम वाली आरसी लम्ब चौरस आगमे खुलीयावाली पीछे लकड़ी का पाटिया स्टेण्ड साथ			
336.	चांदी को लम्ब चौरस आरसी, आगेफ्रेम में खुनोसा काम में यमुनाजी को चित्र			
337.	चांदी की आरसी गोल पीछे नक्शी में युगल स्वरूप मुकुट की आरसी			
338.	हैंन्डलवाली लब गोल आरसी/फ्रेम ताम्बा का गीलट वाली			
339.	हाथावाली आरसी गोल फ्रेम चांदी को पीछे नक्शी में शेष नाग			
340.	आरती/छोटी लम्ब चोरस चांदी की फ्रेम पीछे नक्शी मोर गोपी तथा ठाकुरजी			
341.	चांदी बड़ी फ्रेम वाली गोल आरसी हैन्डलवाली पीछे बेल फान कसीबोरडर			
342.	चांदी फ्रेम की लम्ब चौरस छोटी आरसी पीछे अंगूर की बेल तथा गाय			
343.	सतरंज का पूरा सेट/चांदी का खिलौना उसमें एक जोड़ गीलट दूसरा सादा			
344.	सतरंज का पूरा सेट चांदी का मीनाकारी लीला तथा ब्ल्यू			
345.	,, ,, ,, अधूरा अकीकका कुल नग 24 (आठ घटते हैं।)			

पाना–32

346,	हाथीदात के सतरंग का पूरा सेटपूरा लाल तथा काली नकशी एक घोड़ा एक में ऊंट टुटा हुआ			

1	2	3	4	5
347.	चोपल का सेट । चांदी ऊपर मीना को मोटी छोटी तथा पासा 3			
348.	चांदी की चोपड़ । कालेट । गोटी 16 तथा पासा 3			
349.	मीना की चौपट सूबा वाली सेट पूरी पोपट 16 तथा पासा 3			
350.	चौपट का सेट । अही का चांदी के स्टेण्ड पर चिड़िया तथा नीचे तलिया में शीशा नग 16 तथा अकीक पासा 3			
351.	चांदी का सेट 1 चौपट कापशु हाथी 4 नाहर 4 घोड़ा 4 हंस 4 तथा पासा 3			
352.	चांदी का सेट । चौपट का गोपीयों के हाथ में सांगवाला नंग 16 पासा 3			
353.	चांदी का सेट बकरी रमत : बकरी 20 बाघ 2			
354.	पंचाअमृत छोटा शंख आगे सोना का मुलमोमटा हुआ पीछे चांदी की खोली			
355.	बुराके लिये शंख । छोपलाग जैसा चमक वाला			
356.	शंख सादो शंखदेवका छोटा			
357.	चांदी की चौकी । अष्टपैलू शालिगरामजी के लिये		63	0-545
358.	चांदी की घोड़ी पाया चार वाली		61	0-157
359.	बड़ा शंख ठाकोरजी की जोड़ कामामें सोने में जड़ा हुआ मूंह नकशी वाला पीछे चांदी की खोली			
360.	बुराके लिये शंख ।	चमकती		
361.	शंखो दख मे चालू शंख आगे मूंह पर तथा पीछे खोली सोने की			
362.	चोपाट का सेट । अकोक का पूरा पासा 3 तथा सोपटा 16 जुदा जुदा रंग में			
363.	चापेट का सेट । पूरो सोगठा 16 पासा ر			
364.	चांदी ईंडोढी (रीग) लकड़ी साथ में		8	0-218
365.	,,	,,	9	0-207
366.	,,	,,	10	0-116
367.	,,	,,	11	0-219
368.	,,	,,	12	0-212
369.	,,	,,	2	0-115
370.	,,	,,	27	0-217
371.	,,	,,	4	0-216

340

1	2	3	4	5
372.	चांदी इडोढ़ी (रीग) लड़की साथ में	15	0-72	
373.	,, ,,	49	0-145	
374.	,, ,,	17	0-110	
375.	,, ,,	18	0-97	

पाना-33

376.	चांदी की इडोढ़ी (रीग) लकड़ी साथ	19	0-104	
377.	,, ,, ,,	20	0-102	
378.	,, ,, ,,	16	0-107	
379.	,, ,, ,,	7	0-102	
380.	,, ,, ,,	22	0-107	
381.	,, ,, ,,	23	0-108	
382.	,, ,, ,,	24	0-90	
383.	,, ,, ,,	25	0-112	
384.	,, ,, ,,	26	0-107	
385.	,, ,, ,,	27	0-103	
386.	,, ,, ,,	28	0-106	
387.	,, ,, ,,	29	0-99	
388.	,, ,, ,,	30	0-96	
389.	,, ,, ,,	31	0-105	
390.	,, ,, ,,	32	0-85	
391	,, ,, ,,	33	0-102	
392.	,, ,, ,,	34	0-104	
393.	,, ,, ,,	36	0-98	
394.	,, ,, ,,	37	0-105	
395.	,, ,, ,,	38	0-103	
396.	,, ,, ,,	39	0-98	
397.	,, ,, ,,	40	0-104	
398.	,, ,, ,,	41	0-96	

1	2	3	4	5
399.	चांदी की इडोढ़ी (रोग) लकड़ी साथ	42	0-110	
400.	,, ,, ,,	43	0-104	
401.	,, ,, ,,	44	0-106	
402.	,, ,, ,,	45	0-98	
403.	,, ,, ,,	46	0-97	
404.	,, ,, ,,	47	0-110	
405.	पालना के चांदी सांकल	88	1-426	

पाना–34

406.	चांदी साकिल	87	1-433	
407.	,, ,,	89	1-404	
408.	,, ,,	90	1-476	
409.	चांदी कडा पदरही साथ	81	1-182	
410.	,,	82	1-195	
411.	चांदी कलश लकडी साथ	56	0-365	
412.	चांदी मोगिरा वाला सलिया	83	0-112	
413.	चांदी सलिया ।	84	0-63	
414.	,,	85	0-63	
415.	चांदी भुनभुना सांकल साथ	86	0-330	
416.	चांदी भुमॅर नंग 3 मोरपीछ बड़ा दोरी साथ		1-115	
417.	,, 4 नाना मोरपीछे दोरी ताथ		0-657	
418.	,, 2 सुवाके बडे डोरी साथ	[illegible]	0-735	
419.	,, ,, 2 ,, छोटे ,,		0-615	
420.	चांदी कटोरी ।	1	0-178	
421.	,, ,,	2	0-179	
422.	,, ,,	3	0-116	
423.	,, ,,	4	0-117	
424.	,, ,,	3	0-115	
425.	,, ,,	6	0-115	

(342)

1	2	3	4	5
426.	चांदी की कटोरी	7	0-97	
427.	" "	8	0-110	
428.	" "	9	0-109	
429.	" "	10	0-99	
430.	" "	11	0-93	
431.	" "	12	0-153	
432.	" "	13	0-116	
433.	" "	14	0-124	
434.	" "	15	0-110	
435.	" "	16	0-91	
436.	" "	17	0-100	
437.	" "	18	0-99	
438.	" "	19	0-82	
439.	" "	20	0-93	
440.	" "	21	0-59	
441.	" "	22	9-87	

पामा–35

442.	चांदी की कटोरी	23	0-93	
443.	" "	24	0-82	
444.	" "	25	0-71	
445.	" "	26	0-88	
446.	" "	27	0-94	
447.	" "	28	0-128	
448.	" "	29	0-91	
449.	" "	30	0-66	
450.	" "	31	0-113	
451.	" "	32	0-106	
452.	" "	33	0-89	

1	2	3	4	5
453.	चांदी की कटोरो	34	0-94	
454.	,, ,,	35	0-95	
455.	,, ,,	36	0-120	
456.	,, ,,	37	0-66	
457.	,, ,,	38	0-93	
458.	,, ,,	39	0-85	
459.	,, ,,	40	0-88	
460.	,, ,,	41	0-84	
461.	,, ,,	42	0-91	
462.	,, ,,	43	0-103	
463.	,, ,,	44	0-103	
464.	,, ,,	45	0-82	
465.	,, ,,	46	0-83	
466.	,, ,,	47	0-63	
467.	,, ,,	48	0-80	
468.	,, ,,	49	0-92	
469.	,, ,,	50	0-59	
470.	,, ,,	51	0-90	
471.	,, ,,	52	0-135	
472.	,, ,,	53	0-130	
473.	,, ,,	54	0-111	
474.	,, ,,	55	0-103	
475.	,, ,,	56	0-125	

पाना-36

476.	चांदी की कटोरी।	58	0-122	
477.	,, ,,	58	0-75	
478.	,, ,,	59	0-109	
479.	,, ,,	60	0-91	

(३५५)

1	2	3	4	5
480.	चांदी की कटोरी	61	0-142	
481.	,, ,,	62	0-95	
482.	,, ,,	63	0-105	
483.	,, ,,	64	0-91	
484.	,, ,,	65	0-95	
485.	,, ,,	66	0-86	
486.	,, ,,	67	0-85	
487.	,, ,,	68	0-82	
488.	,, ,,	69	0-100	
489.	,, ,,	70	0-70	
490.	,, ,,	71	0-89	
491.	,, ,,	72	0-95	
492.	,, ,,	73	0-80	
493.	,, ,,	74	0-90	
494.	,, ,,	75	0-92	
495.	,, ,,	76	0-88	
496.	,, ,,	77	0-88	
497.	,, ,,	78	0-99	
498.	,, ,,	79	0-86	
499.	,, ,,	80	0-95	
500.	निज मन्दिर के सायबान के घन्टा फोदना 2 सोना के प्रत्येक कड़ी चांदी की			
501.	शैयाजी के फोदना 4 मे ताम्बा की कटोरी 8 ऊपर सोना का पतरा तथा मनका 8			
502.	श्री तातजी श्री माहप्रमुजी की पलंगडी के फोदना नंग 8 तेमाकेरी कुल नं 015 केरी सोने की 6 एक कम लाखवाली			
503.	शैयाजी के चांदी वाली घुघरी के फोदना 4 उसके कुल नंग 8 प्रत्येक केरी 5 तथा टोप रो । कटले कुल केरी 40 टोपरी 8 होवाजो ये पन केरी 38 टोपका 8 छे			

पाना 37

1	2	3	4	5
504.	चांदी ब्ल्यू मीनाकारी शयाजी के के फोदना 4 कुल टोपका 8 मनका 8			
505.	चांदी लीली मीनाकारी केरी के फोदना 4 शयाजी के कुल केरी 8			
506.	चांदी विलीटवालो फोदना 4 कुल 4 शेयाजी के उसमें कुल दीपका 8 तथा मनका 8एक मनका ओछो छे			
507.	शेयाजी के फोदना 4 कुल अकोक को केरी 12 तथा कुल ऊपर चांदी के फूल 4			
508.	तातजी महाप्रभुजी को पलंगडी के फोदना 8 में चांदी के ब्ल्यू मीनाकारी कटोरी 16 तथा मनका 16			
509.	तातजी महाप्रभुजी पलंग घड़ी के फोदना 8 उसके मीनाकारी चांदी की नील कलर को केरी 13 से-3 कम			
510.	तातजी महाप्रभुजी पलंग घड़ी के फोदना 8 उसमें अकोक को केरी 16 चांदी के आंकड़ा 8			
511.	शयाजी में फोदना 4 उसमें प्रत्येक चांदी कटोरी 2 घुघरी 7 कुल चांदी की कटोरी 8 घुघरी सात में			
512.	तातजी महाप्रभुजी की पलंग घड़ी में फोदना 34 कुल चांदी को केरी 8			
513.	तातजी महाप्रभुजी की पलंगडी में फोदना कुल चांदी की केरी 20			
514.	चां. मोरवाले फुवारो	35		0-320
515.	चां. हाथी वाली फुवारी	36		0-233
516.	,, कमलाकार फुवारो	37		0-230
517.	,, नाहरवाली फुवारो	38		0-162
518.	,, फरती संखी वालो फुवारो	39		0-222
519.	,, हजार धारी फुवारो।	40		0-194
520.	,, नाचतो मोर का फुवारा	41		0-165
521.	, कमल घटा फुवारो	42		0-198
522.	,, हजारधारी कमल गट्टा फुवारो	43		0-153
523.	,, मोर वालो फुवारो	44		0-123
524.	,, तनोनधारी फुवारो	45		0-178
525.	,, कमलपत्री एक धारी फुवारो	46		0-83

346

पाना-38

1	2	3	4	5
526.	चांदी खुले हुए कमल का फुवारा	50		0-256
527.				
1.	चांदी थाल	2		6-704
2.	चांदी थाल गोल काठा का छोटा	4		3-652
3.	चांदी थाल 1 गोल काठा का बड़ा	3		7-139
4.	चांदी गलके लिये डोई डांडीवाला ढांकरणा साथ	11		0-809
5.	चांदी झारी 1 नाली ऊपर हेम का पतरा नीचे चपड़ी वाला	—		0-722
6.	चांदी झारी छोटी ऊपर हेम पतरा नीचे चपड़ी वाला	—		1-111
7.	चांदी झारी 1 छोटी ऊपर हेम (सोने का पतरा) नीचे चपड़ी वाला	—		1-142
8.	पंखा एक ऊपर जरदोजी, सूर्य मोती डांडी की डिजाइन चांदी डांडी	—		—
9.	पंखा एक बड़ा चांदी डांडी वाला	सभी		—
10.	,, ,,	डांडीयों		—
11.	,, ,,	ऊपर		—
12.	,, ,,	लकड़े के		—
13.	,, ,,	ऊपर		—
14.	,, ,,	चांदी		—
15.	,, ,,	मंढी हुई।		—
16.	,, ,,			—
17.	,, ,,			—
18.	,, ,,			—
19.	चांवी की वेणु 1 वेम 1	—		0-59
20.	चांदी की वेणु वेम ऊपर पोपट	—		0-68
21.	चांदी की वेणा 1 वेम 1 ऊपर पोपट (सुश्रा) डिजाइन वाला श्राड़ी लाइन में	—		0-70

1	2	3	4	5
22.	चांदी की वेणा 1 वेम 1 ऊपर शेर डिजाइन वाला गोला चक्कर का	—		0-51
23.	चांदी की वेणा 1 वेम 1 ऊपर पोपट नक्काशी वाला	—		0-98
24.	चांदी की वेणु 1 वेम 1 मीनाकारी फिरोसा	—		0-82
25.	चांदी की वेणु 1 वेम 1 हरी मीनाकारी	—		0-76
	पाना-39			
26.	चांदी की वेणु व वेग न. 1 जांसली मीनाकारी			0-77
27.	चांदी का मुकट एक			0-28
28.	चांदी के सेहरा ।			0-20
29.	चांदी का सेहरा			0-20
30.	चांदी की तबकड़ी			0-108
31.	चांदी झावा 4 सिंहासन के गादी तकिया ऊपर चांदी के मन का वाला मीनाकारी			0-
32.	चांदी सिंह 2 ढीलवाला			0-800
33.	चांदी की घोड़ा 2			0-712
34.	चांदी की गाय 1			0-398
35.	चांदी की गाय 1			0-109
36.	शालिग्रामजी का सिंहासनड़ी लक का उसके पागा 4 तथा गोल कलश 4 चांदी के			—
37.	चांदी के वेणु झावा 2 (कटोरी 4 मणका 4)			—
38.	चांदी के वेणु 1 पौत्र 1 गंगाजसनी			0-81
39.	चांदी कां जालीवाला डब्बा			0-574

शस्त्र खाना 1

क्र.सं.	नं.	नाम वस्तु	मूल्य
1.	1	सोने की ढाल 1 बीच में जड़ाऊ पक्का 8 वाली जाबली रंग	3400.00
2.	1	सोने की ढाल 1 ,, ,, ब्ल्यू	3400.00
3.	1	सोने की ढाल 1 छोटी	1100.00
4.	1	सोने की छोटी ढाल 1 बीच में जड़ाऊ तारावाली	1000.00
5.	1	कछुए की ढाल की बनी ढाल बड़ी	2500.00
6.	1	,, ,, छोटी	1000.00
7.	1	,, ,, ,,	50,00
8.	1	खंजर 1	5000.00
9.	1	ढाल 1 चांदी की ऊपर मोती जुड़े हुए	100.00
10.	1	छुरी 1 बाघ मुख वाली मूठ की	2100.00
11.	2	तलवार दो चांदी की	150.00
12.	2	खाण्डा 2	2000.00
13.	1	धनुष 1 बाण 1	9500.00
14.	1	छुरी 1 म्यान साथ में	500.00
15.	1	छुरी 1 बाघ मुख ब्ल्यू मखमल म्यान वाली	700.00
16.	1	छुरी कांच हैण्डल ऊपर सोना चांदी की खोली	200.00
17.	1	छुरी 1 कांच की टूटी हुई म्यान खोली ऊपर लगा हैण्डल ऊपर सोना	250.00
18.	1	छुरी 1 बहुत छोटी हैण्डल तथा खोली ऊपर सोना	350.00
19.	1	कटार 1 नाली (छोटी) मूठ सोने की	500.00
20.	1	कटार अंबर के हैण्डल पर सोने की पट्टी	2000.00
21.	2	छुरी लोखण्ड की हैण्डल पर गिलटवाला	400 00
22.	3	तलवार 3 मुंह के सोने का काम तथा 2 के खोखा ऊपर सोना	4000.00
23.	1	गुप्ती 1	2500 00
			42,700.00

349

।।श्री द्वारकेश्योजयती।।

सूची उस समय की जिस पर सोने चादी का झोल अथवा कहीं 2 पतरे लगे हुये हैं, श्री द्वारकानाथ जी कांकरोली (राजस्थान)

क्र. सं.	नाम वस्तु	तादाद
1	2	3
1.	सोने का हिंडोरा बड़ा मय पूरे सैट के (चांदी पर सोना)	1
2.	चांदी का हिंडोरा बड़ा मय पूरे सैट के	1
3.	चांदी की पंचाभूत की चौकी मय पाठक	1
4.	चांदी की सांगा मांची कटहरा	4
5.	चांदी के हथियार दशहरा पूजन के तलवार चांदी की	2
	मूंठ वाली कटार	1
	जमेदा चांदी के म्यान में	1
	तमंचा	1
6.	छत्र-मय आवश्यक सैट	1
7.	चांदी की फ्रेम में कांच की ससंगा माची	1
8.	मंगावमनी का बंगला सोने चांदी के काम वाला	1
9.	चांदी का छोटा नाहर मुखी	4
10.	चांदी के कलश वाली दरुज जरदोजी वाली	1
11.	मूंगा जमनी बंगला मय सैट के	1
12.	चांदी का पलना मय सैट बड़ा	1
13.	चांदी के मुकुट का बंगला मय सैट	1
14.	बड़े रथ के घोड़े चांदी के मय सैट पटिया आदि	2
15.	चांदी का बड़ा बंगल (ठाकुरानी 4 घाट)	1
16.	लकड़ी के बड़े हाथी दो के गहन के का साज	2
17.	सोने का बंगला मय सैट (चांदी पर सोना)	1

(350)

1	2	3
18.	शोया मय पागे सोने के	4
19.	चांदी के खिलौने छोटे बड़े	1
20.	सोने का पलना मय सेट बड़ा	3
21.	चांदी की नाव छोटी खिलौना रूप में	3
22.	चांदी की डंडी का पंखा झड़प वाला	1
23.	चांदी की बारादारी मय सेट	4
24.	चांदी के किवाड़ जोड़ मणि कोठा 1 निज मंदिर जगमंदिर 1	3
25.	चांदी की डांडी के चंवर	6
26.	सोने की डांडी के चंवर ताम्बा पर	2
27.	सोने की मूंठ वाला मोरछल	1
28.	चांदी की मूंठवाला मोरछल	2
29.	चांदी के दसों की छांगी (छत्री)	1
30.	चांदी के बड़े भाले हत्ये वाले छत्र में लगे हुये	2
31.	आरसी चांदी को पाम में मंढी हुई मय स्टैन्ड	2
32.	लकड़ी का खंड जिसके चारों पानड़ी सोने के पतरे से मंढ़े हुये	1
33.	लकड़ी का पाट मय चार पागे चांदी के	1
34.	,, सोने के	1
35.	लकड़ी का बड़ा सिंहासन मय 4 पागे सोना	1
36.	मंढ़े हुये पंखा की संसाढ़ चांदी मंढ़ी हुई यथा स्थान दीवारों में	5
37.	सोना चांदी के खंभे मोरवाले	8
38.	चांदी के खंड मय 4 पागे	2
39.	चांदी का सिंहासन	2
40.	चांदी का पाट	1
41.	चांदी का सिंहासन मय खण्ड पाट लकड़ी का काम किया हुआ	1

1	2	3
42.	चांदी का बंगला नक्काशी काम वाला	1
43.	चांदी की मसालें दो मयाकुपिये	4
44.	सूरज मुखी चन्द्रमुखी मय डंडे चांदी से	2–3
45.	छत्री मय डंडी चांदी से मढ़ा हुआ	1
46.	छत्र कलेश सहित डंडा चांदी से मढा हुआ	1
47	चांदी के जहाज बड़े हाथी के मुंह वाले	2
48.	,, मोर मुख वाले	2
49.	चांदी की छत्री अंदर सिंहासन मय सैट पूरा	1
50.	सावन वाली आरसी लडी	1
51.	सिंहासन चांदी के पागावाला	1
52.	घोडा का गहना मय फुटकर साल सोने के झोल के	1
53.	घोडा के गहना चांदी के टूटे फूटे अधूरे साज	2 जोड़
54.	चांदी की छडी	3
55.	सोने की छडी	1
56.	पाट मय चारों पागों पर पतरा चांदी का मढा	1
57.	खाचा वाला पाट चारों मय कठेडा का चांदी मढे	1
58.	नौ महला बडा चौक में आने वाला चांदी का मय पूरे सैट	

352

कोटा में खिलौना

क्रमांक	नाम वस्तु	वजन
1	2	3
1.	सोना का पंखा 1 बड़ा डांडी लकड़ी की ऊपर सोना का पत्रा	
2.	सोना झाबा 4 गोलन किया ऊपर मणका सामे मोनाकारी	—
3.	सोना की झारी नीचे बेलीया चांदी का लाख से बैठाया	1-021
4.	सोने की झारी 1 छोटी नीचे चांदी का तलिया लाख से बैठाया हुआ	0-928
5.	रथ का सायबान लोखन के सलिया ऊपर सोने का पत्रा चढ़ा हुआ	—
6.	रथ के डांडा 2 लकड़ी पर सोने का पत्रा जड़ा हुआ	—
7.	रथ की आरसी 2 पीछे मूंगली 2 चांदी की आरसी की फ्रेम सोने की	—
8.	सोने के नाहर (सिंह) 2 नीचे चांदी का पतरा	0-178॥
9.	सोने के हाथी 2 नकसीदार	0-116॥
10.	सोने के हाथी 2 सादा (लाख भरे हुए)	0- 17॥
11.	सोने के मेढ़े दो	0-94
12.	सोने के घोड़े 2 (नीचे चांदी का पतरा)	0-168
13.	सोने के सादा घोड़े 2 (लाख भरे हुए)	0-118॥
14.	सोने के घोड़ा 2 नकसी वाले छोटे	0-100
15.	सोने का हिरण	0-103
16.	सोने के हिरण 2 नीचे चांदी का पाया	0-133
17.	सोने की गाय नकसीवाली	0-77॥
18.	सोने की गाय 2 चांदी का पाया	0-183
19.	सोने की गाय 1 सादी (लाख भरी हुई)	0-72॥
20.	सोने के मोर 2 छोटे नीचे चांदी का पतरा (नकासीवाले)	0-139॥
21.	सोने के मोर 2 बड़े (लाख भरी हुई)	0-118
22.	सोने के पोपट (सुआ 2) (लाख भरे हुए)	0-124
23.	सोने का पोपट छोटा नकासीदार	0-42
24.	सोने का गुगरा 2 जालीदार	0-56॥
25.	सोने की गेंद 1 बड़ी (लाख भरी हुई)	0-142

1	2	3
26.	सोने की गेंद । छोटी लाख भरी हुई	0-75
27.	चांदी का ढाले वाला गेंद	0-25
28.	सोने की लंब चोरस तबक 1 खण्ड की ढोलवाली	0-595
29.	सोने की लंब चौरस तबक ,,	0-551
30.	सोने की लंब चौरस तबक ,	0-596
31.	सोने की लंब चोरस तबक 1 खण्ड की ढोल वाली	0-549
32.	सोने के कलश तीन रथ के (तांबे ऊपर पतरा) बनन तांबा के साथ	0-72
33.	सोने का पडगा ढोलवाला	0-955
34.	सोने की मडगा 1 ढोलवाला	1-05
35.	सोने की भारी 1 नीचे चांदी का पतरा लाख से बैठाया हुआ.	1-467
36.	सोने की भट्टी 1 (नीचे सीवकाये चांदी का पाया बैठाया हुआ	1-138
37.	सोने की कटोरी 1	0-27
38.	सोने की कटोरी ।	0-126॥
39.	सोने का छालिया 1 (हल्का)	0-97॥
40.	सोने की आरसी की फ्रेम (हल्का)	—
41.	सोने की डांडी वाला पंखा 2 छोटे (चटाई के)	—
42.	सोने के टाट 1 (थाल) (छोटा)	2-815
43.	सोने का पगड़ीदार प्याला	0-240
44.	सोने की चमची 1	0-57॥
45.	सोने के सोगठा 16 लाख वाले	0-560
46.	सोने के पासा 3 (लाख वाले)	0-86
47.	सोने की चोपाट के सोगटा नीचे शीशा तथा लाखवाला	0-335
48.	ढोलवालो डब्बो 1 (चांदी का)	1-584
49.	सोने का बदाम घाट चकता का हार 1	0-23
50.	सोने के कर्णफूल 4	0-15
51.	सोने की कलंगी 3	0-06
52.	सोने का सीरपंच 1	0-06
53.	चांदी की ढोलवाली गुलाबदानी हाथी के मुहं वाली	0-472
54.	चां. ,, ,,	0-481
55.	,, ,, हंस के मुंह वाली	0-470
56.	चां. ,, ,, ,,	0-460

1	2	3
57.	ढोलवाली कमलकार फूलदानी चांदी की नकसी वाली	0-322
58.	,, ,, ,,	0-322
59.	चांदी की चोगान नग 4 लाख वाली	0-940
60.	खण्ड पाट आगे की चौकी गंगा जमनी पागा सोना के पटी सोने की बीच में चांदी का पतरा	—
60ए.	श्री तारा जी तथा महा प्रभु जी पलंगडी 2 में पाले 8 उनमें सोना लगा हुआ	—
61.	सोने की मोहर (गिन्नी) एडवर्ड तथा विक्टोरिया	14
62.	अमेरिकन छोटा मैडल सोने का सिक्का	1
63.	चितोड़ी मोहर सोने की	9
64.	झाल साही मोहर सोने के सिक्के	13
65.	सोने का छाल्या 1 (कटोरी)	0-2 ग्राम
66.	,, ,,	0-38
67.	सोने का चमचा 1 गोल	0-167
68.	,, ,,	0-160
69.	,, ,,	0-87॥
70.	,, ,,	0-55॥
71.	सोने के कड़ा 2 (ताम्बा के गालावाला)	0-132

355

शस्त्र

क्रमांक	वस्तु
1.	तलवार 1 हकीम के मूंठ की
2.	कीरच 1 तारकसी वाली
3.	ढाल 4 शरदोजी मोगरा 4 चांटी के दो ढाल की, सोना के दो ढाल की
4.	तोप 2 चांदी की 1 शंमु बाण 1 ज्वाला मुखी
5.	धनुष चांदी का
6.	बंदूक 2 छोटी तारकसी काम की चांदी के 2 स्टेण्ड सहित
7.	बल्लम 2 चांदी का 1 चांदी पर सोने का मुलम्मा 1
8.	चांदी के बारूद के सींग सहित बटुग्रा 2
9.	तलवार 2 ग्रौर ढाल 1 चांदी की बिल्कुल छोटी ग्रौर बंदूक छोटी
10.	खाण्डा 2 छोटे चांदी की मूंठ
11.	तलवार लोहे की म्यान चांदी का सोने का मुलम्मा वाली छोटी
12.	कटार 1 चांदी के मूंठ की छोटी
13.	खंजर सीप कर मूठ का छोटा
14.	छुरा 1 हकीक छोटी छुरा
15.	छुरी छोटी हाथीदात की
16.	छुरी हकीक खीन खाय के म्यान वाली
17.	छुरी हाथीदांत सूवावाली मूंठ
18.	पेपर कटर 1 संगमरमर की मूंठ का हकीक का
19.	कटार 1 छोटी ब्लड स्टोन की
20.	कटार 1 छोटी हकीक की मुनाल सोने का
21.	छुरी 3 चांदी के मूंठकी

356

परिशिष्ट 3

तारांकित प्रश्न संख्या 72 की सूची

वर्ष 1983–84 में खोले गये प्राथमिक विद्यालयों की सूची

1	मुरलीपुरा	(जयपुर)
2	विद्याधरनगर	(जयपर)

वर्ष 1983-84 में पी० यू० सी० कक्षायें बन्द करने के फलस्वरूप क्रमोन्नत किये गये राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की सूची

1	दौसा	(जयपुर)
2	डीडवाना	(नागौर)
3	रामगढ़ शेखावाटी	(सीकर)

(357)

परिशिष्ट 4

तारांकित प्रश्न संख्या 73 का विवरण

संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 27–1–1983 में सानुग्रह राशि के भुगतान हेतु लिये गये निर्णय की प्रति

प्रति० कार्य सूची सं० 2
वर्ष 81–82 के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को एक्सग्रेशिया देने बाबत

13– विचार विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों के साथ सौहार्द्रपूर्ण एवं मधुर सम्बन्धों को देखते हुए व उन्हें भविष्य के लिए बनाये रखने हेतु वर्ष 81–82 के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्न शर्तों पर एक्सग्रेशिया दिया जावे :—

(1) कम्पनी के ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों/श्रमिकों, जिन्हें वर्ष 81-82 के लिए पूर्व में 8.33 प्रतिशत की दर से बोनस का भुगतान किया जा चुका है, को वर्ष 81-82 के लिए 3.67 प्रतिशत की दर से एक्सग्रेशिया दिया जावे।

(2) एक्सग्रेशिया की रकम का निर्धारण बोनस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार किया जावे।

(3) इस एक्सग्रेशिया की रकम का समायोजन वर्ष 82-83 के खातों में किया जावे।

संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 8–2-83 में सानुग्रह राशि के भुगतान हेतु लिए गये निर्णय की प्रति

प्रति० कार्यसूची सं० 1
वर्ष 81–82 के लिए अधिकारियों को एक्सग्रेशिया देने के सम्बन्ध में।

5– विचार विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि कम्पनी के उन अधिकारियों जिनका मासिक वेतन 1600/– रुपये से अधिक है व जिनको पेमेन्ट आफ बोनस एक्ट के अन्तर्गत बोनस देय नहीं है, को पूर्व वर्षो की भांति अन्य कर्मचारियों को दिये गये बोनस व एक्सग्रेशिया के बराबर वर्ष 81-82 के लिये 12 प्रतिशत की दर से एक्सग्रेशिया स्वीकृत किया जाता है। एक्सग्रेशिया की राशि की गणना सम्बन्धित अधिकारी का वेतन 750/- रुपये प्रतिमाह मानकर की जावेगी।

(358)

संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 4–3–82 में सानुग्रह राशि के भुगतान हेतु लिए गये निर्णय की प्रति

एक्सग्रेशिया :

श्री देवीचन्द, संचालक ने कर्मचारियों को वर्ष 80–81 के लिए अतिरिक्त बोनस/एक्सग्रेशिया की मांग की व निवेदन किया कि जो भी अतिरिक्त बोनस/एक्सग्रेशिया संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृत किया जावे उसका समायोजन वर्ष 80–81 के खातों में किया जाना चाहिये। प्रभारी संचालक द्वारा बताया गया कि बोनस कानून के अन्तर्गत कम्पनी के पास एलोकेबल सरप्लस नहीं है व कम्पनी को इस वर्ष हानि हुई है। अत: 8.33 प्रतिशत बोनस, जो इस वर्ष के लिए दिया जा चुका है, के अतिरिक्त और कोई बोनस या एक्सग्रेशिया देना उचित प्रतीत नहीं होता है।

विचार विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों के साथ सौहार्द्रपूर्ण एवं मधुर सम्बन्ध बनाये रखने के लिए वर्ष 80–81 के लिए सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को निम्न शर्तों पर एक्सग्रेशिया 4.67 प्रतिशत से देने हेतु निम्न निर्णय लिये गये :—

1. एक्सग्रेशिया की रकम का निर्धारण बोनस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
2. उन अधिकारियों, जिनका वेतन 1650/– रुपये प्रतिमाह से अधिक है व जिन्हें पहले 8.33 प्रतिशत एक्साग्रेशिया दिया गया है, को यह एक्सग्रेशिया उसके अतिरिक्त होगा।
3. एक्सग्रेशिया का भुगतान शुगर फैक्ट्री, श्री गंगानगर में चुकन्दर के सत्र समाप्ति के पहले किया जावेगा व बाकी यूनिटों पर 31–5–82 तक किया जायेगा।
4. इस एक्सग्रेशिया की रकम का समायोजन वर्ष 81–82 के खातों से किया जावे।

संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 6–5–1983 में सानुग्रह राशि के भुगतान हेतु लिए गये निर्णय की प्रति

कार्यसूची संख्या 8

कम्पनी के श्रमिक संगठनों से दिनांक 28–2–1983 को किये गये समझौतों की सम्पुष्टि के सम्बन्ध में

8– विचार विमर्श के पश्चात् निम्न निर्णय लिए गये :—

(1) कम्पनी के ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों/श्रमिकों, जिन्हें वर्ष 81–82 के लिए पूर्व में 8.33 प्रतिशत की दर से बोनस व 3.67 प्रतिशत की दर से एक्सग्रेशिया का भुगतान किया जा चुका है, को वर्ष 81–82 के लिए और 3 प्रतिशत की दर से एक्सग्रेशिया दिये जाने के सम्बन्ध में प्रभारी संचालक की आज्ञानुसार प्रसारित आदेशों की सम्पुष्टि की गई।

(2) यह भी निर्णय लिया गया कि उन अधिकारियों, को जिनका मासिक वेतन 1600/- रुपये से अधिक है व जिनको पेमेन्ट आफ बोनस एक्ट के अनुसार बोनस देय नहीं है व जिन्हें 81-82 के लिए 12 प्रतिशत की दर से एक्सग्रेशिया पूर्व में स्वीकृत किया गया है, को पूर्व वर्षों की भांति अन्य कर्मचारियों को दिये गये अतिरिक्त 3 प्रतिशत एक्सग्रेशिया की राशि की गणना सम्बन्धि अधिकारी का वेतन 750/– रुपये प्रति माह मानकर किया जावे।

परिशिष्ट 5

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं पूछे जा सके

तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

राज्य के निजी वायुयान

74. श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य सरकार के पास अपने निजी चार्टर प्लेन (वायुयान) कितनी-कितनी सीट के हैं और ये कितनी-कितनी कीमत पर किन किन तिथियों में किस-किस फर्म से खरीद किये गये ?

(2) उक्त वायुयानों की रिपेयर हेतु सन् 1981-82, 1982-83 में कितने किस-किस श्रेणी के कलपुर्जे कितनी कीमत के किन-किन फर्मों से खरीद किये गये ? क्या इन पुर्जों की खरीद के लिये निविदायें आमन्त्रित की गईं ? यदि नहीं, तो क्यों ? कृपया विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार के पास केवल एक निजी विमान है। यह विमान कुल 6 सीट का है तथा इसे वर्ष 1977 में 31·48 लाख रुपयों में इसकी निर्माता फर्म मैसर्स बीच क्राफ्ट कारपोरेशन अमेरिका से भारत में इसके अधिकृत विक्रेता मैसर्स इन्डेमार कम्पनी प्रा. लि. बम्बई के माध्यम से खरीदा गया था।

(2) इस वायुयान की रिपेयर हेतु कल-पुर्जे मैसर्स इन्डेमार कम्पनी प्रा. लि. के माध्यम से विमान की निर्माता मैसर्स बीच क्राफ्ट कारपोरेशन अमरीका से निम्न प्रकार खरीदे गये :–

वर्ष	कुल कल पुर्जे	कीमत
1981-82	287	77,004·12 रु.
1982-83	419	1,90,090·77 रु.

इन कलपुर्जों की खरीद मैं इन्डेमार कम्पनी प्रा. लि. से की गई। इसके लिये निविदायें आमन्त्रित नहीं की गईं क्योंकि भारत में इन्डेमार कम्पनी बीच क्राफ्ट विमान तथा उसके कलपुर्जों की अधिकृत विक्रेता है।

पर्यटन निगम द्वारा विज्ञापन पर व्यय

75. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) एवं सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) 1 अप्रेल, 1981 से अब तक निगम का विज्ञापनों पर किस-किस वर्ष में कितना-कितना व्यय हुआ है ?

(2) विज्ञापन किस रूप में किस प्रक्रिया से किये गये और उसके लिये किस-किस व्यक्ति अथवा संस्था को कितनी कितनी राशि का कब-कब भुगतान किया गया ?

उत्तर

(1) 1 अप्रेल, 1981 से अब तक निगम द्वारा विज्ञापन एवं प्रचार मद में वर्षवार निम्नानुसार व्यय किया गया है :-

वर्ष	व्यय (लाख रुपयों में)
1981–82	6·29
1982–83	3·91
1983–84	0·19 (माह अगस्त तक)

(2) राज्य सरकार के जन सम्पर्क विभाग द्वारा अनुमोदित समाचार पत्रों को अनुमोदित दरों पर विज्ञापन दिये जाते हैं व शेष समाचार पत्रों/संस्थाओं को विशेष आयोजन पर विज्ञापन दिये जाते हैं।

जिन-जिन व्यक्तियों, समाचार पत्रों, स्मारिकाओं आदि को जितनी-जितनी राशि का भुगतान किया गया है, उसकी सूची संलग्न है।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा विज्ञापन एवं प्रचार पर किये गये वार्षिक व्यय का विवरण

वर्ष 1981—82

क्र. सं.	पार्टी का नाम	राशि	भुगतान
1	2	3	4
1.	अक्षरा एडवरटाइजिंग कम्पनी नई-दिल्ली (विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं को भुगतान हेतु)	31,344.76	16.2.82
		289,59.76	30.3.82
		69,622.68	30.3.82
		9,195.95	30.3.82
		59.715.44	31.3.82
	योग	1,98,838.59	
2.	इण्डियन रेलवे	2,42,500.00 (पहियों पर राजमहल, निगम द्वारा, रेलवे को अंशदान)	27.3.82
	योग	2,42,500.00	

1	2		3	4
3.	राजस्थान पत्रिका, जयपुर		269.15	13.5.81
			218.40	2.6.81
			1,228.50	3.6.81
			68.25	22.6.81
			1,760.85	7.8.81
			764.40	15.9.81
			390.95	23.9.81
			668.85	13.10.81
			1,528.80	24.11.81
			2,669.30	31.12.81
			2,102.35	22.1.82
			758.45	24.2.82
		योग	11,128.25	
4.	दैनिक नवज्योति		85.05	29.5.81
			3,310.92	22.6.81
			1,863.54	25.6.81
			3,037.76	5.6.81
			881.28	25.8.81
			312.12	15.9.81
			414.12	23.9.81
			265.20	13.10.81
			3,981.08	20.11.81
			1,385.57	31.12.81
			3,297.45	22.1.82
			1,750.85	24.2.82
		योग	20,584.94	

1	2	3	4
5. राष्ट्रदूत		457.20	2.6.81
		2,631.15	22.6.81
		546.55	21.9.81
		165.10	24.11.81
		9,810.10	31.12.81
		488.95	22.1.82
		247.65	24.2.82
		14,346.70	
6. कान्टीनेण्टल एडवर्टाइजिंग प्राईवेट लि. नई–दिल्ली ।		3,940.00	5.5.81
		8,612.00	9.9.81
		2,536.00	13.10.81
	योग	15,080.00	
7. ओ. पी. शर्मा		3,600.00	13.5.81
8. नियोजन कार्यालय, जयपुर		720.00	13.8.81
		360.00	9.9.81
	योग	1,080.00	
9. इण्डिया वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट, नई दिल्ली ।		6,500.00	25.8.81
10. जलते दीप, जोधपुर		165.10	2.6.81
		495.25	22.1.82
	योग	660.35	
11. भारत कलर लेब		875.00	27.6.81

1	2	3	4
12.	राजस्थान लेखा सेवा संघ	500.00	9.7.81
		500.00	2.3.82
	योग	1,000.00	
13.	सी इण्डिया	450.00	27.7.81
14.	राजस्थान ईको	150.00	27.7.81
15.	दैनिक अणिमा, जयपुर	150.00	18.9.81
16.	लोक जीवन सप्ताहिक, जोधपुर	500.00	25.8.81
17.	सीता वर्ल्ड ट्रेवल, जयपुर	3,500.00	8.9.81
18.	ब्लेज एडवर्टाईजिंग, जयपुर	651.50	8.9.81
19.	बेनेट कालोमन एण्ड कं., नई दिल्ली ।	800.00	15.9.81
20.	अमर उजाला, आगरा	183.60	15.9.81
21.	जयपुर विजन	395.00	18.9.81
		375.00	21.10.81
		375.00	27.11.81
		750.00	27.2.82
	योग	18,95.00	
22.	हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली	720.00	13.10.81
23.	युगदूत, जयपुर	230.00	13.10.81
		230.00	5.12.81
		460.00	
24.	ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ	150.00	24.11.81
25.	बिजनैस एडमिनिस्ट्रेशन विभाग	100.00	27.11.81

1	2	3	4
26.	गंगानगर ज्योति, गंगानगर	230.00	5.12.81
27.	राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ	350.00	5.12.81
28.	श्रमिक विकास	150.00	9.12.81
29.	सचिवालय संदेश	500.00	19.12.81
30.	माणक प्रकाशन	800.00	31.12.81
31.	मोबाइल सर्जीकल यूनिट	300.00	4.1.82
32.	नाट्य निकेतन	1,300.00	4.1.82
33.	अरनाद	654.75	22.1.82
34.	जय राजस्थान	144.00	22.1.82
		144.00	24.2.82
		288.00	
37.	सुदामा आर्ट एम्पोरियम	7,811.00	15.2.82
36.	शोधक	500.00	24.2.82
37.	इण्डियन एक्सप्रेस	420.00	25.2.82
38.	राजस्थान विश्वविद्यालय	750.00	26.2.82
39.	सर्व भारतीय भाषण नाट्य समारोह	600.00	26.2.82
40.	रविन्द्र मंच	500.00	27.2.82
41.	जर्नलिस्ट कान्फ्रेन्स	1,000.00	27.2.82
42.	ऑल इण्डिया होमियोपैथिक कांग्रेस	1,100.00	2.3.82
43.	राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज	50,000.00	11.9.81
	कारपोरेशन	25,000.00	18.11.81
	योग	75,000.00	
44.	हिन्दुस्तान पब्लिसिटी कारपोरेशन	10,400.00	3.3.82
	कुल योग	6,28,565.68	

1982—83

क्र. सं.	पार्टी का नाम	राशि	भुगतान तिथि
1	2	3	4
1.	अक्षरा एडवर्टाइजिंग एजेन्सी, नई दिल्ली (विभिन्न पत्र पत्रिकाओं को भुगतान हेतु)	48609.22	12.11.82
		23949.00	22.11.82
		24220.00	24.1.83
		88943.06	23.2.83
		61802.38	26.4 83
		(गत वर्ष का भुगतान)	
		4657.89	31.3.83
		62887.89	31.3.83
	योग	315069.44	
2.	राष्ट्रदूत	790.00	22.5.83
		1179.65	3.8.82
		734.80	17.12.82
		400.80	4.2.83
		300.60	31.3.83
		1123.87	7.10.82
		651.30	15.2.82
	योग	5181.02	
3.	नवज्योति	1286.25	22.5.82
		2690.10	3.8.82
		416.50	1.9.82
		428.75	1.12.82
		980.00	17.12.82
		931.00	4.2.83
		2996.35	4.1.83
		1300.95	15.2.83
	योग	11029.90	

Page No. 369

1	2		3	4
4.	आकाशवाणी जयपुर स्टाफ आफिस		300.00	10.2.83
		योग	300.00	
5.	न्याय, अजमेर		243.60	8.9.82
			174.00	7.10.82
		योग	417.60	
6.	राजस्थान पत्रिका		832.00	10.5.82
			112.00	24.5.82
			1815.10	3.8.82
			648.80	17.12.82
			791.20	29.1.83
			826.20	9.2.83
			166.40	8.3.83
			97.20	31.3.83
			4243.20	31.3.83
			1344.60	7.10.82
			1263.50	6.12.82
			3076.25	24.3.82
			463.60	17.1.83
			4084.00	15.2.83
			267.20	25.2.83
		योग	20021'35	
7.	इण्डियन टूरिज्म डवलपमेंट कारपोरेशन,		2000.00	23.2.83
8.	क्रास सैक्शन पब्लिसिटी		3500.00	24.3.83
9.	ब्लेज एडवर्टाइजिंग, जयपुर		3076.00	31.3.83

1	2	3	4
10.	राजस्थान वूमन हॉकी एसोसियेशन	300.00	31.3.83
11.	रस्तोगी प्रिण्टर्स प्रोडक्ट्स	1360.80	31.3.83
12.	लोक शिक्षक, जयपुर	250.00	8.4.82
		200.00	31.8.82
		250.00	21.2.83
	योग	700.00	
13.	टाइम्स ऑफ इण्डिया, अहमदाबाद	270.00	12.4.82
		97.50	10.2.83
	योग	367.50	
14.	रंगला	200.00	12.5.82
15.	जयपुर विजन	375.00	12.5.82
		375.00	9.6.82
		775.00	9.6.82
		875.00	21.2.83
		1125.00	7.10.82
		375.00	14.10.82
		875.00	31.3.83
		2250.00	27.6.83
	योग	6625.00	
16.	राज न्यूज	500.00	13.9.82
17.	एडमिनिस्ट्रेटिव चेन्ज	400.00	7.10.82
18.	इण्डियन होटल्स एण्ड कैटरर्स	1500.00	7.10.82
19.	आधुनिक राजस्थान	121.80	7.10.82
20.	अधिकार	110.00	7.10.82

369

1	2	3	4
21. लोक जीवन		300.00	7.10.82
22. पार्श्वनाथ युवक मण्डल		150.00	5.10.82
23. आर.टी.आई. प्रिण्टर्स एण्ड पब्लिसिटी		4000.00	5.10.82
24. राजस्थान सचिवालय, कर्मचारी संघ		350.00	7.10.82
25. राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संघ		300.00	5.10.82
26. नवयुग		872.20	7.10.82
27. राजस्थान एम्पलायमेन्ट		560.00	6.11.82
28. कल्चरल सोसायटी ऑफ राजस्थान		500.00	27.7.83
29. जलते द्वीप		387.60	17.1.83
		364.80	25.2.83
	योग	752.40	
30. राजस्थान चैप्टर		600.00	17.12.82
31. मिड टर्म सिम्पोजियम		300.00	16.9.82
32. नेशनल एडवर्टाइजिंग कम्पनी		1265.00	17.12.82
33. राम कृष्ण विवेकानन्द सोसायटी		400.00	17.12.82
34. रामा एण्टरप्राइजेज, जयपुर		2510.00	23.2.83
35. करेन्ट पब्लिकेशन		1500.00	22.2.83
36. ऑल इण्डिया जुडिशियल आफिसर्स		600.00	22.2.83
37. त्रिलोक आर्ट सर्विस		1206.00	12.5.82
38. अमर उजाला		294.00	3.8.82
39. यंग लीडर		301.60	17.12.82
		191.40	6.12.82
		197.20	31.3.83
		348.00	4.1.83
		365.40	3.3.83
	योग	1403.60	
आल इण्डिया ओरियेंटिव		500.00	10.2.83
	योग	3,91,143.61	

370

वर्ष 1983—84

क्र.सं.	पार्टी का नाम	राशि	भुगतान तिथि
1.	श्रमिक विकास	249.90	16.5.83
2.	शोधक जयपुर	300.00	24.5.83
3.	जयपुर यूथ क्लब	200.00	1.7.83
4.	राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन	250.00	1 7.83
5.	भारतीय वर्क्स न्यू दिल्ली	600.00	9.8.83
6.	नार्थन रेलवे	3,475.00	9.8.83
7.	यूनाइटेड न्यूज आॅफ, इण्डिया, नई दिल्ली	2,000.00	9.8.83
8.	राजस्थान जैन सभा	300.00	2.8.83
9.	श्री शारदा उद्योग, जयपुर	300.00	12.8.83
10.	यंग लीडर	730.80	14.4.83
		783.00	22.6.83
		1,513.90	
11.	दैनिक नवज्योति	747.25	22.6.83
12.	राजस्थान पत्रिका	4,322.00	14.4 83
		3,039.60	22.6.83
		7,361.60	
13.	जलते दीप	319.20	4,4.83
14.	अधिकार	208.80	22.6.83
15.	न्याय, अजमेर	127.60	17.6.83
		261.00	10.6.83
		341.70	9.8.83
		730.30	
	कुल योग	18,555.85	

तहसील कार्यालयों में आदिवासी युवकों की नियुक्ति

76. श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण):–क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्व विभाग के तहसील कार्यालयों में पटवारी के पद पर आदिवासी नवयुवकों को कार्य करने का अवसर नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि बहुत से आदिवासी नवयुवक सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी स्कूल परीक्षा पास कर बेरोजगार बैठे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देकर इस विभाग में नौकरी दिलाने पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी पास बेरोजगार नवयुवकों की सूचना यह विभाग एकत्रित नहीं करता। पटवारी पद पर नियुक्ति राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के अन्तर्गत लिखित परीक्षा से चयनित अभ्यर्थियों को पटवार ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग दिलवा रिक्त पद उपलब्ध होने पर जिलेवार दी जाती है। अनुसूचित जनजाति के लिए नियमानुसार पद आरक्षित होते हैं। इस लिखित परीक्षा में अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित होने के कारण आदिवासी नवयुवकों से प्रार्थना पत्र भी प्राप्त होते हैं तथा योग्यता सूची में आने पर उनको पटवारी की ट्रेनिंग पास कर नियुक्ति पाने का अवसर प्राप्त है।

स्कूल्स में वीडियो फिल्म प्रदर्शन

77. श्री कमलेन्द्र सिंह (बल्लभनगर)–क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सरकार के पास शिकायतें आई हैं कि स्कूलों में वीडियो फिल्में दिखाई जा रही हैं ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

जी नहीं। राज्य सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

न्यायालय में बलात्कार प्रकरण सम्बन्धित फाइल का गायब होना

78. श्री भगवान दास शास्त्री–(अजमेर पश्चिम) क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 1975 में अजमेर भ्रमण के निमित्त आई अहमदाबाद निवासी 20 वर्षीय गुजराती युवती "बबली" के साथ श्री खेमचन्द, निवासी तोपदड़ा अजमेर, बलात्कार कर फरार हो गया था जिसे बाद में पुलिस ने पकड़ कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त

(श्री भगवान दास शास्त्री)

प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली न्यायालय से गायब कर दी गई ? यदि हां, तो पत्रावली को गायब करने के अभियोग में किन-किन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? कृपया जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। श्री खेमचन्द निवासी तोपदड़ा अजमेर के विरुद्ध पुलिस द्वारा चालान पेश किया गया था जिसमें दर्ज आरोपों के आधार पर खेमचन्द व उसकी सहअभियुक्ता गोदावरी के खिलाफ धारा अन्तर्गत 342/376 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन फौजदारी प्रकरण 497/75 दर्ज किया गया था। मुलजिम खेमचन्द के मफरूर होने पर उसके खिलाफ दिनांक 17-2-77 को गिरफ्तारी वारन्ट दबामी जारी किया गया था जिस पर पुलिस द्वारा फरार मुलजिम खेमचन्द को गिरफ्तार कर दिनांक 27-7-83 को न्यायालय में पेश किया गया।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है कि उक्त प्रकरण की पत्रावली न्यायालय से गायब कर दी गई हो। सही बात यह है कि मुलजिम के फरार होने के कारण उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारन्टी दबामी जारी करके पत्रावली रिकार्ड रूम में जमा करा दी गई थी और उक्त पत्रावली दिनांक 11-5-83 को रिकार्ड रूम द्वारा नष्ट कर दी गई। इस बाबत जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजमेर द्वारा जांच की जा रही है। अभी प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट आना शेष है।

राष्ट्रीय राजमार्गों एवं स्टेट हाइवेज पर लूट की घटनायें

79. **श्रीमती उजला अरोड़ा**—(जयपुर ग्रामीण) क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान रोडवेज की कितनी बसें नेशनल हाईवे नम्बर 11 व 8 तथा स्टेट हाइवेज पर जनवरी, 1983 से अब तक लूटी गई हैं ?

(2) क्या विभाग द्वारा उड़न दस्ते बन्द कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो उक्त घटनाओं के लिये कौन जिम्मेदार हैं ?

(3) क्या विभाग ने अब सुरक्षात्मक कदम उठाये हैं तथा दोषी व्यक्तियों को सजा का क्या प्रावधान किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) परिवहन निगम की कुल 5 बसें नेशनल हाईवे नम्बर 11 व 8 तथा स्टेट हाइवेज पर जनवरी, 83 से अब तक लूटी गयी हैं।

(2) जी नहीं। इन घटनाओं के लिये असामाजिक तत्व जिम्मेदार है।

(3) हाईवे पर जुर्मों की रोकथाम के के लिये पैट्रोलिंग निरन्तर चालू है।

उपरोक्त घटनाओं में अपराधियों के विरुद्ध अपराध के अनुरूप कानूनी कार्यवाही की जाती है।

बसवा तहसील स्थित राणा सांगा स्मारक का रख-रखाव

80. **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई):—क्या पुरातत्व, कला एवं संस्कृति राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बसवा तहसील के अन्तर्गत बसवा रेलवे स्टेशन के समीप राणा सांगा स्मारक की दुर्दशा ठीक करने का राज्य सरकार का विचार है ?

(2) क्या इसके रख रखाव के लिए भी सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है तथा इस पर कितनी राशि व्यय होगी ?

(3) इस स्मारक की सुरक्षा व रख-रखाव का दायित्व किस विभाग पर है तथा उस विभाग ने रख-रखाव के नाम पर इस पर अब तक कितनी राशि व्यय की ?

उत्तर

(1) तथाकथित स्मारक राणा सांगा का होना विवादास्पद है। परन्तु फिर भी राज्य सरकार इसकी सुरक्षा के बारे में व्यवस्था कर रही है।

(2) राणा सांगा की मृत्यु स्थल के बारे में ऐतिहासिक विवाद होने के कारण और शोध करायी जा रही है। उसका निष्कर्ष प्राप्त होने पर योजना बनाई जावेगी।

(3) इस तथाकथित स्मारक का महाराणा/सांगा से सम्बन्ध होना विवादास्पद है, अतः इसकी वास्तविकता के बारे में शोध कराने की कार्यवाही की जा रही है। यह राज्य सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित नहीं होने के कारण इसके रख-रखाव पर कोई व्यय किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सत्र न्यायालय बूंदी में विचाराधीन मामले

82. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन)—क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बूंदी सत्र न्यायालय एवं मुंसिफ न्यायालय में काफी बड़ी संख्या में मुकदमे विचाराधीन हैं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ग्रामीण जनता को सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने की मन्शा रखती है ? यदि हां, तो केशवरायपाटन क्षेत्र में मुंसिफ न्यायालय खोलने का सरकार इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि बूंदी जिला एवं सत्र न्यायालय एवं मुंसिफ न्यायालय में मुकदमें बड़ी संख्या में विचाराधीन हैं। जिला एवं सत्र न्यायालय बूंदी में विचाराधीन मुकदमों की सूची परिशिष्ट (क) पर है एवं मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बूंदी में विचाराधीन मुकदमों की तहसीलवार सूची परिशिष्ट (ख) पर सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) जी हां। केशवरायपाटन क्षेत्र से उद्भुत प्रकरणों की संख्या को देखते हुये तथा राज्य की वित्तीय स्थिति सीमित होने के कारण केशवरायपाटन में मुंसिफ न्यायालय खोलना वर्तमान में सम्भव नहीं है।

374.

परिशिष्ट (क)

जिला एवं सत्र न्यायालय बूंदी में तहसीलवार विचाराधीन मुकदमों की सूची

क्र. सं.	विवरण मुकदमात	तहसील बून्दी	तहसील केशवरायपाटन	तहसील नैनवां	तहसील हिण्डौली	योग
1.	सैशन केसेज	58	35	17	15	125
2.	क्रिमिनल अपील	103	74	27	36	240
3.	क्रिमिनल रिवीजन	34	26	6	5	71
4.	उत्तराधिकार अधिनियम	17	8	1	3	29
5.	दीवानी वाद	48	29	4	9	90
6.	दीवानी अपील	21	7	6	4	38
7.	दीवानी मुस्तफर्रिक अपील	23	13	12	4	52
8.	दीवानी इजराय	8	4	1	—	13

क्र. सं.	विवरण मुकदमात	तहसील बून्दी	तहसील केशवरायपाटन	तहसील नैनवां	तहसील हिण्डोली	योग
9.	नार्जियन एण्ड वार्डस एक्ठ	7	2	1	निल	10
10.	मोठर एक्सीडेन्ट क्लेम	38	7	3	17	65
11.	दीवानी मुत्तफरिक	5	2	4	1	12
12.	निगरानी	7	6	4	2	19
		369	213	86	96	764

परिशिष्ट (ख)

मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बूंदी के न्यायालय में तहसीलवार विचाराधीन मुकदमों की सूची

क्र. सं.	विवरण मुकदमात	तहसील, बूंदी	तहसील, के० पाटन	तहसील, नैनवा	तहसील, हिण्डोली	योग
1.	दीवानी वाद	567	398	5	3	973
2.	दीवानी प्रकरण वाद	151	63	—	1	215
3.	दफा 6 (ऋण निवारण)	46	47	—	1	94
4.	इजराय	160	166	8	11	345
5.	निगरानी	—	3	—	—	3
		924	677	13	16	1630

परिवहन निगम की राष्ट्रीयकरण योजना

83. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) परिवहन निगम द्वारा स्वयं की बसें चलाने के लिये मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 68 ग के अन्तर्गत मार्च, 1979 से मार्च, 1983 तक राष्ट्रीयकरण की कितनी योजनाएं प्रकाशित की हैं ? कृपया जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के संयुक्त विधि परामर्शी के समक्ष आपत्तियों की सुनवाई की जाती है ? यदि हां, तो मार्च, 1979 से मार्च, 1983 तक प्रकाशित योजनाओं में से कितनी योजनाओं पर अब तक आपत्तियों की सुनवाई नहीं की गई है ? कृपया विस्तृत ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वांछित सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

पूर्व में यह कार्य संयुक्त विधि परामर्शी द्वारा किया जाता था।

(2) जी नहीं। अप्रेल, 1983 से आपत्तियों की सुनवाई विशिष्ट शासन सचिव, गृह विभाग द्वारा की जाती है। वर्तमान में प्रश्न के भाग संख्या । में वर्णित प्रकाशित योजनाएं सुनवाई हेतु पेण्डिग है।

परिवहन निगम द्वारा मार्च, 1979 से मार्च, 1983 तक मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 68-ग में प्रकाशित योजनाओं की जिलेवार सूची

क्र.सं.	मार्गों के नाम	प्रकाशन की दिनांक	जिला
1.	चौमू-रेनवाल	13-4-1979	जयपुर
2.	उदयपुर-केलवाड़ा	,,	उदयपुर
	उदयपुर-नाथद्वारा		
3.	देवगढ़-भीलवाड़ा	,,	उदयपुर/भीलवाड़ा
	देवगढ़-गंगापुर		
	गंगापुर-रायपुर		
4.	भीम-देवगढ़	,,	उदयपुर/अजमेर
	भीम-टाटगढ़		
	भीम-बन्दतौर		
5.	डूंगरपुर-मेवाड़	,,	डूंगरपुर/बांसवाड़ा

क्र.सं.	मार्गों के नाम	प्रकाशन की दिनांक	जिला
	पीठ-गलियाकोट	13–4–1979	
	सीमलवाड़ा-माडली		
6.	जयपुर-दांतारामगढ़	,,	जयपुर/सीकर
	जयपुर-हिंगोनिया		
	हिंगोनिया-जोबनेर		
7.	दूदू-मालपुरा	,,	जयपुर
8.	विजयनगर-शाहपुरा वाया देवली	,,	भीलवाड़ा–अजमेर
	विजयनगर-शाहपुर वाया		
	गुलाबपुरा		
9.	प्रतापगढ़-जालन्धर खेड़ा (रा. बो.)	,,	बांसवाड़ा
	प्रतापगढ़-अरनोद		
	प्रतापगढ़-राजपुरिया (रा. बो.)		
10.	बांसवाड़ा-दानपुर	,,	बांसवाड़ा
11.	मावली-भटेवर	,,	उदयपुर/चित्तौड़गढ़
	मंगलवाड़-नीम्बहेड़ा		
12.	धरियावद-सलूम्बर	,,	उदयपुर/बांसवाड़ा
13.	बांसवाड़ा/नरवाली	,,	उदयपुर/बांसवाड़ा
	बांसवाड़ा-धरियावद		
	प्रतापगढ़-धरियावद		
	बांसवाड़ा-प्रतापगढ़		
	बांसवाड़ा-बांसी		
	धरियावद-बांसी		
14.	कोटा-सांगोद वाया कंथून	11-10-1979	कोटा
	देवली-रूपहेड़ी		
	कोटा-सांगोद वाया कंथून-		
	देवली-दुधियाखेड़ा-कनवास		
15.	चित्तौड़गढ़-प्रतापगढ़	21-1-1980	चित्तौड़गढ़/बांसवाड़ा
	प्रतापगढ़-बांसवाड़ा		

ग्राम कनेरा में उप-तहसील कायम करना

84. श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील निम्बाहेड़ा के तहत ग्राम कनेरा में पूर्व में तहसील थी तथा बाद में नायब तहसील बना कर उसको भी तोड़ दी गई, जिससे वहां के लोग काफी परेशान हैं ?

(2) क्या सरकार जनहित में ग्राम कनेरा में पुन: उप-तहसील कायम करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि ग्राम कनेरा में सन् 1962 पूर्व तहसील मुख्यालय था। यह बाद में नायब तहसील मुख्यालय कायम कर उसको भी सितम्बर, 1962 में समाप्त कर दिया गया तथा तहसील निम्बाहेड़ा में विलीन कर दी गई।

(2) ऐसा कोई मामला राज्य सरकार के अभी विचाराधीन नहीं है।

पंचायत समिति को मनोहरथाना को विद्युतीकरण योजना

85. श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा-रामगढ़) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति मनोहरथाना, जिला झालावाड़ क्षेत्र का विद्युतीकरण मात्र 12 प्रतिशत है ?

(2) क्या यह भी सही है कि कृषि एवं उद्योग विकास हेतु क्षेत्रीय जनता की एक लम्बे समय से मांग को देखते हुए इस साल विद्युत विभाग द्वारा सर्वे की जाकर ग्रामीण विद्युतीकरण योजना बनाई जाकर भेजी जा चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना शीघ्र ही स्वीकृत कर कार्यरूप में परिणत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। पं. स. मनोहरथाना का विद्युतीकरण 12.17 प्रतिशत है।

(2) जी हां। योजना को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के अधिकारियों द्वारा की गई टिप्पणी के अनुसार संशोधित किया जा रहा है।

तहसील धरियावद का सेंटलमेंट

86. श्री कमला भाई मीणा (सराड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) धरियावद तहसील क्षेत्र में कौन से सन् में जमीन का सेंटलमेन्ट हुआ था ?

(2) क्या उक्त तहसील के गांव

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

विलकावास में भी जमीन का सैटलमेन्ट हुआ था ? यदि हां, तो कृपया नक्शा, ट्रेस मैप, खसरा नम्बर दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील धरियावद जिला उदयपुर के भिन्न-भिन्न ग्रामों में सैटलमेन्ट सम्वत् 1947 से 2011 में हुआ था।

(2) जी हां, उक्त तहसील के ग्राम विलकावास में सैटलमेन्ट सम्वत् 2005 में हुआ था। ट्रेस एवंम खसरा सूची की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(नक्शा विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

तहसील धरियावाद (लसाड़िया) जिला उदयपुर में सम्पादित भू-प्रबन्ध की तालिका

परिशिष्ट–क

तहसील के कुल ग्राम	खालसा के ग्राम	गैर खालसा के ग्राम	भू-प्रबन्ध का विवरण मय अवधि ग्रामों की संख्या	सम्वत् सं. से तक	सम्वत सं. तक	वि. वि. सम्वत 2040 हुए वर्ष
244	23	221	9	1997	2022	
			6	1998	2023	
			16	1999	2024	
			22	2002	2027	
			12	2003	2028	
			20	2004	2029	
			35	2005	2030	
			32	2007	2031	
			92	2011	2031	
			244			

मेवाड़ सैटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट, उदयपुर

खसरा सूची

नाम मौजा बीलैंकावास जागीर तफा तहसील धरियावद पैरगना ठिकाना धरियावाद जिला गिरवा सम्वत् 2005

खाता	नम्बर		नम्बर		नम्बर		नम्बर		नम्बर		नम्बर
	खाता	खाता	खाता	खाता	खाता	खाता	खाता	खाता	खाता	खाता	खाता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	25	17	24	31	16	45	6	61/1	18	75/1	25
2	26	18	12	32	23	46	6	61/2	12	75/2	7
3	25	19	12	33	23	47	24	62	17	76	7
	25	20	8	34	25	48	22	63	8	77	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	26	21	6	35/1	16	49	11	64	24	78	7
6	26	22	6	35/2	16	50	7	65	15	79	26
7	26	23	16	36	16	51	17	66	11	80	7
8	25	24	25	37	16	52	15	67	16	81	17
9	12	25	12	38/1	16	53	6	68	6	82	26
10	12	26/1	12	39/2	3	54	5	69	26	83	7
11	12	26/2	23	3	3	55	5	70/1	6	84	25
12	24	27	26	40	28	56	5	70/2	25	85/1	22
13	2	28	6	41	8	57	26	71	26	85/2	21
14	2	29	5	42	5	58	26	72	25	86	21
15	2	30/1	16	43	5	59	5	73	26	87	22
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	60	6	74	24	88	17

383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	10	105	1	119	21	135	14	151	7		
90	9	106	19	120	15	136	17	152	11		
91	22	107	21	121	25	137	7	153	22		
92	9	108	19	122	19	138	7	154	19		
93	9	109	21	123	19	139	13	155	15		
94	15	110	21	124	25	140	13	156	12		
95	28	111/1	13	125	13	141	4	157	5		
96	15	111/2	25	126	17	142	22	158	5		
97	15	112	25	127	17	143	11	159	16		
98	17	113	25	128	13	144	7	160	18		
99	17	114	25	129	13	145	21	161	6		
100	17	115/1	19	130	11	146	21	162	25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	19	115/2	19	131	11	147	26	163	25		
102	1	116	24	132	13	148	25	164/174	26		
103	26	117	20	133	11	149	17				
104	1	118	21	134	22	150	13				

ह०/
भंवरलाल खण्डेलवाल
म० सैटलमेन्ट आफिसर,

ह०/
मु० कु०
दौलतसिंह मेहता

ग्राम पंचायत हरसाणी में विद्युत व्यवस्था

87 श्री देवव्रत तिवाड़ी (बाड़मेर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या विद्युत मण्डल ऐसे गांवों को जिन्होंने स्ट्रीट लाइट के लिए धनराशि जमा करा दी है उनमें शीघ्र ही स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि हरसाणी ग्राम जो कि शिव तहसील में आया हुआ है वहां से होकर बिजली के खम्भे तुरबी की ओर गये हुए हैं, लेकिन ग्राम पंचायत हरसाणी जिसने की दस खम्भों के लिये धनराशि जमा करायी हुई है उसमें न तो खम्भे ही लगाये जा रहे हैं व न ही स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो यह कार्यवाही कब तक पूर्ण कराली जावेगी ?

उत्तर

(1) जिन गांवों में स्ट्रीट लाइट कनेक्शन देने हेतु धन राशि जमा हुई है तथा जहां भी अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर दी जाती हैं, वहां स्ट्रीट लाइट कनेक्शन लगाने हेतु–व्यवस्था कर दी जाती है।

(2) यह सही है कि शिव तहसील के हरसाणी गांव के तुरबी की ओर 11 के. वी. लाइन गयी हुई है। यह कहना सही नहीं है कि ग्राम पंचायत हरसाणी द्वारा 10 खम्भों की धनराशि जमा करवा दी गई है। इस ग्राम में अभी एल. टी. लाइनें उपलब्ध नहीं हैं। एल. टी. लाइनें डालने के पश्चात् स्ट्रीट लाइट कनेक्शन देने हेतु कार्यवाही शुरू किया जाना संभव होगा।

ग्राम मोतीपुरा (अटरू) के कृषकों पर जुर्माना

88. श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि अटरू तहसील के ग्राम मोतीपुरा के किसानों की जमीनों पर सजा 50 गुणा यानि 90,000/- रुपया जुर्माना पेनल्टी के रूप में किया जा रहा है ?

(2) यदि हां, तो उक्त ग्राम के कितने किसानों पर कितने-कितने महीनों की सजा व कितना-कितना जुर्माना किया गया और क्यों ? कृपया सविवरण सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि तहसील अटरू के ग्राम मोतीपुरा के किसानों की जमीन पर तहसील द्वारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत कार्यवाही की जाकर वर्ष 1978 से 83 तक रुपये 79847.80 शास्ती आरोपित की गई इन काश्तकारों के विरुद्ध धारा 91 एल. आर. एक्ट की कार्यवाही इस कारण की गई। क्योंकि यह भूमि श्री देवीसिंह की खातेदारी में थी लेकिन इस भूमि पर गांव के अन्य लोगों का कब्जा था, किन्तु अधिकृत

(राजस्व मन्त्री)

भूमि अधिकरण अधिकारी द्वारा इसके कब्जे को मान्यता न देकर उक्त भूमि 1977 में सीलिंग अधिनियम के अधीन अधिग्रहित करली तथा इस जमीन को बाद में सिवाय चक दर्ज कर दिया गया। सिवाय चक दर्ज होने के बाद अनधिकृत काबिज व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत कार्यवाही की गई इसका विवरण निम्न है:—

(1) वर्ष 1978– 4 व्यक्तियों को बेदखल किया।

(2) वर्ष 1979– 11 व्यक्तियों को बेदखल किया।

(3) वर्ष 1980– 41 व्यक्तियों को बेदखल किया।

(4) वर्ष 1981– 35 व्यक्तियों को बेदखल किया।

(5) वर्ष 1982– 17 व्यक्तियों को बेदखल किया।

(6) वर्ष 1983– 4 व्यक्तियों को बेदखल किया।

वसूली की कार्यवाही चालू है।

(2) वर्ष 1980 में तीन व्यक्तियों को व वर्ष 1981 में 8 व्यक्तियों को—एक माह से तीन माह की सजा दी गई।

विद्युत् मण्डल की बकाया

89. श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 31 दिसम्बर, 1982 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों में राज्य का विद्युत ट्रांसमिशन लॉस का क्या-क्या प्रतिशत रहा ? यह लॉस 1 जनवरी, 83 से 31 जुलाई, 83 के बीच कितना प्रतिशत रहा ?

(2) 31 मार्च, 1983 को विद्युत् बकाया की कितनी राशि कृषि, भारी उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग तथा घरेलू उपभोक्ताओं पर बकाया थी ? कृपया पांच हजार रुपयों से अधिक बकाया की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) 31 मार्च, 1983 को तथा 31 जुलाई, 1983 को विद्युत् मण्डल का घाटा कितना था ?

उत्तर

(1) विद्युत तन्त्र में क्षति का आंकलन वर्षवार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए किया जाता है। दिसम्बर, 82 तक की अवधि में समाप्त हुए पूर्व के तीन वित्तीय वर्षों में विद्युत तन्त्र में विद्युत क्षति का प्रतिशत निम्नानुसार रहा :

वर्ष	प्रतिशत
1979–80	25.22
1980–81	26.06
1981–82	24.77

(ऊर्जा मन्त्री)

1 जनवरी, 83 से 31 जुलाई, 83 के मध्य क्षति का आंकलन किया जाना संभव नहीं है।

(2) (अ) 31 मार्च, 83 को कृषि, भारी उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग तथा घरेलू उपभोक्ताओं पर विद्युत बकाया की राशि निम्न प्रकार थी:—

कृषि	877.36 लाख रुपये
भारी उद्योग	2940.23 लाख रुपये
मध्यम उद्योग	112.24 लाख रुपये
लघु उद्योग	187.90 लाख रुपये
घरेलू	209.03 लाख रुपये
	4326.76 लाख रुपये

(ब) पांच हजार रुपयों से अधिक बकाया वाले उपभोक्ताओं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

LIST OF OUTSTANDING DUES MORE THAN Rs. 5000/- OF AJMER CIRCLE.

S.No.	Name of consumer	Amount	Remarks
1	2	3	4
1.	Sh. Bala bux Tapdiya	8,608.66	
2.	D. E. E. (Railway Workshop) WR.	295,803.30	
3.	-do-	56,547.79	
4.	-do-	26,927.15	
5.	-do-	4,18,031.18	
6.	-do-	6,2 5.65	
7.	-do-	10,639.16	
8.	-do-	6,480.79	
9.	-do-	16,188.17	
10.	-do-	9,949.75	
11.	-do-	12,912.63	

1	2	3	4
12.	H. M. T. of India	1,60 736.18	
13.	Sripati Iron & Rolling Mill	1,06,062.95	
14.	Bandiwala -do-	5,76,560.84	
15.	Rajhans Wire Industry	1,42,367.42	
16.	Agrawal Ice Factory	5,385.56	
17.	-do-	17,656.00	
18.	Rama Drugs	7,531.05	
19.	Jain Minerals	14,063.95	
20.	Pushpa Plastics	11,741.47	
21.	Secretary, M. B., Pushkar	25,788.15	
22.	Nagar Sudhar Nyas, Ajmer	5,472.25	
23.	-do-	5,304.02	
24.	Senior Physician	13,732.50	
25.	District Lead Board	6,387.42	
26.	XEN, PHED, Nasirabad P.S. 4	9,28,882.00	Under decision of Board's higher authorities.
	P.S. 5	7,35,915.56	
	P.S. 6	1006,208.68	
27.	The works Manager, R.S.R.T.C. Makhupura	6,872.79	Under decision of Board's higher authorities.
28.	Stuctural Engineering works	25,400.17	Case have been delt with Law office RSEB, Jaipur.
29.	Sh. Malu Udyog Saradhna	13,876.00	Under process of EDR
30.	Sh. Durga pd. Vimlesh Kr.	9,539.25	Case reffered to AO (IA) Vide XEN/DD/Letter No. 1828/19-7-1983.
31.	M/s. Sahu Minerals	2,92,297.22	Under EDR.

1	2	3	4
32.	Agrawal Spining Mill	1,48,971.75	Proceeding under Court.
33.	Maharaj Somyag Mill	36 651.65	Case with SE (AJC)
34.	Water works	18,878.08	Under correspondance
35.	Rajhans Text.	12,712.80	Under EDR.
36.	Mohan Lal Rambilas	19,452.21	Case under EDR.
37.	Ramkant/Sri Ram	10,010.80	-do-
38.	Ashutosh Spining Mills	33,459.30	Case under decision of higher authorities SE (AJC).
39.	Raj. Starch	10,455.89	-do-
40.	Adity Mill	9,62,352.22	Stay by High Court.
41.	Chaudhary Text.	5,505.15	Case under EDR.
42.	Radhuvindra Text.	8,456.00	-do-
43.	Kishore Textile	6,771.65	-do-
44.	Ishwar Chand Bhudol	5,564.33	-do-
45.	Swastic Industry, Gagwana	5,025.00	-do-
46	Krishna Mill Beawar	5,24,791.52	
47.	Vimlesh Yarn Ind. ,,	22,895.60	
48.	Best Printing Press, Beawar	54,552.24	
49.	Mahalaxmi Mills, Beawar	1,71,621.54	
50.	Smt. Anchi Devi, Beawar	5,294.30	
51.	Sh. Mukund Dass Rathi	5,730.84	
52.	City Police Rest House, Beawar	5,362.47	
53.	Gajanand Beawar	5,119.20	
54.	Shankar Lal Raghu Nath	5,202.20	

1	2	3	4
55.	Kamala Industry; Vijai Nagar	74,829.26	
56.	XEN. PS. 1.	10,71,930.51	
57.	PS. 2.	10,84,883.01	
58.	PS. 3.	8,51,094.76	
59.	Negadiya Hand Works	13,17,089.49	
60.	Jain Agrawaloil Mills, Kekri	12,283.50	
61.	Shatrunjai Manak Factory	8,236.40	
62.	Shankar Oil Mills, Kekri	5,955.28	
63.	Chhotu Sing/Mool Singh	6,725.87	Disconnected.
64.	Gopal Singh/Kan Singh	6,193.63	S. L. Removed
65.	Bal Singh	5,681.05	-do-
66.	Bhanwar Singh/Vijai	5,681.05	-do-
67.	Deva Ram/Bhaga Ram	5,906.00	-do-
68.	Mehtab Kanwar	13,390.29	-do-
69.	Kundan Mal	6,486.57	-do-
70.	Ram Deo/Chhotu Ram	5,065.30	-do-
71.	Project Officer, Kuchamancity	9.085.43	-do-
72.	-do-	8973.64	-do-
73.	-do-	5,323.79	
74.	-do-	5,361.44	
75.	-do-	15,552.50	
76.	Hanumant Singh	5,479.16	
77.	Mala Ram	5,937.80	
78.	Chhawari Devi.	6,586.20	
79.	Sukh deo Ram	10,618.17	
80.	Mana Ram/Devi Ram	5,671.83	
81.	Project Officer	9371.46	
82.	Gulla Ram	6,586.26	
83.	Chhotu Ram	5,537.64	
84.	Bajrang Lal	5,363.06	

1	2	3	4
85.	Sohan Lal	6,965.72	
86.	Laxaman Ram	7,109.53	
87.	Banshi Singh Borwa	18,745.00	
88.	Govind Singh	10,365.00	
89.	Harendra Singh	11,366.00	Court case.
90.	Padam Singh	8,555.38	
91.	Guman Singh	8,935.66	Court case.
92.	Vijai Singh	6,988.00	-do-
93.	Pita Ram	8,678.00	-do-
94.	Municipal Board Nawa	56,951.67	D.C.O.
95.	-do-	17,891.93	Dispute.
96.	Gulam Farid	8,844.94	D.C.
97.	Parma Ram	13,568.82	D.C.
98.	Dalla Ram	6,189.63	-do-
99.	Diamond Emery Ind.	6,141.40	
100.	Mohmed Umar.	12,889.40	
101.	Naj. Talkies.	5,361.98	
102.	Chairman, MB, Makarana.	37,765.00	Dispute.
103.	Panch Shri Kakhana	10,356.57	D.C.
104.	Gehlot Marble.	17,658.27	D.C.
105.	Hamed & Bros.	26,837.22	Meter Removed.
106.	Khalil Mohd.	11,450.32	-do-
107.	Sisodiya Marble Industry.	6,802.86	-do-
108.	Best Marble	12,234.04	Court case.
109.	Vijay Marble	31,908 42	M. . Removed.
110.	Marwar Mines.	79,253.06	Stay By Chairman
111.	High Grade Ind.	12,084.94	Meter, S.L. Removed.
112.	Mugal Marble.	12,264.16	-do-
113.	New Chaudhary Marble.	9,196.28	-do-
114.	Jindal Marble.	6,327.68	-do-
115.	Chohan Marble.	25,250.00	-do-
116.	Fatura Marble.	5,022.98	-do-
117.	Mahaveer Ice Factory	35,926.50	Court case.
118.	Krishna Marble Naws	48,480.29	-do-
119.	New Bharat	16,309.27	D.C.

392

1	2	3	4
120.	Raj Gum & Plastic	59,508.99	D. C.
121.	Associated Industry	38,146.06	Court case.
122.	Bang Marble Area.	7,662.39	D.C.
123.	M/s. Bala Ji Marbles.	10,835.82	-do-
124.	Th. Vijai Singh	14,328.64	-do-
125.	Khurshid Ahmed	6,705.17	-do-
126	Madan Lal Shiv Karan	5,592.85	M R.
127.	A. EN (PHED), Nagaur	17,860.12	
128.	Gram Sabha Public Wells (AEN, PHED)	7,352.94	
129.	Radey Shyam	5,827.85	D.C.
130.	Bhimya Ram	9,492.00	M R.
131.	Ahmed Gaffar	5,986.40	M.R.
132.	Sarpanch, Public Well, Mundwa	5,234 00	D.C.
133.	-do-	5,153.25	D.C.
134.	AEN (PHED)	18,256.16	
135.	Ram Niwas	9,656.50	Meter & Service line removed.
136.	AEN (PHED), Deedwana	7,100.00	
137.	-do-	5,200.00	
138	-do-	11,000.00	
139.	-do-	26,000.00	
140.	-do-	5,300 00	
141.	-do-	8,000.00	
142.	-do-	6,000.00	
143.	Divisional Engineer (N. Railway)	9,200.00	
144.	-do-	14,000.00	
145.	AEN (PHED).	5,500.00	
146.	-do-	5,000.00	
147.	-do-	9,600.00	
148.	Hasan Khan Tekadar	6,173.32	M.R.
149.	Banwar Lal/Choth Ram	5,800.00	M.R.
150.	DEEDWANA Camical Pvt. Ltd.	5,100.00	
151.	S. H. O. Police	6 648.85	

1	2		3	4
153.	JEN, PHED	8,377.99		
154.	Hadbur Rahman	1,599.90		
155.	Ghever Ram	8,471.00	MR	
156.	Ganesh Ram	3,675.70	MR	
157.	M/s Laxmi Lime Ltd.	17,686.00		
58.	Shri Manak Chand	6,633.22		
159.	Sarpanch G. P.	8,274.30		
160.	Shri Bhanwar Lal	10,197.00	MR	
161.	Sarpanch G. P. Khurdiya	5,838.30		
162.	AEN, PHED, Gachhipura	10,274.90		
163.	AEN, PHED, Ladnu	9,659.95		
164.	XEN, PHED, Ladnu	40,619.27		
165.	XEN, PHED, Ladnu	6,154.07		
166.	AEN, PHED, Ladnu	32,199.50		
167.	AEN. PHED, Sujangarh	25,412.40		
168.	-do-	18,725.28		
169.	-do-	14,799.30		
170.	-do-	6,880.87		
171.	-do-	52,218.32		
172.	-do-	6,247.19		
173.	-do-	8,780.13		
174.	-do-	29,434.90		
175.	-do-	12,325.23		
176.	AEN, PHED, Firwasi	5,796.84		
177.	-do-	14,185.04		
178.	-do- Dujar	12,611.00		
179.	-do- Molasi	4,984.10		
180.	-do-	8,388.91		
181.	Administrator, M. B., Nagaur	5,712.55	Letter No. 2717 dt. 2-2-1983.	
182	Shri Ram Chander	5,519.60	D. C. submitted to JEN. Compliance yet not been made. DCO No. 1648/64 dt. 9-7-1981.	
183.	Shri Parug Khan	6,691.46	-do- 6-7-83	

Page No. 396

३९५

1	2		3	5
184.	Sarpanch G. P	5,449.99		
185.	Chairman, M. B., Nagaur	27,594.99		Notice severed vide letter No. 2717 dt. 2-2-83
186.	Hira Lal/Raghunath	6,693.35		Notice has been severed in EDR dated 5-5-83
187.	Ram Prasad/Uda Ram	9,209.65		MR
188.	Ramesh Chand/Phool Chand	10,367.58		Disputed amount of Flood Min. charges
189.	Shanker Lal/Ramdeo	12,267.06		D. C. submitted but compliance not made
190.	AEN, Water Works, PHED, Tarnau	56,316.34		Notice has been severed to AEN Water Works vide letter No. 3424 dt. 22-3-1983
191.	-do-	10,356.12		—
192.	Sarpanch, G. P.	11,598.69		(REC Jayal)
193.	-do-	13,786.44		-do- Notice has been severd
194.	Hardeen	11,957.68		PDC
195.	Hardeen Chandra	5,291.90		PDC
196.	Chairman, M. B., Merta	1,71,562.81		
197.	-do-	8,990.75		
198.	Dhanpat Singh	6,449.10		D. C.
199.	Raghu Ram	5,176.99		PDC
200.	Ram Kishan	9,538.40		PDC
201.	Gulam Hussain	11,999.82		DC
202.	Bhola Ram	5,738.71		PDC
203.	Shanker Lal	6,249.05		PDC
204.	Smt. Ralan Ken	10,805.69		PDC
205.	Kan Singh	15,833.27		PDC
206.	-do-	20,459.59		PDC
207.	Jaswant Form	14,237.95		DC
208.	Pema Ram	12,214.87		DC
209.	Kan Singh	7,449.78		DC
210.	Bheru Singh	5,000.00		DC

Page No. 397

(395)

1	2		3	4
211.	Sarpanch	5,746.92		
212	Fariq Mohd.	11,985.00	PDC	
213.	Moda Ram	21,642.08	DC	
214.	Rasid Ahmed	21,208.20	DC	
215.	B. O. U. Nathiya	6,771.39	DC	
216.	Roopa Ram	11,213.96	PDC	
217.	Radha Kishan	11,082.20	PDC	
218.	Pema Ram	6,998.51	PDC	
219.	P. O. Shripal	6,040.48	Deposited in July	
220.	Ban Singh	12,123.00	DC	
221.	Prama Ram	33,656.80	Rs. 1000/- deposited In June, 1983	
222.	Bal Kishan	5,710.60	DC	
223.	Kasam Ali	21,730.16	Rs. 1100/- deposited in May	
224.	Padam	5,136.39	PDC	
225.	Bheru	7,161.01	PDC	
226.	Bhanwana	6,285.00	DC	
227.	Ram Narain	9,575.60	DC	
228.	Bhanwar Singh	14,311.80	DC	
229.	Ghisa/Nara	10,397.50	DC	
230.	Toda Ram	7,661.00	DC	
231.	Prabhu	12,694.40	DC	
232.	Pratap	28,541.20	DC	
233.	Chandra Ram	8,149.41	DC	
234.	Inder Chand	7,317.80	DC	
235.	Shiv Narain	11,508.92	DC	
236.	Chotu Ram	17,578.70	DC	
237.	Smt. Gemini	6,143.00	DC	
238.	Lakha Ram	5,253.00	DC	
239.	Badav Ram	6,146.00	Deposited in July, 1983	
240.	Hari Ram	5,552.00	DC	
241.	Manga Ram	5,280.00	DC	
242.	Ram Pal	11,520.00	DC	
243.	Ghisa Ram	8,141.60	DC	
244.	Kishan	22,822.00	DC	
245.	Gulab Shan	54,594.00	DC	
246.	Kanu Ram	7,025.80	DC	
247.	Prakash Ram	8,347.36	DC	

396

1	3	3	4
248.	Mangi Lal	5,706.80	DC
249.	Pusha Ram	10,543.10	DC
250.	Madan Lal	17,569.71	PDC
251.	Sohan Ram	7,966.30	DC
252.	Gopi Ram	8,049.40	DC
253.	Budha Ram	6,647.60	DC
254.	Kishan Singh	7,531.90	DC
255.	Smt. Rama Kanwar	10,652.12	Deposited
256.	Sh. Nathu Nath	5,370.58	PDC
257.	Mohan Singh	5,702.70	DC
258.	Vijay Singh	6,273.88	DC
259.	Mohan Singh	17,614.20	DC
260.	Roop Singh	5,129.20	DC
261.	Anna Ram	10,626.57	DC
262.	Bhanwar Lal	9,167.15	DC
263.	Smt. Pushpa Kanwar	14,189.20	PDC
264.	Rajendra Singh	5,273.80	DC
265.	Moti Singh	6,190.20	DC
266.	Sukha Ram	5,704.10	DC
267.	Raghuveer Singh	12,734.60	DC
268.	Guman Ram	7,383.60	PDC
269.	Shanker Singh	6,256.10	PDC
270.	Sugna Ram	5,543.20	PDC
271.	Beruing Singh	38,996.00	DC
272.	Dalpat Singh	5,281.70	DC
273.	Budha Ram	8,592.80	PDC
274.	Anwar Khan	11,035.90	DC
275.	Madha Singh	7,374.20	DC
276.	Dhokal Ram	7,580.00	PDC
277.	Baldeo Singh	5,018.60	PDC
278.	Shanker Lal	6,108.00	DC
279.	Jawan Ram	9,283.40	DC
280.	Hastimal	6,483.61	Deposited
281.	Udha Ram	8,473.00	DC
282.	Ram Karan	29,380.12	DC
283.	Babu Lal	10,285.00	Deposited
284.	Phema Ram	8,264.00	MR

397

1	2		3	4
285.	Madha Ram	7,260.60	Deposited	
286.	Shanker Das	115,86.55	DC	
287.	Chiman	85,789.10	DC	
288.	Vishnu Dutta	10,510.27	DC	
289.	Bhanwar Lal	10,278.70	DC	
290.	Ami Dan	5,968.27	DC	
291.	Kamal Kishore	10,732.15	DC	
292.	Bodu Lal	5,645.60	PDC	
293.	Phool Chand	6,157.00	DC	
294.	Bux	5,422.80	DC	
295.	Smt. Urmila	14,045.70	DC	
296.	Javed Khan	7,147.60	DC	
297.	Hazari	5.548.70	DC	
298.	Binja Ram	9,709.70	DC	
299.	Vikas	6,680.00	DC	
300.	Satya Narain	6,653.20	DC	
301.	Madan Lal	9,446.71	DC	
302.	Jamaiudeen	6,147.80	DC	
303.	Rainmal	6,402.30	DC	
304.	Manga Ram	10,922.26	DC	
305.	Sugan	5,538.00	DC	
306.	Bhagirath Ram	7,595.00	DC	
307.	Udai Singh	10,394.26	MR	
308.	Smt. Asha Prakash	65,54.50	DC	
309.	Divisional Railway	34,161.41		
310.	Kan Singh	7,191.02	DC	
311.	Prithvi Singh	10,879.92	DC	
312.	Ajmeri Khan	5,700.48	DC	
313.	Shanker Ram	5,189.00	DC	
314.	Segana Ganga Ram Factory	10,000.00	Current amount is paying regularly. Credit case sent to SE(AJC), Ajmer.	
316.	AEN PHED Ladnu	9,492.20		
317.	-do-	40,612.27		
318.	-do-	25,530.00		
319.	-do-	24,686.40		

(398)

1	2		3	4
320.	AEN PHED Ladnu	15,707.28		
321.	-do-	13,188.10		
322.	-do-	6,880.87		
323.	-do-	5,089.32		
324.	-do-	6,247.19		
325.	-do-	7,337.83		
326.	-do-	28,754.65		
327.	-do-	11,748.73		
328.	-do-	13,556.00		
329.	-do-	7,404.10		
330.	-do-	5,581.24		
331.	-do-	14,246.04		
332.	-do-	29,664.02		
333.	-do-	71,084.57		
334.	-do-	12,703.42		
335.	Divisional Engineer, Rly.	6,100.00		
336.	Spinning Mills	16,899.19		
337.	Chairman, MB., Ladhnu	2,73,637.05		
338.	Sarpanch, G.P., Jaswantgarh	25,961.34		
339.	Project Officer C/o Ladu Ram	8,341.50		
340.	Smt.Bhanwari Devi	8,160.00		
341.	Shri jai Singh	7,137.20		
342.	Bangar College Hostel, Deedwana	6,481.49	old outstanding not depositing. Current payment made by party regularly.	
343.	Rest House, PWD.	5,795.94	Old outstanding since long. M.R. statement of O/S given to AEN, PWD but no response.	
344.	Chairman, M.B., Deedwana	135223.48	Current payment plus Rs.500/-as instalments is being paid every month.	

1	2	3	4
345.	N.Railway	8,181.96	Old arears not paid but current payment is done regularly. Lot of correspondence done but no response.
346.	N.Railway	10,798.79	
347.	N.Railway	5,038.47	
348.	AEN PHED, Deedwana	6,816.42	Current bills are paid regularly but arears not deposited by AEN PHED. Details of outstanding has been supplied but no action is taken.
349.	-do-	66,800.55	
350.	-do-	41,887.66	
351.	-do-	42,703.15	
352.	-do-	1,06,484.48	
353.	Jai comml.Udyog	6,085.36	D.C. on 4.5.83
354.	Bharat Khanij Udyog	8,310.20	M.R.Notice served under EDR for payment but party not traceable.
355.	Hussain Khan, Runwa	6, 97.87	D.C. on 23.1.82
356.	Tulsi Ram	6.421.97	D.C. on 20.11.82
357.	Ghisa Ram	6,336.00	-do-
358.	Bhanwar Singh	8,941.39	-do-(Case pending with XEN)
359.	Harish, Peerwa	6,571.39	M.R.since long.
360.	Umed Singh	5,999 50	DC on 23.11.82
361.	Dharu Lal	9,052.81	MR since long.
362.	Bhur Singh	12,881.70	DC on 22.11.82
363.	Rahim Khan, Khunkrana	5,763.20	DC on 19.11:82
364.	Fatu Khan	6,458.89	-do-
365.	Sadique	5,314.40	—
366.	Ismail Khan	8,245.00	DC on 4.5.83. Party failed to deposit the instalmens allowed by XEN Nagaur.
367.	Tej Singh	14,398.58	D.C. on 26.11.82.
368.	Padam Singh	11,424.86	D.C. on 27.11.28. Average charge case pending with XEN
369.	Trilok Singh	12,458.61	—
370.	Shivji Ram	12,969 97	M.R. since iong
371.	Prem Raj	6,634.63	M.R.

1	2		3	4
372.	Mehra Ram	8,540.00	Patry deposits current dues. Appeal made to Dy.CE Jaipur.	
373.	Shanker Lal	5,405.88	D.C. on 7.5.83	
374.	Kank Singh	7,375.21	M.R. on old outstanding.	
375.	Amer Singh	5,358.60	D.C. on 7.5.83	
376.	Dhanna Ram	6,009.10	D.C. on 4.5.83.	
377.	Mobm Singh	7,359.00	M.R.since long	
378.	Ganesha Ram	6,839.11	-do-	
379.	S.S.Sadu	6,426.28	-do-	
380.	Chandra Puri	5,079.55	-do-	
381.	Ramu Ram	5,384.10	Appeal made to CE (O&M) for disputed outstanding.	
482'	Chadra Ram	5,384.10	—	
383.	Kesari Singh	7,684.58	—	
384.	Dula Ram	10,169.10	DC in Nov., 1982.	
385.	Ladu Ram	8,819.90	-do-	
386.	Heeram	16,236.18	M.R.	
387.	Gaffar/Asraf Khan	5,177.59	M.R.	
388.	Sugan Singh	13,240.00	M.R.	
389.	Shiv Narain	5,835.00	D.C. on 4.5.83.	
390.	Project Office, Nunwa	5,488.20	D.C. on 4.5.83.	
391.	Mohan Ram	6,392.19	M.R.	
392.	Ladu Ram	5,517.82	D.C. on 24.1.83.	
393.	Pooran Dass	7,728.75	-do-	
394.	Kaloo Ram	13,041.80	M.R.	
395.	Smt. Ucchab Kanwar	11,806.05	M.R.	
396.	Sh. Bhagirath Singh	12,012.49	D.C. on 24.1.83	
397.	Gogaram	6,448.83	M.R.	
398.	Ramuram	6,264.54	M.R.	
399.	Poosa Ram	10,442.85	D.C. on 24.1.83	
400.	Narir Khan	10,037.71	M.R.	
401.	Chotu Singh	5,605.00	M.R.	
402.	Bhanwar Singh	5,693.40	M.R.	
403.	Ramuram	5,050.30	D.C. on 24.1.83	
404.	Khiv Singh	10,033.02	-do-	
405.	Arjun Singh	6,549.85	M.R.	
406.	Chena Ram	7,949.72	M.R.	
407.	Sukha Ram	5,794.08	D.C. on 4.5.1983.	

401

O&M-Division, Alwar : Statement showing the outstanding dues Rs. 5000/- or more against Consumers as on 31-3-83 of Alwar Circle.

S. No.	Name of Consumer	A/C No.	Category	Outstanding
1.	2.	3.	4.	5.
1.	M/s. Laxmi Steel & Rolling Mills	HT-6	HT	59,390.20
2.	„ National Air Product	HT-24	„	82,09,508.01
3.	„ Kishna & Co.	HT-27	„	1,19,577.54
4.	„ Sunil Synchema	HT-28	„	24,000.00
5.	„ Jain Sons Steel	HT-32	„	41,830.04
6.	„ Paliwal Mini Stesl	HT-33	„	8,00,000.00
7.	„ Rathi Alloys & Steel	HT-36	„	1,49,298.30
8.	„ Amolak Engineering	HT-38	„	1,08,941.19
9.	„ Swadeshi Malt	HT-40	„	1,37,382.38
10.	„ Modern Synthic	HT-41	„	8,688.04
11.	„ Alwar Rolling Mills	HT-45	„	68,424.98
12.	„ Bharat Aluminium Ltd.	HT-47	„	8,654.17
13.	„ Kanodiya Straw Board	HT-49	„	40,000.00
14.	„ Saraf Paper Mills	HT-60	„	5,70,655.73
15.	„ Modern suitings	HT-61	„	23,990.99
16.	„ Bharat Ispat Udyog	HT-80	„	1,68,340.62
17.	„ Rathi Alloys	HT-91	„	6,34,410.89
18.	„ Jai Bharat Oil Mills	KTL/HT-8	„	1,63,447.00
19.	„ General Manager, Raj. Kriya Vikria Sangh	AWR/D/MP/1	Medium Ind.	6,881.75
20.	„ Sharma Industries	„ 8	„	6,175.38
21.	„ Dinesh & Co.	„ 10	„	16,580.33
22.	„ Bajrang Lal	„ 15	„	41,942.34
23.	„ Bhagwandas	„ 21	„	17,454.24
24.	„ Narendra Metal	„ 27	„	12,105.89
25.	„ Gopal Mineral	AWR/DD/MP/1	„	5,451.00
26.	„ Shanker Ice Factory	„ 3	„	20,856.00
27.	„ Vijay Ice Factory	„ 5	„	20,263.64
28.	„ Pooran Chand Budha Ram	KTL/49/10	Agr.	5,097.52

1	2	3	4	5
29.	M/s. Mala Singh	RK/3	Agr.	6,553.69
30.	,, Mehtab Singh	RK/5	,,	7,189.41
31.	,, Man Singh	RB/1	,,	6,739.14
32.	,, Bachan Singh	BS/7	,,	9,900.00
33.	,, Murli	75/10	,,	5,756.02
34.	,, Ram Sahai Malakhana	1-8-57	,,	5,789.30
35.	,, Lala Ram	Lili/69	,,	7,206.92
36.	,, Bihari Lal	PP/21	,,	8,873.30
37.	,, President M. B. Alwar	3A-165-i	Street Light	10,677.00
38.	,, -do-	10A-49	,,	9,827.20
39.	,, -do-	2H-212-H	,,	55,086.31
40.	,, -do-	2H-2276-2	,,	8,163.34
41.	,, Manager New Tej	3-13-593	NDS LT-2	27,408.18
42.	Shri Gopal Das & Sons	2B-393	,,	5,458.18
43.	,, Alwar Paint & Colour	8B-301	,,	11,182.83
44.	,, Arjun Singh Nahar Singh	Sahodi/7	Agr.	5,337.00
45.	,, Hans Raj	D-13	,,	5,200.70
46,	,, Malkhan	T-27	,,	9,006.24
47.	,, Ram Kishore	T.27.5	,,	11,291.23
48.	,, Chahat Devi Singh	N-1	,,	6,098.60
49.	,, Ganga Singh	Dhool/5	,,	5,336.01
50.	,, Arjun Singh	Dhool/3	,,	10,091.69
51.	M/s. Keshir Textile	MP/87	Med. Ind.	8.617.98
52.	,, Nat·onal Gum Factory	MP/5	,,	6,226·13
53.	,, Krishna Oil Mills	8C/287.5	,,	9,771.67
54.	,, Jai Hanuman Oil Mills	8C/806.1	,,	10,428.56
	SMALL INDUSTRIES CONSUMERS			
55.	M/s. Vijai Electric Lamps	Sp/11	Small power	8,699.50
56.	,, Hindustan Cement Tiles	Sp/13	,,	7,775.51
57.	,, P. V. C. Plastic Ind.	2H/2258-1	,,	5,837.82
58.	AEN(Water Works) Alwar	IC/648-1	,,	26,479.60
59.	-do-	8A/247-5	,,	8,734.25
60.	M/s. Pooran Mal Gopal	6C/826	,,	6,372.78
61.	,, Rameshwar Dayal	8B/393-2	,,	6,484.83
62.	,, Sanjai Dal Mills	8B/498-1	,,	4,663.64
63.	,, Raath Flour Mills	Majars/41/82	,,	4,896.80

1	2	3	4	5
64.	M/s. Tulshi Ram Mahhasi Lal	Prithipma/ BNS/SP-2	,,	5,994.38
65.	., Puroshi Plastic	KTL/SP/67	,,	9, 50.00
	AGRICULTURE CONSUMERS			
66.	Sh. Narain Moti lal		Agr.	5,036,10
67.	,, Laxmi Shankar			9,257.45
68.	,, Sardar Barbans Singh			13,019.93
69.	M/s. Ram Narain & Bros.			27,488.00
				27,710.26
70.	,, Northern Electricals			5,498.00
				1,349.49
71.	,, Katta Chemicals			13,908.30
72.	,, Vinay Glass			16,468.91
73.	,, RIMCO			13,112.35
74.	,, Suresh Cement Pipes			6,465.56
75.	,, Maleable casting Industries			5,693.91
76.	,, Atrul Krishna Murari			8,392.75
77.	,, Mineral Industries			6,047.35
78.	,, Bansal Paper Pvt. Ltd.			5,259.84
79.	,, Opik Industries			7,065.00
80.	,, Bharat Leather Industries			10,593.04
81.	,, Bharat Leather Works			6,232.00
82.	,, Murlidhar Har Pd.			41,535.68
83.	,, Pratap Oil Mills			10,616.00
84.	,, Amar Mineral & Paints			7,498.39
85.	,, Newai Electricals			5,467.00
86.	,, Chetak Industries			6,838.96
87.	,, Bhagwat Poly Plask Pvt. Ltd.			7,176.00
	MEDIUM INDUSTRIS			
	TIJARA-I SUB-DIV.			
1.	Vishnu Ice Factory			5,396.31
2.	Super Tools			6,897.28
3.	Praveen Industries			7,981.18
4.	-do-			6,500.65
5.	Sethi Metals			12,597.99
6.	Sandeep Ind.			8,331.63
7.	Sanju Krishi Yantralaya			14,025.81

1	2	3	4	5
8.	Advace Lubricant			28,624.23
9.	Roop wires			5,925·65
10.	Indian Cables			18,097.10
11.	Jamboo Cables			6,025.50
	LAXMANGARH SUB-DIV.			
1.	AEN, PHED, Mauzpur			13,187.00
2.	-do- Chimrawali			39,921.49
3.	Santosh Indu. Oil Mill			9,479.42
4.	Municjpal Board, Kherli			21,455.51
	RAJGARH SUB-DIV.			
1.	Yaspal Harbans Lal			11,602.87
	REC DIVISION BHARATPUR NADBAI SUB DIV.			
1.	M/s. P. B. Industries			54,245.00
2.	M/s. Khemchand Jain			19,942.80
3.	-do-			8,368.33
	NAGAR SUB-DIV.			
1.	M/s. Mahavir Floor Mills			38,365.51
2.	M/s. Nawal Kishore Mittal			4,936.52
	RAJAKHERA SUB-DIV.			
1.	Sh. Hardayal/Gyasi Ram			5,269.80
2.	,, Betal Singh/Tula Ram			7,103.76
3.	,, Mohan Singh/Thakurdas			5,696.90
4.	,, Devi Singh/Ramdayal			7,493.99
5.	,, Surajmal/Budhasingh			9,501.47
6.	,, Jai Singh/Ram Singh			5,940.45
7.	,, Mahaveer/Sadilal			5,245.00
8.	,, Narayan Singh/Radhakishan			9,746.00
9.	,, Kali Charn/Bhogiram			17,851.49
10.	,, Murarilal/Radha Raman			6,671.88
11.	,, Chhitarmal/Budharam			8,117.07
12.	,, Jas Ram/Daulat Ram			6,239.77
13.	,, Joharilal/Har Pd.			7, 01.06
14.	,, Badle/Sukhram			5,440.85
15.	,, Mewaram/Srichand			12,255.89

405

1	2	3	4	5
16.	Sh. Karansingh/Sri Chand			5,984.16
17.	,, Ramdeen/Khem Karan			5,401.92
18.	,, Mararilal/Raghunandan			7,601.06
19.	,, Badariya/Sri Chand			6,891.62
20.	,, Pyare Lal/Hira Lal			10,178.68
21.	,, Mohan Singh/Devisingh			6,540.64
22.	,, Ramesh Chand/Chhotey Lal			8,039.59
23.	,, Tuhi Ram/Ram Ratan			5,307.01
24.	,, Har Bilash/Ganesh			6740.60
35.	,, Narayan Singh/Ram Swaroop			8152.34
26.	,, Ramsingh/Bhimsingh			5883.34
27.	,, Nathi/Liladhar			7769.97
28.	,, Rajwati W/O Sri Chand			5355.97
29.	,, Mangal/Hubb Lal			6456.73
30.	,, Bhoju/Sukh Ram			10444.07
31.	,, Devi Ram/Khumeni			12520.51
32.	,, Manak Chand			12770.34
33.	,, Prem Singh/Pati Ram			11819.36
34.	,, Badan Singh/Bhojraj			11838.36

(REC) DIVISION BHARATPUR

1.	The AEN RGWD Rajakhera	5571.30
2.	The M.B, Rajakhera	15001.98
3.	Sh. Mahesh Bachchumal	7431.13
4.	Sh. Girraj Kaur	7187.45
5.	Sh. Shyam	7300.39
6.	Sh. Fateh singh	5502.48
7.	Smt. Resham Kaur	6220.59
8.	Sh. Rajender singh	8040.48
9.	Furu Charan Singh	9661.20

(406)

1	2	3	4	5
10.	Bharat/Karan Singh			6184.35
11.	Gantoli/Shukh Ram			9653.22
12.	Jagat Singh			7908.84
13.	Dhurav Singh			8,332.44
14.	Smt. Girraj Kaur			7,155.45
15.	Sh. Sonpal			5273.54
16.	Sh. Parasadi			7912.38
17.	Sh. Johari Meena			6103.72
18.	Sh. Mangilal			7668.71
19.	Sh. Ramesh			7286.84
20.	Sh. Shyam Lal			13918.48
21.	The Sarpanch Gram Panchayat			6497.57
22.	Sh. Badri/Amarchand			14497.97
23.	Sarpandh, Gram Panchayat			5388.57
24.	S.H.O.			6940.32
25.	Sh. Phula Singh			6466.08
26.	Pathena Gram Panchayat			9130.79
27.	M.B. Bhusaawar			53880.44
28.	M.B. Weir			62968.66
29.	Sh. Nand Lal			5584.52
30.	Sh. Badri Singh			7208.08
31.	Smt. Meena Kumari			5870.00

(407)

LIST OF OUTSTANDING DUES MORE THAN Rs. 5000/-

S.No.	Name of Consumer.	Outstaning Dues.
1	2	3
1.	ALWAR (REC) DIVISION.	
	Rajgarh Sub-Division.	
1.	Municipal Board, Rajgarh.	2,09,330.24
2.	Ram Swaroop, Rajgarh.	6,505.75
3.	AEN W.W.Karoth	23,634.49
4.	-do-	6,504.30
	LAXMANGARH SUB-DIVISION.	
1.	Surpunch, G.P. Laxmangarh	12263.31
2.	-do-Kathumar	9869.79
	RAMGARH SUB-DIVISION	
1.	Sammi Khan Piprali	6331.94
2.	Kalayan Singh Nogaun	5044.90
3.	Laxman Ram Rajgarh	5041.90
4.	AEN W.W. Bahala	9171.92
	KISHANGARH BASS SUB-DIVISION.	
1.	Om Parkash Hunda Ram Tehnoli	5348.30
2.	Radhey Sham Sugan Chand Koha	8101.74
3.	Shiv Narain Radhep Sham Koha	6664.05
4.	Hasmal Dalbir Karoli	13087.60
5.	Smt. Ram Murti Lachhi Ram Kithur	18078.03
6.	Bachu Singh Roop Singh Santhali	8828.94
7.	Om Prakash Nagal hire	5806.99
8.	Sarwan Singh Harman Singh Jharkheda	14046.98
9.	Dalal Khan Abdullah, Sirmoli	5644.38
10.	Shankar Lal Kishore Lal Ribaka	7743.59
11.	Balbir Singh Bhajia, Bhazer	6036.77
12,	Sher Singh Sirmoli	6125.30
13.	Bhamboo Ram Mal Khan Ulabedi	5355.65

1	2	3
14.	Bagh Singh Bhabhad Meo, Chirkana	5093.25
15.	Mangtu Ram/Ramji Lal Mancha	5748.95
16.	Pooran Chand Jagdish	8453.28
17.	Buta Ram Gurdutta, Kishur	5123.21
18.	Desh Banhdu Udyog, Kishan Garh.	10438.41
19.	Bulla Nai Mawashi, Karoli	5093.25
	TIJARA SUB DIV	
1.	Agarwali Tools, I/A, Bhiwadi	5587.00
2.	P. Gano Chem. -do-	5252.00
	TIJARA—II SUB DIN.	
1.	Nagar Palika, Tijara	11155.50
	H.T. CONSUMERS	
1.	M/s. Saharan Pulp & Board	203144.50
2.	M/s. Ansat Plastic	210920.77
3.	M/s. Chetna Ply. Cots	29394.75
4.	M/s. Ajay Paper Mills	41332.23
5.	M/s. Buxi Steels	123716.52
6.	M/s. Aryawrat Plywood	18979.09
7.	M/s. Bansilal Paper Mill	132429 36
8.	M/s. Jai Surgical	30363.34
9.	M/s. Puttal Products	25344.55
10.	M/s. Mahaver Aluminium	183107.82
11.	M/s. Vikas Iudustries	6732.00
12.	M/s. Satsuwan Paper Mill	95951.16
13.	M/s. Hindusthan Copper Proj.	580402.60
14.	M/s. Hanuman Minerals	47783.52
15.	M/s. Hindusthan Copper Proj.	6582 87
16.	-do-	22423.36

७०९

Statement of Con-Having outstanding 5000/-& Above as on 31.3.1983 Executive Engineer: O&M: R.S.E.B., : Bharatpur.

S. N.	Name of the consumer	Account No.	Category	Outstanding as B.D.
1	2	3	4	5
1.	M/s Cimmco Wagon Factory BTP	ABC/HT/9	HT I	2,02,526.11
			II	3,40,298.05
2.	„ Hari Industries, BTP.	„ 10	„ I	19,324.70
			II	5,564.15
			III	5,961.13
3.	„ B.R. Oil Mills BTP.	„ 11	„	1,09,138.94
4.	„ Jai Genesh Ind. BTP.	„ 13	„	18,746.69
5.	„ Bharatpur Steel Roling	„ 15	„	85,620.19
6.	„ Supreme straw Product BTP	„ 18	„	51,180.70
7.	„ Ganpat Rolling & Flour Mill BTP.	„ 59	„	20,405.30
8.	„ Shaydri steel BTP	„ 20	„	11,53,780.84
9.	„ Gurunanak Steel Rolling Mills	„ 31	„	1,71,886.32
10.	„ Shail Kumari Sunder Ind.	„	„	16,148.62
11.	„ Amarchand Mahesh Chand	BTP/MP-3	M.P.	7,868.19
12.	„ Harish Chand s/o Raj Narain	„ —6	„	15,661.00
13.	„ R.S. Ind & Oil Mill BTP.	„ 18	„	17,368.40
14.	„ Sh. Kapoor Chand S/o Nathilal	„ 30	„	11,070.50

1	2	3	4	5
15.	M/s Prem Ind. & Oil Mill BTP/MP-3	38	MP	21,913.64
16.	M/s Promod Ice Factory. ,,	39	,,	5,867.70
17.	,, Parag Ind. ,,	41	,,	45,957.76
18.	,, Ram Bharoshi lal Kedarnath ,,	58	,,	6,532.89
19.	,, Madan lal oil Mill. ,,	1/1/4	,,	16,830.45
20.	,, Parag Ind. ,,	1/1/11	,,	35,328.36
21.	Railway Station, Bayana ,,	1/1/8	Mixed load	39,137.63
22.	The Chairman M.B. Bayana ,,	1/8/243	Street light	30,201.63
23.	M/s P. K. Ind. ,,	1/1/122–3		15,849.24
24.	,, Shah construction co. srgara. ,,	121/3/1/19P	IP	16,828.30
25.	– do ,,	1G/3/1/29P	,,	9,243.50
26.	M/s Prakash Oil Ind. ,,	1/1/176-1	NDS	11,659.82
27.	Shankar lal Badri Pd. ,,	1/1/126	—	5,122.00
28.	The Milan Talies, Bayana ,,	1/1/124-4	NDS	4,816.80
29.	Shri Gopiram Surpanch. ,,	1/G/1/3/Ag.	Ag.	5,[illegible]9[illegible].29
30.	,, Ram Pd. Singhal ,,	1/G/3/12-3	,,	7,249.45
31.	,, Bhoop singh ,,	1/G/3/22	,,	6,347.88
32.	,, Shanti Swaroop. ,,	1/G/9/37	,,	5,792.62
33.	,, Nirottam Kishore ,,	1/G/9/24	,,	6,566.32
34.	,, Babu lal S/o Sivliram ,,	1/G/3/33 IP	IP	5,802.70
35.	,, Jai Shiv lal Nemichand ,,	1/1/247	IP	6,730.85
36.	,, Adbishasi Adikari MB Deeg. ,,	1-1/S.L.	S.L.	2,54,518.65
37.	,, Ramesh chand Agrwal ,,	DGMP/20	MP.	20,062.81
38.	M/s Khandelwal Ice Factory. ,,	2/1/MIP	MP	93,461.14
39.	,, Chaudhari Dal Udyog ,,	3/1/MP	,,	23,228.18

(411) (~~411~~)

1	2	3	4	5
40.	Sh Gajendra Ind. Deeg. BTP/MP-3	1/4/MP	MP	5,315.98
41.	,, Budha lal Rati Ram ,,	3/1/121	Ag.	5,559.54
42.	Sh. Vishan lal Chittermal ,,	10/9/8Ag.	,,	5,542.41
43.	,, Raja Man singh, MLA ,,	1/1/108	,,	5,874.30
44.	,, -do- ,,	1/1/109	,,	6,430.10
45.	,, Ram Baba Paliwal Deeg ,,	1/4/2	,,	6,429.28
46.	,, Udai Raj. ,,	5/1/55	,,	5,619.42
47.	,, Pati Ram ,,	5/1/58	,,	5,232.63
48.	,, Damodar ,,	5/1/122	,,	7,961.08
49.	,, Ajmeri singh ,,	5/1/126	,,	5,566.29
50.	,, Bhagwan singh ,,	5/1/133	,,	5,255.93
51.	,, Karan singh ,,	5/1/178	,,	7,847.10
52.	Shri Onkajiya ,,	5/1/179	Ag.	7,773.10
53.	,, Chandu singh ,,	5/1/185	,,	7,163.56
54.	,, Badariya ,,	5/1/193	,,	7,089.30
55.	,, Ram ,,	5/1/99	,,	6,778.60
56.	,, Teeka ram ,,	5/1/201	,,	8,744.14
57.	,, Kishan lal ,,	5/1/208/1	,,	5,614.73
58.	,, Nacholi ,,	5/1/224	,,	6,977.40
59.	,, Moti lal ,,	5/1/226	,,	6,743.02
60.	,, Rajaram ,,	5/1/229	,,	5,781.82
61	,, Devi ram ,,	5/1/273	,,	9,343.87
62.	,, Gyashilal ,,	5/1/275	,,	5,415.80
63.	,, Suresh chand ,,	5/a/G275/1	,,	6,156.46
64.	,, Jajjit Singh ,,	5/1/279	,,	5,738.00
65.	,, Shiv Chanlal ,,	5/1/296	,,	5,781.40
66.	,, Purshotam das ,,	5/1/269	S.P.	9,179.10
67.	,, Ram Baboo ,,	1/7/154	MP	5,035.21

1	2	3	4	5
68.	Sh Govind Gopal Singh	BTP/MP-3	6/1/131 Ag.	5,883.62
69.	„ Bhagwan goyal Dal Mills	„	1/9/173/1 SP	7,115.96
70.	„ Jagan Elec. Buld Ind.	„	1/9/150/2 „	6,883.17
71.	„ Ram Bharoshilal	„	1/9/173/2 „	22,955.30
72.	„ Rameshwar dayal	„	1/9/274 SP	8,180.26
73.	„ Mager Raj Tabis	„	1/9/121/1 ML	6,463.15
74.	„ Street Light Dholpur	„	1/9/264 SP	5,34,365.84
75.	„ Vinod Kumar	„	2/4/54 „	6,111.63
76.	M/s Radha Raman	„	2/4/136/1 „	6,845.09
77.	„ Dalmiya Dairy Ind.	„	3/1/218 „	11,056.04
78.	„ Smt. Leela Sharma	„	1/8/305/1 MP	23,076.34
79.	„ Hazari lal	„	2/3/35 MP	23,375.36
80.	„ Mangla Patel	„	2/3/345 Ag.	8,105.40
81.	„ Street Light Bari	„	2/3/66 STC	9[illegible],877.79
82.	Sh. Mohan Singh	AG/BCH/2	Ag.	6,319.24
83.	„ Siya Ram	AG/NOH/5	„	6,647.15
84.	„ Mishri	AG/NOH/8	„	7,595.13
85.	„ Sodharam	AG/2	„	10,642.16
86.	AEN (RUWD) Rajakheara.			14,283.17
87.	—do—			4,616,50
88.	—do—			4,154.00
89.	—do—			4,472.08
90.	—bo—			7,144.91
91.	—do—			4,860.50
92:	—do—			11,514.50
93.	—do—			10,323.61

(५७३)

List of outstanding more then Rs. 5000/-
As on 31st March, 1983

S. No.	Name of consumer	Amount
1	2	3
1.	M/s Biral Cement Works, Chittorgarh	24,36,000/—
2.	M/s J. K. Cement Works, Nimbahera	11,53,000/—
3.	M/s. Mehta Vegetable, Chittorgarh	63,000/—
4.	M/s. Mewar Textile Mills, Bhilwara	3,90,000/—
5.	M/s. Modern Woolen Mills, Bhilwara	8,500/—
6.	M/s Sunil Textile Mill, Bhilwara	5,600/—
7.	M/s Raj. Spig. Mill, Bhilwara	65,000/—
		81,500/—
8.	M/s Rajasthan Co-operative Mill, Gulabpura	11,600/—
9.	M/s Modern Thread, Raila	1,68,200/—
10.	M/s Deepak Oil Mill, Bhilwara	25,000/—
11.	M/s Ashok Sugar Mills, Potlan	22 000/—
12.	M/s Akling Cotton Factory, Gangapur	14,000/—
13.	M/s Bhilwara Textile, Bhilwara	14,000/—
14.	M/s Raj. Khandsari Sugar Mills, Mandal	2,53,700/—
15.	M/s Ladu Mal Raj Mal	8,000/—
16.	M/s Ganesh Spining Mills	8,403/—
17.	M/s Shyam Plastics	10,000/—
18.	M/s Santosh Ghee Factory	8,000/—
19.	Shri Ganpat Singh	6,000/—
20.	M/s Shri Ram Sugar Mill, Jahajpur	54,400/—
21.	Sarpanch, Hurda	6,000/—
22.	M/s Shri Ram Udyog, Hurda	21,800/—

1	2	3
23.	M/s Bhagwan Sugar Mills	13,000/—
24.	M/s Agarwal Mineral Mill	13,000/—
25.	M/s Kamla Sugar Industry	66,000/—
26.	M/s Municipal Board, Kapasan	26,000/—
27.	M/s Municipal Board, Gangapur	16,000/—
28.	M/s Municipal Board, Badi Sadri	9,000/—
29.	M/s Maha Laxmi Oil Mill	10,700/—
30.	M/s Pratap Sugar Industry	29,700/—
31.	M/s Lift Irrigation, Pratapgarh	10,400/—
32.	M/s Ram Niwal/Ram Kunwar, Gangapur	8,400/—
33.	M/s Shrimati Kamal Devi, Gangapur	6,100/—
34.	M/s Laxmi Cotton Ginning, Gangapur	5,800/—
35.	M/s Mahadeo Laxmi Sugar Factory, crekarda	29,500/—
36.	M/s Sharma Mining Corporation (West)	6,200/—
37.	M/s Rai Bahadur Ram Prasad (West)	7,000/—
38.	M/s Bo' Mal Bhuraibal (West)	7,000/—
39.	M/s P.K. Food, Bhilwara	10,000/—
40.	M/s Giriraj Papers	7,000/—
41.	Shri Vijay Singh	7,600/—
42.	M/s Mayur Crossing Mill (West)	6,600/—
43.	M/s Sharma Grinding (West)	6,900/—
44.	M/s Char Bhuja Ice Factory, Begun	7,800/—
45.	M/s Mughal Marbles & Mineral, Chittor	8,800/—
46.	M/s P.H.E.D., Man Kotri	10,000/—
47.	M/s P.H.E.D., Mandalgarh	7,500/—
48.	M/s P.H.E.D., Pander	12,000/—

415

List of outstanding Rs. 5,000 - and bove against the various consumers as on 31.3. 1983 Bikaner circle.

S. No.	Name of consumer	Amount
1	2	3
	Ratangarh Sub-Divison	
1.	Sh./Ms. Municipal Board, Chhaper.	65533.02
2.	Sh. –do–	76996.82
3.	Sh. –do– Sujangarh.	34737.64
4.	Sh. –do– Bidasar.	53791.50
5.	Sb. –do– —do—	34476.28
6.	Sh. –do– —do—	27980.75
7.	Sh. –do– Sujangarh	15555.95
8.	Sh. –do– —do—	13311.65
9.	Sh. Bheru Singh Sandwa	6610.15
10.	Sh. Uttam Singh	9087.39
11.	Sh. Sarpanch Grampanchyat, Sandwa	5934.16
12.	Sh. Bikaner stone	14930.55
13.	Sh. Kaneya lal, Sardarshahar.	9411.50
14.	Sh. Chairman M.B. –do–	61036.20
15.	Sh. Umaram Megwal	7750.68
16.	Sh. Incharge Hospital	11310.01
17.	Sh. Navbharat Dal Mill	28635.44
18.	Sh. Hind Briks Proc.	10720.20
19.	Sh. AEN (PHED)	9901.70
20.	Sh. New Krishna Gum Ind.	88428.67
21.	Sh. National Refind Dal & Powder Mill	64807.27
22.	Nevla Ram Duli chand Dal Mill.	53062.51
23.	Sh. Narain Udhyog	58640.11
24.	Sh. Navdeep Gum Ind.	118468.13
25.	Sh. New Laxmi Gum Ind.	49136.01
26.	Sh. Jaichand lal Mal Chand	6303.04

1	2	3
27.	Sh. AEN (WW).	7033.51
28.	Sh. -do-	6419.52
29.	Sh. Chairman, Municipal Board.	10003.50
30.	Sh. —do—	9165.16
	Churu Sub-Division	
1.	Sh./M/s. Municipal Board,	473703.23
2.	„ AEN (PWD).	5537.26
3.	„ Alladdin Baddru Din.	5018.18
4.	„ M.B. Churu. (Ratangarh).	19412.91
5.	„ Hari Ram Tiku Ram	6375.24
6.	„ Mani Ram Net Ram	6297.14
7.	„ Raj. Plastic Work.	16356.20
8.	„ Radha Gum Factory.	92562.66
9.	„ Agrwal Gum Fac.	70494.13
10.	„ Gograj	8399.00
11.	„ AEN (WW)	5152.57
12.	Hari Singh Bheru Singh	10563.60
	Sadulpur Sub-Division	
13.	Prahlad Rai	13785.95
14.	Sheyam lal	6581.20
15.	„ Ganga Singh	8524.67
16.	„ —do—	10420.27
17.	„ Vidhyarthi Asharam	11473.54
18.	„ Natraj Ind.	6875.28
19.	„ Municipality.	107976.68
20.	„ Ram Kumar.	7130.99
21.	„ Pokar mal Saravagi.	5087.40
22.	„ Bhawan Floor Mill.	14045.37
23.	„ Ganga Devi Rajgeria.	5449.00
24.	„ Vidhyadhar Bhargava	8627.93

1	2	3
35,	Sh. Durga Ice Factory	6561.16
26,	„ Rameshver Lal	6472.97
27.	„ AEN (WW)	21236.96
28,	„ —do—	17374.40
29,	„ —do—	8902.03
30,	„ —do—	9090.18
31,	„ —do—	12548.80
32,	„ —do—	10159.31
33,	„ —do—	9222.87
34,	„ —do—	9507.86
35,	„ —do —	10072.49
36,	„ —do—	7864.50
37,	„ —do—	7374.98
38,	„ —do—	7984.32
	Ganganagar Sub-Division :	
1.	Sh. Ravindra kumar	7272.90
2.	„ Baldev Raj	9280.42
3.	„ Ripudan Singh	8052.58
4.	„ Prithvi Raj	7861.20
5.	„ Balveer Singh	5875.47
6.	„ Chand Singh	5540.20
7.	„ Moola Ram 5586.20	5486.10
8.	„ Bhagirath	5284.20
9.	„ Sahi Ram	9455.31
10.	„ Ram Chandra	8994.08
11.	„ Dash Raj	7376.57

Page No. 420

418

1	2	3
12.	Sh. Phool Nath	6215.96
13.	,, Hajari Lal	9249.38
14.	,, Sukh Ram	6766.61
15.	,, Hanuman Singh	5613.18
16.	,, Jivan Ram	10376.35
17.	,, Jasvant Singh	5106.81
18.	,, Deda Ram	8681.06
19.	,, Khajan Chand	5647.65
20.	,, Hakam Singh	9683.58
21.	,, Dayal Singh	5793.43
22.	,, Ravi Dutt	8962.25
23.	,, Daulat Ram	6131.10
24.	,, Ram Chandra	5923.16
25.	,, Bhara Ram	5278.51
26.	,, Mohan Lal	5664.84
27.	,, Buda Ram	7718.41
28.	,, Pat Ram	11042.49
29.	,, Hrnak Singh	6218.67
30.	,, Khem Chand	5665.30
31.	,, Lekh Ram	9190.00
32.	,, Bhajan Lal	5049.75
33.	,, Siv Prakash	7180.04
34.	,, Devi Lal	12257.30
35.	,, Kashi Ram	5788.90
36.	,, Railway Electric Charman	32032.28
37.	,, Bhandar Supdt.	10664.52

1	2	3
38.	Sh. AEN.	11149.05
39.	„ Wather Works	241246.62
40.	„ Municipal Board	26715.60
41.	„ Firi Bugaea	25346.80
42.	„ Harijan Colony.	9670.40
43.	„ M/s. U.I.T.	5508.80
44.	„ Jaahanhar Akhar.	21072.00
45.	„ SRG. Fertilizer.	66825.12
46.	„ Ganganagar Ind. I.	233503.37
47.	„ —do.— II.	27416.94
48.	„ Ganesh Oil & Gum Mill.	210394.45
49.	„ Gupta Roller & Iron Mill.	651648.08
50.	„ Hanuman Dass.	43455.05
51.	„ Heera Nand.	187137.62
52.	„ M. S. Jhanwarmal	80864.17
53.	„ M. S, Raj cotton Press.	198903.15
54.	„ Shanti Gum Mill	204968.24
55.	„ Kishna Cotton Fac.	185929.82
56.	„ Panjab Oill Mill	280521.73
57.	„ Raj Industries	13873.57
58.	„ M. S. Raj. Froot.	5360.24
59.	„ Dasnecj Ind.	10000.00
60.	„ Admi. M. B.	11860.93
61.	„ M Sarawali Udhyog.	7048.43
62.	„ Choudhary Ice Cream	6143.69
63.	„ Payare Lal	8396.06
64.	„ Naresh Ind. Corpn.	42273.00

1	2	3
65.	Sh. Deengrath	23190.64
66.	„ Jagdish Pd.	6030.00
67.	„ Agrwal Store.	15700.00
68.	„ K. K. Ice Cream Fac.	14778.45
69.	„ Shri Chag Ram	20825.10
70.	„ Jajwal Singh	7345.50
71.	„ Ladu Ram	7384.60
72.	„ Sadul Singh	5455.40
73.	„ Shri Ram Chand.	5931.90
74.	„ Sukhdev Singh	14807.25
75.	„ Lal Chand	12349.96
	H4NUMANGARH :	
1.	Sh. Pyara Lal	5280.00
2.	„ Kani Ram	7674.65
3.	„ Kesari Singh	19244.30
4.	„ Bridh Singh	30759.30
5.	„ Nihal Kour	26213.21
6.	„ Thakar Ram	22932.08
7.	„ Kulbushan Satin	32901.33
8.	„ Shiv Shakti Oil Mill	16184.71
9.	„ Prem Singh	10895.90
10.	„ Chawli Devi	6929.60
11.	„ Gupta Agro Industries.	22487.00
12.	„ Tota Singh	204020.00
13.	„ E. O. M. Board	136763.63
14.	„ Dhala Ram	5638.40

1	2	3
15.	Sh. Medical officer	6269.64
16.	„ XEN (RCP).	259976.48
17.	„ Suraigarh Cotton G. Fac.	136614.75
18.	„ General Manager, Csp.	421241.48
19.	„ E. O. M. Board.	86382.21
20.	„ —do—	22410.92
21.	„ Arya Takies	22546.10
22.	„ Surender Kr.	10916.51
23.	„ Commandent, 12 BSF	11941.20
24.	„ —do—	18240.42
25.	„ Jakham Barak Quarter.	33271.29
26.	„ Jagdish	5392.00
27.	„ Sumer Singh	5128.00
28.	„ Manful Singh	24752.58
29.	„ Ramjas	11363.00
30.	„ Rajender Singh	20409.38
31.	„ Hemal Singn	8629.90
32.	„ Surender Singh	7157.24
33.	„ Vijender Singh	5334.62
34.	„ Raja Ram	7015.27
35.	„ Lal Chand	6962.56
36.	„ Jhanjhu	6396.10
37.	„ Balbir Devi	13641.84
38.	„ Kamla Devi	17128.50
39.	„ Jot Ram	22577.85
40.	„ Durjan Singh	8061.90

422

1	2	3
41.	Sh. Jaswant Singh	6378.93
42.	„ Surjeet Singh	12430.79
43.	„ Ram Chandra	5947.40
44.	„ Satey Narain	5,422.63
45.	„ Teja Singh	8899.32
46.	„ Surjeet Singh	9041.12
47.	„ Gurjant Singh	17242.06
48.	„ Vajeer Singh	6639.74
49.	„ Changeer Singh	17186.87
50.	„ Gurmel Singh	21518.66
51.	„ Kaur Singh	7212.77
52.	Smt. Ouman Kaur	9507.15
53.	Sh. Shiv Dan Singh	9128.59
54.	„ Chandra Singh	22030.57
55.	Smt. Santosh Kaur.	20285.43
56.	„ Devi Singh	6067.16
57.	„ Jagdish Singh	7255.70
58.	„ Arjun Singh	12594.42
59.	„ Indraj Singh	8477.20
60.	„ Bhura Ram	10705.26
61.	„ Dhan Raj	5699.35
62.	„ Ram Chandra	13534.15
63.	„ Nathu Ram	7905.07
54.	„ Ram Sawaroop	12550.65
65.	„ Surender Kr.	15113.42
66.	„ Mehar Chand	11741.93

Page No. 425

(423)

1	2	3
67.	Sh. Sahib Ram	7659.30
68.	„ Ram Lal	13381.63
69.	„ Het Ram	6130.71
70.	„ Om Prakash	5221.89
71.	„ Daulat Ram	5131.47
72.	„ Indraj Singh	11966.33
73.	Smt. Saraswati Devi	8461.96
74.	Sh. Phoosa Ram	10419.00
75.	„ Om Praksh	5089.24
76.	„ Amar Singh	9940.85
77.	„ Surjan Kr.	6689.98
79.	„ N. RLY	225541.77
80.	„ Atma Ram	5245.05
81.	„ Municipal Board.	21639.91
82.	„ Jora Singh	7,000.00
83.	„ Bachan Singh	16095.40
84.	„ Kuleep Singh	12123.72
85.	„ Raj. Enterprises.	5000.00
86.	„ Nand Ram	13,103.11
87.	„ Katewa Cotton Fac.	34992.05
88.	„ Durga Rice	10841.80
89.	„ Murari Lal	7767.67
90.	„ —do—	11229.55
91.	„ Anand Theatar.	15611.20
92.	Smt. Surjeet Kaur.	30207.20
93.	M/s. Guroeyal Singh	14207.17
94.	Sh. Ram Pratap Shiv Ram	10374.28

(424)

1	2	3
95.	Sh. Trilok Singh	14026.62
96.	,, Rohd. Ishag	5573.16
97.	,, Amarnath Satyapal	10113.56
98.	,, Sohan Lal Chuni Lal	6630.32
99.	,, Birbal Ram Cheuni Lal	6159.00
100.	,, Pilibanga Ice Fac.	39094.66
101.	,, Birbal Ram Chuni Lal	8909.05
102.	,, Daleep Singh	13203.04
103.	,, Rajendra Singh	5073.75
104.	,, Peer Singh	15592.32
105.	,, Ranveer Singh	10507.73
106.	,, Kumbha Ram	13953.09
107.	,, Jagat Singh	8000.00
108.	,, Jagat Singh	16207.00
109.	,, Butt Singh	12566.41
110.	,, Drbara Singh	15505.97
111.	,, Jora Singh	8314.00
112.	,, Ashu Singh	34468.70
113.	,, Sohan Singh	111115.00
114.	,, Butta Singh	8668.38
	CHADRA SUB DIVISION :	
1.	Sh. Goyal Oill Mills.	5524.15
2.	,, Laxmi Dal Mill	15309.50
3.	,, Bhagwan Dass.	50522.63
4.	,, Nagar Palika	21210.81
5.	,, Northern Raly.	10378.62

1	2	3
6.	AEN (W/W)	72444.92
7.	Oil Factory.	31951.13
8.	Sh. Kuni Ram	15999.10
9.	Northern Raly.	150725.83
10.	,, Nagar Palika.	18304.84
11.	AEN (W/W).	49967.29
12.	Sh. Sadhu Ram	5818.96
13.	,, Har Shri Ram	5588.10
14.	,, Deva Ram	5235.63
15.	,, Amar Singh	10272.30
16.	,, Mehar Chand	15,268.66
17.	,, Pokar Ram	7251.12
18.	,, Hemi Raj	8740.44
19.	,, Heera Ram	10418.78
20.	Devi Ram	6240.72
21.	,, Bheru Ram	5542.88
22.	,, —do—	8146.60
23.	,, Nathu Ram	12626.73
24.	,, Duli Chand	5491.90
25.	,, Lal Chand	7490.60
26.	,, Hari Ram	9255.28
27.	,, Nathu Ram	5547.00
28.	,, Kuverpal Singh	10500.29

(426)

1	2	3
29.	Sh. Poonam Chand	10114.79
30.	,, Surja Ram	6935.50
31.	,, Moola Ram	5331.35
32.	,, Kishan Lal	6356.10
33.	,, Girdhari Lal	6967.20
34.	,, Ram Kishan	5226.74
35.	,, Pratap Singh	10482.30
36.	,, Prabhu Deyal	15775.83
37.	,, Jaswant Singh	6333·56
38.	,, Lal Chand	5774.60
39.	,, Asha Ram	6144.70
40.	,, Ram Krishna	12076.45
41.	,, Vishva Nath	7846.79
42.	,, Rameshvar Lal	8674.56
43.	,, Udami Ram	8921.20
44.	,, Vidhyadhar	8210.98
45.	Police Station	9150.48
46.	,, Krishna Hospital	10021.45
47.	,, —do—	9269.27
48.	,, Vishva Nath	5878.41
49.	,, AEN (Bhirkali)	36896.27
50.	,, Pat Ram	8300.35
51.	Smt. Sita Devi	6792.52

1	2	3
52.	Sh. Laxmi Chand	5491.60
53.	,, Prabhu Deyal	16199.14
54.	,, Ashoka Oill Mil	7894.97
55.	,, Shyam Sunder Vijai Kr.	10848.41
56.	,, AEN (WW).	16835.78
57.	,, Mahesh Floor Mill	5862.34
58.	,, Kishan Lal Modi	5599.99
59.	,, Shafi Mohd	7369.51
60.	,, Sukha Ram Lata	7844.21
61.	,, National Briks Mfg.	5027.00
62.	,, Prabhu Deyal	33951.91
63.	,, Lila Dhar	6440.71

DISTRIC DIVISION BIKANER

1.	Shri Anand Raj	7,301.78
2.	AEN Water Works, Ballabh Well	22,571.16
3.	AEN Water works, Jassusar well	4,848.08
4.	M/s Madhusadan Engg. Works	7,423.48
5.	Shri Gopi Kishan	8,163.97 M.R.
6.	,, Bal Kishan S/o Sh. Gaurikishan	7,516.50 M.R.
7.	Chairman, M. B (City)	65,404.72
8.	—do— Son Gariri	43,633.16
9.	—do— Ustabari	6,210.91
10.	—do— Goga Gate	37,605.13

428

1	2	3
11.	Chairman, M.B. (City) Goga Gate	18,428.58 M.R.
12.	—do— Goga Gate	4,913.65
13.	—do— Goga Gate	54,826.80
14.	—do— Goga Gate	10,684.26
15.	—do— Goga Gate	20,177.15
16.	Shri Shivratan S/o Sh. Chetan Das	5,100.00
17.	„ Khub Chand	6,081.95
18.	„ Satya Narain	8,042.75
19.	„ Shri	6,954.55
20.	AEN Water Works, Chautina	30,285.67
21.	„ Water Works, Pawarsar	16,724.69
22.	„ Water Works, Chandan Sagar	3,14,790.11
23.	Commender, 58 BSF	6,307.95
24.	Divisional Engineer, N.Rly.	5,326.41
25.	M/s Ram Woolen Mills	23,178.05
26.	„ Somani Woolen Mill	17,318.85
27.	„ Mahesh Oil Mills	41,750.00
28.	„ Shakti Roller Mills	77,174.24
29.	„ Modern Plaster Industry	5,808.98
30.	„ Jugal Kishore Gum Industries	5,110.30
31.	„ Ganpati Wollen Mills	13,852.76
32.	„ Agarwal Woolen Mills	20,938.93
33.	„ Shiv Shanker Minerals	12,847.00

1	2	3
34.	M/s. Gupta Nel Industry	28,393 61
35.	,, Shiv Chemical	14,590.62
36.	,, Mahaveer Cording	6,774.54
37.	,, Oriental Woolen Textile	8,298.11
38.	,, Kapur Potteries	10,560.17
39.	,, Mineral Griding Corporation	25,434.50
40.	,, AEN Water Works, Jail Well	64,629.72
41.	AEN Water Works, Jail Well	9,757.14
42.	Chairman M. B.	26,806.47
43.	Chairman, M. B.	36,691.87
44.	M/s India Woolen Industries	17,655.75
45.	,, Bikaner Ice Factory	5,752.43
46.	,, Bikaner Bothra Woolen Mills	8,291.55
47.	,, Sat Raj & Co	12,137.62
48.	Supdt., Khabagh Medical Wing.	28,135.43
49.	Principal, S. P. Medical College	5,445.52
50.	Principal, S. P. Medical College	5,446.44
51.	Principal, S. p. Medical College	5,634.05
52.	Divisional Engineer, N. Rly.	1,37,217.40
53.	Divisional Engineer, T.X.R. Office	35,739.64
54.	—do—	68,553.42
55.	President, Municipal Board	2,13,389.49
56.	Divisional Engineer, N.R. (W/S)	9,72,635.43

430

1	2	3	
57.	M/s Goyal Gum Industries	5,68,585.91	
58.	„ Pramod Gum Industries	2,58,213.35	
59.	Sarpanch, G.P., Napasar	19,150.20	D-III
60.	—do—	2,311.16	
61.	—do—	5231.64	
62.	Sarpanch, G P., Simatsar	4,480.40	
63.	Chairman, M.B., Nokha	40,219.78	
64.	—do—	6,428.63	
65.	—do— Deshnok	28,789.35	
66.	XEN, Deshnok	24,434.92	
67.	XEN, W.W., Palana	5,218.03	
68.	Jetha Ram Subhar, Nokha	7,352.15	
69.	Shri Mangaram Suthar	5,024.14	
70.	„ Abdul Latifar, Ridmalsar	12,464.29	
71.	„ Bal Kishan, Shiv Bedi	11,458.26	
72.	„ Baj Rang Lal, Nokha	5470.16	
73.	M/s Chandak Gum & Chemical, Nokha	42,339.30	
74.	„ Dedi Gum Industries	8,644.46	
75.	„ Chitra Rice & Cols Store, Bhinasar	51,759.75	
76.	„ Durgaram Industries, Nokha	21,373.81	
77.	President, Municipal Board.	42,791.78	
78.	D. E. T.	80,359.75	
79.	S. D. O. (M. E. S.)	15,001.72	
80.	AEN Water Works, Nabalsagar	5,025.38	
81.	President, M. B.	27,985.42	
82.	Secretary (H. H. Raj Mata)	5,947.67	
83.	S. D. O. (M. E. S.)	10,237.04	

1	2	3
84.	Shri Narendra Singh	12,326.92
85.	Control of H. H.	31,122.96
86.	Shri Narendra Singh	5,616.10
87.	Control of H. H.	7,861.87
88.	Sarpanch, Jaimalsar	5,051.55
89.	AEN, RCP, RD–888, Bajju	24,883.46
90.	AEN, RD-710	7,715.91
91.	AEN, RD-1120	23,900.00
92	AEN, W. W., Vijay Bhavtan	28,533.82
93.	Shri Dhokalal Chand	8,626.69
94.	Shri Satya Nirayan	5,307.37
95.	M/s Protes & Decorators Dist.	5,212.44
96.	,, Bharat Plastic (Dis)	7,431.00
97.	Shri Nand Kishore	5,987.46
98.	,, Dharni Dhar Well	9,931.76
99.	,, Duwarka Dass (Dis)	15,360.96
100.	,, Vishnu Dutt (Dis.)	8,633.17
101.	M/s Naresh Life Bouy, Bikaner	5,415.05
102.	Shri Ali mohd. Gajner (Dis)	13,285.36
103.	Kunwar Narendra Singh (Dis)	5,125.20
104.	M/s Prameshwari Works Mill	7,915.64
105.	M/s Surana Woolen Mill	6,294.52
106.	Shri Radhe Shyam Chandak	5,720.00
107.	Smt. Hazari Hussain	7,155.95
108.	S/s Mohan Trading Comyany	8,875.60
109.	Shri Magha Ram	5,024.24
110.	Sardanch, Gram Panchyat	5,898.94

432

CITY DIV. I
C-Zone—III

STATEMENT SHOWING DETAILED OUTSTANDING DUES AMOUNTING TO RS. ABOVE THAN Rs. 5000/

S. No.	Name of Consumer	HD	ED	Remarks
1	2	3	4	5
1.	Sunder Plastic	27,890.64	935.75	D.C.
2.	Electro Industry	32,776.92	608.36	—
3.	XEN (Munp)	43,795.00	3524.40	—
4.	Principal, Police Academy	48 774 90	5,011.90	—
5.	M/s. Vikram Cold Storage	704.68	43,818.08	Court Case
6.	M/s. R. K. Sathiji	—	1,23,609.86	-do-
7.	M's. Zahood Mal Sriniwas	19,836.48	453.19	Old D.C.
8.	M/s. Rajendra Plastic	12,652 83	110.80	-do-
9.	M/s. Kamani Engineering	27,11,904.73	—	Court Case
10.	-do-	96,375.62	—	-do-
11.	M/s. Ashoka Foundry	7,97,542.57	66.08	-do-
12.	M's. Ramnugar Cane & Sugar	2,48,681.88	—	-do-
13.	M/s. Assam Roller & Flour Mill	3,78,835.98	—	Burnt
14.	M/s. Hamraj Udyog	1,55,492.97	—	Court Case
15.	M/s. Laxmi Ind. Corp.	1,35,17 .23	2,793.15	-do-
16.	M/s. Jai Glaxo Ind.	32,002.59	262.08	-do-
17.	M/s. Ashoka Oil Ind.	38,889.35	—	-do-
18.	M/s. Premier Metals	29,317.98	999.60	-do-
19.	Principal, Police Academy	27,207.65	2,484.06	
20.	M/s. Hindustan Safety Glass Works	1,24,714.89	—	-do-
21.	M/s. Srikrishna Re-Rolling	87,268.61	—	-do-
22.	M/s. Raj. Industry	20,976.26	1,332.04	-do-

433

1	2	3	4	5
23.	M/s. Premier Vegetable Products	3,06,850.18	—	Court Case
24.	M/s. Ishwar Chunilal	26,546.47	—	-do-
25.	M/s. Jaipur Oil Product	12,709.11	—	-do-
26.	M/s. Sarva Mangla Roller & Flonr Mill	12,804.39	110.04	D.C.
27.	M/s. Hari Oil Mill P. Ltd.	30,096.45	674.08	Court case
28.	Sanghi Oxygen	37,389.14	—	-do-
29.	M/s. Premier Metal Unit	42,436.76	153.90	D.C.
30.	XEN	45,716.50	—	—
31.	M/s. Balabux Bhori Lal	8,784.92	10.68	D.C. Old
32.	M/s. Sharda Industry	4,946.10	175.24	-do-
33.	M/s. Sunder Sons	5,306.39	388.01	-do-
34.	M/s. Demienson Plastic	12,701.00	631.80	D.C.
36.	M/s. Kamal Mineral	5,863.94	471.48	—
35.	M/s. Pashu Pati Crasher	11,849.56	168.36	—
37.	M/s. Book Well Stone Crasher	14,484.00	1,225.80	Lock
38.	M/s. Jaipur Cables	5,479.79	733.02	—
39.	M/s. Phonex Xaran Stone Crasher	8,484.28	1,017.94	—
40.	XEN (PHED) MDG-3	15,970.20	2,056.80	—
41.	XEN (PHED) MDG-5	5,596.00	1,572.00	—
42.	M/s. A. B. Mico	8,732.44	—	Court case
43.	Principal, Police Academy	7,874.50	777.00	—
		57,11,442.88	1,96,318.57	59,07,761.45

OUTSTANDING UPTO MARCH, AGAINST SMALL SCALE INDUSTRIAL CONSUMERS.

JAIPUR CITY CIRCLE CITY DIV.—1

S. No.		Name of Consumer	Amount	Remarks
1		2	3	4
C-I	1.	X. En. Water Works	5,947.61	
	2.	The Depot Manager (Central Bus Stand), Roadways.	7,057.35	Cleared in June, 1983
	3.	X. En. Water Works	6,868.99	
	4.	X. En. Water Works	9,452.67	
	5.	X. En. P.H.E.D.	7,131.09	
	6.	X En. Water Works	8,337.70	
	7.	X. En. Water Works Pump No. 7	13,589 32	
	8.	X.En. CD-I Water Works	10,427.11	
	9.	X.En. G. E. MES. Welding House.	16,431.00	
	10.	do—Workshop	8,580.74	
			93,823.58	

PRIVATE BODIES

1.	Deepak Kumar S/o Hari Ram, Hathi Baboo Ka Bagh.	5,943.42	

Page No. 437

(435.)

1	2	3	4
2.	Smt. Bhanwari Devi W/o Nand Kishore, Plot No. 716, Meera Marg.	6,146.83	D.C. 17.9.82
3.	M/s. Laxmi Industries, 1-Baraph Khana Road.	5,738.33	
4.	M/s. Staywriter Manufacturing Prop. Shri Mohan Lal Joshi, Near RLy. Quarters.	5,638.57	
		23,467.15	
C-II 1.	Sh. Meetha Lal Mali	6,300.96	
		6,300.96	
C-III 1.	X. En. Water Works	29,834.40	
2.	do	15,113.22	
3.	do	16,716.50	
4.	do	8,151.18	
		69,815.40	
	Shri Mali Ram Nemi Chand	22,138.00	

436

STATEMENT SHOWING THE NAME OF THE CONSUMERS AGAINST WHOM OUTSTANDING BOARD'S DUES ARE MORE THAN Rs. 5,000/. AS ON 31ST MARCH, 1983

CITY DIV. II

JAIPUR CITY CIRCLE

S. No.	Name of Consumers	Outstanding amount	Remarks/ reasons
1	2	3	4
B–I 1.	Superintendent, S. M. S. Hospital	5,93,705.30	Difference in Tariff. The amount kept in abeyance.
2.	Principal, S. M. S. Medical College.	52,595.39	Write off. Case under consideration.
3.	Khetan Ice Factory	1,40,943.81	Court Case since 1972.
4.	Ram Bagh Palace Hotel	1,47,796.22	Difference of Tariff Amount kept in abeyance.
5.	Nav Bharat Ice Factory	10,729.91	Court Case. Supply disconnected.
6.	Poly Kings (P.) Ltd.	14,075.75	Disconnected.
7.	Executive Engineer (W/W)	5,166.93	Under corresponde-nce at Circle level.
		9,65,013.31	

1	2	3	4
B–II	1. Urban Improvment Trust.	24,787.71	Case pertains to 10% minimum guarantee.
	Total	24,787.71	
B–III	1. Narayani Metal	5,315.14	D. C. due to non-payment.
	2. Govt. Press	18,324.62	Pertain to period from 3/63 to 8/65 non & repayment.
	3. Water Works Deptt.	50,878.23	Case is under consideration of higher authorites.
	4. S. P. Gupta & Co.	9,888.88	Non-payment & D. C.
	5. New Age Factory (Bhim Singh ji)	22,889.34	-do-
	6. C. D. Agrawal	6,114.83	Unauthorised extension. Case with Director (S&V)
	7. Raj Wire Products	8,243.00	-do-
	8. Laxman Pvt. Ltd.	10,040.00	-do-
	(Nov. bill)	5,000.12	-do-
	9. Buxy Pharmaceuticals	6,146.00	D.C. Case referred to P. D. R.
	10. Vishal Ice Factory	14,815.60	Non-payment Referred to P. D. R.
	11. Singhal Steel	7,265.00	Charging cases since 80. Pledder engaged Reply to be followed.

(438)

1	2	3	4
12.	Star Pulp & Paper Product	5,231.63	Charging case sent to higher authories
13.	Kastelay Pvt. Ltd.	17,897.40	Account accumulated due to non-payment of minimum charges from July, 1977 to March, 1978.
14.	Chandan Cables	6,130.57	Instalment cases
15.	S. K. Plastic Industries	26,912.91	D.C. on non-payment and referred to PDR
16.	Paras Ice Factory	32,217.93	D.C. Non-payment.
17.	R. S. Metals	8,56,585.87	Court case regarding Contract Demand dispute.
18.	Vankateshwar Sinthetics	5,095.97	D. C.
19.	H. H. of Jaipur	6,792.12	Old outstanding pertain to year 1956 to 1967. Case being persued.
	Total	11,21,885.17	

Grand total	B-I	9,65,031.31
	B-II	24,787.71
	B-III	11,21,885.17
		21,11,704.19

(439)

CITY DIV III

STATEMENT SHOWING THE POSITION OF OUTSTANDING ABOVE Rs. 5,000/- AS ON 31.3.1983.

JAIPUR CITY CIRCLE

S. No.	Name of the Concumer	Amount outstanding	Remarks/ Reasons.
1.	Executive Engineer (W.W.)	20,13,324.31	This is due to non-payment of tariff difference since 1964-65 and debited amount includes LPS.
2.	Municipality	54,24,855.11	Non-payment of bills since 1957-58 and earlier period also incl-udes LPS.
3.	M/s Pawan Kumar Bajaj	11,030,68	On account of Court Case.
4.	M/s Raj Behari Lal	16,832.14	Due to spot de-bit by the audit.
5.	M/s Prabhu Dayal Gupta	19,835.16	-do-
6.	M/s Green Tyres	6,404.00	D.C. Very old
7.	M/s Dal Mills, Shree Bochraj	7,004.97	-do-
8.	Commandant-II Battalion	10,367.80	
9.	M/s Bhora Mal Harmal Khurana	5,590.90	
	Total	75,16,245.07	

(440)

5,000 रु० से ज्यादा बकाया राशि के उपभोक्ताओं की सूची (जयपुर जिला वृत)

क्र.सं.	उपभोक्ता का नाम	बकाया राशि
1.	श्री गोरधन/रामचन्द्र	5246.00
2.	,, गणेश कल्याण	5533.40
3.	,, नारायण रामेश्वर	7267.50
4.	,, जगदीश मूल्या	5902.02
5.	,, लादूराम डेंगाराम	5000.61
6.	,, रामलाल नारायण	5149 30
7.	,, भीमाराम भूथालाल	10998.07
8.	,, बालू भोमा	8735.82
9.	,, रावल राजेश्वर सिह	7775.67
10.	,, कल्याण सहाय	5965.35
11.	,, विरधा गोपाल	6248.22
12.	,, मांगूराम भेरू	5039.05
13.	,, चुन्नीलाल किशोरीलाल	5496.62
14.	,, देवी प्रभात	5406.93
15.	,, कपूरमल सूरजमल	5055.92
16.	,, छीतरमल कुम्भाराम	5126.94
17.	,, घीसाराम/नानूराम	11694.45
18.	,, जालू पुत्र लादूराम	5908.35
19.	,, सोभागसिह पुत्र दुर्जनसिह	5355.41
20.	,, नाथू पुत्र मंगू जाट	5714.85
21.	,, किशनाराम जाट	5704.85
22.	,, डालूराम पुत्र उदाराम जाट	9132.17
23.	,, कैलाशचन्द्र	6159.85
24.	,, समुन्द्रसिह पुत्र दुर्जनसिह	8684.85
25.	,, लादू पुत्र गेंदा बक्ष	5167.17
26.	,, बोदूराम पुत्र बालूराम	6773.26
27.	,, हनुमानप्रसाद पुत्र लक्ष्मीनारायण	7235.45
28.	,, सुगनचन्द जैन	5718.96
29.	,, बिरधी पुत्र भगवाना	6019.84
30.	,, श्यामलाल	5153.68
31.	,, रामप्रताप रामकरण	6254.02
32.	,, रामदेव	5239.09

५५८

क्र.सं.	उपभोक्ता का नाम	बकाया राशि
33.	श्री हरीप्रसाद पुत्र मुन्नालाल	5141.32
34.	,, भंवरलाल रामप्रसाद	9861.40
35.	,, चन्द्रप्रकाश ओमप्रकाश	7313.48
36.	,, हनुमानसहाय लालाचन्द अग्रवाल	6048.00
37.	,, रामचन्द्र पुत्र विश्म्बरदयाल	5145.00
38.	,, हीरालाल पुत्र घनश्याम	7058.00
39.	मैसर्स बनेरात इण्डस्ट्रीज	5073.00
40.	श्रीमती रीता योगी पत्नी रामेश्वर योगी	6446.00
41.	श्री सुरेन्द्र मौन पुत्र कृष्णचन्द्र पालीवाल	10547.00
42.	मैसर्स महावीर इण्डस्ट्रीज	11528.40
43.	मैसर्स राजस्थान रोप वर्क्स	57191.59
44.	पंचायत समिति मनोहरपुरा	5984.68
45.	चेयरमैन, नगर पालिका, आमेर	28308.68
46.	नगर पालिका, फुलेरा	9508.86
47.	रोडवेज, शाहपुरा	6320.40
48.	श्री कजोड़मल बालूराम	5225.91
49.	मै० वेस्टर्न रेल्वे, फुलेरा	890109.26
50.	रमेश आयल मिल, निवाई	43368.03
51.	मै० निर्मल उद्योग, निवाई	6989.60
52.	मै० अरूणा आयल मिल, निवाई	19446.55
53.	मै० जी० सी० आयल मिल, निवाई	10650.30
54.	मै० गर्ग आयल मिल, निवाई	9562.41
55.	मै० वी० सी० आयल इण्डस्ट्रीज, निवाई	11843.84
56.	मै० महावीर कोल्ड स्टोरेज, निवाई	89024.60
57.	मै० हनुमान उद्योग, निवाई	11642.00
58.	मै० नेशनल इण्डस्ट्रीज, निवाई	212541.90
59.	मै० वनस्थली विद्यापीठ, निवाई	36471.54
60.	मै० बनात ओपन पान सुगर फैक्ट्री	37767.10
61.	मै० नथ आयल मिल्स, देवड़ावास	16182.62
62.	मै० राजस्थान मिनरल, साकरवाड़ा	10187.34
63.	नगर पालिका, मालपुरा	28374.84
64.	मै० कनोई दाल मिल, टोडारायसिंह	8973.00
65.	मै० गणेश आयल मिल्स, देवली	14739.58

(५५२)

क्र.सं.	उपभोक्ता का नाम	बकाया राशि
66.	मै० गणेश ग्रायल मिल्स, देवली	7013.69
67.	मै० लक्ष्मी ग्रायल इण्डस्ट्रीज, टोंक	11713.92
68.	मै० अग्रवाल ग्रायल मिल, टोंक	12796.60
69.	मै० राजस्थान सीमेन्ट प्रोडक्ट, निवाई	8301.26
70.	मै० रामेश्वर सीताराम, राधाकिशनपुरा	7256.20
71.	लालचन्द राजेन्द्र, चौमूं	5436.88
72.	नरेन्द्रकुमार यादव, चौमूं	7095.19
73.	हजारीप्रसाद अग्रवाल, सिरसली	5995.95
74.	श्री नाथूलाल कन्हैयालाल, जावता	18194.74
75.	,, खींवाराम गोविन्दराम, गुलाबबाड़ी	5944.68
76.	,, कन्हैयालाल त्रिलोकचन्द, परमानपुरा	5400.68
77.	,, मांगू सेडू, चारणवास	5412.00
78.	,, जोरावरसिंह, इटावा भोपजी	9302.15
79.	,, ओमप्रकाश जवार, रानीपुरा	6174.92
80.	,, शकूर मोहम्मद, सुलतानपुरा	6746.81
81.	,, भूरा लक्ष्मीनारायण, चौथवाड़ी	6073.32
82.	,, हनुमानसहाय देवीसहाय, राडावास	5222.00
83.	,, चन्द्रा किशना, लादू, राडावास	6595.92
84.	,, हनुमान लक्ष्मीनारायण, भोपास	5353.15
85.	,, घीसा, गोमा, गोनाकासर	5042.76
86.	,, चौथमल हजारीमल, धोबलाई	7688.69
87.	,, दामोदरप्रसाद शिवनारायण, किशनपुरा	5003.43
88.	,, पूरणमल भूराराम, चकरोदा	5908.00
89.	,, भेरू मंगला, गुलाबबाड़ी	13366.36
90.	,, रूपा मांगू ,,	6231.14
91.	,, बदरीनारायण ,,	11796.28
92.	,, रामू भूथा ,	17094.01
93.	,, लादूरा बक्श ,,	6945.90
94.	,, गोपा सेवा ,,	7855.43
95.	,, प्रभात, शिवजी ,,	9639.48
96.	,, एस० ईश्वर धन्ना ,,	11188.10
97.	,, गोमा नाथू ,,	6392.58
98.	,, गोमा गणेश ,,	8772.38

क्र.सं.	उपभोक्ता का नाम	बकाया राशि
99.	श्री गणपत गणेश गुलाबबाड़ी	8957.57
100.	,, ओंकार रूड़ा ,,	7704.70
101.	,, नारायण मागू ,,	7627.48
102.	,, खेमाराम भगताराम ,,	5665.26
103	,, बींजा घीस्या ,,	5344.92
104.	,, महादेवप्रसाद रामचन्द्र, बरवाड़ा	11287.00
105.	,, बद्री जोशी ,,	6160.10
106.	,, बद्रीनारायण रघुनाथ ,,	6515.26
107	,, हुकमराम चेताराम ,,	6635.40
108.	,, भूरा चुन्नीलाल ,,	5592.00
109.	,, नारायण मांगू ,,	7650.21
110.	,, नारायण जगदीश ,,	5723.50
111.	,, देवाराम बींजाराम ,,	6336.97
112.	,, भूराराम बालूराम, परमानपुरा	7773.50
113.	,, महादेव हनुमान ,,	6415.58
114.	,, नारायण नानगा ,,	8556.60
115.	,, श्रीराम मंगलाराम ,,	11262.80
116.	,, अर्जुन गोपी ,,	10092.38
117.	,, रामदेव गंगाराम ,,	9436.62
118.	,, अमरसिंह गंगासिंह, महारखुर्द	5561.00
119.	,, समुन्दरसिंह ,,	6492.00
120.	,, मंगल हरदेव सेडू, घोली	9036.30
121.	,, घीसा रूड़ा, घोली	5228.36
122.	,, मांगू, दूला	5086.72
123.	,, घासी गोरू, घोली	11990.80
124.	,, सेडूलाल आमलोदा	6070.63
125.	,, काना हीरा सेडू, आमलोदा	7952.10
126.	,, गोरू शिवजी, आमलोदा	12188.55
127.	,, शेरू गोपी, परमानपुरा	12118.93
128.	रोड लाइट गोविन्दगढ़	6015.00
129.	रोड लाइट कालाडेरा	19116.39
130.	पूनम टाकीज, दौसा	13038.29
131.	श्री कन्हैयालाल, दौसा	8276.71
132.	मै० शिव टिन इण्डस्ट्रीज, दौसा	5779.11
133.	श्री गुलाबसिंह, गेटोलाव	5823.00

(४४४)

क.सं.	उपभोक्ता का नाम	बकाया राशि
134.	सहायक अभियन्ता, राज० राज्य विद्युत मण्डल, दौसा	21541.69
135.	नगर पालिका, दौसा	50584.26
136.	सहायक अभियन्ता, वाटर वर्क्स, दौसा	5522.49
137.	,, ,,	11727.82
138.	,, ,,	15907.28
139.	हैड मास्टर, सैकण्डरी स्कूल, दौसा	5174.02
140.	सरपंच, ग्राम पंचायत, नांगल बैरसी	6159.49
141.	मै० जे०एम०डी०सी० प्रा० लि०, दौसा	203541.13
152.	,, ,,	13732.46
153.	बन्सीवाल आइस फैक्ट्री, खेड़ला	9910.00
154.	सांवरमल लोहिया, कलचपुरी	22581.52
155.	सहायक अभियन्ता, वाटर वर्क्स, होदयाली	229474.99
156.	श्री गोविन्द नारायण हरीशंकर, लालसोट	7747.28
157.	,, मूलचन्द गणेश, लालसोट	14428.78
158.	,, रामावतार कजोड़मल, लालसोट	8273.91
159.	,, जगदीश बिरधीचन्द, लालसोट	5395.80
160.	,, केशवलाल जगन्नाथ, मण्डावरी	5540.78
161.	एक्स० आफिस नगर पालिका, बस्सी	10171.76
162.	,, ,,	9691.90
163.	प्रकाशचन्द बाकलीवाल, बस्सी	50980.20
164.	श्री सीताराम ब्रजमोहन, बस्सी	12672.52
165.	,; गणेशीलाल गंगासहाय, बसवा	7052.05
166.	,, रघुनाथ गंगाधर, बसवा	8064.86
167.	,,चन्द्रराम/रामफूल करनवार	5303.38
168.	,, रामसहाय मीणा, गुलाना	7399.60
169.	रेल्वे स्टेशन बान्दीकुई	293738.98
170.	नगर पालिका बसवा	8064.86
171.	ओवरसियर, पी०डब्ल्यू०डी० मीजगढ़	23454.35
172.	नानगराम, जागीर बान्दीकुई	6928 66
173.	नगर पालिका बान्दीकुई	29401.13
174.	भगवानसहाय, श्यालावास	9717.87
175.	श्री रतनलाल मंगललाल, धनाऊ कलां	5337.24
176.	,, रामचन्द्र कैलाशचन्द, सुरजनपुरा	7071.75

(५५५)

क.सं.	उपभोक्ता का नाम	बकाया राशि
177.	मै० जैन ग्रायल मिल, दौसा	10562.80
178.	श्री मदनगोपाल कल्याणबक्श, दौसा	6869.34
179.	मै० जगदीश फ्लोर मिल, दौसा	9309.55
180.	मै० गोविन्द ग्रायल मिल, लालसोट	5512.00
181.	श्री माधोप्रसाद मंगल, गीजगढ़	5261.51
182.	मै० तिवाड़ी इण्डस्ट्रीज, गीजगढ़	15399.26
183.	मोरसे मिनरल, गीजगढ़	9623.90
184.	श्री ग्रजीतकुमार राजेन्द्रकुमार	8069.98
185.	,, बद्रीप्रसाद जागीर बान्दीकुई	5571.60
186.	मै. ग्राशा ग्रायल मिल, बान्दीकुई	8624.03
187.	श्री रामप्रकाश बोदया, बान्दीकुई	9345.01
188.	,, बद्री जाट	5681.25
189.	,, नवाब जोधा ग्रलादीन खां	5936.21
190.	,, इन्द्रसिंह	7234.20
191.	,, रामनाथ कानाराम	7487.50
192.	,, गुल्लाराम रामनारायण	5246.07
193.	,, ग्रखेसिंह	5737.65
194.	,, द्वारकाप्रसाद	5717.98
195.	,, छोटू कल्याण	6768.82
196.	,, भूरा रावण	8837.51
197.	,, ममोज इण्डस्ट्रीज	6975.86
198.	शिव प्लास्टिक	5949.86
199.	ग्रानन्द टूल्स एण्ड इन्जीनियरिंग	6615.63
200.	ग्ररूण इण्डस्ट्रीज	8429.78
201.	राजस्थान वाच कम्पनी	5252.00
202.	स्वास्तिक केमिकल्स	6178.41
203.	प्रिन्स इन्जीनियरिंग	5102.00
204.	राजस्थान प्रताप स्पेशल स्टील लिमिटेड	8484.15
205.	यूनियन ट्रेडर्स	5552.00
206.	मै० परनामी रबड़	7848.13
207.	,, प्रदर्शना इण्डस्ट्रीज	6769.49
208.	,, ए. ए. कास्टिंग	6652.66
209.	,, केसरी ग्रायल	6968.32

क्र.सं.	उपभोक्ता का नाम	बकाया राशि
210.	मै० बी. के. कास्टिंग	8530.60
211.	,, दास पिस्टन	5186.43
212.	,, गोयल प्लास्टिक्स	9349.51
213.	,, प्लास्टी मेक्स	81000.00
214.	,, गुप्ता प्लास्टिक्स	9749.51
215.	,, आर. एल. स्ट्रिप्स	6339.72
216.	,, विजय आयल एण्ड दाल मिल	7708.16
217.	,, स्पिलर टाइगर ट्यूब्स	5821.90
218.	,, आर. के. इण्डस्ट्रीज	7161.77
219.	,, इन्द्रा कारपोरेशन	5700.00
220.	श्री लादू पन्च पुत्र बिरदा	5489.80
221.	मै० आदीनाथ केबिल	8360.00
222.	,, के. के. मिल्स	8369.56
223.	पन्ना धन्ना	6880.10
224.	मै० बजाज आयल मिल्स	6842.35
225.	,, रमेश आयल	6618.00
226.	श्री सीताराम	5298.30
227.	,, गोविन्दराम	7761.89
228.	,, कल्याण सहाय	5767.37
229.	मै० हरीहरचरण उद्योग	8031.25
230.	मै० राजबल्लभ इण्डस्ट्रीज	6768.92
231.	श्री जवानसिंह	5231.12
232.	,, नारायण पुत्र रघुनाथ	5328.59
233.	,, भगवान सहाय	6209.25
235.	मै० सांगानेर दाल फ्लोर मिल	6950.00
236.	श्री कल्याण पुत्र गोविन्दराम	5770.37
237.	,, मिश्रीलाल गणेश	14341.30
238.	मै० सूरत लाइट, सांगानेर	6832 21
239.	मै० बजरंग आयल मिल	7547.07
240.	,, रमेश आयल	8457.08
241.	,, कमल इण्डस्ट्रीज	16500.00
242.	,, हैण्डमेड पेपर	9893.00
243.	श्री नन्दकिशोर	5351.30

क्र.सं.	उपभोक्ता का नाम	बकाया राशि
244.	मै० वी. के. कास्टिंग इन्जीनियर्स	12360.18
245.	,, रंगाई इण्डस्ट्रीज	12616.80
246.	श्री सत्यनारायण	8057.00
247.	मै० शुभलक्ष्मी इण्डस्ट्रीज	6010.00
248.	,, ग्रामीण बिजली उद्योग	37361.10
249.	,, सीताराम पुत्र भौंरीलाल	6052.52
250.	मै० आर. आर. इण्डस्ट्रीज	13078.66
251.	श्री रूपराम पुत्र घासीराम	5154.16
252.	मै० नारायण कोल्ड स्टोरेज	267971.07
253.	,, मुरली रोलिंग मिल	115302.35
254.	,, आर. जी. इस्पात	605890.48
255.	,, शक्ति माल्ट	9000.00
256.	,, भगवती री–रोलिंग मिल	221201.88
257.	,, स्वास्तिक कास्टिंग	172515.41
258.	,, प्रताप राज. स्पेशल स्टील	781218.66
259.	,, माडर्न मिल्स	38579.99
260.	,, अशोका कन्डक्टर्स	11380.64
261.	,, जयपुर वायर इण्डस्ट्रीज	7886.56
262.	,, श्री हरी रोलिंग मील	28895.26
263.	,, राजथान स्टील रोलिंग मिल	77161.41
264.	,, आर. एस. इण्डस्ट्रीज	51396.61
265.	,, राजस्थान वूल टैक्स	7825.20
266.	,, जयपुर स्टील स्ट्रिप	12001.09
267.	,, जयपुर एलायज	12645.98
268.	,, अमृत बिस्किट्स	27383.99
269.	,, प्रताप राजस्थान कापर फायल लि०	371734.52
270.	,, अनील स्टील प्रा० लि० कनकपुरा	24476.48

LIST OF OUTSTANDING Rs. 5000 AND MORE THAN AS ON 31-3-1983 OF JHUNJHUNU CIRCLE

S. No. 1	Name of Consumer 2	Amount 3
	Nawalgarh Sub-Division	
1.	Shri Mala Ram	5,329
2.	,, Bhura Ram	11,609
3.	,, S. Singh	17,451
4.	,, Ishwar Ram	6,404
5.	,, Laxmi Narain	5,751
6.	,, G. Prashad	5,7 9
7.	,, Mali Ram	5,892
8.	,, Chhotu	7,138
9.	,, Chhote Lal	5,744
10.	,, R. Kundan	8,588
11.	,, M. Raghuveer Singh	7,040
12.	,, Phul Chand	7,106
13.	,, Dhukal Ram	6,288
14.	,, Kuma Ram	10,589
15.	,, Mala Ram	6,658
16.	,, Kishan Lal	10,113
17.	,, H. Ram	4,941
18.	,, Bhanwar Singh	9,500
19.	,, Ram Kumar	5,898
20.	,, Ghanshysm	6,652
21.	,, Ghanshyam Singh	5,872
22.	,, Chuna Ram	20,709
23.	,, Budh Ram	8,573
24.	,, Ganga Ram	10,540
25.	,, Geeta	9,473
26.	,, Nanag Ram	8,635
27.	,, Mahendra Singh	9 137

1.	2.	3
28.	Shri Bhola Ram	7,058
29.	,, Bija Ram	7,711
30.	,, Laxman	7,031
31.	,, Deva Ram	5,372
32.	,, Bhola Ram Singh	6,586
33.	,, Mahendra Kumar	5,248
34.	,, Chuna Ram	6,227
35.	,, Panna Ram	5,270
36.	,, Bhanwar Singh	9,380
37.	,, Ram Kumar	19,898
38.	,, Govind	7,000
39.	,, Laxman	5,680
40.	,, Mangu	5,629
41.	,, Goma Ram	5,280
42.	,, S. Singh	17,144
43.	,, Rajan	11,107
44.	,, Devi Singh	9,092
45.	,, Jhawar Mal	5,903
46.	,, Richpal Singh	17,366
47.	,, Pabudan	17,202
48.	,, Suraj Ram	12,753
49.	,, Rajendra Singh	5,095
50.	,, Narain	5,718
51.	,, Prabha Ram	10,794
52.	,, Beg Ram	6,555
53.	,, Bhanwar Singh	5,415
54.	,, Rameshwar Lal	5,410
55.	,, H. Singh	9,483
56.	,, Tulsa Ram	5,768
57.	,, Sunda Ram	8,652
58.	,, Bodhu Ram	5,059

Page No. 452

(450)

1.	2.	3.
59.	Shri Norang Lal	5,250
60.	„ Bahadur Singh	6,191
61.	„ R. Madan Singh	7,578
62.	„ Kalyan Singh	11,161
63.	„ Chiranji Lal	7,791
64.	„ Sangram Singh	7,932
65.	„ Jitendra Singh	11,519
66.	„ Rameshwar	6,055
67.	„ Chandra	5,280
68.	„ Hanuman	5,571
69.	„ Bhanwar Singh	6,922
70.	„ Radhey Shyam	7,127
71.	„ Kishna Ram	7,848
72.	„ Rameshvar	15,014
	(O&M) Jhunjhunu Sub-Division :	
73.	Shri Kanya Lal	5,257
74.	„ S. Goushala	11,974
75.	„ P. Shankar	7,0 2
76.	„ Laxman	6,120
77.	„ P. Ram	5,797
78.	„ Sukh Ram	5,497
79.	„ Ahmad Khan	5,153
80.	„ Balu Ram	10,047
81.	„ Ram Niranjan	10,362
82.	„ Rameshvar Lal	10,426
83.	„ S. B. Singh	11,366
84.	„ Hajari Mal	10,114
85.	„ L. Ram	5,923
86.	„ Arma Ram	8,157
87.	„ Pit Ram	5,437
88.	„ Hanuman	7,036

1.	2.	3.
89.	Shri Mala Ram	5,146
90.	,, Hari Ram	5,737
91.	,, Jhandu Ram	5,239
92.	,, Hariji Ram	6,683
93.	,, Harji Ram	8,394
94.	,, Laxman	6,322
95.	,, Laxman	9,499
96.	,, Hospital	5,168
97.	,, Triveni Shyam	7,411
98.	,, Guljari Lal	6,573
99.	,, Dasti Ram	6,961
100.	,, Janki Ram	7,066
101.	,, Mangal Chand	7,840
102.	,, Rama Ram	11,427
103.	,, Narain Singh	5,763
104.	,, Narain Ram	6,869
105.	,, Ram Kumar	7,049
106.	,, Beg Ram	8,230
107.	,, Bajrang Lal	7,258
108.	,, Pryag Chand	8,864
109.	,, Municipal Board	52,537
110.	,, Laxmi Narain	27,892
111.	,, Jaisa Ram	11,805
112.	,, Mahaveer Prashad	5,387
113.	,, Chouth Mal	6,750
114.	,, Madho Singh	8,071
115.	,, Durjan Singh	10,962
116.	,, Laxman Singh	6,936
117.	,, Nourang	6,206
118.	,, Jansukh Ram	9,813
119.	,, Rameshvar Singh	13,617

452

1.	2.	3.
120.	Shri Bhagwan Ram	5,283
121.	„ Girdhari Lal	9,776
122.	„ Kishna Ram	6,459
123.	„ Mala Ram	11,507
124.	„ Kaju Ram	16,279
125.	„ Radhey Shyam	12,397
126.	„ Bajrang Lal	5,442
127.	„ Thakur Jaisingh (REC) JJN.	6,901
128.	„ Prahlad Ram	5,594
129.	„ Jaidev Singh	9,872
130.	„ Hanuman Singh	6,888
131.	„ Radhey Shyam	7,506
132.	„ Nathu Singh (REC) U.D.P. Wati	9,690
133.	„ Nathu Singh	9,334
134.	„ Ugam Singh	6,621
135.	„ Likhma Ram	8,213
136.	„ S. B. Singh	8,722
137.	„ S. B. Singh	6,782
138.	„ Chhagan Singh	6,748
139.	„ S. Singh	6,701
140.	„ Sawai Singh	9,060
141.	„ Bhanwar Singh	9,603
142.	„ Hari Singh	6,890
143.	„ Vasu Dev	6,992
144.	„ Chunni Lal	7,466
145.	„ Sukh Dev	5,312
146.	„ Ladu Ram	6,037
147.	„ Balu	6,659
148.	„ Madan Singh	6,101
149.	„ Bhagwan Dev	10,590
150.	„ Chandraji Sethi	5,621

Page No. 455

453

1.	2.	3.
	(O & M) Jhunjhunu	
151.	Shri Fakruddin	5,013
152.	„ AEN (PHED)	12,812
153.	„ -do-	11,766
154.	„ Magna Ram	7,700
155.	„ Ravindra Kumar	9,778
156.	„ Kamal Pd.	5,237
157.	„ M. B. Udyog	5,756
158.	„ P. S. Bhawan	19,151
159.	„ Ram Niranjan	21,566
160.	„ Jagdish Prashad	7,224
161.	„ Kheruddin	8,761
162.	Smt. Manju Devi (O&M) Mandawa	5,192
163.	Shri Jagdish Prashad	5,617
	(O&M) Khetri	
164.	Shri Jagdish Singh	5,208
165.	„ Munga	4,976
166.	„ Jai Narain	13,124
167.	„ Gaja Nand	11,201
168.	„ Hanuman Prashad	21,736
169.	„ Khewa Ram	10,537
170.	„ Cheta Ram	11,494
171.	„ Rawal Ram	6,156
172.	„ Hanuman Ram	19,868
173.	„ Ram Lal	5,391
174.	„ Ram Pal	6,474
175.	„ Balu Ram	10,490
176.	„ Kheta Ram	6,739
177.	„ Jagmal Singh	7,264
178.	„ M. Ram	7,635

1.	2.	3.
179.	Shri Mangla Ram	10,693
180.	,, Mohan Singh	9,544
181.	,, Bhura Ram	5,534
182.	,, Sardar Singh	9,648
183.	,, Chandgi Ram	21,315
184.	,, Radhey Shyam	5,389
185.	,, Sardar Singh	5,471
186.	,, Hanuman Singh	8,813
187.	,, Fatey Singh	11,123
188.	,, Jhabar Mal	7,878
189.	,, Gidhu Ram	9,161
190.	,, Prahlad Ram	7,079
191.	, Chandra Ram	6,254
192.	,, Mal Singh	9,249
193.	,, N. Singh	9,174
194.	,, Shish Ram	5,436
195.	,, Hanuman	5,284
196.	,, Srichand	8,278
197.	,, Ganga Ram	6,309
198.	,, Chunna Ram	5,180
199.	,, Amar Singh	5,698
200.	,, Mungha Ram	7,421
201.	,, Badri Ram	7,798
202.	,, Ram Kumar	5,984
203.	,, Chandra Ram	8,284
204.	,, Gangadhar	8,066
205.	,, Matadeen	12,520
206.	,, Nand Ram	7,804
207.	,, Prabhu Ram	12,018
208.	,, Banwari Lal	12,028
209.	,, Prahlad Rai	7,861

1.	2.	3.
210.	Shri Narain	9,483
211.	,, Indraj Singh	9,963
212.	,, Nourang Ram	8,548
213.	,, Ram Pratap	6,888
214.	,, Gopal Ram	14,443
215.	,, Ramjas	6,786
216.	,, Malaram	10,426
217.	,, Ganesh Ram	11,631
218.	,, Sardar Ram	5,567
219.	,, Ricchpal	7,094
220.	,, Sita Ram	5,362
221.	,, Harlal	6,734
222.	,, Ladu Ram	6,478
22[illegible].	,, Sayadan	5,050
224.	,, Jag Ram	7,954
225.	,, Chandgi Ram	12,958
226.	,, Ganpat Ram	14,528
227.	,, Ladu Ram	19,702
228.	,, Tilak Chand	23,983
229.	,, Hanuman Prashad	6,175
230.	,, Jagan Ram	16,681
231.	,, Shiv Shankar	4,695
232.	,, Vishabar Lal	7,084
233.	,, Ram Nath	5,551
234.	,, Hansraj	6,978
235.	,, Mahaveer Prashad	12,830
236.	,, Jai Narain	9,481
237.	,, Suraj Ram	9,809
238.	,, Devi Sahai	12,389
239.	,, Ram Kumar Singh	10,258
240.	,, Rameshwar Lal	7,577

456

1.	2.		3.
241.	Shri	Ram Kumar	5,133
242.	„	Mangla Ram	5,505
243.	„	Nopa Ram	5,257
244.	„	Bhoma Ram	5,586
245.	„	Kishan Lal	13,614
246.	„	Dunga	7,478
247.	„	Bane Singh	14,068
248.	„	Mal Singh	8,230

(O&M) Pilani

249.	Shri	Chandra Mohan	10,226
250.	„	Peru Mal	6,683
251.	„	Bihari Lal	5,803
252.	„	Bajarang Lal	6,456
253.	„	Tug Lal	9,118
254.	„	Peru Lal	6,188
255.	„	Sukh Dev	8,191
256.	„	Kishan Lal	8,379
257.	„	Nathu Ram	8,796
258.	„	Ram Niwas	7,096
259.	„	Chandgi Ram	7,043
260.	„	Gorakh Ram	6,080
261.	„	Ladu Ram	9,601
262.	„	Rajpal Singh	7,335
263.	„	Sri Lal	11,210
264.	„	Bhura Ram	6,605
265.	„	Dhanmal	6,961
266.	„	Umed Singh	5,369
267.	„	Ram Dev	13,622
268.	„	M. Singh	11,478
269.	„	Ram Nath	5,085

457

1.		2.	3.
270.	Shri	Dinesh	6,850
271.	,,	Gorakh Ram	6,449
272.	,,	Poru Ram	11,729
273.	,,	Ram Nath	6,672
274.	,,	Gopal	7,099
275.	,,	Ram Nath	6,048
276.	,,	Moda Ram	6,284
277.	,,	Surpa Ram	5,159
278.	,,	Shambhu Ram	8,649
279.	,,	Secchand	6,194
280.	,,	Ram Niwas	10,193
281.	,,	Ram Ratan	10,233
282.	,,	Surpa Ram	7,195
283.	,,	Kurda Ram	6,679
284.	,,	Gurudayal	7,129
285.	,,	Bahadur Ram	6,267
286.	,,	Madan Ram	9,728
287.	,,	Rameshwar Lal	6,771
288.	,,	Hardev	6,059
289.	,,	Nourang Ram	6,339
290.	,,	Lichhu Ram	6,899
291.	,,	Richhpal Singh	8,171
292.	,,	Chandra Ram	7,769
293.	,,	Ram Karan	9,094
294.	,,	Chunni Lal	12,582
295.	,,	Harchand	7,421
296.	,,	Manaram Banwarilal	7,236
297.	,,	Mahaveer	11,508
298.	,,	Rameshwar	7,919
299.	,,	D. Ram	13,417
300.	,,	Satya Narain	7,051

1.		2.	3.
301.	Shri	D. Pal Singh	9,821
302.	„	M. Prashad	9.052
303.	„	R. Sawroop	9,723
304.	„	B. Ram	6,648
305.	„	G. Ram	10,517
306.	„	J. Jangir	6,579
307.	„	R. Prashad	5,152
308.	„	Gordhan	5,054
309.	„	H. Singh	5,847
310.	„	M. Ram	8,342
311.	„	S. Ram	11,475
312.	„	N. Singh	7,683
313.	„	B. Lal	7,349
314.	„	B. Ram	5,549
315.	„	R. Swaroop	5,116
316.	„	B. Lal	10,559
317.	„	K. Ram	5,369
318.	„	S. Narain	6,825
319	„	F. Singh	9,036
320.	„	B. Lal	6,918
321.	„	G. Ram	7,349
322.	„	S. Ram	7,424
323.	„	S. Ram	5,303
324.	„	R. Pal	9,054
325.	„	Gokul	5,869
326.	„	R. Das	5,439
327.	„	H. Ram	6,319
328.	„	K. Ram	5,129
329.	„	P. Ram	10,025
330.	„	R. Nand	5,688

Page No. 461

(459)

1.	2.	3.
331.	Shri M. Lal	7,681
332.	„ A. Khan	14,155
333.	„ F. Singh	5,606
334.	„ B. Lal	5,834
335.	„ Gopal	31,117
336.	„ S. Ram	11,336
337.	„ Municipal Board	5,924
338.	„ Malu Ram	12,802
339.	„ Nourang Ram	9,612
340.	„ K. Singh	7,347
341.	„ —	6,059
342.	„ —	6,595
343.	„ Sobha Ram	8,094
344.	„ —	11,404
345.	„ H. Ram	5,530
346.	„ D. Ram	5,506
347.	„ B. Ram	7,150
348.	„ Birbal	8,966
349.	„ Harchand	6,926
350.	„ J. Mal	9,536
351.	„ Raghunath	6,536
352.	„ K. Mal	7,430
353.	„ Harphool	11,886
354.	„ B. Singh	13,574
355.	„ —	9,607
356.	„ R. Singh	12,121
357.	„ P. Singh	11,700
358.	„ B. Singh	6,945
359.	„ R. Singh	10,921
360.	„ Prahlad Ram	7,727
361.	„ Ram Niwas	6,353

1.	2.	3.
362.	Shri G. Ram	6,353
263.	,, Richhpal	5,003
364.	,, M. Prashad	5,265
365.	,, B. Ram	6,855
366.	,, K. Ram	6,393
367.	,, R. Singh	5,633
368.	,, Hanuman Prashad	8,204
369.	,, M. Ram	11,248
370.	,, B. Ram	8,583
371.	,, B. Ram	8,822
372.	,, B. Lal	10,178
373.	,, R. Kumar	5,130
374.	,, A. Singh	6,052
375.	,, S. S. Ram	13,127
376.	,, A. Lal	9,723
377.	,, B. Lal	5,354
378.	,, M. Prashad	8,841
379.	,, K. Ram	7,933
380.	,, R. Lal	7,135
381.	,, M. Prashad	9,699
382.	,, N. Lal	5,480
(REC) Chirawa		
383.	Shri M. Ram	6,184
384.	,, D. Ram	5,058
385.	,, S. Singh	6,750
386.	,, L. Ram	5,075
387.	,, Ganga Ram	5,023
388.	,, J. Ram	5,997
389.	,, G. Ram	6,868
390.	,, Ounkar	6,940
391.	,, Ram Chandra	5,942

1.		2.	3.
392.	Smt.	Makhan Devi	5,969
393.	Shri	A. Singh	6,510
394.	"	Sheochand	5,009
395.	"	Nathu Ram	6,829
396.	"	Jugal	6,515
397	"	Bhagirath	6,679
398.	"	Sardara Ram	5,079
399.	"	Lakhu Ram	5,929
400.	"	Har Sahai	5,778
401.	"	H. Singh	6,780
402.	"	P. Ram	5,329
403.	"	R. Ram	5,589
404.	"	Ram Narain	9,149
405.	"	S. Singh	5,589
406.	"	P. Ram	5,999
407.	"	P. Nath	5,594
408.	"	B. Ram	6,989
409.	"	Ramdhan	7,069
410.	"	Jagu Ram	7,543
411.	"	Bhagirath	6,040
412.	"	B. Ram	5,188
413.	"	B. Singh	5,398
414.	"	Rohitas	5,174
415.	"	Mukanda	7,204
416.	"	S. Kumar	6,899
417.	"	R. Chandra	5,208
418.	"	Tara Chand	6,692
419.	"	Deva Ram	6,711
420.	"	Chiranji Lal	5,114
421.	"	Dharampal	6,266
422.	"	Lal Chand	7,178

1.		2.	3.
423.	Shri	Lal Chand	5,324
424.	"	Ram Singh	7,236
425.	"	M. Ram	5,009
426.	"	Sultan	8,327
427.	"	Hanuman	7,091
428.	"	Jhuntha Ram	6,500
429.	"	Tara Chand	6,158
430.	"	R. Singh	5,789
431.	"	M. Singh	5,749
432.	"	H. Singh	6,639
433.	"	T. Chand	7,672
434.	"	M. Singh	6,965
435.	"	C. Chand	5,826
436.	"	M. Singh	9,620
437.	"	M. Ram	6,202
438.	Smt.	Asha	6,420
439.	Shri	Jai Ram	8,065
440.	"	B. Singh	5,609
441.	"	R. Chandra	11,239
442.	"	A. Singh	9,735
443.	"	R. Chandra	6,782
444.	"	K. Ram	5,009
445.	"	J. Lal	10,902
(REC) Surajgarh			
446.	Shri	M. Raj	5,258
447.	"	M. Ram	5,330
448.	"	S. Chand	5,839
449.	"	B. Ram	5,865
450.	"	G. Ram	6,045
451.	"	S. Ram	6,465
452.	"	Srichand	5,335

1	2.	3.
453.	Shri B. Raj	5,000
454.	„ G. Ram	5,085
455.	„ H. Ram	5,000
456.	„ B. Ram	5,380
457.	„ Laxmi Narain	6,297
458.	„ C. Ram	5,611
459.	„ -do-	5,135
460.	„ Ram Swaroop	5,335
461.	„ U. Singh	6,122
(O&M) Chirawa		
462.	„ S. Singh	10,807
463.	„ S. Kumar	19,232
464.	„ Mool Chand	13,375
465.	„ R. Lal	7,477
466.	„ Y. Ram	7,138
467.	„ S. Chand	21,176
468.	„ A. Singh	11,050
469.	„ J. S. Katara	21,058
470.	„ K. T. Chand	9,658
471.	„ Hem Karan	12,988
472.	„ N. Ram	9,624
473.	„ Dev Karan	6,941
474.	„ Hanuman	8,165
475.	„ P. R. Singh	14,467
476.	„ H. Singh	6,176
477.	„ -do-	6,242
478.	„ M. Singh	7,593
479.	„ S. Mal	6,899
480.	„ Prahlad Singh	7,346
481.	„ N. Singh	8,706
482.	„ H. Singh	31,242

1.		2.	3.
483.	Shri	S. D. Singh	10,202
484.	„	R. Singh	13,151
485.	„	R. Narain	12,506
486.	„	C. Ram	6,806
487.	„	R. Lal	7,332
488.	„	D. Ram	6,039
489.	„	K. Ram	6,250
490.	„	J. P. Ram	5,682
491.	„	B. L. Jat	10,587
492.	„	P. Ram	5,359
493.	„	G. Ram	9,857
494.	„	H. Singh	5,688
495.	„	C. Ram	9,429
496.	„	Devi Sahai	5,924
497.	„	M. Ram	7,397
498.	„	Ram Nath	6,812
499.	„	P. Ram	7,619
500.	„	Rameshwar	5,524
501.	„	H. Lal	6,776
502.	„	B. Nath	6,209
503.	„	J. Ram	6,532
504.	„	H. Singh	5,823
505.	„	H. R. Kumhar	6,038
506.	„	K. Ram	7,193
507.	„	D. Ram	12,288
508.	„	M. L. Sharma	7,536
509.	„	R. Kumar	6,427
510.	„	J. Ram	8,072
511.	„	S. Ram	7,585
512.	„	R. Kumar	5,399
513.	„	J. Ram	7,836

1.		2.	3.
514.	Shri	H. Ram	5,570
515.	,,	P. Ram	5,846
516.	,,	Ram Kishan	6,452
517.	,,	S. Ram	5,716
518.	,,	H. D. Ram	7,870
519.	,,	D. Ram	5,302
520.	,,	G. Chand	8,823
521.	,,	G. Ram	9,364
522.	,,	M. D. Ram	5,603
523.	,,	L. Ram	5,854
524.	,,	K. Ram	6,132
525.	,,	M. Ram	10,721
526.	,,	H. Singh	10,082
527.	,,	B. Lal	7,702
528.	,,	L. Ram	10,313
529.	,,	S. Chand	9,272
530.	,,	N. Singh	9,793
531.	,,	B. Ram	11,036
532.	,,	H. Singh	9,806
533.	,,	H. Ram	10,017
534.	,,	D. Ram	5,052
535.	,,	J. Ram	9,721
536.	,,	T. Ram	12,217
537.	,,	S. Chand	12,345
538.	,,	T. Ram	10,565
539.	,,	J. Ram	13,809
540.	,,	S. Ram	7,495
541.	,,	H. Ram	16,413
542.	,,	M. Ram	5,851
543.	,,	K. Lal	5,861

Page No. 468

466

1.	2.		3.
544.	Shri	J. John	6,773
545.	,,	R. Lal	8,304
546.	,,	C. Ram	8,567
547.	,,	L. Ram	6,789
548.	,	S. Ram	10 080
549.	,,	Jai Narain	8,274
550.	,,	S. Ram	6,305
551.	,,	G. Ram	9,605
552.	,,	M. Ram	11,452
553.	,,	-do-	5,745
554.	,,	-do-	7,348
555.	,,	K. Ram	5,295
556.	,,	G. Ram	7,915
559.	,,	J. Lal	7,074
560.	,,	R. Lal	5,922
561.	,,	C. Ram	9,403
562.	,,	Jainarain	10,100
563.	,,	B. Ram	9,999
564.	,,	R. Singh	7,217
565.	,,	M. Sharma	5,964
566.	,,	H. R. Joshi	12,170
567.	,,	B. Ram	6,324
568.	,,	B. Das	11,726
569.	,,	M. Prashad	10,807
570.	,,	H. Singh	9,025
571.	,,	G. Ram	6,372
572.	,,	A. Singh	5,504
573.	,,	R. Singh	14,920
574.	,,	I. Singh	6,450
575.	,,	H. Singh	10,745
576.	,,	H. Lal	9,420

967

1.		2.	3.
577.	Shri	H. Singh	7,315
578.	,,	M. Ram	5,022
579.	,,	S. Ram	7,497
580.	,,	G. Ram	5,137
581.	,,	N. Ram	12,688
582.	,,	P. Ram	8,101
583.	,,	L. Ram	5,618
584.	,,	R. Lal	6 232
585.	,,	J. Ram	5,917
586.	,,	H. Prashad	11,054
587.	,,	P. Jat	12,841
588.	,,	G. Ram	7,106
589.	,,	H. Singh	6,782
590.	,,	H. Bux	8,780
591.	,,	S. Ram	5,092
592.	,,	D. Ram	5,293
593.	,,	S. B. Singh	5,551
594.	,,	M. Ram	6,024
595.	,,	G. Ram	6,134
596.	,,	B. Singh	6,714
597.	,,	L. Ram	9,288
598.	,,	D. Ram	6,565
599.	,,	G. Ram	5,043
600.	,,	H. Singh	5,536
601.	,,	Prahlad Ram	5,172
602.	,,	G. Ram	7,140
603.	,,	M. Ram	14,195
604.	,,	Hanuman	7,877
605.	,,	Hanuman	8,899
606.	,,	S. Ram	7,983
607.	,,	M. Ram	5,229

1	2	3
608.	Shri S. Ram	11,143
609.	" B. Lal	11,076
610.	" Ramji Lal	13,932
611.	" B. Ram	5,642
612.	" H. Singh	9,239
613.	" B. Ram	8,387
614.	" H. Chand	5,767
615.	" B. Ram	9,399
616.	" H. Singh	8,908
617.	" B. Ram	7,963
618.	" B. Ram	6,462
619.	" S. Narayan	5,568
620.	" R. Ram	9,133
621.	Sh. G. Ram	6.864
622.	" C. Lal	6,234
623.	" S. Ram	6,921
624.	" M. Ram	8,093
625.	" L. Ram	7,520
626.	" J. Lal	6,574
627.	" B. Prasad	7,420
628.	" Dhanna Ram	6,314
629.	" Jhalsor	5,901
630.	" M. Chand	5,818
631.	" T. Ram	10,398
632.	" K. Kumar.	7.134
633.	" P. Ram	5,921
634.	" Godhu	5,878
635.	" G. Chand	5,755
636.	" S. Ram	5,589
637.	" M. Ram	5,515

1	2		3
638.	Shri	R. Singh	5,041
639.	,,	G. Ram	5,119
640.	,,	G. Ram	5,368
641.	,,	S. Ram	5,273
642.	,,	M. Ram	6,260
643.	Smt.	Dhekuta	5,071
644.	Sh.	P. Ram	8,107
645.	,,	P. Agrawal	11,940
646.	,,	Mool Chand	11,638
647.	Smt.	Saraswati Devi	15,817
648.	Sh.	S. Narayan	8,652
649.	,,	M. Ram	8,665
650.	,,	S. M. Agrawal	13,165
651.	,,	B. Mal	11,224
652.	,,	H. Ram	13,529
653.	,,	D. Ram	9,340
654.	,,	M. Ram	9,928
655.	,,	H. Singh	5,582
656.	,,	M. Prassad	8,376
657.	,,	Tara Chand	8,768
658.	,,	M. Ram	9,313
659.	,,	Omkar Mal	5,260
660.	,,	M. Singh	6,495
661.	,,	S. Ram	7,689
662.	,,	Mool Chand	6,707
663.	,,	B. Ram	5,521
664.	,,	G. Ram	5,925
665.	,,	M. Deo	5,062
666.	,,	B. Singh	7,328
667.	,,	Ram Nath	9,946

1		2	3
668.	Shri	M. Chand	7,066
669.	„	M. Ram	5,754
670.	„	F. Chand	8,122
671.	„	Gopal	5,430
672.	„	D. Singh	5,964
673.	„	Gopal	7,434
674.	„	K. Singh	6,353
675.	„	R. Singh	6,022
676.	„	S. Singh	6,000
677.	„	S. Ram	6,218
678.	„	D. Ram	5,189
679.	„	A. Singh	5,077
680.	„	M. Ram	8,066
681.	„	S. Ram	15,524
682.	„	M. Ram	8,036
683.	„	S. Ram	7,376
684.	„	S. Chand	7,060
685.	„	N. Ram	12,245
686.	„	B. Ram	17,248
687.	„	K. Ram	5,000
688.	„	P. Ram	12,111
689.	„	S. Lal	5,036
690.	„	M. Ram	5,624
691.	„	Gajanand	6,707
692.	„	Ram Kumar	7,849
693.	„	Kalu Ram	11,399
694.	„	L. Ram	5,302
695.	„	Seo Dass	7,658
696.	„	R. Kumar	5,644
697.	„	Sya Chand	8,314

1	2		3
698.	Shri	S. Ram	6,634
699.	,,	S. Ram	7,397
700.	,,	S. Mal	5,000
701.	,,	L. Ram	7,435
702.	,,	S. Ram	6,978
703.	,,	K. Ram	7,289
704.	,,	N. Ram	5,891
705.	,,	S. Ram	6,023
706.	,,	S. Mal	6,003
707.	,,	B. Ram	8,951
708.	,,	Bhagwana	6,746
709.	,,	S. Mal	7,126
710.	,,	G. Ram	7,267
711.	,,	L. Ram	5,000
712.	,,	S. Ram	7,270
713.	,,	S. Ram	7,002
714.	,,	M.Singh	5,163
715.	,,	Tara Chand	5,000
716.	,,	D. Ram	6,311
717.	,,	H. Ram	6,868
718.	,,	C. Ram	7,193
719.	,,	Ram Dhan	10,851
720.	,,	Richhpal	5,145
721.	,,	R. Kumar	5,316
722.	,,	B. Ram	5,769
723.	,,	Sheo Pal	7,473
724.	,,	S. Ram	5,274
725.	,,	T. Ram	5,000
726.	,,	H. Singh	7,738
727.	,,	S. Ram	5,463

Page No. 474

(472)

1		2	3
728.	Shri	D. Ram	9,471
729.	,,	H. Singh	13,607
730.	,,	N. Singh	6,081
731.	,,	N. Ram	5,303
732.	,,	K. Ram	6,555
733.	,,	S. Mal	5,000
734.	,,	S. Ram	7,570
735.	,,	B. Ram	6,494
736.	,,	H. Ram	6,501
737.	,,	L. Ram	11,626
738.	,,	L. Ram	5,930
739.	,,	B. Ram	11,469
740.	,,	Ram Deo	5,799
741.	,,	H. Lal	10,148
742.	,,	S. Ram	6,944
743.	,,	P. Singh	6,197
744.	,,	H. C. Ram	6,207
745.	,,	B. Ram	16,177
746.	,,	B. Singh	13,951
747.	,,	Ramu.	10,670
748.	,,	S. P. Singh	7,351
749.	,,	S. Ram	7,226
750.	,,	J. Singh	6,922
751.	,,	R. Singh	13,364
752.	,,	N. Chand	14,977
753.	,,	Baj Nath	14,204
754.	,,	H. Singh	5,494
755.	,,	Tkana Ram	11,794
756.	,,	B. Ram	8,686
757.	,,	C. Ram	6,681

1		2	3
758.	Shri	R. Lal	6,889
759.	,,	R. Ram	8,966
760.	,,	Ganesh	5,647
761.	,,	L. Singh	7,424
762.	,,	M. Gour	6,276
763.	,,	Rameshwar	5,000
764.	,,	Hari	7,572
765.	,,	K. Ram	5,101
766.	,,	N. Ram	5,375
767.	,,	J. Ram	7,490
768.	,,	T. Ram	5,347
769.	,,	T. Ram	9,647
770.	,,	J. Singh	10,897
771.	,,	B. Ram	6,140
772.	,,	B. Ram	7,441
773.	,,	K. Ram	5,574
774.	,,	K. Ram	8,309
775.	,,	P. Singh	6,648
776.	,,	D. Ram	7,046
777.	,,	T. Ram	6,607
778.	,,	N. Ram	5,955
779.	,,	J. Ram	6,804
780.	,,	R. Lal	8,121
781.	,,	M. Ram	5,471
782.	,,	N. Ram	6,688
783.	,,	H. Singh	7,036
784.	,,	D. Ram	5,534
785.	,,	Gokul	9,705
786.	,,	Gopal	7,158
787.	,,	B. Ram	5,035

1		2	3
788.	Shri	L. Ram	6,562
789.	„	Prabhu	6,625
790.	„	Sukhdev	5,379
791.	„	J. Ram	6,057
792.	„	N. Ram	5,176
793.	„	Ramswaroop	5,282
794.	„	R. Kumar	10,771
795.	„	S. Ram	5,972
796.	„	U. Ram	6,447
797.	„	S. Lal	5,347
798.	„	Seo Dhan	5,102
799.	„	Ram Dhan	6,793
800.	„	N. Ram	11,050
801.	„	S. Ram	6,300
802.	„	B. Ram	5,204
803.	„	Dharmpal	5,419
804.	„	Mohan Dass	6,054
805.	„	J. Ram	5,909
806.	„	M. Ram	6,605
807.	„	D. Ram	6,456
808.	„	P. Singh	6,686
809.	„	S. Kumar	5,774
810.	„	S. Ram	8,438
811.	„	M. Chand	12,409
812.	„	G. Ram	5,945
813.	„	K. Ram	5,303
814.	„	M. Ram	5,632
815.	„	Goru	6,144
816.	„	T. Ram	5,984
817.	„	G. Ram	5,390

1	2		3
818.	Shri	Ram Karan	11,207
819.	,,	R. Chand	5,164
820.	,,	C. Lal	6,834
821.	,,	M. Ram	6,529
822.	,,	M. Ram	5,147
823.	,,	M. Khan	5,000
824.	,,	B. Ram	5,774
825.	,,	L. Singh	11,794
826.	,,	R. Singh	9,435
827.	,,	L. Singh	11,939
828.	,,	U. Singh	18,969
829.	,,	R. Singh	5,113
830.	,,	C. Lal	5,070
831.	,,	K. Ram	5,363
832.	,,	Radhe Shyam	12, 97
833.	,,	S. Sharma	11,023
834.	,,	R. Singh	5,392
835.	,,	Ram Chandra	14,551
836.	,,	T. G. B. Niketan	21,990
837.	,,	M. Ram	14,214
838.	,,	B. R. Ola	10,572
839.	,,	G. B. Niketan	20,338
840.	,,	B. Ram	5,562
841.	,,	B. Ram	16,853
842.	f,	H. Singh	11,481
843.	,,	B. Singh	7,291
844.	,,	L. Ram	8,251
845.	,,	Bhura Ram	8,254
846.	,,	M. Chand	5,782
847.	,,	Sri Ram	6,244

(476)

1		2	3
848.	Sh.	Hari Ram	11,040
849.	„	L. Ram	13,407
850.	„	M. Singh	10,640
851.	„	S. Ram	11,888
852.	„	Tansukh	6,092
853.	„	Mahadev	12,681
854.	„	R. Lal	5,777
855.	„	R. Kumar	5,328
856.	„	B. Lal	5,305
857.	„	P. Ram	5,258

LIST OF OUTSTANDING MORE THAN Rs. 5,000/-AND ABOVE OF CONST. CIRCLE JODHPUR.

S. N.	Name of consumer	Amount	Remarks
1	2	3	4
1.	Sartu Mal Vardaji	8,858.65	M.R.
2.	Gram Panchayat, Hatnai	5,297.65	M.R.
3.	Abey Singh	8,019.90	D.C. Issued
4.	AEN (PHED), Goyala.	5,502.35	D.C. Issued
5.	—do— Posalia	5,696.48	D.C. Issued
6.	Smt. Narain	5,696.48	D.C. Issued
7.	Sarpanch: Aaituwan	5,839.19	D.C. Issued
8.	Shri Sura Ram	8,163.50	M.R.
9.	Kumbharam	7,722.93	M.R.
10.	Gordhan Lal Kashi Ram	6,205.70	Meter changed.
11.	Rana Ram Ramaran	6,993.85	

1	2	3	4
12.	Smt. Maya Joshi	5,170.24	
13.	Gopal Sujaji	5,196.40	
14.	Nenu Ram Pokarram	5,003.24	
15.	Smt. Madhu	7,912.50	
16.	Sh. Ganpat Singh	5,149.70	D.C. Issued.
17.	Girdhari Ram	55,923.58	D.C. Issued
18.	Ladhoram Pukharam	8,665.90	M.R.
19.	Hiraram	6,125.00	Under P. D. R.
20.	Bhawani Singh	6,321.56	
21.	Pukharam Achlaram	7,692.15	
22.	Nathoo Singh	7,139.05	
23.	Kama Ram	5,517.88	
24.	Kewal Chand	5,067.67	
25.	Shamboo Singh	5,314.00	
26.	AEN (DPAP), Kudi	5,389.70	
27.	—do—	5,404.08	
28.	AEN, Dundara.	6,853.45	
29.	Sarpanch, Labera.	6,543.16	
30.	—do— Baori	8,317.83	
31.	XEN (PHED), Osian	5,273.35	
32.	B. D. O., Panchayat Samiti	7,531.93	
33.	Rama Kisan	6,244.16	
34.	Sarpanch, Khetasar.	6,629.55	
35.	Ramu Ram	5,637.39	M.R.
36.	Pratap Ram	7,650.58	M.R.
37.	Chotharam	12,883.90	Court case.
38.	Chooraram	5,151.22	Long D. C.
39.	Godram	19,990.79	D. C
40.	Hukmaram	8,623.10	
41.	Ram Chandra	6,692.10	D. C

1	2	3	4
42.	Padma Ram	14,633.50	DC
43.	Chainaram	7,336.70	DC
44.	Baluram	15,020.43	DC
45.	Nar Singhji	15,153.97	DC
46.	Pusharam	13,977.81	DC
47.	Ram Chandra	5,382.52	DC
48.	Chandanaram	10,615.54	DC
49.	Gopal Lal	8,608.21	DC
50.	Mangi Lal	14,961.17	DC
51.	Mangi Lal/Premram	30,809.64	DC
52.	Hari Ram	9,338.30	DC
53.	Premsukh	10,259.60	DC
54.	—do—	13,327.36	DC
55.	Ram Kishore	11,986.46	DC
56.	Mohan Lal	11,394.87	DC
57.	Karan Sing	15,067.39	DC
58.	—do—	12,033.53	DC
59.	Shiv Lal	8,408.58	DC
60.	Bajrang Singh	25,560.89	DC
61.	Poonaram	11,475.07	DC
62.	Mahaveer Singh	7,759.59	DC
63.	Achala Ram	8,295.50	DC
64.	Mugdan	9,181.80	DC
65.	Satyanarain	9,124.65	DC
66.	Karnidan	5,747.81	DC
67.	Moman Lal	20,072.97	DC
68.	Bhikha Ram	7,106.77	DC
69.	N. Railway	14,840.00	DC
70.	—do—	12,095.63	DC
71.	—do—	24,664.04	DC

(479)

1	2	3	4
72.	Jeewan Ram	6,445.20	DC
73.	Ranidan	8,483.89	DC
74.	Chuni Lal	8,051,84	DC
75.	Bankat Lal	7,086·56	MR
76.	Chhotu Lal	23,114.61	CC
77.	Bheek Chand	16,551.57	MR
78.	Gautam Chand	5,755.56	—
79.	Suraj Kanwar	11,377.00	
80.	Durga Lal	6,185.00	MR
81.	Khiya Ram	24,138.57	DC
82	M. I. Krishifarm	9,819.68	DC
83.	Abdul Hakeem	18,260.97	—
84.	Jasji	6,924.00	MR
85.	Rajnath	9,545.65	DC
86.	Achaldass	5,331.00	DC
87.	M. I. Krishifarm	13,236.68	MR
88.	Smt. Amritkahnawar Rajasani.	8,567.02	DC
89.	Assuram	5,265.52	—
90.	Poonamdass	9,979.30	—
91.	Uma Ram	6,772.00	
92.	Moti Singh	6,445.05	DC
93.	Prabhu Singh	5,550.74	—
94.	Bhola Ram	10,338.17	DC
95.	Madan P Joshi Siwana.	7,244.00	—
96.	M. S. Kandid Steel Co., Falna	32,490.45	Hige court case.
97.	AEN (PHED), Bhilas	6,357.69	
98.	Bachadan	7,176.22	
99.	Kalu Ram	9,168.19	TC
100.	Nainuram	5,697.67	
101,	Jasraj	8,699.41	
102.	Baktawar Singh	8,685.56	

1	2	3	4
106.	Santosh Floor Mill, Charli	5,043.64	MR
107.	Abaji Panaji	6,463.92	MR
108.	Ajari Mal	5,570.89	MR
109.	Bhawhar Lal	21,039.83	MR
110.	Roopa Bhaga	13,116.98	Credit case.
111.	Balvir Singh	5,109.61	DC
112.	Sampat Raj	11,522.28	Disput ecase.
113.	Ram Singh	9,853.87	Disput ecase
114.	Chandravir Singh	12,938.02	DC
115.	Khet Ram	5,978.54	DC
116.	Devi Singh	13,?04.92	No Meter
117.	Chandan Singh	13,549.91	Service line removed
118.	Bishan Singh	13,366.81	Service line removed
119.	Kailash Dan	7,820.58	MR
120.	Talso Girdhari	7,051.30	MR
121.	Chattarnawaji	9,943.84	MR
122.	Thawa Ram	8,050.53	MR
123.	Peer Singh	7,201.09	DC
124.	Immamuddin	22,200.00	DC
125.	Chhoga Ram	5,043.64	MR
126.	Bansi Lal	11,767.11	MR
127.	Shaitan Singh	6,090.08	DC
128.	Hanuman Pd.	10,243.75	MR
129.	Hanuwant Singh	5,853.32	DC
130.	Prem Singh	8,362.16	DC
131.	Jassaji	8,976.82	CC
132.	Mohan Lal	15,723.11	MR
133.	Jorawar Singh	8,526.32	DC
134.	Mohga Chogaji	17,346.69	DC
135.	Bansi Lal	11,060.54	Disput ecase.

1	2	3	4
136.	Naina Singh	9,459.70	MR
137.	Govind Kumar	11182.36	
138.	Vijai Singh	14615.31	
139.	Ghavsar Chand	13676.91	
140.	Jorawar Singh	5627.93	
141.	Devi Singh	5639.25	
142.	Balbir Singh	9802.07	
143.	Hari Singh	6289.93	
144.	Hawat Kumar	22245.33	
145.	AEN (PHED) Ahore	22759.07	
146.	—do—	5397.79	
147.	—do— Gudabalotan	8795.55	
	REC SUB DIVISION JALORE		
148.	Water Works Deganva	10315.27	
149.	Puran Singh	6084.28	
150.	Ganga Singh	8914.17	
151.	Heera khan	6569.69	
152.	Ganpat Singh	8889.71	
153.	Devi Singh	6673.50	
154.	Bhabut mal	13933.48	
155.	Sanwalram	8101.32	
156.	Dharma	6050.00	
157.	Vijai Singh	15013.48	
158.	Sawakupa	6518.46	
159.	Antar Kanwar	5144.24	
160.	Megh Singh	7849.65	
161.	Jetha Prabhuji	7091.64	
162.	Beorilal Sadaji	10609.45	
163.	Jodha Pratap ji	5383.16	
164.	Gajai Singh	6569.01	

1	2	3	4
165.	Rajdan	5024.95	
166.	Suraj Singh	6389.76	
167.	Mod Singh	7040.29	
168.	Prabhat Singh	6711.20	
169.	Raja Gabamaji	5090.00	
170.	Keshar Singh	6048.86	
171.	Nawa Bhatraji	7832.36	
172.	Bhawani Singh	7110.81	
173.	Gulab Singh	6572.56	
174.	Khankhara Moti.	6381.12	
175.	Gafarukhan	17614.32	
176.	Pannalal	5100.00	
177.	Tube well No.	5747.62	
178.	Meghwal Mularam	6815.53	
179.	Kihori Singh	6596.38	

LIST OF CONSUMERS HAVING OUTSTANDING MORE THAN Rs. 5000.00 AS ON 31.3.1983

JODHPUR (O&M) CIRCLE

EXECUTIVE ENGINEER (DIVISION) JODHPUR

S.No.	Name of Consumers	Amount
1	2	3
1.	Shri Shiv Narain	5428.35
2.	.. Sitaram	7857.16
3.	Smt. Sarju Devi	6[illegible]46.96
4.	Shri Mahbub Khan	58[illegible]1.52
5.	,, Veer Singh	5433.68

1	2		3
6.	Shri	Ahmad	5012.51
7.	,,	Ummed Bhawan	13046.20
8.	,,	Boster pump.	126879.15
9.	,,		224794.19
10.	M/s	Marwar Ice Factory.	28151.33
11.	,,	Cinema Stadium.	16379.31
12.	,,	Anand Cinema	906[illegible].50
13.	,,	Road Light Ratanara.	171361.90
14.	,,	do Circuit House.	49512.43
15.	,,	do Mohanpura	66437.31
16.	,,	do Sojati Gate.	51283.82
17.		XEN (PWD) Ratkuria Bhairun	14994.18
18.		Road Light ,,	21997.59
19.		Road Light ,,	542594.76
20.		Road Light Sojati gate.	8455.27
21.	Shri	Kajari	14586.60
22.	,,	Kajari	6232.68
23.	,,	Kajari	5583.67
24.	M/s	Super Motor Garriage	6433.77
25.		Forest Range Office.	10476.62
26.		R.A.C. 8	5077.52
27.		S. M. K. College	22354.73
28.		M.B.M. Engg. College	72786.22
29.	Shri	Anantram	7113.29
30.	,,	Ramraj	11245.11
31.	Smt.	Mufix	7110.75
32.	Shri	Mansingh	50502.00
33.		Headmaster (Mehanshri)	16932.00

1	2		3
34.	M/s	Plastic	5191.78
35.	,,	Vishnudas	11986.52
36.	,,	,,	42531.95
37.	Shri	Jabbar Singh	6452.14
38.	M/s	Raju Bhai Factory.	8395.64
39.	Shri	Ranjit Singh	5040.64
40.	,,	Aldass	5065.60
41.	M/s	Chitra Cinema	11641.82
42.	Shri	Madan Kanwar	10483.21
43.	,,	Mool chand	7392.78
44.	,,	Print Kot	5301.74
45.	,,	Amber Multi Works	10118.53
46.	,,	Chandmal	8392.79
47.	,,	Kistoor mal	13792.45
48.	,,	Murlidhar	9237.94
49.	,,	Ranjit singh	6566.05
50.	,,	Oswal Boarding	10140.06
51.	,,	Mohd. Shabbir	6940.77
52.	,,	Ikbal Hussain	16458.73
53.		M. B. M. Engg. College	40380.13
54.		Eng. College Hostel	12408.94
55.	Shri	Devi singh (Airforce)	132337.22
56.		Institutional of Engg. Works.	8023.95
57.		AEN (PHED)	21938.55
58.		do	25908.46
59.	Shri	Vishwakarma Trolley.	5536.25
60.	,,	Bhar Nirman Udyog.	7702.90
61.	M/s	Plastic India	6703.00

1		2	3
62.	M/S	Plostopek Gordhanlal	7546.16
63.	,,	Chaurdari Plastic Ind.	5952.00
64.	,,	Kanahialal Babulal	5342.86
65.	,,	K. C. Gupta	18787..9
66.	,,	Krishna Kumar	5068.23
67.	,,	Swastika Textile	5898.16
68.	,,	Singule Inds.	36827.79
69.	,,	Dalip singh	6504.13
70.	,,	Sukhraj Lodha	5480.31
71.	,,	Thanwards	5972.15
72.	Smt	Mohan pyari	7394.39
73.	,,	Dulari Devi	6291.48
74.	Sh.	Shivlal T. Porwal	13227.42
75.	,,	Rashid Ahmed	5543.46
76.	,,	Dashrathamal Sampatmal	5113.01
77.	,,	Danoba Inds.	6686.88
78.	Sh.	Hanif Khan.	5966.66
79.	M/S	Pushp Laghu Udhyog	6654.11
80.	Sh.	Mohd. Shah	5208.90
81.		AEN	14533.77
82.		AEN	30962.32
83.		M.B.	39067.08
84.		D. E. E. Northem Railway	243657.20
85.		do	22236.02
86.		D.E.E. Northem Railway	12139.40
87.		do	11159.29
88.		Road Light	650225.99

1	2		3
89.		Road Light	212796.09
90.			50119.26
91.			44285.42
92.			85311.71
93.	Shri	Anand Gum Ind.	11840.75
94.	M/s	Rathi Chemicals	1023918.66
95.	Sh.	Jophpur Iron & Steel	507549.84
96.	,,	Elcobex Matel	12543.28
97.	M/s	Chemicalf & Mineral	34943.12
98.	,,	Rajendra Steel Re Rolling	370880.25
99.	,,	Jodhpur Gum & Chemical	74098.98
100.	,,	Jodhpur Woolen Mills	122953.20
101.	,,	,, ,,	38670.03
102.	,,	B.K. Synthetics	83374.08
103.	,,	Kuchaman Steel	16510.84
104.	,,	Jodhpur Wires	96392.27
105.	,,	Rama Ind.	14533.85
106.	,,	Elco Bex Matel	276155.61
107.	,,	Raj St. Granit	56330.68
108.	,,	Abex Tubes	87336.70
109.	,,	Chopra Metals	21125.02
110.	,,	Standard Woolen	14070.90
111.	,,	Abex Steels	12184.18
112.	,,	Standard Metals	8030.25
113.	,,	Chopra Chemicals	12160.61
114.	,,	Sabo Minerals	14318.70
115.	,,	Kamala Industries	16738.19

1	2	3
116.	M/s Polyprotein	13390.80
117.	„ Sonal Matels	16738.19
118.	„ Manager, N.R.	240071.66
119.	„ DEN Raliway	482804.66
120.	„ AEN (PHED)	3774279.17
121.	„ Northern Railway	25844 80
122.	„ Air Force	24631.25
123.	„ do	6846.58
124.	„ do	22073.49
125.	„ do	11766.15
126.	„ do	14964.05
127.	„ do	9833.80
128.	„ do	6611.18
129.	„ do	6895.95
130.	„ do	11127.18
131.	„ do	23252.09
132.	do	6352.20
133.	„ do	10263.30
134.	Army	47589.20
135.	AEN (PHED)	19170.80
136.	Commissioner, M. B	25012.35
137.	Manager, N. R.	1250858.75
138.	SD O Air Force.	429383.20
139.	N. R. Bhagat Ki Kothi.	32394.25
140.	XEN	6750.80
141.	Sachiv Y. I.	6906.55
142.	Shri Prabhu Singh	8346.58
143.	M/s Hind Inds.	6913.17
144.	Shri Narendra Singh	6585.51

(488)

1	2			3
145.	Shri	Ishak Khan		10925.28
146.	,,	AEN (PHED)	Indroka	10061.86
147.	,,	do	Keru	31431.35
148.	,,	do	,,	14926.90
149.	,,	do	Chopasani	36652.72
150.	,,	do	Lalsagar	17782.32
151,	,,	do	Rampura	70987.69
152.	,,	do	Manaklabh	531189.59
153.	,,	do	Rampur	269235.06
154.	,,	do	Lalsagar	239062.50
155.	,,	do	Rampura	192689.17
156.	,,	do	do	45088.80
157.	,,	do	do	79401.00
158.	,,	do	Indoka	22388.73
159.	,,	do	Pump No. 1 to 7	466558.19
160.	,,	do	,, 8	173901.78
161.	,,	do	,,	78000.14
162.	,,	M. Counsel		13886.30
163.	,,	do		37562.29
164.	,,	do		10149.20
165.	,,	do		14495.76
166.	,,	do		21339.04
167.	,,	do		62008.95
168.	,,	do		18661.39
169.	,,	do		18870.55
170.	,,	Chopasani School		42616.33
171.	,,	Pottary Farm		21339.04
172.	,,	Sumersingh		11972.92
173.	,,	Mudaram		20195.06
174.	,,	Nathu Nobalji		11249.92

1	2		3
175.	Shri	Kalayan Singh	36324.32
176.	,,	Amarjeet Singh	12411.85
177.	Shri	Magraj	19432.57
178.	,,	Sita Ram	22534.62
179.	,,	Natthamal	11755.67
180.	,,	H. H. Properties	12556.58
181.	,,	do	13906.63
182.	,,	do	13148.65
183.	,,	Jodhpur Marbal Stone Crushing	12770.52
184.	,,	Amarjeet Singh	5486.78
185.	Smt.	Sunita Oil Indus.	7954.57
BILARA DIVISION.			
186.	,,	Ex. Officer	16579.45
187.	Smt.	Hawa Kanwar	6636.70
188.	,,	Digvijay Yarn Mill	341198.63
189.	Shri	Kishan Lal Bharani	6448.33
190.	,,	Gomaram	5483.94
191.	,,	JEN. (PHED) Ratkuria	10183.25
192.	M/s	Monark Chemical, Khanta	16900.69
193.	Shri	Panna Ram	5805.48
194.	,,	Shimbhuram	8003.00
195.		Secretary, M.B. Paper	14187.20
196.	Shri	Bhikharam	5276.07
197.	M/s	Laxmi Dal Mill	5221.08
198.		AEN (PHED)	66029.15
199.	Shri	Suryadan	9177.39
200.	,,	Shivdan Singh	5200.00

1		2	3
201.	Shri	Mangaldas	7191.12
202.	,,	Himmat Singh	5782.50
203.		AEN (G.W. Board)	5329.95
204.		Overseer Water Works	76795.34
205.		AEN (G.W. Board)	74205.07
206.	Shri	Shardul Singh	5320.38
207.	,,	Shyam Singh	5979.14
208.		AEN (PHED)	5242.58
209.	Shri	Surajmal	24513.79
210.	,,	Nawali Singh	6383.00
211.	,,	Kumbharam	6684.52
212.		XEN (PHED)	319135.17
213.		Kuber Krishi Farm	26301.20
214.	Shri	Vijaydan	183518.85
215.	,,	Mansingh	71415.01
216.	,,	Chandidan	6281.30
217.	,,	Shivdan	5225.32
218.	,,	Jassaram	7000.00
219.	,,	Shivdan singh	32661.72
220.		Kuber Krishi Farm	45970.80
221.	Shri	Agarchand	30121.00
222.		Kalayan Krishi Farm	24546.85
223.	Shri	Vijaidan	27367.52
224.	,,	Vijaidan S/o Sabaldan	15300.00
225.	,,	Durgadan	36711.66
226.	,,	Bhumram	13528.30
227.	,,	Tajaram	14371.10
228.	,,	Surtaram	8447.70
229.	,,	Kaluram	5594.12
230.	,,	Vijaidan	15837.87

1		2	3
231	Shri	Bholaram	5543 54
232.	,,	Kanahialal	5526.46
233.	,,	Mukanaram	14405.00
234.	,,	Kishore singh	7846.34
235.	,,	Jiwankumar	7901.20
236.	,,	Shankarlal	8973.33
237.	,,	Amarsingh	7032.76
238.	,,	Ganpatsingh	5519.90
239.		Pich ka Kua	6703.49
(GENERATION DIVISION : JODHPUR)			
240.		AEN, PWD, Phalodi	6378.08
	(BAMER DIVISION)		
241.	Shri	Roopji Nainji	7380.19
242.	,,	Bhoopati Singh	23419.78
243.	,,	Jaisingh Sawai Singh	7043.10
244.	,,	Sajjan Singh Mahipal Singh	74+7.00
245.	,,	Dukhamaina	5044.12
247.	,,	Bishan Singh Bhur Singh	7227.19
248.	,,	Ramsingh Jai Singh	6050.65
249.	,,	Nathulal Dayachand	13810.00
250.		Sarpanch Road Light	5626.40
251.	M/s	Chandan Mal Heeralal	5439.00
252.	,,	Mangilal Mishrilal	16019.00
253.	,,	RIMDC Water Works	51079.75
254.	,,	Water Works	15042.95
255.	M/s	Premchnad Textile	9619 60
PALI DIVISION :			
256.	Maharaja Shree Ummed Mill Pali		91900.00 C.Case)
257.	M/S	Govind Ice Factory, Sojat	13000.00
258.	,,	M. R. Sojat	31000·00
259.	,,	Bright Matel, Pipalia Kalan.	9000.00

492

LIST OF THE OUTSTANDING UPTO Rs. 5,000.00 AND ABOVE OF KOTA CIRCLE

EXECUTIVE ENGINEER (CITY DIVISION) KOTA.

S.No.	Name of consumers.		Ac/s. No.	Amount.	Remarks/ reasons
1	2			3	4
1.	M/S Podar Mill	L/T-6		10393	Case is under appeal as the amount of local S.Ch.
2.	,, Ashoka Spices	-d-		13752	-do-
3.	,, Supper Steel Ind	L/T-5		13065	-do-
4	,, Raj. Cable Ind.	L/T-6		34168	Case referred to Comml. Cell Jaipur for adj. of power cut.
5.	,, Manoj Associated	L/T-2		10921	Court case.
6.	,, V.M. : Oil Ind.	L/T-6		15795	D.C.
7.	,, Prakash Ind.	L/T-6		14231	W.R.
8.	,, XEN (Barrage Ciuty Kota)	L/T-2		49312	Case is under correspondence wite CE Irrigation, Jaipur.
9.	M/S Nand Ram Bhuraram	L/T-6		28640	D.C., Court case.
10.	,, Chemichem Ind	-do-		60786	Court case.
11.	,, New Haroti Coal Ind.	-do-		14708	Excess ch., Court case, send to SE (KC
12.	,, Shah Agro.Ind.	-do-		12719	W.R.
13.	,, A.S.I.	-do-		18910	-do-
14.	,, Karmaji & Somaji	T/L-5		16722	Court case.
15.	,, Chairman M.C.K.	L/T-3		19505	case under correspondance.
16.	,, -do-	L/T-3		14446	-do-
17.	,, XEN (CD) RSEB, Kota	L/T-2		12478	M.R.
18.	Send Stone	L/T-6		10323	Instt. allowed.

1	2		3	4
19. M/s	Chairman	L/T-3	347725	Odl dues priro to Board.
20. ,,	N.B.B.C. Kota	L/T-2	55219	Transformer depreciation ch. Temp. connection & other ch. under correspondance.
21. ,,	Western Railway	L/T-7	2358000	Tariff dispute.
22. ,,	Subhash Ind.	L/T-5	5036	D.C.
23. ,,	Laxmi Ind.	L/T-5	7240	Case is under approval as the amount of local S.Ch.
24. ,,	Jeevan Ind.	L/T-6	9210	Intt. Allowed.
25. ,,	Avon Ind.	-do-	5750	Local Surcharge is under approval.
26. ,,	Jeevan Spices	-do-	7240	-do-
27. ,,	Suraj Prakash Ind.	-do-	6919	Meter found fast; case sent to SE :KC: Kota.
28. ,,	M/S Harbansh Singh	L/T-2	5381	Court case.
29. ,,	Manoj Kr.Kota	-do-	8211	D.C.
30. ,,	Sec.H.M.Peper Society	L/T-5	6171	-do-
31. ,,	Manoj Cold Ind.	-do-	5517	M.R.
32. ,,	Chambal Udyog	L/T-6	7288	M.R.
33. ,,	Shigvi Creshers	-do-	7288	M.R.
34. ,,	Mayur Cold storage	-do-	9164	Credit case sent to SE (KC) Kota.
35. ,,	AEN (TCC-IV SD-II) RSEB. Kota	L/T-2	8673	Old amount SE (KC) office in Garh place Kota.
36.	Chairman, MB, Kota	L/T-3	8673	letter sent to Chairman, MB. Kota on 1-8-83 for depositing the amount.
37. M/S	Good luck	L/T-6	9932	depossed in insti.
38. ,,	Yamini Enterprises	-do-	7256	-do-

494

1	2		3	4
39.	M/S Syma Stone	L/T-6	9067	Under appeal.
40	,, Yamani Ent.	-do-	5443	-do-
	EXECUTIVE ENGINEER :O&M: SAWAIMADHOPUR :			
41.	M/s Sarpanch Gram Panchayat	L/T-3	5188	Under correspondance.
42.	,, Dinesh Flour Mills	IP	8938	Court case.
43.	,, President SWM	GM	6457	under dispute.
44.	,, Militry Secretary.		9539	To be written off.
45.	,, Shr Yesvecdra Kr.		11912	E.D.R.
	EXECUTIVE ENGINEER :O&M: BARAN :			
46.	Sh. Kishori lal Atru	P 4	9484	Accepted to deposit in instt.
47.	,, Agrawal Ind.	MP-6	13367	Under protest.
48.	M/S Tongya Bros.	MP-11	13708	-do-
49.	Sec.M.B. Indergarh	23/16	13271	
50.	AEN (PHED) Bundi	2/241	10435	
51.	-do-	2/614	14938	
52	M/S Shanker Udpog	2/451	5982	
53.	,, Gurubhanjan Singh	17/MD/3	5051	D.C.
54.	Gram Seva Sah. Samiti	19/S/74	20068	MR
55.	M/s Gram Panchayat Laban	22/L/41	6887	MR
56.	,, M.B.K. Patan	48/19/K/12	18832	MR
57.	,, AEN (PHED) Lakheri	22/1/41	5421	MR
58.	,, Gurubax singh	L/T-2	8015	MR
59.	,, Sun Shine G. Ind.	1/GPB/21	56609	MR
60.	,, Dablana Open Pan Ind.	1/2/135	11912	MR

1	2		3	4
61.	M/s Manager Sah. Hinduli		7558	DC
62.	,, AEN (Civil) RSES, J. Sagar		7124	MR
63.	Incharge Officer MB Nainwan		8246	Pending under PDR.
	EXECUTIVE ENGINEER :O&M: JHALAWAR :			
64.	M/S Pawan Stone Ind. 98/53		5546	D.C.
65.	,, AMI Tawaril		18882	-do-
66.	,, M.B. Sunel		17118	
67.	,, M.B. Pirawa		15655	
68.	,, Janhit Const.		5706	P.D.C.
69.	,, Prem Oil Factory		14671	,,
70.	,, XEN (PHED) JHI.		14259	
71.	-do-		9330	
72.	,, Estate Suket Labour Co.		19366	D.C.
73.	,, Tyagi Associated		15781	M.R.
74.	,, A.S 9	95-2-10	20669	
75.	A—S—9	94-2-33	12995	
76.	,,	94-1-55	9583	
77.	M/S Vijay Oil Mil		31486	
78.	,, Afgan Tyre Works.		1147	
79.	XEN (PHED) JHI.		8885	
80.	M/S Parveer Oil Mill.		9820	
	EXECUITVE ENCINEER :O&M: SAWAIMADHOPUR :			
81.	M/S Raj. Oil Ind.		5610	Court case.
82.	G.B. Oil Mill.		10448	Under Court case.
83.	,, Vijai Ind.		26972	,,
84.	,, Bajrang Oil Mill.		7282	PDC amount under EDR.
85.	,, Bharat Rice Mill		5587	-do-

LIST OF OUTSTANDING DUES AGAINST H.T.CONSUMERS UNDER KOTA CIRCLE AS ON 31.3.83

S. No.	Name of the consumers.	Account No.	B.D./E.D.	Reasons of outstanding dues
1	2	3	4	5
1.	M/S S.V.C.I. Kota	KG-HT/1 ED	8397886 50 11282785.47 —	Fuel surcharge amt., tariff dispute, Court stay.
2.	,, J.K.Synthetics Ltd. Kota.	KC-HT-3 ED	5703930,71 173917.73 —	Fuel surcharge amt. diff. of contract load and actual recoded MDI Court stay.
3.	,, Shriram Fert. & Chemical.	KC/IT-2 ED	47731189.00 —	Diff. on M. M. Charge/Fuel charge, Court Stay.
4.	,, Kota Steesl (MINI Steel).	KC-HT-36 ED	2893300.00 — 51625.00	Mini. charge/Fuel ch.D.C.
5.	,, Kota Steel Rerolling Mills.	,, -16 ED	525286.00 53588. 0	-do.
6.	M/S AEN (PHED) Kota	,, -22 ED	1260535.00 12188.00	Old tariff dispute & arrear of fuel s.ch. Court stay.
7.	,, Oriental power Cables.	,, -5 ED	7987531.00	Contract demand dispute aud F.Ch.
8.	,, Birla Flour Mill	,, -13 ED	3(4718.00 844.00	Min.ch./fuel s.ch. Board's decision.
9.	,, Div.Supdt.W.W Koth	,, -20 ED	445867.00 —	Old tariff disputes, Board's decision.
10.	,, Multimetals Ltd.	,, -6 ED	417037.00 —	Fuel S.Ch./Court Stay.
11.	,, S.R.Rapans	,, -29 ED	60039.00	-do-
12.	,, -do-	,, -4 ED	644840.00 -	Mini. ch./Fuel S./Ch/Court Stay.

1	2	3	4
13.	M/S Foreign Emp. &Exp. Ltd. KC-HT-7 ED	46813.30 —	Fuel S.Charges, Court Stay.
14.	M/S Suderson Tex. Mills ,, -10 ED	581904.30	-do-
15.	,, Prabhat Steel P. Ltd. ,, - 10 ED	441137.00 16500 00	Mini.ch./Fuel,S.Ch./ Court stay.
16.	,, Mahalaxmi Asso. ,, -12 ED	49471.00 238006.00	Fuel S.Charges, Court Stay.
17.	,, B.P. Tech. Oil Mills. ,, -27 ED	597000.00 —	Mini. Charges, Fuel Ch. Court Stay.
18	,, Premier Paper Board. ,, -14 ED	181861.00 4875.90	-do-
19.	,, Kota Cold Storage ,, -11 ED	40387.00 160899.00	Fuel S.Ch. Court stay.
20.	Instrumentation Ltd. ,, -21 ED	15 579.00 —	-do-
21.	,, Indo Ind. ,, -13 ED	21334.00 155.00	-do-
22.	M/S Kota Oxygen Co. KC-HT-15 ED	59838.00	Fuel S.Ch. Court Stay.
23.	The AEN (O&M) BWM. M/S Raj. Taxtile Mills. ,,- ED ASSISTT. ENGINEER. R. MANDI.	677516.00	The Asstt. Comm. Officer RSEB, Jaipur desired the amt. of final rate of F.Ch. from Way, 74 to 4/80, Court Stay.
24.	M/S Manglam Cement Morak. ED	95672.00 —	Stay under court case.
25.	-do- ED	660.00	-do-
26.	M/S A.S.I Co. Kudayla ED ASSISTANT ENGINEER (LD) SWM.	41912.00-	
27.	M/S Jaipur Udyog Ltd. ED ASSISTANT ENGINEER : O& BUNDI.	6215662.00	Under disputes.
28.	M/S A.C.C. Cement Factory Lakheri. ED	7572.00 —	-do-

498

SIKAR CIRCLE

LIST OF OUTSTANDING DUES AGAINST CONSUMERS HAVING MORE THAN RS. 5000/— AS ON 31.3.1983

S.No.	Name of consumer	Outstanding (B.D.)
1	2	3
1.	Shri Makbool/Hafiz	5,860.50
2.	M/s Kailash Chand Ramesh	7,862.12
3.	AEN Water Works	16,367.76
4.	Mikand Singh	8,515.87
5.	Shri Gulab Chand	5,415.85
6.	Sh. Nathu Narain Coal Ind.	5,554.42
7.	Shri Mohamed Ibrahim	8,648.50
8.	M/s Bajatya Flour Mill	5,559.63
9.	Shri Moti Lal Mittal	10,771.97
10.	M/s Shiv Ice Factory	11,727.05
11.	M/s Mangi Lal Ganoyag Mal	6,326.54
12.	M/s Jaipur Ghebles	35,017.45
13.	M/s Indian Gum Industry	70,398.50
14.	M/s Ramswaroop Bajaj Gum Industry	10,309.60
15.	M/s Shiv Udyog	26,855.08
16.	M/s Gahalot Industry	13,853.32
17.	M/s Ghauhan Ghemicals	15,127.06
18.	M/s Shekhawati Gwar Gum	16,256.93
19.	M/s Trilok Spinning Mill	5,386.79
20.	M/s Bajaj Industry	11,599.09
21.	M/s Metal Industry	6,085.55
22.	AEN (R)	7,436.57
23.	Gilla Glub	5,588.90
24.	Shri Govind Ram	11,881.10
25.	M/s Shiv Kumar Mohan Lal	5,570.08
26.	Govind Krishna	5,282.00
27.	Rameshwar Bhurg Ghandra	9,191.95
28.	M/s Bhanwar Singh Naher Singh	7,215.55
29.	Kheta Kirana	5,626.34
30.	M/s Bhagoti Ram Junda Ram	5,487.97
31.	M/s Gopaldas Haridas	11,356.08

1	2	3
32.	Ganpati Devi/Ramu Ram	6,528.10
33.	Hukam Singh, Jamna Ram	5,122.60
34.	Ladu Ram Shiv Bux	6,362.60
35.	M/s Manna Ram Mota Ram	8,181.28
36.	Nanuja Hanuman Ji	8,588.08
37.	Nehudeen Sultan Khan	9,696.10
38.	Khetan Dhola	5,730.70
39.	Ganpat Buxa	9,448.91
40.	Govind Ghella Umar Dan	17,157.37
41.	Nathur Kheta Ram	5,700.17
42.	Krishna Ram Lachha Ram	9,586.59
43.	Pokhar Mal Ram Singh	13,013.03
44.	Sava Ram Ladhu Ram	5,694.84
45.	Ranjeet Singh Choga Ram	9,558.32
46.	Hanumana Maniram	8,614.84
46.	Nehara Ram Manga Ram	6,365.90
48.	Toda Ram Jeeva Ram	7,023.63
49.	Seva Ram Chet Ram	10,828.64
50.	Shiv Nath Nand Ram	9,188.19
51.	Ganga Ram Bhura Ram	8,265.30
52.	Rekha Duna	5,440.85
53.	Kanna Ram Ganga Ram	10,343.12
54.	Ratan Singh Hanumanji	1,094.50
55.	Gissa Lal Kalyan Bux	11,961.29
56.	Mal Chand Balabux	5,454.61
57.	Heera Ram Mula Ram	8,523.90
58.	Anne Khumba Ram	8,570.80
59.	Ganga Ram Gopal	7,150.00
60.	Bhagwana Ganga Ram	15,052.85
61.	Smt. Urani Fiva	5,044.15
62.	Goverdhan Lal Mukanda Ram	5,061.61
63.	Lal Chand Saini	6,018.40
64.	Purohit and Narain	7,916.81
60.	Bhura Mal Manna Lal	14,613.97
66.	Rameshwar Lal Mehraja	6,073.60
67.	Radha Ram Dhanna Ram	6,227.60
68.	W/s Gordhan Mahabux	6,128.83

(500)

1	2	3
69	Nazir Ahmed Mola	6,849.40
70.	Bhura Mal Jutawa	8,792.51
71.	Narayan Jetaram	9,941.13
72.	Chittarmal Pujari	6,250.90
73.	Rafik Idu Khan	16,477.43
74	Ladu Ram Sarpanch	13,586.20
75.	Balbeer Singh	1,644.89
76.	Baxaram Baluram	10,470.00
77.	Bhadaram Asharam	9,182.47
78.	Jhuntharam Balaram	5,380.25
79.	Balbeer Singh	9,573.70
80	Maniram Mali	7,898.42
81.	Ishwar Lal Saini	7,867.80
82.	Baburam Hanumana	8,927.79
83.	Pemaram Pannaram	12,692.97
84.	Sakta Singh Ram Singh	14,121.98
85.	Gharsiram Hariram	14,611.85
86.	Keshri Singh Raghunath Singh	11,995.93
87.	Ishwar Ram Jeeva Ram	12,956.42
88.	Satya Narain Jamna Lal	6,796.20
89.	Manglaram Pularam	7,527.20
90.	Thakar Ram Durga Ram	5,014.20
91.	Rekharam Manglaram	12,973.60
92.	Manglaram Gangaram	5,724.61
93.	Jeevanram Dularam	17,224.11
94.	Chunnilal Baluram	13 489.76
95.	Partoo Ram Munn Ram	5,489.60
96.	Malaram	8,178.64
97.	Pansaram Ghidaram	6,906.37
98.	Brij Bihari Kunj Bihari	21,359.10
99.	Kalu/Ganesh/Ishwar	7,962.56
100	Nanuram, Khanga Ram	5,197.10
101.	Moolchand Bhinawaram	6,738.30
102.	Kumbaram Bhudaram	5,143.20
103.	Jeevanram Patel	7,291.70
104.	Hanuman/Amra Ram	6,649 28
105.	Mali/Shiv Shanker	7,289.80

Page No. 503

(501)

1	2	3
106.	Hanuman/Goru	6,442.30
107.	Purshotam Lal	5,098.50
108.	Balu Khan/Mumtaj	9,180 43
109.	Mangilal Ramdhan	7,612.73
110.	Gangaram Bhoora Ram	5,451.14
111.	Pooranmal Hardev Verma	5,598.00
112.	Narain/Uda/Pokar	5,129.80
113.	Prahalad Dunga Kumawat	5,153.12
114.	Tarachand Meena	6,090.68
115.	Birbal Singh	8,368.25
116.	Kalyan Singh	9,107.81
117.	Khetaram Manglaram	12,370.76
118.	Parth, Bega, Mali	5,546.64
119.	Ganpatram Baluram	9,311.20
120.	Jaichand Gujar	5,198.81
121.	Nanuram Khetaram	6,269.71
122.	Jeewan Maharaj	6,039.70
123.	Arjun Singh Girdhari	5,203.66
124.	Bhinwa, Rughalal	9,898.39
125.	Rambux, Pemaram	7,735.20
126.	Mukunda, Madanlal	7,372.90
127.	Manoharlal Shri Niwas	5,261.00
128.	Tilakram Lona Ram	5,321.00
129.	Raghunath Balabux	12,962.20
130.	Hanumana Ram	8,101.70
131.	Bhimsingh, Surjansingh	12,431.35
132.	Laxmi Narain Nanuram	5,839.30
133.	Smt. Geeta Devi	6,398.90
134.	Gumaniram Mohanlal Chejara	6,416.19
135.	Raghunandan Ganedi Wala	5,605.50
136.	Buxram Public Well	5,049.36
137.	Asstt Engineer, Banuda	8,282.20
138.	Asstt. Engineer, Water Works	25,546.88
139.	-do-	5,259.70
141.	Hem Singh. Loth Singh	7,025.74
142.	Panna Ram, Kesh Ram	5542.00
143.	Latha Ram, Kesha Ram	5542.00

1	2	3
144.	Sh. Ram Lal Kumbha Ram	9027.39
145.	Usha Ram Banna Ram	5932.00
146.	Kalu Ram Chokha Ram	5221.00
147.	Narayan Singh Megh Singh	5535.96
148.	Briju Ram Meth Ram	5530.22
149.	Debu Ram Patha Ram	8083.03
150.	Lakhaji Kishan Singh	8431.79
151.	Brahmdutt Nagarmal	11380.70
152.	Chimana Ram Dhana Ram	11108.30
153.	Hinglaz Singh	9359.90
154.	Prabhu Ram Ram Singh	5062.90
155.	Jamnadas Shyamdas	8300.73
156.	Lal Chand Bhura Ram	6490.87
157.	Parsaram Roodmal	13089.87
158.	Mangilal Kishan Singh	7068.38
159.	Budha Ram Tura Ram	5834.38
160.	Ram Deo Nanda	5174.05
161.	Gurbux Singh Shiv Bux	12662.39
162.	Bhanwar Singh Dungi	6656.21
163.	Bhoora Ram Girdhari	12262.39
164.	Kaluram Kishnaram	7602.65
165.	Ishwar Singh Begaram	6686.75
166.	Durga Ram Narain	9190.17
167.	Laxman Singh Dhokal Singh	7327.36
168.	Chunaram Kesha Ram	5304 00
169.	Surja Ram Dunga Ram	7317.15
170.	Shivbux Pemaram	6640.48
171.	Ramkumar Shivbux	8736.60
172.	Jai Ram Da Swami	5529.80
173.	Dhanna Ram Barbar	9389.70
174.	Jeetaram Munnaram	1648.29
175.	Moti Ram Lalaram	19552.79
176.	Ganpat Ram Natha Ram	10560.03
177.	Ishwar Ram	6420.00
178.	Manjeet Singh	7734.40
179.	Hanumana Ram	5451.00
180.	Tulcharam	6081.00

1	2	3
181.	Bhivan Kalidas	5499.94
182.	Richpal	11201.66
183.	Mahadev Ram	6326.23
184.	Bega Ram	7904.75
185.	Hanuta Ram Udda Ram	8113.10
186.	Shishpal Bhanwari Lal	5279.19
187.	Trilok Baldev Sharma	6514.80
188.	Bhagwana Ram Duda Ram	9843.10
189.	Narain Singh Bhagwana Ram	6542.28
190.	Govinda Ram/Golnka	7432.86
191.	Bansi.har Sharma	5959.00
192.	Ram Kumar/Mangu Ram	5421.00
193.	Kumana Ram/Bhrairam Ram	7901.30
194.	Hardev Singh/Govinda Ram	6561.00
195.	Nanu Ram/Bhatra	12509.00
196.	Chalu Ram Ganesh Narain	7905.22
197.	Vangaria Bal Vidhya Niketan	17119.42
198.	Prakash Flour Mill	5630.10
199.	Mool Singh/Dev Singh	6710.46
200.	Ganpat Ram/Nathu Ram	5746.61
201.	Ratanlal/Singhania	5536.70
202.	M. B. Ramgarh	74826.76
203.	M. B. Lofl.	7766.29
204.	Mumtaj Chitar	5960.00
205.	Laxman Sharma	5472.00
206.	Bhagirath	5290.83
207.	Kalu Ram Hari Ram	6228.00
208.	Pooran Ram Jeevan	6140.45
209.	Soji/Bhima Ram	5628.20
210.	Panna Ram/Chuna	6822.00
211.	Nathuram/China	6607.41
212.	Mangala Ram	8234.77
213.	Laxmi Narain	10484.29
214.	Hanuman Prasad	11942.99
215.	Durjan Singh	7017.90
216.	Sugan Singh	6160.67
217.	Kishore Singh	10684.90

1	2	3
218.	Ganesh Ram/Moti	12346.97
219.	Kalyan Singh	5662.90
220.	Laxman Ram	6724.60
221.	Mahendra/Kishna Ram	12420.10
222.	Pemaram	6105.19
223.	Chandan Mal/Bhura	6456.46
224.	Raghunath Sharma	11059.40
225.	Hardev Ram/Balu	6393.82
226.	ukha/Udha Ram	5788.90
227.	Soji Ram Hanuman	5788.90
228	Bhanwar Lal Pareek	7345.82
229.	Girvar Singh	11551.10
230.	Jhuntha Ram	13263.82
231.	Bhanwar Singh	5097.00
232.	Mukanda/Deepa	8952.27
233.	Dala Ram	5021.56
234.	Mala Ram/Jadu Ram	12226.15
235.	Dilkah Rai	6823.34
236.	Ganesh Ram Shyo Chand	11534.27
237.	Govind Ram/Keshi Ram	6963.36
238.	Chairman, M. Board	5711.53
239.	Baluram Khetaram	6429.50
240.	M/s. Packing Material Industries	6281.74
241.	Umesh Kumar Modi	8645.08
242.	Narain Kishan Lal	5119.35
243.	Gopal Singh/Sugh Singh	6294.45
244.	Khandelwal Woolen Mills	9601.80
245.	Krishana Insulators	17327.65
246.	Bharam Prakash Modi	7609.00
247.	Chairman, M.B., Neem Ka Thana	132387.89
248.	-do-	174468.12
249.	-do-, Khandela	18648.15
250.	-do- ,,	7446.86
251.	-do- ,,	11060.22
252.	Duda Ram Paras Ram	5715.55
253.	Duda Ram Kishana Ram	5277.44
254.	Keshar Ram/Gumana Ram	5492.55

1	2	3
256.	Paddar Bheen	5227.65
257.	Hanuman/Nanu Ram	6192.22
258.	Mukhan Lal/Surjaram	7110.90
259.	Shiv Dayal Singh	7423.70
260.	Hanuman	5854 20
261.	Dayal Luxminarain	5626.78
262.	Laxminarain/Sirja Ram	11057.09
263.	Hardayal	5436.60
264.	Harlal Singh/Selag Ram	8035.28
265.	Raghunath/Gangaram	5785.10
266.	Rupa Ram/Jetharam	5546.36
267.	Dera Hanuman/Goru	11374.29
268.	Ram Kishore/Ladu Ram	6949.61
269.	Hanuman/Jhutha Mangilal	9909.94
270.	Ganpat Ram/Asha Ram	6726.26
271.	Shoyn Ram/Sukh Ram	5671.05
272.	Mudha Ram/Shokaram	5194.36
273.	Hanuman/Narainlal	8754.90
274.	Ganpat Singh/Iswar Singh	8042.80
275.	Prahlad Singh	6117.29
276.	Onkar Ramdev	5185.59
277.	Suraj Singh	9334.60
278.	Moti Ram/Inda Ram	16445.87
279.	Dhanna/Dala Ram	10378.39
280.	Geeta Ram/Shyama Ram	6187.98
281.	Motiram/Khagaram	6660.12
282.	Balu Ram/Nana Ram	6142.04
283.	Govind Singh/Hari Singh	8770.42
284.	Hari Singh/Govid Singh	7230.72
285.	Jaya Ram/Hanuman Singh	5917.52
286.	Dhanna/Dulla	5112.00
287.	Prithvi Singh	5368.00
288.	Kalu/Nola	8505.02
289.	Onkar/Fatta	12110.45
290.	Gangabux	5282.00
291.	Govind Ram	8731.00
292.	M.B. Srimadhopur	90793.55

1	2	3
293.	M. B. Srimadhopur	39922.38
294.	-do-	5396.31
295.	Sarpanch Gram Panchayat	22881.07
296.	AEN, RSEB, Srimadhopur	8568.97
297.	Birdha Bhoora	5266.50
298.	Asrafal/Lodukhan	6007.80
299.	Sohan Singh	6902.46
300.	Bansidhar	7806.83
301.	Bhura Daloo Ram	6514.10
302.	Ram Das	6706.00
303.	Bajrang Singh Sukhsingh	6833.50
304.	Mahesh Kumar	6174.16
305.	Hanuman/Panna	5167.27
306.	Nanuman/Arjun	6964.63
307.	Luchha Ram/Bhimaram	5976.10
308.	Harlal Singh	5798.43
309.	Begaram/Munaram	5858.46
310.	Sarpanch Gram Panchayat	7382.92
311.	-do-	8203.10
312.	-do-	5169.25
313.	-do- Danta	15763.97
314.	Rameshwar Laxman	5282.00
315.	Chiggan Lal/Kapoorchand	6959.42
316.	Rameshwar Lal/Jessa Ram	5738.20
317.	Mahesh Kumar & Co.	6174.35
318.	Hanuman Bhara Aheer	86412.04
319.	Gajanand/Rejender	14591.00
320.	Bhagwan Singh/Jhutha Ram	13007.99
321.	Jhafar Mal	5167.85
322.	Hanuman Singh/Mahabux.	5273.22
323.	Richhpal Singh	9144.37
324.	Kishan Gopal/Banarsi Lal	5558.51
325.	Mohd./Mohd Khan	5279.61
326.	Subhash Stainless Steel Factory	9313.80
327.	Radheyshayam Gokulchand	5969.21
328.	Narain Pd. Ram chand Sharma	5233.50

507

LIST OF CONSUMERS HAVING OUTSTANDING MORE THAN Rs. 5000.00
UDAIPUR CIRCLE

S.No	Name of consumer.	Amount.
1	2	3
	EXECUTIVE ENGINEER : DD : RSEB : UDAIPUR.	
1.	M/s Ganesh Oil Mills Kheroda	5452.51
2.	,, ,,	7567.68
3.	,, Jain Bhandar -do-	13515.76
4.	,, Mittalal Nathulal -do-	5381.18
5.	,, Daya Bhai J.Shah Airport.	34725.58
6.	,, Aodinath Oil Mills, Kheroda	11801.14
7.	,, M.B.E.S.Co. Ltd. Udaipur	1666364.19
8.	,, Universal Minerals, Udharwas	18567.34
9.	,, Udaipur Chemicals Ind. Debari.	20742.31
10.	,, Amberi Crusher, Amberi.	6431.07
11.	,, Deepak Khandsari, Gogunda,	8419.58
12.	,, Vikash Adhikari, Kalakala	5691.95
13.	,, -do- Bori (Salumber)	34765.02
14.	,, Industrial Minerals, Rikhebdeo.	6376.06
15.	,, Gona Enterprises, Bhoiyon ki Pancholi	7570.20
16.	,, Vikash Adhikari Mandi.	6363.00
17.	,, Zawarmalta Pump House.	20499.00
18.	,, Vijay Singh Duleb singh Shishvi.	5333.70
19.	,, Shikander Khan/Vijeer Khan, Kherwara	5333.40
20.	,, Sarpanch G.P, Salawata.	6466.41
21.	,, Nanda/Deva singh Asna.	6058.80
22.	,, Bansi Lal/Narayan lal Rama	5674.30
23.	,, AEN, Irrigation, Veerpura	5420.00
24.	,, Sarpanch, GP, Gounda	5340.40
25.	,, AEN (PHED) Nathdwara.	16862.99
26.	,, Saraswati Oil Mill, Fatehnagar	10810.68

1	2	3
27. M/s	Maheswari Cotton Fact.	6797.67
28. „	Rishebh Chatur Cotton Zinning Factory Fatehnagar.	25078.96
29. „	Moh.Habib, Rainagar	9218.90
30. „	Shri Nath Marble Morchana.	6055.47
31. „	Kailash Cotton, Amet.	12617.10
32. „	Laxmi Zinning & Cotton Factory.	7947.50
33. „	Sh. Pema/Gemer Ji Lohar Namara	5460.20
34. „	Advance Paper Mili Gunjol.	18504.60
35. „	H.Z.Ltd. Zawarmines.	3946483.31
36. „	A.Z.Ltd. Matoon.	18694.36
37. „	H.Z.Ltd. Debari.	9755653.87
38. „	Udaipur Cement Works, Naharmagra	1176729.51
39. „	Udaipur Cement Works, Deroli.	34485.62
40. „	Raj. Multi Ltd. Udaisagar	24714.78
41. „	Udaipur Chemical Fertilizer Ltd. Debari.	26047.17
42. „	Perfect Thread Mills, Amberi.	51787.34
43. „	J.K. Ind. Kankroli.	569159.80
44. „	Charbhuja Sugar Mill, Roop Khera.	122208 61
45. „	Shri Nath Sugar Mill Nathdwara.	66821.03
46. „	Advance Paper Mill.	253395.24
47. „	Rishabh Chatur Cotton, Fatehnagar.	29990.09
48 „	Madhuvan Chemicals, Dabok.	194281.49

EXECUTIVE ENGINER : DD : RSEB : BANSWARA :

1. M/s.	XEN (Mahi Project) Banswara	23617.15
2.	XEN (CCW), Fatehpura, Banswara	39844.10
3. M/S	Anil Ginning & Pressing Factory.	26620.95
4. „	Cankriya Ginning & Pressing Factory.	21897 35
5. „	N R. Bambori, Minerals, Banswara.	17398.24
6. „	Surendra Ginn. & Prass. Factory.	5062.01

509

1	2	3
7.	M/s Pankaj Oill Mill, Banswarе.	71952.24
8.	,, Mehata Oil and Ginning Factory	8160.95
9.	,, Sarpanch G.P. Garhi	26129.10
10.	,, Jagdish Chandra Bambori.	135591.91
11.	,, Oriental Telecom Product.	9836.43
12.	,, D.E.D Micro Proj. Kushalgarh.	6046.84
13.	,, Krishana Kendriya Cotton Fact. Barodi	1353.56
14.	,, Vimal Udhyog Naya Gaon.	8000.00
	EXECUTIVE ENGINEER (CONST.) DIVISION RSEB : UDAIPUR:	
1.	,, M/S Hanuman Udhyog, Railmagra.	13968.00
2.	,, B.D.O. Salumber	13309.29
3.	,, Charbhuja Sugar Works, Charbhuja.	83581.63
4.	,, Nandlal Methalal, Sarawaniya.	5038.63
5.	,, Sikandar Khan Uageer Khan.	5843.04
6.	,, H.Z.Ltd.Dariba	57876.38
	EXECUTIVE ENGINEER (DD) RSEB : DUNGARPUR :	
1	M/s India International Dungarpur.	28547.68
2.	,, Arawali Minerals, Inderkhet.	6175.00
3.	,, Raj. Syntex.Dungarpur.	75310.36
4.	,, -do-	29760.14
5.	Laxmi Ice Factory, Dungarpur.	9401.44
6.	,, Ram Talkies Sagwara	8162.65
7.	,, Sobhagmal Sah. Baroda.	6213.89
	EXECUTIVE ENGINEER (CITY DIVISION) RSEB : UDAIPUR :	
.	M/s Udaipur Cotton Mill.	168531.99
.	,, Metal Udhyog.	661173.68
.	,, Crental Talk.	405407.75
.	,, N.Devidas	33747.29
.	,, R.M.D.S.	95415.72

510

1	2	3
6. M/s	Earnest Gages.	9194.87
7. ,,	Standard Chemotex.	186801.65
8. ,,	Settiya Metals.	401077.87
9. ,,	Ajay Plastic.	13712.17
10 ,,	Shakti Iron.	104520.84
11. ,,	Chowksi Contracts.	8020.36
12. ,,	Shriji Ind.	31621.36
13. ,,	Khaniz Udhyog.	6763.20
14. ,,	Mohanlal Son Chand.	19294.84
15. ,,	Kamlesh Minerals.	5073.61
16. ,,	Bharat Ginning Mills.	8677.84
17. ,,	Abhay Minerals.	7547.00
18. ,,	Rama Stone Crusher.	8711.52
19. ,,	Yogini Dying.	14782.00
20. ,,	Crafts Men Metal Factory.	7585.16
21. ,,	Pratap Minerals,	12035.40
22. ,,	Mansoon Spade Mills.	12839.65
23. ,,	Kamal Engg. Corp.	25564.88
24. ,,	Ashukrush Kr. Tiwari	7875.80
25. ,,	Okare Chem.	17581.20
26. ,,	Luxmi Engineering.	33257.65
27. ,,	Nishan Transformers.	30760.00
28. ,,	Gopal Minerals.	13060.50
29. ,,	Raj. Ice Factory.	49922.00
30. ,,	Comprimise Chemicals.	6300.30
31. ,,	Plastic India.	5133.96
32. ,,	Trans. Electricals.	33740.53
33. ,,	Durga Dal Mills.	8081.41
34. ,,	Raj. Chemicals & Plastic.	13336.06
35. ,,	National Crushing Works.	13238.48
36. ,,	Prakash Moh. Chemicals Ind.	33215.70
37. ,,	Ambika Price & Oill Mills.	13255.32
38. ,,	Rajendra Kr. Mehta.	31166.90
39. ,,	AEN(Gulab Bag). Udaipur.	14560.09
40. ,,	AEN (Water Works). Udaipur.	8834.13
41. ,,	Maharaj Kumar Arvind Singh.	18895.83

(511)

कोटा जिले में आरक्षित कृषि भूमि का आवंटन

90 श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) एवं

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले में वर्ष 1981 में 10 हजार से अधिक की आबादी वाले नगर व कस्बों में 8 मील की की परिधि तक आरक्षित मूल्य की दुगुनी व चौगुनी कीमत पर कृषि भूमि आवंटित गई थी ? यदि हां, तो कुल कितने किसानों को तथा कब से कब तक तथा किस आदेश के तहत ? कृपया वसूल करने व समाप्त करने के दोनों आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) यदि हां, तो क्या सरकार किसानों की कठिनाई को देखते हुए उक्त किसानों से भी आरक्षित मूल्य ही वसूल करने के आदेश जारी करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। कोटा जिले में चम्बल सिंचाई परियोजना क्षेत्र में वर्ष 1981 में (दिनांक 28–1–81 से 16–9–81 तक) 978 व्यक्तियों को कुल 4828–17 बीघा कृषिभूमि 2376296.25 रुपये की कीमत पर आवंटित की गई । इसमें से तहसील लाड़पुरा में आरक्षित मूल्य की दुगुनी व चौगुनी कीमत पर 66 व्यक्तियों को 260–12 बीघा भूमि 3000970–70 रुपये की कीमत पर व तहसील मांगरोल में 16 व्यक्तियों को 108–8 बीघा भूमि 100227–09 रुपये की कीमत पर आवंटित की गई । नियमानुसार 11–3–81 तक हजार या उससे अधिक आबादी वाले नगरों/कस्बों की 8 मील की परिधि में स्थित भूमि की कीमत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों से आरक्षित मूल्य के दुगुना व अन्य जाति के लोगों से आरक्षित मूल्य का चौगुना मूल्य वसूल करने का प्रावधान था । इस प्रावधान से तहसील लाडपुरा के कोटा नगर तथा तहसील के मांगरोल के मांगरोल कस्बा प्रभावित थे । दिनांक 11–3–81 को नियम में संशोधन अनुसार केवल मात्र 25 हजार से अधिक की जन संख्या वाले कस्बों व नगरों, अथवा कोटा नगर की 12 किलो मीटर की परिधि में स्थित भूमि पर ही उपरोक्त बढ़ी हुई दरें लागू रहीं । दिनांक 20–9–78 व आदेश संख्या 4 (12) राज/उप/75 दिनांक 11–3–81 के आदेश संख्या 2 (9) राज/उप/69 की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

(2) जी नहीं ।

आदेश की प्रति

राजस्थान राज पत्र
दिनांक 28 सितम्बर, 1978

जी. एस आर. 127 :— राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 (1954 का राजस्थान अधिनियम XXVII) की धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद् द्वारा रास्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1957 में

ग्रौर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -

राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना में सरकारी भूमि का ग्रावंटन तथा विक्रय (संशोधन) नियम, 1978

(1) संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ—(1 इन नियमों का नाम राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजन मे सरकारी भूमि का ग्रावंटन तथा) (संशोधन) नियम, 1978 है।

(1) ये तुरन्त प्रवृत होंगे—

(2) **नियम 4 का संशोधन**—उपनियम (1) में ग्रभिव्यक्ति "प्रारूप 1 में तैयार करेगा" के पश्चात् ग्रभिव्यक्ति "जिसमें दस हजार से ग्रधिक की जन संख्या वाले कस्बे या नगर से ग्राठ मील की परिधि में स्थित भूमि ग्रलग से दिखाई जायगी ।" बोड़ी जायेगी।

(3) **नियम 16 का संशोधन**—उक्त नियमों के नियम 16 के ग्रन्त में निम्नलिखित परन्तु जोड़ा जायेगा, ग्रर्थात् —

"परन्तु ग्रनुसूचित जाति तथा ग्रनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों से भिन्न किसी भूमि हीन व्यक्ति को ग्रावंटित ऐसी सरकारी भूमि के लिये जो ऐसे कस्बे या नगर की जिसकी जनसंख्या दस हजार से ग्रधिक हो ग्राठ मील की परिधि में स्थित हो, वसूल की जाने वाली कीमत का मापमान, सरकार द्वारा उस वर्ग की भूमि के लिए नियत ग्रारक्षित कीमत का चार गुना होगा। परन्तु ग्रनुसूचित जाति तथा ग्रनुसूचित जन जाति के ग्रावंटियों से वसूल की जाने वाली कीमत का मापमान उपर वर्णित ग्रारक्षित कीमत से दुगना होगा।

(1) नियम 16 का संशोधनः—उक्त नियमों के नियम 16 क में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, ग्रर्थात् :—

"परन्तु ऐसे कस्बे या नगर की, जिसकी जनसंख्या दस हजार से ग्रधिक हो, ग्राठ मील की परिधि के भीतर स्थित भूमि का ग्रावंटिती कीमत का 25 प्रतिशत ग्रावंटन के समय तथा कुल कीमत का 15 प्रतिशत ग्रावंटन के एक वर्ष के पश्चात् जमा करायेगा । शेष 60 प्रतिशत तीन समान वार्षिक किस्तों में जमा करायेगा, जिसमें से प्रथम किस्त ग्रावंटन की तारीख से दो वर्ष समाप्त होने पर जमा कराई जायेगी, परन्तु ग्रनुसूचित जाति तथा ग्रनुसूचित जन-जाति का कोई ग्रावंटिती कीमत को दस समान वार्षिक किस्तों में जमा करायेगा, जिसमें से प्रथम किस्त ग्रावंटन की तारीख से दो वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात् जमा कराई जायेगी।"

राजस्थान राज पत्र
दिनांक 20 सितम्बर 1978

जी एस. ग्रार. 129 :—राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना में सरकारी भूमि का ग्रावंटन तथा विक्रय) नियम, 1957 के नियम 8 के उप-नियम (2) के

खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा, ऐसे कस्बे या नगर की, जिसकी जन-संख्या दस हजार से अधिक हो, आठ मील की परिधि के भीतर स्थित ऐसी सरकारी भूमि को आवंटन के लिए उपलब्ध हो, का 25 प्रतिशत ऐसे व्यक्तियों को आवंटन के लिए आरक्षित करती है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हों तथा शेष रही उक्त भूमि ऐसी भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटित की जायेगी जो उक्त नियमों के अधीन आवंटन के पात्र हों।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

REVENUE (COLONISATION) DEPARTMENT

No. F.4(12)Rev/Col/75 Jaipur, dated 11.3.81

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 28 of the Rajasthan Colonisation Act, 1954 (Act No. 27 of 1954), the State Government hereby makes the following amendment in the Rajasthan Colonisation (Channal Project Government Lands Allotment and Sale) Rules, 1957, namely:—

AMENDMENT

1. Amendment of Rule 10:—In first line of sub-rule (1) of rule 10 the words "one month" shall be substituted by the words "fifteen days."

2. Amendment of Rule 16:—(1) In colum 3 of the table appearing in rule 16 for figures "563.75", "393.75", "218.75", "175" and "87.50" the figures '570', '400', '220', '220', '180' and '90' shall be substituted respectively.

(2) The existing proviso of rule 16 shall be substituted by the following, namely:—

"Provided that Government land situated within a radious of 12 Km. from the periphery of a city having population of one lakh persons or more, or within a radious of 8 Km. from the periphery of a

town having population of fifty thousand persons or more but less than one lakh persons or within a radious of 3 Km. from the periphary of a town having population twenty five thousand persons or more but less than fifty thousand persons and allotted to any landless person other than the persons of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe, the Scale of price to be charged shall be four times of the reserve price, fixed by the Government for that class of land, but from an allottee belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe the scale of price shall be double of the reserve price mentioned above."

3. After existing rule 16—A following new rule shall be added, namely:—

"16—B **Recovery of land development cost**—In cases where the cost of development of the allotted land has been borne by the State Government, the cost shall be payable by the allottee at the rates prescribed by the State Government from time to time, along with the instalment of the price of the land.

4. **Amendment of Rule 17**:—Existing rules 17 of the said rules be substituted as under—

"**17 Appeal and Revision**—(1) Any person aggrieved by an order of allotment made by the Allotting Authority may, within 30 days from the date of such order, Appeal to the Revenue Appellate Authority.

(2) Any person aggrieved by an order of the Revenue Appellate Authority may, within 60 days from the date of such order, file revision to the Board of Revenue for Rajasthan."

By order of the Governor
Sd/-
(A. M. Lal)
Secretary to Government

515

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के निदेशक के विरुद्ध प्रस्तुत आरोप-पत्र

91. **श्रीअमराराम चौधरी (पचपदरा) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के वर्तमान निदेशक की वित्तीय अनियमतताओं एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार के खिलाफ कर्मचारी संघ ने करीब एक दर्जन आरोप-पत्र राज्य सरकार एवं विशेष रूप से शिक्षा मंत्री को दिये थे ? यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान निदेशक के खिलाफ जांच अधिकारी की नियुक्ति के आदेश जारी हुए करीब 9 माह व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन जांच अधिकारी ने निदेशक के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है ? यदि हां तो ऐसा किस उद्देश्य से किया गया है एव क्या सरकार उस जांच अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने जा रही है ?

(3) क्या यह भी सही है कि निदेशक के खिलाफ उसके प्रशासनिक भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए राज्य विधान सभा के चार विधायकों ने सरकार को लिखा था ? यदि हां, तो क्या है ? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों किया गया एवं अब सरकार क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी के वर्तमान निदेशक के विरुद्ध राज्य सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनकी जांच की जा रही है।

(2) इन शिकायतों की जांच के लिए 14–9–82 को निदेशक कालेज शिक्षा को जांच करने के आदेश दिये गये थे। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आगे उपयुक्त कार्यवाही संभव होगी। जांच प्रगति पर है।

(3) जी हां पूर्व में प्राप्त इसी प्रकार की शिकायतों पर राज्य सरकार ने जांच अधिकारी को तुरन्त जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये।

जोधपुर खान क्षेत्र का डम्प रिमूवल फण्ड

92 **श्री नरपतराम बरबड़ (सूरसागर) :** क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर खान क्षेत्र से खान मालिकों से लम्बे समय से डम्प रिमूवल फण्ड के नाम से कोई राशि वसूल की जा रही है ? यदि हां, तो यह राशि कब से वसूल की जा रही है तथा जुलाई, 1983 तक कितनी राशि वसूल की जा चुकी है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है डम्प रिमूवल फण्ड की राशि अभी तक ज्यों की त्यों पड़ी है तथा डम्प रिमूवल का कोई कार्य खान

(श्री नरपतराम बरबड़)

क्षेत्र में नहीं करवाया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त फण्ड की राशि से सरकार खान क्षेत्र का विकास करना तथा सड़क, पानी व बिजली की व्यवस्था करना उचित नहीं है ?

उत्तर

(1) जी हां। जोधपुर खान क्षेत्र से डम्प रिमूवल फण्ड के नाम से राशि सन् 1956 से वसूल की जा रही है। जुलाई 1983 तक जो राशि वसूल हुई उसका वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'क" में दिया गया है।

(2) जी नहीं। फिदुसर खान क्षेत्र में वर्ष 1965–66 से 69–70 तक विभागीय दो डम्पर/ट्रक मलवा हटाने हेतु लगाये गये थे। डम्प रिमूवल का समस्त राशि राजकीय आय में 3 वर्ष पश्चात महालेखाकार, जयपुर द्वारा समायोजित कर ली जाती है।

(3) खानों के विकास हेतु वर्ष 65–66 से 69–70 तक विभागीय डम्पर/ट्रक लगाकर मलवा हटाया गया है एवं खनिज क्षेत्र में 24.79 लाख रुपयों की सड़कों का निर्माण किया गया है जिनका विवरण परिशिष्ट "ख" में है।

परिशिष्ट—"क"

क. सं.	वर्ष	राशि
1.	1972 तक	3,26,400.00
2.	1973	4,800.00
3.	1974	28,000 00
4.	1975	13,800.00
5	1976	13,600.00
6.	1977	3,600.00
7.	1978	1,36,600.00
8.	1979	8,000.00
9.	1980	12,000.00
10.	1981	9,400.00
11.	1982	29,600.00
12.	1-1-83 से 31-7-85 तक	12,000,00
	योग :—	रु. 5,97,800.00

517

परिशिष्ट—"ख"

(खनिज मंत्री)

निर्माण की गई सड़कों का विवरण	राशि
1. सूरसागर बाई पास	3,53,4:4.00
2. हनुमान जी का वाड़िया से 12 मील	3,50,70●.00
3. नाटेलाल की हवेली से सोडा की ढाणी	2,79,000.00
4. बिटुर (बालमन्दा) से पचकुण्ड	4,53,000.00
5. पांचावनी से कदममण्डी	10,43,184.00
	24,79,335.00

पंचायत समिति शिव के ग्रामों का विद्युतीकरण

93. **श्री अमीनखां (शिव)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या पंचायत समिति शिव के ग्राम उन्डू, कानासर, भीयाड, गिराव, हरसान, गडरोड़ को सन् 1980 में कनेक्शन देने की स्वीकृति हुई थी ? यदि हां, तो अभी तक कनेक्शन नहीं देने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम गडरा-रोड़ व इरसानी की जनता ने निजी कनेक्शन के लिए फार्म जमा करा दिये हैं ? यदि हां, तो उनको कनेक्शन कब तक देने की व्यवस्था की जाएगी ?

(3) क्या बाडमेर-रामसर 33 के.वी. लाइन स्वीकृत है ? यदि हां, तो रामसर तक 11 के. वी. से ही काम क्यों चलाया जाता है ?

(4) क्या बाड़मेर शिव 33 के. वी. लाइन 1980 में स्वीकृत हुई थी जिसका 10 कि. मी. के बाद कार्य बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या राजडाल-कालीजाल पेयजल योजना के लिए जलदाय विभाग ने शिव से राजडाल के लिए 8 लाख रुपया काफी अरसा पूर्व जमाकरा दिया है ? यदि हां, तो कब तक राजडाल तक कनेक्शन दे दिये जायेंगे ?

(6) क्या ग्राम सवाई पदमसिंह को 33 के.वी. से 31 मार्च, 1983 तक जोड़ने का लक्ष्य ? यदि हां, तो उसमें कितनी प्रगति हुई ? यदि नहीं तो क्यों ?

(7) जिला जैसलमेर के नलकूप, छोड देवीकोट, सांगड़-फत्तेगढ़-भेलाणी-तिगठी-माली-कांसाउ-रामा को कनेक्शन देने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति शिव के ग्राम उन्डू-कानासर, भिवाड़, गिराब, इरसानी, गडरारोड़ को माण्डल द्वारा आदेश संख्या 5 दिनांक 12.3.81 द्वारा नियमितकर विद्युत कृत घोषित किया गया था। इन छः ग्रामों में अभी तक वाटर वर्क्स के कुल 23 कनेक्शन दिये गये हैं। इसके अलावा गिराब में एक कनेक्शन लघु उद्योग का तथा गडरारोड़ में एक कनेक्शन घरेलू लाइट का दिया गया है। ग्राम उन्डू व कानासर में कोई भी प्रार्थना पत्र विचाराधीन नहीं है। ग्राम भिवाड़ में दिनांक 13.8.82 से प्रार्थना पत्र मण्डल को प्राप्त होना शुरू हुये हैं। विद्युत कनेक्शन देने हेतु कार्यवाही की जा रही है। ग्राम गडरोड़ व इरसानी में 180 आवेदकों को माँग पत्र जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 146 आवेदकों ने क्रमशः दिनांक 19.8.83 एवं 16.8.83 को राशि जमा करादी है परन्तु "एल" फार्म किसी भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदकों द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त ही विद्युत कनेक्शन देना सम्भव होगा।

(2) जी हां। उपभोक्ताओं द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण करने पर कनेक्शन देने की कार्यावही की सकेगी।

(3) जी हां 33 के. वी. रामसर लाइन का कार्य 1979-80 पूर्ण हो चुका था किन्तु बाड़मेर में 132 के.वी. जी.एल. एस चालू न होने के कारण इस लाइन को 11 के.वी. पर ही चार्ज कर रखा है। अब अब बाड़मेर 132 के.वी. बन चुका है। अतः अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

(4) जी हां। वर्ष 1980 में 11 के.वी. लाइन बाड़मेर से नीमला तक थी। इसलिए नीमला से शिव तक 12 कि. मी. की 33 के. वी लाइन खींचकर 11 के.वी पर चालू करके शिव क्षेत्र में बिजली उपलब्ध करादी गई। शेष कार्य बाड़मेर से नीमला के.वी. लाइन का प्रावधान वर्ष 1983 84 में रखा गया है। पिछले सालों में वित्तीय साधनों के अभाव के कारण यह कार्य नहीं कराया जा सका।

(5) जी हां। दिनांक 5.4.83 को जलदाय विभाग ने 8, 17, 310 रुपये जमा कराए हैं जिसका कार्य प्रगति पर है एवं कार्य पूर्ण होने व जलदाय विभाग द्वारा अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने पर राजडाल की पेयजल योजना के लिए कनेक्शन दे दिया जावेगा।

(6) जी हां। दिनांक इस लाइन के लिये सपोर्ट (खम्बे) की व्यवस्था कर ली गई है। अब इस लाइन को वर्ष 83-84 में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

अभी जिला जैसलमेर में ग्राम छोड़ देवीकोट, सांगड, फतेगढ़ भेलाणी तिगठी माली, कासांउरामां को कनेक्शन देना संभव नहीं है क्योंकि ये गांव अभी विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत नहीं हैं तथा इन गांवों में जलदाय विभाग की ओर से भी नलकूप के लिये कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

श्री पी. एस. अहलूवालिया को घीया पत्थर के खनन का पट्टा

94. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) एवं सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री पी. एस अहलूवालियां को ग्राम देवपुर (तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा) के निकट घीया पत्थर (सोप-स्टोन) का खनन् पट्टा दिये जाने की स्वीकृति हुई है ? यदि हां, तो कब और किस के द्वारा और कितने क्षेत्र में ?

(2) क्या यह सही है कि यह पट्टा स्वीकृत किये जाने से पूर्व इस क्षेत्र के संबंध में सार्वजनिक रूप से कोई नीति निर्णय संबंधी विज्ञप्ति प्रसारित नहीं की गई ? यदि हां, तो कब-कब और किस प्रकार से यह प्रसारित हुई है ? कृपया ऐसी विज्ञप्ति की एक प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में खनन पट्टा लेने के लिए कई व्यक्तियों अथवा संस्थानों के आवेदन पत्र अस्वीकृत किये गये ? यदि हां तो किन-किन के, क्यों और कब-कब ?

(4) क्या यह सही है कि श्री अहलूवालियां में विभाग की बकाया थी ? यदि हां, तो कितनी और कब ?

(5) श्री अहलूवालियां ने इस खनन पट्टे के लिये कब और किस कार्यालय में आवेदन-पत्र दिया और इस पर किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब क्या-क्या टिप्पणी दी गई ?

उत्तर

(1) जी हां। यह स्वीकृति शासन के आदेश क्रमांक प 2 (184) खान/ग्रुप–2/82 दिनांक 12/10/82 द्वारा क्षेत्र 400 हैक्टेयर के लिये जारी की गई लेकिन इस क्षेत्र में आरक्षित वन होने के कारण इसे कम कर क्षेत्रफल 235.097 हैक्टेयर के लिये संशोधित स्वीकृति आदेश क्रमांक प 2 (184) खान/ग्रुप–2/82 दिनांक 14/6/83 द्वारा जारी की गई।

(2) नियमानुसार आवश्यक नहीं होने के कारण कोई विज्ञप्ति प्रकशित नहीं की गई।

(3) उदयपुर मिनरल डवलपमेण्ट सिन्डीकेट के खनन पट्टे क्षेत्र से विरोधित होने एवं जी. एस.आई के आरक्षित क्षेत्र में पड़ने के कारण सर्वश्री कल्याणमल टांक एवं एम. एस. सिंघवी के आवेदन पत्र क्रमशः आदेश 2 (277, खान/ग्रुप– /81 दिनांक 1?/11/81 एवं प 2 (83) खान/ग्रुप–2/81 दिनांक 7/8/81 द्वारा अस्वीकृत किये गये।

(4) जी नहीं। श्री अहलूवालिया के विरुद्ध राजकीय बकाया नहीं थी।

(5) श्री अहलूवालिया का इस खनन पट्टे के लिये आवेदन पत्र दिनांक 17.5.82 को खनिज अभियन्ता, भीलवाड़ा ने अपने पत्र दिनांक 1 6.82 द्वारा इस आवेदन पत्र को अस्वीकृत करने के प्रस्ताव निदेशक के पास भेजे। निदेशक ने इसकी स्वीकृति के प्रस्ताव राज्य सरकार के पास इस आधार पर भेजा कि जी एस. आई. द्वारा प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसरण में स्वीकृति की कार्यवाही की जा सकती है।

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 86 की सूची)

सूची किरायेदार (व्यक्ताविक) डायरेक्ट चार्ज मंदिरान देवस्थान, जयपुर

क्र. सं.		पूर्व किरायेदार की दर	नवीन किराये की दर
1	2	3	4
	1. मं. श्री ब्रजनिधिजी चांदनी चौक		
1.	श्री महेन्द्र गोयल	40-00	195-00
2.	,, तुलसीराम एन्स्टीन कारपोरेशन	29-00	170-00
3.	,, श्री भगवान सहाय नवीन व्यापार सदन	25-00	109-00
	2. मं. श्री आनन्दकृष्ण बिहारीजी		
	3. मं. श्री प्रतापेश्वरजी		
	4. मं. श्री गंगाजी	—	—
	5. मं. श्री राधागोपालजी	—	—
	6. मं श्री चिन्ताहरण हनुमानजी	—	—
	7. मं. श्री लक्ष्मीनारायणजी बागजय निवास	—	—
	8. मं. श्री रामचन्द्रजी सिहड्योढ़ी बाजार		
1.	श्री मोहनलाल	35-00	280-00
1.	श्री वहीर मोहम्मद पुत्र नन्हे खां	25-00	540-00
2.	,, प्रभाती पुत्र आशाराम	25-00	577-00
3.	,, कासी लाल पुत्र हरबक्स	25-00	525-00
4.	,, उमरशेन पुत्र मुन्नी रयेन	25-00	525-00
5.	,, —	25-00	525-00
6.	,, भौंरी लाल पुत्र कल्याण	25-00	495-00

(524)

1 2	3	4
7. श्री अब्दुल करीम पुत्र अब्दुल रहीम	25-00	525-00
8. „ मोहम्मद हनीफ पुत्र अब्दुल रहीम	25-00	525-00
9. „ अब्दुल लतीफ पुत्र —	25-00	525-00
10. „ अब्दुल रसीद पुत्र मोहम्मद खां	25-00	525-00
11. „ बाबूखां पुत्र हुसेन खां	25-00	525-00
12. „ घीसीलाल पुत्र रामचन्द्र	0-00	525-00
13. „ बशीर पुत्र मदारवक्स	2500	525-00
14. „ रामजीलाल पुत्र चन्दूलाल	25-00	525-00
15. „ दीनमोहम्मद पुत्र नूरमोहम्मद	25-00	525-00
16. „ सूरज पुत्र महादेव	50-00	429-00
17. „ रतनचन्द्र	50-00	473-00
18. „ श्यामनारायण	30-00	550-00
19. „ रामेश्वरप्रसाद	30-00	499-00
20. „ रामनिवास आव	30-00	—
21. „ रमेशचन्द्र	30-00	—

9. मं. श्री किलकीजी

1. श्री कालूराम पुत्र सुन्दरलाल	10-00	181-00
2. श्री रामावतार	62-00	—

10. मं. श्री मदनमोहनजी हवामहल

1. श्री परमानन्द पुत्र ठाकुरदास	35-00	255-00
2. „ दिलीपकुमार पुत्र सुन्दलाल	63-75	330-00
3. „ पदमराय पुत्र भैरूमल	40-00	322-00
4. „ मादाचक्रवात पुत्र मूलचन्द	26-60	312-00
5. „ दीपचन्द पुत्र मूलचन्द	51-75	268-00
6. „ निजामुद्दीन	—	-93-00
7. „ रामस्वरूप	—	150-00

1	2	3	4
	11. मं. श्री गोवर्धननाथजी हवामहल		
1.	श्री दौलतराम पुत्र चेलाराम	25-00	45-00
2.	श्रीमती निर्मलादेवी 52–75	52-75	657-00
3.	अजयकुमार	25-00	205-00
	12. मं श्री विजयगोविन्दजी		
	12. मं. श्री चन्द्रबिहारीजी		
1.	श्री फूलचन्द पुत्र किशनलाल	15-00	447-00
2.	,, गुलाबचन्द गेन्दीलाल	51-00	640-00
3.	,, गोविन्द नारायण पुत्र रामप्रताप	50-00	561-00
4.	,, गिरधारीलाल पुत्र मुरारीलाल	50-00	471-00
5.	,, जगन्नाथ पुत्र सुवालाल	16-00	—
6.	,, गुलाबचन्द पुत्र मोहरीलाल	70-00	626-00
7.	,, देवीलाल पुत्र रामलाल	60-00	605-00
8.	,, गोर्धनदास पुत्र दुर्गालाल	31-00	216-00
9.	,, केशवलाल गेंदीलाल पीतराम	34-00	577-00
10.	,, रामचन्द्र पुत्र गरसीमल	101-00	385-00
11.	,, अब्दुलवहाव पुत्र अब्दुलगफ्फार	101-00	432-00
12.	,, मूलचन्द दर्जी	10-50	54-00
13.	,, गोविन्द शरण पुत्र श्यामसुन्दर	32-00	350-00
14.	,, मालीराम प्रहलाद	3-25	165-00
15.	,, सूरजमल पुत्र मुन्नालाल	15-00	--
16.	,, रूड़मल	—	–1-00प्रतिदिन
	13. मं. श्री आनन्द बिहारीजी		
1.	श्री घनश्याम पुत्र गनेशनारायण	34-00	497-00
2.	,, उत्तमचन्द पुत्र दामोदरलाल	40-00	485-00

1	2	3	4
3.	श्री बाबूलाल पुत्र भागीरथ	40-00	495-00
4.	,, जौहरीलाल पुत्र हजारीलाल	32-00	522-00
5.	,, कमलकिशोर पुत्र भोरीलाल	42-50	574-00
	14. मं. श्री आनन्द चन्द्रबिहारीजी		
6.	श्री रामाआधाह पुत्र राजदुलारे	46-00	510-00
7.	,, नन्दकिशोर पुत्र चन्दालाल	27-00	470-00
8.	,, प्रहलाद पुत्र श्यामलाल	32-00	522-00
9.	,, लल्लूराम पुत्र कालूराम	[illegible]5-00	491-00
10.	,, दौलतमल पुत्र लालचन्द	24-00	436-00
11.	,, राधाकिशन पुत्र घीसीलाल	52-50	495-00
12.	,, नाथूलाल पुत्र श्रीनारायण	34-00	505-00
13.	,, मोहनलाल पुत्र सूरजमल	28-00	411-00
14.	,, सीताराम राधेश्याम पुत्र महादेव	36-25	357-00
15.	,, गुलाबचन्द पुत्र केशवलाल	37-00	357-00
16.	,, राधावल्लभ पुत्र देवीलाल	45-00	316-00
17.	,, गोपालदास पुत्र घीसीलाल	40-00	357-00
18.	,, जानकीवल्लभ पुत्र लच्छीराम	28-75	219-00
19.	,, जानकीवल्लभ पुत्र लच्छीराम	31-25	109-00
20.	,, श्यामलाल पुत्र प्रहलाद	28-00	5[illegible]-00
21.	,, रामलाल पुत्र प्रहलाद	45-00	330-00
22.	,, कैलाशचन्द्र पुत्र भागीरथ	25-00	484-00
23.	,, हनुमान पुत्र मांगीलाल	44-00	348-00
24.	,, बंसीधर पुत्र कन्हैयालाल	6-16	208-00
25.	,, कानुराम पुत्र छोटीलाल	21-00	774-00
26.	,, मांगीलाल पुत्र गोविन्दनारायण	11-25	329-00
27	,, कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल	40-00	341-00

1	2	3	4
28.	श्री दुलीचन्द	—	126-00
29.	,, पुरुषोत्तम	—	45-00
30.	,, रामजीलाल	—	52-00
31.	,, रमेशचन्द्र	—	45-00
32.	,, राधेश्याम	—	84-00

15. मं श्री लक्ष्मीनारायणजी बाईजी

1.	श्री राधेश्याम पुत्र सत्यनारायण	20-00	452-00
2.	,, बृजलाल रामगोपाल	100-00	1861-00
3.	,, राधेश्याम रामगोपाल	100-00	1117-00
4.	,, इन्द्रलाल पुत्र रोशनलाल	42-50	240-00
5.	,, देवीनारायण हरिशचन्द्र	42-50	240-00
6.	,, लक्ष्मणलाल माणकचन्द	42-50	200-00
7.	,, दामोदरलाल पुत्र मुन्नालाल	42-50	208-00
8.	,, नवरतन पुत्र स्वरूपनारायन	34-00	200-00
9.	,, ग्यारसीलाल चोथमल	42-50	200-00
10.	,, फूलचन्द भंवरलाल	54-00	200-00
11.	,, बन्शीलाल पुत्र नारायण लाल	54-00	200-00
12.	,, रामगोपाल पुत्र मेहताबराय	85-00	200-00
13.	,, भंवरलाल उर्फ नन्नूलाल	54-00	200-00
14.	,, रामचरण पुत्र नत्थूलाल	54-00	200-00
15.	,, बाबूलाल पुत्र श्रीलाल	100-00	200-00
16.	,, श्रीमती प्रदीप विद्यादेवी	54-00	247-00
17.	,, गोपाललाल पुत्र सूरजमल	54-00	247-00
18.	,, श्याम लाल पुत्र मानकराम	54-00	391-00
19.	,, हजारीलाल पुत्र गुलाबचन्द	48-00	310-00
20.	,, मदनलाल पुत्र भूरामल	54-00	391-00

Page No. 527

(525)

1	2	3	4
21.	श्री मदनलाल पुत्र हरीलाल	48-00	322-00
22.	,, गट्टूलाल पुत्र रामप्रताप	75-00	310-00
23.	,, बन्शीलाल पुत्र रामसहाय.	48-00	52[illegible]-00
24.	,, गट्टूलाल पुत्र रामप्रताप	60-00	238-00
25.	,, देवीलाल पुत्र गोपीनाथ	65-00	238-00
26.	,, गोपाललाल पुत्र हरिनारायण	75-00	446-00
27.	,, राम ओमप्रकाश	10-00	396-00
28.	,, अमीसकचन्द पुत्र लड्डूजी	22-50	438-00
29.	,, यासीन बेग पुत्र अहमद बेग	25-00	286-00
30.	,, चन्दूमल पुत्र सेवकराम	90-00	426-00
31.	,, हरनामसिंह पुत्र जीवनसिंह	50-00	378-00
32.	,, बंसीलाल पुत्र चेतनदास	44-00	512-00
	16. मं. श्री रघुनाथजी राधानिवास		
	17. मं. श्री रतनबिहारीजी रामजी का पैर		
1.	श्री दीवानसिंह एण्ड सन्स	32-00	411-00
2.	—	15-00	110-00
	18. मं. श्री. जगतेश्वर जौहरी बाजार		
1.	श्री जयकुमार पुत्र योगराम	56-25	738-00
2.	,, केशवदास पुत्र बद्रीदास	79-69	629-00
3.	,, मुन्नालाल	56-25	640-00
4.	,, सूरजनारायण पुत्र छीतरमल	85-00	658-00
5.	,, राधेश्याम पुत्र किस्तूरचन्द	20-00	136-00
6.	,, ताराचन्द पुत्र सालजीमल	161-00	658-00
	19. मं. श्री रूपचन्द्रमाजी सांगानेरी दरवाजा		
1.	श्री नारायनदास पुत्र ताराचन्द	22-50	467-00

528

1	2	3	4
2.	श्री सूरजमल पुत्र लादुराम	20-00	307-00
3.	,, चुन्नीलाल पंजाबी	10-00	319-00
4.	,, श्यामलाल	35-00	379-00
5.	,, चौथराम पुत्र किमतराय	25-00	400-00
6.	,, रामकिशोर जोशी	16-00	515-00
7.	,, कुन्दन पुत्र मल्ला कुमार	32-50	425-00
8.	,, श्रीमती गुलाब	10-80	240-00
9.	,, बद्री पुत्र मल्ला कुमार	27-50	—
	20. मं. श्री बृजराज बिहारीजी		
1.	श्री हरिदास	50-00	250-00
2.	,, रामबाबू श्री निवास	40-00	250-00
3.	,, माल चन्द पुत्र विजयलाल	13-00	239-00
4.	,, मुरारीलाल छीतरमल	31-25	261-00
5.	,, घनश्यामदास म्होरीलाल	27-00	137-00
6.	,, गोपालदास पुत्र हरिदास	16-50	51-50
7.	,, छीतरमल पुत्र शिवनाथ गोयल	18-75	112-00
8.	,, महेश पुत्र श्यामसुन्दर	26-00	67-50
	21. मं. श्री मेहताब बिहारीजी, त्रिपोलिया बाजार		
1.	श्री विजयलाल लक्ष्मीचन्द कसेरा	7-00	210-00
2.	,, पुरुषोतम दास पीरूमल	55-00	575-00
3.	,, बूदीलाल मोतीलाल	7-50	312-00
4.	,, बाबूलाल उर्फ कमद्दीरुन	10-00	128-00
5.	,, सूरजमल पुत्र रामप्रताप	3-75	247-00
6.	,, सत्यनारायण पुत्र दुर्गालाल	15-00	88-00

1	2	3	4
	22. मं: श्री रसिक बिहारीजी छोटी चौपड़		
1.	श्री बंसीधर लक्ष्मीनारायण	57-50	426-00
2.	,, बनारसीदास पुत्र मोतीलाल	57-50	426-00
3.	,, आनन्द पुत्र भगवानदास	93-75	464-00
4.	,, भौरीलाल	—	55-00
5.	,, रामेश्वरलाल	—	1-20 प्रतिदिन
	23. मं. श्री जानकी बल्लभजी		
1.	श्री रामगोपाल पुत्र विजयलाल	24-00	467-00
2.	,, देवकीनन्दन गोपाललाल	129-00	1454-00
	24. धर्मशाला भाजी सा		
1.	श्री मनमोहन गोपाल लाल	33-75	420-00
2.	,, प्रेमनारायण	23-00	420-00
3.	,, बिरदीचन्द कल्याणबक्स	28-75	480-00
4.	,, रामावतार पुत्र बिरदीचन्द	10-00	570-00
5.	,, मदनलाल पुत्र नाथूलाल	40-63	480-00
6.	,, द्वारकाचन्द बिरदीचन्द्र	50-00	510-00
7.	,, रामप्रताप कन्हैयालाल	75-00	526-00
8.	,, लालचन्द पुत्र जग्गूमल	5-00	50-00
9.	,, कृष्णचन्द्र	—	50-00
	25. मं. श्री गोपालजी जाट के कुएं का रास्ता		
1.	श्री कन्हैयालाल पुत्र गनेश लाल	15-00	125-00
2.	,, अब्दुल अहमद पुत्र भूरेखां	15-94	153-00
	26. मं. श्री राधा बल्लभजी बारह भाइयों का चौराहा		
1.	श्री कन्हैयालाल सत्यनारायण	31-50	138-00

1	2	3	4
	27. मं. श्री नवलकिशोरजी बाबा हरिशचन्द्र मार्ग		
1.	श्री अलाबक्स पुत्र कल्लूराम	20-00	143-00
2.	,, कन्हैयालाल पुत्र रामरतनलाल	60-00	177-00
	28. श्री मं. श्री राजराजेश्वरजी		
1.	श्री यशदत्त शर्मा	25-00	477-00
2.	,, गुलाबखां	8-00	636-00
	29. मं. श्री हनुमानजी गणगौरी बाजार		
1.	श्री मुल्या पुत्र किशन धोबी	25-00	440-00
2.	,, जेमना दास वकील	6-75	440-00
	30. मं. श्री चंवर शिरोमणीजी गणगौरी बाजार		
1.	श्री नारग्या पुत्र नाथू धोबी	7-50	504-00
2.	,, हुसेन पुत्र मांग्या	15-00	440-00
	31. मं. श्री हनुमानजी सांगानेरी गेट		
1.	श्री भगवानदास रमेशचन्द्र	38-00	—
2.	श्री कर्मचन्द ज्ञानचन्द	35-00	—

सूची किरायेदार (आवासीय) डायरेक्ट चार्ज मन्दिरान, जयपुर

क्र.सं.	नाम किरायेदार	पूर्व किरायेदार	नवीन किरायेदार
1	2	3	4
	मं श्री आनन्द बिहारजी		
1.	श्री जीतेन्द्र सिंह	20-00	105-00
2.	,, कैलाशदत्त पुत्र राधा वल्लभ	20-00	88-00

1	2	3	4
3.	श्री मुकट विहारीलाल भार्गव	3-00	116-00
4.	,, महादेव मीना	11-00	11-00
	मं. श्री आनन्द कृष्ण बिहारीजी		
1.	श्रीमती नर्वदा देवी देवा श्री मन्नालाल	10-25	49-00
2.	श्री भंवर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह	12-75	59-00
3.	,, ओमप्रकाश अग्रवाल	5-00	17-00
4.	,, मोहम्मद यासीन पुत्र अब्दुल	10-00	17-00
5.	,, जुगलकिशोर मंत्री सर्वेश्वर सिंह	29-00	29-00
6.	श्रीमती मनोहरी देवी	13-50	17-00
7.	श्री सुरेशचन्द्र	—	13-50
8.	,, श्रवण सिंह	40-00	81-00
9.	,, बिरदीचन्द	—	19-00
	मं. श्री बृजराज बिहारीजी		
1.	श्री उदयचन्द	10-00	40-00
2.	,, किशनचन्द पुत्र सुदर्शन	10-50	14-00
3.	,, श्रीमती चन्द्रमुखी	17-50	22-00
4.	श्री हरिमोहन पुत्र सच्चादानन्द	8-50	10-00
5.	,, सीताराम पुत्र हनुमानदास	51-00 प्रति वर्ष	—
6.	,, श्याम बिहारीलाल रामजीलाल	0-35	10-00
7.	,, रामचरण पुत्र राधाकृष्ण	1-50	14-00
8.	,, रामसिंह	—	20-00
9.	,, आनन्दीलाल	—	19-00
10.	,, सम्पत सिंह	—	27-00
	मं. श्री बृजनिधिजी		
1.	श्री सूरजप्रकाश पापा	62-00	184-00

1	2	3	4
2.	श्री शान्ति स्वरूप भोलाराम	18-50	97-00
	मं श्री चन्द्रबिहारी जी		
3.	श्री अमीरी सिंह	13.00	13-00
	मं. श्री चतुरभुज जी बिहरी		
1.	श्री मोहन युवक संघ	7-00	51-00
2.	,, जुगलकिशोर शारिज	23-00	23-00
3.	,, श्याम सुन्दर	—	20-00
	धर्मशाला माजी सहाब		
1.	श्री शंकरलाल काला पुत्र दाऊलाल	8-00	44-00
	मं. श्री फतेहकुंज बिहारी जी		
1.	श्री मांगीलाल पुत्र जोहरीलाल	13-00	33-00
	मं श्री गंगाजी गोपालजी		
1.	श्री दिनेश कुमार	—	73-00
	मं. श्री गोरधननाथजी हवामहल		
1.	श्री रामकिशोर बटारा	2-50	30-00
2.	,, दिनेशचन्द्र बटारा	2-50	38-00
3.	,, कैलाश बाबू माथुर	0-50	34-50
4	,, रामगोपाल	10-00	13-00
5.	,, सुरेन्द्र नाथ	7-00	37-00
6.	,, शांति स्वरूप	4-20	56-00
7.	,, कल्याण शरण	2-75	—
8.	,, अजीत सिंह गुलेरी	10-00	14-00
9.	,, रघुवीर सिंह	20-00	20-00

1	2	3	4
10.	श्री राजेन्द्र कुमार	33-09	33-00
11.	,, रविन्द्र कुमार बटारा	27-08	40-00
12.	,, नरेन्द्र कुमार	10-00	48-00
13.	,, रघुवीर सिंह	10-50	14-00
14.	श्रीमती जमना देवी	—	30-00
15.	श्री सरयू शरण	—	24-00
16.	,, विजय सिंह	—	130-00
	मं० श्री गोर्धननाथ जी चौड़ा रास्ता		
1.	श्री राधेलाल चौबे	10-62	10-62
2.	,, रांजस्थान कर्मचारी महासंघ	5-00	31-00
3.	,, सहायक कर्मचारी संघ	2-00	—
	मं० श्री गोपालजी माहीवालां		
1.	श्री मोहनसीतानी	18-05	47-00
	मं० श्री हनुमानजी चांदपोल		
1.	श्रीं दुर्गालाल लालाराम	25-00	37-00
	मं० श्री जानकी वल्लभजी		
1.	श्री वशिष्ट कुमार	10-00	82-00
2.	श्री वल्लभ	15-00	15-00
	मं० श्री मदन मोहनजी हवामहला		
1.	श्री शान्ति स्वरूप	5-00	—
	मं० श्री मेहताब बिहारीजी		
1.	श्री प्रेम चन्द	113-00	113-00

1	2	3	4
	मं० श्री नवल किशोरजी		
1.	श्री दामोदरलाल	17-00	36-00
2.	,, सज्जन सिंह	29-00	29-00
3.	,, भारतीय आलोक मंदिर	51-00	—
4.	,, कैलाश चन्द्र	0-00	—
5.	,, यशवन्त कुमार	10-00	29-00
	मं० श्री सवलेश्वरजी		
1.	श्री अब्दुल सत्तार	6-50	18-00
	मं० श्री रामचन्द्रजी		
1.	श्री जुगलकिशोर	5-00	5-00
2.	,, रामबक्स	2-00	—
3.	,, ईश्वर पुत्र लाद्दू	3-00	—
4.	श्रीमती सरस्वती देवी	25-00	44-00
5.	श्री ,, केदारनाथ	25-00	43-00
6.	,, बद्रीनारायण	23-00	67-00
7.	,, जुगल किशोर	—	20-00
8.	,, कमल टेक चन्द्रदानी	—	20-00
	मं श्री द्वेष चन्द्रमाजी		
1.	श्री रूपचन्द	11-50	16-00
2.	,, बस्तीचन्द	6-64	13-00
3.	,, रामनारायण	11-00	11-25
4.	,, हरमान सिंह	—	102-00
	मं श्री रामेश्वरजी पुराना घाट		
1.	श्रीकाना	5-00	—
2.	,, बसीर	2-00	—
3.	श्रीमती मोरी बेवा मुत्था	10-00	—
4.	श्री बफारजी	5-00	—

1	2	3	4
5.	श्री राधेश्याम	6-00	—
6.	,, सुशील कुमार	10-00	—
7.	श्रीमती शान्ता देवी	3-75	—
8.	श्री रामस्वरूप	13-00	—
9.	,, सुशील कुमार	—	—
10.	,, रामवतार	107-00	107-00
11.	,, राधेश्याम	19-00	19-00
12.	,, आर० एस० चौपड़ा	—	40-00
	मं श्री रतन बिहारीजी रावजी का शेर		
1.	श्री स्वामी शरण कायस्थ	25-00	164-00
2.	श्रीमती सोना देवी लक्ष्मीनारायण	12-00	25-00
3.	श्री मानसिंह	—	45-00
4.	श्री एस० एम० पुरोहित	—	29-00
	मं० श्री राधाकृष्ण पुरानी बस्ती		
1.	श्री गोविन्दसिंह कोठारी	16-50	48-00
2.	श्री रामप्रताप	28-00	28-00
	मं० श्री राधाबल्लभ जी		
1.	श्री नवलकिशोर पारिक	62-00	62-00
	मं० श्री किलकीजी		
1.	श्री बाबा विष्णुदत्त	—	53-00
2.	श्री आनन्द	—	5-00
	मं० राजराजेश्वरजी		
1.	श्री सीताराम पुत्र भैरीलाल	10-00	539-00
	मं० श्री राधामनोहरजी		
1.	श्री पदम सिंह भाटी	—	58-00
2.	श्रीमती दमवन्ती नागर	—	92-00
	मं० श्री लक्ष्मीनारायणजी बाईजी		
1.	श्री केशरलाल गैंदीलाल	3-75	—
	मं० श्री रसिक बिहारीजी		
1.	श्री दीपचन्द	—	51-00

(534)

सूची व्यावसायिक किरायेदार आत्मनिर्भर मंदिरान देवस्थान, जयपुर

1	2	3	4
	मं० श्री रतनबिहारी जी (देवडोजी) जौहरी बाजार, जयपुर		
1.	श्री सुमंद्र कुमार पाटनी	945–56	2776–00
2.	श्री धनराज कासटिया	21–20	23›2–00
3.	श्री केशरलाल अजमेरा	10–62	23 2–00
4.	श्री मूलचन्द मारोठ वाला	21–25	2185–00
5.	श्री छत्रपतराय हरिशचन्द्र	10–63	1585–00
6.	श्री मोहनलाल पुत्र दौलतराम	29–22	1049–00
7.	श्री किशन राकेश कुमार	26–56	1049–00
8.	श्री दामोदर केदारनाथ	26–56	1049–00
9.	श्री रामचन्द्र मोधा	10–62	496–00
10.	श्री दामोदर राधेश्याम	37–19	348–00
11.	श्री लक्ष्मीमोहन पुत्र मोहनलाल	6–37	496–00
12.	श्री गजानन्द पुत्र हीरालाल अग्रवाल	9–56	428–00
13.	श्री नरेन्द्र कुमार रूपचन्द	21–25	428–00
14.	श्री नरेन्द्र कुमार कन्हैयालाल काला	10–62	396–00
15.	श्री राधेश्याम बृजराज	20–00	300–00
16.	श्री पूनमचन्द मंगलचन्द मांडावत	7–97	284–00
17.	श्री चन्द पुत्र गिरधारीलाल भाटिया	22–31	208–00
18.	श्री कन्हैयालाल गुप्ता	53–12	1186–00
19.	श्री कुन्ज बिहारीलाल गोस्वामी	?–19	184–00
20.	श्री गजानन्द पुत्र हीरालाल	3–99	104–00
	मं० श्री बद्रीनारायण जी डूंगरी, जयपुर		
1.	श्री विश्वनाथ पुत्र आनन्दीलाल एवं भगवतीदेवी पत्नी विश्वनाथ	395–00	925–00
2.	श्री भगवानसहाय देवनाना	392–00	398–00
3.	श्री मोहम्मद इब्राहीम पुत्र अब्दुला खां	117–00	400–00
4.	श्री रूपसिंह पुत्र मोरीलाल	65–00	136–00
5.	श्री दिलीप कुमार डे	400–00	1600–00

1	2	3	4
	मं० श्री चतुरभुज जी, पुरानी बस्ती, जयपुर		
1.	श्री राजमल पुत्र छोटेलाल माली	23–37	1293–00
2.	श्री रामपाल, रामगोपाल पुत्र हीरालाल	15–94	775–00
3.	श्री रामसहाय पुत्र रूपाराम माली	7–44	272–00
	मं० श्री सीताराम जी चौड़ा रास्ता, जयपुर		
1.	श्री भंवरलाल तोसनीवाल	53–31	—
2.	श्री आत्म प्रकाश पुत्र काकाराम	39–84	—
3.	श्री आत्म प्रकाश पुत्र काकाराम	17–53	—
4.	श्री चतरभुज एवं घासीराम	40–00	—
5.	श्री गोविन्द नारायण मानवाला	31–84	—
6.	श्री शांतीलाल पुत्र श्री बंशीलाल	39–84	—
	मं० श्री थाकड़ा बिहारी जी, गनगोरी बाजार, जयपुर		
1.	श्री सत्यनारायण पुत्र कल्याण बक्स	42–50	1327–00
2.	श्रीमती फातमा पुत्री श्री चिमन खां	26–56	1288–00
3.	श्री रहीश बक्स पुत्र श्री पूरे खां	21–25	574–00
4.	श्री छीतर खां	15–94	755–00
	मं० श्री विनोदीलाल जी, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर		
1.	श्री लेखराज पुत्र ी मोहनदाल	150–00	—
2.	श्री पाहुमल बसरूमल	25–50	—
3.	श्री मंत्री खण्डल विप्र नवयुवक मण्डल	5–31	—
4.	श्री ताराचन्द अजमेर	—	—
5.	श्रीमती आशादेवी झालानी	—	—
	मं० श्री चतर भुजजी, पुरानी बस्ती जयपुर		
1.	श्री लादूराम जाट	—	630–00

(536)

सूची आवासीय किरायेदार आत्मनिर्भर मंदिरान देवस्थान, जयपुर

1	2	3	4
	मं० श्री बद्रीनारायण जी, डूगरी, जयपुर		
1.	श्री रमाकान्त शर्मा	40–00	57–00
	मं० श्री रतनबिहारी जी (देवडी जी) जयपुर		
1.	श्री श्यामसुन्दर पुत्र हुकमचन्द खत्री	1–06	1–06
2.	श्री मंत्री जिला विकास परिषद	49–00	49–00
3.	श्री मंत्री जयपुर जिला देहात कांग्रेस कमेटी	8–50	40–00
	मं० श्री बद्रीनारायण जी डूंगरी अर्द्ध सरकारी संस्था		
1.	श्री हरिनारायण पुत्र रामगोपाल संचालक शिक्षा निकुंज	175–00	175–00

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 88 की सूचना)

दिनांक 1.1.82

वाहन संख्या	टोंक से यात्री गये	टोंक में यात्री आये	वाहन संख्या	टोंक से यात्री गये	टोंक में यात्री आये
6956	10		8709	10	—
7872	3		6957	—	15
8709	2		938	15	—
9335	—	10	7917	—	10
7910	5	—	1980	5	—
9127	—	10	7330	21	—
2021	15	—	8709	30	—
7014	—	20	3960	40	—
2969	—	5	2801	20	—
6965	—	10	2021	—	20
2055	—	10	3452	—	30
7296	5	—	6930	—	2
6377	10	—	9127	—	30
8824	—	15	651	30	—
4438	20	—	4021	10	—
4437	—	10	2102	6	—
938	—	15	1930	10	—
2801	10	—	872	10	—
1480	—	10	818	5	—
1981	—	35	3242	10	—
8643	30	—	7701	—	5
7701	—	10	1541	—	5
3760	—	15	8872	—	5
537	—	25	4436	5	—
8119	—	4	1958	—	10
914	—	10	972	10	—
8824	15	—	5866	5	—
9241	—	10	7919	—	30
7913	—	15	9265	—	5

538

1.	2.	3.	1.	2.	3.
6960	—	5	4437	—	14
2021	—	15	7452	—	50
1283	—	10	1480	—	5
7980	20	—	1960	—	15
6317	40	—	914	—	4
9876	10	—	9241	10	—
7290	20	—	4436	20	
7330	10	—	8119	—	5
2055	—	10	651	20	—
1980	—	10	1950	—	4
3242	—	7	5734	23	—
6397	5	—	917	—	10
7701	—	5	1958	—	10
1981	—	20	7919	20	—
7217	10	—	4439	—	15
7484	—	10	9265	20	—
849	5	—	972	—	10
7617	—	10	7452	15	—
8824	—	10	4439	30	—
8872	5	—	5866	—	20
9241	—	10	917	10	—
8293	—	5	972	30	—
3960	—	10	1958	10	—
1505	—	20	5866	40	—
651	10	—	7919	—	10
5735	30	—			
9129	10	—		2.1.82	
872	10	—			
1541	—	7	8231	40	—
818	—	10	5957	—	15
1981	—	50	914	—	10
7701	10	—	1480	—	3

1	2	3	1	2	3
7451	—	10	1960	5	—
6397	40	—	1480	—	14
4405	10	—	5872	10	—
651	—	10	1981	—	10
3804	—	10	537	—	5
7919	20	—	818	5	—
6370	15	—	914	3	—
3960	—	20	9241	—	10
1957	—	10	1541	—	5
73 0	—	10	7917	10	—
2801	20	—	7872	3	—
8872	7	—	8709	—	5
6957	—	20	5734	5	—
651	—	30	4479	—	15
892	—	21	7452	10	—
1541	10	—	5866	—	20
818	—	10	972	—	25
9127	20	—	8566	30	—
3117	10	—	1872	—	20
3242	—	5	841	30	—
7701	30	—	5734	10	—
448	30	—	537	10	—
537	20	—	7452	15	—
4021	10	—	8824	20	—
1283	—	3	9327	5	—
2102	—	10	7701	—	10
4438	30	—	9649	—	7
1980	—	5	7414	—	5
1980	—	50	7919	—	10
6962	—	2	2901	—	5
3612	—	2	7696	—	10
2055	13	—	7680	—	5

1	2	3	1	2	3
9284	—	5	1872	20	—
830	—	3	4435	—	15
6962	15	—	938	10	—
8872	—	6	5866	—	5
2919	10	—	972	—	5
6605	—	14	7484	—	10
3960	10	—	1872	10	—
6979	10	—	938	10	—
1960	—	10	4439	10	—
6346	—	10	917	—	10
1958	—	10	5734	—	10
7330	20	—	972	20	—
8824	20	—	938	—	15
2881	15	—	274	10	—
9876	10	—			
7917	—	15		3.1.82	
3242	—	2			
7452	20	—	6346	—	4
7296	—	20	9126	—	5
6127	—	20	6957	15	
7701	20	—	872	—	30
651	15	—	7014	10	—
4021	—	6	6484	—	10
8709	—	15	2537	—	5
7917	30	—	2117	—	5
7330	25	—	7452	—	5
7680	—	10	4439	45	—
1282	—	20	595	10	—
2102	10	—	537	—	10
7919	—	20	2809	—	10
2055	—	15	1960	—	5
7296	—	10	9207	40	—

1	2	3	1	2	3
714	....	10	7452	....	20
8824	....	15	4021	5	....
7203	....	8	9127	....	20
7913	30	...	4439	...	20
7452	10	....	6344	10	...
1480	....	5	7913	10	....
9701	5	....	7913	....	10
3960	10	....	8119	15	....
9919	....	20	7701	....	10
9241	...	40	4439	20	....
2664	....	15	7979	....	10
1954	15	....	2102	...	3
7604	...	15	3960		
9236	15	...	7330	....	5
6957	....	15	8824	....	15
651	....	20	9241	....	20
2055	15	....	8824	....	15
8824	50	....	9241	20	....
6217	28	...	6346	....	2
6377	...	15	7873	10	...
7660	....	10	8643	10	....
651	10	....	1981	....	10
7919	....	25	1541	5	....
2801	12	....	872	...	10
537	....	20	7913	10	....
6952	30	....	818	....	10
9582	14	....	305	10	....
1981	....	10	7701	15	....
9876	30	....	7203	....	30
7917	10	...	6346	10	....
511	10	...	1480	....	5
535	10	....	1958	10	....

1	2	3	1	2	3
914	....	4	1872	20	....
4438	....	22	972	55	....
612	10	....	841	10	....
8643	30	....	5866	40	....
6220	....	10	865	10	....
4438	30	....	7896	30	....
6957	5	....	972	....	20
1960	....	10	5734	....	20
8643	5	....	938	—	25
872	30	....	7296	10	....
7603	....	10	1872	....	10
818	10	....			
4021	....	5		4.1.82	
6366	30	....			
8119	....	15	7682	....	20
1545	20	....	7962	10	....
9127	23	....	1872	10	....
1965	....	11	6506	5	....
7701	....	2	7919	10	....
2102	20	....	346	....	15
8873	5	...	7484	15	....
5866	5	....	936	10	....
972	....	5	3960	10	—
5734	....	10	537	....	20
841	....	15	595	10	....
7296	10	....	7917	....	40
938	...	10	8119	....	20
248	5	....	2055	....	35
5734	5	....	9127	40	—
1872	20	...	4439	...	10
2938	10	....	4021	5	....
5866	15	....	7917	20	—

Page No. 545

543

1	2	3	1	2	3
2267	–	10	3960	10	–
651	50	–	527	–	10
538	–	5	2276	–	10
6210	–	11	7014	–	10
7980	4	–	7484	–	10
2102	–	25	7917	–	10
1283	35	–	9241	11	–
1981	–	5	7180	–	10
7962	–	20	6604	–	8
841	35	–	8709	–	5
4439	15	–	117	5	–
8824	–	20	4439	–	5
1981	20	–	2102	–	17
1872	–	40	1284	–	3
7701	5	–	6397	–	10
2801	–	10	8872	10	–
938	–	10	6957	10	–
914	–	6	5934	20	–
7957	–	20	6346	12	–
8824	20	–	1541	5	–
5959	–	15	3005	5	–
4643	30	–	8643	–	40
595	–	10	872	–	10
7976	10	–	117	20	–
7452	–	10	9127	–	40
6377	10	–	8119	10	–
638	20	–	1256	–	10
6614	–	5			
5979	15	–	4438	–	50

544

1	2	3
7680	–	10
4021	5	–
1283	–	6
6310	10	–
7962	5	–
4438	20	–
6346	5	–
5734	–	30
872	40	–
8543	50	–
914	11	–
938	20	–
818	30	–
7780	10	–
5734	20	–
612	–	10
1541	30	–
7872	–	8
9241	–	4
2256	–	10
4438	–	9
117	–	10
7913	5	–
7484	–	5
1958	10	–
5886	–	10
841	–	30
1960	10	–
9196	–	25

1	2	3
865	–	10
5866	10	–
972	–	60
7296	5	–
7913	20	–
972	15	–
2055	20	–
1958	–	20
972	15	–
7913	30	–
1960	–	10
5866	–	10
1958	20	–
7296	–	10
865	–	10
972	–	5
5-1-82		
7680	–	5
7872	–	18
7917	–	2
6346	–	10
9335	5	–
586	15	–
7484	25	–
5962	5	–
117	–	5
9109	–	10
5979	–	30
9776	20	–

1	2	3	1	2	3
2801	10	–	5414	10	–
7014	20	–	7962	–	10
6377	10	–	7917	–	30
955	20	–	7014	–	10
6670	–	13	1282	–	18
8824	–	20	2071	–	20
5879	20	–	595	10	–
840	–	50	5879	–	5
9127	60	–	972	–	30
1480	–	8	5977	20	–
3980	–	30	972	20	–
5779	10	–	9127	–	20
972	–	10	7014	10	–
1980	–	70	7484	–	12
1872	20	–	7919	–	10
8824	20	–	8824	–	10
9704	–	10	8872	5	–
919	5	–	9335	7	–
935	30	–	938	–	5
6346	–	30	3960	–	4
6377	20	–	9241	–	5
7180	–	15	6962	–	10
7919	–	20	1907	5	–
3960	25	–	5734	–	30
115	13	–	1541	5	–
8548	10	–	872	–	10
6377	30	–	818	–	10
9241	25	–	9127	–	70
2801	10	–	912	10	–

Page No. 548

(546)

1	2	3
1980	–	40
7330	–	50
6757	28	—
914	—	5
1780	2	—
937	—	30
4438	50	—
2256	—	10
7680	4	—
6330	10	—
1960	–	10
872	10	–
1960	50	–
4432	10	–
818	30	–
5997	20	–
8873	10	–
9198	6	–
1541	20	–
7296	5	–
7484	5	–
7913	25	–
8709	5	–
917	10	–
651	–	30
7913	20	–
1958	–	30
841	30	–
796	20	–
1958	30	–
1981	10	–
7452	10	–
916	10	–
879	–	10

1	2	3
7296	15	–
7913	–	15
745	10	–
8709	10	–
841	–	15
1958	–	5
6–1–82		
972	20	—
537	—	20
3318	—	10
2055	—	20
9127	20	—
2107	20	—
2801	10	—
9519	—	10
539	15	—
2768	—	10
6346	—	25
6876	—	10
6346	—	25
6876	|	10
6346	—	10
1913	—	10
1872	—	20
7917	—	20
7014	—	25
1872	—	5
8266	—	10
4439	—	5
7246	—	30
972	—	5
117	—	1
8872	|	10

1	2	3	1	2	3
537	10	—	7452	—	20
9127	10	—	8702	10	—
9241	—	5	3960	20	—
284	5	—	7452	—	20
7284	10	—	7919	—	30
6605	—	5	1901	15	—
6657	—	20	1958	—	15
7680	5	—	3960	20	—
3005	–	2	7452	20	—
7014	—	20	7919	—	30
2801	—	10	1901	15	—
1876	—	10	1958	—	15
7913	40	—			
505	85	—	9261	25	—
7917	—	20	6307	—	20
9871	—	20	970	—	15
9198	—	60	7014	5	—
1872	—	10	5084	—	5
914	—	4	1917	20	—
1541	20	—	9346	—	20
3960	5	—	7701	20	—
7484	—	5	6377	20	—
7296	—	10	2102	—	30
7919	10	—	2255	—	5
1958	10	—	1283	10	—
1981	—	15	4439	20	—
917	—	10	6962	—	10
8909	—	15	1960	20	—
7296	10	—	6962	10	—

1	2	3
2102	20	—
8872	3	—
5979	5	—
7680	—	2
3005	2	—
6957	15	—
1960	—	70
872	—	10
818	—	50
1541	—	5
117	5	—
7651	—	53
9198	2	—
1872	20	—
9701	—	15
4438	—	46
4439	10	—
7330	10	—
5979	—	20
4438	20	—
3118	—	6
6957	—	20
5979	50	—
872	30	—
818	20	—
3960	20	—
274	10	—
7919	10	—
7296	—	5

1	2	3
1958	10	—
8709	—	10
7452	—	5
	7-1-82	
7680	10	—
5734	5	—
7872	5	—
7452	5	—
6962	10	—
1872	—	10
117	—	3
7296	10	—
7014	30	—
2801	—	20
511	20	—
595	5	—
4439	20	—
612	—	25
1980	—	30
7014	20	—
7912	30	—
1480	—	20
7701	30	—
938	—	30
7127	—	40
8824	—	20
914	28	—
3118	—	20
9241	20	—

549

1	2	3	1	2	3
5734	–	20	2102	10	–
7180	–	5	1872	–	40
938	7	–	1960	10	–
7330	40	–	5989	10	–
2824	30	–	9296	10	–
8109	5	–	7913	–	30
7917	–	20	7701	–	5
7451	–	5	841	–	10
8643	–	20	1872	10	–
2801	20	–	7484	–	5
5184	–	10	9241	–	5
5734	25	–	9339	–	4
7917	40	–	8872	10	–
7296	–	30	6957	5	–
5982	–	20	6577	–	5
651	20	–	938	–	10
565	5	–	8824	–	5
9876	20	–	1507	–	20
7014	–	15	2616	–	5
117	–	10	117	3	–
972	5	–	1541	10	–
7694	10	–	872	20	–
2102	10	–	818	–	10
274	–	10	972	10	–
7917	–	30	7913	20	–
7919	35	–	3005	7	–
7694	–	15	612	6	–
972	20	–	779	30	–
3960	–	10	735	14	–

550

1	2	3	1	2	3
5779	10	–	8824	10	–
6346	55	–	6605	3	–
1182	5	–	9201	10	–
8709	40	–	4939	–	10
8118	5	–	5979	–	10
7680	5	–	7384	10	–
1872	20	–	3005	–	5
2709	40	–	7293	–	20
872	–	20	9127	15	–
7452	10	–	9877	–	10
5971	34	–	515	–	10
818	30	–	1960	–	10
1286	–	4	2511	5	–
7483	20	–	6372	25	–
1541	–	20	7917	–	50
7913	–	10	1809	20	–
8872	5	–	8119	–	10
7246	–	5	7913	45	–
3960	–	15	9391	–	20
1918	–	30	7296	20	–
3960	15	–	5484	–	5
972	–	15	1872	–	30
7918	–	15	7919	20	–
845	10	–	612	15	–
2102	–	15	5734	–	25
7694	20	–	1958	30	–
1979	–	10	9957	–	20
8-1-82			7450	60	–
7014	10	–	7482	–	10

551

1	2	3	1	2	3
7014	–	20	551	–	10
1283	25	–	914	–	12
8643	30	–	6377	–	10
1872	50	–	7680	30	–
8824	–	30	595	20	–
9957	30	–	535	40	–
3118	50	–	9167	–	20
7014	40	–	7296	–	10
2801	10	–	8909	–	10
9241	–	10	7701	5	–
2381	36	–	7917	–	20
7680	–	10	6377	15	–
651	–	30	9127	10	–
5734	30	–	612	–	10
8872	5	–	934	2	–
3960	10	–	7914	–	5
979	10	–	5866	–	10
1541	5	–	7872	–	2
612	10	–	7970	–	20
6346	–	33	7452	–	12
1960	50	–	805	19	–
4438	50	–	7330	10	–
7483	2	–	970	–	10
3381	–	7	1284	–	5
9141	10	–	972	5	–
8709	20	–	1841	10	–
1541	10	–	7979	5	–
612	5	–	972	10	–

1	2	3
1958	–	20
2102	–	30
7684	–	30
2102	–	30
7919	–	30
7494	–	25
841	–	40
1981	60	–
917	10	–
7919	15	–
841	12	–
972	–	10
2102	–	6
759	20	–
7484	3	–
7694	–	2
7680	–	3
8709	–	50
7913	–	20
117	5	–
8119	–	20
7452	–	10
2256	10	–
3960	20	–
3118	10	–
5979	–	30
3960	30	–
938	–	20
6346	–	5

1	2	3
9-1-82		
3945	–	35
7917	5	–
5862	20	–
1960	–	40
2801	12	–
972	35	–
7701	–	6
7680	–	8
8709	25	–
2381	–	8
7014	–	22
7680	–	22
7330	–	28
7957	–	20
1282	–	15
2801	12	–
7917	–	18
7913	–	35
7913	–	25
5045	–	27
7580	–	5
1958	–	5
9242	2	–
7919	10	–
4663	5	–
7919	20	–
651	30	–
841	30	–

553

1	2	3	1	2	3
6346	—	10	5484	15	–
7296	—	20	8876	–	15
6346	25	—	6377	10	–
7296	10	—	8709	–	15
8772	5	—	17484	–	6
3960	—	10	9241	–	10
872	—	10	9127	–	32
3805	15	—	7484	–	5
4438	—	40	1981	–	15
2381	–	6	7296	–	15
1981	5	—	841	–	10
2102	50	–	9242	–	15
7918	5	–	972	20	–
7630	5	–	9242	40	–
7284	10	–	917	10	–
972	10	–	7919	–	5
6377	–	10	841	–	5
7907	22	–	2102	10	–
537	–	10	1960	15	–
8743	15	–	818	15	–
1872	–	12	5045	–	30
6377	23	–	9241	–	5
9127	–	35	3960	30	–
938	–	10	4438	10	–
537	40	–	7410	–	5
979	25	–	972	–	2
7014	12	–	10–1–82		
794	9	–	1960	7	–

554

1	2	3	1	2	3
1872	–	3	1958	–	15
1958	5	–	2381	30	–
7484	–	10	9876	15	–
3005	–	14	972	20	–
3460	–	15	2102	–	15
9261	–	19	913	20	–
2102	30	–	5925	–	11
938	15	–	7183	–	[illegible]
5979	–	18	7330	–	15
7410	–	10	7012	–	10
7913	17	–	5866	15	15
7330	18	–	7919	–	17
7482	32	–	6605	–	3
6962	–	14	1927	–	20
7917	10	–	2012	12	–
972	20	–	3005	30	–
7918	46	–	7957	–	2
7452	–	30	7330	–	25
7612	–	5	818	–	20
7680	–	12	872	–	20
7627	–	50	7410	–	15
4642	–	10	7483	–	10
5734	10	–	7919	–	20
4438	–	30	7917	–	44
8120	25	–	4438	20	–
8188	–	2	7409	–	8
7452	40	–	7989	12	–
2811	–	30	3960	–	25

Page No. 557

1	2	3	1	2	3
872	30	–	9242	–	15
9938	–	10	7694	–	30
818	5	–	7296	–	15
7918	–	10	6346	–	25
				653	841
9241	–	7	11-1-82		
2102	15	–	6962	15	–
9225	–	2	537	15	–
9241	–	15	7917	30	–
5975	4	–	9127	–	16
3205	–	5	7872	–	20
651	25	–	5982	10	–
9242	–	15	7212	–	25
5734	18	–	7680	20	–
1805	–	10	938	–	30
7692	10	–	7913	22	–
9242	15	–	2801	–	15
917	–	10	938	–	13
6346	–	60	7919	–	20
651	–	10	4438	–	10
6346	15	–	4438	60	–
5734	15	–	7296	20	–
9242	10	–	2481	32	–
972	10	–	8693	–	40
651	20	–	2102	18	–
7684	–	20	2381	–	20
1960	12	–	3960	55	–

556

1	2	3
7914	–	20
8120	–	10
9241	–	50
537	–	35
8709	25	–
1928	20	–
972	–	20
537	35	–
1980	15	–
3243	15	–
9241	15	–
7917	–	20
8901	10	–
7452	15	–
924	19	–
7680	–	22
7917	32	–
7913	–	22
7014	55	–
4438	17	–
1960	25	–
7913	–	15
841	–	25
9241	–	25
9127	–	12
2102	–	22
8709	–	89
817	–	35
972	35	–
3005	25	–
7102	62	–
2481	15	–
2381	15	–
1925	35	–
7694	45	–
3243	–	25
6346	55	–
872	–	27
3764	69	–
5184	15	–
914	–	18
818	22	–
7919	40	–
7452	–	22
4438	–	10
5872	–	22
8866	22	–
7012	–	15
7330	10	–
2055	10	–
9285	–	20
9242	–	28
651	20	–
1960	–	72
5866	–	22

1	2	3	1	2	3
9265	70	–	651	45	–
5739	–	10	4439	20	–
2055	22	–	7913	–	25
972	–	10	7701	16	–
651	5	–	537	–	10
2055	13	–	7913	20	–
9242	–	18	7694	30	–
7494	2	–	5484	–	15
9265	–	15	3242	–	32
	12–1–82		914	15	–
7680	15	–	7452	22	–
8872	–	10	7680	–	12
7985	15	–	9265	30	–
5866	–	15	7957	–	30
6609	–	20	938	35	–
7684	–	10	7913	20	–
7919	–	10	3138	14	–
1958	25	–	1981	–	30
651	–	15	7014	–	32
7296	18	–	938	–	45
1980	–	20	2001	42	–
7917	–	20	6957	55	–
8701	–	12	1958	–	20
9876	20	–	5709	35	–
1970	–	32	1981	32	–
7102	35	–	8127	34	–
2709	–	25	7296	–	15

1	2	3
2102	–	12
7480	–	10
7014	17	–
7917	–	10
9241	7	–
7452	–	15
6605	–	9
7872	12	–
7957	–	15
2505	–	45
1541	25	–
7879	10	–
818	40	–
1980	–	15
972	–	35
4438	30	–
612	–	12
7401	22	–
1872	–	23
7452	32	–
3242	17	–
3118	–	10
7680	22	–
6346	–	40
537	17	–
872	35	–

1	2	3
7919	–	20
818	14	–
1872	–	20
1958	–	30
1805	–	10
7701	15	–
2102	22	–
9241	–	15
3005	–	26
9242	15	–
7484	15	–
841	15	–
5731	37	–
4643	42	–
932	–	35
7330	–	30
9742	40	–
7330	–	50
5734	20	–
9242	20	–
841	–	17
972	–	27
651	42	–
7484	33	–
3301	–	15
13-1-82		
2055	20	–

1	2	3		2	3
6377	–	5	1805	–	6
2824	12	–	9265	–	20
9188	7	–	2102	40	–
2102	–	10	9198	3	–
7919	–	1	6377	20	–
7917	7	–	7919	30	–
7484	4	–	7296	–	50
1981	–	2	938	–	20
9335	–	2	1981	50	–
7296	–	5	1960	10	–
2055	–	2	3118	–	20
1284	–	1	1958	40	–
6962	10	–	6962	–	10
7330	5	–	1282	23	–
7870	–	5	7330	–	15
9335	–	5	5734	–	30
7452	5	–	7296	50	–
6957	10	–	8709	–	10
6959	10	–	7452	–	40
7484	5	–	9241	–	15
7014	–	10	7330	30	–
7680	15	–	6957	–	12
9127	–	10	7452	40	–
6077	–	20	3242	10	–
7917	25	–	914	–	3
6346	6	–	7383	–	10
1981	–	30	537	40	–

1	2	3	1	2	3
9676	5	–	917	–	10
1872	10	–	9242	30	–
7680	7	–	841	20	–
6546	40	–	651	20	–
1541	–	10	841	25	–
2102	30	–	972	–	20
3005	–	16	9127	15	–
1805	–	7	7913	–	10
9198	–	10	917	10	–
2391	–	5	972	20	–
1958	–	20	3960	–	15
938	35	–	7913	18	–
7014	–	20	7484	5	–
3242	–	4	**14–1–82**		
1872	60	–	7680	10	–
6957	–	20	8872	–	5
1541	10	–	7694	15	–
7701	–	10	1981	5	–
9198	20	–	6377	10	–
8872	–	7	7296	8	–
117	20	–	7484	–	10
972	10	–	8824	–	10
7484	–	5	4760	2	–
7919	10	–	9474	40	–
9742	–	10	7014	20	–
5739	–	25	9876	–	10
651	–	20	6446	–	10

Page No. 563

1	2	3	1	2	3
2801	–	10	7014	–	25
6605	23	–	2824	–	21
7701	–	25	1907	5	–
8824	20	–	2031	–	10
7452	–	15	7920	–	10
2055	–	10	6957	–	5
7919	35	–	1872	–	10
6346	10	–	6605	–	15
5884	–	10	872	10	–
6657	20	–	117	10	–
7330	35	–	7501	10	–
2552	–	7	6950	–	10
8709	45	–	938	–	17
7452	20	–	1818	25	–
4438	–	30	5484	5	–
7480	–	25	3242	20	–
7694	–	12	938	–	25
9127	40	–	8810	–	5
1981	–	25	7680	–	1
8824	50	–	8395	15	–
7694	15	–	9265	–	5
2801	15	–	1825	–	25
2381	10	–	872	–	29
6962	–	1	8395	–	40
537	–	8	7296	–	30
1805	8	–	815	–	10
8824	10	–	817	–	10

562

1	2	3	1	2	3
9262	–	15	7330	–	40
4441	–	40	972	–	20
972	–	5	5866	–	25
9127	–	2	1958	32	–
5860	15	–	841	–	30
917	–	10	5766	20	–
2102	–	25	7913	–	15
972	–	25	1958	25	–
7913	–	10	6639	20	–
2102	25	–	6377	40	–
1958	–	30	974	10	–
7913	10	–	7412	20	–
841	–	30	7913	25	–
7230	40	–	4439	20	–
2074	10	–	1958	–	10
1950	31	–	7452	35	–
5266	–	15	5866	–	15
841	25	–	7684	14	–
2102	–	25	9127	–	16
5866	10	–	7680	–	30
7913	–	10	6395	55	–
15–1–82			932	30	–
7913	15	–	8342	–	30
2531	25	–	2242	12	–
4439	22	–	4417	–	15
1958	–	25	938	55	–
7438	22	–	2381	–	10

1	2	3	1	2	3
7730	20	–	2801	–	20
7528	–	15	9476	10	–
7296	12	–	6979	–	28
8850	–	4	8824	28	–
972	60	–	3734	–	10
7973	–	3	7917	20	–
928	12	–	7014	–	30
612	–	70	3243	30	–
972	70	–	2381	–	10
4663	–	15	1981	30	–
872	–	10	7194	–	30
818	–	20	537	20	–
913	15	–	2516	40	–
3318	–	8	7296	40	–
8872	10	–	6962	–	25
738	10	–	8392	–	35
117	10	–	1805	–	30
6957	5	–	7014	–	50
7842	–	5	1960	–	15
9335	15	–	5734	–	30
9242	20	–	9242	–	30
1872	–	20	612	20	–
2102	2	–	9960	10	–
7680	12	–	2801	–	30
2131	15	–	910	–	10
8824	–	30	5979	–	10
5438	20	–	7680	–	15

564

1	2	3	1	2	3
5734	20	–	7484	–	10
5484	34	–	8872	5	–
657	10	–	1985	15	–
8824	–	10	3960	10	–
4428	–	5	9435	–	20
1804	5	–	7014	5	–
3242	–	10	7696	–	20

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 94 की सूचना)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग, पाली राजस्थान

पंचायत समिति अनुसार उच्च प्रार्थमिक विद्यालयों की सूची

जैतारण	रायपुर	सोजत	खारची	पाली	रोहट
1	2	3	4	5	6
1. धनेरियां	1. निम्बड़ाकलां	1. धाकड़ी	1. इदेवली आउवा	1. भावरी	1. गडवाड़ा
2. देवरिया	2. झूठा	2. सिसरवादा	2. धामली	2. ढेण्डा	2. झीतडा
3. आसरलाई	3. नानण	3. साणडिया	3. राडावास	3. रूपावास	3. खाण्डी
4. चावण्डिया	4. कोटकिराण	4. चाडवास	4. चोपारी	4. ठाकुरला	4. माण्डावास

1	2	3	4	5	6
5. निम्बोल	5. कापाजा	5. हरीयामाली	5. दूदोड़	5. हेमावास	5. धरमधारी
6. बलाड़ा	6. बिराटिया खुर्द	6. गुडाकलां	6. माण्डा	6. टेवाली	6. वायद
7. बिरोल	7. कलालिया	7. करमावासपट्टा	7. मुसालिया	7. लाम्बिया	7. जेतपुर
8. बेड़कली	8. कालबकलां	8. मूरडावा	8. सिनला	8. भांगेसर	8. किलथाना
9. मोहराई	9. करमावास मालियान	9. राजोलाकला	9. चेलावास	9. मनिहारी	
10. फालका	10. बासिया	10. खारीयानीव	10. पाचेटिया	10. मण्डिया	
11. आगेवा	11. सुमेल	11. खोखरा	11. बिठूड़ाकलां	11. सोनाईमाण्डा	
12. तालकिया	12. चांग	12. केलबाद	12. निमलीमाण्डा	12. बागर मौहल्ला पाली	
13. डिगरना	13. रामपुरा	13. सिलाट	13. सवराड	13. नाडी मौहल्ला पाली	
14. पाटवा	14. लीलाम्बा	14. सोजत न. 1	14. ईसाली	14. पुरानी कचहरी पाली	
15. गरनिया		15. सोजत नं. 2	15. राणावास	15. बोहरों की ढाल पाली	
16. कूडकी		16. सोजत नं. 3	16. खारची	16. पुलिस लाइन पाली	

1	2	3	4	5	6
17. काणेचा		17. नेहरा बेड़ा	17. गदाणा	17. भैरूघाट पाली	
18. लाटोती		18. रोपड़ावास	18. सारण	18. आदर्शनगर पाली	
		19. धीनावास	19. कराडी	19. बाल निकेतन पाली (मा. प्र.)	
				20. डरी	
				21. बोमादडा	

पंचायत समिति अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय की सूची

प्रा. वि. शहरी क्षेत्र

बाली	देसूरी	सुमेरपुर	रानी	बाली	सुमेरपुर
1	2	3	4	5	6
1. ताटारा	1. बोगोल	1. नोवी	1. देवली सेमेसर	1. सेवाडी दरवाजा	1. सुमेरपुर नं. 1
2. पेरवा	2. डायलाना	2. लापोद	2. पिलावनी	2. नं 2 बाली	2. सुमेरपुर नं. 2
3. वोया	3. आवा	3. खिमाडा	3. रानीगांव	3. नं 2 बाली	3. सुमेरपुर नं 3
4. भाटूण्द	4. सिनुरली	4. पोमावा	4. बालराई	4. रजावा बाली	4. सुमेरपुर नं. 4

567

1	2	3	4	5	6
5. कोटवालीयान	5. पनाता	5. पालडीजोड़	5. किशनपुरा	**सादड़ी**	**तखतगढ़**
6. भीटवाड़ा	6. जूण	6. सलादरिया	6. निपल	1. नं. 1 सादड़ी	1. तखतगढ़ नं. 1
7. शिवललाव	7. ढालोप	7. बीरागी	7. डूठारिया	2. नं. 4 सादड़ी	2. तखतगढ़ नं. 2
8. वारवा	8. गुडा पृथ्वीराज	8. भेरुन्दा	8. रायपुरिया	3. बाबरिया का झूपा	**जेतारण**
9. फालनागांव	9. सादडी न. 1	9. बलवना	9. निम्बाड़ा	4. रबारियों की ढाणी	1. प्रा. वि. सारण
10. गुडालाश	10. कोठडी	10. बनाना	10. इन्दरा मेड़तीयान	5. भदरास सादड़ी	2. खेडादेवगढ़
11. धणी	11. कोलर पो. मगरतलाव	11. बिढूडा	11. धेनड़ी	6. आदर्श विद्यालय (मा. प्र.)	3. निमाज
12. श्री सेला	12. सांवलता	12. ढाला	12. कीरवा	**सोजतनगर**	**पाली**
13. कोटार		13. सिन्दरू	13. भादरलाऊ	1. नं. 1 सोजत	1. बोहरी की ढाला पाली
14. बाली नं. 1		14. सेतरा	14. गुडाजेतसिंह	2. नं. 2 सोजत	2. भेरूघाट पाली

1	2	3	4	5	6
15. बाली नं. 2		रायपुर		3. नाईडा बेरा सोजत	3. सिन्धी कालोनी पाल'
16. बाली नं. 3		1. बस स्टेण्ड रायपुर		4. जोधपुरिया दरवाजा	4. मेला दरवाजा पाली
17. फालना स्टेशन		2. प्रा. वि. रायपुर		5. मगरिया बेरा सोजत	5. मिल क्षेत्र पाली (मा. प्र.)
18. दूदनी		3. प्रा. वि. हरीपुर		6. गुलाब बाई सौजत (मा. प्र.)	
19. मालनू		4. प्रा. वि. खींवल			
					1. बाल मन्दिर पाली
					2. भारतीय विद्या मन्दिर पाली
					3. हनवन्त प्रा. वि.

570

जिला पाली में अध्यापकों की कमी वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची

क्रम संख्या	नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय	अध्यापकों की कमी की सं०
1	2	3
1.	भावरी	1
2.	डेण्डा	1
3.	हेमावास	1
4.	टेवाली	1
5.	लाम्बीया	1
6.	मणिहारी	1
7.	डरी	6
8.	मोमावड़ा	1
9.	नटवाड़ा	1
10.	इतिड़ा	1
11.	साण्डी	1
12.	माण्डावास	1
13.	धरमधारी	1
14.	वायद	1
15.	जेतपुर	1
16.	कुलथाना	1
17.	लाटोती	7
18.	लीलान्वा	7
19.	नोवी	2
20.	पोमावा	1
21.	पालड़ी जोड़	1
22.	सियाड़ा	1
23.	सलीदरिया	1
24.	बिरामी	3
25.	माइन्दा	3
26.	बलाना	5

571

1	2	3
27.	बिठुड़ा	2
28.	ढोला	1
29.	सिन्दा	4
30.	नेतरा	6
31.	देवली सोमेसर	2
32.	पिलोवनी	3
33.	रानी गांव	2
34.	बिशनपुरा	2
35.	नीपल	5
36.	निम्बाड़ा	1
37.	हटम्दरा मेड़तियान	2
38.	पेनड़ी	3
39.	भादरलाऊ	5
40.	गुडाजेतसिंह	9
41.	कारवा	2
42.	पेरवा	1
43.	शिवतलाब	1
44.	बारवा	2
45.	फालना गांव	1
46.	फालना स्टेशन	1
47.	मालनू	6
48.	बाली नं० 3	3
49.	ा गोल	1
50.	डायलाना	1
51.	श्राना	1
52.	सिन्दरली	1
53.	गुढा पृथ्वीराज	1

572

1	2	3
54.	सादड़ी नं० 1	1
55.	सादड़ी नं० 2	5
56.	कोटड़ी	2
57.	कोलर	3
58.	सांवलता	6
59.	राजोला कलां	2
60.	रेपड़ावास	1
61.	धीन्नावास	7
62.	देवली जाऊवा	2
63.	रड़ावास	2
64.	दूदोड़	3
65.	चेलावास	2
66.	पाचेटिया	2
67.	नीमली भाण्डा	2
68.	ईसाली	2
69.	कराड़ी	7
70.	गादाणा	2
71.	सारण	2
		कुल : 171 अध्यापकों की कमी

573

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 95 की सूची)

सूची कार्यरत अध्यापक, छात्र संख्या एवं अनुपात के अनुसार आवश्यकता

क्र. सं.	नाम विद्यालय	छात्र संख्या अगस्त 83	नियुक्ति अध्यापक	छात्र अनुपात के अनुसार अध्यापक पद की आवश्यकता	वि० वि०
1	2	3	4	5	6
1.	पाटी	64	1	1	
2.	भरतगढ़	68	1	1	
3.	भगतपुरा	84	1	1	
4.	मून्दड़ी	93	2	1	
5.	खेरदा	106	2	1	
6.	गराडखोरा	55	1	1	
7.	पोटलिया	70	2	—	
8.	मोर	68	1	1	
9.	चुडादा	137	3	1	
10.	टाडावड़ला	76	1	1	
11.	कलिजरा	38	1	....	
12.	जाडी	50	1	1	
13.	नागदा	96	2	1	
13.	कोटड़ी	55	1	1	
15.	बांसड़ी	97	1	2	
16.	काकनवानी	65	1	1	
17.	भवरकोट	76	1	1	
18	खेड़पुर	110	2	1	
19	बगायचा	54	1	1	
0.	घरतारा	98	2	1	
1.	सुलियामालपाड़ा	75	1	1	

574

1	2	3	4	5	6
22.	बसूनी	146	2	2	
23.	पाडला	96	3	—	
24.	बालमपुरी	70	1	1	
25.	रसोडी	51	1	1	
26.	उदयगढ़ बसूनी	48	1	....	
27.	बिल्लीपाडा	66	1	1	
28.	खजूरा	87	1	1	
29.	निश्नावट	107	3	....	
30.	ठूम्मठ	55	1	1	
31.	खेटाबारी	132	3	1	
32.	बोरखेडी	47	1	....	
33.	बडबास छोटी	58	2	....	
34.	देवदासाथ	54	1	1	
35.	पलकपाड़ा	62	1	1	
36.	खडियासाथ	53	1	1	
37.	डूंगरीपाड़ा	58	1	1	
38.	टिमेडा छोटा	93	1	2	
39.	भीमगढ़	72	1	1	
40.	चरकनी	125	1	2	
41.	सबूबलपुरा	75	1	1	
42.	बारन की गडली	72	1	1	
43.	भीकली	63	1	1	
44.	पाटा	68	1	1	
45.	सारन	120	1	2	
46.	बावानेर	67	1	1	
47.	लक्ष्मणपुरा	32	1	....	

1	2	3	4	5
48.	काकनिया	56	1	1
49.	करमदिया	102	1	2
50.	लूणावाड़ा	52	1	1
51.	सींगली	54	1	1
52.	वडलीपाड़ा	58	1	1
53.	बालाचना	55	1	1
54.	विजोरी	59	1	1
55.	बिजलपुर	67	1	1
56.	पोटलियाराणागा	63	1	1
57.	वडला की रेल	61	1	1
58.	छोटी सरवा	164	2	2
59.	गान्दवन	60	1	1
60.	गल्वर	84	1	1
61.	शोभावटी	बन्द	—	1
62.	मिर्चबाटी	49	1	....
63.	बावलियापाड़ा	60	1	1
64.	चोखवाड़ा	58	1	1
65.	कुन्डिया	58	1	1
66.	बावड़ी डिडोर	45	1	....
67.	गोपालपुरा	67	1	1
68.	सुखन	48	1	....
69.	सातलिया	42	1	....
70.	बस्सी	93	1	2
71.	करनघाटी	92	1	2
72.	रूपगढ़	50	1	1
73.	धोलका	50	1	1

1	2	3	4	5
74.	महुडा	68	1	1
75.	भूरीपाड़ा	41	1	....
76.	वरसाला	बन्द	....	1
77.	मोरझरी	51	1	1
78.	दरोवडिया	96	1	2
79.	नूनापानी	बन्द	...	1
80.	रातीमहुडी	55	1	1
	योग—	5610	94	78

5̶7̶7̶

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 102 की सूची)

	पंचायत समिति	आशार्थियों की संख्या जिनको रोजगार दिलाया गया
1.	मारवाड़-जक्शन	77
2.	रानी	36
3.	देसूरी	20
		कुल 133

578

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 104 की सूची)

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनिज अभियन्ता, चित्तौड़गढ़ (राज०)
चित्तौड़गढ़ उपखण्ड में आवंटित आर. सी. आर. एल. (पट्टे)
आदिवासियों को दिये गये

तहसील चित्तौड़गढ़ वर्ष 1981-82

क्र.सं.	नाम आवेदक	आवेदन-पत्र दिनांक	स्वीकृति दिनांक	क्षेत्र
1.	श्री शंकर पुत्र रामा रावत	25-5-81	11-8-81	सेंती
2.	श्री गणेश पुत्र गोकल भील	29-7-81	11-1-82	सावा
3.	श्री नारु पिता परथा भील	20-1-82	3-6-82	केशरपुरा
4.	श्री –एजन–	–एजन–	–एजन–	एजन
5.	श्री हजारी पुत्र किशना भील	एजन	एजन	सेंती
6.	श्री रामा पुत्र उदा भील	एजन		एजन

तहसील बेगूं वर्ष 1981-82

क्र.सं.	नाम आवेदक	आवेदन-पत्र दिनांक	स्वीकृति दिनांक	क्षेत्र
1.	श्री मांगीलाल पुत्र देवा भील	2-7-81	16-10-81	रावड़दा
2.	श्री काना पुत्र मांगीलाल भील	एजन	3-10-81	एजन
3.	श्री रतनलाल पुत्र वगता भील	एजन	एजन	एजन
4.	श्री नन्दा पुत्र किशना भील	3-12-81	14-5-82	एजन
5.	श्री एजन	एजन	एजन	एजन
6.	श्री नेमीचन्द मीणा	1-9-81	1-1-82	,,
7.	श्री ऊंकार पुत्र हुकमा भील	3-10-81	11-1-82	,,
8.	श्री एजन	एजन	एजन	,,
9.	श्री नारु पुत्र लालू भील	,,	,,	मेनाल
10.	श्री एजन	,,	,,	एजन
11.	श्री नाथू पुत्र प्यारा भील	28-1-82	15-6-82	रावड़दा
12.	श्री अमरसिंह पुत्र उदयसिंह रावत	28-3-82	एजन	एजन

ह०/
सहायक खनिज अभियन्ता,
चित्तौड़गढ़

579

कार्यालय सहायक खनिज. अभियन्ता, निम्बाहेड़ा

वर्ष 1981–82 में आदिवासियों को दिये गये अनुदान पट्टों की सूची

क्र सं.	नाम पट्टाधारी	नाम बाउन्ड्री	तहसील	प्लाट नं.	अवधि
1.	श्री मोहन पिता घासी नायक	क. खेड़ी	निम्बाहेड़ा	113	28-4-81 से 27-4-82
2.	श्री डालू पिता गोदू नायक	एजन	,,	114	13-4-81 से 12-4-82
3.	श्री मांगीलाल पिता किशना भील	सालरमाला	,,	588	13-4-81 से 12-4-82
4.	श्री मांगीलाल पिता खेमा भील	हुड़माला	,,	39	13-4-81 से 12-4-82
5.	श्री धमा पिता खुमा भील	एजन	,,	38	13-4-81 से 12-4-82
6.	श्री प्यारा पिता भूरा भील	खाल	,,	18	26-2-82 से 25-2-83
7,	श्री मोड़ा पिता नाथु गमेती	टाटरमाल	भदेसर	380	20-3-82 से 19-3-83
8.	श्री मांगीलाल पिता प्यारा गमेती	,,	,,	378	20-3-82 से 19-3-83
9.	श्री उदयराम पिता पेमा गमेती	,,	,,	360	4-6-81 से 3-6-82
01.	श्री चम्पालाल पिता चोखा गमेती	,,	,,	363	1-9-81 से 31-8-82

ह०/
सहायक खनिज, अभियन्ता,
निम्बाहेड़ा।

580

कार्यालय सहायक खनिज अभियन्ता चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)
चित्तौड़गढ़ उपखण्ड में आवंटित आर.सी.आर.एल. (पट्टे)
आदिवासियों को दिये गये
तहसील चित्तौड़गढ़ वर्ष 1982-83

क्र.सं.	नाम आवेदक	आवेदन पत्र दिनांक	स्वीकृति दिनांक	क्षेत्र
1.	श्री हजारी पुत्र किशना भील	9-6-82	12-11-82	सेती
2.	श्री मांगीलाल पुत्र लालू भील	19-10-82	10-3-83	मानपुरा
3.	श्री एजन	एजन	एजन	एजन
4.	श्री नानालाल पुत्र लालू भील	,,	3-3-83	,,
5.	श्री रामा पुत्र कालू भील	,,	23-2-83	,,
6.	श्री मांगू पुत्र भूरा भील	,,	एजन	एजन
7.	श्री देवीलाल पुत्र लहरु भील	20-10-82	8-3-83	भेरड़ा
8.	श्री रामा पुत्र जेता भील	एजन	23-2-83	एजन

तहसील बेगूं वर्ष 1982-83

1.	श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र दीपसिंह रावत	20-5-82	22-10-82	मेनाल
2.	श्री किशना पुत्र हीरालाल मीणा	21-8-82	10-12-82	रावड़दा
3.	श्री बालू पुत्र कालू भील	10-11-82	1-1-83	एजन
4.	श्री प्यारचन्द पुत्र गोगीलाल भील	21-1-82	3-3-83	एजन
5.	श्री एजन	एजन		एजन
6.	श्री रतना पुत्र देवा भील	एजन	17-3-83	एजन
7.	श्री एजन	एजन	एजन	एजन
8.	श्री नन्दा पुत्र गोकल भील	26-2-83	22-3-83	एजन
9.	श्री मांगूसिंह पुत्र धन्नासिंह रावत	29-3-82	17-4-82	एजन
10.	श्री प्यारा पुत्र देवा भील	एजन	एजन	एजन
11.	श्री बरम पुत्र गुलाब रावत	एजन	एजन	एजन

ह०/
सहायक खनिज, अभियन्ता,
चित्तौड़गढ़।

कार्यालय, सहायक खनिज अभियन्ता. निम्बाहेड़ा
वर्ष 1982–83 में आदिवासियों को दिये पट्टों की सूची

क्र.सं.	नाम पार्टी	बाउंड्री	तहसील	प्लाट नं.	अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	श्री देवीलाल पिता शंकर नायक	भाण्डी	निम्बाहेड़ा 313	4-12-82 से	3-12-83
2.	श्री किशना पिता काल रावत	एजन	,, 344	16-3-83 से	15-3-85
3.	श्री सोहन पिता लाल रावत	एजन	,, 342	26-3-83 से	25-3-85
4.	श्री गमेर पिता परथा रावत	,,	,, 300	14-3-83 से	13-3-85
5.	श्री भगवान पिता चेना रावत	,,	,, 345	16-3-83 से	15-3-85
6.	श्री मोहनलाल पिता घासी नायक	खेड़ी	,, 87	21-6-82 से	20-3-83
7.	श्री मोहनलाल पिता बजेराम रावत	जलिया	,, 34	27-7-82 से	26-7-83
8.	श्री किसनलाल पिता परथा रावत	एजन	,, 55	1-6-82 से	31-5-83
9	श्री नाथू पिता चूना भील	,,	,, 140	10-5-82 से	9-5-83
10.	श्री पन्ना पिता घासी गमेती	भटकोटड़ी	,, 3	29-7-82 से	28-7-83
11.	श्री सौराम पिता प्रताप भील	हड़साला	,, 28	26-6-82 से	25-6-83
12.	श्री रतना पिता घासी भील	ग्र. माली	,, 9	28-5-82 से	27-5-83
13.	श्री खेमा पिता नेणा भील	गोपालपुरा	,, 9	10-5-82 से	9-5-83

581

1	2	3	4	5	6
14.	श्री नानूराम पिता भजेराम	गोपालपुरा	निम्बाहेड़ा 3	12-4-82 से	11-4-83
15.	श्री नन्दा पिता नारायण भील	भटकोटड़ी	,, 26	2-2-83 से	1-2-84
16.	श्री रामा पिता प्यारा भील	खोड़ीप	भदेसर 27	2-2-83 से	1-2-84
17.	श्री लालू पिता मोती रावत	एजन	,, 482	25-11-82 से	24-11-83
18.	श्री नारायण पिता राधू रावत	टाटरमाला	,, 136	17-4-82 से	16-4-83
19.	श्री मांगू पिता परथू भील	खोड़ीप	,, 664	2-2-83 से	1-2-84
20.	श्री उदा पिता किशना गमेती	टाटरमाला	,, 365	27-9-82 से	26-9-83
21.	श्री चम्पा पिता चोखा गमेती	,,	,, 363	1-9-82 से	31-8-83
22.	श्री मांगीलाल पिता राम् गमेती	खोड़ीप	,, 175	2-2-83 से	1-2-84
23,	श्री चम्पा पिता देवा नायक	,,	,, 304	2-3-83 से	1-3-84
24.	श्री घासी पिता मोती नायक	,,	,, 534	29-1-83 से	28-1-84
25.	श्री पूरा पिता मोड़ा रावत	टाटरमाला	,, 133	7-3-83 से	6-3-84
26.	श्री भैरूलाल पिता नेनानी रावत	एजन	,, 201	5-2-83 से	4-2-84

Sd/-
सहायक, खनिज, अभियन्ता
निम्बाहेड़ा

583

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 115 की सूची)

पं. स. माण्डल की वर्ष 78–79 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत योजना के ग्रामों की सूची

क्र. सं. 1	ग्राम का नाम 2	कोड नं. 3
1.	लीरडिया	19/5/103
2.	उम्मेदपुरा	104
3.	गोकुलपुरा	106
4.	मेल्यास	95
5.	राजपुरा	107
6.	गम्भीरपुरा	101
7.	धुवाला (माण्डल)	96
8.	बाणीयास	97
9.	नीमकाखेड़ा	100
10.	नानकपुरा	98
11.	काशीरामजी की खेड़ी	80
12.	फतेहपुरा	79
13.	आलमास	81
14.	सोदानपुरा	86
15.	भैरूखेड़ा	84
16.	छाजवों का खेड़ा	83
17.	जोरावरपुरा	131
18.	लादुवास	73
19.	चांखेड़ा	115
20.	बाकली	116
21.	लालरी	117

584

1	2	3
22.	रूपपुरा	19/5/114
23.	नाहरगढ़	126
24.	दोलतपुरा	127
25.	भैरू खेड़ा	129
26.	बेरा	130
27.	गेगास	113
28.	नवलपुरा	128
29.	बावड़ी	105
30.	लुहारिया	112
31.	दांतालुहारिया	111
32.	थाबोला	109
33.	भालड़ी खेडा	110
34.	हरीपुरा	92
35.	सोड़ास	75
36.	हाथीपुरा	76
37.	गराड़िया	74
38.	कबराडिया	77
39.	विशनपुरिया	78
40.	सुरजपुरा	88
41.	भिमडियास	89
42.	गणेशपुरा	94
43.	लक्ष्मीपुरा	90
44.	सीड़ियास	93
45.	सज्जनपुरा	91
46.	देबीपुरा	71
47.	केशरपुरा	35
48.	मालास	34

1	2	3
49.	अमदला	19/5/32
50.	जालमपुरा	70
51.	दीमथा	36
52.	देवपड़ी	33
53.	केसरीमाफी	37
54.	अजीतपुरा	38
55.	रेह	39
56.	सोमानिया	68
57.	जड़ाना	67
58.	गोपालपुरा	72
59.	सोजी का खेड़ा	119
60.	चेना का खेड़ा	124
61.	चौताम्बा	23
62.	गोराणा	8
63.	कुआर	13
64.	रूपपुरा	14
65.	ज्ञानगढ़	9
66.	चानसीन	7
67.	नारेली	5
68.	कीडीमाल	6
69.	फाकोल्या	17
70.	शिवपुरा	3
71.	तगड़िया	12
72.	मोटा का खेड़ा	11
73.	टोकरा	10
74.	थाना	1

1	2	3
75.	घापड़ा	19/5/2
76.	गाजुणा	4
77.	बढ़ू	31
78.	बागजण	16
79.	भवाणा	26
80.	गोरधनपुरा	29
81.	रघुनाथपुरा	15
82.	गरबाय	28
83.	सहनुदा	27
84.	सूलिया	30
85.	सरेड़ी	22
86.	गुन्दालिया खेड़ा	24
87.	दनोड़ी	21
88.	करटा	19
89.	धुवाला (करेंड़ा)	18
90.	बरोबलों का खेड़ा	44
91.	गणेशपुरा	45
92.	सरेड़ी का खेड़ा	43
93.	अलगवास	25
94.	मनोहरपुरा	42
95.	भोपा की कमेरी	61
96.	जसवंतपुरा	60
97.	भैरू खेड़ा	41
98.	सुलीखेड़ा	57
99.	खुमाणपुरा	47
100.	उदयरामजी का गुढ़ा	49

587

1	2	3
101.	राजपुरा	19/5/48
102.	सरदारसिंहजी का खेड़ा	55
103.	डोडखेड़ा	54
104.	चोंहानों की खेड़ी	51
105.	सुरगटी	50
106.	खेड़ा देवपुरा	144
107.	लछमीपुरा	141
108.	भगवतपुरिया	142
109.	बागपुरा	140
110.	चतुर्भुजपुरिया	151
111.	कानजी का खेड़ा	58
112.	अमरपुरा	159
113.	ढेढवास	160
114.	भौंड की बावड़ी	99
115.	लछमनपुरा	146
116,	मदनपुरा	139
117.	सराय	123
118.	धोब का खेड़ा	108
119.	सोड़ा का खेड़ा	53
120.	भैरूंखेड़ा	20

588

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 116 की सूची)

परिवहन निगम में वर्ष 1982-83 यथा दिनांक 31-3-83 को निलम्बित
परिचालकों, चालक व अन्य अधिकारियों की सूची

परिचालक		चालक		अधिकारी	
संख्या	निलम्बन की दिनांक	संख्या	निलम्बन की दिनांक	संख्या	निलम्बन की दिनांक
1094	–	103	–	2	1-9-12-82 2-9-3-83

नोट : निगम के चालकों, परिचालकों का निलम्बन सम्भाग कार्यालयों के स्तर से होता है अतः वांछित सूचना सम्बन्धित कार्यालयों से प्राप्त होने पर संकलित की जाकर यथाशीघ्र प्रेषित की जायेगी ।